माला, खंड 26, अंक 19

शुक्रवार, 27 अप्रैल, 2007
7 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



(खंड 26 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 19, शुक्रवार, 27 अप्रैल, 2007/7 वैशाख, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 364, 366, 368, 369 और 378	2–40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 365, 367, 370 से 372, 374 से 377, 379 और 380	40–64
अतारांकित प्रश्न संख्या 3524 से 3742	64–527
सभा पटल पर रखे गए पत्र	528–532
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	533
लोक लेखा समिति	
इकतालीसवां, तैंतालीसवां, चौवालीसवां और सैंतालीसवां प्रतिवेदन	533–534
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	534
(एक) उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन	534
(दो) विवरण	534
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन	534–535
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
सत्रहवां प्रतिवेदन	535
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
सत्ताईसवें से तीसवां प्रतिवेदन	535
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
चालीसवें से छियालीसवां प्रतिवेदन	536

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित * चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन	537
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन	537
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन	537–538
कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति	
तेईसवें से पच्चीसवां प्रतिवेदन	538
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ बावनवें से एक सौ चौरानवेवां प्रतिवेदन	538–539
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
कंपनी कार्य मंत्रालय से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	539
सभा का कार्य	539–540
सदस्य द्वारा निवेदन	
पटना राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करते समय इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर 19.4.2007 को रेल कर्मचारियों द्वारा श्री प्रभुनाथ सिंह के परिजनों के साथ कथित दुर्व्यवहार	541–546
नियम 377 के अधीन मामले	562–566
(एक) मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादकों के लिए "पैदावार घटक" मानदंड शिथिल किए जाने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	562–563
(दो) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उन्हें राहत दिए जाने की आवश्यकता	
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	563–564
(तीन) कोयले पर रायल्टी की दर निर्धारित करने के फार्मूले की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री कृष्णा मुरारी मोघे	564
(चार) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री संजय धोत्रे	565
(पांच) एयरलाइन इंडस्ट्री द्वारा नौकरी पर रखे गए नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता	
डा. के.एस. मनोज	565–566
(छह) रेलवे के हाकरों और वेंडरों का समुचित पुनर्वास सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अमिताभ नन्दी	566

विषय	कॉलम
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2007-08	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	566-662
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	567-576
श्री सन्दीप दीक्षित	576-583
डा. सुजान चक्रवर्ती	583-589
श्री आलोक कुमार मेहता	589-593
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	593-599
श्री प्रबोध पाण्डा	599-602
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	602-611
श्री खारबेल स्वाईं	611-618
श्री के.एस. राव	618-624
डा. के.एस. मनोज	624-627
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	627-629
श्री दुष्यंत सिंह	629-632
डा. टोकचोम मैन्या	633-634
श्री अबु अयीश मंडल	634-635
श्री कीरेन रिजीजू	635-638
श्री अरूण कुमार वुन्डावल्ली	638-639
श्री बिक्रम केशरी देव	639-643
श्री एस.के. खारवेनथन	643-646
श्री कपिल सिब्बल	646-662
कार्य मंत्रणा समिति	
छत्तीसवां प्रतिवेदन	662
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	663
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	663-670
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	671-672
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	671-672

लोक सभा

शुक्रवार, 27 अप्रैल, 2007/7 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, हमें रूसी परिसंघ के पूर्व राष्ट्रपति श्री बोरिस निकोलाविच येल्तसिन के निधन का दुखद समाचार मिला है।

उन्हें रूसी परिसंघ के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने संक्रमण काल के कठिन दौर में अपने देश का मार्गदर्शन किया तथा जिन्होंने भारत और रूसी परिसंघ के बीच भागीदारी की एक नई नींव रखी।

यह सभा पूर्व राष्ट्रपति येल्तसिन के निधन के शोक में रूसी परिसंघ के नेतृत्व तथा लोगों के साथ है तथा उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत राष्ट्रपति के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मनोरंजन भक्त, प्रश्न संख्या 361

एन.टी.पी.सी. द्वारा गैस की खरीद

***361. श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एन.टी.पी.सी. द्वारा पिछले एक वर्ष में विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं से खरीदी गई गैस की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक आपूर्तिकर्त्ता द्वारा इसकी आपूर्ति कितने मूल्य पर की गई;

(ग) क्या हाल ही में कुछ आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई गैस के मूल्य में काफी बढ़ोत्तरी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) एनटीपीसी द्वारा क्रय की गई गैस की मात्रा और इसके 6 गैस आधारित स्टेशनों अर्थात् अंता, औरेय्या, दादरी, फरीदाबाद, कवास तथा गंधार के लिए वर्ष 2006-07 के लिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गैस की कीमतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

आपूर्तिकर्त्ता	गैस की श्रेणी अर्थात प्राकृतिक गैस/आरएलएनजी	प्रापण विधि	मात्रा (एमएम एससीएम)	संयंत्र बाऊंड्री पर जीसीवी आधार पर कीमतों की रेंज* (1 यूएस $ = रु. 45.00)
1	2	3	4	5
गैल	प्राकृतिक गैस	एपीएम	3428.70	2.5-2.8
		कुल (क)	3428.70	
गैल	आरएलएनजी	तत्काल खरीद	217.80	10.39-12.7

1	2	3	4	5
आईओसीएल	आरएलएनजी	तत्काल खरीद	111.20	10.6–12.1
बीपीसीएल	आरएलएनजी	तत्काल खरीद	102.20	10.6–11.9
हजीरा एलएनजी प्राइवेट लि. (एचएलपीएल)	आरएलएनजी	तत्काल खरीद	449.63	10.4–12.5
जीएसपीसी	आरएलएनजी	तत्काल खरीद	209.60	10.6–13.14
		कुल (ख)	1090.43	
बीपीसीएल पेट्रोनेट के जरिए	आरएलएनजी	फाल बैक आधारित	17.67	4.5–4.6
आईओसीएल पेट्रोनेट के जरिए	आरएलएनजी	फाल बैक आधारित	3.00	4.5–4.6
गैल पेट्रोनेट के जरिए	आरएलएनजी	फाल बैक आधारित	35.86	4.5–4.6
		कुल (ग)	56.53	
जीएसपीसी	प्राकृतिक गैस	जीएसपीसी द्वारा प्रस्ताव	49.61	5.12
		कुल (घ)	49.61	
		सकल योग (क+ख+ग+घ)	4625.27	

*कीमतों में परिवहन, कर व शुल्क शामिल हैं।
एपीएम: एडमिनिस्टर्ड प्राईसिंग मैकेनिज्म
गैल: गैस आथारिटी आफ इंडिया लि.
आईओसीएल: इंडियन आयल कारपोरेशन लि.
बीपीसीएल: भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.
आरएलएनजी: रिगैसिफाइड लिक्विफाइड नैचुरल गैस
जीएसपीसी: गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन
एमएमएमसीएम: मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर
जीसीवी: ग्रास केलोरिफिक वेल्यू
एमएमबीटीयू: मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट

(ग) और (घ) गैस/आरएलएनजी की कीमतें अनुबंध एवं आपूर्ति की उपलब्धता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलएनजी की परिवर्तनीय कीमतों के साथ-साथ गैस की श्रेणी के आधार पर निम्नानुसार अलग-अलग होती है।

एपीएम श्रेणी के अंतर्गत गैस: गेल द्वारा आपूर्ति की जा रही गैस का मूल्य समय-समय पर एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म (एपीएम) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

स्पाट आरएलएनजी: एनटीपीसी ने समय-समय पर प्रतियोगी बोली के माध्यम के घरेलू आपूर्तिकर्त्ताओं अर्थात गेल, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और जीएसपीसी से स्पाट आरएलएनजी को प्राप्त किया है। ये आपूर्तिकर्त्ता क्रमिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एलएनजी कारगो का प्रबंध करते हैं।

स्पाट आरएलएनजी का मूल्य एक निश्चित समय पर प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग एवं आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करता है।

फाल बाक आधार पर पेट्रोनेट (पीएलएल) आरएलएनजी: पीएलएल आरएलएनजी का मूल्य पीएलएल और उसके एलएनजी आपूर्तिकर्त्ता के बीच दीर्घावधि अनुबंध के आधार पर होता है।

जीएसपीसी गैस: जीएसपीसी से एनटीपीसी तक गैस का मूल्य एक वर्ष की अवधि अर्थात जून 5 से जून 6 तक के लिए जीएसपीसी द्वारा किए गए प्रस्ताव के आधार पर था।

श्री मनोरंजन भक्त: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार गैस का मूल्य निर्धारित करने के लिए किस प्रणाली को अपनाती है। कई ऐसे संगठनों के दाम दिए गए हैं, जिनसे गैस खरीदी गई है, परन्तु यहां इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि गैस की यह खरीद किस प्रकार की गई। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह ब्यौरा जानना चाहता हूं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, देश में केवल प्राकृतिक गैस ही उपलब्ध है। शेष गैस आरएलएनजी होती है, जोकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण पर आधारित होती है। हम केवल उस गैस के मूल्य के बारे में ही निर्णय ले सकते हैं, जोकि देश में उपलब्ध है। शेष गैस पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण पर निर्भर तथा आधारित है।

श्री मनोरंजन भक्त: मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह जानने के लिए कोई कार्यवाही की गई है कि दीर्घावधिक अनुबंध क्यों नहीं किए गए तथा केवल अल्पावधिक अनुबंध क्यों किए गए जिसके परिणामस्वरूप मूल्य बढ़ रहे हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लंबी अवधि के अनुबंध पहले ही किए जा चुके हैं। तदनुसार भेल, आई ओ सी एल, बी पी सी एल तथा हजीरा एल एन जी पेट्रोनेट के माध्यम से एल एन जी खरीद रहे हैं। वह पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर है आर एल एन जी के मूल्य में 10 डालर से 12 डालर के बीच उतार-चढ़ाव चल रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, गेल के माध्यम से 10.39 डालर पर स्पाट परचेसिंग की गई और यह बढ़कर 12.7 डालर पर पहुंच गयी है। आई ओ सी एल से यह 10.6 डालर से बढ़कर 12.1 डालर तक पहुंच गयी है। इसमें उतार-चढ़ाव आता रहता है। परन्तु कई बार यह 'फाल बैक सिस्टम' पर भी उपलब्ध होती है। 'फाल बैक सिस्टम' में मूल्य कम होता है। हमें यह गैस 4.5 डालर से 4.6 डालर में भी मिल सकती है। इसकी खरीद गेल, आई ओ सी एल तथा बी पी सी एल के माध्यम से की जाती है।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि सरकार की एन टी पी सी, कायमकुलम इकाई की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोई समयबद्ध योजना है जिसमें फीडस्टाक के रूप में गैस का प्रयोग होगा। यदि हां, तो गैस खरीदने के लिए एन टी पी सी ने किस एजेंसी के साथ समझौता किया है तथा किस मूल्य पर अनुबंध किया गया है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: राजीव गांधी कायमकुलम परियोजना के नाम से (नाफ्था आधारित) कायमकुलम इकाई चल रही है परन्तु वहां कठिनाई आ रही है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि हमने इस समय 12.93 एम एम एस सी एम डी गैस क्षमता के लिए अनुबंध किया है जो कि 68.5 प्रतिशत पी एल एफ के स्तर पर चलने के लिए पर्याप्त है। यदि हम इस इकाई को 90 प्रतिशत पी एल एफ के स्तर पर चलाएं तो हमें प्रतिदिन 17.35 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की आवश्यकता होगी। यही स्थिति है। आपूर्ति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां 8.16 एम.एम.एस.सी.एम.डी. की कमी है। इसलिए, गैस आधारित सभी इकाइयों को चलाना बहुत कठिन है, परन्तु विद्युत मंत्रालय, विशेषकर एन टी पी सी स्पाट लेवल तथा उपलब्ध एजेंसियों से गैस खरीदने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम 90 प्रतिशत के पी एल एफ के पूर्णभार के साथ ऐसे संयंत्रों को चलाना चाहते हैं।

शहरी मलिन बस्तियों में रहने वालों की जनसंख्या में वृद्धि

*362. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहर में रहने वाले गरीबों की जनसंख्या के वर्ष 2020 में 200 मिलियन तक पहुंच जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगो की संख्या में बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र- हेबीटेट रिपोर्ट ''द स्टेट आफ द वर्ल्ड सिटीज 2006/7: दि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड अर्बन सस्टेनिबिलिटी-30 ईयरस आफ शेपिंग द हेबीटाट एजेंडा'' में वर्ष 2020 में शहरी निर्धन आबादी के अनुमान का उल्लेख नहीं

है। लेकिन 2020 में भारत में शहरी स्लम आबादी 219.47 मिलियन होने के अनुमान का उल्लेख है।

सरकार रिपोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमत है कि शहरी गरीबी एवं स्लम विकास को विकास कार्यसूची में केन्द्रीय स्थान देने की आवश्यकता है।

(ग) देश के शहरी क्षेत्रों में स्लमों में रहने वालों की आबादी में वृद्धि के कारण अन्य के साथ-साथ इस प्रकार है:-

(1) ग्रामीण शहरी प्रवसन के कारण शहरीकरण में वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी केन्द्रों के रूप में पुन: वर्गीकरण।

(2) भूमि मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि और किफायती मूल्य पर मकान उपलब्ध न होने के कारण शहरों तथा कस्बों में शहरी समाज के एक बड़े भाग विशेषकर निर्धनों को भूमि तथा आवास उपलब्ध न होना।

(3) निर्धनों की बस्तियों में अवस्थापना तथा सेवाओं का प्रावधान न होना क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इस प्रकार की सुविधाओं में लंबे समय से अपर्याप्त निवेश किया जा रहा है।

(4) नगरों तथा कस्बों के पुराने क्षेत्र अपर्याप्त अनुरक्षण के कारण अत्यधिक पुराने हो गये हैं और घटिया स्तर की सेवाओं के कारण और भी जीर्ण-शीर्ण होते जा रहे हैं।

(घ) नगरों तथा कस्बों में स्लम विकास तथा आवास की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 3 दिसम्बर, 2005 से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है। शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) कार्यक्रम के तहत 63 मिशन नगरों में निर्धनों के लिए आवास का विकास तथा बुनियादी नागरिक सुविधाओं का प्रावधान किया जाता है। मिशन में शामिल न होने वाले नगरों की समस्याओं का समाधान समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को सहायता दी जाती है:-

(1) स्लमों का समेकित विकास अर्थात चुने गये नगरों में स्लमों में आवास तथा अवस्थापना विकास परियोजनाएं।

(2) शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाओं के विकास/सुधार/रखरखाव से संबंधित परियोजनाएं।

(3) स्लम सुधार तथा पुनर्वास परियोजनाएं।

(4) जल आपूर्ति/सीवरेज/जल निकासी, सामुदायिक शौचालयों/स्नानघरों आदि से संबंधित परियोजनाएं।

(5) स्लमों में रहने वालों/शहरी निर्धनों/आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के लिए किफायती दामों पर आवास।

(6) नालियां/बरसाती नालों का निर्माण तथा उनमें सुधार करना।

(7) स्लमों में पर्यावरणीय सुधार तथा कचरा निपटान।

(8) स्ट्रीट लाइटिंग।

(9) नागरिक सुविधाएं जैसे सामुदायिक केन्द्र, शिशु देखभाल केन्द्र आदि।

(10) इस घटक के तहत सृजित परिसंपत्तियों का परिचालन एवं रखरखाव।

(11) शहरी निर्धनों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूकता।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मेरा स्पष्ट प्रश्न था, क्या भारत में शहरों में रहने वाले गरीब लोगों की जनसंख्या आज के 2.8 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2030 में 20 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। सरकार संयुक्त राष्ट्र की पर्यावास रिपोर्ट को स्वीकार करती है। सरकार जो भी कदम उठाने वाली है, वे व्यावहारिक नहीं हैं क्योंकि शहरों और कस्बों में बढ़ती जनसंख्या के अनुसार पानी, बिजली, चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा जैसी जन सुविधाएं, उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं। इस वृद्धि, शहरी जनसंख्या विशेषकर शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

कुमारी सैलजा: अपने उत्तर में, मैंने स्पष्ट कहा है कि सरकार रिपोर्ट के निष्कर्ष से सहमत है, रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से सहमत होना आवश्यक नहीं है क्योंकि भारत में हम 'शहरी गरीबी' को अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास रिपोर्ट 'मलिन बस्तियों' को परिभाषा के उनके दृष्टिकोण पर आधारित है, जो कि हमारे दृष्टिकोण से भिन्न है। उनका दृष्टिकोण पांच संकेतकों पर आधारित है, जिसमें पानी का अभाव सफाई, भीड़-भाड़, कच्चे आवास, आवास के स्थायित्व का अभाव शामिल हैं, जबकि भारत में 'मलिन बस्ती' को दूसरे तरीके से परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि माननीय संसद सदस्य जानते हैं 'मलिन बस्ती' विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसी भी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों द्वारा किसी

'मलिन बस्ती' को 'मलिन बस्ती' के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उसे राज्य द्वारा 'मलिन बस्ती' के रूप में मान्यता दी जाती है। कम से कम 300 की जनसंख्या वाले सघन क्षेत्र अथवा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम चलाऊ ढंग से बने भीड़-भाड़ वाले लगभग 60 से 70 मकानों को 'मलिन बस्ती' कहा जाता है। 'मलिन बस्तियों' की हमारी परिभाषा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की परिभाषा से भिन्न है। परन्तु हम सहमत हैं कि शहरों में रहने वाले गरीबों पर विशेष ध्यान देकर निश्चित कदम उठाने होंगे। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार जवाहरलाल नेहरू साझा कार्यक्रम के अनुसार नवीकरण मिशन के नाम से एक नई पहल की है, जिसके माध्यम हम शहरी गरीबी की समस्या से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: महोदय, सरकार और संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की 'मलिन बस्ती' की परिभाषा में अंतर हो सकता है, परन्तु एक बात तो हमें माननी ही होगी कि विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ रही है। अत: इन शहरों और कस्बों में मलिन बस्तियां भी बढ़ रही हैं। मैं मुंबई में रहता हूं, जोकि एक महानगर है, हम बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और दिन-प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। आप आज लोगों को मकान मुहैया करा सकते हो, परन्तु भविष्य में क्या होगा? ये सभी बातें हैं, मेरा सुझाव है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का शहरी क्षेत्रों में पलायन नहीं रोका जाता, एक राज्य से दूसरे राज्य को पलायन नहीं रोका जाता तब वह इस समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता है। यही मेरा कहना है। सरकार इस बारे में क्या कहना चाहती है?

अध्यक्ष महोदय: वह जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय उनके सुझाव से सहमत हैं या नहीं।

कुमारी सैलजा: मुझे नहीं लगता कि कोई इस तथ्य से इंकार कर सकता है कि इस प्रकार का पलायन चलता रहेगा। बढ़ता हुआ शहरीकरण, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तथा हमारे जैसे विकासशील देश का सूचक है। कोई भी ग्रामों से शहरों की ओर पलायन को नहीं रोक सकता है। लोगों के आने-जाने को कोई रोक नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई इसे रोकना चाहते होगा। यह स्वतंत्र देश है, यह लोकतांत्रिक देश है। दूसरी ओर एक तरीका यह है कि हमें इन सेवाओं का उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजीविका के साधन जुटाने के प्रयास करने चाहिए ताकि लोगों को ऐसा करने की आवश्यकता ही न पड़े। इस शहरीकरण के पीछे खींच-तान का यह कारक है, सामाजिक कारण है, तथा कई अन्य कारण हैं।

हमें प्रयास करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र भी आगे बढ़े और उनका भी बड़े पैमाने पर विकास हो। शहरी क्षेत्रों में जो लोग पहले ही मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, वे बहुत गरीब हैं। इस ओर हमारा ध्यान दिलाने के लिए मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देती हूं। इस समस्या को केन्द्र में लाने के लिए मैं संपूर्ण सभा तथा आप सभी के माध्यम से राज्यों का सहायता और सहयोग चाहती हूं। शहरी गरीबी की समस्या हम देख रहे हैं, यह समस्या बढ़ चुकी है, हर किसी ने यह समस्या देखी है। इस मुद्दे को केन्द्र में लाने के लिए मैं सहयोग चाहती हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री रवि प्रकाश वर्मा–उपस्थित नहीं।

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदय, इस साल के अप्रैल महीने में पूरे विश्व में एक ऐसी स्थिति आने वाली है जब आधे लोग शहर में और आधे लोग गांव में रहेंगे, यानी फिफ्टी-फिफ्टी होने वाला है। हम जानते हैं और अभी हमारी मंत्री महोदया ने भी अपने उत्तर में बयाया कि अर्बनाइजेशन हो रहा है और उसके कारण भी दिए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जो अर्बन पूअर की समस्या है, जो स्लम ड्वैलर्स की समस्या है, जो माननीय मंत्री महोदया ने भी अपने उत्तर में बताई है, यह हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं की ये-ये चीजें होंगी। मगर हम कह रहे हैं कि गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है, उसे रोकने के लिए, प्रोवाइडिंग अर्बन फेसिलिटीज इन रूरल एरियाज, अभी तो स्लम में जो बेसिक रूरल फेसिलिटीज हैं, वे भी अर्बन पूअर के लिए नहीं मिल रही हैं, जैसे सैनीटेशन, शैल्टर और ड्रिंकिंग वाटर आदि,...

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न पूछिए।

मोहम्मद सलीम: सर, मेरा सवाल है कि इस पर हम अटैक कैसे करेंगे? इसे हम कैसे रोकेंगे, क्योंकि अब जो जमीनें शहरों में आक्शन हो रही हैं, वे बहुत ऊंची कीमत पर हो रही हैं। हम खुद दिल्ली में देख रहे हैं कि फाइव स्टार होटल्स और सेवन स्टार होटल्स के लिए जमीनें करोड़ों रुपयों में आक्शन हो रही हैं। सब फेसिलिटीज सरकार के पास रहेंगी, गरीब जनता भी रहेगी, लेकिन गरीब जनता के लिए कामन फेसिलिटीज उपलब्ध कराने के लिए एक इंच जमीन भी किसी शहर में मिलने वाली नहीं है। जिस प्रकार से हाउसिंग के क्षेत्र में जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए मैं चाहे केन्द्र सरकार हो राज्य सरकारें हों, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी जमीन शहरी इलाके में बची है,...

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया क्वैश्चन पर आइए, निवेदन के लिए समय नहीं है।

मोहम्मद सलीम: सर, मैं मालूम कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

मोहम्मद सलीम: मैं सरकार से मालूम करना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे कोई कदम उठाएगी जिससे गरीबों को जमीन उपलब्ध हो सके, क्योंकि अभी जो स्थित है उसके अनुसार तो डिसप्रपोर्शनेटली जो रिचर सैक्शन है, जमीन उसके पास जा रही है और पॉपराइजेशन आफ पूअरर्स हो रहा है। इसलिए जो जमीन है उसे पूअरर्स हैबीटेशन के लिए, शैल्टर्स के लिए और हैबीटेशन्स को फेसिलिटीज देने के लिए रिजर्व करने हेतु क्या सरकार कोई कानून बनाएगी?

कुमारी सैलजा: अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय कुलीग, मैम्बर आफ पार्लियामेंट ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और यह एक समस्या है, जो हम सबके सामने नजर आ रही है। इसलिए हमारा एक प्रपोजल है कि चाहे कोई नई टाउनशिप हो, प्राइवेट कौलौनीज हों, गवर्नमेंट कौलोनीज हों, उनमें जो हमारी जमीन है, उसमें 10 से 15 प्रतिशत जमीन गरीबों के लिए रिजर्व की जाए और हाउसिंग सैक्टर में जो जमीन है उसमें 20 से 25 प्रतिशत जमीन गरीब लोगों के लिए आरक्षित की जाए, तभी यह समस्या हल हो सकती है। हम चाहेंगे कि सभी लोग इसमें हमें सहयोग दें।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव: हम सभी को पता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हजारों एकड़ भूमि दी जा रही है। माननीय मंत्री महोदया कह रही थीं कि शहरी निर्धनों के लिए घरों का निर्माण करने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। माननीय वित्त मंत्री ने निर्धनों के लिए घरों के निर्माण हेतु 'रिवर्स हाइपोथिकेशन' की शुरूआत की है। इस पृष्ठभूमि में, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या वे निजी-सरकारी भागीदारी की शुरूआत करेंगी और कारपोरेट सेक्टर को भूमि आबंटित करेंगी ताकि वे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निर्धनों के लिए लाखों मकान बना सकें तथा वे इन घरों को लगभग नि:शुल्क रूप से इन निर्धन लोगों को उपलब्ध करा सकें। यदि इसके लिए जरा सी भी धनराशि का भुगतान किया जाता है तो 'रिवर्स हाइपोथिकेशन' के अंतर्गत आता है जिसके द्वारा निर्धनों को स्थायी अथवा पक्के घर उपलब्ध कराए जाएंगे।

कुमारी सैलजा: महोदय, यह बहुत ही बढ़िया सुझाव है लेकिन मेरे लिए मुख्य समस्या है कि भूमि राज्यों के अंतर्गत आती है और योजना राज्यों को ही बनानी है। माननीय सदस्यों और सभा के माध्यम से क्योंकि मैं बार-बार विभिन्न मंचों, बैठकों, मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर और सम्मेलनों के माध्यम से आवास मंत्रियों से बात करके इस समस्या से निपटने के लिए निर्धनों के लिए बार-बार कुछ न कुछ करने का अनुरोध कर रही हूं। हम अपने देश, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन लोगों से मुंह नहीं फेर सकते हैं। आज यह कहना एक फैशन सा हो गया है कि झुग्गी-झोपड़ियों को हटा देना चाहिए क्योंकि ये हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन क्योंकि वे इस शहर के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देते है इसलिए वे वहां रहने के हकदार है वे हमारे शहरो और कस्बों का हिस्सा बनने के हकदार है। आज हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कस्बों, शहरों और शहरी क्षेत्रों का बड़ा योगदान है। क्योंकि यह फैशन बन गया है केवल इस आधार पर हम इन लोगों की अनदेखी नहीं कर सकते है।

लेकिन महोदय, जहां तक विशेष आर्थिक क्षेत्र के विशेष विचार का संबंध है तो इस संबंध में हम बार-बार वाणिज्य मंत्रालय को लिख रहे है कि समुचित आवास की योजना विशेष आर्थिक क्षेत्र का एक हिस्सा होना चाहिए ताकि इन लोगों का भी ख्याल रखा जा सके।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि एक तरफ तो यह सरकार कहती है कि हम आम आदमी की सरकार हैं और आम आदमी की जब हम बात करते हैं तो आम आदमी का जो सबसे निम्न वर्ग है, बी.पी.एल. परिवार अगर हम लोग लेते हैं तो बी.पी.एल. परिवार के लिए जब हम हाउसिंग की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार की तरफ से जो आपके माध्यम से मंत्री जी अभी यहां पर जवाब दे रही हैं, उससे हमें यह लगता है कि यह केवल एक लीपापोती की जा रही है कि हम मकान देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम कच्ची बस्तियों को हटायें, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन जी.डी.पी. में है। मेरा सवाल केवल यही है कि एक तरफ इसी देश के अन्दर ऐसी सरकारें चल रही हैं, जहां राजस्थान के अन्दर एक घरोंदा योजना है, जो योजना ऐसे लोगों के लिए है, जो निम्न वर्ग के हैं, जो वहां पर मात्र पांच रुपये प्रतिदिन के आधार पर 150 रुपया प्रतिमाह अगर देते हैं तो उन्हें सरकार मकान बनाकर देती है। क्या ऐसी योजना लागू करने की केन्द्र सरकार की कोई ऐसी योजना है? आप बातें कर रहे हैं कि हम हाउस देना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपका क्वश्चन हो गया। आपका बहुत अच्छा क्वश्चन है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्वश्चन हमारा यही है कि आप उसके बारे में ध्यान कीजिए। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहां सरकारें चल रही हैं, वहां अच्छे तरीके से चल रही हैं, उन्होंने ऐसी योजना लागू की है। आप भी ऐसी योजना लागू करिये, आप कब तक लागू करेंगे, इसके बारे में जरा स्पष्ट करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इनको जवाब दे देने दीजिए।

कुमारी सैलजा: सरकारें और राज्यों में भी चल रही हैं। मैं माननीय सदस्या को जवाब जरूर देना चाहूंगी और यह बताना चाहूंगी कि मैंने शुरूआत इसी बात से की कि हमारी यू.पी.ए. सरकार का एक जो मेन इनीशिएटिव है, पहले कभी किसी ने यह बात नहीं की। पहले और स्कीम्स थीं, लेकिन हमारा अनुभव यह रहा कि वे पूरे ढंग से, सही ढंग से लागू नहीं हो पाती थीं। वैम्बे स्कीम थी, लेकिन वैम्बे में केवल आवास देते थे, नेशनल स्लम डैवलपमेंट प्रोग्राम था, लेकिन उसमें हम केवल दूसरी फैसिलिटिजी देते थे, मिसमैच हो जाता था और स्लम वहीं का वहीं था, गरीब लोग वहीं के वहीं थे, लेकिन भारत सरकार का एक जो मेजर इनीशिएटिव है, जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन, उसके तहत बातें नहीं हैं, उसके तहत कार्य है। 50 हजार करोड़ रुपया हमने इसके लिए अलग मुकर्रर किया है और पिछले दो सालों में, मैं कहना चाहूंगी कि 1500 करोड़ रुपया, जो कि हमारी मिनिस्ट्री का गरीबों के लिए टार्गेट था, वह हमने आलमोस्ट पूरा किया है और तकरीबन 1500 करोड़ रुपया हमने दिया है। जहां तक आपने राजस्थान की बात कही है, राजस्थान ने एक अच्छा स्टैप यह उठाया है।

आंध्र प्रदेश ने और भी अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, कई अन्य राज्यों ने भी इस डायरेक्शन में अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। मैं चाहूंगी कि सभी राज्य आपस में एक दूसरे से सीखें और एक-दूसरे राज्यों की अच्छी प्रैक्टिसेज को अपनाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब अच्छा काम किया जाता है तो सभी पार्टियों द्वारा इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। किसी की प्रशंसा करने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली महानगर में स्लम्स में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें पचास प्रतिशत से अधिक पूर्वांचल के रहने वाले हैं। ऐसी बात पूर्व के आंकड़ों में बतायी गयी है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत पूर्वांचल के राज्यों में, जिसमें बिहार और यूपी का पूर्वी भाग शामिल है, ऐसे क्षेत्रों में उनका कंसन्ट्रेशन बढ़ाने की क्या कोई योजना है? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के तहत जो कार्य हो रहे हैं, उससे पलायन में निश्चित रूप से कुछ कमी आयी है, लेकिन क्या जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के कंसन्ट्रेशन और एलोकेशन को पूर्वांचल में बढ़ाने की क्या कोई योजना है, ताकि पलायन को कम किया जा सके?

कुमारी सैलजा: महोदय, मैं माननीय सदस्य की बहुत शुक्रगुजार हूं। हम चाहते हैं कि इन राज्यों से हमारे पास प्रोजेक्ट्स आएं और ये अपने प्रपोजल भेजें। आपके द्वारा मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगी कि जो हमारे मिशन का हिस्सा है, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं उसके तहत अभी तक हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं आया है और हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास प्रपोजल्स आएं और हम राज्यों को पैसा दें।

श्री राजनरायन बुधौलिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या रोजगार की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन होने के कारण मलिन बस्तियों, झुग्गी-झोपड़ियों, सड़क पर बनी पटरियों में रहने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इन अभागे लोगों के पास अमानवीय दशाओं में रहने, विभिन्न बीमारियों का शिकार होने और कई मौकों पर अपनी जान गंवाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। सरकार क्या ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि को रोकने एवं झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं शीघ्र प्रदान करने जा रही है? जहां तक मंत्री जी ने कहा कि राज्यों से प्रस्ताव नहीं आते, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार से इन समस्याओं के लिए धन की मांग करती आ रही है। क्या सरकार ने आज तक उत्तर प्रदेश सरकार को धन दिया है?

कुमारी सैलजा: महोदय, हमारे मिशन के तहत हमारे पास जो प्रपोजल्स आते हैं, उसमें हम राज्य सरकारों के अफसरों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएं, हमारे पास उन्हें लाएं और हम उन्हें पैसा दें। उत्तर प्रदेश से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उनको क्लियर भी किया जा रहा है, लेकिन जहां तक शहरों में बसने वाले बहुत गरीब, जो झुग्गी-झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में रहते हैं उनके लिए ही हमारा यह मिशन बनाया गया है। इसमें कन्वर्जन्स आफ सर्विसेज की बात है, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं, उसमें चाहे हेल्थ फैसिलिटीज हों, चाहे शिक्षा देने की बात हो, चाहे सैनिटेशन की बात हो, आवास के स्थायित्व की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, इसके लिए सेवन प्वाइंट्स चार्टर है कि हर एक इन्सान को, चाहे वह गरीब से गरीब हो, उसे अच्छे ढंग से रहने का मूल अधिकार है। यह हमारी सरकार मानती है, इसलिए हमारे मिशन में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं के तहत यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिनमें ये सारी मूलभूत सुविधाएं देनी हैं।

निजी विद्युत वितरण कंपनियां

*363. श्री काशीराम राणा:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने बिजली के बिलों के भुगतान में छूट देने के लिए बीएसईएस जैसी निजी वितरण कंपनियों को शक्तियां सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार की नीति के किन उपबंधों के अंतर्गत निजी वितरकों को उक्त शक्तियां सौंपी गई हैं;

(ग) क्या ये निजी वितरक उपभोक्ताओं को बिजली के बढ़े हुए बिल भेजते हैं और बाद में नाममात्र रियायत देकर लक्ष्य को पूरा करते हैं;

(घ) यदि हां, तो केंद्र सरकार की नीति के किन उपबंधों के अंतर्गत बढ़े हुए बिलों पर छूट देने की शक्तियां प्रदान की गई हैं; और

(ङ) इस नीति में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली उपचारात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत राज्य सरकारें विद्युत वितरण कम्पनियों को उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान करने में छूट देने के लिए शक्तियां प्रदान करता हो।

(ग) जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र के राज्य विनियामक आयोगों द्वारा अवगत कराया गया है कि इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (क) से (ग) के उत्तरों के मद्देनजर प्रश्न नहीं उत्पन्न होते।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल का जो जवाब दिया है, वह बिल्कुल सही नहीं है। जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उनके बारे में कस्टमर्स की अनेकों कंप्लेंट्स हैं। उनकी कंप्लेंट है कि जो बिल भेजा जाता है, वह कभी-कभी इतना ज्यादा होता है कि कस्टमर उसे पे नहीं कर पाता है।

दूसरी बात, जब कस्टमर कंप्लेंट लेकर उनके पास जाते हैं, तो कंपनियां उनकी बात सुनती भी नहीं हैं। जब वे कोर्ट में जाते हैं, तो 33 प्रतिशत जब तक कस्मटर डिपाजिट न करवाये, तब तक कोर्ट भी कोई कार्रवाई नहीं करती। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जो आटोनामी या स्वायत्तता बड़े पैमाने पर हमने प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को दी है, इसके बारे में क्या सरकार समीक्षा करना चाहती है? यदि यह सरकार के पास हो तो सुनवाई हो सकती है, लोगों के प्रतिनिधि जा सकते हैं, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं होती। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसके बारे में कोई रिव्यू या समीक्षा करने जा रहे हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइवेटाइजेशन सात राज्यों में हो गया है जिनमें दिल्ली, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, वैस्ट बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश हैं। इन राज्यों में हम पूरा रिव्यू लेते हैं। 2003 में इसी सदन में इलैक्ट्रिसिटी एक्ट पास किया गया। उसके मुताबिक हर राज्य में रैगुलेटरी कमीशन ऐप्वाइंट किए गए हैं। केवल इतना ही नहीं, ग्रिवैन्सेस कमेटी भी है। ओमबडसमैन भी उसका कौगनीजैंस लेता है और एपीलेट बाडी भी है। मैं केवल आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कन्ज्यूमर्स ग्रिवैन्सेस रिड्रैसल, दिल्ली में 3,648 केसेज आए जिनमें से 3,404 केसेज डिस्पोज आफ किए गए। 2,684 केसेज में कम्प्लेनैंट के फेवर में डिसीजन गए हैं और 611 केसेज में डिसकाम के फेवर में डिसीजन गए हैं। वहां कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कम्प्लेंट्स आती हैं तो उसे वहां सुनने के प्रावधान किए गए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में पुलिस स्टेशन और कोर्ट का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन यह बात सही है कि पुराने मीटर चेंज करने के बाद नए मीटर से काठंटिंग हो रही है जिससे थोड़ी मुश्किल आ रही है। इस बारे में हाउस में पहले भी सवाल आया था, इसलिए मैं खुद इसकी डिटेल में जाकर इन्क्वायरी की है। मैंने असली बात बताने का प्रयास किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि 3,000 के करीब कम्प्लेंट्स में से 100, 200 को छोड़कर सभी कम्प्लेंट्स सही निकलीं। इसका मतलब है कि कम्प्लेंट्स ज्यादा पैमाने पर होती हैं। मैं चाहूंगा कि समीक्षा हो।

यहां रैगुलेटरी अथारिटी की बातः की गई। इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 में कहा गया है कि यदि एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरी एजैंसी ऐप्वाइंट करें तो उसकी परमीशन दी जाती है। लेकिन अभी कम्पनी की मोनोपोली होती है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी एक ही है। इसमें दो से ज्यादा एजैंसियों या कम्पनियों को कार्य देना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं देती। एक्ट के जरिए प्रावधान रखा गया है कि एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन एजैंसी या कम्पनियों को कार्य देना चाहिए जिससे कम्पीटिशन हो, कस्टमर को फायदा हो। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में कोई स्टैप लेना चाहेगी?

श्री सुशील कुमार शिंदेः अध्यक्ष महोदय, नया इलैक्ट्रिसिटी एक्ट लाने का मुख्य उद्देश्य था कि ओपन एक्सैस हो, कम्पीटिशन हो, पावर सस्ती मिले और क्लीन मिले। दिल्ली में केवल एक नहीं, दो अलग कम्पनियां काम कर रही हैं। कई जगह दो-दो कम्पनियां काम कर रही हैं। उड़ीसा में दो, तीन कम्पनियां काम कर रही हैं। जैसे-जैसे लोग आते हैं, सरकार उन्हें ऐलाऊ करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री गिरिधारी यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 में ऐसा कोई प्रावधान लाने का विचार रखती है कि यदि निजी कम्पनी (वितरण) जनता को परेशान करे तो उसके बोर्ड आफ डायरैक्टर्स पर भी कानूनी कार्यवाही की जाए?

श्री सुशील कुमार शिंदेः अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई नया कानून लाने का विचार नहीं है। यदि डिसकाम कोई गलत काम करती है तो उस पर एक्शन लेने का प्रावधान कानून में है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्जः महोदय, जब हम विद्युत वितरण और आबंटन की बात करते है तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान राज्य को आवंटित की जाने वाली केन्द्रीय विद्युत आबंटन में की गई कटौती के कारण केरल के समक्ष आ रही समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इस सत्र में राज्य की व्यस्ततम समस्या में लगभग 2700 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होती है जबकि राज्य द्वारा केवल 1600 से 1800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। 21 अप्रैल के बाद से केन्द्रीय आबंटन में कटौती की गई है जिसके परिणामस्वरूप स्थिति यह है कि राज्य को स्थिति को संभालने के लिए बिजली में कटौती (पावर कट) और लोड शैडिंग का सहारा लेना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदयः यह इस मुख्य प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता।

श्री के. फ्रांसिस जार्जः क्या मंत्री महोदय राज्य को मिलने वाले केन्द्रीय विद्युत आबंटन के मूल आबंटन की बहाली पर विचार करेंगे?

अध्यक्ष महोदयः विद्युत को सारे मामले इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं आते।

श्री के. फ्रांसिस जार्जः महोदय, माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। यह बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति है।

अध्यक्ष महोदयः लेकिन यह मुझ पर निर्भर करता है कि मैं आपको अनुमति दूं या न दूं। केवल मंत्री जी की ओर न देखे। वे एक कर्त्तव्यनिष्ठ मंत्री हो सकते है।

श्री के. फ्रांसिस जार्जः महोदय, मैं केवल आपकी ओर देख रहा हूं। मैं इसमें आपका सहयोग चाहता हूं क्योंकि केरल में बिजली की भारी कमी है।

अध्यक्ष महोदयः आप इनसे जाकर मिल सकते है।

श्री सुशील कुमार शिंदेः महोदय, मैं इन्हें स्थिति से अवगत करा दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकरः अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से महाराष्ट्र यानी मुम्बई में टाटा कम्पनी ने बीच के काल खंड में भारी प्रमाण में कन्ज्यूमर्स के लिए बिजली के रेट बढ़ाये हैं। महाराष्ट्र में अभी लोड शैडिंग नौ घंटे है लेकिन अनाधिकृत रूप से *...(व्यवधान)* मैं लोड शैडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्रश्न पर आता हूं। *...(व्यवधान)* बाकी सब मिलाकर जो नियम में नहीं है, वह चौदह-पन्द्रह घंटे हो जाता है। माननीय मंत्री जी ने बीच में स्टेटमैंट दिया था कि हम महाराष्ट्र को ज्यादा बिजली देंगे लेकिन वह भी नहीं दी। मेरा सवाल है कि आप टाटा कम्पनी को बिजली देते हैं लेकिन वह उसके ज्यादा रेट लगाती है। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। क्या इस संबंध में आप राज्य सरकार को कोई निर्देश देंगे कि उन्होंने जो ज्यादा बिल लगाया है, वह कम होगा क्योंकि राज्य सरकार को पैसा कम मिलता है? वे आपसे बिजली लेते हैं, तो उसमें भी कम पैसा देते हैं। आप

इस संबंध में कोई कानून बनायेंगे या राज्य सरकार को कोई निर्देश देंगे? इसमें आप क्या सुधार करना चाहते हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इतने प्रश्न पूछे हैं कि अभी वे उनका जवाब मेरे से पोलिटिकली मांग रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: यह एक राजनीतिक प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: इससे अधिक और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप इस तरह नहीं बोल सकते।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे: टैरिफ के रेट रेगुलेटरी कमीशन तय करता है। यदि आपकी कुछ कम्पलेंट है, तो आपको वहां जाना चाहिए। हर राज्य के रेगुलेटरी कमीशन्स में लोग, इलैक्ट्रीलिटी बोर्ड, डिस्काम जाकर कम्पलेंट कर देती हैं। अगर आप प्रापर फोरम से चले जायेंगे, तो आपको उसका रिप्लाई मिल सकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, हम विद्युत वितरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वितरण को केन्द्रीय कोटे के आबंटन का एक भाग माना गया है। मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक बात जानना चाहता हूं। हाल ही में भारत सरकार ने कोटे में भारी कमी है।

अध्यक्ष महोदय: यह वही प्रश्न है।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, वितरण मुख्य प्रश्न का ही भाग है।

अध्यक्ष महोदय: आपको मेरा निर्णय स्वीकार करना पड़ेगा।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न वितरण का हिस्सा है। मैं इस कटौती का कारण जानना चाहता हूं और क्या सरकार हाल ही घटाए गए कोटे को पुन:बहाल करने के लिए तैयार है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप अपने मित्रों के साथ जाकर मंत्री जी से मिल सकते हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से ही संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: केवल 'वितरण' शब्द ही एक जैसा है इसके अतिरिक्त और कुछ भी एक जैसा नहीं है। मंत्री महोदय आप इन्हें बुला सकते है और माननीय सदस्य को सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छा उत्तर मिल सकता है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: ठीक है महोदय, वे मुझसे मिल सकते है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

***364. श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
डा. सत्यनारायण जटिया:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों द्वारा अलग से कितनी-कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों में उत्पादित प्रति यूनिट विद्युत की लागत सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों में उत्पादित विद्युत से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान देश में क्षेत्र-वार/श्रेणी-वार उत्पादित ऊर्जा निम्नानुसार रही:

क्षेत्र	थर्मल (मि.यू.)	न्यूक्लियर (मि.यू.)	हाइड्रो (मि.यू.)	कुल (मि.यू.)
केन्द्रीय	221,660.18	18,606.75	35,067.01	275,333.94
राज्य	252,093.77	–	73,205.84	325,299.61
निजी	53,793.41	–	5,085.92	58,879.33

मि.यू. – मिलियन यूनिट

(ख) और (ग) विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत केन्द्र-वार रूप से अलग-अलग होती है तथा मुख्यत: संयंत्र के प्रकार एवं प्रयुक्त ईंधन, स्थान, आकार, आयु एवं कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। इन कारकों के मुताबिक निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों प्रकार के संयंत्रों में विद्युत उत्पादन की लागत में भिन्नता होती है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार हेगड़े: महोदय, जब हम माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर को देखते हैं तो वह बिल्कुल अपर्याप्त है। मैंने जो प्रश्न पूछा था तो उसका उत्तर दिया गया है कि यह प्रश्न उपयुक्त नहीं है। इसको दृष्टि में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चाहे स्टेट में हो, सेन्ट्रल सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जो प्राइस में डिफरेंस है, उसमें एक वैज्ञानिक आधार भी है। अगर हम इसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे तो इण्डस्ट्री के लिए पावर चाहिए, इण्डस्ट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए, ये सब बातें केवल भाषण में रह जाती हैं। हम जब तक पावर का रेगुलेशन नहीं कर पाएंगे तब तक यह नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे देश में एक ही रेट पर पावर मिले, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसके लिए कोई स्टडी की गयी है? अगर स्टडी नहीं की गयी है तो क्यों नहीं की गयी है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, पूरे देश में एक ही रेट पर पावर देने का प्रयास हमने जरूर किया है, लेकिन सभी जगह एक ही रेट से पावर नहीं मिल सकती है। हमारा 4,000 मेगावाट का एक अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट है उसमें दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 4 बिलियन डालर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें जो बिडिंग हुई हैं, उसमें एक की कीमत एक रुपए 19 पैसे है जो पिट हेड कोल का है और दूसरा प्रोजेक्ट जिसकी लोकेशन कोस्टल है, उसमें कीमत दो रुपए 40 पैसे है। इतने कम रेट में जैसा कि मैंने पहले बताया है भारत में यूपीए सरकार ने निर्णय लिया है कि सस्ती बिजली, क्लीन बिजली और जहां तक हो लोगों को तकलीफ न हो, इस तरह की बिजली मिल पाए, इसलिए इस रेट पर बिजली दी है। लेकिन पूरे रिकार्ड को अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने पहले बताया है टाइप आफ प्लान्ट, फ्युल की कास्ट, लोकेशन, साइज, प्लान्ट की एज आदि बातें होती हैं। मैं आपकी मालूमात के लिए बताना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट वर्ष 1933 में लगे हुए हैं, उनकी कीमत 20 पैसे है, लेकिन जो प्रोजेक्ट अभी हाल में लगे हैं, उनकी कीमत 9 रुपए 41 पैसे है। यह कीमत इसलिए फ्लक्चुएट होती है कि जो पुराना प्लान्ट लगा होता है, उसकी डेप्रिशिएशन कास्ट कम होती है, जैसे-जैसे प्लान्ट एज-ओल्ड हो जाता है, उसकी कीमत कम होती जाती है। जहां नए प्लान्ट लगते हैं, उनमें प्रजेण्ट कास्ट आफ मैनुफैक्चरिंग कैलकुलेट करके ही ये कीमतें तय की जाती हैं।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: महोदय, यह उत्तर तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल स्पष्ट है। इसे दृष्टि से रखते हुए एक ही रेट से पूरे हिंदुस्तान में बिजली मिले, क्लीन बिजली मिले इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, मैंने पूर्व में बताया है कि इतना बड़ा अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने 4000 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने का निर्णय लिया है। दूसरी बात मैंने यह बताई गई है कि प्रान्त इसमें मेंबर है, वहां बिजली उस कीमत पर अगले 25 साल तक जाएगी।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: महोदय, मेरा प्रश्न अलग था और यह उत्तर अलग है।

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात नोट कर ली गई है।

श्री हंसराज गं. अहीर: महोदय, सभी राज्यों में बिजली की कमी है। इसके चलते राज्यों में बिजली का उत्पादन कम है। जहां-जहां निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन हो रहा है, वे सभी निजी उत्पादक बिजली के दाम बढ़ाकर राज्य सरकारों को और ग्राहकों को लूट रहे हैं। हाल ही में मुंबई में रिलायंस ने दाम बढ़ाए हैं। महाराष्ट्र में जितने भी निजी उत्पादक हैं, सभी दाम बढ़ा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन पर नियंत्रण रखने के लिए क्या केन्द्र सरकार कोई प्रयास कर रही है? क्या केन्द्र सरकार इसके लिए वहां कोई आयोग बैठा रही है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, जहां भी नए प्रोजेक्ट लगते हैं, वहां की कीमतें जिस तरह होती है, उसको देखने के लिए वहां रेगुलेटरी कमीशन होते हैं। वे कमीशन उसकी कीमतें तय करते हैं और जब कीमतें तय होती है तब किस रेट पर फ्युल मिल रहा है, किस तरह की जमीन है, किस तरह की मशीनरी है, इन सभी चीजों पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती: देश में बिजली की मांग में भारी बढ़ोत्तरी हो रही है। मंत्री द्वारा अपने उत्तर में जो आंकड़े दिए गए हैं उनसे देखा जा सकता है कि ताप, जल और परमाणु बिजली में बहुत असंतुलन है।

हालांकि ताप और गैर-ताप, जल और परमाणु इत्यादि के लिए यह अनुपात 60:40 का होना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह 82 प्रतिशत और शेष के लिए 18 प्रतिशत है। अत: हम लक्ष्य से काफी पीछे है। जो हमें प्राप्त करना था। क्योंकि ताप विद्युत पर्यावरण के लिए बहुत हानिकर है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कम से कम 60:40 अथवा यदि संभव हो तो इससे बेहतर ढंग का संतुलन बनाए रखने के लिए हम किस प्रकार की रूपरेखा बनाने पर विचार कर रहे है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, यह सच है कि देश में बिजली की भारी कमी है और यह कमी इस समय 70,000 मेगावाट की है। सरकार एहतियाती उपाय कर रही है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की कमी को ध्यान में रखते हुए अब हमने ग्यारहवीं योजना में कार्रवाई की है। हाल ही में मैंने सभी मुख्य सचिवों और सचिवों विशेषकर विद्युत मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की थी। हमने उन्हें एक लक्ष्य दिया है। पहले भी हमने उन्हें लक्ष्य दिया था लेकिन वह लक्ष्य आवश्यकता से कम था लेकिन इस बार हमने उन्हें उनकी कमियों के अनुसार लक्ष्य दिए है।

उन्होंने हमसे अपने वायदों को पूरा करने का वायदा किया है।

माननीय सदस्य ने बहुत ठीक कहा है कि ताप विद्युत के क्षेत्र में वृद्धि की है लेकिन जल विद्युत के प्रति थोड़े प्रयास किए गए है। अत: सरकार ने जल विद्युत संबंधी नई नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है क्योंकि जल विद्युत के क्षेत्र में काफी संभावनाएं मौजूद है। इस क्षेत्र में 1,50,000 मेगावाट क्षमता उपलब्ध है। फिलहाल हम इसमें से केवल 20 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में काफी दुर्गम क्षेत्र है। वहां पर कोई अवसंरचना नहीं है और जब तक अधिक प्रोत्साहन नहीं दिया तब तक मुझे नहीं लगता कि निजी उद्यमी वहां जाकर काम नहीं करेंगे। उदाहरणार्थ मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि एनएचपीसी और नीपको के मामले में हाल ही में हमने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ 15,000 मेगावाट विद्युत के उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है। अत: हमने 15,000 मेगावाट से शुरूआत की है और मुझे लगता है कि 15,000 मेगावाट कोई छोटी शुरूआत नहीं है। लेकिन यह इसका एक हिस्सा है और 50,000 मेगावाट के लिए काफी कुछ किया जाना है इसका ध्यान रखा जा रहा है और इसके लिए शीघ्र ही एक नई नीति तैयार की जा रही है।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जल विद्युत उत्पादन के लिए रियायतें दी गई थी। लेकिन अभी तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में बिजली की हालत बहुत खराब हो रही है। वहां के किसानों को लोड शेडिंग के कारण दिन में 16 से 18 घंटे तक बिजली नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा प्रदेश सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि इंडस्ट्रीज को सप्ताह में एक दिन अतिरिक्त बिजली की कमी के कारण बंद रखा जाएं। बिजली न मिलने के कारण किसान, उद्योग वाले और सामान्य नागरिक त्रस्त हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गत सात वर्षों में महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या प्रयास किए गए और इसमें केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकार ने कितना-कितना सहयोग दिया? महाराष्ट्र में किसानों को बिजली नहीं मिलने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की वजह से ही उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसलिए मंत्री जी इसका पूरा ब्यौरा बताने की कृपा करें?

अध्यक्ष महोदय: डिटेल में बताना प्रश्न काल में सम्भव नहीं है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष जी, गत दस साल में महाराष्ट्र में बिजली का निर्माण कम हो रहा है। एक वक्त था जब सोनिया गांधी जी ने 2004 में वहां एक नए मुख्य मंत्री को भेजा था और उन्होंने वहां 500 मेगावाट बिजली निर्माण के लिए पारस और परली में दो यूनिट स्थापित किए थे। उनके द्वारा उत्पादित बिजली अब प्रदेश को मिलने वाली है। महाराष्ट्र में नई सरकार आने के बाद वहां 4500 मेगावाट बिजली की जो कमी आई है, उसे मैंने खुद रिव्यू किया है और उसके लिए प्लान एप्रूव किया है, जिस पर काम हो रहा है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स के दस केसेज वहां पेंडिंग हैं। उनका रिव्यू लेने के लिए मैं खुद महाराष्ट्र जा रहा हूं।

मुम्बई, दिल्ली हमारे राज्यों के प्रमुख शहर हैं और इन शहरों में इस तरह की असुविधा सामने न आए तथा गलत मैसेज बाहर न जाए, इसलिए बार-बार हम इन शहरों को बिजली मुहैया करा रहे हैं और हम इन शहरों को ज्यादा बिजली देने की कोशिश भी कर रहे है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 365-श्री रायापति सांबासिवा राव-उपस्थित नहीं.

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार-उपस्थित नहीं।

प्र. 366-श्री हंसराज गं. अहीर

ओह, आपको दूसरा मौका मिल रहा है!

[हिन्दी]

आवासीय क्षेत्र के लिए विनियामक प्राधिकरण

***366. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवासीय क्षेत्र के लिए एक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने संबंधी कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने आवास क्षेत्र के लिए किसी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया के सुझाव से सहमत नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सरकार ने आवास क्षेत्र में विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि हमने देश में निर्माण क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति दी है। इसके बाद स्थानिक निर्माण उद्योग और स्थानिक गरीब लोगों को मकान उपलब्ध कराने की हमारी जो जरूरत है, इन दोनों के बारे में सोचना है तो विनियम बनाने की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदया को फिर से कहना चाहूंगा कि आप इस बारे में उचित निर्णय लें कि सरकार एक विनियामक प्राधिकरण क्यों नहीं बना रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने एक सुस्पष्ट प्रश्न किया है। उन्होंने सुस्पष्ट जवाब दिया है। आप उसी प्रश्न को बार-बार नहीं दोहरा सकते।

कुमारी सैलजा: महोदय, मैं उस पर विस्तार से बताऊंगी।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य ने पूछा है कि रेग्यूलेटरी आथोरिटी क्यों नहीं बनाई जा रही है, इस बारे में मैं एक मूल बात कहना चाहूंगी कि जो जमीन है, वह राज्यों की सम्पत्ति है। अगर इस सम्पत्ति के बारे में कोई भी लेजिसलेशन हमें बनाना है, तो या तो वह माडल लेजिसलेशन हो सकता है या अगर राज्य कहे, तो हम लेजिसलेशन बना सकते हैं। जहां तक कि माडल लेजिसलेशन की बात है, हम इस बारे में जरूर एक कंसलटेशन करेंगे। जून की 1 तारीख और 2 तारीख को मैंने एक कांफ्रेंस भी बुलाई है, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रियल इस्टेट डवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, दूसरे स्टेक

होल्डर्स हैं, सबके साथ व्यापक बातचीत करने के बाद हम देखेंगे कि क्या पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में इसे सेटअप करने की जरूरत है या नहीं? अगर हम इस बारे में सोचेंगे तो राज्य सरकार को भी इसमें इनवोल्व होना पड़ेगा और लोकल बोडीज को भी इनवोल्व होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई तरह के बायलाज होते हैं, जो लोकल बाडीज के तहत आते हैं या राज्यों के तहत आते हैं। हम पूरे देश में व्यापक रूप से इस बारे में विचार-विमर्श करके देखेंगे कि क्या विनियामक प्राधिकरण को स्थापित करने की जरूरत है या नहीं, उसके बाद हम प्लेस देखने की बात करेंगे।

श्री हंसराज गं. अहीर: आपने पुनर्विचार करने की बात कही है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि देश के शहरी क्षेत्रों में गरीबों की आबादी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और गरीबों की आबादी बढ़ती भी जा रही है। जैसा आपने कहा कि 10-15 प्रतिशत मकान बिल्डर्स के लिए रिजर्व करते हैं और आपने पिछले प्रश्न में 25 प्रतिशत करने की मंशा जताई है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के बड़े-बड़े शहरों में बिल्डर या कम्पनियां आवास के क्षेत्र में मकान बना रहे हैं, एफएसआई बढ़ाने के लिए आप कुछ सहमति देने जा रही हैं कि ज्यादा मकान बन पाए और गरीब लोगों की जरूरत पूरी हो पाए।

कुमारी सैलजा: यह बहुत अच्छा सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है। हम इस तरह की बात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सभी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि केवल सरकार की ओर से सारी समस्या का हल नहीं हो सकता है। हम जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन के तहत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सबसे गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करें। इसके लिए राज्य सरकारों को भी आगे आना है और प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना है। सभी मिलकर चाहे चीजों को हमें आगे ले जाना पड़ेगा। कई राज्य की बात है, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है, सभी चीजों को हमें आगे ले जाना पड़ेगा। कई राज्य इसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र भी कर रहा है, बंगाल भी कर रहा है, हम चाहेंगे कि और सभी राज्य इसको आगे लेकर जाएं ताकि इस गंभीर समस्या का मिलजुल कर हल निकाल सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्र. 367 श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख-उपस्थित नहीं।

प्र. 368-श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा

पानी का खारापन दूर करने वाले संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता

*368. **श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश के विशेषकर आंध्र प्रदेश में समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी का खारापन दूर करने वाले संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मांगे जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी, हां। तथापि, जल आपूर्ति राज्य का विषय है। जल आपूर्ति प्रणाली की योजना, डिजाइन, प्रचालन एवं अनुरक्षण करना राज्य सरकारें एवं शहरी स्थानीय निकाय का उत्तरदायित्व है। आंध्र प्रदेश सरकार ने छोटे और मझोले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत 1700 लाख रुपये की अनुमानित लागत से भूमि निपटान में पानी के खारेपन को दूर करने के लिए 2.86 मिलियन लीटर दैनिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मंत्रालय के तकनीकी विंग केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरणीय एवं इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) द्वारा परियोजना की तकनीकी जांच कर ली गई है और इसके लिए 1064 लाख रुपये की रकम अनुमोदित कर दी है। परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने 2006-07 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में 185.37 लाख रुपये की पहली किश्त जारी की है।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: अध्यक्ष महोदय, मैं भीमुनीपतनम में एक 2.86 एम.एल.डी. डीसोलिनेशन संयंत्र की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए माननीय शहरी विकास मंत्री का धन्यवाद करती हूं। सभा को यह जानकर हैरानी होगी कि भीमुनीपतनम देश में दूसरी सबसे पुरानी नगरपालिका है। मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकार की 1064 लाख रु. की कुल लागत राशि में से केवल 185.37 लाख रु. जारी किए गए हैं। इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और

सरकार आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना हेतु शेष धनराशि कब तक जारी करेगी।

श्री अजय माकन: महोदय, स्वीकृत किए गए 10.64 करोड़ रु. में से, 80 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में जारी की जाएगी और 1.85 करोड़ रु. मात्र पहली किस्त के रूप में जारी किए गए हैं। शेष किस्तें यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. की शेष अवधि में जारी की जाएंगी, जो कि अगले पांच वर्ष की अवधि है।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: महोदय, इस योजना के लिए केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत है। राज्य सरकार की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है और स्थानीय निकाय की हिस्सेदारी भी 10 प्रतिशत है। यदि शहरी स्थानीय निकाय अपनी हिस्सेदारी नहीं देख पाता, तो यह योजना टल सकती है। क्या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा कम कर संग्रहण को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय शहरी स्थानीय निकाय की हिस्सेदारी को कम से कम 5 प्रतिशत तक कम करने पर विचार करेंगे?

श्री अजय माकन: महोदय, यू.डी.आई.एस.एस.एम.टी. के मौजूदा स्वरूप में, अनुदान के रूप में मात्र 80 प्रतिशत दिए जाने का प्रावधान है। पहले, ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत यह अनुदान 50 प्रतिशत हुआ करता था। इसलिए, केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई है। यदि स्थानीय निकाय अपने हिस्से का भुगतान नहीं कर पाती तो राज्य सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: प्र. संख्या 369-श्री रघुवीर सिंह कौशल-उपस्थित नहीं।

श्री पी.एस. गढ़वी।

[हिन्दी]

डब्बा ट्रेडिंग

*369. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डब्बा एक्सचेंज प्रणाली जो कि शेयर बाजार में प्रचलित एक प्रकार की अवैध ट्रेडिंग है, के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह ट्रेडिंग प्रणाली कई शहरों तक पहुंच गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस वैध ट्रेडिंग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के बाहर स्टाकों के अवैध कारोबार को आम बोलचाल में "डब्बा ट्रेडिंग" कहा जाता है। चूंकि यह एक्सचेंजों के बाहर होता है, अत: इसके ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। जब और जैसे इन घटनाओं की सूचना दी जाती है या सेबी को इसकी जानकारी प्राप्त होती है तो वह उपयुक्त कार्रवाई करता है और राज्य सकारों से सहायता लेता है। उदाहरणार्थ, इसने 2003 में एनएसई के सहयोग से मुंबई में और इसके बाहर कुछ स्थानों पर जांच-पड़ताल अथवा निरीक्षण किया था। सेबी की सूचना के आधार पर आयकर विभाग ने भी 2003 में कुछ स्थानों पर मथुरा, भुज, कलकत्ता और बंगलौर में जांच-पड़ताल की थी। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने दिनांक 24 अक्तूबर, 2005 के अपने पत्र के तहत मुख्यमंत्रियों को "डब्बा ट्रेडिंग" समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया था। सेबी ने मुख्यमंत्रियों को भी इसी प्रकार के पत्र लिखे थे जिसमें उनसे इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया था। गुजरात में डब्बा ट्रेडिंग संबंधी हालिया समाचारों के अनुसरण में, सेबी ने 26 जुलाई, 2006 को गुजरात के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राज्य सरकार से ऐसी ट्रेडिंग से प्रभावी रूप से निपटने के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, मैं कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आज, आपको छूट दी जा रही है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति से उस जवाब में चौथे वाक्य में सुधार कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: हां।

श्री पी. चिदम्बरम: मौजूदा चौथे वाक्य के बदले में। वाक्य निम्नलिखित रूप से पढ़ा जाना चाहिए:-

"उदाहरणस्वरूप, उसने वर्ष 2003 में एन.एस.ई. के सहयोग से मुंबई और उसके बाहर की कुछेक जगहों पर छापे मारे अथवा उनका निरीक्षण किया था। सेबी की जानकारी के आधार पर, आयकर विभाग ने वर्ष 2003 में मथुरा, भुज, कोलकाता और बंगलौर में कुछेक जगहों पर छापे मारे।"

अध्यक्ष महोदय: आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि यह संशोधन है, इसलिए मैंने आपको अनुमति दी।

श्री पी. चिदम्बरम: धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन इसे पूर्व उदाहरण के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए।

प्र.सं. 370–श्री अनिल बसु–उपस्थित नहीं।

यह चिंता का विषय है। हम यहां प्रश्नकाल चला रहे हैं और माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है।

प्र.सं. 371–श्री निखिल कुमार–उपस्थित नहीं

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड–उपस्थित नहीं।

संभवत: यह सोचा गया है कि कोई प्रश्न काल नहीं होगा।

प्र.सं. 372–श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–उपस्थित नहीं

श्री देविदास पिंगले–उपस्थित नहीं

प्र.सं. 374 श्री मित्रसेन यादव–उपस्थित नहीं

मंत्रीगण अब सतर्क रहे क्योंकि कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है।

प्र.सं. 375–श्री जीवभाई ए. पटेल–उपस्थित नहीं

श्री धर्मेन्द्र प्रधान–उपस्थित नहीं

मुझे आशा है कि वित्त मंत्री ने कोई व्यवस्था नहीं की है।

प्र.सं. 376–श्री वी.के. दुम्मर–उपस्थित नहीं

डा. धीरेंद्र अग्रवाल–उपस्थित नहीं

मैं आपकी पीड़ा समझता हूं।

प्र.सं. 377–श्री किसनभाई वी. पटेल–उपस्थित नहीं

श्री सुग्रीव सिंह–उपस्थित नहीं

इसी कारण संसद के कार्यकरण के संबंध में हर तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं।

प्र.सं. 378–श्री ताराचंद साहू।

श्री ताराचंद साहू: जी, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री ताराचंद साहू: महोदय, मैं अपने प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय: आप यह उम्मीद कर रहे थे कि यह नहीं आएगा।

श्री ताराचंद साहू: जी, हां।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत और जिलों को सम्मिलित किया जाना

*378. **श्री+ ताराचंद साहू:**
श्री बापू हरी चौरे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में द्वितीय चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत और अधिक जिलों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे किन-किन जिलों को चुना गया है/चुने जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सभी जिलों को इस योजना के अंतर्गत कब तक सम्मिलित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। सरकार ने दूसरे चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत 130 और जिलों को शामिल करने का निर्णय लिया है।

(ख) उत्तर प्रदेश के जिलों को छोड़कर अन्य 113 जिलों के नाम अनुबंध में दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम अलग से सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 7 सितम्बर, 2005 को अधिनियमित और अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 1(3) के अनुसार, यह अधिनियम इसके अधिनियमन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर उस सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र पर लागू हो जाएगा जिस पर कि इसका विस्तार है।

अनुबंध

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जोड़े जाने वाले जिलों के नाम

क्र.सं.	राज्य/जिला
1	2
	आंध्र प्रदेश (6)
1.	नैल्लोर
2.	पूर्वी गोदावरी
3.	श्रीकाकुलम
4.	कुरनूल
5.	प्रकासम
6.	गुंटूर
	अरुणाचल प्रदेश (2)
7.	चांगलांग
8.	लोहित
	असम (6)
9.	मोरीगांव
10.	दरंग
11.	नलबारी
12.	हेलाकंडी
13.	बारपेटा
14.	कछार
	बिहार (15)
15.	शेखपुरा
16.	सिवान
17.	खगड़िया
18.	मधुपेरा
19.	सहरसा
20.	सीतामढ़ी
21.	पश्चिमी चम्पारण
22.	बांका
23.	भागलपुर
24.	पूर्वी चम्पारण
25.	बेगुसराय
26.	गोपालगंज
27.	बक्सर
28.	सारण
29.	अरवल
	छत्तीसगढ़ (4)
30.	कोरबा
31.	जांजगीर-चांपा
32.	महासमुंद
33.	रायपुर
	गुजरात (3)
34.	बलसाड
35.	भरूच
36.	नवसारी
	हरियाणा (2)
37.	अम्बाला

1	2
38.	मेवात
	हिमाचल प्रदेश (2)
39.	कांगड़ा
40.	मण्डी
	जम्मू-कश्मीर (2)
41.	अनन्तनाग
42.	जम्मू
	झारखण्ड (2)
43.	पूर्वी सिंहभूम
44.	देवघर
	कर्नाटक (6)
45.	बेल्लारी
46.	हसन
47.	चिकमंगलूर
48.	बेलगांम
49.	शिमोगा
50.	कोडागू
	केरल (2)
51.	ईडूकी
52.	कासरगोड
	मध्य प्रदेश (13)
53.	छिंदवाड़ा
54.	हरदा
55.	पन्ना
56.	कटनी
57.	दिवास
58.	गुना
59.	रेवा

1	2
60.	दतिया
61.	दमोह
62.	राजगढ़
63.	अनूपपुर
64.	अशोकनगर
65.	बुरहानपुर
	महाराष्ट्र (6)
66.	ठाणे
67.	बर्धा
68.	बुलढाना
69.	ओसमानाबाद
70.	अकोला
71.	बाशिम
	मणिपुर (2)
72.	चन्देल
73.	चूराचंदपुर
	मेघालय (3)
74.	पूर्वी खासी हिल्स
75.	जैंतिया हिल्स
76.	रिभोई
	मिजोरम (2)
77.	चम्पई
78.	लुंगलई
	नागालैंड (4)
79.	कोहिमा
80.	मोकाक्चुंग
81.	त्वेनसांग
82.	वोखा

1	2
	उड़ीसा (5)
83.	बारगढ़
84.	आंगुल
85.	बालासोर
86.	भद्रक
87.	जाजपुर
	पंजाब (3)
88.	नवाशहर
89.	जालंधर
90.	अमृतसर
	राजस्थान (6)
91.	टौंक
92.	सवाई माधोपुर
93.	चित्तौड़गढ़
94.	बाडमेर
95.	जालौर
96.	जैसलमेर
	सिक्किम (2)
97.	पूर्वी सिक्किम
98.	दक्षिणी सिक्किम
	त्रिपुरा (2)
99.	दक्षिणी त्रपुरा
100.	पश्चिमी त्रिपुरा
	तमिलनाडु (4)
101.	तंजावुर
102.	तिरूवरूर
103.	तेरूनलवेल्ली
104.	करूर

1	2
	उत्तराखंड (2)
105.	उधमसिंह नगर
106.	हरिद्वार
	पश्चिम बंगाल (7)
107.	कूचबिहार
108.	नादिया
109.	बर्धमान
110.	मिदनापुर पूर्वी
111.	उत्तरी 24 परगना
112.	हुगली
113.	दार्जीलिंग
	उत्तर प्रदेश*

*उत्तर प्रदेश के जिलों की सूची अलग से जारी की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री ताराचंद साहू: अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित है कि अब गांवों में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और इसलिए गांवों के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे शहरों की समस्याएं बढ़ गई हैं और गांव वीरान हो रहे हैं। इस दृष्टिकोण से सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बहुत से जिलों को लिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 16 जिले हैं, जिनमें से 11 जिलों को आपने ले लिया है, चार जिले अभी प्रस्तावित हैं, लेकिन दुर्ग जिला, जो मेरा जिला है, उसे आपने क्यों छोड़ा है, कृपया बताने का कष्ट करें?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्राइटीरिया के आधार पर जिलों का चयन किया जा रहा है, जिसमें 200 जिले प्रथम फेज में और 130 जिले दूसरे फेज में लिये गये हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 330 जिले लिये जा चुके हैं। माननीय सदस्य की जो इच्छा है कि उनका जिला भी लिया जाए, तीसरे फेज में उनका जिला आ जायेगा, ऐसी संभावना है।

श्री ताराचंद साहू: महोदय, इस योजना के तहत मानिटरिंग ठीक से नहीं हो रही है और इस संदर्भ में ढेर सारी शिकायतें भी आ रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपकी तरफ से

कोई ऐसी योजना बनाई जायेगी या ऐसा कोई सिस्टम डवलप होगा, जो ठीक से इन कार्यों की मानिटरिंग कर सके, कृपया इसका जवाब देने का कष्ट करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही सवाल उठाया है, मानिटरिंग की स्ट्रिक्ट विजिलैन्स, ट्रांसपेरेन्सी, पीपुल्स पार्टिसिपेसन और अकाउन्टेबिलिटी ये चार सूत्र हैं, इन चारों सूत्रों को लेकर किसी भी योजना के लिए काम किया जाए। उसमें सबसे पहले माननीय सदस्यगण, चेयरमैन अथवा को-चेयरमैन, जो डिस्ट्रिक्ट विजिलैन्स मानिटरिंग कमेटी में हैं, उनका भी सरजमीन का निरीक्षण करने का अधिकार बनता है, कागज का निरीक्षण करने का अधिकार बनता है। इसके अलावा देश में कोई भी पोलिटिकल वर्कर हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, एन.जी.ओ. हो या अन्य कोई हो, राइट टू इंफोर्मेशन वाला कानून ही नेशनल रूरल इम्पलायमैन्ट गारंटी कानून में शामिल है और अलग से राइट टू इंफार्मेशन भी है। इसलिए हमने आन लाइन मानिटरिंग की व्यवस्था की है, ताकि हरेक स्कीम का मस्टर रोल वैबसाइट पर आ जाए, जिससे कि कोई भी उसकी छानबीन कर सके, उसे देख सके। उड़ीसा राज्य ने सबसे पहले आन लाइन मानिटरिंग कर ली है, अन्य राज्यों में यह आंशिक तौर पर हुआ है। हम चाहते हैं कि कुछ महीनों में आन लाइन मानिटरिंग हो जाए, जिससे ब्लाक से हमारी कनैक्टिविटी हो जाए और हर एक स्कीम का मस्टर रोल वैबसाइट पर आ सके, जिससे कि उनकी निगरानी की जा सके। इसलिए जनभागीदारी, कड़ी निगरानी पर हमारा जोर है। इसके अतिरिक्त हमने राज्य सरकारों को कहा है कि अपने सचिवालय स्तर के पदाधिकारी के कम से कम दो प्रतिशत योजनाओं का, जिले के अधिकारियों के दस प्रतिशत योजनाओं का और ब्लाक के अधिकारियों से सैन्ट-परसैन्ट योजनाओं का निरीक्षण करायें। इस तरह से उसमें चौतरफा निगरानी और पारदर्शिता की व्यवस्था की गई है। अभी यह शुरूआत है, साल भर इस योजना की शुरूआत में लगा है और इसके बहुत अच्छे परिणाम और उत्साहजनक निष्कर्ष निकल रहे हैं।

अपराह्न 12.00 बजे

इसलिए यह पांच वर्षों के अंदर देश भर के सभी जिलों में लागू हो जाएगा। साथ ही कड़ी निगरानी के साथ जिन बातों के लिए कानून बनाया गया है कि गरीबों को रोजगार मिले, उनका पलायन रूके और साथ-साथ वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेव मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ड्राट प्रूविंग इत्यादि ये सभी तरह के प्लांटिशन, फ्लड प्रूविंग, इन सभी तरह से देश का कायाकल्प हो सकता है। एक तरफ दो सौ जिलों में करीब दो करोड़ लोगों को रोजगार मिला, दो करोड़ परिवारों को रोजगार मिला। करीब-करीब 85 करोड़ मैन डेज सृजित हुए हैं जो पहले देश भर में होता था, एक तिहाई में हुआ। इसलिए बहुत ही उत्साहजनक परिणाम इसका आ रहा है। इसलिए माननीय सदस्यों से और सदन से हम अपेक्षा करते हैं कि इसकी पारदर्शिता के लिए उनका भी सहयोग अपने-अपने जिलों में जरूरी है। अभी हमने सभी माननीय सदस्यों को चिट्ठी लिखी है कि कम से कम एक पंचायत में तो मस्टर रोल जाकर देखें और उसकी फोटो कापी लें और सामाजिक अन्वेक्षण कि आम आदमी ग्राम सभा में जान सके कि क्या काम हो रहा है, क्या मजदूरी मिल रही है, कौन-कौन मजदूरी में काम कर रहे हैं और उसकी नाप-तौल इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था की गई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

***365. श्री राथापति सांबासिवा राव:**
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 2006 की स्थितिनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) की राशि कितनी है;

(ख) इनकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी धनराशि वसूली गई; और

(घ) एनपीए के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अनुमानत: ब्याज की कितनी धनराशि का घाटा हुआ है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों की त्वरित वसूली के लिए कतिपय उपाय निर्धारित किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों द्वारा

वसूली नीति तैयार करना और क्रियान्वित करना, सिविल न्यायालयों/ ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) में मुकदमा दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई, समझौता निपटान, विभिन्न स्तरों पर अनुपयोज्य आस्तियों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई आदि शामिल है। ऋण सूचना कंपनियों को विनियम प्रदान करने तथा ऋण के दक्षतापूर्ण संवितरण को सुकर बनाने और ऐसा करके नई अनुपयोज्य आस्तियों की अनुवृद्धि को रोकने के लिए ऋण सूचना कंपनी (विनियम) अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया है। कुछ गिने-चुने बैंकों द्वारा बैंकों को उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी देने के लिए ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. की स्थापना भी की गई है ताकि उन्हें पूर्ण सूचित और सुविचारित ऋण निर्णय लेने में समर्थ बनाया जा सके। समन्वित प्रयासों से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की निवल अनुपयोज्य आस्तियां 31 मार्च, 2004 के 18,320 करोड़ रुपए से घटकर 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार 14,614 करोड़ रुपए (निवल अग्रिमों का 1.18%) हो गया है। इसी प्रकार, वित्तीय संस्थाओं की निवल अनुपयोज्य आस्तियां 31 मार्च, 2004 के 5,118 करोड़ रुपए से घटकर 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार 969 करोड़ रुपए (निवल अग्रिमों का 1.18%) हो गया है। इसी प्रकार, वित्तीय संस्थाओं की निवल अनुपयोज्य आस्तियां 31 मार्च, 2004 के 5,118 करोड़ रुपए से घटकर 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार 969 करोड़ रुपए (निवल अग्रिमों का 0.77%) हो गया है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान क्रमशः 21,202 करोड़ रुपए, 22,169 करोड़ रुपए और 25,335 करोड़ रुपए की वसूली की है।

(घ) अनुपयोज्य आस्तियों के कारण ब्याज की हानि की प्रमात्रा अनुपयोज्य आस्तियों की राशि, अवधि जब तक खाता अनुपयोज्य आस्ति की श्रेणी में रहा है, समझौता निपटानों में ब्याज राशि के त्याग आदि सहित विभिन्न पदों पर निर्भर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान प्रबंधन सूचना प्रणाली से यह आंकड़ा प्राप्त नहीं होता है।

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों का कार्य-निष्पादन

*367. **श्री सुभाष सुरेश चंद्र देशमुख:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पेय जल की आपूर्ति के संबंध में कुछ राज्यों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सहायता का पूरा उपयोग नहीं किया है; और

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) पेयजल राज्य का विषय है। ग्रामीण बसावटों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिक तौर पर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर उनकी मदद करती है। राज्य का निष्पादन कवरेज के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति से मापा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) एआरडब्ल्यूएसपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों से यह अपेक्षित है कि वे पिछले वित्तीय वर्ष के अथशेष सहित अपने पास उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत का उपयोग करने के पश्चात दूसरी किस्त की रिलीज के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में आबंटन, रिलीज तथा व्यय का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) सारे निष्पादन की केंद्र द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है तथा केंद्रीय निधियों की रिलीज को दूसरी तथा बाद की किस्तों में तदनुसार समायोजित किया जाता है। यह सुनिश्चित करना होता है कि राज्य अपने पास उपलब्ध निधियों का समय से उपयोग करते हैं। तथापि, एक वर्ष में आई कमी की भरपाई आगे आने वाले वर्ष में कर दी जाती है ताकि राज्य दीर्घ काल तक अपने अंश से वंचित न रह जाएं। राज्यों को वित्तीय अनुशासन पर ध्यान देने तथा जल आपूर्ति परियोजनाओं को यथासमय पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत बसावटों का लक्ष्य एवं कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07	
		लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4224	4129	2974	3294	3957	5000
2.	अरुणाचल प्रदेश	301	254	397	325	328	89
3.	असम	6669	4555	1871	2428	2978	1965
4.	बिहार	15	15	1623	1625	5116	8353
5.	छत्तीसगढ़	4500	3797	4000	10329	4800	8056
6.	गोवा	2	25	1	1	6	1
7.	गुजरात	600	930	1059	1034	2329	1429
8.	हरियाणा	525	473	791	415	725	476
9.	हिमाचल प्रदेश	1750	1770	1336	1950	3000	2975
10.	जम्मू-कश्मीर	378	340	479	463	1008	41
11.	झारखंड	117	2150	2888	2100	3802	1608
12.	कर्नाटक	7636	6030	4790	3883	5333	2542
13.	केरल	302	1083	831	2149	1065	812
14.	मध्य प्रदेश	18680	10672	3352	10390	6963	8870
15.	महाराष्ट्र	5000	2245	1894	2806	7673	2561
16.	मणिपुर	231	70	133	80	123	105
17.	मेघालय	387	391	348	472	700	500
18.	मिजोरम	174	174	130	130	134	42
19.	नागालैंड	97	46	64	125	274	14
20.	उड़ीसा	131	5528	2176	11509	4226	5406
21.	पंजाब	720	626	800	1701	882	680
22.	राजस्थान	9000	11233	9952	13346	2853	7227
23.	सिक्किम	44	120	71	120	164	85

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	6500	6520	7500	8338	3072	6360
25.	त्रिपुरा	574	247	425	204	446	215
26.	उत्तर प्रदेश	92	92	2209	14366	7024	9837
27.	उत्तरांचल	384	393	450	484	111	1480
28.	पश्चिम बंगाल	5806	5599	3669	2945	3900	1665
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	14	63	45	31
30.	दादरा और नगर हवेली	29	59	18	36	16	9
31.	दमन और दीव	0		0		0	
32.	दिल्ली	0		0		0	
33.	लक्षद्वीप	0	2	10	0	3	
34.	पांडिचेरी	0	71	15	104	64	42
	जोड़	74868	69639	56270	97215	73120	78476

*20.4.2007 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कवरेज

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (सामान्य) के अंतर्गत आबंटन, रिलीज एवं अन्य

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05			2005-06			2006-07		
		आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	13084.00	13084.00	15742.00	23947.35	22340.29	15906.00	19548.00	26685.80	22380.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	6125.00	6125.00	7645.94	9993.61	9874.54	10518.16	10299.00	13663.78	4600.36
3.	असम	10331.00	8782.62	8524.90	16851.29	14800.63	10863.40	17369.00	11372.37	14026.89
4.	बिहार	7405.00	7400.03	5929.42	15324.00	15324.00	6954.93	18571.00	13006.65	13400.00
5.	छत्तीसगढ़	2663.00	2269.80	1567.20	5904.97	5020.44	2738.50	6549.00	6549.00	4808.89
6.	गोवा	121.00	0.00	551.33	221.05	182.45	96.08	253.00	127.00	123.61
7.	गुजरात	6623.00	6623.00	6623.00	11186.00	11205.00	11497.63	12503.00	13703.80	8890.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	हरियाणा	1974.00	1974.00	1974.00	3512.00	3493.30	2111.55	4546.00	4873.00	4009.12
9.	हिमाचल प्रदेश	5427.00	5427.00	5287.14	8585.00	10885.00	10897.33	9663.00	15127.00	5071.77
10.	जम्मू-कश्मीर	12502.00	12500.00	13905.58	19908.00	21908.00	18075.90	26163.00	23206.67	12088.36
11.	झारखंड	2949.00	1859.83	1728.84	6334.61	6171.28	3921.24	7261.00	3631.00	2939.18
12.	कर्नाटक	10046.00	10045.89	10231.83	17723.99	17723.99	19104.52	17467.00	20800.60	16197.38
13.	केरल	3946.00	3946.00	4401.00	6170.65	6170.65	4914.70	6216.00	6216.00	5474.87
14.	मध्य प्रदेश	7745.00	7745.00	6677.95	15101.00	15039.88	15483.73	18797.00	19733.40	7416.57
15.	महाराष्ट्र	15971.00	15971.00	19175.90	31610.88	31610.88	32286.40	36152.00	36152.00	21197.52
16.	मणिपुर	2103.00	2103.00	2483.50	3430.93	2713.67	845.27	3379.00	1689.50	1033.00
17.	मेघालय	2422.00	2422.00	2953.89	3949.77	3190.10	3243.84	4073.00	5104.59	2499.85
18.	मिजोरम	1737.00	1737.00	1810.00	2831.58	2599.27	2488.87	2920.00	4271.39	1419.82
19.	नागालैंड	1782.00	1702.00	1583.08	2907.91	2641.20	1647.05	2998.00	2998.00	1432.50
20.	उड़ीसा	6934.00	6934.00	5514.63	14212.40	13880.94	8902.56	10332.00	9130.83	7200.45
21.	पंजाब	2815.00	2815.00	2667.29	4172.53	4134.81	3754.91	4098.00	4098.00	2058.16
22.	राजस्थान	20392.00	20391.86	15536.12	36020.72	35891.34	27339.86	26425.00	20171.36	30962.79
23.	सिक्किम	731.00	731.00	745.12	1195.53	1183.68	1121.56	1229.00	1630.77	609.50
24.	तमिलनाडु	7125.00	7075.13	7558.07	11875.00	11093.34	9374.62	12057.00	12496.22	10954.00
25.	त्रिपुरा	2149.00	1558.25	2069.28	3503.10	3199.86	3255.38	3613.00	4577.89	3358.90
26.	उत्तर प्रदेश	12991.00	12991.00	12361.53	28372.10	28372.10	18134.01	27990.00	28389.40	30884.00
27.	उत्तरांचल	3035.00	2957.97	3961.90	6559.12	6559.12	5533.11	7523.00	7779.36	4599.48
28.	पश्चिम बंगाल	8527.00	8270.21	8555.08	15246.90	15078.33	14238.08	15806.00	17118.40	7679.61
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.63	0.00	238.45	34.38	0.00	0.00	32.73		
30.	दादरा और नगर हवेली	3.75	0.00	0.00	22.92	0.00		5.92		0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	13.53		
32.	दिल्ली	2.81	0.00		4.69	0.00		0.00		
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64		
34.	पांडिचेरी	2.81	0.00	0.00	17.19	0.00	0.00	38.72		0.00
35.	चंडीगढ़							5.46		
	जोड़	179670.00	175441.59	178003.97	326731.17	322288.09	265249.19	333900.00	334303.78	247316.89

*20.4.2007 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार व्यय

[अनुवाद]

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत विलंब से धनराशि जारी किया जाना

*370. **श्री अनिल बसु:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत धनराशि वित्तीय वर्ष 2005-06 के अंत में जारी की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रकार जारी की गई धनराशि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2006-07 के लिए अनुमत आबंटन में से कटौती की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) वर्ष 2005-06 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत 11.4.2005 को उन 463 जिलों के लिए पहली किस्त की मंजूरी दी गई थी जिन्हें वर्ष 2004-05 में बिना किसी शर्त के दूसरी किस्त रिलीज की गई थी। 116 जिलों के लिए पहली किस्त वर्ष 2004-05 में दूसरी किस्त की रिलीज के समय लगाई गई शर्तों के पूरा होने पर रिलीज की गई थी। एक जिले के लिए, जो 2004-05 में दूसरी किस्त प्राप्त नहीं कर सका था, उसे 2005-06 में पहली किस्त की रिलीज के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात 2005-06 में पहली किस्त 10.8.2005 को रिलीज की गई थी। वर्ष 2005-06 में एसजीआरवाई के लिए बजट प्रावधान को 4000 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5500 करोड़ रु. करने के बाद, 575 पात्र जिलों को पहली किस्त की शेष राशि की मंजूरी 4.10.2005 और 5.10.2005 को दी गई थी। 5 जिलों के लिए 5.10.2005 के बाद पहली किस्त की शेष राशि की मंजूरी दी गई थी।

एसजीआरवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो जिले उपलब्ध निधियों की 60% राशि का उपयोग कर लेते हैं तथा पहली किस्त के माध्यम से प्राधिकृत 50% खाद्यान्न उठा लेते हैं और 60% उपलब्ध खाद्यान्न का उपयोग कर लेते हैं वे नकद एवं खाद्यान्न के उपयोग प्रमाणपत्र, लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, बैंक समाधान विवरण तथा ब्लाक-वार प्राप्ति एवं खर्च विवरण जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ दूसरी किस्त की रिलीज के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर नवम्बर, 2005 से लेकर मार्च, 2006 तक 568 जिलों को दूसरी किस्त रिलीज की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2005-06 के अंत में कार्यक्रम के अंतर्गत हुई बचत में से एसजीआरवाई कार्यक्रम के लिए पात्र जिलों को अतिरिक्त निधियां मंजूरी की गई थीं।

इस प्रकार, जिलों को अप्रैल, 2005 से लेकर मार्च, 2006 तक एसजीआरवाई निधियां रिलीज की गई थीं।

(ग) और (घ) 1.4.2006 से अग्रेनीत की जा सकने वाली अनुमेय राशि कुल उपलब्ध निधियों का 10% है। कुल उपलब्ध निधियों में केंद्रीय रिलीज, राज्य रिलीज, अथशेष और विविध प्राप्तियां शामिल हैं। तथापि, 1.4.2006 को अथशेष राशि की गणना करते समय 2005-06 के अंत में रिलीज की गई अतिरिक्त निधियों को ध्यान में नहीं रखा गया था। चूंकि 1.4.2006 को अग्रेनीत राशि उपलब्ध निधियों के 10% से अधिक थी इसलिए 2006-07 में दूसरी किस्त की रिलीज के समय केंद्रीय अंश में से आनुपातिक कटौती की गई थी।

विदेशी ऋण

*371. **श्री निखिल कुमार:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 2007 तक देश पर कुल विदेशी ऋण चिंताजनक स्थिति तक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस विदेशी ऋण में से कार्पोरेट क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के बीच हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है;

(घ) क्या सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की प्रतिशतता के संदर्भ में विदेशी ऋण 16 प्रतिशत से अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने देश के ऋण भार को कम करने के लिए कोई रणनीति बनाई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) जी नहीं। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, भारत का विदेशी ऋण वस्तुत: वर्ष 2001-02 से 21.1 प्रतिशत से निरंतर गिरता हुआ 2005-06, ऐसा नवीनतम पूर्ण वर्ष जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, में 15.8 प्रतिशत के स्तर पर आ गया।

(ग) दिसम्बर, 2006 के अंत में कुल विदेशी ऋण में सरकारी ऋण का हिस्सा 33.4 प्रतिशत था, जबकि गैर-सरकारी ऋण कुल विदेशी ऋण का 66.6 प्रतिशत था। गैर-सरकारी ऋण के अंतर्गत शामिल किया गया कारपोरेट ऋण, जो भारतीय कारपोरेटों द्वारा विदेशी वाणिज्यिक उधारों, निर्यात ऋण और अल्पावधिक ऋणों के अंतर्गत जुटाए गए ऋणों का द्योतक है, दिसम्बर, 2006 के अंत में कुल विदेशी ऋण का 36.4 प्रतिशत था।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) जी, हां। सरकार उधारों के अंतर्गत रियायती शर्तों पर और दीर्घावधिक परिपक्वता वाले कम खर्चीले स्रोतों से निधियां जुटाकर, अल्पावधिक ऋण की मानीटरिंग करके, उच्च लागत वाले ऋणों की पूर्व अदायगी करके, अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों या यौक्तिकीकरण करके, विदेशी वाणिज्यिक उधारों के अंतिम प्रयोग पर रोक लगाकर और ऋण सृजित न करने वाले पूंजीगत प्रवाहों को प्रोत्साहित करके विवेकशील विदेशी ऋण प्रबंधन की नीतियों का पालन करती आ रही है।

[अनुवाद]

आयकर की परिभाषा की पुनरीक्षा

***372. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
श्री देविदास पिंगले:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयकर की परिभाषा की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कंपनियों से मिलने वाले लाभांश पर कर लगाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या डाकघर जमा योजनाओं तथा म्यूचुअल फंडों पर मिलने वाले ब्याज को आयकर से छूट है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत "आयकर" की कोई परिभाषा नहीं है। तथापि, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (43) में 1 अप्रैल, 1965 को शुरू होने वाले कर-निर्धारण वर्ष तथा आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभार्य आयकर के आशय से किसी परवर्ती वर्ष के संबंध में, तथा उक्त तिथि से पूर्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभार्य आयकर, अधिकर एवं किसी अन्य कर-निर्धारण वर्ष के संबंध में "कर" को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा की समीक्षा की गई थी और दिनांक 1.4.2006 को शुरू होने वाले कर-निर्धारण वर्ष तथा परवर्ती कर-निर्धारण वर्ष के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 115बक के अंतर्गत देय अनुबंगी लाभ कर को शामिल करने के लिए वित्त अधिनियम, 2005 के द्वारा दिनांक 1.4.2006 से प्रभावी उक्त परिभाषा में संशोधन किया गया था।

(ग) और (घ) किसी घरेलू कंपनी द्वारा संवितरित लाभांश जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ण के अंतर्गत लाभांश संवितरण कर के अध्यधीन है, को इस समय उक्त अधिनियम की धारा 10(34) के अंतर्गत प्राप्त कर्ता के हाथ में होने की स्थिति में छूट प्राप्त है। प्राप्त कर्ता के हाथ में लाभांश राशि पर कर उद्ग्रहीत करना विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) ब्याज के रूप में आय, उन्मोचन पर प्रीमियम अथवा ऐसी प्रतिभूतियों पर अन्य भुगतान, बंधपत्र, वार्षिकी प्रमाण-पत्र, बचत प्रमाण-पत्र तथा अन्य प्रमाण-पत्र एवं जमाराशियां जिनमें डाकघर के बचत प्रमाण-पत्र एवं जमाराशियां भी शामिल हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15)(i) के अंतर्गत छूट प्राप्त है बशर्ते कि उक्त शर्तें तथा सीमाएं ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(35) के अंतर्गत (i) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत पंजीकृत कोई म्यूचुअल फंड; अथवा (ii) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अथवा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था द्वारा संस्थापित अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत तथा ऐसी शर्तें जिन्हें केन्द्र सरकार इस संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है, के

अधीन ऐसा अन्य म्यूचुअल फंड भी यूनिटों के संबंध में प्राप्त किसी आय (यूनिटों के अंतरण से उद्भूत होने वाली आय से भिन्न) के संबंध में छूट उपलब्ध है।

*373.

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत राज्यों को धनराशि

*374. **श्री मित्रसेन यादव:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वर्ष 2006-07 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा वर्ष 2007-08 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उक्त योजना के अंतर्गत अपने राज्यों के लिए धनराशि में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का सूचनात्मक आबंटन किया गया है और इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शहरी अवस्थापना तथा शासन के लिए और छोटे तथा मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का सूचनात्मक आबंटन

क्र.सं.	राज्य का नाम	योजना आयोग द्वारा आबंटन (करोड़ रु. में)			
		2006-07		2007-08	
		यूआईजी	यूआईडीएसएसएमटी	यूआईजी	यूआईडीएसएसएमटी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	168.48	68.84	188.69	53.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.73	1.05	0.81	0.82
3.	असम	16.98	14.22	19.02	11.13
4.	बिहार	43.37	35.60	48.58	27.85
5.	छत्तीसगढ़	14.51	18.92	16.25	14.80
6.	गोवा	2.05	3.10	2.30	2.42
7.	गुजरात	203.80	49.40	228.26	38.64
8.	हरियाणा	21.89	27.46	24.52	21.48
9.	हिमाचल प्रदेश	3.01	2.45	3.37	1.91
10.	जम्मू-कश्मीर	33.17	4.97	37.15	3.89

*अतारांकित प्रश्न सं. 373 गृह मंत्रालय को 8.5.2007 के लिए अंतरित कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6
11.	झारखंड	62.86	16.07	70.41	12.57
12.	कर्नाटक	134.76	62.21	150.94	48.66
13.	केरल	46.55	32.69	52.13	25.57
14.	मध्य प्रदेश	95.93	62.22	107.44	48.67
15.	महाराष्ट्र	495.64	93.33	555.12	73.01
16.	मणिपुर	5.18	1.77	5.81	1.38
17.	मेघालय	5.56	1.01	6.22	0.79
18.	मिजोरम	4.73	1.15	5.29	0.90
19.	नागालैंड	1.60	1.44	1.79	1.13
20.	उड़ीसा	16.90	25.52	18.93	19.96
21.	पंजाब	49.78	31.81	55.75	24.88
22.	राजस्थान	58.69	56.38	65.74	44.10
23.	सिक्किम	0.60	0.17	0.67	0.13
24.	तमिलनाडु	191.24	99.12	214.19	77.53
25.	त्रिपुरा	3.94	1.93	4.41	1.51
26.	उत्तर प्रदेश	207.79	133.08	232.72	104.10
27.	उत्तरांचल	20.13	7.54	22.55	5.89
28.	पश्चिम बंगाल	295.92	44.26	331.43	34.62
29.	दिल्ली	0.00	0.15	299.02	0.12
30.	पांडिचेरी	0.00	0.77	11.73	0.61
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.15	0.00	0.11
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	18.76	0.00
33.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.63	0.00	0.49
34.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.27	0.00	0.21
35.	दमन और दीव	0.00	0.31	0.00	0.24
	कुल	2205.79	900.00	2800.00	704.00

[हिन्दी]

ऋणों की वसूली

*375. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली हेतु गुण्डों के इस्तेमाल के संबंध में सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी आपराधिक गतिविधियों का सहारा लेने वाले निजी बैंकों के लाइसेंस रद्द करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 1 जनवरी, 2003 से 30 जून, 2006 की अवधि के दौरान में कार्य कर रहे गैर-सरकारी बैंकों के विरुद्ध 154 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें ऋणों की वसूली के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।

(ख) मई 2003 में जारी की गई ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि ऋणों की वसूली के मामले में, ऋणदाता को अनुचित उत्पीड़न अर्थात ऋणों की वसूली के लिए उधारकर्ताओं को बेवक्त निरन्तर परेशान करने, बाहुबल का प्रयोग करने, आदि का आश्रय नहीं लेना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड परिचालन के संबंध में नवम्बर 2005 में सभी वाणिज्यिक बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि उनके एजेंटों को अपने ऋण वसूली के प्रयत्नों में किसी व्यक्ति को मौखिक या शारीरिक किसी भी रूप में डराने-धमकाने या उत्पीड़ित करने का आश्रय नहीं लेना चाहिए। इसमें क्रेडिट कार्डधारकों के परिवार के सदस्यों, परिचयदाताओं और मित्रों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप करने, धमकाने वाली और अज्ञात टेलीफोन काल करने या गलत एवं भ्रामक प्रतिनिधित्व करने के कृत्य शामिल हैं।

भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा तैयार की गई ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संबंधी संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि बैंक की वसूली नीति शिष्टाचार, उचित व्यवहार तथा अनुनय के आधार पर बनी हो तथा बैंक कानून के अनुरूप प्रतिभूति पुनर्धारित करने के अधिकार से संबंधित नीति अपनाएं।

भारतीय बैंक संघ ने ''देयराशियों की वसूली और प्रतिभूति पुनर्धारित करने के अधिकार के लिए आदर्श संहिता'' तैयार की है, जिसे जनवरी, 2007 में बैंकों द्वारा अंगीकार एवं कार्यान्वित किए जाने की सिफारिश की गई है। आदर्श संहिता में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि बैंक अपनी ऋण वसूली नीति में ग्राहकों की मर्यादा एवं सम्मान को बनाए रखने की प्रतिबद्धता करें और ऐसी नीतियां न अपनाएं, जो देयराशियों की वसूली के मामले में अनुचित रूप से बाध्यकारी न हों।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल के एक निर्णय में यह आदेश दिया है कि बैंक(कों) को उन मामलों में, जहां उधारकर्ता में किस्तों की अदायगी में चूक की हो, वाहनों को कब्जे में लेने के लिए बाहुबल की रणनीति का आश्रय लेने के बजाय कानून द्वारा मान्य प्रक्रिया का आश्रय लेना चाहिए।

(ग) और (घ) बैंक द्वारा वर्तमान दिशानिर्देशों के किसी अतिक्रमण के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयुक्त विनियामक कार्रवाई की जाती है।

स्वर्ण-जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंक ऋण

*376. **श्री वी.के. थुम्मर:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वर्ण-जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(घ) इनमें से कितने आवेदनों को स्वीकृत किया गया; और

(ङ) आवेदनों को अस्वीकृत करने के क्या आधार हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) जी, हां। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत स्वरोजगारियों तथा स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण प्रदान करते हैं। बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा तैयार किए गए एसजीएसवाई संबंधी दिशानिर्देशों में दी गई है।

एसजीएसवाई के अंतर्गत स्वरोजगारियों को वित्तीय सहायता में दो घटक अर्थात ऋण एवं सब्सिडी शामिल हैं। हालांकि ऋण बैंकों द्वारा संवितरित किए जाते हैं, परन्तु सब्सिडी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) द्वारा प्रदान की जाती है। ऋण का आकार परियोजना के स्वरूप पर निर्भर करता है। यह अचल एवं ग्रामीण पूंजी दोनों से युक्त एक संमिश्र ऋण है। बैंक स्वरोजगारियों को ऋण के रूप में सब्सिडी सहित परियोजना की पूरी लागत संवितरित करते हैं। सब्सिडी अंतिम भाग है और ऋण की अंतिम कुछ किश्तों में समायोजित की जाएगी।

योजना में कमजोर वर्गों के लिए अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, महिलाओं के लिए 40% और विक्लांगों के लिए 3% की सीमा तक आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ब्लाक में गठित 50 एसएचजी सिर्फ महिलाओं के लिए होने चाहिएं। इसके अलावा, योजना में हिताधिकारी द्वारा किए गए कार्यकलाप के आधार पर 5 से 9 वर्ष की अवधि के भीतर चुकौती की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) बैंकों द्वारा एसजीएसवाई के अंतर्गत गत दो वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों तथा उन्हें संस्वीकृत ऋणों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्राप्त आवेदन		संस्वीकृत ऋण	
	व्यक्तिगत	एसएचजी	व्यक्तिगत	एसएचजी
2004-05	260262	102486	201436	92486
2005-06	235864	112983	180387	98833

(ङ) बैंक शाखा स्तर पर आवेदनों के लंबित पड़े रहने के कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसजीएसवाई का एक त्वरित अध्ययन किया गया था। अध्ययन में, आवेदनों की मंजूरी में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारणों/बाधाओं का पता चला:

* बैंकों को गैर-अर्थक्षम तथा बैंक सहायता हेतु अपात्र प्रस्ताव अग्रेषित करना।
* अधिकांश आवेदन एक समान कार्यकलाप से संबंधित थे जिसके परिणामस्वरूप उनकी भरमार हो गई।
* सरकारी एजेंसियों तथा बैंक कर्मचारियों के बीच समन्वय की कमी।
* प्रायोजिक एजेंसियों द्वारा आवेदनों को इकट्ठा करते जाना और वर्ष की समाप्ति पर आवेदनों को प्रस्तुत करना।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में विद्युत की खपत

*377. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कृषि, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र में अलग-अलग कितने प्रतिशत विद्युत खपत हुई;

(ख) क्या देश में विद्युत की कमी के कारण कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान कृषि, औद्योगिक व घरेलू क्षेत्रों में विद्युत खपत का प्रतिशत निम्नवत है:-

क्षेत्र	2003-04 (%)	2004-05 (%)	2005-06* (%)
घरेलू	24.86	24.77	24.30
औद्योगिक	34.51	35.63	35.87
कृषि	24.13	22.93	21.86

*अनंतिम

(ख) और (ग) विद्युत एक समवर्ती विषय है। कृषि, औद्योगिक व घरेलू समेत उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की आपूर्ति व वितरण करना राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। केंद्रीय

सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से विद्युत उत्पादक स्टेशनों की अधिष्ठापना करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। इन स्टेशनों से लाभभोगी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन किया जाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न राज्यों में कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 4-24 घंटे आपूर्ति प्रदान की गई है।

(घ) देश में विद्युत की उपलब्धता को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं-

(1) चल रही उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता संवृद्धि की कड़ी निगरानी।

(2) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन क्षमता संवृद्धि परियोजनाओं की अग्रिम आयोजना।

(3) बड़े आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए 4000 मेगावाट प्रत्येक की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

(4) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के अग्रदूत के रूप में बेहतर निष्पादन कर रही विद्युत यूटिलिटियों के साथ तालमेल के जरिए मौजूदा थर्मल पावर स्टेशनों के संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) को बढ़ाने के लिए बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) पद्धतियों को अपनाकर ''उत्कृष्टता में भागीदारी'' (पार्टनरशिप इन एक्सीलेंस) कार्यक्रम की शुरूआत।

(5) त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (ए जी एंड एस पी) के अंतर्गत पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से ऋण पर ब्याज सब्सिडी देकर पुरानी और अकुशल उत्पादन इकाईयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण व जीवन विस्तार।

(6) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से अधिशेष विद्युत का दोहन।

(7) गैस आधारित स्टेशनों के उपयोग में न लाई गई क्षमता का तरल ईंधन पर उपयोग।

(8) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी करने के मुख्य उपाय के तौर पर त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत राज्य में उप पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/विस्तार।

(9) मौजूदा उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लीयर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन व अनुरक्षण।

(10) अंतरराज्यीय और अंतरक्षेत्रीय पारेषण क्षमता के सुदृढ़ीकरण द्वारा उपलब्ध विद्युत का इष्टतम समुपयोजन।

(11) मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन देना।

(12) अंतर-मंत्रालयीन ग्रुप, जिसमें कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और कोल इंडिया लि. के प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारा साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर कोयला के उत्पादन, संवहन और आपूर्ति की कड़ी निगरानी ताकि समस्याओं की समीक्षा व समाधान किया जा सके।

कोयला और गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

***379. श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'':**
डा. चिंता मोहन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार कोयला-आधारित विद्युत परियोजनाओं की तुलना में कितनी गैस-आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं;

(ख) क्या गैस-आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं कोयला-आधारित विद्युत परियोजनाओं की अपेक्षा अधिक सस्ती है; और

(ग) यदि हां, तो कोयला-आधारित विद्युत परियोजनाओं की अपेक्षा गैस-आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं के तुलनात्मक लाभों का ब्यौरा क्या है?-

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार कुल 71031.38 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता के साथ 94 कोयला एवं लिग्नाइट आधारित विद्युत स्टेशन और कुल 11741.72 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता के साथ 51 गैस आधारित विद्युत स्टेशन विद्यमान है।

(ख) और (ग) विद्युत उत्पादन लागत की तुलनात्मक मितव्ययिता ईंधन की कीमत और संयंत्र के स्थल जैसे घटकों पर निर्भर करती है। गैस की वर्तमान कीमत पर गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन लागत कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं की अपेक्षाकृत अधिक बैठती है। तथापि, कोयला आधारित परियोजनाओं की अपेक्षा गैस आधारित परियोजनाओं के तुलनात्मक लाभ निम्नवत हैं-

(1) कम आरंभिक पूंजी लागत

(2) उच्च दक्षता

(3) कम भूमि आवश्यकता

(4) कम पानी की आवश्यकता

(5) कम निर्माणावधि

(6) पर्यावरण के अधिक अनुकूल

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश

*380. **श्री सुव्रत बोस:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विनिवेश किए गए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्यारहवीं योजना के दौरान विनिवेश के लिए प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों को पुन: सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाने का है, जिनका गत पांच वर्षों के दौरान विनिवेश किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) वक्तव्य सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वर्ष 2004-05 में सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा इक्विटी के नए निर्गम के साथ पृष्ठारोहन (पिग्गी बैंकिंग) के माध्यम से कम्पनी ने अपनी शेयरधारिता में से निर्गम उपरान्त 5.25 प्रतिशत पूर्ण तनूकृत इक्विटी पूंजी का विनिवेश किया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) में इक्विटी का विनिवेश नहीं किया गया है।

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी), पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) प्रत्येक ने अपनी निर्गम पूर्व प्रदत्त इक्विटी पूंजी की 10 प्रतिशत इक्विटी की सार्वजनिक पेशकश करने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने उपर्युक्त सार्वजनिक पेशकश के साथ पिग्गीबैक के माध्यम से अपनी शेयरधारिता में से क्रमश: 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत शेयरधारिता की 'बिक्री की पेशकश' करने का निर्णय लिया है। आरईसी, पीजीसीआईएल और एनएचपीसी में सरकार की इक्विटी की 'बिक्री की पेशकश' से प्राप्त अर्थागम को राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) के संग्रह से जमा कराया जाएगा। राष्ट्रीय निवेश कोष से होने वाली वार्षिक आय के 75 प्रतिशत हिस्से का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की उन चुनिन्दा योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए किया जाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को बढ़ावा दें और शेष 25 प्रतिशत वार्षिक आय का उपयोग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के लाभप्रद तथा पुनरुद्धार योग्य उद्यमों की पूंजी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(ग) एवं (घ) पिछले तीन वर्षों में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का विनिवेश नहीं किया गया था जिससे वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम न बने रहते। संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के वे उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही बने हुए हैं। वर्ष 2004-05 से पहले किए गए किसी निर्णय को पलटने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण प्रबंध और प्रशासन संस्थान

3524. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बंगलौर में ग्रामीण प्रबंध और प्रशासन संस्थान (आईआरएमए) स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है तथा प्रत्येक स्टेकहोल्डर की हिस्सेदारी कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने योजना को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) कर्नाटक राज्य सरकार ने ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद की तर्ज पर बंगलौर ग्रामीण जिले के रामनगर तालुक में एक ग्रामीण प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता पाने के लिए योजना आयोग के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग के साथ परामर्श करके इस प्रस्ताव की जांच की गई थी जिसे योजना आयोग ने अनुमोदित नहीं किया था क्योंकि बाद वाले विभाग के पास ऐसी किसी पहल का समर्थन करने की कोई योजना नहीं है। तथापि,

राज्य सरकार को एक बारगी अतिरिक्त सहायता के लिए योजना आयोग के समक्ष एक प्रस्ताव रखने की सलाह दी गई थी।

दिल्ली मेट्रो रेल के लिए सुरक्षा व्यवस्था

3525. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली मेट्रो की सभी तीन लाइनों की सुरक्षा में कितनी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था के स्थान पर सीआईएसएफ को तैनात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) लि. ने यह सूचित किया है कि मेट्रो स्टेशनों पर मेट्रो संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए 200 निजी सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं। डीएमआरसी ने यह भी बताया है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा के लिए 1633 कार्मिकों की स्वीकृति प्रदान की है, जिसे 16 अप्रैल, 2007 से सीआईएसएफ द्वारा संभाल लिया गया है।

जलापूर्ति हेतु एकीकृत वृहद योजना

3526. श्री जोवाकिम बखला: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों में जल की कमी के संबंध में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगरों में पर्याप्त जलापूर्ति की उचित व्यवस्था के लिए एक एकीकृत वृहद योजना का सरकार का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार दस लाख से अधिक आबादी वाले 35 मेट्रो शहरों के संबंध में पेय जल की आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन/अनुमान लगाया गया है। दिए गए विवरण में इसका ब्योरा देखा जा सकता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने दिनांक 3.12.2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया है। मिशन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अवस्थापनात्मक सेवाओं का समेकित विकास सुनिश्चित करना तथा नागरिक सुविधाओं की प्रदायगी एवं पेयजल आपूर्ति सहित उपयोगी सेवाओं के प्रावधान को बढ़ाना है एवं साथ ही सभी शहरी गरीबों तक ये सुविधाएं पहुंचाने पर बल देना है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में सहायता 35 मेट्रोपालिटन शहरों सहित 63 चुनिंदा शहरों को उपलब्ध करायी जायेगी।

विवरण

जल की मांग, जल उपलब्धता, जल के वर्तमान और भावी स्रोत दर्शाने वाला विवरण
(संबंधित राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर)

क्र.सं.	शहरी समूह	जल की मांग		जल उपलब्धता/आपूर्ति		जल आपूर्ति के	भावी मांग को पूरा
		2001	2021	2001	2021	वर्तमान स्रोत	करने के संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लुधियाना (पंजाब)	242 (एमएलडी) (घरेलू) + 125 (एमएलडी) (औद्योगिक)	580 (एमएलडी) (घरेलू) + 160 (एमएलडी) (औद्योगिक)	375 एमएलडी	भविष्य में कोई कमी नहीं होगी।	नलकूपों के जरिए भूमिगत जल। उद्योग अपनी स्वयं की व्यवस्था कर रहा है।	नहरों (सिधवन नहर) के जरिए 50% तथा नलकूपों द्वारा 50% यह माना जाता है कि उद्योग अपनी स्वयं की व्यवस्था करेंगे।
2.	अमृतसर (पंजाब)	175 (एमएलडी) (घरेलू) + 42.11 (एमएलडी) (औद्योगिक)	267 (एमएलडी) (घरेलू) + 52.64 (एमएलडी) (औद्योगिक)	232.56 एमएलडी	भविष्य में कोई कमी नहीं होगी।	नलकूपों के जरिए भूमिगत जल। उद्योग अपनी स्वयं की व्यवस्था कर रहा है	नहरों (यूबीडीसी सिस्टम) के जरिए 50% तथा नलकूपों द्वारा 50% यह माना जाता है कि उद्योग अपनी स्वयं की व्यवस्था करेंगे।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	फरीदाबाद (हरियाणा)	औद्योगिक के लिए 29.5 एमजीडी (133 एमएलडी) सहित 89.5 एमजीडी (406 एमएलडी) तथा अन्य उपयोगों के लिए शेष	औद्योगिक के लिए 160.77 एमजीडी (730 एमएलडी) सहित 41.8 एमजीडी (189 एमएलडी) तथा अन्य उपयोगों के लिए शेष	40 एमजीडी (182 एमएलडी) वर्तमान कमी 49.5 एमजीडी (225 एमलडी) है।	नहर प्रणाली, नलकूपों और वर्षा जल के कुंओं से अनुमानित जल आपूर्ति मांग को पूरा किया	नलकूपों के जरिए	नहर जल (मेवात नहर) और भू जल द्वारा
4.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	255 (एमएलडी) (घरेलू) + 80 (एमएलडी) (औद्योगिक)	482 (एमएलडी) (घरेलू) + 80 (एमएलडी) (औद्योगिक)	कुल आपूर्ति 265 एमएलडी है। 70 एमएलडी है।	पहचान किये गये स्रोतों से 630 एमएलडी है।	कोलार नदी, अपर झील, नलकूप और खुदाई	कोलार नदी, अपर झील, भूजल नर्मदा नदी
5.	इंदौर (मध्य प्रदेश)	318.20 (एमएलडी) (घरेलू) कोई बड़ा उद्योग नहीं	671 (एमएलडी) (घरेलू) उद्योग का उल्लेख नहीं	कुल आपूर्ति 183.5 एमएलडी है। कमी 134.70 एमएलडी है।	अतिरिक्त आवश्यकता 487.5 एमएलडी बैठती है जिसे नर्मदा नदी पर परियोजनाओं का निर्माण करके पूरा किया जाना है।	नर्मदा नदी, यशवंत सागर जलाशय जलाशय और भूजल	नर्मदा नदी पर अतिरिक्त जल आपूर्ति परियोजना। नर्मदा नदी पर एक बड़ी परियोजना की भी आवश्यकता है।
6.	जबलपुर (मध्य प्रदेश)	214.312 (एमएलडी) (घरेलू) + 25 (एमएलडी) (औद्योगिक)	327 (एमएलडी) (घरेलू) + 25 (एमएलडी) (औद्योगिक) जोकि केवल वर्तमान मांग है।	कुल आपूर्ति 145 एमएलडी है। कमी 94.51 एमएलडी है।	2021 के लिए आंकलन की गई आवश्यकता पहचान किये गये स्रोतों से पूरी की जाएगी।	खण्डारी बांध और गौर नदी। पेरिया बांध और फगुवाघाट, नर्मदा नदी और भूजल	जल और भूजल की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए तिलवारा घाट के समीप नर्मदा नदी पर इंटेक के लिए स्थल की पहचान की गई है।
7.	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	956 (एमएलडी) (210 एमजीडी)	1817 (एमएलडी) (400 एमजीडी)	कुल आपूर्ति 770 एमएलडी (170 एमजीडी) है। कमी 186 एमएलडी (40 एमजीडी) है।	पहचान किये गये स्रोतों से 2000 एमएलडी (440 एमजीडी)	ओसमान सागर, हिमायत सागर, मंजीरा फेज-1 और 2 तथा मंजीरा फेज-3 और 4 वेधन कुंओं के जरिए भूजल	जल की भावी मांग को पूरा करने के लिए एमएचडब्ल्यूएस एसबी द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव में तीन फेजों में नागार्जुन सागर के आगे के किनारे से कच्चा जल लेने की परिकल्पना की गई है।
8.	विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश)	314 (एमएलडी) (69 एमजीडी) + 264 (एमएलडी) (58 एमजीडी) औद्योगिक आवश्यकता	521 (एमएलडी) (115 एमजीडी) + 592 (एमएलडी) (130 एमजीडी) औद्योगिक आवश्यकता	वीएमसी क्षेत्र के लिए कुल आपूर्ति 168 एमएलडी (37 एमसीजीडी) है। कमी 146 एमएलडी (32 एमजीडी) है।	वीएमसी क्षेत्र के लिए कुल आपूर्ति 168 एमएलडी (37 एमसीजीडी) है। कमी 353 एमएलडी (78 एमजीडी) होगी।	मुदासरलोवा, येलेरू, रायवाड़ा, मेघाद्रीगेड्डा, थाटीपुडी जलाशय स्कीम और गोस्थानी नदी	येलेरू बांयां मुख्य नहर और थाटीपुडी जलाशय से वर्तमान जल निकालने में वृद्धि करना। इंद्रावती जलाशय से जल तथा गोदावरी नदी से अतिरिक्त जल लेना।

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	150 (एमएलडी) (33 एमबीडी)	270 (एमएलडी) (60 एमबीडी)	कुल आपूर्ति 155 एमएलडी (34 एमबीडी)	पहचान किय गये स्रोत से 270 एमएलडी (60 एमबीडी)	कृष्णा नदी से (सतही जल) तथा भूजल (कृष्णा नदी बेसिन में इंफिलट्रेशन गैलरीज सहित)	कृष्णा नदी से (सतही जल) तथा भूजल (कृष्णा नदी बेसिन में इंफिलट्रेशन गैलरीज सहित)
10.	बंगलौर (कर्नाटक)	176 एमएलडी (एलडीआर) 1680 एमएलडी (एचडीआर)	2232 एमएलडी (एचजीआर और एलडीआर) 1910 एमएलडी (एलजीआर और एलडीआर) 3189 एमएलडी (एचजीआर और एचडीआर) 2729 एमएलडी (एलजीआर और एचडीआर)	705.5 एमएलडी	2575 एमएलडी	1. अरकावती 2. कावेरी 1. स्टेज-1 2. स्टेज-2 3. स्टेज-3	कावेरी स्टेज-4 1. फेज-1 2. फेज-2 कावेरी स्टेज-5 वर्ष 2025 तक जल की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त। वर्ष 2025 से आगे की जल की मांगों को पूरा करने के लिए बीडब्ल्यूएसएसबी को नये संसाधनों का पता लगाना होगा।
11.	नागपुर (महाराष्ट्र)	361 एमएलडी	600 एमएलडी (155.25 आईपीसीडी की खपत दर के लिए) 670 एमएलडी (172.50 आईपीसीडी की खपत दर के लिए)	430 एमएलडी	2670 एमएलडी	गोरवाडा टैंक, कनहन नदी और पेंच सिंचाई परियोजना	कनहन नदी (350 एमएलडी) पर रहारी बराज, जामफाट एचई परियोजना (1827 एमएलडी)। 450 एमएलडी अतिरिक्त भूजल
12.	ग्रेटर मुंबई (महाराष्ट्र)	3878 एमएलडी (जीएमएमसी मानदंडों के अनुसार कुल आवश्यकता) 2056 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानदंडों के अनुसार घरेलू आवश्यकता)	5081 एमएलडी (जीएमएमसी मानदंडों के अनुसार कुल आवश्यकता) 2741 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानदंडों के अनुसार घरेलू आवश्यकता)	2906 एमएलडी (सतही जल) 60 एमएलडी (भूजल)	5293 एमएलडी (सतही जल) 288 एमएलडी (भूजल)	तुलसी झील, वेहर झील, तनसा बांध, अपर वैतरणा बांध, भाटसा बांध और जल	मध्य वैतरणा, गारगई, पिंजल, कालू परियोजना और भूजल
13.	नासिक (महाराष्ट्र)	199 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानदंडों के अनुसार) 179 एमएलडी (135 आईपीसीडी के साथ एनएमसी के अनुसार)	345 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानदंडों के	7 एमएलडी गैर घरेलू मांग सहित कुल जल आपूर्ति 185 एमएलडी है।	सतही स्रोत से 325 एमएलडी और भूजल स्रोतों से 16 एमएलडी	गंगापुर बांध और दरना बांध	गौतमी और कश्यपी बांधों के निर्माण के साथ गंगापुर और दरना बांध

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	पुणे (महाराष्ट्र)	635 एमेलडी (पीएमसी के अनुसार कुल आवश्यकता) 468 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानदंडों के अनुसार घरेलू आवश्यकता)	777 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानदंडों के अनुसार)	इस समय पीएमसी क्षेत्र 750 एमएलडी जल की आपूर्ति की जाती है।	खडकवासला परियोजना से 892.20 एमएलडी तथा भूजल से अतिरिक्त 29.64 एमएलडी	खडकवासला परियोजना और टेमघर बांध	पीएमसी को नये स्रोतों की पहचान करनी होगी क्योंकि खडकवासला परियोजना से जल लेने की स्वीकृति वर्ष 2002 तक वैध है।
15.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	2258.4 एमएलडी	3124 एमएलडी	3207.7 एमएलडी	सतही और भूजल स्रोतों से भावी आवश्यकता पूरी की जा सकती है।	केवूए के लिए सतही जल ही रिवर हुगली का एकमात्र स्रोत है। जल आपूर्ति के लिए जल संसाधन कार्य कर रहा है। गहरे नलकूपों और हैंड नलकूपों के जरिए भू जल का उपयोग भी किया जाता है।	मौजूदा संसाधन संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ नए संयंत्र लगाकर भावी मांग को पूरा करने का प्रयास है। उदाहरणार्थ गार्डन रीच वाटर वर्क्स और पालता वाटर वर्क्स
16.	आसनसोल (पश्चिम बंगाल)	136.35 एमएलडी	206 एमएलडी	165 एमएलडी	भविष्य में आपूर्ति में 14 एमएलडी की कमी का अनुमान है।	दामोदर, अजय और बराकर नदी	आरसीएफए भाग-3 जलापूर्ति स्कीम पूर्व भूमिगत जल स्रोतों इत्यादि का दोहन
17.	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	588.50 एमएलडी	1226.50 एमएलडी	310 एमएलडी	1600 एमएलडी	गंगा नदी, नहर और ट्यूबवेल	गंगा बैराज कानपुर
18.	आगरा (उत्तर प्रदेश)	270.97 एमएलडी	425.79 एमएलडी	आंकड़े रिपोर्ट में नहीं हैं।	गोकुल और आगरा बांध 345 क्यूसेक	यमुना नदी और ट्यूबवेल	गोकुल बांध और प्रस्तावित आगरा बांध
19.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	431 एमएलडी	776 एमएलडी	410 एमएलडी	भविष्य की आवश्यकता को शारदा सहायक नहर प्रणाली के द्वारा वहन किया जाएगा।	गोमती नदी और ट्यूबवेल	शारदा सहायक नहर प्रणाली का तीसरा और चौथा जल कार्य
20.	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	210 एमएलडी	330 एमएलडी	235 एमएलडी	भविष्य की आवश्यकता की की पूर्ति द्वितीय जल कार्यों द्वारा की जाएगी।	गंगा नदी और ट्यूबवेल	शारदा सहायक नहर प्रणाली का तीसरा और चौथा जल कार्य

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	180 एमएलडी	300 एमएलडी	140 एमएलडी	भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति द्वितीय जल कार्यों द्वारा की जाएगी।	यमुना नदी और ट्यूबवेल	भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु द्वितीय जल कार्य प्रस्तावित है।
22.	मेरठ (उत्तर प्रदेश)	267.37 एमएलडी	400.20 एमएलडी	267.37 एमएलडी	आंकड़े रिपोर्ट में नहीं हैं।	ट्यूबवेल	
23.	पटना (बिहार)	आंकड़े रिपोर्ट में नहीं हैं।	628 एमएलडी (6.26 लाख किलो लिटर/ दिन)	135 एमएलडी (1.35 लाख किलो लीटर/ दिन) और 60000-80000 कि.ली/दिन	भविष्य में वर्ष 2021 और उसके आगे के लिए आवश्यकता भूमिगत जल के द्वारा वहन की जा सकती है।	72 अति उत्पादन ट्यूबवेल	भूमिगत उत्पादन प्रचुरता से उपलब्ध है और वर्ष 2021 और वर्ष 2021 और उससे आगे की आवश्यकता वहन की जा सकती है।
24.	जमशेदपुर (झारखंड)	आंकड़े रिपोर्ट में नहीं हैं।	601 एमएलडी (6.01 लाख किलो लिटर/ दिन)	वर्तमान आवश्यकता भूमिगत जल स्रोत से पूरी की गई है।	भविष्य की उपलब्धता केवल सतही जल से है।	दिमना झील, सीताराम्पुर झील और मैगों बांध के पास कम ऊं. के बंधार के द्वारा सुवर्णरेखा के पास तालाब से पंपिंग के द्वारा	सुवर्ण रेखा के पास चांडिल बांध और खरकाई नदी के पार इच्छा बांध
25.	धनबाद (झारखंड)	आंकड़े रिपोर्ट में नहीं हैं।	653 एमएलडी (6.53 लाख कि.लि./दिन)	-वही-	भविष्य की उपलब्धता केवल सतही जल से है।	दामोदर नदी पर जमाडाबा में लघु तालाब	बोकारो बांध और कोनार बांध
26.	चेन्नई (तमिलनाडु)	809 एमएलडी	1230 एमएलडी	299 एमएलडी	सतही जल, भूमिगत जल और समुद्री जल स्रोतों से भविष्य की उपलब्धता	पुण्डी चोलावरम और लाल पहाड़ी जलाशय प्रणाली और भूमिगत जल	अंतर को कृष्णा जलापूर्ति परियोजना के माध्यम से पास जा सकता है ये कोई अन्य स्रोतों से वहन करने की आवश्यकता है।
27.	कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	249.441 एमएलडी	437.858 एमएलडी	153.284 एमएलडी कमी 96.604 एमएलडी	276.254 एमएलडी 161.604 एमएलडी का अन्तर	सिरुवनी नदी स्रोत पिल्लुर जलापूर्ति स्कीम	पिल्लुर नदी स्कीम-2, नेल्ली थुइ के निकट भवानी नदी और अलिया नदी स्कीम से कोंडमपलायम और वडावल्ली नगर पंचायत

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	मदुरै (तमिलनाडु)	215.04 एमएलडी	264.53 एमएलडी	115 एमएलडी कमी 99.96 एमएलडी	प्रस्तावित जलापूर्ति स्कीमों से भविष्य में जलापूर्ति बढ़ने की संभावना है	वैगइ जलापूर्ति स्कीम के माध्यम से सतही जल/6 पिकअप कुंओं से उप सतही जल मत्तक्कुलम, थटकम्पट्टु, कोचादइ कलेक्टर कुंआ, कोचादइ, मनालूर और तिरूप्पवननम	कल्लार नदी आपूर्ति स्कीम। कावेरी नदी स्रोत 1 टैंक और आपूर्ति चैनल का नवीनीकरण और रिवर बेड की जगह पर वैगइ बांध से सीधे अतिरिक्त जल का प्रस्ताव
29.	कोची (केरल)	274.2 एमएलडी	358.7 एमएलडी	250 एमएलडी	विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन से उपलब्धता लगभग मांग के बराबर हो जाएगी।	कोची जलापूर्ति स्कीम और साथ अन्य जलापूर्ति स्कीम	वर्तमान स्रोतों के अलावा, दो वृद्धि स्कीम और चार नया जलापूर्ति स्कीम
30.	राजकोट (गुजरात)	135 (घरेलू मांग) 162 एमएलडी (कुल मांग)	315 एमएलडी	94 एमएलडी 69 एमएलडी की कमी	94 एमएलडी 221 एमएलडी की कमी	आजी-1 जलापूर्ति स्कीम, न्यारी-1 जलापूर्ति स्कीम मदर जलापूर्ति स्कीम न्यारी-2 जलापूर्ति स्कीम माही नहर से पेय जल	मिट्टी के बांध को ऊंचा उसीच बंधारे को चौड़ा करने न्यारी-1 बांध की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है वितरण नेटवर्क में विस्तार का भी प्रस्ताव है।
31.	सूरत (गुजरात)	573 एमएलडी	1440 एमएलडी	उत्पादन क्षमता (सतही+भूमिगत) 673 एमएलडी है। वास्तविक जल आपूर्ति 540 एमएलडी है।	जलापूर्ति मास्टर प्लान पर वर्ष 2021 में घटे आपूर्ति पर विचार किया गया	ताप्ति नदी जल का मुख्य स्रोत है जल कार्य वरछा, संरथाना, कटारगाम और रंदार में है	वर्षा जल पुनचक्रीकरण और संग्रहण योजना, वर्तमान अवसंरचना का आधुनिकीकरण निजी क्षेत्र भागीदारी इत्यादि।
32.	वडोदरा (गुजरात)	275.90 एमएलडी	460 एमएलडी	275.85 एमएलडी वर्तमान में कोई कुंआ नहीं है।	275.85 एमएलडी भविष्य में 184 एमएलडी की कमी अनुमानित है।	श्री सयाती सरोवर माही नदी फजलपुर, पोइचा, राइक, डोडका में फ्रेंच कुंए। ट्यूबवेल्स	बडोदरा नगर निगम ने दो मास्टर प्लान तैयार किया है। नर्मदा नदी पर स्रोत वृद्धि और अद्यतन वितरण प्रणाली।
33.	अहमदाबाद (गुजरात)	आंकड़े रिपोर्ट में नहीं हैं।	279 एमजीडी (1266 एमएलडी)	औसत दैनिक जलापूर्ति 529.786 एमएलडी है।	भविष्य में 334 एमएलडी आपूर्ति अनुमानित है। (1516 एमएलडी)	डीडी डब्ल्यू में फिल्टर प्लान्ट, फ्रेंच कुंए, रस्का परियोजना इन्टेक कुंए-1, खुदाई कुएं	डीडीडब्ल्यू में फिल्टर प्लान्ट, फ्रेंच कुंए, रस्का परियोजना इन्टेक कुंए-1, इन्टेक कुंए-2, और खुदाई कुएं

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	दिल्ली (दिल्ली)	(क) 893 एमसीएम* (2445 एमएलडी) (ख) 1326.56 एमसीएम** (3632 एमएलडी)	(क) 1574 एमसीएम (4310 एमएलडी) (ख) 2288 एमसीएम (6265 एमएलडी)	1231.04 एमसीएम/ प्रतिवर्ष (3369 एमएलडी)	4017.28 एमएमलडी/ वर्ष (11000 एमएलडी)	यमुना नदी, गंगा नदी, भरवरा स्टोरेज और भूमिगत जल	वर्तमान स्रोतों के अलावा जल टिहरी, रेनुका, किशाऊ और लखवर ब्यासी बांधों से भी उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।
35.	जयपुर (राजस्थान)	361.1 एमएलडी (बीआईएस मानक) 349 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानक)	796.5 एमएलडी 885 एमएलडी	वर्तमान जलापूर्ति 313 एमएलडी है।	प्रस्तावित सतही जल स्रोतों से उपलब्धता में वृद्धि होने की अपेक्षा है।	ट्यूबवेल, रामगढ़ झील और शहरी क्षेत्रों के बाहर ट्यूबवेल, हैण्डपंप, कैविटी कुंए	वर्तमान बिलासपुर बांध और प्रस्तावित इसारदह बांध से।

(क)* सपीएचईईओ मानकों के अनुसार @172 एलपीसीडी

(ख) **दिल्ली जल बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार @274 एलपीसीडी

गुजरात के छोटे और बड़े शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए योजनाएं

3527. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के छोटे और बड़े शहरों में रहने वाले गरीबों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाये गये तथा कार्यान्वित किये गये कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में स्वीकृत राशि का ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गयी है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के छोटे एवं बड़े शहरों में रहने वाले गरीबों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा बनाये गये एवं कार्यान्वित किये गये कार्यक्रमों एवं स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं।

(ख) स्वीकृत की गयी राशि तथा राज्य सरकार द्वारा खर्च की गयी राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं।

विवरण I

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त ब्यौरे
1	2	3
1.	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	सरकार ने शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) कार्यक्रम के तहत गुजरात राज्य के अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत एवं राजकोट सहित 63 चुनिंदा शहरों में शहरी गरीबों को आवश्यक सुविधायें मुहैया कराने हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया है। मिशन में शामिल नहीं किये गये शहरों में आवास एवं स्लम उन्नयन कार्यक्रम चलाने के लिए समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शुरू किया गया है। बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी-दोनों ही दिसम्बर, 2005 से कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

1	2	3
2.	वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे)	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी स्लमवासियों, जिनके पास पर्याप्त आश्रय नहीं हैं, की दशा में सुधार करने के उद्देश्य से वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम दिनांक 2 दिसम्बर, 2001 को शुरू की गयी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य स्लमवासियों के लिए आवासों के निर्माण एवं उन्नयन की सुविधा देना तथा इस योजना के एक घटक निर्मल भारत अभियान के तहत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के जरिए स्वास्थ्य एवं अनुकूल शहरी पर्यावरण मुहैया कराना है। वाम्बे को एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) नामक स्कीम में मिला दिया गया है।
3.	राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी)	राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के तहत शहरी स्लमों के विकास के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की जाती थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल आपूर्ति, बरसात पानी की नालियां, सामुदायिक स्नानघर, मौजूदा सड़कों का चौड़ाकरण एवं पक्कीकरण, सामुदायिक शौचालय, स्ट्रीटलाइट इत्यादि जैसी भौतिक सुविधायें मुहैया कराके शहरी स्लमों का उन्नयन करना था। इसके अतिरिक्त एनएसडीपी के तहत धनराशि का उपयोग स्कूल-पूर्व शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यस्क शिक्षा, मातृत्व बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि जैसे सामुदायिक अवस्थापना एवं सामाजिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए किया जा सकता था। इस कार्यक्रम के तहत आश्रय उन्नयन का नये आवासों के निर्माण का भी एक घटक था। एनएसडीपी को एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) में मिला दिया गया है।

विवरण II

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	स्कीम	स्वीकृत राशि			राज्य द्वारा व्यय की गई राशि		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1.	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)	*	शून्य	124.34	*	शून्य	राज्य से प्राप्त नहीं हुई।
2.	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	*	शून्य	25.77	*	शून्य	-वही-
3.	वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे)	4.512	1.267	0.178	1.147	0.000	0.000
4.	राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी)	22.539	शून्य#	शून्य#	13.822	शून्य#	शून्य#

नोट: *यह सूचित करता है कि कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी थी क्योंकि कार्यक्रम 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू किये गये।

#यह सूचित करता है कि कार्यक्रम 2005-06 से बंद कर दिया गया है।

कर्नाटक में शहरों का विकास

3528. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:**
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष कर्नाटक के विभिन्न शहरों में विकास हेतु प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी राशि आबंटित की गयी है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या विश्व बैंक इस कार्य के लिए कोई वित्तीय सहायता दे रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाना

3529. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में दिल्ली में लगभग 1500 अनधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने हेतु अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कालोनियों विशेषत: सावनपार्क, अशोक विहार फेज-III को अब तक नियमित कालोनियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन कालोनियों को सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं यथा बिजली, पानी, सीवर, सड़क इत्यादि काफी पहले दे दी गयी थीं और डीडीए/एमसीडी द्वारा प्रत्येक वर्ष नियमित कालोनी मद से इन सुविधाओं के लिए धनराशि खर्च की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो उक्त कालोनियों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) संघ सरकार ने दिनांक 8.2.2007 को दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में एक प्रस्ताव अनुमोदित किया है। तदनुसार, संशोधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने हेतु विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 31.3.2002 को विद्यमान अनधिकृत कालोनियों की सोसायटियों/एसोसिएशनों से नियमितिकरण हेतु आवेदन मंगवाए थे और उसे 1432 आवेदन प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, आवेदन आमंत्रित करने वाले बाद में एक विज्ञापन के प्रत्युत्तर में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार को 107 आवेदन और प्राप्त हुए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि इन आवेदनों में सावन पार्क, अशोक विहार फेज-III के नाम का उल्लेख नहीं है।

(ङ) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि इन कालोनियों में बिजली, पानी तथा सड़कों आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं मौजूद है। दिल्ली नगर निगम इन कालोनियों में सड़कों, नालियों, पटरियों आदि का रख-रखाव कर रहा है।

दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि अनधिकृत कालोनियों को पेयजल की आपूर्ति कुछ क्षेत्रों में नलों द्वारा तथा अन्य कालोनियों में नलकूपों, टैंकरों और सार्वजनिक नलों द्वारा की जा रही है। सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने पर ही अनधिकृत कालोनियों को सीवर सुविधाएं दी जा सकती हैं। तथापि, जहां तक अशोक विहार फेज-III में स्थित सावन पार्क कालोनी का संबंध है तात्कालीन जल आपूर्ति तथा सीवर निपटान समिति ने 26.08.1986 को हुई अपने बैठक में यह संकल्प पारित किया कि जल आपूर्ति तथा सीवर सेवाएं देने के प्रयोजन से इस कालोनी को नियमित कालोनी के समकक्ष समझा जाए।

(च) उत्तर के उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) में जैसा बताया गया है कि निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने हेतु विचार किया जाएगा।

पार्वती जल विद्युत परियोजना

3530. **श्रीमती प्रतिभा सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी) ने राज्य में 2051 मेगावाट पार्वती जल विद्युत परियोजना के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने पर भारी राशि व्यय की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एचपीएसईबी ने एनएचपीसी से इस परियोजना पर व्यय हुई राशि की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो एनएचपीसी द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एचपीएसईबी) ने पार्वती नदी पर 2051 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाले जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी पूर्व-निर्माण गतिविधियां, बुनियादी सुविधा संबंधी कार्यों आदि के लिए 27.83 करोड़ रुपए की कुल राशि खर्च की है।

(ग) जी, हां।

(घ) फरवरी, 2000 में एमएचपीसी को सूचित किए गए सरकार के निर्णय के अनुसार पार्वती जल विद्युत परियोजना पर एचपीएसईबी द्वारा उपगत खर्च की प्रतिपूर्ति एनएचपीसी द्वारा भारत सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि का कटौती करने के बाद की जाए बशर्ते कि एनएचपीसी को पार्वती चरण-II परियोजना सौंपने से पहले परियोजना पर एचपीएसईबी द्वारा खर्च की गई राशि पर उन्हें कोई ब्याज देय नहीं होगा। तदनुसार, एनएचपीसी द्वारा एचपीएसईबी को जनवरी, 2001 तक रु. 28,49,51,000/- की राशि का भुगतान किया गया। तथापि, हिमाचल प्रदेश सरकार एचपीएसईबी द्वारा उपगत वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने का भी अनुरोध कर रही है। इसके अतिरिक्त वैरा स्थूल जल विद्युत परियोजना के संबंध में 38.56 करोड़ रुपए के अधिभार में छूट देकर भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य (जून, 2000 में सूचित किया गया) को एक मुश्त तदर्थ सहायता प्रदान की गई। ऐसा इस समझ के साथ किया गया कि पार्वती जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उपगत खर्च पर ब्याज के भुगतान सहित अन्य मुद्दों का निपटाया गया और बंद किया गया समझा जाएगा।

[हिन्दी]

सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु धनराशि का आबंटन

3531. श्री कैलाश बैठा: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार सरकार को सिर पर मैला ढोने वालों के लिए बचाव और पुनर्वास योजना के अंतर्गत उनके पुनर्वास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना (एनएसएलआरएस) के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य को कोई धनराशि जारी नहीं की गई।

[अनुवाद]

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वित्तपोषण में अंतर

3532. श्री नवीन जिन्दल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या वित्त पोषण में अंतर के कारण लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वित्त पोषण में अंतर से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) भारत निर्माण (सड़क घटक) के अंतर्गत 1000 तथा इसके अधिक की आबादी (पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 500 तथा इससे अधिक की आबादी) वाले सभी गांवों को वर्ष 2009 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत 66,802 बसावटों को जोड़ने के लिए लगभग 1,46,185 कि.मी. लम्बाई की ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा लगभग 1,94,130 कि.मी. लंबाई की वर्तमान ग्रामीण सड़कों का उन्नयन किए जाने का अनुमान है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ।

(ग) और (घ) डीजल उपस्कर से निधियों के आबंटन के अलावा, विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से भी निधियों की व्यवस्था की जा रही है।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

3533. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) सरकार द्वारा अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं। तथापि, केन्द्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुसंधान तथा विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों, राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों तथा उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के अन्य स्वायत्त संगठनों से प्राप्त वैज्ञानिक शोध प्रस्तावों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2002-03 में 294, 2003-04 में 338 और वर्ष 2004-05 में 314 अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है जिनकी कुल लागत क्रमश: 38.36 करोड़ रु. 35.29 करोड़ रु. और 62.67 करोड़ रु. है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

3534. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में सूखा प्रवण जिलों की पहचान की है ताकि वहां विद्यमान सूखे की स्थिति को देखते हुए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा प्रत्येक राज्य में विशेषत: कर्नाटक में उन सूखा प्रवण जिलों के लिए इसके अंतर्गत जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, डा. सी.एच. हनुमंत राव की अध्यक्षता में वर्ष 1993 में गठित एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति ने सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत शामिल करने हेतु 13 राज्यों में 155 जिलों के 947 ब्लाकों की पहचान की थी। कार्यक्रम वाले विभिन्न राज्यों, जिलों तथा ब्लाकों के विभाजन के परिणामस्वरूप इस समय यह कार्यक्रम 16 राज्यों में 185 जिलों के 972 ब्लाकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम वाले राज्यों को केन्द्रीय भाग की 1011.97 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। जारी की गई निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत शामिल किए गए राज्य, जिले और ब्लाक

क्र.सं.	राज्यों के नाम	जिलों की संख्या	ब्लाकों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11	94
2.	बिहार	6	30
3.	छत्तीसगढ़	8	29
4.	गुजरात	14	67
5.	हिमाचल प्रदेश	3	10
6.	जम्मू-कश्मीर	2	22
7.	झारखंड	14	100
8.	कर्नाटक	15	81
9.	मध्य प्रदेश	24	105

1	2	3	4
10.	महाराष्ट्र	25	149
11.	उड़ीसा	8	47
12.	राजस्थान	11	32
13.	तमिलनाडु	18	80
14.	उत्तर प्रदेश	15	60
15.	उत्तरांचल	7	30
16.	पश्चिम बंगाल	4	36
	योग	185	972

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत केन्द्रीय भाग की राज्यवार जारी राशि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2004-05	2005-06	2006-07	योग
1.	आंध्र प्रदेश	40.08	53.82	41.31	135.21
2.	बिहार	3.11	3.79	3.03	9.93
3.	छत्तीसगढ़	17.94	16.75	8.27	42.96
4.	गुजरात	25.37	29.11	35.96	90.44
5.	हिमाचल प्रदेश	4.25	6.6	3.69	14.54
6.	जम्मू-कश्मीर	2.23	2.6	2.60	7.43
7.	झारखंड	10.65	15.56	4.79	31.00
8.	कर्नाटक	25.03	27.36	31.76	84.15
9.	मध्य प्रदेश	52.88	53.28	53.74	159.90
10.	महाराष्ट्र	34.86	44.49	57.53	136.88
11.	उड़ीसा	11.42	20.91	14.81	47.14
12.	राजस्थान	15.74	17.12	25.82	58.68
13.	तमिलनाडु	28.17	16.60	30.63	75.40
14.	उत्तरांचल	14.57	26.44	7.69	48.70
15.	उत्तर प्रदेश	11.26	14.67	34.67	60.60
16.	पश्चिम बंगाल	2.43	3.88	2.70	9.01
	योग	299.99	352.98	359.00	1011.97

डुप्लीकेट पैनकार्ड संबंधी उत्पीड़न

3535. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पैन कार्ड के डुप्लीकेशन से आयकर विभाग द्वारा आयकर दाताओं के हो रहे उत्पीड़न की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो करदाताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) कई व्यक्तियों ने पैन के लिए अलग-अलग आवेदन किए, जिसमें उन्होंने अलग-अलग जानकारी दी जिसके परिणामस्वरूप कई पैन जारी हुए। पैन डेटाबेस को साफ करने की दृष्टि से, पैन के डी-डुप्लीकेशन की प्रक्रिया को आरम्भ करने का निर्णय लिया गया था। डी-डुप्लीकेशन की प्रक्रिया के दौरान उत्पीड़न का कोई मामला हमारे नोटिस में नहीं आया है। तथापि, कुछ मामलों में पैन के डुप्लीकेशन के कारण प्रतिदायों को जारी करने में परेशानियां देखी गई हैं।

(ख) आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को डी-डुप्लीकेशन की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से उत्पन्न करने के लिए निदेश दिए गए हैं। डी-डुप्लीकेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इससे संबंधित साफ्टवेयर को भी उन्नत किया गया है।

डाप्लर राडार लगाना

3536. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा डाप्लर राडार लगाने की आधुनिकीकरण योजना को स्वीकृति दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को डाप्लर राडार सिस्टम तथा महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोयना नगर में 'रेन गेज-स्टेशन' नेटवर्क स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं। डाप्लर मौसम रेडार (डीडब्ल्यूआर) तथा स्वचालित वर्षा मापी स्थापित करने संबंधी प्रस्तावित आधुनिकीकरण योजना चरण-I पृथ्वी आयोग द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। अब इसके लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

(ख) प्रस्तावित आधुनिकीकरण योजना चरण-I में, मुम्बई, पारादीप, गोवा, कराईकल, पटियाला, दिल्ली, भोपाल, मोहनबाड़ी, अगरतला, नागपुर, लखनऊ और पटना में डाप्लर मौसम रेडार (डीडब्ल्यूआर) स्थापित किए जाने हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोयनानगर में डाप्लर रेडार स्थापित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। परंतु, मुम्बई और गोवा में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित डीडब्ल्यूआर आस-पास के क्षेत्र को कवर करेंगे और इनसे सातार जिले का मौसम मानीटरन किया जा सकेगा। जहां तक वर्षा मापियों के नेटवर्क का संबंध है, इनमें से पांच कोयना जलग्रहण क्षेत्र में लगाए जाने की योजना है।

जल की गुणवत्ता

3537. श्री नरहरि महतो: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण इलाकों में हैंड पंप और भूमिगत जल द्वारा आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उचित व्यवस्था की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र और राज्य सरकारों के समन्वयन से ऐसी जल परीक्षण प्रयोगशाला प्रत्येक जिले में उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में हैंड पंप और भूमिगत जल को पीने के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों की सहायता से 579 जिलों में जिला स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

(घ) राज्य सरकारों ने सर्वेक्षण कराए हैं और 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, अनुमेय सीमाओं से अधिक मात्रा में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, खारापन, लौह और इनके सम्मिश्रण जैसे रासायनिक संदूषण से प्रभावित 1,95,813 ग्रामीण बसावटों की सूचना दी है।

एसएफआईओ को सौंपे गए मामले

3538. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या कंपनी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में सीरियस फ्राड इन्वेस्टिगेशन आफिस (एसएफआईओ) पर कितना वार्षिक व्यय हुआ है;

(ख) एसएफआईओ को कितने मामले सौंपे गए हैं और कितने मामलों में स्थगन आदेश दिये गये हैं; और

(ग) स्थगन आदेशों को निरस्त करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) गत तीन वर्षों में गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है:-

अवधि	किया गया व्यय
2004-05	1,86,90,893 रुपए
2005-06	2,06,33,848 रुपए
2006-07	2,60,73,216 रुपए

(ख) और (ग) अभी तक, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237 के अंतर्गत जांच के लिए एसएफआईओ को कुल 34 मामले भेजे गए हैं। इनमें से, एक मामले में संबंधित उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश दे दिया है, जबकि अन्य एक मामले में जांच के आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गए स्थगनादेश को बाद में इसी न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

जिस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा फिलहाल जांच को स्थगित किया गया है, उस मामले को आगे बढ़ाने पर संबंधित उच्च न्यायालय की डिविजन पीठ को भेज दिया गया जहां इस पर अब स्थगन हटाने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

लघु वित्त सेवाएं

3539. श्री एल. राजगोपाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में लघु वित्त सेवाओं के लिए पर्यावरण अनुकूल नीति तैयार करने हेतु विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक पुन: स्थापित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने देश में व्यष्टि वित्त सेवाओं के लिए वातावरण हितैषी नीति तैयार करने के लिए दिनांक 20.3.2007 को लोक सभा में एक विधेयक "व्यष्टि वित्तीय क्षेत्र (विकास और विनियम) विधेयक, 2007" पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य व्यष्टि वित्तीय क्षेत्र के उन्नयन, विकास और विनियमन के लिए औपचारिक संवैधानिक ढांचा प्रदान करना है। इस विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(1) व्यष्टि वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन के कार्य को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (राष्ट्रीय बैंक) को सौंपना;

(2) व्यष्टि वित्त के क्रियाकलाप में लगे हुए सहकारी सोसाइटियों, आदि जैसे विभिन्न अस्तित्वों को परिभाषित करना;

(3) व्यष्टि वित्त सेवाओं के हिताधिकारियों के विभिन्न प्रवर्गों को, पात्र ग्राहकों के रूप में परिभाषित करना जिनके अंतर्गत स्व-सहायता समूह या ऐसे पात्र ग्राहकों के संयुक्त दायित्व समूह सम्मिलित हैं;

(4) राष्ट्रीय बैंक द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यष्टि वित्त संगठनों द्वारा पात्र ग्राहकों से बचत अर्थात चालू लेखा या मांग निक्षेप लेखा के रूप से भिन्न बचतों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, स्वीकार किए जाने का उपबंध करना;

(5) बचत का संग्रहण करने के लिए अनुमति दिए जाने हेतु व्यष्टि वित्त संगठनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करना;

(6) आरक्षित निधि के सृजन और लेखाओं को बनाए रखने तथा व्यष्टि वित्तीय संगठनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नियतकालिक विवरणियों का उपबंध करना;

(7) बचत सेवाओं और व्यष्टि वित्तीय सेवाओं के संबंध में राष्ट्रीय बैंक के कृत्यों और शक्तियों का उपबंध करना;

(8) पात्र ग्राहकों और व्यष्टि वित्तीय संगठनों के बीच विवादों के परिनिर्धारण के लिए एक या अधिक व्यष्टि वित्त ओमबड्समैन की नियुक्ति के लिए स्कीम की विरचना करने हेतु राष्ट्रीय बैंक को सशक्त करना;

(9) विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियम बनाने हेतु राष्ट्रीय बैंक को सशक्त करना।

कार्पोरेटों द्वारा कर अपवंचन

3540. श्री हितेन बर्मन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा आंकलित कार्पोरेट कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कितने मामले निपटाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) आयकर विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान स्वयं द्वारा कर निर्धारित कम्पनियों के अनेक मामलों के संबंध में विवरणीगत आय में अभिवृद्धि की है। तथापि, इन मामलों के संबंध में कर अपवंचन की राशि का पता तभी चल सकता है जब इन मामलों में अर्थदण्ड तथा अपीली कार्यवाहियों, जिनमें काफी समय लग सकता है, को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान समझौता आयोग और आयकर अपीली अधिकरण द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

वित्त वर्ष	आयकर अधिनियम की धारा 245घ (1) के अंतर्गत समझौता आयोग द्वारा पारित आदेशों की संख्या	आयकर अपीली अधिकरण द्वारा पारित आदेशों की संख्या
2004-05	109	40,185
2005-06	149	27,244
2006-07	208	*18,115

(*आंकड़ा अनंतिम है)

गुजरात में नोटरीज का कोटा बढ़ाना

3541. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार में केंद्र सरकार से नोटरीज का कोटा बढ़ाकर 1000 किए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किए जाने वाले नोटेरियों के कोटा की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

वायबिलिटी गैप फंडिंग

3542. डा. के.एस. राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) स्कीम के अंतर्गत कोई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने विझिन्जम, केरल में, "डीपवाटर इंटरनेशनल कोन्टेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल" के विकास के लिए अर्थ क्षमता अन्तर निधीयन प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव पर आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विचार किया गया था और इसे स्कीम के अंतर्गत उपर्युक्त नहीं पाया गया था। केरल सरकार को सलाह दी गयी थी कि वह स्कीम के अनुरूप संशोधित प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करे।

शिक्षा ऋण

3543. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु और अन्य राज्यों विशेषत: बंगलौर में नर्सिंग में डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अधिकांश विद्यार्थियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने क्रियान्वयन हेतु

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आदर्श शिक्षा ऋण योजना, 2004 परिचालित की है। इस योजना में व्यापक मार्गनिर्देश दिए गए हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शिक्षा ऋण के लिए पात्र पाठ्यक्रमों के बारे में बताया गया है। पात्र और योग्य उम्मीदवारों/छात्रों के लिए पात्र पाठ्यक्रमों हेतु बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण मंजूर नहीं किए जाने के संबंध में विशेष शिकायतों, यदि कोई हों, की जांच की जाती हैं और उपचारी उपाय किए जाते हैं। सरकारी क्षेत्र के 15 बैंकों से प्राप्त सूचना से यह पता चलता है कि नर्सिंग सहित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले सभी पात्र छात्रों को बैंक शिक्षा ऋण प्रदान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

वाहनों के बीमा प्रीमियम में बढ़ोत्तरी

3544. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा कंपनियों ने कार तथा अन्य वाहनों के लिए तृतीय पक्ष बीमा प्रीमियम को बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) प्रशुल्क सलाहकार समिति (टीएसी) ने 1 जनवरी, 2007 से बीमा कारोबार की विभिन्न श्रेणियों में प्रशुल्क को समाप्त करने की सूचना दी है। मोटर संबंधी अन्य पक्ष बीमा के अधिदेशात्मक स्वरूप को देखते हुए और दावों के उच्च अनुपात के कारण इसके प्रीमियम में अत्यधिक वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हुए, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(1) के तहत प्राधिकरण ने निहित शक्तियों के आधार पर सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया कि मोटर संबंधी अन्य पक्ष का बीमा कवर किसी समस्या के बिना सभी मोटर मालिकों को उपलब्ध कराया जाए और विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए मोटर संबंधी अन्य पक्ष के दायित्व के कवर के लिए प्रीमियम दरों की सूची निर्धारित की। मोटर ट्रांसपोर्टरों के विभिन्न संघों ने मोटर संबंधी अन्य पक्ष की प्रीमियम दरों को अधिक माने हुए आईआरडीए और सरकार को अभ्यावेदन दिए। मोटर ट्रांसपोर्टर संघों और साधारण बीमा कंपनियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद, आईआरडीए ने 23 जनवरी, 2007 को मोटर बीमा प्रीमियम की संशोधित सूची जारी की और यह सूची आईआरडी की वेबसाइट www.irdaindia.org. पर उपलब्ध है।

राष्ट्रमंडल खेल 2010

3545. डा. राजेश मिश्रा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रमंडल खेल 2010 की तैयारी के लिए दिल्ली में वर्ष 2008-09 के दौरान जिन फ्लाई ओवरों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में की गयी/संभावित कार्रवाई की स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) राष्ट्रमंडल खेल 2010 की तैयारी के लिए दिल्ली में वर्ष 2008-09 के दौरान 19 फ्लाई ओवर परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। ऐसी फ्लाई ओवर परियोजनाओं के ब्यौरे तथा की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई की स्थिति से संबंधित विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रमंडल खेल 2010 की तैयारी के लिए दिल्ली में वर्ष 2008-09 के दौरान शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित फ्लाई ओवर परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	एजेंसी		फ्लाई ओवर का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2		3	4
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	1	गीता कालोनी ब्रिज	प्रगति पर 40% कार्य पूर्ण
		2	यू.पी. लिंक रोड	संकल्पना स्तर पर

1	2		3	4
		3	ज.ला.ने. स्टेडियम के पास खेल गांव एनएच-24 से लिंक रोड (टनल)	संकल्पना स्तर पर
		4	सलीमगढ़ फोर्ट वेलोड्रोम	संकल्पना स्तर पर
		5	मार्जिनल बंध रोड से मिंटो रोड तक पूरब पश्चिम कारीडोर	संकल्पना स्तर पर
		6	शास्त्री पार्क टनल कारीडोर	संकल्पना स्तर पर
		7	बहादुर शाह जफर मार्ग	संकल्पना स्तर पर
2.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	8	करकरी मोड़ पर रोड सं. 57 और विकास मार्ग के चौराहे पर क्लोवर लीव्स	ढांचागत परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु उद्धरण मंगाया गया।
		9	नोयडा मोड पर 3 क्लोवर लीव्स	योजना स्तर पर
		10	सरिता विहार में रोड सं. 13 से रोड सं. 13-क को जोड़ने वाली क्लोवर लीव्स स्लिप रोड/आरयूबी संपर्क रोड	योजना स्तर पर
		11	एनएच-24 साइड से राष्ट्रमंडल खेल गांव में प्रवेश और निकास	योजना स्तर पर
		12	द्वारका को जोड़ने वाली घरेलू हवाई अड्डे से संपर्क सड़क के साथ-साथ सर्कुलर रोड का सुधार	योजना स्तर पर
		13	नोएडा मोड पर मार्जिनल बंध रोड से राष्ट्रमंडल खेल गांव को प्रवेश और निकास	योजना स्तर पर
		14	होलाम्बी कला रेलवे क्रासिंग पर एनएच-1 से पश्चिम यमुना नहर आरओबी तक 100.00 मी. आर/डब्ल्यू रोड पर नरेला में फ्लाई ओवर परियोजना	योजना स्तर पर
		15	चैनेज 21/100 में कापसहेड़ा इंटरेक्शन अर्थात राजोकरी फ्लाई ओवर जक्शन पर आमान परिवर्तन का सुधार	योजना स्तर पर
		16	एनएच-10 से रेलवे लाइन पर फ्लाई ओवर और आरयूबी	योजना स्तर पर
		17	लोक नायक पूरन (आवासीय परियोजना) के क्षेत्र में फ्लाई ओवर	योजना स्तर पर
3.	दिल्ली नगर निगम	18	रानी झांसी रोड में ग्रेड सेपेरेटर का निर्माण	स्कीम को डीडीए की तकनीकी समिति के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और निविदा जल्द ही मंगाए जाने की संभावना है।
		19	पंखा रोड के इंटरसेक्शन में डाबरी इंटरसेक्शन पर ग्रेड सेपेरेटर का निर्माण	स्कीम को डीडीए की तकनीकी समिति के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और निविदा जल्द ही मंगाए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

3546. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने राज्यों ने केन्द्र सरकार के निदेशों के अनुसार कार्यवाही की है;

(ग) कितने राज्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित करना बाकी है तथा इस विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के समय पर क्रियान्वयन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) 26 राज्यों ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित कर दिया है।

(ग) केवल मणिपुर राज्य द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाना शेष है। मणिपुर सरकार को पांच पर्वतीय जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि ये जिले अनुसूचित जनजातियों द्वारा बसे होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के प्रावधान के तहत आते हैं। इस प्रकार पांच पर्वतीय जिलों के संबंध में भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी किया जाना अभी भी लंबित है। विद्युत मंत्रालय ने 9 नवंबर, 2006 को राज्य सरकार को सलाह प्रदान की है कि चूंकि मणिपुर के ये पांच पर्वतीय जिले अनुसूचित जनजाति द्वारा बसे होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के प्रावधानों के तहत आते हैं इसलिए, राज्य सरकार ऐसे जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित कर सकती है जैसा कि वह विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के प्रावधानार्थ उपयुक्त समझती है।

(घ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाय) के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं-

* रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि., ने स्कीम के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों/ डिस्कामो के साथ करार निष्पन्न किए हैं।

* राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाएं ली गई है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने सीपीएसयू, जैसे नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि., नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. और दामोदर वैली कारपोरेशन लि. के साथ समझौता ज्ञापन निष्पन्न किए हैं।

* परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आरईसी ने एक कार्य ढांचा भी तैयार किया है जिसमें परियोजना निरूपण, टर्न की आधार पर क्रियान्वित किये जाने वाली परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया समेत सामग्री व सेवाओं का प्रापण, फ्रेंचाइजी क्रियान्वयन और परियोजनाएं क्रियान्वयन में अपनाए जाने हेतु निर्माण मानकों व उपस्कर/सामग्री की तकनीकी विनिर्देशों हेतु दिशानिर्देश शामिल हैं।

* परियोजनाओं की संयुक्तता एवं उनके वेतन कार्यान्वयन के लिए जिलावार रूप से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है।

* परियोजना के लिए त्वरित एवं कारगर कार्यान्वयन के लिए इन्हें टर्न की आधार पर क्रियान्वित किया जाता है।

* ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की प्रगति की देखरेख के लिए राज्यों को जिला समितियां गठित करने की सलाह दी गई है। सभी राज्य पहले ही जिला समितियां गठित कर चुके हैं।

* भारत सरकार और आरईसी, आरजीजीवीवाय की नोडल एजेंसी है, सहमत कार्यक्रम के अनुसार स्कीम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए संबंधित स्टेक होल्डरों यथा राज्य सरकारों, राज्य विद्युत युटिलिटियों तथा क्रियान्वयक एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहे हैं।

* भारत सरकार ने एक अन्तर मंत्रालयीन मानीटरिंग समिति का गठन किया है जो कि परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए आवधिक रूप से बैठकें करती है और क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है।

होटलों हेतु कर में छूट

3547. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होटलों के लिए कर में छूट को बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को देश के अन्य भागों से इसी प्रकार की मांग प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) वित्त अधिनियम, 2007 में किसी होटल अथवा किसी सम्मेलन केन्द्र द्वारा प्राप्त किए गए लाभ और अभिलाभ पर पांच वर्षों की अवधि के लिए शत-प्रतिशत कटौती उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है, यदि ऐसा होटल अथवा सम्मेलन केन्द्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अथवा फरीदाबाद, गुड़गांव, गौतम बुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिले में स्थित है और वह अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि कर लाभ का आशय आगामी राष्ट्रकुल खेलों के लिए दिल्ली तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में होटल अवसंरचना का विकास करने से है, इसलिए देश के अन्य हिस्सों में कर प्रोत्साहन देने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

मुंबई का वित्तीय केन्द्र के रूप में विकास

3548. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक उच्च स्तरीय समिति ने सुझाव दिया है कि देश की वित्तीय संस्थाओं को वैश्विक संस्थाओं के साथ समेकित करने के लिए मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र (आईएफसी) के रूप में विकसित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुंबई के अलावा अन्य किसी नगर को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र (आईएफसी) के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र (आईएफसी) बनाने के लिए किस प्रकार की आवश्यक अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2005-06 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी) का गठन किया गया जिसने मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए अनेकानेक अनुशंसाएं की। इनमें निम्नलिखित के संबंध में अनुशंसाएं शामिल हैं (1) सामान्य वृहद-आर्थिक माहौल और नीतिगत ढांचा, (2) वित्तीय प्रणाली सुधार, और (3) मुंबई में उच्च वर्गीय शहरी अवसंरचना एवं अभिशासन की व्यवस्था। ब्यौरेवार अनुशंसाएं वित्त मंत्रालय की वेबसाईट (http://www.finmin.nic.in/mipc.html) पर उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) मुंबई में वित्तीय क्षेत्र की लगभग सभी प्रमुख घटनाओं का केन्द्र रहा है और यहीं पर विश्व स्तरीय प्रतिभूति बाजार अवसंरचना का केन्द्र भी है। इसके अतिरिक्त, मुंबई महत्वपूर्ण रूप से लंदन और टोकियो के बीच मध्यमार्ग में स्थित है जो विश्व की वित्त व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। इन कारकों के होते हुए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र बनने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है।

(च) उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने अवलोकन किया है कि मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त अवसंरचना की आवश्यकता होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परिष्कृत आईटी हार्डवेयर, साफ्टवेयर और साफ्टवेयर सहायता क्षमता, उच्च गुणवत्ता बिजली की वैद्युतापूर्ण और रिहायशी एवं वाणिज्यिक स्थान, परिवहन तथा संचार सुविधाओं, विद्युत, जल, अपशिष्ट निपटान सुविधाओं आदि जैसी भौतिक अवसंरचना शामिल होगी।

ऊर्जा संरक्षण

3549. श्री परसुराम माझी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को ऊर्जा संरक्षण हेतु कुछ उपाय करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) विद्युत मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऊर्जा संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय करने की सलाह दी है जैसे राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को अधिसूचित करना, ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना, उद्योगों, वाणिज्यिक भवनों आदि के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की तर्ज पर राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार शुरू करना, काम्पैक्ट फलोरेसेंट लैम्प (सीएफएल) के उपयोग को बढ़ावा देना, सरकारी भवनों में ऊर्जा आडिट शुरू करना और इसकी सिफारिश का कार्यान्वयन करना, टाइम आफ दि डे मीटरिंग शुरू करना, ऊर्जा संरक्षण पर अभियान शुरू करना, विभाग नगरपालिका क्षेत्रों में स्ट्रीटलाइट के लिए आटोमेटिक आन/आफ स्विच शुरू करना आदि।

(ग) जवाब में अनेक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण उपाय शुरू कर दिए हैं। तीस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य स्तर पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 को कार्यान्वित करने के लिए राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियां बनाई हैं। अनेक राज्यों में विद्युत वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं में सीएफएल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। कुछ राज्यों ने स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम के कुशल डिजाइन पर परियोजनाएं शुरू की हैं। कुछ राज्यों ने कुछ भवन समूहों में सीएफएल, इलेक्ट्रानिक चोक और सोल्ड हाट वाटर सिस्टम के प्रयोग तथा कृषि क्षेत्र में आईएसआई छाप के पंप के प्रयोग को भी अनिवार्य कर दिया है।

पब्लिक स्कूलों के लिए भूमि

3550. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन स्कूलों की संख्या कितनी है जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की आबंटन की शर्तों को पूरा नहीं किया है;

(ख) क्या ऐसे सभी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी), (शिक्षा विभाग) ने दि.वि.प्रा. को शैक्षणिक सत्र 2004-05 के लिए उन 93 स्कूलों की सूची अग्रेषित की है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को मुफ्त सीटें प्रदान नहीं कर रहे हैं। दि.वि.प्रा. ने इन चूककर्त्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्कूलों से प्राप्त हुए जवाबों को दि.वि.प्रा. द्वार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सत्यापन तथा टिप्पणी हेतु भेजे गए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षत्र दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2005-06 के लिए 178 चूककर्ता स्कूलों की सूची भेजी है। शैक्षणिक सत्र 2006-07 हेतु कोई सूची राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा नहीं भेजी गई है। शैक्षणिक सत्र 2005-06 के लिए चूककर्ता स्कूलों के संबंध में दि.वि.प्रा. द्वारा कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया, क्योंकि इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने सी.डब्ल्यू.पी.सी. 3156/02 में आदेश दिए थे कि जिन चूककर्त्ताओं द्वारा मुफ्त सीटे 10% से कम प्रदान की जाती हैं, उनको उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा नोटिस जारी किया जाए।

(ग) उच्च न्यायालय द्वारा सोशल ज्यूरिस्ट केस 2002 की डब्ल्यूपी सं. 3156 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 25.1.2007 को अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार जिन विद्यालयों की प्रबंध समिति को सरकारी एजेंसियों द्वारा भूमि आवंटित की गई है, वे प्रत्येक कक्षा में स्कूल सीटों में से कम से कम 20% सीटें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए रखेंगे। इसके अलावा, मुफ्त सीटों के छात्रों को यूनिफार्म तथा पुस्तकों के लिए सरकारी विद्यालयों के छात्रों के बराबर वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इस अधिसूचना को विद्यालयों द्वारा चुनौती दी गयी है और यह मामला न्यायाधीन है।

सीपीडब्ल्यूडी में पद आधारित रोस्टर प्रणाली का कार्यान्वयन

3551. श्री एम. अप्पादुरई: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पद आधारित रोस्टर प्रणाली के क्रियान्वयन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 2.07.97 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) को सीपीडब्ल्यूडी में क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अजा/अजजा के कितने कर्मचारी प्रोन्नत हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्रियान्वयन में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पदोन्नत किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	अजा/अजजा कर्मचारियों की संख्या
2004-05	128
2005-06	224
2006-07	486

(ग) लागू नहीं।

[हिन्दी]

नर्मदा जलापूर्ति संवर्धन योजना

3552. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से नर्मदा जलापूर्ति संवर्धन योजना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने सितम्बर, 2004 में 298 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली "नर्मदा जल आपूर्ति परियोजना" नामक एक प्रस्ताव पेश किया था। मंत्रालय के तकनीकी विंग सीपीएचईओ ने इस परियोजना को अक्टूबर, 2004 में 240.22 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के साथ तकनीकी रूप से अनुमोदित किया था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई, 2006 में पुन: यह अनुरोध किया है कि 298.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का वित्तपोषण जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अधीन किया जाए। सीपीएचईओ द्वारा तकनीकी छानबीन के बाद परियोजना की लागत को कम करके 252.39 करोड़ रु. कर दिया गया था।

परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को आवश्यक संशोधन करने हेतु अगस्त, 2006 में मध्य प्रदेश सरकार के पास भिजवा दिया था। राज्य सरकार ने अपेक्षित संशोधन करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है।

[अनुवाद]

फार्म हाउसों में अवैध निर्माण

3553. श्री रघुनाथ झा:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम को फार्म हाउसों में भवन उपनियमों का उल्लंघन करके बनाए सभी ढांचों को गिराने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अवैध निर्माणों को गिराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2001 से 2005 की अवधि के दौरान भवन उप-नियमों का उल्लंघन कर किए गए सभी अनधिकृत निर्माओं, वे जहां भी हों, को गिराने के लिए निदेश जारी किया है। दिल्ली नगर निगम ने यह बताया है कि तथापि ऐसी सभी संरचनाओं को गिराने के लिए कोई विशिष्ट निदेश नहीं हैं जो भवन उप-नियमों का उल्लंघन करके फार्महाउसों में बनायी गई हैं। दिल्ली नगर निगम ने यह भी बताया है कि जब कभी भवन उन-नियमों के किसी उल्लंघन का पता चलता है, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि अपनी भवन-निर्माण योजना की पूर्व स्वीकृति के बिना कई फार्महाउसों में अनुमेय सीमा से अधिक अनधिकृत निर्माण किए गये हैं। ऐसे अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

छोटे तथा मझोले शहरों में समेकित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल शहर

3554. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे तथा मझोले शहरों के समेकित विकास के कार्यक्रम (आईडीएमएसटी) के अंतर्गत उड़ीसा के कौन-कौन से नगर शामिल किए गए हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत नगरों तथा शहरों को सम्मिलित करने संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य को कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के कुछ और शहरों को इस योजना में शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) उड़ीसा राज्य के कुल 67 कस्बों को केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम छोटे एवं मझोले कस्बों के समेकित विकास आईडीएसएमटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। कस्बों की सूची और उनको जारी की गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आईडीएसएमटी के 1995 में संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, 1991 की जनगणना के अनुसार 5 लाख तक की आबादी वाले कस्बों को इस स्कीम के तहत लाया जा सकता है।

(ग) उड़ीसा राज्य को पिछले तीन वर्षों में निर्मुक्त धनराशियां नीचे दी गई हैं:-

वर्ष	जारी केन्द्रीय सहायता (लाखों में)
2004-05	257.00
2005-06	257.05
2006-07	120.00

(घ) और (ङ) जी, नहीं। चूंकि आईडीएसएमटी स्कीम बंद कर दिसंबर, 2005 से इसे छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) में विलय कर दिया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार किसी नए शहर/कस्बे को इसलिए यूआईडीएसएसएमटी के तहत लाना संभव नहीं है। तथापि, 2001 की जनगणना के अनुसार सभी शहर/कस्बा यूआईडीएसएसएमटी स्कीम की नई शुरू की गयी स्कीम के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

विवरण

आईडीएसएमटी स्कीम के अंतर्गत आरंभ (1979-80) से 31.3.2007 तक उड़ीसा के कस्बों के नाम एवं उन्हें जारी केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/कस्बा	(रुपये लाख में)
1	2	3
1.	पुरी	40.00
2.	संबलपुर	37.50
3.	बलेश्वर	40.00
4.	राउरकेला	40.00
5.	जयपुर	40.00
6.	धेनकानल	40.00
7.	क्योंझर	54.50
8.	बारीपादा	46.00
9.	बालंगीर	46.00
10.	पारादीप	36.00
11.	कोरापुट	40.00
12.	फुलाबानी	29.75
13.	भवानी पटना	46.02
14.	केन्द्रपाड़ा	40.00
15.	अनुगुल	25.00
16.	जाजापुर रोड	25.00
17.	बारगढ़	25.00
18.	रायागढ़ा	15.00
19.	गोपालपुर	40.00
20.	भद्रक	20.00
21.	सुंदरगढ़	20.00
22.	जगतसिंहपुर	20.00
23.	जाजापुर	52.74

1	2	3
24.	बसुदेवपुर	25.00
25.	आथागद	36.00
26.	झरसुगुड़ा	35.00
27.	दीगापहंडी	12.00
28.	भंजानगर	7.00
29.	टिटलागढ़	24.00
30.	उमरकोट	24.00
31.	चौदवार	32.00
32.	टरभा	24.00
33.	छत्रपुर	22.60
34.	परलाखेमुंडी	36.00
35.	कामक्छय नगर	36.00
36.	नवरंगपुर	72.00
37.	ब्रह्मपुर	210.00
38.	कोणार्क	16.00
39.	पुरी	45.00
40.	नीलगिरी	48.00
41.	आथामल्लिक	48.00
42.	पट्टामुंडई	30.00
43.	अनंतपुर	79.53
44.	सोरो	81.52
45.	बरपाली	16.00
46.	बालासोर	210.00
47.	अस्का	48.00
48.	बंकी	48.00
49.	करंजिया	48.00
50.	केसिंगा	48.00
51.	बालूगांव	24.00
52.	राजगंगपुर	45.00
53.	छिकती	24.00
54.	तलचर	90.00
55.	गुनुपुर	48.00
56.	रायरंगपुर	48.00
57.	सोनेपुर	48.00
58.	नयागढ़	48.00
59.	खुरदा	44.68
60.	हिंजालीकट	24.00
61.	बोध	48.00
62.	उदाला (टी)	22.84
63.	कटक	106.00
64.	बारबिल	45.00
65.	मलकांगिरी	24.00
66.	खारियर	24.00
67.	खारियर रोड	48.00
	कुल	2941.68

[हिन्दी]

मारिशस से निवेश

3555. श्री रशीद मसूद: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने मारिशस की इंडिपेंडेंट मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी को निवेश करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने बेतार अक्रिय अवसंरचना परिसंपत्तियों (अक्रिय अवसंरचना) (चाहे वह स्वामित्वाधीन हों, पट्टे पर हों या अन्यथा

हों) के प्रचालन एवं अनुरक्षण में अवसंरचना प्रदायक की गतिविधियों में रत होने के साथ-साथ भारत में बेतार दूरसंचार प्रचालनों को संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स इंडिपेंडेंट मोबाईल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 7 फरवरी, 2007 को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी में विदेशी इक्विटी प्रतिभागिता (विदेशी मुद्रा में) 100% है जिसकी कुल राशि 3,000 करोड़ रुपए (लगभग 674 अमरीकी डालर) है। यह अनुमोदन दूरसंचार विभाग की लाइसेंस प्रदान करने एवं सुरक्षा आवश्यकता के अध्यधीन है तथा यदि कंपनी विश्व के अन्य भागों में सूचीबद्ध हो, तो वह पांच वर्षों में भारतीय जनता के पक्ष में 26% इक्विटी का निर्वहन करेगी।

[अनुवाद]

पेयजल की समस्या

3556. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से औरंगाबाद जिले में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी, नहीं। छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना योजना (यूआईडीएसएसएमटी) दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा अनुमोदित/संयुक्त परियोजनाओं पर वित्तीय सहायता रिलीज करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय में विचार किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने यूआईडीएसएसएमटी के तहत औरंगाबाद जिले में जल आपूर्ति से संबंधित एक परियोजना एसएलएससी के समक्ष दिनांक 28.9.2006 को आयोजित उनकी दूसरी बैठक में प्रस्तुत की जिसे बैठक में अनुमोदित नहीं किया गया।

सभी को रोजगार

3557. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2010 ईस्वी तक सभी को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह अनुमान लगाया गया है कि यदि मौजूदा दर से ही वृद्धि होती रहती है तो 11वीं योजना के दौरान श्रम बल में लगभग 65 मिलियन वृद्धि होगी तथा विशिष्ट दिनों में 35 मिलियन बेरोजगार के मौजूदा बैकलाग के अतिरिक्त 1999-2005 की अवधि के दौरान हुई प्रगति के हिसाब से महिला भागीदारी दर भी बढ़ेगी। इस पृष्ठभूमि के संदर्भ में 70 मिलियन नये कार्य अवसर के सृजन को 11वीं पंचवर्षीय योजना के निगरानी योग्य सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों में से एक लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) को पहले ही 2 फरवरी, 2006 को देश के 200 जिलों में शुरू कर दिया गया है जिसका उद्देश्य ऐसे प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल-शारीरिक कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत अन्य 113 जिलों को अधिसूचित किया गया है तथा उत्तर प्रदेश के 17 जिलों को चुनाव के बाद अधिसूचित किया जाना है। 2009-10 तक यह योजना देश के सभी जिलों में लागू की जाएगी।

नान्देड़ जिला बैंक

3558. श्री डी.बी. पाटिल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नान्देड़ जिला बैंक की वित्तीय स्थिति खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त बैंक को अनुदान प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त बैंक को अनुदान दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। नान्देड़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) की 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार वित्तीय

स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षण से पता चला है कि इसकी वित्तीय स्थिति असंतोषजनक है। बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 11(1) के उपबंधों की अनुपालना नहीं कर रहा है। बैंक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) एवं सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) अपेक्षाओं को नहीं बनाए रखा है।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने 4 अप्रैल, 2007 को बैंक को 20 करोड़ रुपए की राशि को शेयर पूंजी के लिए जारी किया है जिसे दस वर्षों अर्थात 2.00 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से वापस किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के परामर्श से अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे (एसटीसीसीएस) के लिए एक पुनरुज्जीवन पैकेज को अनुमोदित किया गया है। इस अनुमोदित पुनरुज्जीवन पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले कुछ कानूनी एवं संस्थागत सुधारों के अध्यधीन संचयी हानियों को समाप्त करना शामिल है।

महाराष्ट्र सरकार ने इस पैकेज के कार्यान्वयन के लिए 13 नवम्बर, 2006 को केन्द्रीय सरकार एवं नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था।

अब तक हुई प्रगति यह है कि महाराष्ट्र में विशेष लेखा जांच के लिए मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है तथा पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन को दिशा देने एवं निगरानी करने के लिए राज्य/जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समितियों का गठन किया जा चुका है।

नान्देड़ डीसीसीबी एवं इसके संबद्ध बैंक इस पुनरुज्जीवन पैकेज के तहत कवर होते हैं।

दुकानों तथा क्वार्टरों पर अवैध कब्जा

3559. चौधरी मुनव्वर हसन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीआईजेड क्षेत्र, गोल मार्किट, नई दिल्ली के एलएनडीओ, सीपीडब्ल्यूडी तथा एनडीएमसी की कई दुकानों तथा क्वार्टरों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संबद्ध प्रणालियों द्वारा अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) डीआईजेड क्षेत्र, गोल मार्किट में भूमि तथा विकास कार्यालय, (एल एंड डी ओ), के.लो.नि.वि. और एन.डी.एम.सी. की दुकानों और क्वार्टरों जिन पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण तथा संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अनधिकृत कब्जे को खाली कराने के लिए की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

डीआईजेड क्षेत्र, गोल मार्किट में एल एंड डी ओ, सीपीडब्ल्यूडी और एनडीएमसी की दुकानों और क्वार्टरों जिन पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, का ब्यौरा

क्र.सं.	संपदाओं का विवरण	की गई कार्रवाई
1	2	3
1. एल एंड डी ओ		
1.	दुकान सं. 8/जी, गोल मार्किट	खाली करने के आदेश दे दिए गए। यह मामला तीस हजारी न्यायालय में न्यायाधीन है।
2. सीपीडब्ल्यूडी		
1.	डीपीसीसी के पीछे सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर तथा 2 टी के सड़क पर एम एस फ्लैट	यह मामला उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

1	2	3
3. एनडीएमसी		
1.	दुकान सं. 2, बीकेएस मार्ग	आवंटन रद्द कर दिया गया। खाली करने के आदेश दे दिए गए। यह मामला तीस हजारी न्यायालय में न्यायाधीन।
2.	दुकान सं. 4, बीकेएस मार्ग	-वही-
3.	दुकान सं. 5, बीकेएस मार्ग	-वही-
4.	दुकान सं. 7, बीकेएस मार्ग	-वही-
5.	दुकान सं. 8, बीकेएस मार्ग	-वही-
6.	दुकान सं. 9, बीकेएस मार्ग	-वही-
7.	जंक्शन, बेयर्ड रोड क्रासिंग पर काफी स्थल	बकाया धनराशि के निपटान के लिए यह मामला संपदा अधिकारी के कोर्ट में लंबित है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम में संशोधन

3560. श्री पंकज चौधरी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चार्टर्ड एकाउन्टेंटों को संबंधित विवादों में राष्ट्रीय कर अधिकरण के सम्मुख पेश होने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 13 चार्टर्ड एकाउंटेंटों को कर संबंधी विवादों में राष्ट्रीय कर अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने की अनुज्ञा देती है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में विद्युत परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

3561. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा की निर्माण कंपनी एस एन सी लवलीन को केरल की तीन पनबिजली परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करने का ठेका दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की जांच में विद्युत ठेके में गंभीर भूलों का पता लगा है;

(घ) यदि हां, तो क्या ठेका देने में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए इस मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स एसएनसी लवलीन को केरल में निम्नलिखित तीन हाइडल परियोजनाओं के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) द्वारा ठेका सौंपा गया था।

(1) पल्लीवसल (37.5 मे.वा.)

(2) पन्नियार (30 मे.वा.)

(3) सेंगुलम (48 मे.वा.)

(ग) केरल सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ठेके से संबंधित कई निष्कर्ष रिकार्ड किए गए थे। एक मुद्दा यह था कि परियोजनाओं के नवीकरण के पश्चात विद्युत उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। चूंकि अपरेटिंग ठेके में परिकल्पित नहीं थी, इसलिए मशीनों का नवीकरण उनकी मूल क्षमता तक किया गया था। नवीकरण कार्य, मशीनों की दक्षता एवं उपलब्धता को सुधारने तथा अगले 25-30 वर्षों तक स्टेशनों का जीवन विस्तार करने के लिए किए गए थे। मेसर्स एसएनसी लवलीन द्वारा अधिष्ठापित उपकरण में कोई तकनीकी त्रुटियां नहीं हैं। स्टेशनों से विद्युत के उत्पादन में सुधार हुआ है तथा केएसईबी अब उपरोक्त स्टेशनों से प्रत्याशित उत्पादन प्राप्त कर रही है।

(घ) केएसईबी ने सूचित किया है कि माननीय केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 16.01.2007 को मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

(ङ) सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

बैंकों में धोखाधड़ी

3562. डा. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी के कितने मामलों का बैंकवार पता चला है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) पिछले तीन वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रत्येक 1 लाख रुपए और इससे अधिक की धोखाधड़ियों के मामलों की संख्या निम्नलिखित है:-

कैलेण्डर वर्ष	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए में)
2004	156	1910.60
2005	227	5488.32
2006	196	4786.82

उत्तर प्रदेश में पता लगाए गए धोखाधड़ियों के मामलों की संख्या का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अपना पर्यवेक्षण संबंधी जिम्मेदारी के भाग के रूप में समय-समय पर बैंकों को धोखाधड़ी की संभावना वाले आम क्षेत्रों और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में बताता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को सलाह दी गई है कि पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जैसा लागू हो, में शिकायतें दर्ज करें, कर्मचारियों की जिम्मेदारी के पहलुओं की जांच करें, घाटे की राशि वसूल करने के लिए उपाय शुरू करें और ऐसी धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रणाली एवं प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाएं।

विवरण

पिछले तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 1 लाख रुपए और इससे अधिक की धोखाधड़ी के मामलों की बैंक-वार संख्या

क्र.सं.	बैंक का नाम	2004	2005	2006
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	5	11	14
2.	आंध्रा बैंक	–	1	–
3.	बैंक आफ बड़ौदा	28	35	14
4.	बैंक आफ इंडिया	4	7	9

1	2	3	4	5
5.	केनरा बैंक	1	3	2
6.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	7	6	25
7.	कार्पोरेशन बैंक	3	3	2
8.	देना बैंक	–	2	6
9.	आईडीबीआई लि.	–	1	2
10.	इंडियन बैंक	2	–	2
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2	6	4
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	5	2	3
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	3	3	2
14.	पंजाब नैशनल बैंक	34	28	22
15.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	2	–	1
16.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1	1	–
17.	भारतीय स्टेट बैंक	33	85	45
18.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	1	–	1
19.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	4	5	6
20.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	–	1	–
21.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1	–	–
22.	सिंडिकेट बैंक	6	4	3
23.	यूको बैंक	4	9	1
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	8	11	21
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	–	–	2
26.	विजया बैंक	2	3	9
	कुल	156	227	196

[अनुवाद]

ई.ई.टी. के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को लाना

3563. श्री कैलाश मेघवाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम तथा पेंशन योजनाओं को एक्जेम्प्ट एक्जेम्प्ट टैक्स (ई.ई.टी.) के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को तथा व्यक्तियों को एक्जेम्प्ट एक्जेम्प्ट एक्जेम्प्ट से ई.टी.टी. प्रणाली को अपनाने से क्या फायदा होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) वित्त मंत्री ने 2005-06 के अपने बजट भाषण में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसरण में बचत के कराधान की छूट छूट कर (ईईटी) विधि अपनाने की सरकार के निर्णय की घोषणा की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि हर तरह की बचत के लिए ईईटी प्रणाली अपनाने से पूर्व प्रशासनिक मुद्दों को हल करना आवश्यक होगा तथा ईईटी प्रणाली की तरफ अग्रसर होने हेतु रूप-रेखा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था।

तदनुसार, बचत लिखतों के कराधान की ईईटी विधि की तरफ अग्रसर होने हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। समिति ने अनेक तरह के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया तथा नवम्बर, 2005 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार द्वारा रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ग) चूंकि ईईटी प्रणाली के अंतर्गत आहरण कर के पात्र है, इसलिए निवेश को दीर्घकालीन बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सरकार द्वारा कोई वृद्धावस्था लाभ प्रदान करने की आवश्यकता का निराकरण करेगी तथा सरकार कोई अपनी सब्सिडी बोझ कम करने में समर्थ बनाएगी।

[हिन्दी]

बहुमंजिले फ्लैटों का निर्माण

3564. श्री सज्जन कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मास्टर प्लान 2021 में झुग्गी झोंपड़ियों के स्थान पर बहुमंजिले फ्लैटों के निर्माण का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र को इन फ्लैटों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है; और

(घ) फ्लैटों के निर्माण के लिए क्या समय-सारणी निर्धारित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021 में स्लम एवं झुग्गी-झोंपड़ी समूहों के पुनर्वास/पुनर्स्थापन के लिए एक एकांतर दृष्टिकोण का प्रावधान किया गया है। मोटे तौर पर एकांतर दृष्टिकोण में निम्नलिखित घटक होने चाहिए:-

(1) पुनर्वास, चाहे वह स्वस्थाने उन्नयन या पुनर्स्थापन के रूप में हो, क्षैतिज प्लाटों के विकास के माडल की बजाय मुख्यत: साझा क्षेत्र एवं सुविधाओं वाले लगभग 25 वर्गमीटर के निर्मित आवास पर आधारित होना चाहिए।

(2) यथासंभव निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश से ऐसे वास विकसित करने के लिए भूमि को एक संसाधन मानने की संकल्पना अपनाई जानी चाहिए। तथापि, झुग्गी-झोपड़ी वासियों के पुनर्वास का विषय मुख्यत: दिल्ली नगर निगम के स्लम/झुग्गी-झोपड़ी विंग/भू-स्वामी एजेंसी से संबंधित है।

(3) अपेक्षाकृत अधिक एफ ए आर, भूमि का आंशिक व्यवसायिक उपयोग तथा यदि आवश्यक एवं व्यवहार्य हो, तो विकास अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(4) पर्याप्त पूर्वापाय सहित एक सहकारी पुनर्वास माडल अपनाया जाये जिसमें धारण अधिकारी सहकारी सोसायटियों के जरिये दिये जायें।

(5) सामर्थ्य तथा भुगतान की क्षमता के पहलू को ध्यान में रखते हुए आवास का प्रावधान वित्तपोषण/वित्तीयन के लिए पर्याप्त व्यवस्था सहित लागत पर आधारित होना चाहिए।

(6) पुनर्स्थापन के मामले में, स्थानों (साइट) का चयन इस बात को ध्यान में रखकर करना चाहिए कि अपेक्षाकृत छोटे समूहों को इस तरह से विकसित किया जाये, विशेषकर नजदीक में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, कि उन्हें क्षेत्र के समग्र नियोजित विकास के साथ समेकित किया जा सके। बहुत बड़े पुनर्वास स्थलों से नियोजित स्लम बनने लग सकते हैं।

(7) पुन: बसाये जाने वाले परिवारों के लिए अस्थायी ट्रांजिट आवासों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। इसे अधिमानत: उसी स्थान के नजदीक होना चाहिए तथा स्व-स्थाने उन्नयन की स्कीम के कार्यान्वयन के चरणों के साथ इनके उपयोग को समक्रमिक होना चाहिए।

(8) पुनर्वास प्रक्रिया में समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) तथा गैर-सरकारी संगठनों की अधिकतम भागीदारी होनी चाहिए।

(घ) इसमें शामिल प्रशासनिक एवं नीतिगत मुद्दों को देखते हुए इस स्तर पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

पेयजल संबंधी प्रस्ताव

3565. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशेष रूप से असम के पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) वर्ष 2006-07 और चालू वर्ष के दौरान असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने हेतु केन्द्र को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्य तेल पर शुल्क में कटौती

3566. श्री टेक लाल महतो: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनकी मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उनके आयात शुल्क में कमी की गई है; और

(ख) आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) विभिन्न वस्तुओं पर सीमा शुल्क घटाने के अलावा आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

* नवम्बर, 2006 में और पुन: फरवरी, 2007 में पेट्रोल के खुदरा मूल्य में 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 1 रुपए प्रति लीटर की दर से कटौती।
* फरवरी और मार्च 2007 में खुला बाजार विक्रय स्कीम के अंतर्गत 4 लाख रुपए तक गेहूं जारी करना।
* दिनांक 9.2.2007 से गेहूं और दिनांक 22.6.2006 से दालों के निर्यात पर प्रतिबंध।
* गेहूं, चीनी और दालों की फ्यूचर कीमतों में स्थिरता को रोकना, फारवार्ड मार्केट कमीशन ने खुली स्थिति पर सीमा लागू की है, दैनिक अस्थिरता पर सीमा घटाई है और अतिरिक्त/विशेष मार्जिन लगाया गया है।
* दिनांक 24.1.2007 से तूर और उड़द में तथा दिनांक 28.2.2007 से गेहूं और चावल में फ्यूचर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध।
* स्कीम्ड दूध पाउडर के निर्यात पर प्रतिबंध।
* प्रणाली में तरलता कम करना, भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद रिजर्व अनुपात तथा रेपो दरों में वृद्धि की।

विवरण

* दाल: 8.6.2006 को दालों पर बुनियादी सीमा शुल्क 10% से घटाकर मूल्य कर दिया गया। यह छूट दिनांक 31.3.2008 तक वैध है।
* चीनी: दिनांक 23.6.2006 को सफेद चीनी पर बुनियादी सीमा शुल्क 60% से घटाकर शून्य कर दिया गया। यह छूट दिनांक 30.9.2006 तक वैध थी और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है।
* पाम तेल: दिनांक 11.8.2006 को क्रूड/रिफाइन्ड तेलों पर बुनियादी सीमा शुल्क 80%/90% से घटाकर 70%/80% कर दिया गया। पुन: दिनांक 24.1.2007 को इन तेलों पर शुल्क को 70%/80% से घटाकर 60%/67.5% कर दिया गया। अन्त में दिनांक 13.4.2007 को इन तेलों पर शुल्क को 60%/67.5 से घटाकर 50%/57.5% कर दिया गया। इसके अलावा पाम तेलों के लिए टैरिफ मूल्यों को जुलाई, 2006 के स्तरों पर नियत कर दिया गया।
* सूर्यमुखी तेल: दिनांक 24.1.2007 को क्रूड/रिफाइन्ड सूर्यमुखी तेलों पर बुनियादी सीमा शुल्क 75%/85% से घटाकर 65%/75% कर दिया गया जिसे पुन: दिनांक 1.3.2007 से घटाकर 50%/60% कर दिया गया है।

* गेहूं: प्रारंभ में गेहूं पर बुनियादी शुल्क 60% से घटाकर 50% कर दिया गया था जिसे दिनांक 28.6.2006 को घटाकर शून्य कर दिया गया था। यह छूट दिनांक 28.2.2007 तक वैध थी। तथापि, दिनांक 30.3.2007 को गेहूं पर सीमा शुल्क से पूर्ण छूट बहाल कर दी गई है और यह दिनांक 31.12.2007 तक वैध है।

* दिनांक 22.1.2007 को फेरो अलायज, अलाय स्टील, नन-फेरस मेटल्स, कारखाना गत माल, रिफ्रेक्टरीज पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5% से घटाकर 5% और परियोजना आयातों पर 10% से घटाकर 7.5% कर दिया गया था।

* सीमेंट: दिनांक 22.1.2007 को पोर्टलेंड सीमेंट (सफेद सीमेंट को छोड़कर) पर बुनियादी सीमा शुल्क 12.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया। दिनांक 3.4.2007 को ऐसी सीमेंटों को अतिरिक्त सीमा शुल्क से भी मुक्त कर दिया है।

* मक्का: दिनांक 25.1.2007 को मक्के (बीज के नस्ल को छोड़कर) पर बुनियादी सीमा शुल्क 60% से घटाकर शून्य कर दिया गया। यह छूट दिनांक 31.12.2007 तक वैध है।

* सभी खाद्य तेलों को दिनांक 1.3.2007 से 4% के अतिरिक्त सीमा शुल्क से भी मुक्त कर दिया गया है।

* दूध पाउडर: दिनांक 11.4.2007 से 10,000 मिट्रिक टन दूध पाउडर के टैरिफ रेट कोटा पर बुनियादी सीमा शुल्क 15% से घटाकर 5% कर दिया गया। यह छूट दिनांक 31.12.2007 तक वैध है।

[अनुवाद]

आयातित वस्तुओं की खुदरा बिक्री पर कर

3567. श्री राकेश सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछेक राज्यों द्वारा घरेलू बाजार में आयातित वस्तुओं की खुदरा बिक्री पर कोई शुल्क/कर लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो आयातित वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में ऐसे शुल्कों का ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों द्वारा एक समान वैट प्रभारित करने हेतु कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) राज्यों द्वारा घरेलू बाजार में आयातित माल की खुदरा बिक्री पर लगाए जाने वाले कर/शुल्क वहीं हैं जो घरेलू माल की खुदरा बिक्री पर लगाए जाते हैं। राज्य वैट/बिक्री कर भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 की जगह से राज्य में ऐसे माल की बिक्री अथवा खरीद पर लगाया जाता है। केन्द्रीय बिक्री कर ऐसे माल की अन्तरराज्यीय बिक्री पर लगाया जाता है।

(ग) और (घ) राज्य वैट/बिक्री कर के राज्य का विषय होने के कारण यह संबंधित राज्य पर निर्भर करता है कि दरों की संरचना का निर्णय लें। राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति ने वैट दरों की संरचना सहित राज्य वैट के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया है जिसे आमतौर पर वैट का कार्यान्वयन करने वाले सभी राज्यों द्वारा अपनाया गया है। वैट राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारों के केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निदेश देने का प्रश्न नहीं उठता। केन्द्रीय सरकार इस महत्वपूर्ण कर सुधार प्रक्रिया में केवल सुसाध्यकर्ता की भूमिका निभाती रही है।

ग्रामीण अवसंरचना

3568. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बावजूद ग्रामीण अवसंरचना में निष्पादन सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही धनराशि के अनुपात में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किन-किन खामी वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) केन्द्र द्वारा खर्च की गई पूरी धनराशि के समुचित उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से सरकार ने "भारत निर्माण" के नाम से एक समयबद्ध कार्य योजना बनाई है। ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के जिन महत्वपूर्ण

क्षेत्रों को विशेष ध्यान देने के लिए चुना गया है, वे निम्नानुसार हैं:-

सिंचाई	1 करोड़ हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था करना
ग्रामीण पेयजल	55,067 कवर न की गई बसावटों (संशोधित निर्धारण के अनुसार), निचली श्रेणी में लौट आई बसावटों, गुणवत्ता प्रभावित बसावटों तथा ग्रामीण विद्यालयों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना।
ग्रामीण सड़कें	1000 की आबादी (पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 500) वाले सभी गांवों को सड़क से जोड़ना
ग्रामीण आवास	निर्धनों के लिए 60 लाख अतिरिक्त आवासों का निर्माण करना
ग्राम विद्युतीकरण	शेष 1.25 लाख गांवों का विद्युतीकरण करना और 2.3 करोड़ परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना।
ग्रामीण टेलीफोन सम्पर्क	शेष 66822 गांवों को टेलीफोन सम्पर्क प्रदान करना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत निर्माण के 6 घटकों में से 3 घटकों अर्थात् ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को कार्यान्वित कर रहा है। चूंकि भारत निर्माण एक समयबद्ध कार्य योजना है, इसलिए सरकार ने विभिन्न घटकों का कार्यान्वयन करने वाली राज्य स्तरीय एजेंसियों की क्षमता तथा संसाधन जुटाने संबंधी मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिव्ययों का सार्थक उपयोग हो, एक कड़ी निगरानी एवं सतर्कता प्रणाली लागू की गई है। सुपरिभाषित लक्ष्यों के संदर्भ में, भारत निर्माण के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की प्रगति की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से कड़ी निगरानी की जा रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आंकड़ा (डाटा) केन्द्र

3569. श्री गणेश सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय आंकड़ा (डाटा) केन्द्र (एन.डी.सी.) की स्थापना में कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) आवर्ती व्यय को वित्त पोषित करने की क्या पद्धति है;

(ग) एन.डी.सी. के प्रचालन के लिए चालू वर्ष हेतु कितना परिव्यय रखा गया है; और

(घ) केन्द्र की कार्य-प्रणाली क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) राष्ट्रीय डाटा केन्द्र की स्थापना पर होने वाला कुल व्यय 223.38 करोड़ रुपए है जिसे पांच वर्षों में व्यय किया जाना है।

(ख) इसे वार्षिक बजट में आयकर विभाग को आबंटित निधियों से पूरा किया जाना है।

(ग) वर्तमान वर्ष के लिए परिव्यय 45 करोड़ रुपए है।

(घ) आयकर विभाग के पास आईपी-वीपी नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डाटा केन्द्र से 510 शहरों के 715 कार्यालयों को जोड़ करके एकल राष्ट्रीय डाटाबेस हो जाएगा। राष्ट्रीय डाटा केन्द्र के लिए कारोबार निरंतरता साइट और आपदा वसूली केन्द्र क्रमश: मुम्बई और चेन्नई में होंगे।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य बीमा योजना

3570. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछेक राज्य सरकारों ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछेक राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से योजना के लिए राजसहायता प्रदान करने हेतु राज्यों की क्षतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल, 2007 से आंध्र प्रदेश के तीन चुने हुए पिछड़े जिलों महबूबनगर, अनंतपुर और श्रीकाकुलम में प्रायोगिक आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए "आरोग्य श्री" नामक सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने प्रायोगिक परियोजना के लिए 70% प्रीमियम देयता के साथ राज्य ने 46.20 लाख रु. की वित्तीय सहायता के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया है। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

स्व-सहायता समूहों की योजनाओं की समीक्षा

3571. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछेक गैर-सरकारी संगटनों ने स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जीस.) की योजनाओं की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्व-रोजगार योजनाओं के लिए सरकार के कौन-कौन से नए प्रस्ताव हैं; और

(घ) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान क्या रोजगार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), जिसमें स्वसहायता समूह से संबंधित कार्य किया जाता है, की समीक्षा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) स्वरोजगार योजनाओं के लिए कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) XIवीं योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

हुडको में सी एम डी की नियुक्ति

3572. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुडको (एच.यू.डी.सी.ओ.) में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त पद को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हडको) के तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डा. पी.एस. राणा द्वारा अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामत: हडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद 30 सितम्बर, 2006 को रिक्त हुआ है।

(ग) सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के संज्ञापन के अनुसार उपर्युक्त पद को भरने के लिए विज्ञापन दिया गया था और 10 जुलाई, 2006 को लिए गए साक्षात्कारों के आधार पर सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने पद के लिए दो नामों के पैनल की संस्तुति की थी जिन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) की स्वीकृति से इन दो नामों के पैनल को रद्द कर दिया गया था। इस मंत्रालय ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (हडको) के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने हेतु पुन: प्रक्रिया शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

शिक्षा संस्थाओं/अस्पतालों को भूमि का आबंटन

3573. श्री हेमालाल मुर्मू:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री रशीद मसूद:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री सूरज सिंह:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा शिक्षा संस्थाओं और अस्पतालों को भूमि के आबंटन के लिए क्या मापदंड/मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या डीडीए ने गत कुछेक वर्षों में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं और अस्पतालों को रियायती दरों पर भूमि आबंटित की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि अनेक शिक्षा संस्थाओं और अस्पतालों ने उन निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किया है, जिनके आधार पर उन्हें भूमि आवंटित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अस्पतालों और शिक्षा संस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चूककर्ता शिक्षा संस्थाओं/अस्पतालों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) संशोधित नीति के अनुसार निजी शिक्षण संस्थानों तथा अस्पतालों के लिए भूमि के आवंटन का तरीका बदलकर नीलामी कर दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शैक्षणिक सत्र 2004-05 के लिए शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा भेजी गई सूची के आधार पर 93 दोषी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2005-06 के लिए 178 दोषी विद्यालयों की सूची भेजी थी। शैक्षणिक सत्र 2006-07 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कोई सूची नहीं भेजी गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2005-06 के लिए दोषी विद्यालयों के संबंध में कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया, क्योंकि इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी सी डब्ल्यू पी सं. 3156/02 में विद्यालयों में मुफ्त सीटों के मुद्दे के संबंध में आदेश दिया था जिन दोषी विद्यालयों में मुफ्त सीटें 10% से कम हैं, उन्हें उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा नोटिस दिया जाए। उच्च न्यायालय द्वारा सोशल ज्यूरिस्ट केस 2002 की डब्ल्यू पी सं. 3156 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 25.1.2007 को अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार जिन विद्यालयों की प्रबंध समिति को सरकारी एजेंसियों द्वारा भूमि आवंटित की गई है, वे प्रत्येक कक्षा में कुल सीटों में से कम से कम 20% सीटें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए रखेंगे। इसके अलावा, मुफ्त सीटों के छात्रों को यूनिफार्म तथा पुस्तकों के लिए सरकारी विद्यालयों के छात्रों के बराबर वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इस अधिसूचना को विद्यालयों द्वारा चुनौती दी गई है और यह मामला न्यायाधीन है।

डीडीए ने बताया है कि उन्होंने 54 अस्पतालों को भूमि आवंटित की है। माननीय उच्च न्यायालय ने सी डब्ल्यू पी सं. 2866/2002 में दिनांक 22 मार्च 2007 को दिए गए निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह आदेश भी दिया है कि सरकारी अस्पतालों में विशेष रेफरल केन्द्र खोले जाएं जो गरीब मरीजों को रिट याचिका के अंतर्गत आने वाले नजदीकी निजी अस्पतालों में भेजेंगे। इसके अलावा, दिल्ली सरकार को न्यायालय द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि वे मुफ्त उपचार की शर्त का अनुपालन न करने वाले अस्पतालों की पूर्व प्रभाव से वित्तीय देयता का परिकलन पर जिसे गरीबों के उपचार हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले कोष में डाला जाएगा। डीडीए ने उक्त रिट याचिका के क्षेत्राधिकार में आने वाले अस्पतालों को आवंटन पत्र/लीज विलेख की शर्तों व निबंधनों के अनुसार मुफ्त उपचार उपलब्ध न कराने के मुद्दे पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। भूमि तथा विकास कार्यालय ने अस्पतालों के विरुद्ध लीज समझौते की शर्तों के तहत कार्रवाई शुरू की है, जिसमें 3 अस्पतालों के संबंध में आवंटन रद्द करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय भाषाओं में वेबसाइटें

3574. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी सरकारी वेबसाइटें अंग्रेजी में हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वेबसाइटों को हिन्दी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक शुरू किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों की वेबसाइटें अधिकतर वैज्ञानिक समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और इसलिए उनमें अधिकतर सामग्रियां अंग्रेजी में होती हैं जिनमें आम विषयों से संबंधित जानकारी हिन्दी में उपलब्ध कराई जाती है। इन वेबसाइटों पर हिन्दी में और अधिक सामग्रियां उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई शुरू की गई है।

सासन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना

3575. **श्री रामजीलाल सुमन:**
डा. चिन्ता मोहन:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में सासन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति ने मौजूदा बोलीकर्त्ता पर कतिपय आपत्तियां उठाई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, नहीं। सरकार ने मध्य प्रदेश में ससन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना की समीक्षा के लिए कोई समिति गठित नहीं की है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मकान किराया भत्ते का भुगतान

3576. **श्री संतोष गंगवार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों और जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारियों को कर्मचारी के पति/पत्नी के सरकारी आवास में रहने के बावजूद मकान किराया भत्ते (एचआरए) का भुगतान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय बैंक संघ और भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम के ऐसे कर्मचारी सेवा नियमों के अनुसार दरों पर आवास किराया भत्ते पाने के हकदार हैं।

[अनुवाद]

भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत शहरों का मानचित्रण

3577. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विभिन्न शहरों और नगरों के मानचित्रण की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जी आई एस प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक दोहन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एन यू आई एस) के अंतर्गत 1:2000/10000 पैमानों पर शहरी क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए एक परियोजना शुरू की गई है जो शहरी क्षेत्रों के लिए 2-डी जी आई एस है। प्रथम चरण में 137 शहरों की पहचान की गई है और इस परियोजना को भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी (एन आर एस ए) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। मुख्य (कोर) क्षेत्र का मानचित्रण 1:2000 पैमाने पर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों का मानचित्रण 1:10000 पैमाने पर किया जाएगा। जी आई एस में स्थान के नाम के साथ बन्दोबस्त संबंधी जानकारी, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, भूमि स्वरूप/भूमि उपयोग, परिवहन संबंधी अवसंरचना, जल निकाय, वनस्पतिकरण, मृदा, जलनिकास आदि पर आंकड़ों के साथ जनगणना से संबंधित और अन्य आंकड़े भी शामिल होंगे। जी आई एस द्वारा आरंभिक जानकारी का सृजन करने के पश्चात इन आंकड़ों का उपयोग उद्योग जगत के साथ-साथ सरकार द्वारा वाणिज्यिक प्रयोग हेतु जी आई एस अनुप्रयोगों के सृजन के लिए किया जा सकता है।

आविष्कार का वाणिज्यीकरण

3578. **श्री के.एस. राव:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वाणिज्यकीकरण हेतु कितने आविष्कार दर्ज किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार नए आविष्कारों हेतु वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुसंधान संस्थानों को अधिक धनराशि आबंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिकों के हितों की रक्षा करने और आविष्कारों के वाणिज्यीकरण, उनके उत्पादन और निर्यात

को बढ़ावा देने के लिए एक विधि अधिनियमित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) वाणिज्यीकरण के प्रयोजनार्थ नवोन्मेषों को पंजीकृत करने की कोई प्रणाली नहीं है। तथापि नवोन्मेष पेटेंटों के माध्यम से संरक्षित होते हैं जिनके फलस्वरूप वाणिज्यीकरण हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। वर्ष 2004-2005 के लिए भारतीय पेटेंट कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनेक पेटेंट आवेदन दायर किये गये थे।

	2002-2003	2003-2004	2004-2005
भारतीयों द्वारा दायर	2693	3216	3630
कुल दायर आवेदन	11466	12613	17466

(ख) जी, हां।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का 2007-2008 के दौरान प्रस्तावित बजट 2006-2007 में 3240 करोड़ रुपये की तुलना में 4384 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय व्यय 2000-2001 में 11050 करोड़ से 2002-2003 में 12072 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2004-2005 के लिए अनुमानित व्यय 14443 करोड़ रुपये है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीबीडीटी और सीबीईसी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले

3579. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन विभागों के अधिकारियों पर कड़ी निगरानी रखने और इन विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एपीडीआरपी का पुनर्गठन

3580. **श्री जुएल ओराम:**
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री सुभाष महरिया:
श्री परसुराम माझी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) विद्युत वितरण में सुधार को बढ़ावा देने और पारेषण तथा वितरण हानि कम करने के लिए तैयार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या एपीडीआरपी के अंतर्गत कुल संवितरण आशा से काफी कम है और ज्यादातर संवितरण निवेश घटक प्रकार का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या एपीडीआरपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं 10 महीने से चार वर्ष के भीतर परिणाम देने लगेंगी जिसमें परिणाम प्राप्त होने की औसत अवधि 18 महीनों की होगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह जमीनी हकीकत से दूर है चूंकि अनेक परियोजनाएं पांच वर्ष के पश्चात् भी निर्माणाधीन हैं;

(च) यदि हां, तो क्या एपीडीआरपी में अड़चनों और वांछित परिणाम प्राप्त न कर पाने के मद्देनजर सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एपीडीआरपी का पुनर्गठन करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां, त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम का आरंभ सुधारों को प्रोत्साहित करने और सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी, विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने और उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2002-03 में किया गया था।

(ख) और (ग) सरकार ने 10वीं योजना के दौरान 40,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के परिव्यय को अनुमोदित किया जिसमें से 20000 करोड़ रुपये निवेश घटक (अनुदान+ऋण) के अंतर्गत आवंटन था और 20000 करोड़ (अनुदान) एपीडीआरपी के अंतर्गत प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत आवंटन था। किन्तु, एपीडीआरपी में वित्तपोषण का वास्तविक स्तर वार्षिक आधार पर बजटीय सहायता के माध्यम से है और निधियों की आवश्यकता, उपयोग एवं उपलब्धता पर आधारित है। निवेश घटक के अंतर्गत, 17,033.58 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय वाली 571 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी जिसमें 6445.84 करोड़ रुपये का एपीडीआरपी अनुदान घटक तथा 2274.23 करोड़ रुपये का ऋण घटक शामिल था। शेष राशि राज्यों द्वारा वित्तीय संस्थानों से जुटाई जानी थी। सरकार ने निवेश घटक के अंतर्गत राज्यों को अब तक 6941.01 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत, राज्य 2627.30 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र बने, जिसमें से 1749.03 करोड़ रुपये की राशि नौ राज्यों को जारी कर दी गई है और 878.27 करोड़ रुपये की शेष राशि वित्त मंत्रालय द्वारा पात्र राज्यों को जारी की जानी है।

एपीडीआरपी के अंतर्गत निधियों के न्यून वितरण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-

(1) योजना में मंजूर की गई परियोजनाओं की प्रगति पर आधारित निधियों को प्रगामी रूप से जारी करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना निष्पादन की प्रगति यूटिलिटियों द्वारा ठेके प्रदान करने में विलंब, बढ़ी हुई मांग के कारण उपकरणों की आपूर्ति में विलंब, ठेकेदारों से खराब प्रतिक्रिया; राज्यों द्वारा यूटिलिटियों को निधियों के स्थानांतरण में विलंब; कार्य की अधिक मात्रा जिसे यूटिलिटियां संभालने की स्थिति में नहीं थी; कई यूटिलिटियों द्वारा टर्नकी ठेका प्रणाली न अपनाया जाने की कारण धीमी थी।

(2) एपीडीआरपी के प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत अनुदान हेतु पात्र बनने के लिए नकद हानि कम करने में केवल कुछ ही राज्य सफल हो सके थे।

(3) चूंकि कार्यक्रम सुधारोन्मुख था, राज्यों ने एपीडीआरपी निधि हेतु पात्र बनने के लिए प्रशासनिक, तकनीकी एवं वाणिज्यिक गतिविधियां अपनाने तथा यूटिलिटि एवं टाऊन लेवल बेंचमार्क पैरामीटरों में सुधार हेतु करार ज्ञापन (एमओए) हस्ताक्षरित करना था। बहुत से राज्यों ने एमओए हस्ताक्षरित करने में काफी समय लिया।

(घ) और (ङ) एपीडीआरपी के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की पे बैक अवधि एक वर्ष से कम से लेकर चार वर्षों तक अलग-अलग है। उपरोक्त भाग (ख) और ग) में वर्णित कारणों से कुछ परियोजनाओं को पूरा करने में धीमी प्रगति रही।

(च) और (छ) विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सिफारिशों/सुझावों को ध्यान में रखते हुए, एपीडीआरपी अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित शर्तों एवं निबंधनों के साथ 11वीं योजना के दौरान कार्यक्रम को जारी रखा जाना प्रस्तावित है।

कनिहा विद्युत संयंत्र में आग लगने की दुर्घटना

3581. श्री अनन्त नायक: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनिहा स्थित एनटीपीसी विद्युत संयंत्र में हाल ही में आग लगने की दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके कारण कुल कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) जी, हां। तालचेर, कनिहा स्टेशन की यूनिट-4 (500 मे.वा.) में दिनांक 14.03.2007 को जनरेटर ट्रांसफार्मर में आग लगने की दुर्घटना हुई थी। इसके परिणामस्वरूप हाई वोल्टेज (एचवी) बुश खराब होने के कारण एक (1) 200 मेगा वोल्टर-एम्पियर (एमवीए), 21/420 किलो-वोल्ट (केवी) जेनरेटर ट्रांसफार्मर, इन्टर कनेक्टेड बस-डक्ट, सहायक उपस्कर एवं कंट्रोल पैनल क्षतिग्रस्त हुई। तथापि, ऐसी आकस्मिकताओं की दृष्टि से उपकरणों को उपयुक्त बीमा नीतियों के अंतर्गत पूरी तरह से कवर किया जाता है।

(घ) और (ङ) घटना से पूर्व उपकरण के प्रचालनात्मक तथा कार्यात्मक पैरामीटर सामान्य थे। बहरहाल घटना के बाद, मूल उपकरण विनिर्माता मैसर्स भेल के विशेषज्ञों को समस्या के अध्ययन के लिए शामिल किया गया है। चूंकि, खराबी सामान्य प्रकृति की नहीं है अतएव क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर और अन्य क्षतिग्रस्त उपकरणों के प्रतिस्थापन के पश्चात् दिनांक 19.04.2007 को यूनिट को तुल्यकालिक बनाया गया है।

पद्धति के अनुसार एनटीपीसी लि. खराबी के कारणों का विस्तृत विश्लेषण करता है और ऐसे विश्लेषणों के परिणाम के आधार पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय

3582. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा वैकल्पिक बाजार से जुटाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) अधिक धनराशि जुटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) भारतीय कंपनियों में विदेशी कंपनियों द्वारा अधिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं तैयार की हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) और एडीआर/जीडीआर के जरिए वैश्विक बाजार से जुटाई गई राशि निम्नानुसार है:

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	ईसीबी (निवल)	एडीआर/जीडीआर
2003-04	-2,928	459
2004-05	5,426	613
2005-06	2,963	2,552
2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर)	9,275	1,928

(ख) वर्तमान नीति व्यवस्था के अंतर्गत घरेलू कंपनियों को विदेशी पूंजी बाजारों में वैश्विक निक्षेप प्राप्तियां (जीडीआर), अमरीकी निक्षेप प्राप्तियां (एडीआर), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बान्डों (एफसीसीबी) और विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) जैसे विभिन्न माध्यमों के जरिए उनसे संबंधित दिशा निर्देशों/नीतियों के अनुसार निधियां जुटाने की अनुमति प्रदान की गई है। सरकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण करती है और पूंजी बाजारों और अर्थव्यवस्था की गतिशीलता का संज्ञान लेने के पश्चात नीति का निर्माण करती है। इस प्रकार, भारत से अथवा विदेशों से पूंजी जुटाना कंपनियों का अपना व्यक्तिगत रुचि का विषय है।

(ग) और (घ) वर्तमान नीति के अनुसार कुछ क्षेत्रों/कार्यकलापों को छोड़कर, स्वचालित मार्ग के तहत अधिकांश क्षेत्रों/कार्य-कलापों से 100 प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। इस मार्ग के तहत, एफडीआई के संबंध में न तो भारत सरकार से और न भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता है।

सरकार ने निवेश वातावरण में और सुधार लाने हेतु फरवरी, 2005 में एफडीआई नीति और संबंधित प्रक्रियाओं में यौक्तिकीकरण का महत्वपूर्ण कार्य भी आरंभ किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार और/अथवा विनियामक अभिकरणों से विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन लेने की आवश्यकता, जो कुछ निश्चित क्षेत्रों में मौजूद हैं, से छुटकारा, स्वचालित मार्ग को और अधिक क्षेत्रों में प्रदान करना और नए क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति प्रदान करना शामिल है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों की अर्थक्षमता तथा लाभ

3583. श्री उदय सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वैश्विक माहौल में प्रतिस्पर्धा करने के लिए लागत को नियंत्रित करने के लिए तथा अर्थक्षमता एवं लाभ में सुधार करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या बैंकिंग क्षेत्र का समेकन सकल घरेलू उत्पाद की लक्षित दर को प्राप्त करने में सहायक होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बैंक-खर्च पर नियंत्रण रखने हेतु कोई विशेष निर्देश नहीं दिया है। तथापि, यह बैंक के हित में है कि वे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, ताकि लाभप्रदता बढ़े और उनके तुलन पत्र सुदृढ़ हों। सरकार ने लागत-आय अनुपात सहित विभिन्न निष्पादन पैरामीटरों पर बैंकों द्वारा प्रस्तुत अपने "वार्षिक लक्ष्य संबंधी आशय विवरण" के आधार पर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी हेतु एक व्यवस्था बनाई है।

(ग) और (घ) बैंकिंग क्षेत्र में समेकन से फुटप्रिंट, जनशक्ति और अन्य संसाधनों से बड़े पैमाने पर किफायत होने की आशा की जाती है। जहां बड़ा आकार बैंकों को अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाता है, वहीं छोटे और कमजोर बैंक अपनी कम पूंजी पर्याप्तता अनुपात और अधिक अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) की वजह से प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न करते हैं। दक्षता एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए समेकन एक सामयिक कदम है, जिसके परिणामस्वरूप आय का उत्पादन होगा और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

3584. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये रिक्त पद कब तक भर लिए जाएंगे?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) राजस्थान उच्च न्यायालय में 40 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या में से 33 न्यायाधीश पदासीन हैं और 7 पद भरे जाने के लिए रिक्त हैं।

(ख) से (घ) उच्चतम न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के साथ पठित उनके तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के अनुसार किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रारंभ करने की प्रक्रिया उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को आरंभ करनी होती है।

मुख्य न्यायाधीश ने राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए 4 व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की है, जो विचाराधीन है।

अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण हेतु दिशानिर्देश

3585. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक और केन्द्रीय वित्तीय संस्थान अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण में सरकार के दिशानिर्देशों को कार्यान्वित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ओबीसी श्रेणी के कितने आरक्षित पदों को भरा गया; और

(ग) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) आज की तारीख के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों के 31 पद रिक्त हैं। 31 रिक्त पदों में से 27 पदों को भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

पुनर्वास के लिए क्रेडिट पैकेज

3586. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु एक क्रेडिट पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दुरूपयोग के मामलों की जानकारी मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, नाबार्ड ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों हेतु राहत उपायों से संबंधित मामलों के संबंध में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए समय-समय पर मार्गनिर्देश/अनुदेश जारी किए हैं। स्थायी अनुदेशों के अनुसार, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए समय-समय पर मार्गनिर्देश/अनुदेश जारी किए हैं। स्थायी अनुदेशों के अनुसार, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के अल्पावधि फसल ऋणों को, कुछ औपचारिकताएं पूरी करने और नए ऋण संवितरित करने के अध्यधीन, पुनर्निर्धारित करके मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित कर दें। इसके बदले नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों को बुनियादी स्तर पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा पुनर्निर्धारित किए गए ऋणों के बदले उनके लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है।

(ग) नाबार्ड द्वारा दिए गए पुनर्वित्त के दुरूपयोग का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीयों द्वारा विदेशों में निवेश

3587. श्री रेवती रमन सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह अनुमति दी है कि कोई भी भारतीय निवासी किसी दूसरे देश में एक वर्ष में 50,000 अमरीकी डालर तक निवेश कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यापार क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जहां ऐसे निवेश की अनुमति दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। उदारीकृत प्रेषण स्कीम (एलआरएस) के अंतर्गत निवासी व्यष्टि विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी भी अनुमत चालू या पूंजी खाते के लेनदेनों अथवा इन दोनों के संयोजन में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000 अमरीकी डालर तक का विप्रेषण कर सकते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत, निवासी व्यष्टि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर भारत से बाहर अचल संपत्ति या शेयरों अथवा अन्य प्रकार की परिसम्पत्तियों को अधिगृहीत करने या उनको रखने के लिए स्वतंत्र होंगे।

टिप्पणी: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा दि. 24.4.2007 को घोषित ऋण नीति में इस सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डालर किए जाने का प्रस्ताव है।

पीएमआरवाई के लाभार्थी

3588. श्री के. सुब्बारायण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिए पीएमआरवाई योजना के लाभार्थियों को ऋण के रूप में कितनी धनराशि संवितरित की गई; और

(ख) इसके पुनर्भुगतान की प्रतिशतता कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरित ऋण निम्नानुसार है:

पीएमआरवाई के तहत संवितरित ऋण

(लाख रुपए)

2004-05	2005-06	2006-07*
148329.00	157677.50	79970.20

*30 जून, 2007 तक अनुमत संवितरण

(ख) पीएमआरवाई के तहत वसूली की प्रतिशतता लगभग 35 प्रतिशत पायी गई है।

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

3589. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरों की बेहतरी के लिए शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन (जेएनएनयूआरएम) ने अब तक अच्छे परिणाम नहीं दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की शुरूआत से इसके अंतर्गत सरकार ने वर्ष-वार/राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या इस मिशन को लागू करने में सरकार के समक्ष आ रही समस्याओं के मद्देनजर सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना के दौरान एक विशेष योजना तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) भारत सरकार ने 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया था। इस मिशन का उद्देश्य 63 चुनिंदा नगरों में शहरी अवस्थापना के एकीकृत विकास पर अधिक ध्यान देना है और साथ ही आवास, जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, सड़कों/फ्लाई ओवरों के विकास, स्लम सुधार, सामुदायिक शौचालय, स्नानागार के निर्माण आदि सहित शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के प्रावधान पर बल देना भी है। 2005-06 से शुरू होने वाली 7 वर्ष की मिशन अवधि के दौरान सुधार आधारित केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए 50,000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। उप-मिशन-1-शहरी अवस्थापना तथा शासन के लिए वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के लिए क्रमश: 500 करोड़ रु., 2500 करोड़ रु. और 2805 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अधीन कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, 2006-07 तथा 2007-08 के लिए किए गए राज्य-वार सूचनात्मक आबंटन का ब्यौरा विवरण में संलग्न है। अब तक 205 परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं और 1353 करोड़ रु. की राशि की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है।

परियोजनाओं की मंजूरी सतत प्रक्रिया है और परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा सुधारों की नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है। स्वीकृत परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में हैं। मिशन के परिणाम की समीक्षा मिशन अवधि पूरा होने के बाद ही की जा सकती है। इसलिए अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि मिशन ने अपने उद्देश्य अभी तक हासिल नहीं किए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2006-2007	2007-2008
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	168.78	188.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.73	0.81
3.	असम	16.98	19.02
4.	बिहार	43.37	48.58
5.	छत्तीसगढ़	14.51	16.25
6.	गोवा	2.05	2.30
7.	गुजरात	203.80	228.26
8.	हरियाणा	21.89	24.52
9.	हिमाचल प्रदेश	3.01	3.37
10.	जम्मू-कश्मीर	33.17	37.15
11.	झारखंड	62.86	70.41
12.	कर्नाटक	134.76	150.94
13.	केरल	46.55	52.13
14.	मध्य प्रदेश	95.93	107.44
15.	महाराष्ट्र	495.64	555.12
16.	मणिपुर	5.18	5.81
17.	मेघालय	5.56	6.22
18.	मिजोरम	4.73	5.29
19.	नागालैंड	1.60	1.79
20.	उड़ीसा	16.90	18.93
21.	पंजाब	49.78	55.75
22.	राजस्थान	58.69	65.74
23.	सिक्किम	0.60	0.67
24.	तमिलनाडु	191.24	214.19

1	2	3	4
25.	त्रिपुरा	3.94	4.41
26.	उत्तर प्रदेश	207.79	232.72
27.	उत्तरांचल	20.13	22.55
28.	पश्चिम बंगाल	295.92	331.43
29.	दिल्ली	0.00	299.02
30.	पांडिचेरी	0.00	11.73
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
32.	चंडीगढ़	0.00	18.76
33.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00
34.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00
35.	दमन और दीव	0.00	0.00
	योग	2205.79	2800.00

यमुना क्षेत्र से अवैध निर्माण को हटाया जाना

3590. श्री अधीर चौधरी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शुद्ध जल उपलब्ध कराने एवं दिल्ली को सुन्दर बनाने के लिए यमुना के किनारों वाले क्षेत्र से अवैध निर्माण को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रभावित व्यक्तियों को यमुना किनारे से अन्यत्र वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराये जाने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोनजार्थ कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि जिन मामलों में स्थगन आदेश लिया हुआ है उनके अलावा, नीति के अनुसार और न्यायालय द्वारा सयम-समय पर दिए गए आदेशों के अनुपालन में अतिक्रमण हटाये जाते हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने के लिए इस समय कोई वैकल्पिक स्थल उपलब्ध नहीं है। तथापि, यमुना नदी तट क्षेत्र से पात्र झुग्गी वासियों को पुन: बसाने के लिए भूमि का विकास करने हेतु वर्ष 2007-08 में बजट प्रावधान किया गया है। कार्य को पूरा करने की सही समय-सीमा चूंकि विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है इसलिए इस स्तर पर आकलन नहीं किया जा सकता है।

ब्याज दरों में वृद्धि

3591. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्याज दरों में बारंबार वृद्धि किए जाने से रियल एस्टेट क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) मार्च, 2006 की तुलना में मार्च, 2007 में कितना गृह ऋण संवितरित किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार ब्याज दरों को स्थिर करने के लिए नीति की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा को ऋण में वार्षिक वृद्धि मार्च, 2006 के 94.7% से घटकर दिसम्बर, 2006 में 66.7% हो गई है।

(ख) चुनिंदा बैंकों से उपलब्ध अनंतिम सूचना के आधार पर, 22 दिसम्बर, 2006 तथा 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार बकाया वैयक्तिक आवास ऋण की राशि क्रमश: 2,17,829 करोड़ रुपए तथा 1,84,790 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) 2 लाख रुपए से अधिक की अग्रिम राशियों पर प्रभारित होने वाली ब्याज दर को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अविनियमित कर दिया गया है और बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्वयं ही अपनी ब्याज-दर को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंकों से कहा गया है कि वे निधि लागत, लेन-देन लागत, जोखिम कारक मार्जिन एवं अन्य उपरिव्यय को ध्यान में रखते हुए अपनी आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) को निर्धारित करें। तथापि, बैंक अपनी आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) का संदर्भ दिए बिना तथा आवास ऋण सहित उपभोक्ता ऋण एवं गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वैयक्तिक ऋण के संबंध में ऋण आकार को ध्यान में रखे बिना ब्याज प्रभारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विदेशी वित्तीय संस्थान

3592. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तथा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) जैसे विदेशी वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए र य सरकारों हेतु कोई मानदण्ड/मापदण्ड बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा ऐसे वित्तीय संस्थानों से ऋण की स्वीकृति के लिए लागू की जा रही पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उसकी सहमति के बिना ऐसे विदेशी वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए किसी राज्य सरकार को अनुमति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारत सरकार विकास भागीदारों की मानक शर्तों और निबंधनों के अनुसार विदेशी ऋण सहायता प्राप्त करती है और 31 मार्च, 2005 तक, इसे केन्द्र सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में राज्य सरकारों को जारी किया जाता था। भारत सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि जिन शर्तों पर विदेशी सहायता प्राप्त हुई हो उन्हीं शर्तों पर इसे राज्य सरकारों को उपलब्ध करा दिया जाए। इस व्यवस्था के अंतर्गत सेवा खर्चों और मुद्रा विनिमय के उतार-चढ़ावों के अन्तर को भी राज्यों को अन्तरित किया जाएगा। तदनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को या इसके बाद हस्ताक्षरित नई परियोजनाओं के मामले में विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों को विदेशी सहायता "बैक टू बैक" आधार पर जारी की जाएगी। तथापि, 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार चल रही परियोजनाओं के लिए पूर्ववर्ती व्यवस्था को बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। ऐसी परियोजनाओं को आगे जारी की जाने वाली राशियां एसीए के रूप में मुहैया कराई जाती रहेंगे। भारत सरकार ने दिनांक 9 मई, 2005 को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को प्रस्तुत किए जाने, उनके कार्यान्वयन और मानीटरिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके ब्यौरे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट www.finmin.nic.in पर उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने विकास और संरचना समायोजन प्रयोजनों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु राज्यों की ऋण बहाली का विश्लेषण करने के लिए 24 अक्टूबर, 2005 को संशोधित दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय बिक्री कर का संग्रहण

3593. प्रो. चन्द्र कुमार:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी) के रूप में कितनी धनराशि का संग्रहण किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) केन्द्रीय बिक्री कर केन्द्र द्वारा लगाया जाता है परन्तु संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य, जिसमें कर लगाया जाता है, द्वारा पूर्ण रूप से वसूल और विनियोजित किया जाता है। राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2003-04 में लगभग 12,777 करोड़ रुपए, वर्ष 2004-05 के दौरान 15,301 करोड़ रुपए और वर्ष 2005-06 के दौरान 18,015 करोड़ रुपए के बिक्री कर की वसूली की गई थी।

(ख) केन्द्रीय बिक्री कर संविधान के उपबन्धों के अनुसार जिस राज्य में कर लगाया जाता है, उसी राज्य द्वारा वसूल और विनियोजित किया जाता है। कर प्रतिफल भारत की समेकित निधि में नहीं आते हैं। अत: केन्द्र सरकार का राज्यों को बिक्री कर प्रतिफल आवंटित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी

3594. श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी विद्युत क्षेत्र में विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था एवं वास्तव में कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा कम दिलचस्पी दिखाए जाने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) सी.ई.ए. में उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान निजी क्षेत्र का वास्तविक उत्पादन लक्ष्य का 9.39% रहा है। 10वीं योजना अवधि में वर्ष-वार लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार है:-

वर्ष	लक्ष्य (एम.यू.)	वास्तविक (एम.यू.)
2002-03	43938	44800
2003-04	55229	48221
2004-05	53285	49569
2005-06	58046	53393
2006-07	61661	57888

आगामी वर्ष के लिए विद्युत उत्पादन का लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2007-08 के लिए देश में निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के अंतरिम लक्ष्यों को निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

श्रेणी	उत्पादन लक्ष्य (एम.यू.)
ताप	53070
जल	5360
कुल	58430

(ग) नाप्था तथा एचएसडी से चलाए जा रहे केन्द्रों के लिए गैस का अभाव तथा तरल ईंधन की उच्च दर निजी क्षेत्र परियोजनाओं के संबंध में अल्प उत्पादन का मुख्य कारण रहा है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति

3595. श्री पन्नियन रवीन्द्रन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सेवारत कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दी गई;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 7736 कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हुई जिनमें से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मृतक कर्मचारियों के 2038 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 2005 और 2006 के दौरान सेवाकाल के दौरान मरने वाले बैंक कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर रोक लगा दी है क्योंकि भारतीय बैंक संघ ने वर्ष 2004 में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बदले अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को आदर्श योजना (माडल स्कीम) परिचालित की थी। इस योजना को सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा अपनाया जा चुका है। इसलिए, अब सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा रही है।

गुजरात की क्षतिग्रस्त बुनियादी संरचना

3596. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात में वर्ष 2005 में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई बुनियादी संरचना को पुन: बनाने के संबंध में अन्तर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। अप्रैल, 2007 के दौरान गुजरात में 2005 में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई अवसंरचना को पुन: बनाने के संबंध में गृह मंत्रालय को अन्त:-मंत्रालयी समिति (आई.एम.सी.) की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। आई.एम.सी. द्वारा आकलित निधियों की आवश्यकता का क्षेत्रवार विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	आई.एम.सी. का आकलन
स्वास्थ्य	41.38 करोड़ रुपए
शहरी अवसंरचना	149.01 करोड़ रुपए
जल संसाधन/आपूर्ति/सिंचाई	43.75 करोड़ रुपए
विद्युत/ऊर्जा	577.76 करोड़ रुपए
सड़क एवं भवन	446.00 करोड़ रुपए
आवासन	50.00 करोड़ रुपए
कुल	1307.90 करोड़ रुपए

(ग) यह मामला पुन: अन्त:-मंत्रालयी समिति को संदर्भित कर दिया गया है जिसने क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण हेतु समय-सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना मांगी है। स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने पर, आई.एम.सी. द्वारा किए गए आकलन के आधार पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राय लेने के बाद मंत्रिमण्डल के अनुमोदन हेतु इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अधूरे निर्माण कार्य

3597. **श्री पी. मोहन:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना अवधि के दौरान देश में विशेषकर राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों के खण्डों का निर्माण पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान में जोधास, कीरों की ढाणी, टोडी, खेड़ा मुडियावास के रास्ते थानागाजी से मैजोर-खण्ड का निर्माण कार्य अभी अधूरा है तथा निर्माणाधीन है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त कार्य को पूरा करने में हुए विलम्ब से लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(च) उक्त खण्ड को और बिना विलम्ब के पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) वर्ष 2000-01 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरूआत से 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 220956.31 कि.मी. लम्बाई की सड़कों के 44661.96 करोड़ रु. की लागत के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनके लिए 22527.65 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं। इनमें से 210225.97 करोड़ रु. की राशि उपयोग कर ली गई है और 120577.24 कि.मी. लम्बाई के सड़क कार्य पूरे कर लिए गए हैं। राजस्थान, जम्मू तथा कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में मंजूर किए गए तथा पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। निर्माण में विलम्ब का मुख्य कारण पर्याप्त मात्रा में सांस्थानिक एवं संविदात्मक क्षमता का न होना, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां होना, भूमि की उपलब्धता तथा नियामक स्वीकृतियां प्राप्त करने संबंधी समस्याएं होना है।

(ग) जोधाज, कीरों की धानी, टोडी, खेड़ा, मुंडियावास के रास्ते थानागाजी से मैजोर तक के खण्डों का निर्माण कार्य, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया गया है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इन सड़कों पर निर्माण कार्य पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया गया है।

विवरण

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य	मार्च, 2007 तक स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	मार्च, 2007 तक स्वीकृत सड़क कार्यों की लम्बाई (कि.मी. में)	पूरे किए गए सड़क कार्यों की संख्या संख्या (मार्च, 07 तक)	पूरे किए गए सड़क कार्यों की लम्बाई (मार्च, 07 तक) (कि.मी. में)
1	2	3	4	5	6
1.	राजस्थान	8865	30877.01	5893	20559.57
2.	जम्मू-कश्मीर	420	2178.15	63	138.12

1	2	3	4	5	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	519	2285.38	350	1347.19
4.	असम	1923	7239.27	862	2828.16
5.	मणिपुर	849	1266.84	528	876.90
6.	मेघालय	373	917.02	298	700.26
7.	मिजोरम	114	1526.83	68	1114.73
8.	नागालैंड	208	1996.67	174	1583.37
9.	सिक्किम	182	1912.48	89	1690.90
10.	त्रिपुरा	354	935.36	241	612.68
	कुल	13807	51135.01	8566	31451.88

सरकार द्वारा प्रायोजित लघु बचत जमा योजनाएं

3598. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम ब्याज दर एवं अभिकर्ताओं को कम कमीशन मिलने के कारण लघु बचत जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा धनराशि में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु बचतों से और अधिक जमा धनराशि जुटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) पिछले ग्यारह महीनों अर्थात् अप्रैल, 2006 से फरवरी, 2007 के दौरान डाकघरों तथा बैंकों में निवल संग्रहण 156,756 करोड़ रुपए रहा है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 1,79,263 करोड़ रुपए था। इसी अवधि के दौरान निवल संग्रहण (वापसी अदायगियों को घटाकर सकल संग्रहण) पिछले वर्ष के 74002 करोड़ रुपए की तुलना में 45191 करोड़ रुपए था। संग्रहणों में कमी का कारण अन्य बातों के साथ-साथ निवेशकों द्वारा वैकल्पिक उपायों को तरजीह देना है।

(ग) भारत सरकार द्वारा प्रशासित विभिन्न मियादी तथा ब्याज दर की लघु बचत योजनाएं इन बचत योजनाओं में निवेश करने वाले सभी लोगों को सुरक्षित तथा आकर्षक निवेश का विकल्प प्रदान करने के लिए तैयार की गयी है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें समय-समय पर प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से तथा संगोष्ठियां और बैठकें आयोजित कर तथा इन योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियां जुटाने में लगी विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान कर लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन तथा लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न उपाय करती हैं। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत संस्थान ने एक वेबसाइट भी प्रारंभ की है ताकि लघु बचतों से संबंधित सूचना के व्यापक प्रसार के जरिए आम लोगों से पारस्परिक विचार-विमर्श करना और आन-लाइन पंजीकरण तथा निवेशकों के परिवादों का निपटान करना सुगम हो सके। वैबसाइट का पता है nsiindia.gov.in है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी बैंकों की शाखाएं खोला जाना

3599. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए विदेशी बैंकों को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी बैंकों को छोटे एवं मझौले किसानों के लिए कृषि ऋण हेतु धनराशि निर्धारित करने का भी निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विदेशी बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण/सहायता

3600. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत उड़ीसा में विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कितने व्यक्तियों ने ऋण/सहायता के लिए आवेदन किया;

(ख) उनमें से बैंकों से कितने व्यक्तियों को ऋण/सहायता प्राप्त हुआ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उन्हें कितना ऋण/सहायता मिली?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या, संवितरित ऋण और संवितरित ऋण राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

कार्यक्रम वर्ष	प्राप्त आवेदन	संवितरण	
		संख्या	राशि (लाख रुपए)
2004-05	27953	11333	6813.34
2005-06	26357	12796	7975.44
2006-07*	23078	3024	1803.88

*संवितरण 30 जून, 2007 तक अनुमत।

किसान क्रेडिट कार्ड

3601. श्री खाडिगा रामकृष्णा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए किसानों को दी गई बीमा का ब्यौरा क्या है तथा किसान को कितना प्रीमियम देना होता है;

(ग) किसानों को क्रेडिट सीमा निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के किसानों के मामले में ऋणों का कोई परिवर्तन या समय सीमा पुन: निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आंध्र प्रदेश में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी कर रहे हैं।

(ख) किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अनुसार, सभी किसान क्रेडिट कार्डधारकों को मास्टर पालिसी के तहत दुर्घटनावश/अस्थायी अशक्तता के संबंध में एक वर्ष की पालिसी के लिए 15 रुपए और 3 वर्ष की पालिसी के लिए 45 रुपए के नाममात्र के प्रीमियम पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध है। उपर्युक्त प्रीमियम राशि का दो तिहाई वित्तपोषण बैंक को और एक तिहाई किसान क्रेडिट कार्डधारक कोवहन करना होता है।

(ग) किसानों को ऋण सीमा किसान क्रेडिट कार्डधारक की परिचालनात्मक जोन, उसके द्वारा अपनाई गई फसल पद्धति और विभिन्न फसलों की खेती के लिए जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित वित्त की मात्रा के आधार पर निर्धारित की जाती है जो क्षेत्र में अपनाई गई कृषि प्रथाओं और किसान की वापसी अदायगी की क्षमता पर आधारित होती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। 18 जून, 2004 को किसानों के लिए घोषित भारत सरकार के वित्तीय पैकेज, जिसमें तीन वर्ष में कृषि ऋण के प्रवाह को दुगुना किया जाना है, के तहत बैंकों से कहा गया था कि वे "व्यथित किसानों" एवं "ऋणग्रस्त किसानों" के ऋणों को 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार बकाया ब्याज सहित 3-5 वर्षों की अवधि के लिए पुनर्निर्धारित करें। इसके अतिरिक्त, सरकार ने आंध्र प्रदेश के 16 ऋण ग्रस्त जिलों के लिए हाल ही में एक राहत पैकेज की घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अतिदेय ब्याज को माफ करने एवं ऋण के पुनर्निर्धारण

की व्यवस्था है। इसमें यह व्यवस्था भी है कि 1.7.2006 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋणों के संपूर्ण ब्याज को माफ कर दिया जाएगा जिससे कि सभी किसानों के पास उस तारीख तक कोई पूर्व ब्याज भार नहीं होगा। इससे वे तुरंत ही बैंकिंग प्रणाली से नए ऋण लेने के पात्र हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 1.7.2006 की स्थिति के अनुसार किसानों के अतिदेय ऋणों को एक वर्ष के अधिस्थगन के साथ 3-5 वर्षों की अवधि में पुनर्निर्धारित कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

महिला अदालतें

3602. श्री रामदास आठवले: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिलाओं पर उत्पीड़न के मामलों के निपटान के लिए अब तक राज्य-वार कितनी महिला अदालतों का गठन किया गया;

(ख) क्या कुछ राज्यों में और अधिक महिला अदालतें गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारें किसी मामले या वर्ग के मामलों के विचारण के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है। तथापि, त्वरित निपटान न्यायालयों के नाम से ज्ञात अतिरिक्त न्यायालयों के एक सेट को, लंबे समय से लंबित मामलों, जिनके अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामले भी हैं, का पूर्विकता से शीघ्र निपटान करने के लिए गठित किया गया है।

वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण

3603. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का अम्बेडकर आवास योजना (ए.ए.वाई.) के अंतर्गत मकानों के निर्माण के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) दिनांक 3.12.2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किए जाने के बाद वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) स्कीम को समेकित विकास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) में मिला दिया गया है।

[अनुवाद]

भूकम्प प्रवण क्षेत्र

3604. श्री पी.सी. थामस: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूकम्प प्रवण क्षेत्रों का आकलन करने के लिए भिन्न-भिन्न जोनों के निर्धारण हेतु क्या मानदण्ड हैं; और

(ख) केरल तथा तमिलनाडु की सीमा के नजदीक मुल्लापेरियार बांध वाले क्षेत्र किस जोन के अंतर्गत आते हैं?

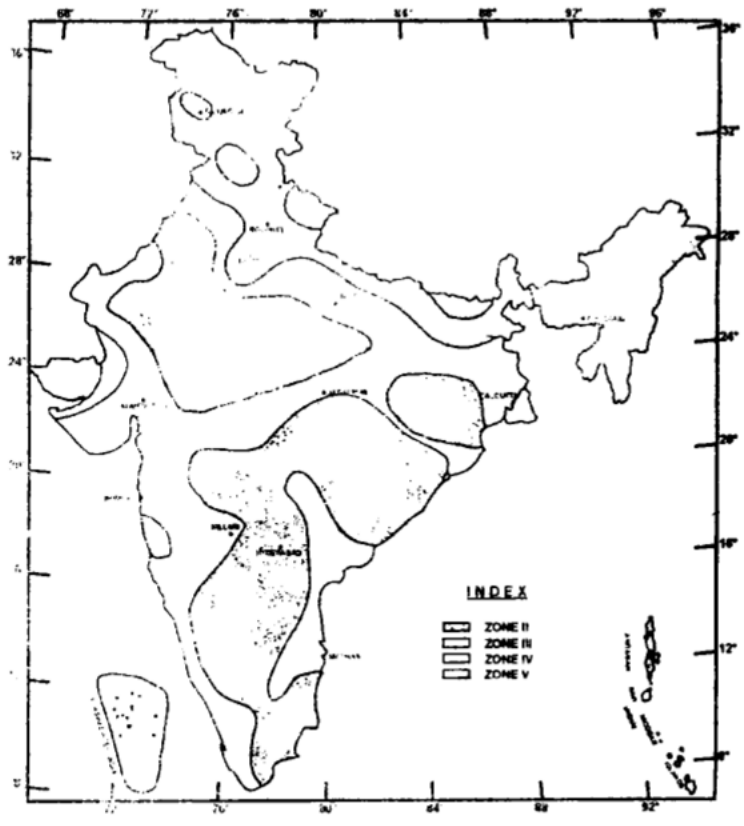
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) भारतीय मानक ब्यूरो [आईएस-1893 (भाग-1) : 2002], ने कई एजेंसियों से प्राप्त पिछले भूकंपों के इतिहास, विवर्तनिक विशेषताएं, अश्मविज्ञान आदि जैसे विभिन्न वैज्ञानिक इनपुट के आधार पर देश को चार भूकम्पीय मंडलों में वर्गीकृत किया है अर्थात मंडल-II, III, IV और V (विवरण-I) इनमें से मंडल V भूकम्पीय दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है, जबकि मंडल II सबसे कम सक्रिय है। भूकम्प से पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले प्रभाव को मापने के लिए संशोधित मर्केल्ली (एमएम) तीव्रता (विवरण-II), मुख्यत: विभिन्न मंडलों से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

भूकम्पीय मंडल	एमएम पैमाने पर तीव्रता
II (कम तीव्रता वाला मंडल)	VI (या कम)
III (मामूली तीव्रता वाला मंडल)	VII
IV (अधिक तीव्रता वाला मंडल)	VIII
V (बहुत अधिक तीव्रता वाला मंडल)	IX (और अधिक)

(ख) केरल और तमिलनाडु की सीमा के निकट मुल्लापेरियार बांध के आस-पास वाले क्षेत्र भूकंपीय मंडल III के अंतर्गत आते हैं।

विवरण I

Seismic Zoning Map of India



Zone	Area (%)
V	12
IV	18
III	27
II	43

विवरण II

संशोधित मरकेल्ली तीव्रता पैमाना (संक्षिप्त)

तीव्रता का स्तर	भूकंप के प्रभावों का विवरण
(1)	विशेष रूप से बनी परिस्थितियों में हल्के झटके महसूस करने के अलावा कोई झटके महसूस नहीं किए गए।
(2)	खासतौर से भवन के ऊपरी तलों पर स्थिर बैठे कुछ व्यक्तियों को भूकंप के झटके महसूस हुए और लटकी हुई वस्तुएं झूलती हुई नजर आईं।
(3)	भवन के अंदर विशेष रूप से ऊपरी तलों पर स्पष्ट रूप से झटके महसूस किए गए परन्तु कुछ व्यक्ति यह नहीं समझ पाए कि यह भूकंप था, इसमें खड़ी हुई मोटर कारें थोड़ा हिल सकती हैं तथा किसी ट्रक के पास से गुजरने जैसा कंपन महसूस किया जा सकता है।
(4)	दिन में कई व्यक्तियों ने इमारत के अंदर, कुछेक ने इमारत के बाहर झटके महसूस किए, रात में कुछ लोग जाग गए; बर्तन, खिड़कियां, दरवाजे बजने लगे; दीवारों में दरारें पड़ने की आवाज हुई; भवन में किसी भारी ट्रक के भीड़ने जैसी सनसनी; तथा खड़ी हुई मोटर कारें जोर-जोर से हिलती नजर आईं।
(5)	लगभग सभी ने महसूस किया; गई जाग गए; कुछ बर्तन; खिड़कियां आदि टूटीं; कहीं-कहीं पलस्तर में दरारें पड़ गईं; अस्थिर वस्तुएं उलट गईं; कहीं-कहीं वृक्षों, खम्भों तथा अन्य लम्बी वस्तुओं में विक्षोभ पैदा हुए, पेन्डुलम वाली घड़ियां रूक गईं।
(6)	सभी ने महसूस किया; कई डर गए तथा इमारतों से बाहर भागे; कुछ भारी फर्नीचर हिल गए; कुछेक जगह पलस्तर गिर गया तथा चिमनियां टूट गईं; और मामूली क्षति हुई।
(7)	हर कोई घर से बाहर भागा; अच्छे डिजाइन व अच्छे निर्माण वाली इमारतों में मामूली क्षति; सुनिर्मित, साधारण

ढांचों में हल्के से माध्यम तथा घटिया ढंग से निर्मित एवं गलत डिजाइन वाले ढांचों में काफी क्षति हुई; तथा कुछ चिमनियां टूट गईं; मोटर कार चलाने वाले व्यक्तियों ने इसे देखा।

(8) विशेष रूप से डिजाइन किए गए ढांचों में हल्की, साधारण में व्यापक क्षति हुई परन्ती काफी इमारतें आंशिक रूप से ढह गईं; घटिया ढंग से तैयार ढांचों में भारी नुकसान हुआ; दरवाजों की चौखट से लगी दीवार की पट्टियां बाहर आई गईं; चिमनी, फेक्टरी चिमनी, कालम, स्मारक तथा दीवार गिरने लगी; भारी फर्नीचर उलट गया, कुछ मात्रा में रेत और कीचड़ बाहर आ गया; कुएं के पानी में बदलाव आ गया; मोटर कार चलाने वाले व्यक्तियों को परेशानी होने लगी।

(9) विशेष रूप से तैयार किए गए ढांचों को क्षति पहुंची; उचित डिजाइन से तैयार किए हुए ढांचे गहराई से बाहर आने लगे; बड़ी-इमारतों के आंशिक रूप से ढह जाने से भारी क्षति हुई; इमारतें नींवों से हट गईं; धरती में दरारें पड़ गईं; और भूमिगत पाइपें फट गईं।

(10) लकड़ी के कुछ सुनिर्मित ढांचे टूट गए; नींव के साथ हुए चिनाई के काम का तैयार ढांचे नष्ट हो गए; धरती में बुरी तरह दरारें पड़ गईं; जंगले मुड़ गए; नदी के किनारों तथा गहरे ढलान वाले क्षेत्रों में काफी भू-स्खलन हुआ; रेत और कीचड़ इधर-उधर फैल गए तथा पानी किनारों पर फैल गया।

(11) चिनाई से बने ढांचों में से शायद ही कोई ढांचा सीधा रहा हो; पुल नष्ट हो गए; धरती फट गई; भूमिगत पाइपलाइनें बिल्कुल बेकार हो गईं; मिट्टी धंस गई; नरम भूमि में भू-स्खलन हो गया; जंगले बुरी तरह से मुड़ गए।

(12) पूर्णतया हानि हुई; धरती की सतह पर लहरें नजर आईं, मार्ग दर्शाने वाली लाईनें तथा स्तर नष्ट हो गए तथा वस्तुएं ऊपर हवा में उड़ने लगीं।

प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार

3605. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) भारत के ऐसे नागरिकों को, जो भारत से बाहर उनके नियोजन, शिक्षा के कारण या अन्यथा भारत में उनके सामान्य निवास के स्थान से अनुपस्थित हैं, निर्वाचक नामावलियों में उनके नाम सम्मिलित कराने में और मतदान के समय जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में हों मतदान करने में समर्थ बनाने के विचार से सरकार ने 27 फरवरी, 2006 को राज्य सभा में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2006 पुर:स्थापित किया था। उक्त विधेयक को परीक्षा करने तथा रिपोर्ट दिए जाने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट दिया गया था। समिति ने लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2006 पर राज्य सभा को अपनी 16वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा उसे 4 अगस्त, 2006 को लोक सभा के पटल पर रखा। सरकार ने अभी तक समिति की सिफारिशों पर कोई विनिश्चय नहीं किया है।

विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना

3606. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केंद्र द्वारा वित्तपोषित विद्युत परियोजनाओं के खराब निष्पादन की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप अधिक समय तथा लागत में वृद्धि होती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं की परियोजना लागत के संशोधित अनुमान सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे विलंब के कारणों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए परियोजना क्रियान्वयन की योजना बनाने एवं निगरानी हेतु कृतक बल का गठन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र की कुछ निर्माणाधीन परियोजनाओं ने समय एवं लागत में अधिक वृद्धि होने की सूचना दी है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) परियोजना कार्यान्वयन में होने वाले विलंब, जिसके कारण समय एवं लागत में वृद्धि हुई, के मुख्य कारण नीचे बताए गए हैं-

(1) ठेका सौंपने में विलंब

(2) आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा सामान आपूर्ति/ठेकेदार द्वारा निर्माण में विलंब

(3) निवेश निर्णयों में विलंब

(4) ठेका संबंधी समस्याएं

(5) भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्या

(6) भू-वैज्ञानिक जोखिम

(7) प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आदि

(ङ) और (च) विद्युत मंत्रालय में समय एवं लागत आधिक्य संबंधी स्थाई समिति संशोधित लागत अनुमान पर आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन की आवश्यकता वाले सभी केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना की जांच करती है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब को रोकने के लिए एक कारगर मानीटरिंग तंत्र तैयार किया गया है। सी.ई.ए. ने प्रत्येक परियोजना के लिए इसके कार्यान्वयन के दौरान एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	समय आधिक्य महीना-वर्ष	लागत आधिक्य करोड़ रु. में
	हाइड्रो		
1.	तीस्ता V एचईपी, 3×170 मेगावाट, एनएचपीसी, सिक्किम	1 वर्ष	232.46
2.	सेवा II एचईपी, 120 मेगावाट, एनएचपीसी, जे एंड के	2 वर्ष 3 महीने	105.24
3.	तीस्ता लो डैम III एचईपी 132 मेगावाट एनएचपीसी, वेस्ट बंगाल	1 वर्ष 9 महीने	76.54
4.	पार्वती II एचईपी 800 मेगावाट, एनएचपीसी, एच.पी.	1 वर्ष 10 महीने	300.35
5.	सुबान्सिरी लोअर एचईपी 2000 मेगावाट, एनएचपीसी, अरुणाचल प्रदेश	1 वर्ष 6 महीने	(-) 491.88
6.	कोटेश्वर एचईपी 400 मेगावाट, टीएचडीसी, उत्तरांचल	4 वर्ष 11 महीने	211.65
7.	तुरियल एचईपी, 60 मेगावाट, नीपको, मिजोरम	3 वर्ष	318.23
	थर्मल		
1.	कहलगांव एसपीटीएस स्टेज II, फेस I, यूनिट 6, 500 मेगावाट एनटीपीसी	3 महीने	शून्य
2.	कहलगांव एसपीटीएस स्टेज II, फेस 2, यूनिट 7, 500 मेगावाट एनटीपीसी	6 महीने	शून्य
3.	मेजिया टीपीएस एक्स. यूनिट 6, 250 मेगावाट, डीवीसी	6 महीने	शून्य
4.	चंद्रपुरा टीपीएस यूनिट 7 एंड 8, 500 मेगावाट, डीवीसी	यू-7-10 महीने यू-8-9 महीने	शून्य

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

3607. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आगामी वर्षों में कृषि ऋणों के प्रवाह में वृद्धि हेतु किसानों के लिए किसी राहत योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों से बकाया ऋणों की वसूली के पुनर्निर्धारण के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) कृषि ऋण के प्रवाह को दोगुना करने के लिए दिनांक 18.6.2004 को सरकार द्वारा घोषित कृषि ऋण पैकेज में, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिस्थगन अवधि के साथ ऋणों की अवधि का पुनर्निर्धारण करके किसानों को ऋण राहत देना और छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए "एकबारगी निपटान योजना" शामिल है। ऋण राहत का लाभ उठाने वाले किसान बैंकों से नए ऋण के लिए पात्र थे।

हाल ही में, चार राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र (06), आंध्र प्रदेश (16), कर्नाटक (06) तथा केरल (03) के 31 ऋण ग्रस्त जिलों में, सरकार द्वारा किसानों के लिए ऋण पर समस्त ब्याज को इस प्रकार माफ करने की व्यवस्था है कि सभी किसानों पर उस तारीख के अनुसार कोई पुराना ब्याज भार नहीं होगा। इसमें 1.7.2006 की स्थिति के अनुसार किसानों के अतिदेय ऋणों की अवधि के लिए एक वर्ष अधिस्थगन के साथ 3-5 वर्ष की अवधि में पुनर्निर्धारित करने की व्यवस्था भी है। इन सुविधाओं से किसान बैंकिंग प्रणाली से नए ऋण प्राप्त करने हेतु तत्काल पात्र हो जाएंगे।

बैंकों का विलय

3608. **श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों का विलय किया है/विलय करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उनके विलय के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या विलय से अनेक कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय से सरकार को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी समिति (नरसिम्हम समिति) ने व्यापक वित्तीय क्षेत्र सुधारों के भाग के रूप में बैंकिंग क्षेत्र में समेकन की सिफारिश की थी। सरकार का मत है कि सरकारी क्षेत्र के किसी एक बैंक के सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य बैंक के साथ विलय आदि के रूप समेकन का कोई प्रस्ताव संबंधित बैंकों की ओर से आना चाहिए, जिसमें सरकार सामान्य शेयरधारक के रूप में सहायक की भूमिका निभाती है। विलय के किसी प्रस्ताव का समर्थन करते समय, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विलय होने वाले बैंकों के पणधारकों और कर्मचारियों के हितों की समुचित सुरक्षा की जाए। तथापि, अब तक सरकार को सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) बैंकिंग क्षेत्र में समेकन से फुटप्रिंट, जनशक्ति और अन्य संसाधनों में बड़े पैमाने पर किफायत होने की आशा की जाती है। जहां बड़ा आकार बैंकों को अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय से उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाता है, वहीं छोटे और कमजोर बैंक अपनी कम पूंजी पर्याप्तता अनुपात और अधिक अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) की वजह से प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न करते हैं। दक्षता में वृद्धि करने के लिए समेकन एक सामयिक कदम है, जिसके परिणामस्वरूप आय का उत्पादन होगा और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

नई आवास नीति

3609. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, सरकारी निजी भागीदारी की अभिकल्पना वाली नई आवास नीति पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) सरकार एक राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति 2007 शुरू करने पर विचार कर रही है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निजी सरकारी एवं सहकारी क्षेत्रों में भागीदारी को मजबूत बनाने की व्यवस्था होगी ताकि आवास और शहरी अवस्थापना के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने की क्षमता को बढ़ाया जा सके।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

महानगरों में आवास सुविधाएं

3610. **श्री आलोक कुमार मेहता:**
डा. के. धनराजू:
श्री के.एस. राव:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कभी महानगरों में रहने वाले ऐसे लोगों की संख्या का आकलन किया है जिनके स्वयं के आवास नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त सर्वेक्षण कब किया गया था; और

(ग) ऐसे लोगो को समय-सीमा के अंदर आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या विशिष्ट प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ख) महानगरों में अपने मकानों में रहने वाले लोगों की संख्या जानने के लिए भारत सरकार ने कोई सर्वे नहीं किया है। तथापि, भारत की जनगणना, 2001 के आधार पर भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा संलग्न विवरण अनुसार बेघर जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है।

(ग) सरकार राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 को तैयार करने की प्रक्रिया में लगी है जो अन्य बातों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में आवासों की कमी को घटाने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगी ताकि सभी के लिए किफायती आवास सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेघर आबादी-2001

शहर	बेघर आबादी
1	2
ग्रेटर मुंबई	39074
दिल्ली	21895
कोलकाता	67676
चेन्नई	27329
बंगलौर	12104
हैदराबाद	13638
अहमदाबाद	7787
कानपुर	26305
पुणे	2565
सूरत	22307
लखनऊ	7469
नागपुर	2225
जयपुर	8529
इंदौर	4885
भोपाल	5895
लुधियाना	4590
पटना	5624
वडोदरा	7638
आगरा	1942
थाणे	2610
कल्याण-डोमबिवली	2751
वाराणसी	1711
नासिक	2995
मेरठ	3427
फरीदाबाद	1446
पिंपरी चिंचवाड़	548
हावड़ा	2443

स्रोत: भारत के रजिस्ट्रार जनरल

[अनुवाद]

उच्च-न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

3611. **श्री शैलेन्द्र कुमार:**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विचार-विमर्श किए गए विभिन्न मुद्दों और उन पर लिए गए विनिश्चयों को दर्शित करने वाले सम्मेलन के कार्यवृत्त का विवरण संलग्न है। केवल एक को छोड़कर, विनिश्चयों के कार्यान्वयन संबंधी कार्रवाई राज्य सरकारों और विभिन्न उच्च न्यायालयों को करनी है। भारत सरकार से संबंधित संकल्प पर कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

विवरण

न्याय प्रशासन की द्रुत गति
विषय पर
राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों का सम्मेलन
(8 अप्रैल, 2007)

कार्यवृत्त

मद सं. 1. 11 मार्च, 2006 को हुए मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के पूर्व सम्मेलन में पारित संकल्पों का कार्यान्वयन।

न्याय विभाग द्वारा दिए गए कार्रवाई संबंधी उत्तर का अवलोकन किया गया था।

मद सं. 2. अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना

मद सं. 7. न्यायालयों का आधुनिकीकरण

कुछ मुख्य न्यायमूर्तियों ने अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ध्यान अपर्याप्त अवसंरचना, जैसे कि जीर्ण-शीर्ण न्यायालय भवनों, आवश्यक सुख-सुविधाओं का अभाव और बार-बार बिजली का जाना, विशेषकर तालुका स्तर पर, की ओर आकर्षित किया। सभी राज्यों ने पुराने और जीर्ण-शीर्ण न्यायालय भवनों के स्थान पर मानकीकृत आधुनिक न्यायालय भवनों को बनाने, विद्यमान न्यायालय भवनों में और अधिक न्यायालय कक्ष जोड़ने तथा और अधिक न्यायालय परिसरों और न्यायिक अधिकारियों के आवासीय क्वार्टरों का संनिर्माण करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। कुछ मुख्यमंत्री अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना को उन्नत करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें पर्याप्त निधियों का आबंटन चाहते थे। संघ के माननीय विधि और न्याय मंत्री ने यह जानकारी दी कि भारत सरकार एक दस वर्षीय भावी योजना के अंतर्गत न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों के आवासों के संनिर्माण के लिए राज्यों को पूर्ण सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

विनिश्चय

(क) राज्य, उन्हें उपलब्ध संसाधनों के अनुसार, जीर्ण-शीर्ण भवनों के स्थान पर नए भवनों को बनाकर, विद्यमान न्यायालय परिसरों को उन्नत करके और नए न्यायालय परिसरों और न्यायिक अधिकारियों के लिए नए आवासीय क्वार्टरों का संनिर्माण करके अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना को उन्नत करने तथा उसका संवर्धन करने के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा यथा अपेक्षित पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएंगे।

(ख) न्यायालयों के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण के लिए तथा विशेषकर अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर, वीडियो कांफ्रेंसिंग, इंटरनेट का उपयोग, ई-मेल आधारित संसूचना, सूचना का इलैक्ट्रानिक रूप से प्रसार तथा अंकीय हस्ताक्षरों के प्रयोग सहित विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग में, वृद्धि करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं।

मद सं. 3. न्यायाधीशों की पदसंख्या में वृद्धि और बकाया मामलों में कमी।

मद सं. 6. त्वरित निपटान न्यायालय

सभी न्यायमूर्तियों ने, अपने-अपने राज्यों में अपर्याप्त न्यायाधीश मामला अनुपात का प्रमुख रूप से उल्लेख किया और अधीनस्थ न्यायाधीशों की विद्यमान स्वीकृत पद संख्या में कम से कम 25% वृद्धि करने की वांछा की। सम्मेलन में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति ने इस बात के संबंध में विवाद नहीं किया कि न्यायालयों में लंबित मामलों की इतनी बड़ी संख्या कब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक कि उच्च न्यायालयों और साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश पद संख्या को समुचित रूप से बढ़ाया न जाए। राज्यों ने अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की अत्यधिक कमी की बात को और उनकी संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने की आवश्यकता को स्वीकार किया, जिससे कि उन्हें बकाया मामलों में कमी करने और हमारी जनता को एक दक्ष, त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदाय प्रणाली उपलब्ध कराने में समर्थ बनाया जा सके। राज्यों ने भी अधीनस्थ न्यायालयों और साथ ही उच्च न्यायालयों में शीघ्रातिशीघ्र विद्यमान रिक्तियों को भरे जाने की आवश्यकता पर बल दिया और यह महसूस किया कि यदि सभी विद्यमान रिक्तियों को अत्यावश्यकता के आधार पर भर दिया जाता है तो बकाया मामलों में सारवान कमी हो सकती है।

कुछ मुख्य न्यायमूर्तियों ने यह उल्लेख किया कि उच्च न्यायालयों और साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों, दोनों में सिविल मामले भी काफी बड़ी संख्या में लंबित थे और इनमें से अनेक मामले काफी पुराने थे।

विनिश्चय

बकाया मामलों की संख्या को कम करने के लिए तुरंत उपाय किए जाएं और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश पद संख्या में उचित रूप से वृद्धि करने, सभी स्तरों पर विद्यमान रिक्तियों को अत्यावश्यकता के आधार पर भरने और भविष्य में समय पर रिक्तियां भरे जाने सहित पर्याप्त उपाय करके जनता को एक शीघ्र और दक्ष न्याय प्रदाय प्रणाली उपलब्ध कराई जाए।

मद सं. 4. अधीनस्थ न्यायालयों में पाली प्रणाली प्रारंभ करना

गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने यह सूचित किया कि राज्य में सायंकालीन न्यायालयों की प्रणाली काफी सफल साबित हुई है, इन न्यायालयों द्वारा पांच मास से भी कम समय में 62,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया था और विभिन्न वर्गों में ऐसे न्यायालयों के गठन के लिए मांग बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने यह सूचित किया कि उनके राज्य में ऐसे न्यायालय प्रात: काल में चलाए जा रहे थे और वे छोटे-मोटे अपराध वाले मामलों के निपटान में काफी सफल हो रहे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने यह सूचित किया कि वे सायंकालीन न्यायालय आरंभ करने की संभावना पर विचार कर रहे थे और उन्होंने इस संबंध में बार से चर्चा की थी और उन्हें सकारात्मक परिणाम की प्रत्याशा थी। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने सायंकाल में पाली न्यायालयों का सुझाव दिया क्योंकि सायंकाल में अविरत विद्युत प्रदाय उपलब्ध नहीं था। सभी राज्यों ने अधीनस्थ न्यायालयों में पाली प्रणाली आरंभ करने का स्वागत किया और दिशा में कार्य करने का वचन दिया।

विनिश्चय

जहां कहीं साध्य हो, सायंकालीन/प्रात:कालीन न्यायालयों का गठन किया जाए और समुचित मामलों, जिनके अंतर्गत छोटे-मोटे अपराधों के मामले भी हैं, को ऐसे न्यायालयों को अंतरित किया जाए। इन न्यायालयों की अध्यक्षता करने के लिए या तो सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पुन: नियोजित किया जाए या सेवारत न्यायिक अधिकारियों को उचित प्रोत्साहन दिए जाएं।

मद सं. 5 वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र

भाग लेने वालों के बीच यह आम सहमति थी कि एकमात्र नियमित न्यायालयों के माध्यम से विवादों का समाधान, जो एक शांतिपूर्ण समाज के लिए अन्यथा अनुकूल नहीं था, अधिक संख्या में लंबित बकाया मामलों की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था और इसलिए वैकल्पिक विवाद समाधान के ढंगों, जैसे कि बातचीत, मध्यस्थता, सुलह और लोक अदालतों का आश्रय लेना आवश्यक हो गया था। यह स्वीकार किया गया था कि चूंकि नियमित न्यायालयों में पहले से ही मामले लंबित थे इसलिए मध्यस्था और सुलह में वैकल्पिक विवाद समाधान के ढंगों में अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित करना और उनको वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के माध्यम से विवादों के कार्य को सौंपा जाना आवश्यक था।

विनिश्चय

वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालियां जैसे मध्यकता, बातचीत सुलह और लोक अदालतों को पर्याप्त रूप से मजबूत किया जाए जिससे कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सके और जहां तक संभव हो केवल बार के सदस्यों को ही मध्यकों और सुलहकारों के रूप में लगाया जाए।

मद सं. 8 जहां कहीं अपेक्षित हो, अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के चयन का कार्य उच्च न्यायालयों को सौंपा जाना

कुछ मुख्य न्यायमूर्तियों ने यह उल्लेख किया कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के पिछले संयुक्त सम्मेलन में लिए गए विनिश्चय और मुख्य न्यायमूर्ति सम्मेलन में समय-समय पर लिए गए विनिश्चयों के बावजूद भी उनके राज्यों में अभी भी अधीनस्थ अधिकारियों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा की जा रही है जिसके कारण न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने में असम्यक विलंब हो रहा है। मुख्य न्यायमूर्तियों ने यह महसूस किया कि उच्च न्यायालय न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और नियुक्तियां करने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने यह जानकारी दी कि इस वर्ष हरियाणा राज्य में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) की भर्ती उच्च न्यायालय को सौंप दी गई है।

विनिश्चय

वे राज्य जिनके न्यायिक अधिकारियों की भर्ती अभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है, 11 मार्च, 2006 को हुए राज्यों

के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के पिछले संयुक्त सम्मेलन में लिए गए विनिश्चय के अनुसार समुचित उपाय करेंगे और इसी बीच यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने में उनके अपने-अपने लोक सेवा आयोगों की ओर से कोई विलंब न हो।

मद सं. 9 उच्च न्यायालय को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

विचार-विमर्श के दौरान यह प्रकट हुआ कि यद्यपि अधिकांश मुख्य न्यायमूर्ति को राज्य सरकार द्वारा आबंटित बजट के भीतर निधियों के विनियोग और पुनर्विनियोग की शक्तियां दी गई थीं, तथापि, कुछ राज्यों द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों को यह शक्ति अभी प्रत्यायोजित की जानी थी। तथापि, किसी ने भी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति को अपेक्षित शक्ति प्रत्यायोजित करने की आवश्यकता के बारे में विवाद नहीं किया था।

विनिश्चय

11 मार्च, 2006 को हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के पिछले संयुक्त सम्मेलन में पारित निम्नलिखित संकल्प नीचे दिया गया है:

"(1) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को राज्य में न्यायपालिका के लिए राज्य सरकार द्वारा आबंटित बजट के भीतर निधियों का विनियोग और पुनर्विनियोग करने की पूर्ण शक्ति प्रत्यायोजित की जाए;

(2) राज्य सरकारें, अपने वित्तीय संसाधनों के अनुसार न्यायपालिका के लिए पर्याप्त बजट संबंधी आबंटन का उपबंध करेंगी।"

मद सं. 10 मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन और मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के संकल्पों के कार्यान्वयन के लिए एक स्थायी तंत्र की स्थापना और प्रत्येक जिले में समन्वय समिति का गठन किया जाना।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने यह जानकारी दी कि कर्नाटक अंतिम सम्मेलन में लिए गए विनिश्चय के अनुसार उच्च स्तरीय समिति (समितियां) स्थापित करने वाला पहला राज्य था और लंबित मामले इन समिति (समितियों) द्वारा मानीटर किए जा रहे थे। उत्तरांचल के विधि मंत्री ने यह जानकारी दी कि राज्य ने पिछले सम्मेलन में लिए गए विनिश्चय के अनुसरण में दो समितियों का गठन किया था।

विनिश्चय

11 मार्च, 2006 को हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के पिछले संयुक्त सम्मेलन में अंगीकृत निम्नलिखित संकल्प नीचे दिया गया है:

"(1) मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन और मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन में लिए गए विनिश्चयों के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, संघ के वित्त मंत्री और संघ के विधि और न्याय मंत्री से मिलकर बनने वाली एक समिति का गठन किया जाए। जहां कहीं समुचित समझा जाए वहां भारत के माननीय प्रधान मंत्री को समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाए।

(2) मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन और मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन में लिए गए विनिश्चयों के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में दो स्तरों पर मानीटरी समितियों का गठन किया जाए। पहले स्तर की समिति में राज्य का मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय का महारजिस्ट्रार और विधि सचिव होना चाहिए और दूसरे स्तर की समिति में राज्य का मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ति और विधि मंत्री होना चाहिए।"

विदेशी निवेश नीति में परिवर्तन

3612. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेश नीति में परिवर्तन करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेश नीति में परिवर्तन करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम में संशोधन करने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सरकार समय-समय पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा करती है। कुछेक चयनित क्षेत्रकों को छोड़कर अब अधिकांश क्षेत्रक स्वत: मार्ग के अंतर्गत रखे गए है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष विदेशी नीति में परिवर्तन करने के लिए विदेशी मुद्रा

प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों में संशोधन करता है।

क्वार्टरों का आबंटन

3613. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीपीडब्ल्यूडी सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का नया आबंटन नए अधिभोगियों को सभी आवश्यक मरम्मत/पुनरुद्धार/रिवायरिंग कार्य करने के पश्चात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ विभाग अभी भी सीपीडब्ल्यूडी द्वारा रखरखाव किए जाने वाले क्वार्टरों का आबंटन आवश्यक मरम्मत/पुनरुद्धार/रिवायरिंग कार्य किए बिना कर रहे हैं तथा नए अधिभोगियों को निर्धारित समय के अंदर कार्यों को पूरा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सभी विभागों को आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का नया आवंटन नहीं किया जाता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां। विभिन्न केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि गैर संरचनात्मक प्रकार के परिवर्द्धन/परिवर्तन की सुविधा रिहायशी क्वार्टर खाली होने पर ही उपलब्ध कराई जाए। इन सुविधाओं की व्यवस्था कराने के बाद ही इस प्रकार के मकानों का नया आवंटन किया जाए बशर्ते कि आवंटिती क्वार्टर को इन सुविधाओं के बिना स्वीकार करने के लिए सहमत हो।

(ङ) उपयुक्त ''घ' को देखते हुए लागू नहीं होता।

सरस मेला

3614. श्री नवीन जिन्दल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने सरस मेलों का आयोजन किया गया;

(ख) इन मेलों से बिक्री प्राप्तियों की राशि राज्य-वार कितनी है;

(ग) इन मेलों से स्व-सहायता समूह किस सीमा तक लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरस मेलों का आयोजन बड़े पैमाने पर तथा अधिक बार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक राज्य सरकार को, प्रत्येक राज्य में एक वर्ष में केवल एक सरस मेले के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

एसजीएसवाई के अंतर्गत बैंकों का असहयोग

3615. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) जैसी महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीयकृत बैंकों के असहयोगपूर्ण रवैये से लक्ष्यों के प्राप्त होने में बाधा पैदा होने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में बैंकों के असहयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने संस्थागत एजेंसियों द्वारा ऋण

के संवितरण के लिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे राज्य स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के बीच आबंटित किया जा रहा है और शाखावार आबंटन बैंकों के संबंधित अंचल/राज्य स्तरीय स्तर पर शाखा-वार आबंटन किए गए हैं। तीन वर्ष के दौरान उपलब्धि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	लक्ष्य	कुल संवितरित ऋण		
	राशि	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	राशि	उपलब्धि का प्रतिशत
2004	1363.12	962396	816.11	59.87
2005	1518.76	1055335	927.30	61.05
2006	1597.06	1177366	1095.15	68.57

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि संवितरण में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। बैंक शाखा स्तर पर आवेदनों के लंबित रहने के कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसजीएसवाई का एक त्वरित अध्ययन करवाया गया था। इस अध्ययन से, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदनों को मंजूर करने में निम्नलिखित कारणों/बाधाओं का पता चला:

* बैंकों को गैर-अर्थक्षम और बैंक सहायता हेतु अपात्र प्रस्तावों को भेजना।
* अधिकांश आवेदन समान क्रियाकलाप, जिससे उक्त क्रियाकलाप की भरमार हो जाने के लिए होना।
* सरकारी एजेंसियों और बैंक अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव।
* प्रायोजित एजेंसियों द्वारा आवेदनों को एक साथ भेजा जाना और वर्ष के अंत में आवेदनों का जमा किया जाना।

तथापि, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए हैं कि एसजीएसवाई के अंतर्गत सभी शाखाएं लक्ष्यों को प्राप्त करें। भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने एसजीएसवाई कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ठोस उपाय शुरू करने के लिए क्रमशः वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों को अनुदेश दिए है। बैंकों से अपेक्षाकृत उच्च अधिकारियों को भेजे बिना ऋणों की मंजूरी के लिए शाखा प्रबंधक को शक्तियों के उचित प्रत्यायोजन पर विचार करने की भी सलाह दी गई थी।

महाराष्ट्र में नोटरी

3616. श्री देविदास पिंगले: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नासिक, महाराष्ट्र में कुछ नोटरी पब्लिक को निलंबित/निष्कासित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों में सरकार द्वारा इसी प्रकार की कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नोटरी के क्रियाकलापों पर निगरानी रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) (1) श्री के.के. कौल, तीस हजारी, दिल्ली (रजिस्ट्रीकरण सं. 765) को, जिसके विरुद्ध सी.बी.आई. अन्वेषण लंबित है, सी.बी.आई. के अन्वेषण के परिणाम आने तक 15.9.06 से निलंबित कर दिया गया है।

(2) श्री प्रदीप जे. देशमुख, अधिवक्ता और जिला पुणे के लिए नोटरी को, उसके विरुद्ध की गई विभिन्न शिकायतों के आधार पर 6.1.2007 से पांच वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है।

(3) श्री नारायण राम (रजिस्ट्रीकरण सं. 354), फतेहपुर, जिला सीकर, राजस्थान का प्रमाणपत्र 1995 में रद्द कर दिया गया था।

(4) श्री अरूण कुमार शर्मा (रजिस्ट्रीकरण सं. 577), जालधंर, पंजाब का प्रमाण पत्र 1997 में रद्द कर दिया गया था।

(5) श्री गोपाल राम बिश्नोई (रजिस्ट्रीकरण सं. 2468), जोधपुर, राजस्थान का प्रमाण पत्र 2004 में रद्द कर दिया गया था।

(ङ) नोटेरियों के क्रियाकलापों की मानीटरी करने के लिए इस संबंध में नोटेरी नियम 1956 में उपबंध पहले ही अंतर्विष्ट हैं।

नोटेरी नियम का नियम 11(5) नोटेरियों के रजिस्टर का निरीक्षण करने के लिए जिला न्यायाधीश या समुचित सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को सशक्त करता है जो, किसी नोटेरी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए समुचित सरकार को रिपोर्ट दाखिल कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, प्ररूप 13 में कोई व्यष्टि भी समुचित सरकार के समक्ष किसी नोटेरी के विरुद्ध उसके वृत्तिक या अन्य अवचार के लिए कोई शिकायत फाइल कर सकेगा। जिस पर जांच की जा सकेगी और नोटेरी नियम, 1956 के नियम, 13 के अधीन ऐसे नोटेरी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। नोटेरी नियम, 1956 के नियम 14 के अधीन भी किसी नोटेरी से पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए नोटेरी कार्यों की प्ररूप 14 में एक वार्षिक विवरणी जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

विवरण

बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा संक्षिप्त वाद सं. 3857/99- श्री जे.जी. हेगड़े बनाम आर.डी. शुक्ला के मामले में पारित अपने तारीख 17.9.03 के निर्णय में जारी किए गए निदेश के अनुसार नासिक जिले में कार्य करने वाले नोटेरियों के संबंध में श्री ए.एन. यादव, जिला और सत्र न्यायाधीश, नासिक द्वारा निरीक्षण किए गए थे। जिला और सत्र न्यायाधीश ने जिला नासिक के लिए सरकार द्वारा नियुक्त 18 नोटेरियों के संबंध में, जिनके नोटेरी रजिस्टर और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण किया गया था, नोटेरी नियम, 1956 के नियम, 11(5) के अधीन भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट अग्रेषित की थी। जिला और सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट के अनुसार 10 नोटेरियों ने अनियमितताएं की थीं और 8 नोटेरियों ने अनियमितताएं और अविधिपूर्ण कार्य किए।

जिला और सत्र न्यायाधीश, नासिक की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था और निम्नलिखित 10 नोटेरियों को नवीकरण/केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय की तारीख (अर्थात 15.2.2007) से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, 3 वर्ष की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था।

(क) एन.पी. पवार, रजिस्ट्रीकरण सं. 664,

(ख) एन.के. कार्पे, रजिस्ट्रीकरण सं. 665,

(ग) डी.के. पाटिल, रजिस्ट्रीकरण सं. 822,

(घ) डी.आर. वाघवाकर, रजिस्ट्रीकरण सं. 857,

(ङ) ए.डी. पाटिल, रजिस्ट्रीकरण सं. 1234,

(च) एस.पी. धुमाने, रजिस्ट्रीकरण सं. 1238,

(छ) बी.के. गोवर्धने रजिस्ट्रीकरण सं. 1867,

(ज) श्रीमती रंजना एम. वावरे रजिस्ट्रीकरण सं. 1966,

(झ) आर.एफ. कुयाते, रजिस्ट्रीकरण सं. 2127,

(ञ) एस.एम. बार्वे, रजिस्ट्रीकरण सं. 2267

निम्नलिखित आठ नोटेरियों के नाम 6.3.07 से नोटेरी रजिस्टर से हटा दिए गए थे:

(1) अशोक यशवंत काले, रजिस्ट्रीकरण सं. 659

(2) सुश्री आई.आर. पटनी, रजिस्ट्रीकरण सं. 720

(3) एम.एन. पुरकर, रजिस्ट्रीकरण सं. 827

(4) आर.आर. गीते, रजिस्ट्रीकरण सं. 853

(5) आर.आर. केथोड, रजिस्ट्रीकरण सं. 1107

(6) वी.आर. निपुंजे, रजिस्ट्रीकरण सं. 1229

(7) बी.ए. श्रीवास्तव रजिस्ट्रीकरण सं. 2062

(8) एस.बी. वानी, रजिस्ट्रीकरण सं. 2425

[अनुवाद]

रोजगार तथा गरीबी उपशमन योजनाएं

3617. श्री जोवाकिम बखला: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी क्षेत्रों में रोजगार तथा गरीबी उपशमन के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये योजनाएं कब से क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में हुई वृद्धि अथवा कमी का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय संपूर्ण भारत में दिनांक 1.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक रोजगारोन्मुखी

केन्द्र प्रायोजित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। एसजेएसआरवाई का उद्देश्य प्रथमत: नौवीं कक्षा तक शिक्षित शहरी बेरोजगारों एवं अल्परोजगारयुक्त गरीबों द्वारा स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर तथा द्वितीयत: सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग कर उन्हें मजदूरी रोजगार मुहैया कराके शहरी बेरोजगारों एवं अल्प रोजगारयुक्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत जारी केन्द्रीय राशि इस प्रकार है:-

(लाख रु. में)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07
पश्चिम बंगाल	424.02	617.47	1063.13
सिक्किम	0.00	0.00	0.00

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत/समूह उद्यम लगाने के लिए सहायता दिए गए शहरी गरीबों की संख्या तथा कौशल प्रशिक्षण दिए गए शहरी गरीबों की संख्या इस प्रकार है:-

	2004-05	2005-06	2006-07
लघु उद्यम लगाने के लिए सहायता दिए गए लाभार्थियों की सं.	90566	98791	56357
कौशल प्रशिक्षण दिए गए लाभार्थियों की सं.	111831	142073	73203

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़कों के चयन में संसद सदस्यों को शामिल करना

3618. श्री नरहिर महतो: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत सड़क के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत ऐसी सड़कों का चयन करते समय स्थानीय संसद सदस्य को शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सड़कें उस व्यापक नई सड़क सम्पर्क वरीयता सूची (सीएनसीपीएल) से होनी चाहिए, जो सभी जिलों द्वारा जिला तथा ब्लाक स्तर पर पात्र सम्पर्क रहित बसावटों में से 1000 से अधिक, 500-999 तथा 250-499 की जनसंख्या की वरीयता क्रम में तैयार की जाती हैं।

यह कार्यक्रम पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें संसद सदस्यों के साथ परामर्श करने का प्रावधान है। दिशा-निर्देशों में यथा निर्दिष्ट कुछ मौजूदा संस्थागत प्रबंध, संक्षेप में, निम्नानुसार हैं:-

(क) कोर नेटवर्क तथा जिला ग्रामीण सड़क योजना को जिला पंचायत द्वारा संसद सदस्यों के सुझावों पर पूरा ध्यान देने के पश्चात अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) व्यापक नई सड़क सम्पर्क वरीयता सूची (सीएनसीपीएल) तथा व्यापक उन्नयन वरीयता सूची (सीयूपीएल) को अंतिम रूप देते समय संसद सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखा जाना है।

(ग) वार्षिक योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय लोक सभा सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में तथा राज्य सभा सदस्यों से जिस राज्य का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उस राज्य के उस जिले के बारे में परामर्श किया जाएगा जहां उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का उपाध्यक्ष नामित किया गया है।

(घ) संसद सदस्यों से नियत तारीख तक प्राप्त प्रस्तावों पर जिला पंचायत में पूर्णत: विचार किया जाना है जिससे यह अपेक्षित है कि वह प्रस्ताव को शामिल न किए जाने के प्रत्येक मामले में कारण दर्ज करेगी तथा प्रत्येक संसद सदस्य को प्रस्ताव के शामिल किए जाने/शामिल न किए जाने की सूचना दी जानी चाहिए तथा शामिल न किए जाने के प्रत्येक मामले में कारण भी बताए जाने चाहिएं।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

3619. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे पूर्णरूप से कब तक कार्यशील बनाए जाने की संभावना है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) एवं राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) का गठन अभी नहीं किया गया है क्योंकि एनसीएलटी/एनसीएलएटी की स्थापना से संबंधित कंपनी (द्वितीय) संशोधन अधिनियम, 2002 के परिणाम स्वरूप कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों को कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा तथा इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने के कारण मामला न्यायाधीन है। इसलिए, फिलहाल एनसीएलटी/एनसीएलएटी की स्थापना हेतु कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

[हिन्दी]

वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना

3620. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत किन-किन शहरों का चयन किया गया है तथा इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत इन शहरों में अभी तक क्या कार्य किए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) गुजरात के विभिन्न कस्बों/शहरों जैसे अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, वडोदरा और नवसारी में कार्यान्वित की गई थी। यह एक मांग आधारित स्कीम थी। राज्य सरकारों को एक अलग बैंक खाते में प्रत्येक परियोजना के लिए राज्य अंश जमा करने के बाद केन्द्रीय मंजूरी समिति के अनुमोदन हेतु व्यवहार्य [illegible] प्रस्ताव प्रस्तुत करने थे। इस स्कीम को 3.12.2005 से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्री [illegible]ीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में शामिल किया गया है।

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

सरकारी एजेंसी	भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी		
	आवास इकाईयां	शौचालय इकाईयां	कुल
एयूडीए	544.00	88.00	632.00
जीओजी	1228.00	0.00	1228.00
राजकोट एमसी	0.00	204.00	204.00
अहमदाबाद एमसी	0.00	351.20	351.20
जामनगर एमसी	50.00	0.00	50.00
जामनगर एमसी	0.00	50.00	50.00
बडोदरा एमसी	10.00	0.00	10.00
बडोदरा एमसी	15.00	0.00	15.00
नवसारी एनपी	1.70	0.00	1.70
नवसारी एनपी	17.80	0.00	17.80
राजकोट एमसी	100.00	0.00	100.00

एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत किए गए क्षेत्रों में एस.जी.आर.वाई. का क्रियान्वयन

3621. श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्रीमती करुणा शुक्ला:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन जिलों से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) वापस ले ली गई है जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत शामिल किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां एन.आर.ई.जी.एस. तथा एस.जी.आर.वाई. साथ-साथ क्रियान्वित की जा रही हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत आबंटित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार एस.जी.आर.वाई. के स्थान पर कोई नई योजना लाने अथवा उन जिलों में इसे जारी रखने का है जहां एन.आर.ई.जी.एस. क्रियान्वित की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रिमंडल के अनुमोदन से निर्णय लिया गया था कि एनआरईजी अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्रों में, एनएफएफडब्ल्यूपी और एसजीआरवाई को एनआरईजीए में मिला दिया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एसजीआरवाई के लिए वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। चूंकि एनआरईजीए को निर्धारित 200 जिलों में 2.2.2006 से कार्यान्वित किया गया था। अत: 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान रिलीज की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान एसजीआरवाई के अंतर्गत आबंटित और रिलीज की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07	
		निधियों का केन्द्रीय आबंटन	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	निधियों का केन्द्रीय आबंटन	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	निधियों का केन्द्रीय आबंटन	निधियों की केन्द्रीय रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	23487.18	24049.88	28139.33	29453.70	10903.95	13545.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	1246.98	1368.64	1524.09	1377.50	1403.65	842.20
3.	असम	32368.00	32124.06	39560.89	40916.96	25385.99	29847.28
4.	बिहार	46512.14	49196.29	55724.88	59124.30	21299.37	20462.40
5.	छत्तीसगढ़	13108.64	12931.67	15705.09	16605.81	4937.19	6089.13
6.	गोवा	336.74	292.55	403.44	242.07	417.64	250.58
7.	गुजरात	10283.30	9941.23	12320.13	12648.76	8741.19	10724.36
8.	हरियाणा	5417.38	5567.67	6490.41	6758.76	6048.66	7552.28
9.	हिमाचल प्रदेश	2281.48	2259.63	2733.38	2230.05	2296.24	1948.24
10.	जम्मू-कश्मीर	2681.02	2715.61	3212.07	3229.13	2628.03	3252.59
11.	झारखंड	31543.52	27394.54	37791.40	33841.77	3338.58	4173.94

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	कर्नाटक	17539.74	18290.28	21013.87	21881.83	16224.75	19871.61
13.	केरल	7870.10	7866.56	9428.94	9767.11	8116.50	9618.09
14.	मध्य प्रदेश	28308.64	28713.84	33915.78	34606.57	16854.62	20402.84
15.	महाराष्ट्र	34672.18	33657.28	41539.76	40869.63	25703.73	31832.03
16.	मणिपुर	2172.42	2123.41	2655.18	2164.50	2403.18	2179.95
17.	मेघालय	2433.74	2439.01	2974.57	2334.13	1946.47	1753.09
18.	मिजोरम	563.18	574.44	688.33	748.55	556.39	688.66
19.	नागालैंड	1669.40	1637.97	2040.38	1415.70	1752.72	1356.43
20.	उड़ीसा	26567.30	26939.86	31829.53	33322.45	9623.95	11931.45
21.	पंजाब	6025.60	5818.55	7219.10	6412.39	6753.65	4416.73
22.	राजस्थान	13318.66	14564.97	15956.71	17945.03	12542.23	25360.83
23.	सिक्किम	623.52	685.88	762.08	828.75	562.78	703.59
24.	तमिलनाडु	20538.10	22470.43	24606.12	25995.76	18850.46	23561.42
25.	त्रिपुरा	3922.76	4079.04	4794.48	5213.91	3820.26	4324.16
26.	उत्तरांचल	5242.62	5361.66	6281.04	6607.12	4920.58	6123.38
27.	उत्तर प्रदेश	78495.06	79279.95	94042.72	98576.36	56504.34	68935.32
28.	पश्चिम बंगाल	29524.26	26731.84	35372.18	34453.29	15660.57	14439.59
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	220.94	220.94	264.70	44.36	274.01	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	145.46	87.28	174.27	0.00	180.40	0.00
31.	दमन व दीव	70.50	0.00	84.46	0.00	87.44	0.00
32.	लक्षद्वीप	110.50	28.57	132.39	126.75	137.05	129.55
33.	पांडिचेरी	223.94	205.09	268.30	0.00	277.74	166.64
	कुल	449525.00	449618.62	539650.00	549743.00	291154.31	346484.00

विवरण II

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान एनआरईजीए के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	एनआरईजीए के लिए रिलीज		
		2005-06	2006-07	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	16474.81	102541.43	119016.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	446.31	1450.85	1897.16
3.	असम	33650.13	26550.85	60200.98
4.	बिहार	30806.3	54831.38	85637.68
5.	छत्तीसगढ़	785	71850.74	72635.74
6.	गुजरात	4241.12	7433.94	11675.06
7.	हरियाणा	873.82	3589.39	4463.21
8.	हिमाचल प्रदेश	898.37	4667.64	5566.01
9.	जम्मू-कश्मीर	1135.29	4136.37	5271.66
10.	झारखंड	23429.66	55854.59	79284.25
11.	कर्नाटक	4402.1	24850.69	29252.79
12.	केरल	1169.18	3739.51	4908.69
13.	मध्य प्रदेश	13713.82	190944.20	204658.02
14.	महाराष्ट्र	19743.56	21815.64	41559.20
15.	मणिपुर	461.63	1692.89	2154.52
16.	मेघालय	1457.87	3224.68	4682.55
17.	मिजोरम	770.91	2023.90	2794.81
18.	नागालैंड	1031.28	910.11	1941.39
19.	उड़ीसा	7384.75	78380.49	85765.24
20.	पंजाब	822.54	3445.75	4268.29
21.	राजस्थान	4142.11	78041.00	82183.11
22.	सिक्किम	722.16	691.50	1413.66

1	2	3	4	5
23.	तमिलनाडु	6571.72	18409.21	24980.93
24.	त्रिपुरा	2572.97	2754.66	5327.63
25.	उत्तरांचल	1269.11	4470.60	5739.71
26.	उत्तर प्रदेश	33242.07	56914.69	90156.76
27.	पश्चिम बंगाल	17038.15	38868.84	55906.99
	कुल	229256.74	864085.54	1093342.28

[अनुवाद]

कर्नाटक को विश्व बैंक ऋण

3622. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने कर्नाटक राज्य सरकार को राज्य आर्थिक पुनरुद्धार योजना के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित परिव्ययों के साथ इस योजना के अंतर्गत वित्त-पोषित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) राज्य आर्थिक पुनरुद्धार योजना ऋण को संरचनात्मक समायोजन ऋण (एसएएल) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 24 अक्तूबर, 2005 को एसएएल के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए थे। संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कर्नाटक सरकार से राज्य आर्थिक पुनरुद्धार योजना के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

शिक्षा उपकर के अंतर्गत संग्रहण

3623. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा उपकर आरंभ किए जाने के बाद से अब तक इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कितनी धनराशि संग्रहीत की गई है;

(ख) क्या संग्रहीत किए गए शिक्षा उपकर को अलग खाते में रखा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त धनराशि को शिक्षा के क्षेत्र के लिए उपयोग किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (फरवरी, 2007 तक) के लिए शिक्षा उपकर के माध्यम से संग्रहीत की गई राशि निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ों में)

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
2004-05	1804.31	2514
2005-06	3213.75	4424
2006-07 (फरवरी, 2007 तक)	2982.00*	3851*

*अनंतिम

(ख) से (घ) जी, हां। निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अंतर्गत शिक्षा उपकर एकत्रित किया जाता है:

0037	–	सीमा शुल्क
0037.00.504	–	शिक्षा उपकर
0038	–	संघ उत्पाद शुल्क
0038.00.504	–	शिक्षा उपकर
0044	–	सेवा कर
0044.00.504	–	शिक्षा उपकर
0020	–	निगम कर
0020.00.504	–	शिक्षा उपकर
0021	–	आयकर
0021.00.504	–	शिक्षा उपकर

वित्त (सं. 2) अधिनियम 2004 द्वारा लगाए शिक्षा उपकर की प्राप्तियों को जमा करने के लिए भारत लोक लेखा में प्रारंभिक शिक्षा कोष स्थापित किया गया है।

(ङ) और (च) प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा की गई शिक्षा उपकर की प्राप्तियों को सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना पर खर्च किया गया है जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक वर्ष सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के लिए सकल बजटीय सहायता द्वारा की गई निधियों को खर्च करने के बाद इन योजनाओं पर परवर्ती व्यय प्रारंभिक शिक्षा कोष से वित्त पोषित किया जाता है।

अस्पतालों को आबंटित भूमि

3624. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्पतालों को भूमि आबंटित करने में आबंटन की शर्त के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि आबंटन की शर्तों के उल्लंघन के लिए अस्पतालों को जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या आबंटन की शर्त को युक्तसंगत बनाने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि उन्होंने 54 अस्पतालों को भूमि आवंटित की है। भूमि तथा विकास कार्यालय ने 5 अस्पतालों को भूमि आवंटित की है। कुछ अस्पतालों की आवंटन शर्तों में कुछ प्रतिशत बिस्तर नि:शुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अस्पतालों द्वारा मुफ्त उपचार की शर्तों का कार्यान्वयन न करने के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सोशल ज्यूरिस्ट बनाम भारत संघ (डब्ल्यू पी सं. 2866/2002) नामक एक जनहित याचिका दायर की गई थी। डीडीए ने यह बताया है कि उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले अस्पतालों को आवंटन पत्र/लीज की शर्तों के अनुसार मुफ्त उपचार उपलब्ध न कराने के मुद्दे पर कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कुछ अस्पतालों से उत्तर मिले थे जिसमें उन्होंने मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने की शर्तों का पालन करने का दावा किया। उनके उत्तर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, दिल्ली सरकार को अभ्युक्ति/जांच के लिए भेज दिए गए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी सं. 2866/2002 में दिनांक 22.3.2007 को दिए गए अपने निर्णय में यह निर्देश दिया है कि सरकारी अस्पतालों में विशेष रेफरल केन्द्र खोले जाएं जो निर्धन मरीजों को रिट याचिका के तहत शामिल नजदीकी निजी अस्पतालों में भेजेंगे। इसके अलावा, न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को यह भी निर्देश दिया गया है कि मुफ्त उपचार की शर्तों का अनुपालन न करने वाले अस्पतालों की वित्तीय देयता पूर्वप्रभाव से आकलित की जाए जिसे निर्धनों के उपचार हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले कोष में डाला जाएगा। भूमि तथा विकास कार्यालय ने यह बताया है कि चूककर्ता अस्पतालों के विरुद्ध लीज समझौते की शर्तों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है जिसमें 3 अस्पतालों के संबंध में आवंटन रद्द करना शामिल है।

(ङ) और (च) माननीय उच्च न्यायालय ने सी डब्ल्यू पी सं. 2866/2002 में 22 मार्च 2007 को निर्णय दे दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रियायती दरों पर आवंटित भूमि पर बनाए गए 20 अस्पतालों तथा इसी प्रकार के अन्य अस्पतालों के संबंध में समान रूप से ओपीडी के लिए 25% तथा आई पी डी के लिए 10% तक मुफ्त उपचार करने का आदेश दिया गया है।

[अनुवाद]

पेयजल की कमी

3625. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेयजल की अत्यंत कम आपूर्ति के संबंध में विशेष रूप से रूटलैंड बे और फ्लैट बे से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रूटलैंड बे और फ्लैट बे क्षेत्रों के निवासियों के लिए पेयजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में जल की कमी

3626. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में जल की कम आपूर्ति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बढ़ते व्यवसायीकरण के कारण जलापूर्ति संबंधी स्थिति बिगड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि पड़ोसी राज्यों से सीमित कच्चे जल की आपूर्ति के कारण इस समय दिल्ली की 165 लाख की अनुमानित आबादी के लिए 990 एमजीडी जल की मांग की तुलना में 720 एमजीडी जल उपलब्ध है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

* जल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सोनिया विहार में 140 एमजीडी का जल शोधन संयंत्र अगस्त, 2006 में शुरू किया गया है।

* दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा 315 करोड़ रुपए जमा किए जाने पर हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा निष्पादित की जाने वाली मुनाक से हैदरपुर जल शोधन संयंत्र तक समानान्तर लाइन चैनल के निर्माण हेतु स्कीम के परिणामत: रिसाव के रूकने से होने वाली बचत के कारण 80 एमजीडी अतिरिक्त कच्चा जल उपलब्ध हो जाएगा।

* 80 एमजीडी अतिरिक्त कच्चे जल की उपलब्धता 3 जल शोधन संयंत्रों यथा द्वारका (40 एमजीडी) तथा प्रस्तावित ओखला (20 एमजीडी) और पहले से निर्मित बवाना (20 एमजीडी) के लिए जल आपूर्ति का स्रोत होगी।

* चार रीसाईकिलिंग बैक वास/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है और इन संयंत्रों से 45 एमजीडी अतिरिक्त जल का उत्पादन होगा।

* जल आपूर्ति को युक्तिसंगत बनाने और फिल्टर वाटर पाइप नेटवर्क के माध्यम से और अधिक आबादी को जल आपूर्ति करने हेतु ट्रांसमिशन लाइनों वाले 53 भूमिगत जलाशयों/बीपीएस का निर्माण पूरी दिल्ली में किया जा रहा है।

* दिल्ली में पानी की भावी मांग को पूरा करने के लिए किशाऊ, लकवार व्यासी था रेणुका में तीन अप स्ट्रीम स्टोरेज डैम बनाने का प्रस्ताव है। इन तीन डैमों में से रेणुका में निर्मित किए जाने वाले डैम को स्वीकृति देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इस डैम के छ: वर्ष की अवधि में निर्मित होने की संभावना है।

* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार दिल्ली में भूमिगत जल को निकालने को विनियमित करने हेतु प्रस्ताव बनाने के साथ-साथ भूमिगत जल में हो रही कमी को पूरा करने के लिए जल संचयन योजनाओं को प्रोत्साहन दे रही है।

* पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा को इस बात के लिए राजी करने के प्रयास किए गए हैं कि वे दिल्ली के लिए कच्चे जल की आपूर्ति का पूरा हिस्सा दें।

एयरकंडीशनरों को लगाया जाना

3627. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आबंटियों विशेष रूप से आर.के. पुरम में टाइप-II, III और IV के सरकारी क्वार्टरों के उन आबंटियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है जिन्होंने एयरकंडीशनर लगा रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्वार्टरों में एयर कंडीशनर लगाने की सुविधा प्रदान न करने के क्या कारण हैं और सरकारी क्वार्टरों में यह

सुविधा प्रदान करने तथा स्वीकृत लोड में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकारी आवासों में सुविधाएं अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार दी जाती हैं। दिनांक 2.1.2006 के नवीनतम मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं। स्वीकृत रोड को बढ़ाने की कार्रवाई स्वयं आवंटी द्वारा की जानी होती है।

विवरण

भारत सरकार
निर्माण महानिदेशालय
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
(मानक और विनिर्देशन एकक)
निर्माण भवन, नई दिल्ली

सं. 62/एस.ई. (एस एंड एस)/ई.ई./ए.ई.1/पार्लिया./05-06/01 दिनांक 2.11.06

कार्यालय ज्ञापन

विषय: टाइप I से VI घरों के लिए संशोधित विनिर्देश और सुविधाओं के मापदंड

शहरी विकास मंत्रालय ने सामान्य पूल के टाइप I से VI क्वार्टरों के लिए संशोधित विनिर्देशों और सुविधाओं के मापदंड को अनुमोदित कर दिया है। संशोधित विनिर्देशों की एक प्रति संलग्न है। इन विनिर्देशों का पालन भविष्य में किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों के लिए किया जाना है न कि मौजूदा मकानों के लिए।

1.1.92 कुर्सी क्षेत्र दर के ऊपर टाइप I से टाइप VI तक के प्रत्येक मकान में संशोधित विनिर्देश और सुविधाओं के मापदंड के कारण वित्तीय प्रभाव निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	निर्माण का प्रकार	क्वार्टरों का टाइप	1.1.92 की स्थिति के अनुसार प्रतिवर्ग मी. कुर्सी क्षेत्र दर (रुपयों में)	1.1.92 की स्थिति के अनुसार संशोधित विनिर्देश और सुविधाओं के मापदंड के कारण लगने वाली अतिरिक्त लागत		
				सिविल कार्य (रु.)	वैद्युत कार्य (रु.)	कुल योग (रु.)
1.	आर.सी.सी. फ्रेम संरचना	टाइप I, II, III एवं सर्वेन्ट क्वार्टर्स	2810	346	36	382
		टाइप IV	2810	400	72	472
		टाइप V एवं VI	2810	495	81	576
2.	भार वहन संरचना	टाइप I, II, III एवं सर्वेन्ट क्वार्टर्स	2120	346	36	382
		टाइप IV	2330	400	72	472
		टाइप V एवं VI	2485	495	81	576

चालू अवधि के लिए वित्तीय प्रभाव प्राप्त करने के लिए स्थान विशेष के संबंध में सूची लागत को 100 बेस के रूप में 1.1.92 कुर्सी क्षेत्र दरों में जोड़ना होगा।
संलग्न: संशोधित विनिर्देशनों की प्रति।
पृष्ठ 1 से 15

इस्ता/-
(एस.के. जैन)
कार्यपालक अभियंता (एस एंड एस)

प्रतिलिपि:

1. शहरी विकास मंत्रालय (श्री देविन्द्र कुमार, अवर सचिव (निर्माण-2) को दो प्रतियों सहित
2. सभी अपर महानिदेशक (प्रत्येक को दो प्रतियों सहित)
3. सभी मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुक (प्रत्येक को दो प्रतियों सहित)
4. सभी वरिष्ठ वास्तुक (प्रत्येक को एक प्रति)
5. सभी अधीक्षण अभियंता (प्रत्येक को एक प्रति)

कार्यपालक अभियंता (एस एंड एस)

सामान्य पूल रिहायशी आवास (टाइप I से VI तक) के लिए संशोधित विनिर्देश एवं सुविधाएं के मापदंड

रिहायशी भवनों के लिए विनिर्देश

क्र.सं.	मद	टाइप I, II, III एवं सर्वेन्ट क्वार्टर्स		टाइप VI		टाइप V एवं VI	
		मौजूदा	संशोधित	मौजूदा	संशोधित	मौजूदा	संशोधित
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1 (क)	फ्रेम खिड़की	अव्वल दर्जे की कैल लकड़ी या दोयम दर्जे की देवदार लकड़ी या मृदु इस्पात	दोहरे पैताब (डबल रिबेट) सहित 1.6 एम.एम. मोटी संक्षारण रोधी कोटेड शीट से बने दाबित इस्पात फ्रेम	टी-आयरन फ्रेम	दोहरे पैताब सहित 1.6 एम.एम. मोटी संक्षारण रोधी कोटेड शीट से बने दाबित इस्पात फ्रेम/स्क्रैच प्रूफ एल्युमिनियम शीटें/ पोलिप्रोपिलीन खिड़कियां	दोयम दर्जे की सागोन लकड़ी या अव्वल दर्जे की देवदार लकड़ी या मृदु इस्पात	जैसा कि टाइप IV में है।
	दरवाजा	वही	टी आयरन/ दाबित इस्पात/ प्रि-कास्ट आर.सी.सी. फ्रेम	वही	एकल पैताब युक्त 1.6 एम.एम. मोटी संक्षारण रोधी कोटेड शीट से बने दाबित इस्पात फ्रेम/ कारखाना निर्मित प्रि-कास्ट आर. सी.सी. फ्रेम	वही	जैसा कि टाइप IV में है।
	शटर (ख) मुख्य दरवाजा	अव्वल दर्जे कैल लकड़ी या दोयम दर्जे की देवदार लकड़ी	डबल डोअर, मच्छर रोकने वाली तार की जाली से युक्त लोहे की ग्रिल वाला दरवाजा तथा दूसरा-सख्त लकड़ी और लेमिनेटेड पूर्व पार्टिकल बोर्ड की दिल्लेबंदी युक्त रेलिंग वाला 35 मि.मी. मोटा दिल्लेदार शटर जिसका एक पार्श्व सजावटी तथा दूसरा पार्श्व बैलेंसिंग हो	सभी कमरों के लिए अव्वल दर्जे की देवदार लकड़ी के 35 एम.एम. दिल्लेदार शटर	जैसा कि टाइप I से III में है।	दोयम दर्जे की भारतीय सागोन की लकड़ी या कम्पीयत प्लाई फ्लश दरवाजा	जैसा कि टाइप I से III में है सिवाय इसके कि दोनों पार्श्वों की दिल्लेबंदी सजावटी, लेमिनेटेड पूर्व पार्टिकल बोर्ड

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ग) डब्ल्यू सी बायरूम	वही	20 एम.एम. मोटे ग्लेस पी.वी.सी. शटर	बाथ डब्ल्यू सी, रसोईघर, स्कूटर शैड और बालकनी के लिए दोयम दर्जे की देवदार लकड़ी के 35 एम.एम. थिस्नेदार शटर	जैसा कि टाइप I से III में है।	दोयम दर्जे की सागौन की लकड़ी या कमर्शियल फ्लाई फ्लश दरवाजा	जैसा कि टाइप I से III में है।
	शटर (घ) रसोई के दरवाजे	वही	ऑप्टिक रूप से पैनल युक्त तथा ऑप्टिक रूप से जंगरहित इस्पात बायरमैश के साथ बायरमैश। पूर्व लेमनीकृत विघटक बोर्ड द्वारा पेनलीकरण। हार्डवुड स्टाइल तथा रेल युक्त एक तरफ से सजावटी 35 एम.एम. मोटा पैनल युक्त शटर	वही	जैसा कि टाइप I से III में है।	वही	ऑप्टिक रूप से पैनल युक्त तथा ऑप्टिक रूप से जंगरहित इस्पात बायरमैश के साथ बायरमैश। पूर्व लेमनीकृत विघटक बोर्ड द्वारा पेनलीकरण। हार्डवुड स्टाइल तथा रेल युक्त दोनों तरफ से सजावटी 35 एम.एम. मोटा पैनल युक्त शटर
	(ङ) अन्य	वही	हार्डवुड स्टाइल, रेलयुक्त और पूर्व लेमनीकृत बोर्ड द्वारा पेनलीकृत 35 एम.एम. मोटा पैनलयुक्त शटर एक तरफ से सजावटी	सभी कमरों के अव्वल दर्जे की देवदार की लकड़ी के 35 एम.एम. पैनल युक्त शटर	जैसा कि टाइप I से III में है।	वही	हार्डवुड स्टाइल, रेलयुक्त और पूर्व लेमनीकृत बोर्ड द्वारा पेनलीकृत 35 एम.एम. मोटा पैनलयुक्त शटर एक तरफ से सजावटी
3.2	शटर (क) खिड़कियां	अव्वल दर्जे की कैल को लकड़ी अथवा दोयम दर्जे के देवदार की लकड़ी	एम.एस. ट्रूप बार बायस सेक्शन संसाधन रोधक कोटित शटर। अंक्षत के मुख्य अभियंता के विवेकानुसार बायरमैश शटरों का प्रावधान भी किया जा सकता है।	(क) सभी कमरों के लिए अव्वल दर्जे की देवदार लकड़ी के 35 एम.एम. पैनल युक्त शटर (ख) बाथ, डब्ल्यू सी, रसोई स्कूटर शेड व बालकनी के लिए दोयम दर्जे की देवदार लकड़ी के 35 एम.एम. पैनल युक्त शटर	एम.एस. ट्रूप बार बायस सेक्शन संसाधन रोधक कोटित शटर। अंक्षत के मुख्य अभियंता के विवेकानुसार बायरमैश शटरों का प्रावधान भी किया जा सकता है/स्क्रेच ब्रूफ एल्युमिनियम की खिड़कियां फ्रेम से मेल खाते हुए शटर	दोयम दर्जे की सागौन की लकड़ी या अव्वल दर्जे की देवदार की लकड़ी या मृदु इस्पात	जैसा कि टाइप IV में है।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	फिटिंग	आक्सीकृत लौह	चढ़ाकर कोटित एम.एस. फिटिंग/ जंगरहित इस्पात फिटिंग	एल्युमिनियम फिटिंग	चढ़ाकर कोटित एल्युमिनियम/ जंगरहित इस्पात फिटिंग	बाहरी दरवाजों में एनोडीकृत एल्युमिनियम तथा आंतरिक दरवाजों में आक्सीकृत लौह	जैसा कि टाइप IV में है।
3.4	पीप होल तथा सुरक्षा चेन कंक्स बाहरी दरवाजों के लिए	हां	हां	हां	हां	हां	हां
1.	लकड़ी के कार्य संबंधी मद सं. 3 में यदि स्थानीय सामग्री का कोई अन्य विकल्प उपलब्ध है तो उसे संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है।						
2.	बाहरी स्टाइटिंग, दरवाजे के कब्जे तथा हत्थे आदि चढ़ाकर कोटित एम.एस. या जंग रहित इस्पात के होंगे।						
4.1	फर्शबंदी (क) कमरे, रसोईघर और आंतरिक सर्कुलेशन क्षेत्र	50 प्रतिशत क्षेत्र में मोजेक फर्शबंदी स्कर्टिंग	सामूहिक सर्कुलेशन क्षेत्र और सीढ़ियों को छोड़कर साधारण सीमेंट से मोजेक फर्शबंदी और और स्कर्टिंग	सभी कमरों, रसोई, आंतरिक सर्कुलेशन क्षेत्र, स्टोर, डब्ल्यू सी और स्नानागार में साधारण सीमेंट से मार्बल चिप्स वाली फर्शबंदी	टाइप I से III के समान	लिविंग रूम भोजनकक्ष, ड्राइंग, स्नानागार तथा डब्ल्यू सी में मोजेक फर्शबंदी शेष में सीमेंट कंक्रीट	सफेद सीमेंट से मोजेक/ दराजें टाईलों वाली फर्शबंदी। रसोईघर में सिरैमिक टाइलें/मार्बल फर्शबंदी
	(ख) सामूहिक सर्कुलेशन क्षेत्र, सीढ़ी	वही	कोटा पत्थर फर्शबंदी तथा सदृश स्कर्टिंग। सीढ़ियों में सिंगल पीस कोटा पत्थर प्रयोग किया जाएगा।	सामूहिक सर्कुलेशन क्षेत्र, सीढ़ियों में सीमेंट कंक्रीट फर्शबंदी, सदृश स्कर्टिंग सहित	टाइप I से III के	सीमेंट कंक्रीट	टाइप IV के समान
	(ग) किचन वर्क टाप	कोटा पत्थर	कोटा पत्थर	किचन प्लेटफार्म के लिए कोटा पत्थर की स्लैब	उदयपुर ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट पत्थर		ग्रेनाइट पत्थर
	(घ) फर्शबंदी शौचालय	मोजेक फर्शबंदी	मोजेक	साधारण सीमेंट मार्बल चिप्स से फर्शबंदी	सेरामिक स्टाइल	टाइलें मोजेक फर्शबंदी	सेरामिक टाइलें
	(ङ) स्कर्टिंग/ डैडो	डब्ल्यू सी तथा बाथ में मोजेक एवं सफेद ग्लेज्ड डैडो (90/150 से.मी.)	भारतीय प्रकार के डब्ल्यू सी में 90 से.मी. की ऊंचाई तक तथा स्नानघर में डोर जैम्ब ऊंचाई तक सेरामिक ग्लेज्ड टाइलें	डब्ल्यू सी, बाथ में (90/150 से.मी. ऊंचाई) तक सफेद ग्लेज्ड टाइलें, रसोई के प्लेटफार्म के वर्कटाप के 60 से.मी. ऊपर सफेद ग्लेज्ड टाइल डैडो	जैसा कि टाइप I से III में है।	-	टाइलों के मजबूती बैंड सहित छत की ऊंचाई तक सेरामिक ग्लेज्ड टाइलें

1	2	3	4	5	6	7	8
62	बाहरी फिनिशिंग	जलरोधी सीमेंट पेंट या या वाश्ड स्टोन ग्रिट प्लास्टर या अनावृत ईंट कार्य	एक्रेलिक स्मूथ बाहरी फिनिशिंग या वाश्ड स्टोन ग्रिट प्लास्टर या अनावृत ईंट कार्य	(क) बाहरी दीवारों के लिए साधारण सीमेंट से वाश्ड मोजेक प्लास्टर (ख) छत की मुंडेर (अंदरूनी तरफ) साफिट व छज्जे आदि के आंतरिक भाग पर जलरोधी सीमेंट पेंट	साधारण सीमेंट में सिलिकान या वाश्ड मोजेक प्लास्टर मिलाते हुए प्रीमियम एक्रेलिक स्मूथ बाहरी फिनिशिंग या अनावृत ईंट कार्य	बाहरी कलर वाश	साधारण सीमेंट में सिलिकान या वाश्ड मोजेक प्लास्टर मिलाते हुए प्रीमियम एक्रेलिक स्मूथ बाहरी फिनिशिंग या अनावृत ईंट कार्य
63	आंतरिक फिनिशिंग	सभी कमरों में सूखा डिस्टेंपर तथा लकड़ी/स्टील कार्य पर सिंथेटिक इनामेल्ड पेंट एवं छत पर सफेदी	सभी दीवारों एवं छतों पर एक्राइलिक/ आयल बाउण्ड डिस्टेंपर का एक कोट करने के बाद 2 एम.एम. मोटी पी.ओ.पी. लगाई जानी जिसमें किचन, स्नानगार तथा डब्ल्यू सी और सभी छत शामिल नहीं है क्योंकि इनकी सफेदी की जाएगी। सभी लकड़ी कार्य एवं स्टील कार्य पर सिंथेटिक इनामेल पेंट	बैठकखाना एवं भोजनालय में सूखा डिस्टेंपर। अन्य कमरों तथा सीढ़ियों में सफेदी/रंगीन पुताई	सभी दीवारों एवं छतों पर एक्राइलिक/ आयल बाउण्ड डिस्टेंपर का एक कोट करने के बाद 2 एम.एम. मोटी पी.ओ.पी. लगाई जानी जिसमें किचन, स्नानगार तथा डब्ल्यू सी और सभी छत शामिल नहीं है क्योंकि इनकी सफेदी की जाएगी। सभी लकड़ी कार्य एवं स्टील कार्य पर सिंथेटिक इनामेल पेंट	बैठक खाना एवं भोजनालय, सयन कक्ष और अध्ययन कक्ष में डिस्टेंपर तथा शेष में सफेदी	कार्निसों में प्लास्टिक इमल्सन पेंट की एक परत लगाने के बाद सभी दीवारों एवं छतों पर 2 एम.एम. मोटी पी.ओ.पी. प्लास्टर लगाया जाना। किचन/ स्नानगार एवं डब्ल्यू.सी. और सभी छतों को सफेदी। सभी लकड़ी/ स्टील कार्यों पर सिंथेटिक इनामेल पेंट

सामान्य पूल आवास के लिए सुविधाओं संबंधी पैमाना

मद सं.	मद	टाइप I		टाइप II		टाइप III		टाइप IV		टाइप V एवं VI	
		मौजूदा	संशोधित	मौजूदा	संशोधित	मौजूदा	संशोधित	मौजूदा	संशोधित	मौजूदा	संशोधित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	गर्म्यों में रैन्फ को ठण्डा में हो, अधिकतम 400 मिमी चौड़ी 1" मोटी टैबार के साथ	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	प्रि-लेमिनेटेड सजावटी बोर्ड युक्त ढकी हुई अलमारियां जो सिंक स्तर के ऊपर हो	हां	टाइप IV के समान

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	रसोई घर सिंक	जल निकास तख्ता सहित फाइबर ग्लास	जल निकास तख्ता सहित स्टेनलैस इस्पात सिंक 610×510 मिमी आकार का जिसमें बाउल की गहराई 200 मिमी हो	टाइप-I के समान	टाइप-I के समान	टाइप-I के समान	टाइप-I के समान	जल निकास तख्ता सहित सफेद काचाभ चमकदार रसोईघर सिंक	जल निकास तख्ता सहित स्टेनलैस स्टील सिंक 510×1040 एम.एम. आकार का जिसमें बाउल की गहराई 200 मिमी हो	टाइप-IV के समान	जल निकास तख्ता सहित स्टेन लैस इस्पात सिंक 510×1040 एम.एम. आकार का जिसमें बाउल की गहराई 250 एम.एम. हो/ 600×450×250 एम.एम. आकार वाले जल निकास तख्ता सहित काचाभ चीनी मिट्टी सिंक
5.	कूकिंग प्लेटफार्म सीटिंग	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.(1)	वार्डरोब आर.सी.सी./ प्रिफेब्रिकेटेड पार्टिकल/कोटा पत्थर शेल्वस सहित कपबोर्ड में बने वार्डरोब्स तथा छत तक दराजा	-	(प्रत्येक शयन कक्ष में एक) 7'-0" ऊंचाई	एक	(प्रत्येक शयन कक्ष में एक) 7'-0" ऊंचाई	एक शयन कक्ष में एक)	(एक-एक शयन कक्ष में एक) 7'-0" ऊंचाई	दो शयन कक्षों में दो	(प्रत्येक शयन कक्ष में एक) छत की ऊंचाई तक	तीन शयन कक्षों में तीन	एक शयन कक्ष में एक छत की ऊंचाई तक
(2)	प्रवेश द्वार में पैनिक आई	-	एक	-	एक	एक	एक	एक	एक	एक	एक
(3)	कोटा पत्थर/संगमरमर से उभरी हुई खिड़की सिल लाइनिंग 18 एम.एम. मोटी	-	कोटा पत्थर	-	कोटा पत्थर	-	कोटा पत्थर	-	कोटा पत्थर	-	संगमरमर
(4)	ब्रैकेट सहित मरदे की छड़	सभी कमरे	सभी कमरे	सभी कमरे	सभी कमरे	सभी कमरे	सभी कमरे	टाइप-III के समान	मरदे का छड़	पेलमेट्स सहित	मरदे का छड़
(5)	खूंटियों का सेट	स्नानागार एवं शयनकक्ष में	स्नानागार एवं शयनकक्ष में	स्नानागार एवं शयनकक्ष में	स्नानागार एवं शयनकक्ष में	स्नानागार एवं शयनकक्ष में	स्नानागार, शयनकक्ष एवं वार्डरोब में	स्नानागार में	स्नानागार, शयनकक्ष एवं वार्डरोब में	स्नानागार एवं शयनकक्ष में	स्नानागार, शयनकक्ष एवं वार्डरोब में

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	अर्दली/प्रशिक्षित किसान/पी.टी. एस.टी. सीज सेल्फ सहित पी.सी.सी. फ्रेम	एक	एक	एक	एक	एक	एक	एक	दो	एक	डोर
8.	सदुप रैक (डब्लू सी/ स्नानघर में लगा)	एक	एक	एक	एक	एक	एक	एक	दो	एक	डोर
9.	तिपिवाड	-	-	-	-	-	-	-	दो	-	डोर
10.	संग्रह टंकी	एक 270 लीटर	500 लीटर	एक 270 लीटर	500 लीटर	एक 270 लीटर	500 लीटर	एक 270 लीटर	750 लीटर	एक 270 लीटर	सर्वेन्ट क्वार्टर के लिए 1000+500 लीटर
11.	स्नानघर में कोटा फ्लश सिस्टम सहित लगा	एक	एक	एक	एक	एक	एक	-	दो	-	सर्वेन्ट क्वार्टरों के लिए 3+1

सामान्य पूल रिहायशी क्वार्टरों के लिए स्वच्छता फिटिंग्स के संशोधित पैमाने

मद सं.	मद	टाइप I		टाइप II		टाइप III		टाइप IV		टाइप V एवं VI	
		मौजूदा	संशोधित	मौजूदा	संशोधित	मौजूदा	संशोधित	मौजूदा	संशोधित	मौजूदा	संशोधित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	फ्लश टंकी सहित भारतीय प्रकार का डब्लू सी पैन	एक	निम्न तेवत पी.पी.सी. फ्लश टंकी सहित उड़ीसा पैटर्न का एक डब्लू सी पैन	एक	टाइप I प्रकार वैसा एक	एक	टाइप I वैसा एक	एक	टाइप I वैसा एक	1+1 (सर्वेन्ट क्वार्टर के लिए)	एक+एक सर्वेन्ट क्वार्टरों के लिए)
2.	उच्च तेवत फ्लश टंकी सहित यूरोपीय प्रकार का डब्लू सी	-	-	-	-	-	-	एक उच्च तेवत फ्लश टंकी सहित	एक निम्न तेवत पी.पी. सी. फ्लश टंकी सहित	एक उच्च तेवत फ्लश टंकी सहित	एक सदृश निम्न तेवत टंकी सहित (साइफनीय प्रकार की)
2(क)	निम्न तेवत यूरोपीय डब्लू सी सहित खटरा पैन	-	-	-	-	-	-	-	एक	-	एक

रिहायशी क्वार्टरों में वैद्युत अधिष्ठापन के लिए विनिर्देश

मद सं.	विवरण	टाइप I		टाइप II		टाइप III		टाइप IV		टाइप V (सर्वेंट क्वार्टर एवं गैरेज सहित)		टाइप VI (सर्वेंट क्वार्टर एवं गैरेज सहित)		सर्वेंट क्वार्टर एवं गैरेज	
		मौजूदा	संशोधित	मौजूदा	प्रस्तावित	मौजूदा	प्रस्तावित	मौजूदा	प्रस्तावित	मौजूदा	प्रस्तावित	मौजूदा	प्रस्तावित	मौजूदा	संशोधित
1.	सवर प्वाइंट (15 एम्प, 6 पिन)	3	2	3	3	3	4	3	5	4	6	-	7	-	1
2.	ए.सी. यूनिट/गीजर के लिए एम.सी.बी. से कनेक्ट किया हुआ सॉकेट निर्गम वायरिंग सहित	-	1	-	1	-	1	-	2	-	4	-	5	-	-
3.	सीलिंग पंखे	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	-	7	1	1
4.	निष्कासन पंखे	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-
5.	काल बैल	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-	3	-	-
6.	लाइट/पंखे/काल बैल/ 5 एम्प. प्लग प्वाइंट	17	17	20	20	23	23	24	27	33	38	-	44	5	5
7.	ट्यूब और स्टार्टर रहित एफ.आई. फिटिंग्स वायरिंग का प्रकार	2	2	2	3	3	4	4	5	-	7	-	8	1	1
						फ्लैटेड कंडयूट प्रकार									
8.	ई.डी.बी.एम.सी.बी. प्रकार														
	(क) एकल फेज	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1
	(ख) थ्री फेज	-	-	-		-		-	1	-	1	-	1	-	-
9.	केबल टी.वी. प्वाइंट	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-
10.	टेलिफोन प्वाइंट	-	-	-		-		-	1	-	2	-	2	-	-

[हिन्दी]

शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम

3628. श्री काशीराम राणा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चलाए जा रहे विभिन्न शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों तक चालू वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों हेतु कितना बजटीय आबंटन किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इन कार्यक्रमों से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए और समान अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों हेतु प्रत्येक राज्य को वस्तुत: कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(घ) शहरी गरीबी को दूर करने के लिए सरकार की संदर्शी योजना क्या है और इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) शहरी गरीबी की जीवन दशाओं में सुधार लाने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण भारत में दिनांक 1.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रथमत: नौवीं कक्षा तक शिक्षित शहरी बेरोजगारों एवं अल्परोजगारयुक्त गरीबों द्वारा स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर तथा द्वितीयत: सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग कर उन्हें मजदूरी रोजगार मुहैया कराके शहरी बेरोजगारों एवं अल्प-रोजगारयुक्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) की स्कीम के लिए किया गया बजटीय आबंटन इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
आबंटन	123.00	160.00	250.00	344.00

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) से लाभ प्राप्त व्यक्तियों की संख्या तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार जारी की गई केन्द्रीय धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सरकार का यह विचार है कि शहरी गरीबों हेतु रोजगार अवसरों में सुधार लाने हेतु कौशल विकास करने तथा देश में परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के कारण उत्पन्न आधुनिक कौशल में प्रशिक्षण देने पर अधिक बल देकर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) की स्कीम का व्यापक रूप से पुनरुद्धार करने की तत्काल आवश्यकता है।

विवरण

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004-2005				2005-2006				2006-2007			
		जारी केन्द्रीय अंश	लघु/समूह उद्यम लगाने के लिए सहायता दिए गए शहरी गरीबों की सं.	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं.	उत्पन्न कार्य के कार्य दिवसों की सं. (लाख में)	जारी केन्द्रीय अंश	लघु/समूह उद्यम लगाने के लिए सहायता दिए गए शहरी गरीबों की सं.	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं.	उत्पन्न कार्य के कार्य दिवसों की सं. (लाख में)	जारी केन्द्रीय अंश	लघु/समूह उद्यम लगाने के लिए सहायता दिए गए शहरी गरीबों की सं.	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं.	उत्पन्न कार्य के कार्य दिवसों की सं. (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1116.41	17704	5831	6.11	1526.17	5887	11613	0.00	2295.94	2195	4945	0.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.69	40	0	3.88	0.00	64	100	2.59	46.68	0	3	0.82
3.	असम	245.07	1150	4638	0.94	0.00	-289	2085	0.63	368.27	0	0	1.64
4.	बिहार	468.09	0	0	3.28	681.66	0	0	0.00	586.83	0	0	0.00
5.	छत्तीसगढ़	119.31	1903	4559	0.56	405.67	2155	602	0.25	698.48	766	1642	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	गोवा	0.00	53	345	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00
7.	गुजरात	164.36	4307	5958	0.27	0.00		2776	012	894.65	2937	.735	1.13
8.	हरियाणा	668.47	2362	4171	0.37	681.12	5215	7965	0.69	571.67	1264	3182	0.21
9.	हिमाचल प्रदेश	2.17	302	839	0.00	45.36	89	394	0.06	9.24	137	256	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	128.17	1265	1748	0.29	9.06	9.18	5165	0.00	849.38	0	0	0.56
11.	झारखंड	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00
12.	कर्नाटक	1165.15	4572	2709	1.24	822.99	3451	1241	1.28	1416.98	25917	14396	0.00
13.	केरल	554.95	3007	4736	0.12	681.26	3847	4527	0.53	639.22	1994	2499	0.29
14.	मध्य प्रदेश	931.49	8704	7524	1.47	1596.76	9187	19645	0.52	2388.35	249	6154	1.24
15.	महाराष्ट्र	1508.66	19114	14518	0.53	2552.92	20611	20140	2.77	3776.34	2304	865	1.02
16.	मणिपुर	0.00	0	2506	0.00	111.39	0	0	2.47	0.00	0	628	0.76
17.	मेघालय	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	97.65	0	0	0.00
18.	मिजोरम	491.04	1175	379	0.00	351.90	48	1346	22.36	533.40	0	1906	1.92
19.	नागालैंड	34.02	265	250	0.00	194.51	-346	333	0.53	145.23	0	0	0.28
20.	उड़ीसा	48.91	3967	2273	0.76	469.86	8375	1703	0.00	808.97	2473	931	0.33
21.	पंजाब	0.00	527	1440	0.25	39.68	17	597	0.01	135.71	0	0	0.03
22.	राजस्थान	256.29	4660	1957	0.50	495.38	6643	3340	0.16	853.93	1941	1210	0.65
23.	सिक्किम	0.00	76	176	0.56	0.00	44	118	0.00	10.38	0	0	0.13
24.	तमिलनाडु	511.69	2356	5016	0.59	924.36	7434	19920	0.00	1891.51	6036	3054	20.47
25.	त्रिपुरा	352.18	544	4783	1.07	0.00	578	4253	0.48	127.08	1020	561	0.17
26.	उत्तरांचल	160.31	153	1212	0.00	309.14	0	0	0.00	93.96	0	0	-0.07
27.	उत्तर प्रदेश	2622.61	6919	29031	4.20	3071.43	11789	24255	4.69	4566.49	6496	16871	7.42
28.	पश्चिम बंगाल	424.02	4033	2361	1.92	617.47	5579	3986	1.46	1063.13	534	12850	0.31
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	4	0	0.87	0.00	6	0	0.62	0.00	15	0	1.24
30.	चंडीगढ़	28.64	72	961	एन.ए.	0.00	24	794	एन.ए.	0.00	18	515	0.00
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	10	98	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00
33.	दिल्ली	0.00	214	220	एन.ए.	0.00	165	775	एन.ए.	0.00	61	0	0.00
34.	पांडिचेरी	191.00	1108	1792	1.46	0.00	2738	4400	0.64	0.00	0	0	0.00
	कुल	12200.70	90566	111831	31.24	15588.09	98791	142073	42.86	24868.45	56357	73203	26.95

[अनुवाद]

जिला परिषद के अधीन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

3629. **श्री नारायण चन्द्र खरकटकी:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सीधे केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मानक लेखाकरण प्रक्रिया की तर्ज पर हैं;

(ग) क्या अनेक राज्यों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को जिला परिषद के अधीन रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष पूर्वोत्तर राज्यों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को जिला परिषद के अधीन रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां 75% निधियां सीधे संघ सरकार से तथा 25% निधियां राज्य सरकारों से प्राप्त कर रही हैं।

(ख) निधियों का संवितरण अनुमोदित मानक लेखांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी "डीआरडीए प्रशासन" योजना दिशानिर्देशों में एक सामान्य नीति के रूप में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा जिला परिषदों के मिल जाने का प्रावधान नहीं है। तथापि, दिशानिर्देशों के तहत, राज्य सरकारों को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को अलग से एक इकाई के रूप में चलाने के लिए लोचनीयता प्रदान की गई है। इस समय, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जिला परिषदों/ जिला पंचायतों के साथ मिला दिया गया है तथा एक अलग "डीआरडीए प्रकोष्ठ" बनाया गया है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जिला परिषदों के अंतर्गत रखने के लिए ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

अपशिष्ट निपटान हेतु दिशानिर्देश

3630. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कचरे और अन्य ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निपटान हेतु बनाए गए नियम पुराने हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने अपशिष्ट निपटान को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए नियम बनाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पुन: चक्रण प्रयोजनों हेतु कचरे और अन्य ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों पर स्कैनिंग मशीनों का लगाया जाना

3631. **श्री रूपचंद मुर्मू:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में सभी मेट्रो स्टेशनों पर स्कैनिंग मशीनें लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मशीनों को कब तक लगाए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन मेट्रो स्टेशनों पर स्कैनिंग मशीन लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं बना रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजकोषीय रियायतें

532. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री जसवंत सिंह विश्नोई:
श्री के. सुब्बाराधण:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों को दी गई राजकोषीय रियायतों के कारण राजस्व घाटे का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक ने यह राय व्यक्त की है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों को दिए जा रहे कर संबंधी प्रोत्साहन अनावश्यक हैं जैसा कि दिनांक 28 मार्च, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006-07 से 2009-2010 तक की अवधि के दौरान 1,02,621 करोड़ रुपयों की राजस्व हानि आकलित की गई है। इनमें से प्रत्यक्ष करों के कारण हुई राजस्व हानि 53,740 करोड़ रुपए आंकलित की गई है तथा अप्रत्यक्ष करों के कारण हुई हानि 48,881 करोड़ रुपए आंकलित की गई है।

(ग) से (ङ) सरकार को एशियाई विकास बैंक की ओर से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, हिन्दू में यथा उल्लिखित बैंक के विचार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों को दिए जाने वाले कर प्रोत्साहनों के कारण होने वाली राजस्व हानि के संबंध में सरकार की चिन्ताओं को व्यक्त करते हैं।

सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति में लगातार सुधार करके राजस्व हानि को कम करने के लिए कदम उठा रही है।

नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं का विकास

3633. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री अनंतकुमार हेगड़े:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में फोटोवैल्टैक पावर प्लांट को बढ़ावा देने की कोई कार्य योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अपारंपरिक ऊर्जा के विकास हेतु समेकित ग्रामीण विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) द्वारा कार्यान्वित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इन पर राज्य-वार कितना खर्चा किया गया है;

(घ) क्या कुछ नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम अब तक भी प्रयोगात्मक चरण में हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कार्यक्रमों के विकास हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) ग्रिड-इंटरएक्टिव सौर विद्युत की उच्च यूनिट लागत, जो इस समय अनुमानत: लगभग 20 रु./किवा.घं. है, को ध्यान में रखते हुए इसके लिए किसी विशिष्ट लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया है। तथापि, यदि ऐसी विद्युत की लागत कम हो जाए तो इसके पारंपरिक विद्युत के सापेक्ष लागत-प्रतिस्पर्धी होने तक सीमित पैमाने पर इसकी संस्थापना को सुगम किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर और इस देश में अनुसंधान, डिजाइन और विकास (आरडीएंडडी) कार्यकलाप का उद्देश्य सौर विद्युत उत्पादन को लागत-प्रतिस्पर्धी बनाना है। यद्यपि, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई निश्चित समय तक नहीं किया जा सकता, तथापि, सामान्यतया यह समझा जाता है कि सौर विद्युत वर्ष 2030 तक लागत प्रतिस्पर्धी अथवा प्रतिस्पर्धी होने के नजदीक पहुंच जाएगी जो कि प्रौद्योगिकीय सफलताओं और पारंपरिक ईंधन विद्युत के उत्पादन की उस समय की यूनिट लागत पर निर्भर करेगा।

(ग) मंत्रालय द्वारा उक्त एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के माध्यम से अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम/योजनाएं सामान्यतया संस्थापना तथा विकास की दो श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं। पहली श्रेणी में ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम, परीक्षण/प्रायोगिक चरण में हैं, बाद वाली श्रेणी में नवीन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास संबंधी कार्य प्रायोगिक और/अथवा विकास की अवस्था में हैं। इस संबंध में नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों

के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास हेतु लगभग 1500 करोड़ रु. का 11वीं योजना परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

[हिन्दी]

कराधान नीति का पुन: मूल्यांकन

3634. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मौजूदा कराधान नीति का पुन: मूल्यांकन करने के उद्देश्य से व्यक्तियों, के जीवन स्तर पर विभिन्न करों के प्रभाव के संबंध में कोई व्यापक अध्ययन कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीएसआईआर में नए वेतनमान

3635. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के शासी निकाय ने कतिपय श्रेणियों के नए वेतनमानों को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वेतनमानों को सभी श्रेणियों के संबंध में लागू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें किन-किन श्रेणियों के लिए लागू नहीं किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) शाकी निकाय के निदेशकों के 28 पदों के संबंध में नए वेतनमानों और सीएसआईआर में अनुभाग अधिकारियों हेतु नान-फंक्शनल स्केल को अनुमोदन प्रदान किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) निदेशकों के 28 पदों हेतु उन्नत वेतनमानों को क्रियान्वित किया गया है जबकि अनुभाग अधिकारियों के लिए नान-फंक्शनल स्केल अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है क्योंकि सीएसआईआर के दिनांक 12.5.2006 के परिपत्र की अधिसूचना के बाद वित्त मंत्रालय ने सीएसआईआर को अनुभाग अधिकारियों को 8000-13,500 रुपये के नान-फंक्शनल वेतनमान प्रदान करने वाले परिपत्रों को वापिस लेने का निदेश दिया क्योंकि अनुभाग अधिकारियों का नान-फंक्शनल स्केल विशेष रूप से सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों के लिए था और यह सीएसएस से इतर इसी प्रकार के नामोद्दिष्ट अन्य अधिकारियों के लिए लागू नहीं था।

शासी निकाय की 167वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वित्त मंत्रालय से अपनी राय पर पुन: विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है और उनका उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

राजकोषीय घाटा

3636. श्री अनिल बसु:
श्री उदय सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का साझा राजकोषीय घाटा कितना है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने सरकार को सरकारी बजटों में राजकोषीय घाटे को कम करने का निदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने राजकोषीय घाटा में कमी करने के लिए कोई नीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा निम्नानुसार है:

वर्ष	राजकोषीय घाटा	
	करोड़ रुपये	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में
2002-03	234,987	9.6
2003-04	234,502	8.5
2004-05	234,721	7.5
2005-06 (सं.अ.)	263,105	7.4
2006-07 (ब.अ.)	260,803	6.4

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया है जिसमें राजकोषीय घाटे में कम से कम 0.3 प्रतिशतांक और राजस्व घाटे में 0.5 प्रतिशतांक की वार्षिक कमी किए जाने की परिकल्पना की गई है। इस कानून में केन्द्र सरकार को अधिदेश दिया गया है कि वह 31 मार्च, 2009 तक अपने राजस्व घाटे को खत्म करे और राजकोषीय घाटे को इतना कम करे कि वह सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अधिक न हो।

स्क्रैप मैटिरियल्स का निपटान

3637. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न पत्तनों पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारी बिना किसी समुचित जांच के स्क्रैप मैटिरियल्स का निपटान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्क्रैप मैटिरियल्स में अत्यधिक संवेदनशील गोला बारूद होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। विभिन्न पत्तनों पर आयातित धातु और स्क्रैप का परिपत्र 56/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 18.10.2007 के जरिए विहित प्रक्रिया के अनुसार विस्तृत जांच के बाद ही निपटान किया जाता है। तदनुसार धज्जियों के रूप में आयातित धातु स्क्रैप की न्यूनतम एक कंटेनर की जांच के अंतर्गत खेप के 10% की जांच के मानदंड के तहत जांच की जाती है। इस प्रकार चयनित कंटेनरों की 100% जांच की जाती है। साथ ही, बिना धज्जियों के, सम्पीड़ित अथवा असंहत रूप में धातु स्क्रैप के आयात की न्यूनतम एक कंटेनर की जांच के तहत प्रत्येक खेप के लिए उत्पादक आयातक के संबंध में 25% कंटेनरों की तथा व्यापारी के संबंध में 50% कंटेनरों की जांच की जाती है। ऐसे स्क्रैप के आयात की अनुमति विनिर्दिष्ट पत्तनों के माध्यम से दी जाती है और प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा निर्यात पत्तन पर जारी लदानपूर्व निरीक्षण प्रमाणन अपेक्षित होता है।

(ग) स्क्रैप किसी भी धात्विक मद से तैयार किया जा सकता है। युद्ध अथवा सशस्त्र लड़ाई से प्रभावित देशों से लाए गए बिना धज्जियों वाले स्क्रैप में ज्वलनशील तत्व हो सकता है जो संवेदनशील रह सकता है अथवा बाद में संवेदनशील हो सकता है। स्क्रैप में ऐसी किसी निषिद्ध सामग्री का पता चलने पर आयातित खेप के लिए तथा संबंधित व्यक्तियों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और किसी अन्य प्रासंगिक विधि के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाती है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा की गई जांच से पता चला है कि दुर्घटना का कारण विस्फोटक सामग्री की मौजूदगी था जिसका पता बड़ी खेपों के कारण नहीं चल सका और बाद में विस्फोटक हो गया। होदैडेह, यमन और बंडर अब्बास, ईरान से बिना धज्जियों वाले धातु स्क्रैप को अनुमति नहीं दी जाती है। उपर्युक्त रिपोर्ट में किसी सीमा शुल्क अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है। तथापि, सीमा शुल्क विभाग अधिकारियों की ओर से किसी चूक के लिए कार्रवाई करता है।

जापान से आसान शर्तों पर ऋण

3638. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार ने भारत में विभिन्न परियोजनाओं हेतु आसान शर्तों पर ऋण देने का वायदा किया है जैसाकि दिनांक 31 मार्च, 2007 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, इससे संबंधित निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अब क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जापान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए भारत में ग्यारह परियोजनाओं के लिए सरकारी विकास सहायता ऋण की वचनबद्धता की है। इस संबंध में टिप्पणियों का आदान-प्रदान भारत सरकार तथा जापान सरकार के बीच 30.3.2007 को किया गया है तथा इन ग्यारह परियोजनाओं के संबंध में व्यष्टि ऋण करारों पर भी भारत सरकार एवं जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन के बीच 30.3.2007 को हस्ताक्षर किए गए हैं। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जापान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2006 के लिए अपनी शासकीय विकास सहायता के अंतर्गत निम्नलिखित 11 परियोजनाओं के लिए 184,893 मिलियन येन (लगभग 6482.35 करोड़ रुपए#) के ऋण की निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार वचनबद्धता की है:-

क्र.सं.	परियोजना	मिलियन येन तथा लगभग करोड़ रुपए में अधिकतम राशि	ब्याज दर	पुनर्भुगतान अवधि	अवस्थिति
1.	दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (चरण-2) (II)	13,583 (476.22)	1.3%	दस (10) वर्ष की अनुग्रहावधि के पश्चात बीस (20) वर्ष	दिल्ली
2.	विशाखापट्टनम पत्तन विस्तार परियोजना	4,129 (144.76)	0.75%	पांच (5) वर्ष की अनुग्रहावधि के पश्चात दस (10) वर्ष	आंध्र प्रदेश
3.	बंगलौर वितरण उन्नयन परियोजना	10,643 (373.14)	0.75%	पांच (5) वर्ष की अनुग्रहावधि के पश्चात दस (10) वर्ष	कर्नाटक
4.	हैदराबाद महानगरीय क्षेत्र में परिवहन प्रणाली आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण परियोजना	23,697 (830.82)	1.3%	दस (10) वर्ष की अनुग्रहावधि के पश्चात बीस (20) वर्ष	आंध्र प्रदेश
5.	आंध्र प्रदेश सिंचाई तथा आजीविका सुधार परियोजना	23,974 (840.53)	1.3%	दस (10) वर्ष की अनुग्रहावधि के पश्चात बीस (20) वर्ष	आंध्र प्रदेश
6.	त्रिपुरा वन पर्यावरण सुधार एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना	7,725 (270.84)	0.75%	दस (10) वर्ष की अनुग्रहावधि के पश्चात तीस (30) वर्ष	त्रिपुरा
7.	गुजरात खनिकी विकास परियोजना	17,521 (614.29)	0.75%	दस (10) वर्ष की अनुग्रहावधि के पश्चात तीस (30) वर्ष	गुजरात
8.	केरल जलापूर्ति परियोजना (II)	32,777 (1149.16)	1.3%	दस (10) वर्ष की अनुग्रहावधि के पश्चात बीस (20) वर्ष	केरल
9.	आगरा जलापूर्ति परियोजना	24,822 (870.26)	1.3%	दस (10) वर्ष की अनुग्रहावधि के पश्चात बीस (20) वर्ष	उत्तर प्रदेश
10.	अमृतसर मलजल निकासी परियोजना	6,961 (244.05)	0.75%	दस (10) वर्ष की अनुग्रहावधि के पश्चात तीस (30) वर्ष	पंजाब
11.	उड़ीसा एकीकृत सफाई स्वच्छता सुधार परियोजना	19,061 (668.28)	0.75%	दस (10) वर्ष की अनुग्रहावधि के पश्चात तीस (30) वर्ष	उड़ीसा

#विनिमय दर : @100 येन = 35.06 रुपए की दर पर (24.4.2007 के अनुसार)

बैंकों में लाकर्स आबंटित करना

3639. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंकों में लाकर्स आबंटित करने हेतु वर्तमान दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) क्या बैंक लाकर्स का आवंटन करने के लिए ग्राहकों को फिक्स डिपाजिट कराने के लिए जोर देते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वर्तमान दिशा-निर्देशों में कुछ परिवर्तन करने के लिए जनता से राय मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसम्बर, 2006 को अपनी वेबसाइट पर "सुरक्षित जमा लाकर/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा का विस्तार तथा सुरक्षित जमा लाकरों तक पहुंच/बैंकों द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं की वापसी" के संबंध में मार्गनिर्देशों का मसौदा दिया है। बैंकों और जनता से प्राप्त प्रतिसूचना को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 अप्रैल, 2007 को मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों से कहा गया है:

(1) लाकर सुविधा को सावधि या किसी अन्य प्रकार की जमाराशि के नियोजन से विशेष रूप से अनुमत सीमा से अधिक सीमा तक, जोड़ने की प्रतिबंधी प्रथा से बचें।

(2) लाकर के किराए का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बैंक आबंटन के समय एक सावधि जमाराशि प्राप्त कर सकता है, जिसमें 3 वर्ष का किराया तथा आकस्मिकता के मामले में लाकर तोड़ने के लिए प्रभार शामिल हो। तथापि, बैंकों को लाकर किराए पर लेने वाले मौजूदा ग्राहकों से ऐसी सावधि जमाराशि हेतु आग्रह नहीं करना चाहिए।

(3) लाकरों के आबंटन के प्रयोजन से प्रतीक्षा सूची बनाएं, लाकरों के आबंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करें और साथ ही लाकर किराए पर लेने वाले व्यक्ति को आबंटन के समय लाकर के परिचालन के संबंध में समझौते के प्रति दें। विस्तृत मार्गनिर्देश भारतीय रिर्ज बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

कन्वर्जन प्रभारों में बढ़ोत्तरी

3640. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों ने हाल ही में हुई जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिल्ली सहित सभी महानगरीय शहरों में कृषि भूमि पर कालोनियों का निर्माण करने हेतु भारी कन्वर्जन प्रभार लगाने का परामर्श दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा दिनांक 16-17 मार्च, 2007 को नयी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन : "डेवलपिंग इन्क्लूसिव सिटीज" के संबंध में दो-दिवसीय राष्ट्रीय परिचर्चा आयोजित की गयी। राष्ट्रीय परिचर्चा का पहला दिन विशेषज्ञ समूह की बैठक के लिए था। दूसरा एवं अंतिम दिन मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक के लिए निर्धारित था। राज्यों के आवास/शहरी विकास/स्थानीय स्व-शासन मंत्रियों को मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु वित्त और लघु ऋण प्रणाली

3641. श्री अनंत कुमार हेगड़े: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कृषि क्षेत्र में लघु वित्त और लघु ऋण प्रणाली में संशोधन करने या उसमें सुधार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी निजी भागीदारों ने लघु वित्त और लघु ऋण प्रणाली में भाग लेने में रुचि दर्शायी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने एक नया विधान अधिनियमित करने के लिए दिनांक 20.03.2007 को लोक सभा में एक विधेयक "व्यष्टि वित्तीय क्षेत्र (विकास और विनियमन), विधेयक 2007" पेश किया है, जो व्यष्टि वित्त क्षेत्र के संवर्धन, विकास और विनियमन के लिए औपचारिक सांविधिक ढांचा उपलब्ध कराएगा।

(ग) और (घ) गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) पहले से ही व्यष्टि वित्त प्रदान करने के कार्य में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, इस विधेयक में किसी राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों, पारस्परिक लाभ वाली समितियों या पारस्परिक सहायता प्राप्त समितियों अथवा बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत बहु राज्य सहकारी समितियां, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या ऐसी समितियों को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य राज्य अधिनियमों के तहत पंजीकृत समितियों और भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत सृजित न्यास या किसी राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत सरकारी न्यास जैसी व्यष्टि वित्त के कार्य में लगी विभिन्न संस्थाओं के पर्यवेक्षण का प्रावधान है।

(ङ) और (च) इस समय कई गैर-सरकारी व्यष्टि वित्त संस्थाएं भी व्यष्टि वित्त की गतिविधियों में लगी हुई हैं। गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) जैसी व्यष्टि वित्त क्षेत्र में लगी कतिपय संस्थाओं और धारा 25 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों (भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत) का नियंत्रण और नियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास

3642. श्री थावर चन्द गेहलोत: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कोई कार्य योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बुनियादी विज्ञान शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने छात्रों ने विज्ञान शिक्षा में प्रवेश लिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा विज्ञान शिक्षा में छात्रों की प्रवेश दर को बढ़ाने और प्रतिभा पलायन को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की देश में और अधिक सम्मिलित संवृद्धि हेतु सहायता करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष को सक्षम बनाने के लिए कई योजनाएं हैं। इसने विज्ञान और इंजीनियरी के लिए प्रतिभा आपूर्ति श्रृंखला में संवृद्धि हेतु सहक्रियात्मक प्रयासों की योजना बनायी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वास्तविक समय-सीमा में जानकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिणाम और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को प्रौद्योगिकी प्रेरित संवृद्धि के समानुपात को मापने के लिए प्रबोधन हेतु एक उपयुक्त तंत्र और संरचना विकसित की गयी है। यह योजना बनायी गयी है कि उच्च उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ बहु एजेंसियों और विषयों को शामिल करते हुए समन्वित कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान और विकास सहायता का कुछ प्रतिशत निर्दिष्ट किया जायेगा। वस्त्र, ऊर्जा, भेषज और औषधीय, आई सी टी आदि जैसी संवृद्धि संबंधी क्षेत्रकों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर संयुक्त कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए योजनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग देश में सार्वजनिक-निजी सहभागिता के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त कुछ चयनित प्रभाग क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली को सक्रियता से तैयार करेगा। इसने शुद्ध पेयजल, वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रतिभा को आकर्षित करने और पोषित करने, सम्पत्ति सृजन करना और विज्ञान में मौलिक अनुसंधान हेतु बड़ी सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकियों के घरेलू प्रयोग हेतु कम लागत वाले समाधानों का अभिकल्पन और विकास हेतु पहल करने की भी योजना बनायी गयी है।

(ग) और (घ) वर्ष 2005 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की ओर से राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन सी ए ई आर) द्वारा कराये गये एक अध्ययन ''भारत विज्ञान रिपोर्ट'' के अनुसार विज्ञान का अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों का अनुपात वर्ष 2000-01 में 31% से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 34.6% हो गया है। 2004 में ग्रेजुएट प्लस स्तर पर कुल 9.84 मिलियन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। अध्ययन से प्रकट होता है कि विज्ञान में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों की रुचि के अनुपात में कोई कमी नहीं आयी है। तथापि, ऐसी चिंता के कुछ क्षेत्र हैं जैसे विज्ञान में अध्ययन के लिए कुछ छात्र पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त होना महसूस नहीं करते, कक्षाओं का बड़ा आकार और संस्थानों में उपलब्ध शिक्षण उपकरणों की कमी। शिक्षकों को समुचित पुन: प्रशिक्षण की अपेक्षा है और पाठ्यक्रम विषय वस्तु को सरल बनाने की आवश्यकता है।

(ङ) विज्ञान विषय को अपनाने के लिए विद्यार्थियों को और अधिक प्रेरित तथा उत्साहित करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रतिभा को आकर्षित करने और पोषित करने के लिए अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंसपायर) नामक शीर्षक के तहत एक नये कार्यक्रम को आरंभ करने की योजना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान संबंधी विषयों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनके बी एस सी/एम एस सी कार्यक्रमों के दौरान उनको इससे जोड़ने और उनके प्रतिधारण हेतु विश्वविद्यालय पूर्व स्तर पर आरंभ होने वाला एक नया कार्यक्रम शुरू किये जाने की भी योजना बनायी गयी है। 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष की 10,000 अध्येतावृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है। इससे युवा वैज्ञानिकों की एक अच्छी श्रेणी तैयार होगी तथा आई पी आर उत्पादन के माध्यम से सम्पत्ति सृजन में भारत इससे आगे बढ़ने में सक्षम हो जायेगा। सरकार ने अनुसंधान की ओर रूझान वाले रखने वाले विद्यार्थियों का चयन करने के लिए ''किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (के वी पी वाई)'' नामक कार्यक्रम पहले से ही जारी रखा है और विज्ञान, इंजीनियरी तथा औषधि में अनुसंधान कैरियर को अपनाने के लिए उपयुक्त छात्रवृत्तियों और अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से उन्हें प्रेरित कर रही है।

एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि

3643. श्री बापू हरी चौरे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई और उसका उपयोग किया गया;

(ख) इसके अंतर्गत राज्य-वार कितने जिले आते हैं;

(ग) इन जिलों में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान कुछ राज्यों से अतिरिक्त धनराशि प्रदान किए जाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) जिला, ब्लाक तथा ग्राम स्तर पर पंचायतों को तीन स्तरों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। संपूर्ण रोजगार योजना दिशानिर्देशों के पैरा 6.5.1. के अनुसार जिला तथा मध्यवर्ती पंचायतों द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं- (1) मृदा एवं नमी संरक्षण, (2) लघु सिंचाई, (3) पेयजल स्त्रोतों का पुनरुद्धार, (4) भू-जल स्तर को बढ़ाना, (5) पारंपरिक जल संभरण ढांचे, (6) ग्रामीण टैंकों/तालाबों से गाद निकालना, (7) ग्रामीण लिंक रोड, (8) जल निकासी कार्य, (9) वनरोपण, (10) विद्यालय भवन, (11) औषधालय, (12) सामुदायिक केन्द्र, (13) पंचायत घर, (14) बाजारों का विकास। दिशानिर्देशों के पैरा 6.6 के अनुसार, ग्राम पंचायतें (1) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के लिए अवसंरचनात्मक समर्थन, (2) शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा संपर्क सड़कों के लिए सामुदायिक अवसंरचना, (3) सामाजिक आर्थिक सामुदायिक परिसंपत्ति तथा (4) पारंपरिक ग्रामीण टैंकों/तालाबों से गाद निकालना तथा उनका पुनरुद्धार जैसी स्थायी उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन करने वाले सभी कार्य कर सकती है।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्य सरकारों से विपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए आरक्षित 5% कुल आबंटन में से अतिरिक्त अनुदान की रिलीज के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रावधान के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(लाख रु. में)

राज्य	वर्ष के दौरान विपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए रिलीज की गई निधियां			
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
बिहार	0.00	200.00	0.00	अभी तक किसी राज्य को रिलीज नहीं की गई है।
केरल	150.00	150.00	0.00	
राजस्थान	0.00	1100.00	9750.00	
तमिलनाडु	210.00	0.00	0.00	

विवरण

वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक के दौरान एसजीआरवाई का निष्पादन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004-05			2005-06			2006-07			2007-08		
		किस्तों की संख्या	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	राज्यों द्वारा व्यय	किस्तों की संख्या	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	राज्यों द्वारा व्यय	किस्तों की संख्या	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	राज्यों द्वारा व्यय	किस्तों की संख्या	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	राज्यों द्वारा व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	22	24049.88	31922.74	22	29453.70	37705.06	9	13545.64	7823.92	3	572.41	उ.न.
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	1368.64	685.09	15	1377.50	675.53	14	842.20	1006.80	12	*	उ.न.
3.	असम	23	32124.06	39533.75	23	40916.96	46499.24	16	29847.28	35710.99	10	*	उ.न.
4.	बिहार	37	49166.29	63479.62	37	59124.30	73195.24	15	20462.40	17552.35	0	0.00	उ.न.
5.	छत्तीसगढ़	16	12931.67	17757.39	16	16605.81	22093.18	5	6089.13	7040.38	1	188.46	उ.न.
6.	गोवा	2	292.55	282.73	2	242.07	319.55	2	250.58	393.63	2	*	उ.न.
7.	गुजरात	25	9941.23	14856.35	25	12648.76	16887.56	19	10724.36	8728.45	16	1181.04	उ.न.
8.	हरियाणा	19	5567.67	6794.28	19	6758.76	9531.74	18	7552.28	8497.40	16	902.82	उ.न.
9.	हिमाचल प्रदेश	12	2259.63	3683.45	12	2230.05	3587.90	10	1948.24	2290.19	8	172.61	उ.न.
10.	जम्मू-कश्मीर	14	2715.61	4197.50	14	3229.13	4570.88	11	3252.59	2746.84	9	244.50	उ.न.
11.	झारखंड	22	27394.54	39485.11	22	33841.77	52866.14	2	4173.94	4694.11	0	0.00	उ.न.
12.	कर्नाटक	27	18290.28	26682.09	27	21881.83	30855.62	22	19871.61	16990.52	16	1987.96	उ.न.
13.	केरल	14	7866.56	13565.39	14	9767.11	15532.67	12	9618.09	9356.48	10	*	उ.न.
14.	मध्य प्रदेश	45	28713.84	40023.35	48	34606.57	45496.35	30	20402.84	19818.67	17	1398.53	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	महाराष्ट्र	33	33657.28	49000.74	33	40869.63	53360.78	21	31832.03	24365.18	15	2820.36	उ.न.
16.	मणिपुर	9	2123.41	2387.20	9	2164.50	966.20	8	2179.95	2326.82	6	226.07	उ.न.
17.	मेघालय	7	2439.01	3199.36	7	2334.13	3503.10	5	1753.09	1999.38	2	62.72	उ.न.
18.	मिजोरम	8	574.44	557.19	8	748.55	988.29	6	688.66	374.98	4	59.70	उ.न.
19.	नागालैंड	8	1637.97	1433.70	8	1415.70	1989.25	7	1356.43	751.24	3	99.32	उ.न.
20.	उड़ीसा	30	26939.86	36291.37	30	33322.45	35694.05	11	11931.45	10055.39	6	655.68	उ.न.
21.	पंजाब	17	5818.55	6215.06	17	6412.39	6246.18	16	4416.73	5452.86	13	172.21	उ.न.
22.	राजस्थान	32	14564.97	20437.32	32	17945.03	23423.21	26	25360.83	16456.66	20	1515.99	उ.न.
23.	सिक्किम	4	685.88	771.95	4	828.75	1076.58	3	703.59	468.87	1	30.31	उ.न.
24.	तमिलनाडु	29	22470.43	30960.67	29	25995.76	35587.77	23	23561.42	24629.46	19	2660.13	उ.न.
25.	त्रिपुरा	4	4079.04	5891.08	4	5213.91	6155.50	3	4324.16	3317.17	1	145.12	उ.न.
26.	उत्तरांचल	13	5361.66	8502.94	13	6607.12	9358.23	10	6123.38	6901.34	8	468.53	उ.न.
27.	उत्तर प्रदेश	70	79279.95	106468.40	70	98576.36	128965.23	48	68935.32	55969.47	48	9189.84	उ.न.
28.	पश्चिम बंगाल	19	26731.84	32836.27	19	34453.29	37779.37	9	14439.59	14248.15	2	138.03	उ.न.
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	220.94	65.35	2	44.36	88.03	2	0.00	14.29	2	*	उ.न.
30.	दादरा व नगर हवेली	1	87.28	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	*	उ.न.
31.	दमन और दीव	2	0.00	0.00	2	0.00	0.00	2	0.00	0.00	2	*	उ.न.
32.	लक्षद्वीप	1	28.57	11.37	1	126.75	44.20	1	129.55	13.20	1	*	उ.न.
33.	पांडिचेरी	1	205.09	34.06	1	0.00	186.24	1	166.64	118.60	1	*	उ.न.
	जोड़	583	449618.62	608012.87	586	549743.00	705228.91	388	346484.00	310113.78	#275	24892.34	

एनए-उपलब्ध नहीं

*पहली किस्त जारी करने के लिए शर्तों को पूरा न करने के कारण निधियां रिलीज नहीं की गई

#इसमें उत्तर प्रदेश के वे जिले शामिल हैं जिन्हें 2007-08 में एनआरईजीए में शामिल किया जाएगा।

[अनुवाद]

जटरोफा पौधरोपण हेतु प्रशिक्षण

3644. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जटरोफा पौधरोपण परियोजना को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि जटरोफा उगाने वाले किसानों को इस फसल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और उन्हें इस संबंध में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो किसानों को जटरोफा की फसल उगाने हेतु अपेक्षित आदानों और अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी के बारे में प्रशिक्षण देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जटरोफा पौधरोपण हेतु इस समय मंत्रालय द्वारा कोई कार्यक्रम/योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, केंद्र सरकार ने अनुसंधान और विकास, फसल उत्पादकों में जागरूकता सृजित करने/क्षमता निर्माण करने संबंधी कार्यकलापों सहित सार्वजनिक बंजरभूमि पर बड़े पैमाने पर जटरोफा के पौधरोपण का कार्य शुरू करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में शामिल करके 'राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन' के नाम से एक समन्वित कार्यक्रम शुरू करने के लिए कदम उठाये हैं। राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन के प्रदर्शन चरण को आरंभ करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता

3645. श्री अबु अयीश मंडल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान कुछ गैर-सरकारी संगठनों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से कुछ सामाजिक योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

लघु वित्त संस्थाएं

3646. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से यह पता चला है कि कई लघु वित्त संस्थाएं क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत गरीबों को कवर करने के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई लघु वित्त संस्थाएं उन क्षेत्रों में काम कर रही हैं जहां पर बैंकिंग प्रणाली पहले काम कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या लघु वित्त संस्थाओं पर बैंकों का कोई निगरानी नियंत्रण नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) रिजर्व बैंक और कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा हाल में किए गए व्यष्टि वित्त संबंधी संयुक्त तथ्योन्वेषण अध्ययन में यह पाया गया था कि ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकों द्वारा वित्तपोषित या उनके मध्यवर्तियों/भागीदारों के रूप में कार्य कर रहे कुछ व्यष्टि वित्त संस्थान अपेक्षाकृत बेहतर बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा समर्थित कुछ व्यष्टि वित्त संस्थान अपेक्षित मात्रा में समूहों के क्षमतावर्द्धन और सशक्तिकरण में स्वयं को शामिल नहीं कर रहे थे।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से कहा गया है कि बैंकों के लिए उचित पहचान-पत्र, कार्यनिष्पादन रिकार्ड, नियमित लेखापरीक्षा के साथ लेखाओं और रिकार्डों के रख-रखाव की प्रणाली और गहन पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु जनशक्ति युक्त व्यष्टि ऋण संगठनों के साथ कार्य करना अपेक्षित होगा। सरकार ने देश में व्यष्टि वित्त सेवाओं के लिए वातावरण हितैषी नीति तैयार करने के लिए दिनांक 20.03.2007 को लोक सभा में एक विधेयक "व्यष्टि वित्तीय क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक, 2007" भी पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य व्यष्टि वित्त क्षेत्र के उन्नयन, विकास और विनियमन के लिए औपचारिक सांविधिक ढांचा प्रदान करना है।

लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण

3647. श्री जुएल ओराम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक प्राथमिकता के आधार पर लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रदान कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के लघु उद्यमियों को कितनी ऋणराशि प्रदान की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 2004, 2005 और 2006 के अंत की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में छोटे उद्यमियों को दिए गए ऋण अग्रिम की राशि क्रमश: 858.46 करोड़ रुपये, 1020.68 करोड़ रुपए और 1276.59 करोड़ रुपए थी।

शेयर बाजार में भारी गिरावट

3648. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, नहीं। जनवरी, फरवरी और मार्च, 2007 के दौरान सेंसेक्स का मासिक औसत क्रमश: 13984, 14143 और 12851 रहा है। बाजार सूचकांकों या किसी विशिष्ट शेयर की कीमत का उतार-चढ़ाव अर्थव्यवस्था, क्षेत्र और कंपनी के बारे में देशीय और विदेशी, खुदरा एवं संस्थागत निवेशकों के अवबोधनों का कार्य है। यह अवबोधन अनेकानेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है जिनमें, वृहद आर्थिक माहौल, अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता, कारपोरेट निष्पादन, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और बाजार मनोभाव शामिल हैं। सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और एक्सचेंजों ने सुरक्षित, पारदर्शी और सक्षम बाजार का संवर्धन करने एवं बाजार की अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं तैयार की हैं। प्रणालियों में आनलाईन अनुवीक्षण तथा निगरानी, विभिन्न स्थिति सीमाएं, मार्जिन अपेक्षाएं, सार्किट फिल्टर आदि समाहित उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रक्रम शामिल हैं जो बाजार में गिरावट की संभावना को कम करते है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा योजनाएं

3649. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा क्षेत्र, जीवन बीमा और साधारण बीमा की अलग-अलग रूप से कितनी पहुंच है;

(ख) इस क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों का अनुपात क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कितने बीमा दावों का निपटान किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा बीमा योजनाओं में और अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र के लिए बीमाकर्ताओं का दायित्व) विनियम, 2002 के अनुसरण में सभी जीवन बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे प्रथम छ: वित्तीय वर्षों में 7%, 9%, 12%, 14%, 16% और 18% पालिसियों की हामीदारी करें जबकि गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में प्रथम दो वित्तीय वर्षों में 2% और 3% और 5% की हामीदारी की जाए, उसके पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम की हामीदारी होना अपेक्षित है।

(ग) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि इसकी आंकड़ा संसाधन प्रणाली ऐसी सूचना नहीं जुटाती।

(घ) आईआरडीए ने सूचित किया है कि उसने व्यष्टि बीमा से संबंधित विनियमों को अधिसूचित कर दिया है जिसमें जीवन एवं गैर-जीवन बीमा कंपनियों के लिए व्यवस्था है कि वे अल्पावधि गैर-जीवन उत्पादों सहित दीर्घावधि जीवन उत्पादों के सम्मिश्रण के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को करने के लिए व्यष्टि बीमा उत्पाद प्रदान करे।

[हिन्दी]

ऋण एवं अनुदानों को मंजूरी देने संबंधी दिशा-निर्देश

3650. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिल्डिंग ठेकेदारों और स्वयंसेवी संगठनों को ऋण एवं अनुदानों को मंजूरी देने संबंधी हुडको (एचयूडीसीओ) ने क्या दिशा-निर्देश तैयार किये है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न पक्षों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कतिपय बिल्डिंग ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन दिशा-निर्देशों में बार-बार संशोधन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) आवास एवं नगर विकास निगम लि.

(हडको) के वित्तीय पैटर्न और अन्य दिशानिर्देशों में समय के साथ-साथ कई परिवर्तन हुए है और प्रक्रियाओं व दिशानिर्देशों के मानकीकरण के लिए दिनांक 10 मई 2005 को समेकित संशोधित मास्टर सर्कुलर जारी किया गया जो अब तक किए गए संशोधनों के साथ फिलहाल लागू है। इसके अलावा प्रचालित वित्तीय शर्तें तथा निजी क्षेत्र व स्वैच्छिक संगठनों के वित्तपोषण हेतु दिशा-निर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त 'ख' को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वित्तपोषण शर्तें (1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी)

आवास/इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना ऋणों तथा टेक-आउट फाइनांस (हडको निवास को छोड़कर) के लिए

हडको निदेशक मंडल ने 27 फरवरी, 2007 को हुई अपनी 416वीं बैठक (मद संख्या 12) में सभी परियोजना ऋणों तथा टेक आउट फाइनांस (हडको निवास को छोड़कर) के संबंध में निम्नलिखित विवरण के अनुसार 01.04.2007 से प्रभावी वित्तपोषण शर्तों में कतिपय परिवर्तनों को अपना अनुमोदन दे दिया है:-

क्र.सं.	श्रेणी	अधिकतम वित्त सीमा तक (%)***	परिवर्तनीय आधार पर (बीआर) # - 10.75% प्रतिवर्ष	स्थायी दर (एफआर)* - (बीआर+1%) प्रतिवर्ष
1	2	3	4	5
क.	सभी उधारकर्ताओं द्वारा ईडब्ल्यूएस आवास	90		
	(1) विधवाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांगों, 35 वर्ष से अधिक आयु की अकेली महिला तथा प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवासी योजनाएं		बीआर से 1.75% कम	एफआर से 1.75% कम
	(2) ईडब्ल्यूएस परिवारों के लाभ हेतु योजनाओं को सम्मिलित करते हुए अन्य एक्शन प्लान परियोजनाएं		बीआर से 1.25% कम	एफआर से 1.75% कम
ख.	सभी उधारकर्त्ताओं द्वारा एलआईजी आवास परियोजनाएं	मार्गनिर्देशिकाओं के अनुसार	बीआर से 0.50% कम	एफआर से 0.50%
ग.	अन्य सभी योजनाएं अर्थात उपरोक्त क एवं ख के अलावा			
(1)	सरकार, पुलिस संगठन तथा सरकारी/सार्वजनिक उधारकर्ताओं द्वारा सीधे उधार	90	बीआर पर	एफआर पर
(2)	अन्य उदारकर्ता**	70	बीआर+1%	एफआर+1%
	(1) रेटिंग रहित		बीआर पर	एफआर पर
	(2) क्राइसिल, इकरा, केयर तथा फिच द्वारा "एएए" रेटिंग प्राप्त प्रस्ताव/उधारकर्ता			

1	2	3	4	5
	(3) "एए" लेकिन "एएए" रेटिंग से कम क्राईसिल, इकरा, केयर तथा फिच द्वारा प्रस्ताव/उधारकर्ता		बीआर+0.50%	एफआर+0.50%
	सभी ऋणों के लिए उपलब्ध ब्याज दर छूट $केवल बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूतित ऋण		0.25%	

टिप्पणी:

\# हडको के पास आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तनशील आधार दर (बीआर) की समीक्षा करने एवं इसमें संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

* स्थायी दर (एफआर) पर मंजूरी/जारी किया गया ऋण, ऋण की प्रथम किस्त के जारी होने के तिथि से प्रत्येक 3 वर्षों की समाप्ति के बाद उस समय की मौजूदा स्थायी दरों (एफआर) पर स्वत: पुन: निर्धारित हो जाएगा। यह पुन: निर्धारण, पुन: निर्धारण की देय तिमाही/माह (बिल्डिंग चक्र के अनुसार) के पहले दिन से प्रभावी होगा। करारनामा में इस अनिवार्य प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि उधार लेने वाला 3 वर्षों की समाप्ति पर उस समय लागू स्थायी एफआर पर स्वत: पुन: निर्धारण के लिए सहमत है तथा वह इस परिपत्र के अनुसार स्थायी दर पर पुन: निर्धारण के मामले में इस आशय का एक पूरक करारनामा निष्पादित करेगा। तथापि, उधार लेने वाले को स्वत: पुन: निर्धारण के विकल्प के रूप में 3 वर्षों के उपरांत बिना किसी पूर्व अदायगी प्रभार के ऋण की पूर्व अदायगी का विकल्प दिया जाता है।

** इस ऋण की पूरी अवधि के दौरान उधार लेने वाले द्वारा एए अथवा अधिक की रेटिंग बनाए रखने की शर्त पर है। तथापि, विशिष्ट शर्तों के अनुसार ब्याज दर में छूट, रेटिंग की वैद्यता अर्थात रेटिंग की तिथि अथवा ऋण जारी होने की तिथि, दोनों में से जो भी बाद में हो, से रेटिंग की वैद्यता तक के दौरान उपलब्ध रहेगी। उधारकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से पहले वार्षिक रेटिंग प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त उत्तरवर्ती रेटिंग के एए से कम होने अथवा वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व वार्षिक रेटिंग प्रस्तुत न करने पर गैर-रेटिंग प्राप्त एजेंसियों पर लागू ब्याज दरें, कम रेटिंग/प्रस्तुत न की गई अवधि के लिए अगली बिलिंग तिथि से पहले दिन से लागू होंगे।

*** वित्त की उच्च सीमा संपूर्णत: उपलब्ध है। तथापि वास्तविक ऋण उधार साम्य अनुपात, डीआरपी के अनुसार वित्तपोषण के तरीके, प्रतिभूति आवश्यकता अथवा वित्त की अधिकतम उच्च सीमा, जो भी कम हो, पर आधारित होगा।

1. सभी श्रेणी के उधारकर्ताओं को 300 करोड़ रुपये या अधिक के ऋण के लिए 0.5% तथा 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक के लिए 300 करोड़ रुपये से कम के लिए 0.25% छूट दी जाएगी। यदि उत्तरवर्ती ऋण आहरण निर्धारित सीमाओं से कम है तो पूर्ण व्यापी रूप से छूट हटा दी जाएगी। छूट को वापस लेने के कारक अतिरिक्त ब्याज की राशि वापस लेने के समय देय हो जाएगी और ऐसा अतिरिक्त ब्याज साधारण ब्याज आधार पर आदा करने योग्य होगा तथा दण्ड स्वत: माफ/मुक्त हो जाएगा। आंशिक आहरण के मामले में यदि कुल ऋण राशि निर्धारित सीमाओं के अनुसार है तो अधिक ऋण ब्याज छूट आगे की अवमुक्तियों पर भी दी जाएगी।

2. उधार लेने वाला ऋण आवेदन पत्र के साथ गैर-वापसी योग्य आवेदन फीस सेवाकर जमा करेगा। इसके अलावा गैर-वापसी योग्य फ्रंट-एंड-फीस के साथ सेवाकर भी अदा करना होगा, जो या तो अग्रिम रूप में जमा किया जा सकता है या फिर स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद प्रथम किस्त (सरकार/सरकारी उधारकर्ताओं पर लागू) से समायोजित किया जाएगा।

श्रेणी	ऋण राशि की प्रतिशतता (%)	
	आवेदन फीस# (सेवा कर रहित)	फ्रंट-एंड-फीस* (सेवा कर रहित)
ईडब्ल्यूएस, एक्शन प्लान परियोजनाएं	0.10	0.25
अन्य सभी परियोजनाएं	0.10	0.50

\# सेवाकर सहित 10,000/- रुपये के अगले स्लैब में पूर्णांकित करते हुए सेवाकर सहित न्यूनतम 10,000/- रुपये तथा अधिकतम 5.00 लाख रुपये की शर्त पर। इसके अलावा सरकार/सरकारी उधारकर्ताओं को प्रस्ताव/परियोजना के साथ 50% आवेदन फीस अदा करने का विकल्प दिया जाएगा और बकाया 50% स्वीकृति पत्र जारी करने से पूर्व अदा किया जा सकता है।

* ईडब्ल्यूएस/एक्शन प्लान परियोजनाओं के लिए सेवाकर सहित 10 लाख रुपये तथा अन्य सभी योजनाओं के लिए सेवाकर सहित 100 लाख रुपये की शर्त पर।

टिप्पणी: केवल उन्हीं सरकारी/सार्वजनिक एजेंसियों (अर्थात निजी क्षेत्र के उधार लेने वालों के अलावा) को सभी परियोजनाओं पर 0.25% की दर से आर एंड डी प्रवर्तनीय वापसी योग्य प्रभार लगाया जाएगा जिन्हें हडको द्वारा निर्धारित आर एंड डी निर्देशों के अनुसार इस राशि का उपयोग करने की अनुमति होगी। फिर भी, एजेंसियों को पूरी दर अथवा कम दर पर वसूली करने अथवा कोई वसूली न करने का विकल्प चुनने का विकल्प दिया जाएगा।

3. विगत 3 वर्षों के दौरान एनपीए में न आने वाले सरकारी/सार्वजनिक उधारकर्ताओं को सरकारी गारंटी की लम्बित प्राप्ति के मामले में प्रथम किस्त अथवा ऋण राशि के 25% की राशि, दोनों में से जो भी कम हो, सरकारी गारंटी की प्राप्ति अथवा एक वर्ष तक, दोनों में से जो भी पहले हो, 1% वार्षिक दर पर अतिरिक्त ब्याज (जोखिम) लगाते हुए जारी की जा सकती है। तथापि, यदि सरकारी गारंटी एक वर्ष की समाप्ति के उपरांत भी प्राप्त नहीं होती है तो जारी की गयी ऋण राशि उपयोग न किए गए ऋण के रूप में समझी जाएगी तथा गैर-उपयोग किए गए ऋण के संबंध में हडको के संपूर्ण वित्तपोषण शर्तों में यथा लागू प्रावधान लागू होंगे।

4. ऋण राशि की वापसी अदायगी तथा देय ब्याज देयताओं के संबंध में विलम्ब अवधि के लिए अतिदेय राशि पर 3% वार्षिक की दर से दण्ड ब्याज वसूल किया जाएगा।

5. भविष्य में सभी स्वीकृतियां और अवमुक्तियां तथा निबंधन एवं शर्तें इन मानको द्वारा किए जाएंगे।

6. लाभ अर्जनकर्ता गैर-सरकारी कार्पोरेट उधारकर्ता के आवेदन को स्वीकृति की अनुमति लाभप्रदता पहलू के परीक्षित लेखा के सत्यापन एवं उधारकर्ता को संचित नुकसान न होने की शर्त पर दी जाती है। तथापि, यह शर्त राज्य-सरकार के स्वायत्त निकायों/राज्य सरकार के ऋण प्रस्तावों पर लागू नहीं हो सकेगी। अन्य मामलों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होगा।

7. केवल बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूतित ऋणों के मामले में ब्याज दर 0.25% कम कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

फर्जी बिल्डर्स

3651. श्री अनन्त नायक: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर महानगरों और राज्यों की राजधानियों में फर्जी बिल्डरों की संख्या बढ़ने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार बिल्डरों, रीयल एस्टेट डेवेलपर्स और उनके एजेंटों को विनियमित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) मेट्रो शहरों तथा अन्य राज्यों की राजधानियों में निर्माण कार्यकलापों का विनियमन शहरी स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकरणों आदि द्वारा किया जाता है। अत: यह मामला राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा प्रारूप स्थावर संपदा प्रबंध (विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक तैयार करने पर विचार किया जा रहा है जो कि प्रारूप स्तर पर है। विधेयक प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

[हिन्दी]

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत

3652. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन की औसतन प्रति यूनिट लागत कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन स्त्रोतों से राज्य-वार कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया;

(ग) इससे राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत की खरीद के लिए शुल्क-दरों का निर्धारण कर रहे राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा ऐसी विद्युत के उत्पादन की यूनिट लागत को ध्यान में रखकर ऐसा किया जा रहा है। ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत की खरीद के लिए देश में प्रचलित संसाधनवार न्यूनतम और अधिकतम शुल्क-दरें विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता और अनुमानित विद्युत उत्पादन के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) चूंकि ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत को उस ग्रिड में दिया जाता है जहां से इसका वितरण ग्रिड नेटवर्क में किया जाता है, अत: यह अनुमान लगाना कठिन होगा कि वास्तविक रूप से कितने लोग इसमें लाभ उठा रहे हैं।

(घ) 11वीं योजना के दौरान ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए प्रस्तावित संसाधनवार लक्ष्य संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत की खरीद के लिए देश में प्रचलित संसाधनवार न्यूनतम तथा अधिकतम शुल्क दरें

क्र.सं.	स्रोत	शुल्क दर की रेंज* (रु./किवा. घंटा में)	
1.	पवन विद्युत	2.90	3.97
2.	बायोमास विद्युत	2.63	3.49
3.	लघु पन बिजली	2.25	3.49

*ग्रिड-इंटरएक्टिव और विद्युत की शुल्क-दरें उपलब्ध नहीं है। तथापि, जब ग्रिड-इंटरएक्टिव सौर विद्युत की शुल्क-दरों का निर्धारण हो जाएगा, तो ये 20 रु./किवा. घंटा के आस-पास होंगी, बशर्ते कि इस दर पर ऐसी विद्युत के लिए खरीदार मौजूद हों।

विवरण II

वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता और अनुमानित विद्युत उत्पादन के राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	2004-05 के दौरान		2005-06 के दौरान	
		संचयी क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित ऊर्जा उत्पादन (मिलियन किवा. घं.)	संचयी क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित ऊर्जा उत्पादन (मिलियन किवा. घं.)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	566.66	2049.14	579.16	2935.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.70	67.40	44.30	88.60
3.	असम	2.11	4.22	2.11	4.22
4.	बिहार	45.90	91.80	50.40	100.80
5.	छत्तीसगढ़	22.00	88.00	38.50	187.00
6.	गोवा	0.05	0.10	0.05	0.10
7.	गुजरात	261.03	280.28	345.60	110.90
8.	हरियाणा	68.70	149.40	68.70	157.40
9.	हिमाचल प्रदेश	108.08	216.16	132.08	264.16
10.	जम्मू-कश्मीर	109.74	219.48	109.74	219.48
11.	झारखंड	4.05	8.10	4.05	8.10
12.	कर्नाटक	837.61	1879.02	1138.61	2587.16
13.	केरल	84.62	169.24	84.62	169.24
14.	मध्य प्रदेश	71.01	121.48	82.46	123.90
15.	महाराष्ट्र	699.33	1255.12	1244.48	1128.41
16.	मणिपुर	5.45	10.90	5.45	10.90
17.	मेघालय	30.71	61.42	30.71	61.42
18.	मिजोरम	14.76	29.52	14.76	29.52
19.	नागालैंड	20.47	40.94	20.67	41.34
20.	उड़ीसा	7.30	14.60	7.30	14.60
21.	पंजाब	133.40	330.80	150.55	389.10

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	316.41	502.04	397.25	567.40
23.	सिक्किम	35.60	71.20	38.60	77.20
24.	तमिलनाडु	2287.62	3234.13	3145.26	4369.68
25.	त्रिपुरा	16.01	32.02	16.01	32.02
26.	उत्तर प्रदेश	94.50	329.00	146.60	536.20
27.	उत्तरांचल	72.56	144.90	75.45	150.90
28.	पश्चिम बंगाल	92.30	14.60	98.30	196.60
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	5.25	10.50	5.25	10.50
	कुल	6046.82	11425.51	8077.02	14572.46

विवरण III

11वीं योजना के दौरान ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए प्रस्तावित संसाधनवार लक्ष्य

क्र.सं.	स्रोत		लक्ष्य* (मेगावाट में)
1.	पवन विद्युत		10,500
2.	बायो विद्युत:		2,100
	*सह-उत्पादन	1,200	
	*बायोमास विद्युत	500	
	*शहरी अपशिष्ट से ऊर्जा	200	
	*औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा	200	
3.	लघु पन बिजली		1,400
	कुल		14,000

*ग्रिड-इंटरएक्टिव सौर विद्युत की उच्च यूनिट लागत, जो इस समय अनुमानत: लगभग 20 रु./किवा. घंटा है, को ध्यान में रखते हुए इसके लिए किसी विशिष्ट लक्ष्य का प्रस्ताव नहीं किया गया है। तथापि, यदि ऐसी विद्युत की लागत कम हो जाए तो इसके पारंपरिक विद्युत के सापेक्ष किफायती होने तक सीमित पैमाने पर इसकी संस्थापना की सहायता की जा सकती है।

आईडीएसएमटी योजना

3653. श्री गणेश सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आईडीएसएमटी योजना के अंतर्गत अभी तक देश में राज्य-वार विभिन्न शहरों में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आईडीएसएमटी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) छोटे एवं मझौले कस्बों के समेकित विकास (आईडीएसएमटी) की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत, योजना के प्रारंभ (1979-80) से दिनांक 31.3.2007 तक कुल 1854 कस्बे शामिल किए गए हैं और 106965.81 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा नगर/कस्बा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) 1979-80 से 31.3.2007 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के 146 कस्बों को आईडीएसएमटी योजना के तहत 6422.04 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

विवरण I

1979-80 से 31 मार्च, 2007 तक आईडीएसएमटी के तहत शामिल कस्बे, केन्द्रीय सहायता, दिया गया राज्य अंश तथा सूचित व्यय

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	शामिल कस्बे	दी गई केन्द्रीय सहायता	राज्य सहायता	सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	131	9543.06	5708.90	14963.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	622.00	354.41	559.34
3.	असम	56	2260.36	1311.76	2162.67
4.	बिहार	51	2162.18	1526.00	2006.54
5.	छत्तीसगढ़	39	3031.70	1484.35	3893.93
6.	गोवा	9	220.08	36.45	176.38
7.	गुजरात	115	7587.70	4639.57	11583.68
8.	हरियाणा	35	2897.20	1516.49	3818.97
9.	हिमाचल प्रदेश	24	1174.06	995.49	2132.27
10.	जम्मू-कश्मीर	23	1295.97	705.92	1236.73
11.	झारखंड	13	493.76	490.97	663.55
12.	कर्नाटक	169	8765.00	5352.84	7754.38
13.	केरल	58	3895.41	2323.04	4959.94
14.	मध्य प्रदेश	146	6422.04	3915.33	5535.49
15.	महाराष्ट्र	178	12637.07	8153.88	22527.86
16.	मणिपुर	22	894.10	550.83	985.90
17.	मेघालय	8	441.50	349.18	587.60
18.	मिजोरम	13	671.40	604.63	1198.09
19.	नागालैंड	10	546.09	626.52	1532.71
20.	उड़ीसा	67	2941.68	1761.64	3734.22
21.	पंजाब	38	2043.30	1460.99	3714.08
22.	राजस्थान	78	4853.26	2752.72	7476.44

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	10	250.89	447.44	479.65
24.	तमिलनाडु	172	9164.07	5519.92	13187.51
25.	त्रिपुरा	18	849.06	719.45	1354.71
26.	उत्तरांचल	15	613.00	441.32	350.27
27.	उत्तर प्रदेश	206	10651.60	6928.22	14849.47
28.	पश्चिम बंगाल	121	9512.30	6557.44	12865.45
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	92.00	0.00	124.00
30.	दादरा और नगर हवेली	2	112.22	60.00	49.12
31.	दमन और दीव	1	23.00	6.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	1	25.00	0.00	0.00
33.	पांडिचेरी	8	303.75	440.42	357.28
	कुल योग	1854	106965.81	67787.12	146821.89

विवरण II

1979-80 से आईडीएसएमटी के तहत शामिल कस्बे तथा राज्यों के नाम

सिंचे

1. आंध्र प्रदेश

6ठी योजना

1. रामचंद्रपुरम
2. तेनाली
3. अनकपल्ले
4. विजियनगरम
5. भीमावरम
6. करीमनगर
7. तिरूपति
8. श्रीकाकुलम
9. मेडक
10. गुंतकल
11. चित्तूर
12. गडवाल
13. नांदयाल
14. प्रोद्डातुर
15. महबुबनगर
16. भीमुनिपटनम
17. जहीरबाद
18. सिपिट

7वीं योजना

1. ओंगोले
2. गुडिवाडा
3. अदीलाबाद
4. नलगोंडा
5. कवली

6. येम्मिगनुर
7. पेड्डापुरम
8. खम्मम
9. मचिलिपत्तनम

1990-91

1. तदेपल्लीगुडम
2. ताड़िपत्री
3. कामारेड्डी
4. नर्सरापेत

1991-92

1. तनुकु
2. धर्मावरम
3. रामचंद्रपुरम आई
4. तंदुर
5. सिपिट-आई

8वीं योजना

1. वनपर्थी
2. काकीनाडा
3. जग्गय्यपेत
4. कुरनूल
5. कुडप्पा
6. निददवोले
7. मदनपल्ले
8. चिरल
9. रेपल्ले
10. पोन्नुर
11. नारायणपेट
12. जगितिअल
13. स्रिकलहस्ति
14. निजामाबाद
15. अनंतपुर
16. विकरबाद
17. चिलकलुरिपेत
18. अमलापुरम
19. मिर्यलगुद
20. अदोनी
21. सांगारेड्डी
22. गुडुर
23. हिंदुपुर
24. बोधन
25. अमदलवलस
26. विजिअनगरम आई
27. राजामुंद्री
28. गुंटूर
29. चित्तूर आई
30. वारंगल
31. तुनी
32. तिरूपति आई
33. नेल्लोरे
34. गडवाल
35. भोंगीर
36. कुप्पम
37. एलुरू
38. बोब्बिली

9वीं योजना

1. मचिलिपत्तनम
2. करीमनगर
3. मचेर्ल

4. गजुवक
5. रमगुंदम
6. महबूबनगर
7. मंदपेटा
8. तेनाली
9. नलगोंडा
10. नांदयाल
11. सूर्यपेट
12. बापटला
13. कोव्वूर
14. नुजिविदु
15. सिर्सिल्ल
16. पेदन
17. अनंतपुर
18. सदसिवपेट
19. अनकपल्ले
20. कादिरी

10वीं योजना

1. मंचेरिअल
2. नरसापुर
3. बेल्लामपल्ली
4. समल्कोत
5. सलुर
6. पीठापुरम
7. रायदुर्ग
8. पलकोल
9. पुंगानुर
10. गुंतकल
11. सथेनपल्लि
12. येम्मिगनुर
13. ताड़िपत्री
14. पेड्डापुरम
15. तंदुर
16. जगितिअल
17. भैंस
18. कुतुबुल्लपुर
19. कप्र
20. उप्पल्कलन
21. निर्मल
22. मंगलागिरी
23. पलस कसिबुग्ग
24. नर्सरापेत (एसएचएडीएनएजीएआर)
25. फारूकनगर
26. जानगांव
27. सिपिट
28. विनुकोंडा
29. भीमावरम
30. पार्वतीपुरम
31. जग्गैअह्पेत
32. तदेपल्लीगुडम
33. ओंगोले
34. पोन्नुर
35. श्रीकाकुलम
36. इचपुराम
37. नरसन्नपेत

कुल कस्बे — 131

2. अरुणाचल प्रदेश

1991-92

1. तवांग

8वीं योजना

1. नहर्लगुन
2. यिंग्किओंग
3. बोम्दिल

9वीं योजना

1. तेजू
2. चांगलांग
3. सेप्पा
4. रोइंग

10वीं योजना

1. पसिघत
2. खोंसा
3. देओमलि
4. युपिअ
5. जिरो
6. दपोरिजो
7. आलोंग
8. बसर

कुल कस्बे — 16

3. असम

6ठी योजना

1. तिनसुकिया
2. सिलचर
3. तेजपुर
4. जोरहाट
5. डिब्रुगढ़

7वीं योजना

1. दिफू
2. करीमगंज
3. नगांव
4. हफ्लोंग
5. बोंगैगांव

1990-91

1. शिबसागर
2. धुब्री
3. गोलाघाट

1991-92

1. उत्तर लखीमपुर

8वीं योजना

1. नलबाड़ी
2. मंगलदोई
3. कोकराझार
4. गोलपाड़ा
5. रंगिया

9वीं योजना

1. बरपेटा
2. मरिगांव
3. हैलकंडी
4. धेमजी
5. बोकखाट
6. डिगबोई
7. डिब्रुगढ़
8. होजाइ
9. बिसवानाथ चरिअलि

10वीं योजना

1. गोस्सैगांव
2. सोनरि
3. गोहपुर

4. उदलगुरि
5. बिजनी
6. नार्थ-गुवाहाटी
7. बिलासीपाड़ा
8. देरगांव
9. गोलाघाट
10. नाझिरा
11. दिफू
12. जोरहाट
13. अंगूरी
14. मर्घिरत
15. तिहु
16. बिहुपुरिया
17. पथ्सल
18. लखिपुर
19. अभयपुरी
20. बरपेटा रोड
21. तेजपुर
22. मरिआनी
23. ढकुआखाना
24. सपत्गराम
25. होव्ल्य
26. नलबाड़ी
27. धुब्री
28. सिलचर

कुल कस्बे—56

4. बिहार

6ठी योजना

1. हाजीपुर
2. गोपालगंज
3. सहरसा
4. चप्र
5. बेगुसराय
6. आरा
7. बेतिया
8. कटिहार

7वीं योजना

1. स्वन
2. किशनगंज
3. सीतामढ़ी
4. बुक्सर
5. पुर्निया
6. नवाड़ा
7. बोध गया
8. मधुबनी
9. बिहार शरीफ
10. दरभंगा

1990-91

1. जहानाबाद

1991-92

1. बांका

8वीं योजना

1. मुंगेर
2. मुजफ्फरपुर
3. भागलपुर
4. राजगीर
5. गया
6. सुपौल
7. शिवहर
8. फोर्बसगंज

9वीं योजना

1. माधेपुरा
2. रक्सौल
3. अररिया
4. खगड़िया
5. नरकटियागंज
6. औरंगाबाद
7. भभुआ

10वीं योजना

1. दरभंगा
2. मोतीपुर
3. कांति
4. बाढ़
5. जमुइ
6. फतुह
7. लालगंज
8. मोतीहारी
9. देहिर
10. दल्सिंग्सरै
11. रोसेरा
12. सुगुअलि
13. झंझारपुर
14. इस्लामपुर
15. सोनपुर
16. बेतिया

कुल कस्बे—51

5. छत्तीसगढ़

6ठी योजना

1. बिलासपुर
2. दोंगरगढ़
3. राजनंदगांव

7वीं योजना

1. कोटा
2. जगदलपुर

1991-92

1. रायगढ़

8वीं योजना

1. दल्लि-रझर
2. कवर्धा
3. कांकेर
4. चंपा
5. जंजगीर

9वीं योजना

1. बैकुंठपुर
2. बलोद
3. भाटपाड़ा
4. रायपुर
5. कथ्थोर
6. धमतरी
7. कोरबा

10वीं योजना

1. दुर्ग
2. पेंद्रा
3. दल्ली-रझर
4. अरंग
5. रतनपुर
6. कुम्हरि
7. महासमुंद
8. अंबिकापुर

9. कुरूड़
10. गंदै
11. तिल्द नेवरा
12. सक्ति
13. दोंगरगांव
14. बिलासपुर
15. रमनुजगंज
16. जगदलपुर
17. गोंडगांव
18. पत्थलगांव
19. मनेंद्रगढ़
20. सरंगर्ह

कुल कस्बे — 39

6. गोवा

6ठी योजना

1. पनजि

7वीं योजना

1. मोर्मुगा

1990-91

1. पोंडा

1991-92

1. मपुस सीयूआरसीएचओआरइएम

8वीं योजना

1. कचोर
2. मर्गो

9वीं योजना

1. मपुस
2. पेर्नेम
3. कनकोना

कुल कस्बे — 9

7. गुजरात

6ठी योजना

1. आनंद
2. पाटन
3. पोरबंदर
4. वलसाड़
5. वेरावल
6. पालनपुर
7. अंक्लेश्वर
8. दोहद
9. मेहमेदाबाद
10. गोधरा
11. भुज
12. अमरेली
13. महेसन
14. खेमभट
15. कलोल
16. सनंद
17. देहगम

7वीं योजना

1. दीसा
2. महुवा
3. बिलिमोर
4. विसनगर
5. उपलेबा
6. ठंझ
7. गोंदल
8. नवसारी
9. हिम्मतनगर

10. जुनगध

1990-91

1. सुरेंद्रनगर
2. बोतद
3. मोरवी

1991-92

1. सिधपुर
2. विरमगम
3. केशोद

8वीं योजना

1. वाधवान
2. भरूच
3. नदियद
4. पालीताना
5. बोरसाड
6. धोराजी
7. पेल्लद
8. पाडरा
9. सर्वकुंडला
10. दभोई
11. बावला
12. मोदस
13. इदर
14. आनंद आई
15. बरदौली
16. जामनगर
17. भावनगर
18. द्वारका

9वीं योजना

1. अंबाजी
2. मांडवी
3. दकोर
4. ढोलका
5. अंजर
6. उना
7. उम्रेथ
8. गंधिधम
9. जेतपुर
10. धरंगधारा
11. कपडवंज
12. कोदिनर
13. वांकानेर
14. लिमब्डी
15. धंधुक
16. खेद
17. प्रंतिज
18. कदि
19. बगसर
20. खम्भलिया

10वीं योजना

1. मनसा
2. बलसिनोर
3. थंगध
4. वीजापुर
5. वदनगर
6. जम्बूसर
7. खेरलु
8. गर्ल्यधर
9. वापी
10. छोटा उदयपुर

11. शिहोर
12. हलोल
13. मंगरोल
14. जासदन
15. लुनवाडा
16. रजुल
17. धारी
18. गधद
19. कलोल
20. जमजोधपुर
21. सलय
22. थराड
23. तलज
24. देवगध बरीया
25. कुटियना
26. खेदब्रह्मा
27. धरमपुर
28. चनस्मा
29. तलोद
30. राजपीपला
31. व्यरा
32. राधनपुर
33. मंवदर
34. हलवाड
35. रानावव
36. कर्जन
37. जफ्रबाद
38. हरिज
39. लथि
40. चलल
41. सोंगध
42. अदित्यन
43. बंत्व
44. नवसारी

कुल कस्बे — 115

8. हरियाणा

6ठी योजना

1. अम्बाला
2. सिरसा
3. सोहन
4. करनाल
5. कुरूक्षेत्र
6. हिसार

7वीं योजना

1. भिवानी
2. शाहबाद
3. जींद
4. सोनीपत

8वीं योजना

1. बरवाला
2. चर्खिदादरी

9वीं योजना

1. यमुनानगर
2. पेहोवा
3. भिवानी
4. अम्बाला सिटी
5. सिरसा
6. हांसी
7. कुरूक्षेत्र

10वीं योजना

1. शाहाबाद-मकैंद
2. चीक
3. लल्दुअ
4. इंद्रि
5. अस्संथ
6. कैथल
7. सफिदोन
8. गोहन
9. रोहतक
10. नरवाना
11. अम्बाला सदर
12. नारनौल
13. मोहिन्दरगढ़
14. रतिया
15. फतेहाबाद
16. पलवल

कुल कस्बे — 35

9. हिमाचल प्रदेश

6ठी योजना

1. कसुम्पति जुंग

7वीं योजना

1. मंडी

1991-92

1. हमीरपुर

8वीं योजना

1. नाहन
2. उना

9वीं योजना

1. रामपुर
2. धरम्सल
3. सोलन
4. चम्बा
5. थेओग
6. कुल्लु
7. पालमपुर
8. नालागढ़
9. ज्वालामुखी
10. पाओंता साहिब

10वीं योजना

1. बिलासपुर
2. सुंदर नगर
3. कोत्खै
4. बद्दि
5. मनलि
6. नकैंद
7. नूरपुर
8. संतोखार्ह
9. मेहतपुर

कुल कस्बे — 24

10. जम्मू-कश्मीर

6ठी योजना

1. अनंतनाग

7वीं योजना

2. कठुआ

1990-91

1. लेह
2. डोडा

8वीं योजना

1. सांबा

2. सोपोर
3. आर.एस. पुरा
4. जम्मू

9वीं योजना

1. अनंतनाग

10वीं योजना

1. पुलवामा
2. उधमपुर
3. कत्र
4. रामनगर
5. राजौरी
6. बारामूला
7. कुंजर
8. कुलगाम
9. बिज्बेहर
10. शोपिअन
11. पम्पोरे
12. बसोलि
13. रियासी
14. किस्त्वर

कुल कस्बे — 23

11. झारखंड

6ठी योजना

1. डालटेनगंज
2. दुमका
3. चैबस
4. देवधर
5. हजारीबाग
6. गिरिडीह
7. धनबाद

1990-91

1. साहिबगंज

8वीं योजना

1. गढ़वा
2. चतरा
3. गोडा
4. लोहरदगा

10वीं योजना

1. हजारीबाग

कुल कस्बे — 13

12. कर्नाटक

6ठी योजना

1. हासन
2. चित्रदुर्ग
3. तुमकुर
4. रायचूर
5. होसपेट
6. चन्नपटना
7. कनकपुर
8. मगदि
9. होम्नबाद
10. होलनरसिपुर
11. सागर
12. शाहपुर
13. जामखंडी
14. कुशलनगर
15. रनिबेन्नुर
16. कारकल

7वीं योजना

1. चिक्कबल्लपुर
2. रमनगराम

3. सिरसी
4. हरिहर
5. सिंध्नुर
6. कोल्लेगल
7. गोकक

1990-91

1. बासावकल्याण
2. कोलर
3. उडुपि
4. शिकरिपुर

1991-92

1. मलवल्ली
2. रबकवि-बंहट्टि
3. दंदेलि
4. चिंतामनी
5. चिकमगलूर

8वीं योजना

1. तिपतूर
2. गौरिबिदनुर
3. बादामि
4. गुर्मित्कल
5. सौंदत्ती
6. ब्यद्रि
7. क़ारवाड़
8. बिदर
9. हावेरी
10. बेल्लारी
11. मधुगीरी
12. के.आर. नगर
13. इल्कल
14. निप्पनि
15. डोड्डाबल्लपुर
16. बैंल्होंगल
17. मुदलगी
18. मुलबागल
19. लिंगसुगूर
20. मंडया
21. बीजापुर
22. लक्ष्मेश्वर
23. शिगगांव
24. सवनूर
25. जीएडीएजी-बेतगेरि
26. कोत्तुरू
27. मलूर
28. शोरपुर
29. कुंदपुर
30. सिदलाघट्टा
31. अर्सिकेरे
32. होसुर
33. गजेंद्रगढ़
34. सिरा
35. बंगरपेट
36. कोपाल
37. कदुर
38. होलनरसिपुर आई
39. चिंचोली
40. मुद्देबिहल
41. हरपनहल्ली

42. चेन्नगिरि
43. रोन
44. हासन

9वीं योजना

1. शिमोगा
2. होस्कोते
3. गुंडलूपेट
4. नवलगुंड
5. मानवी
6. दवंगेरे
7. गुलबर्ग
8. अथनी
9. अलंद
10. बिरूर
11. तेवंहल्लि
12. चामराजनगर
13. मुंदरगि
14. केरूर
15. हनगल
16. इंडी
17. तुमकुर

10वीं योजना

1. कोत्रुर
2. खानपुर
3. यादगिरी
4. अरकल्गुद
5. महलिंगपुर
6. मुलकगुंड
7. भलकी
8. चित्तगुप्प
9. अनेकल
10. नेलमंगला
11. हलियल
12. चन्नरयपत्न
13. बंतवाला
14. अल्नवर
15. अन्निगेरी
16. होसदुर्ग
17. बेल्लारी
18. बगल्कोते
19. हुमनाबाद
20. कनकपुर
21. मुदबिद्रे
22. नरगुंद
23. कुनिगल
24. तिपतूर
25. गुब्बी
26. रायबाग
27. गोकक
28. तुरूवुकेरे
29. कुदुचि
30. मोलकल्मुरू
31. बसवन बगेवाडी
32. मुधोल
33. सिंगेरि
34. सागरा
35. बेल्लूर
36. तरिकेरे

37. कोप्पा
38. चिक्कनायकनहल्ली
39. सिरूगुप्पा
40. जोग कर्गल
41. कमलापुर
42. रमदुर्ग
43. तीर्थहल्ली
44. सुल्थ
45. नरसिम्हरजपुर
46. तेक्कलकोते
47. मदकेरि
48. सोरब
49. जेवारगी
50. सिंधगि
51. तलिकोते
52. चित्तपुर
53. हुनगुंद
54. हूविन हदगलि
55. होन्नवर
56. बसवकल्यन
57. तर्डल
58. यल्लपुर
59. चिकमगलूर
60. होन्नली
61. चिक्बल्लपुर
62. रबकावी-बनहत्ति
63. अंकोला
64. पुत्तुर
65. श्रिनिवासपुर
66. रोबेत्सॉपेत
67. हावेरी
68. बागेपल्ली
69. कुमता
70. गंगावती
71. शिरहत्ति
72. मधुगीरी
73. क्रिश्नरज्पेत
74. सदलग
75. चिक्कोड़ी
76. भद्रवथि

कुल कस्बे — 169

13. केरल

6ठी योजना

1. गुरुवयूर
2. कोट्टायम
3. थ्रिस्सुर
4. कायमकुलम
5. थलस्सेर्य
6. तिरूर
7. चंगनस्सेर्य
8. वदकर
9. मालापुरम

7वीं योजना

1. थोडुपुझा
2. मंजेरी
3. पलक्कद
4. कन्नुर

1990-91

1. कसरगोद
2. मुवत्तुपुझा

3. पुनलुर
4. कालपेट्टा
5. नेय्यत्तिंकर

1991-92

1. शोरनुर
2. चवक्कद
3. पथनामथिट्टा

8वीं योजना

1. अलप्पुझा
2. कोल्लम
3. चेर्थल
4. अलुव
5. थिरूवल्ल
6. चंलकुद्द
7. कोझीकोडे
8. चेंगनुर
9. वर्कल
10. नेदुमनगड
11. पथनमथिट्टा

9वीं योजना

1. मूवत्तुपुझा
2. ओत्तपलम
3. कोथमंगलम
4. उत्तर पेरवुर
5. कुदुंगल्लुर
6. इरिंजलकुद
7. पाला
8. पोन्नानि

10वीं योजना

1. कायमकुलम
2. अंगमाली
3. पेरूम्बवूर
4. वैकोम
5. अत्तिंगल
6. मवेलिक्कर
7. कलमस्सेर्य
8. त्रिपुनित्तुर
9. थलिपरम्ब
10. कोयिलंद्य
11. कंहगड
12. पय्यन्नुर
13. चित्तूर-थतमंगलम
14. कुथुपरम्ब
15. परवूर
16. मत्तुर
17. पेरिंथलमन्न
18. अट्टूर

कुल कस्बे — 58

14. मध्य प्रदेश

6ठी योजना

1. खजुराहो
2. देवास
3. इटारसी
4. रेवा
5. कटनी
6. बुरहानपुर
7. मुरैना
8. बालाघाट
9. छिंदवाड़ा
10. हरदा

11. बैधन
12. गुना
13. सीधी

7वीं योजना

1. हौशंगाबाद
2. गरदवरा
3. पंचमढ़ी
4. अमरकंटक
5. शहडोल
6. भंदेर
7. महू
8. रतलाम
9. सतना
10. छत्तरपुर

1990-91

1. बेतुल
2. ओबेदुल्लगंज
3. नीमच
4. भिंड
5. दमोह
6. सेहोरे
7. विदिशा
8. पन्ना

1991-92

1. दतिया
2. खरगोने
3. शिवपुरी

8वीं योजना

1. सागर
2. मंडसौर
3. टीकमगढ़
4. मंडला
5. मुलतै
6. पंधुरना
7. सौसर
8. खांडवा
9. जओरा
10. बानमोर
11. चित्रकूट
12. पिथमपुर
13. नरसिंहपुर
14. अजयगढ़
15. गरोठ
16. राजगढ़
17. बियोरा
18. बेरसिया
19. नरसिंहगढ़
20. अशोक नगर
21. जीएएनजे-बसोद
22. सिहोरा
23. अमरपाटन
24. उमरिअ
25. कसर्वद
26. मैहर

9वीं योजना

1. आस्था
2. खजुराहो
3. झबुआ
4. खुराइ

5. धंपुरि
6. नागोड़
7. नोगोंग
8. सोंकुत्व
9. बारवानी
10. जवाद
11. राजपुर
12. चोउरै
13. गर्हकोत
14. सीधी
15. रैसेन
16. चुर्हुत
17. लहर
18. हट्टा

10वीं योजना

1. अकोडीया
2. जीरपुर
3. मंगवन
4. बीरसिंहपुर
5. खिलचीपुर
6. तेंदुखेड़ा
7. रामपुर-नैकिन
8. मनसा
9. शाजापुर
10. रामपुर-बलेगन
11. शिवपुरी
12. शुजलपुर
13. आरोन
14. राघोगढ़
15. पिंड
16. मचलपुर
17. अमर्वर
18. खुज्नेर
19. गोविंदगढ़
20. आगर
21. चक्मत
22. करेड़ा
23. वैकुंठपुर
24. सांवेर
25. चंदेरी
26. अकोद
27. करेली
28. कतंगी
29. सिरोंजि
30. वरा-सेवनी
31. उदयपुर
32. समरिय
33. बड़ागांव (टीकमगढ़)
34. कनद
35. बड़ागांव (शाजापुर)
36. सुसनेर
37. बद मलहर
38. अमंगंग
39. कोथि
40. शाहपुर
41. प्रिथ्विपुर
42. जुन्नदेव
43. बरही

44. महेश्वर
45. देवेंद्र नगर
46. बांदा
47. जीरन
48. सैलाना
49. बेगमगंज
50. सिंगोल्य
51. मुंदि
52. दिकेन
53. तरना
54. ओम्करेश्वर
55. हर्पलपुर
56. नसरूल्लागंज
57. रेवा
58. अंजद
59. नल्खेद
60. मझोली
61. दमोह
62. खिड़किया
63. गुढ़
64. पनगर
65. मंडीदीप
66. शोहागपुर
67. कटनी (जे)
68. नैनपुर

कुल कस्बे — 146

15. महाराष्ट्र

6ठी योजना

1. मंमद
2. बर्शी
3. पर्ली वैजनाथ
4. यवतमाल
5. सतारा
6. रत्नागिरी
7. कलोल
8. अमलनेर
9. परभणी
10. काम्पटी
11. किनवात
12. उस्मानाबाद
13. मोरशी
14. हिंगघाट
15. जालना
16. अंबेजोगई
17. सेलु
18. दिगरास
19. भांदरा
20. वाशिम
21. इस्लामपुर
22. बारामती

7वीं योजना

1. पंढरपुर
2. रामटेक
3. निलंगा
4. चिपलुन
5. अकोट
6. तुलजापुर
7. वर्धा
8. इगतपुरी

9. पुसाद
10. कराड
11. बीड
12. चंद्रपुर

1990-91

1. गढ़चिरोली
2. गोंदिया
3. चोपडा
4. खेमगांव
5. नारखेड़
6. मलकापुर
7. नंदुरबार
8. पैथन

1991-92

1. चालिसगांव
2. हिंगोली
3. बुल्दन
4. नांदेड़
5. सलेर
6. अचलपुर

8वीं योजना

1. जलगांव
2. श्रीरामपुर
3. शीरपुर वर्वदे
4. वाणी
5. आमबाद
6. अहमदनगर
7. कोपरगांव
8. लाटूर
9. फलटन
10. सांगानेर
11. सांगली
12. धुले
13. मुखेड़
14. पचोरा
15. वरोड़ा
16. भुसावल
17. देग्लुर
18. गाधिंगलाज
19. परतूर
20. बस्मथ नगर
21. विता
22. मंवथ
23. महाड
24. कागल
25. औसा
26. दौंदैच वर्वदे
27. गेओंरै
28. सावंतवाडी
29. मुर्तिजपुर
30. शेगांव
31. परोला
32. तुमसर
33. अलीबाग
34. पुलगांव
35. उम्रेद
36. वैजपुर
37. इचल्करंजि

38. वाई
39. अंजनगांव सुर्जि
40. मेहकर
41. कलंब
42. दरियापुर
43. अमरावती
44. शहद
45. नवापुर
46. कुरूंद्वद
47. संगोल
48. घतंजी

9वीं योजना

1. गंगाखेड़
2. सिल्लोद
3. सतना
4. धनगांव
5. रोहा
6. कोल्हापुर
7. उमरखेड
8. फैजपुर
9. रेवर
10. जींतुर
11. देसाईगंज
12. अकोला

10वीं योजना

1. खेद
2. राजापुर
3. जव्हर
4. लातूर
5. तुमसर
6. वाणी
7. जलगांव
8. धुले
9. सांगली-मिराज-कुप्वद
10. श्रीरामपुर
11. शिरपुर-वर्वदे
12. गाधिंगलाज
13. उदगीर
14. नांदेड-वाघेला
15. चंद्रपुर
16. इस्लामपुर
17. परभणी
18. बीड
19. शिरडी
20. शेगांव
21. अहमदनगर
22. खेमगांव
23. पंढरपुर
24. गढ़चिरोलि
25. यवतमल
26. रत्नागिरी
27. पर्लिवैजनाथ
28. अम्बजोगई
29. भंडारा
30. जालना
31. करंजिया
32. चोपडा
33. बर्शी

34. हिंगोली
35. उस्मानाबाद
36. चिपलुन
37. पुसाद
38. सिंभर
39. मलकापुर
40. नंदुरबार
41. सैलु
42. पंढरकवाडा
43. बुल्दन
44. वाशिम
45. हिघंघत
46. सतारा
47. अचलपुर
48. अमलनेर
49. कलमेश्वर
50. वर्धा
51. कराद
52. मोरशी
53. कतोल
54. कन्नद
55. धर्मबाद
56. पाउनी
57. अकालकोट
58. रहत
59. चंदूर बाजार
60. खप
61. लोनवाला
62. चिखली
63. बेंगुरल
64. करमाला
65. सवद
66. खोपोली
67. मालेगांव
68. अहमदपुर
69. गंगापुर
70. मलवान

कुल कस्बे — 178

16. मणिपुर

6ठी योजना

1. जिरिबम
2. कक्चिंग

7वीं योजना

1. लम्लै
2. बिश्नुपुर

1990-91

1. इम्फाल

1991-92

1. लम्संग

8वीं योजना

1. सेक्मै
2. थोबल
3. नम्बोल
4. मयंग इम्फाल
5. मोरेह

9वीं योजना

1. मोइरंग
2. कुम्बि

10वीं योजना

1. सुग्नु

2. काकचिंग-खोठनु
3. क्वत
4. वग्नोइ
5. समुरोउ
6. ओइनम
7. अंद्रो
8. सिखोंग-सेक्मै
9. हेइरोक

कुल कस्बे 22

17. मेघालय

6ठी योजना

1. शिलांग
2. तुरा

7वीं योजना

1. जोवइ
2. नोंग्स्तोइन
3. विल्यम नगर

1990-91

1. शोर

1991-92

1. बाघमरा

9वीं योजना

1. शिलांग

कुल कस्बे — 8

18. मिजोरम

6ठी योजना

1. ऐजव्ल

7वीं योजना

1. लुंग्लेइ

8वीं योजना

1. सेर्छिप
2. कोलासिब
3. ऐजव्ल आई

9वीं योजना

1. चम्फै
2. ह्नहि्थअल
3. सैहा
4. लेंग्पुई

10वीं योजना

1. ममित
2. बैरबि
3. त्लबुंग
4. कवंपुइ

कुल कस्बे — 13

19. नागालैंड

6ठी योजना

1. कोहिमा

7वीं योजना

1. तुएनसंग
2. मोकोकचुंग

1990-91

1. जुंहेबेतो

1991-92

1. मोन

8वीं योजना

1. वोखा
2. फेक

9वीं योजना

1. दीमापुर
2. किफिरे

10वीं योजना

1. कोहिमा

कुल कस्बे — 10

20. उड़ीसा

6ठी योजना

1. पुरी
2. सम्बलपुर
3. बालेश्वर
4. रौर्केल
5. जेपोर
6. धेंकनाल

7वीं योजना

1. क्योंझर
2. बारिपाड़ा
3. बोलंगीर
4. पारादीप
5. कोरापुट
6. फुलबनि
7. भवानीपटना

1990–91

1. केंद्रपारा
2. अनुगुल
3. जजपुर रोड
4. बारगढ़
5. रायगडा
6. गोपालपुर

1991–92

1. भद्रक
2. सुंदरगढ़
3. जगतसिंहपुर

8वीं योजना

1. जजपुर
2. बसुदेबपुर
3. अथगड
4. झारसूगुडा
5. दिगपहंडी
6. भंजनगर
7. टिटलागढ़
8. उमर्कोते
9. चोउद्वर
10. तर्भ
11. छत्तरपुर
12. पारलेखमुंडी
13. कमक्ष्यनगर
14. नबरंगपुर
15. ब्रह्मपुर
16. कोनर्क
17. पुरी
18. निलगिरि
19. अथमल्लिक

9वीं योजना

1. पट्टामुंडै
2. आनंदपुर
3. सोरो
4. बर्पलि
5. बालासोर
6. आस्का
7. बंकि
8. करंजिया
9. केसिंग
10. बालुगांव
11. राजगंगपुर
12. चिकिति
13. तल्चर
14. गुनुपुर
15. रैरंगपुर

10वीं योजना

1. सोनपुर
2. नयागढ़
3. खुर्द
4. हिंजलिचुत
5. बौध
6. उदाला (टी)
7. कटक
8. बारबिल
9. मलकानगिरि
10. खरिअर
11. खरियार-रोड

कुल कस्बे — 67

21. पंजाब

6ठी योजना

1. पठानकोट
2. होशियारपुर
3. संगरूर
4. मोगा
5. फगवाड़ा
6. खन्ना
7. बथिंद
8. बटाला

7वीं योजना

1. बरनाला
2. कपुरथला
3. गुरदासपुर
4. नभ
5. रोपड़
6. पटियाला
7. गोबिंदगढ़

1991-92

1. फिरोजपुर

8वीं योजना

1. राजपुरा
2. मलेरकोटला
3. फरीदकोट
4. मनसा
5. सरहिंद
6. तरन तारन
7. मुखेरियां

9वीं योजना

1. आनंदपुर साहिब
2. फतेहगढ़ साहिब
3. पट्टी
4. मुक्तसर
5. सुलतानपुर लोधी
6. कपुरथला
7. नकोदर
8. जरगांव
9. दसयु
10. गढ़शंकर

10वीं योजना

1. रामन-मंडी
2. सरदुलगढ़
3. समाना
4. सुजनपुर
5. दीना नगर

कुल कस्बे — 38

22. राजस्थान

6ठी योजना

1. पाली
2. बरन
3. भीलवाड़ा
4. सीकर
5. चुरू
6. सुमरपुर

7. नाथद्वारा
8. बाड़मेर
9. गंगानगर
10. जैसलमेर
11. चित्तौड़गढ़

7वीं योजना

1. जलोरे
2. सिरोही
3. मोउंट आबू
4. बांसवाड़ा
5. भीनमल
6. डूंगरपुर
7. भरतपुर

1990-91

1. नागौर
2. पुष्कर
3. किशनगढ़

1991-92

1. दौसा
2. धोलपुर
3. सवाई माधोपुर

8वीं योजना

1. नीमबहेड़ा
2. राजसमंद
3. झुंझुनु
4. रतनगढ़
5. देवली
6. विजयनगर
7. चक्सु
8. देवगढ़
9. फतेहनगर
10. सरदारशहर
11. बूंदी
12. ब्यावर
13. नोखा
14. प्रतापगढ़
15. शाहपुर
16. कपासन
17. जैसलमेर आई
18. उदयपुर
19. बीकानेर

9वीं योजना

1. सलुमबेर
2. देश्नोक
3. हनुमानगढ़
4. बलोत्र
5. दिद्वन
6. नाथद्वारा
7. भिंदेर
8. सूरतगढ़

10वीं योजना

1. रावतभाटा
2. टोंक
3. पोकरन
4. अमेथ
5. भीलवाड़ा
6. अनूपगढ़
7. फलोदी
8. सदुलशहर
9. सुजानगढ़

10. सांगरिया
11. पिलिबंग
12. रवत्सर
13. भद्र
14. मंडलगढ़
15. केशोरैपत
16. बाड़ी-सदरि
17. नोहर
18. किशनगढ़
19. मेरता सिटी
20. संचोरे
21. कुशलगढ़
22. लखेरि
23. झालावर
24. चिरव
25. सोजत सिटी
26. कुचेर
27. श्रीबिजय नगर

कुल कस्बे — 78

23. सिक्किम

6ठी योजना

1. जोरेथंग

7वीं योजना

1. नम्चि बाजार
2. गंगटोक

8वीं योजना

1. रंग्पो

9वीं योजना

1. सिंग्तम
2. जोरेथंगा
3. पक्योंग
4. गेजिंग
5. सोरेंग
6. रंग्लि बाजार

कुल कस्बे — 10

24. तमिलनाडु

6ठी योजना

1. उधगमंदलम
2. करूर
3. धर्मपुरी
4. पुदुक्कोट्टई
5. तिरूचेंगोदु
6. पलानी
7. गोबिचेत्तिपलैयम
8. मन्नारगुडि
9. धरमापुरम
10. मेत्तुप्पलैयम
11. चेंगलपट्टु
12. चूनूर
13. अट्टूर
14. तिरूवन्नमलाइ
15. उदुमलैप्पेत्तै
16. नमक्काल
17. कोविलपट्टी
18. होसुर
19. पोल्लाची
20. थेनिअल्लिनगराम

21. नगप्पत्तिनम
22. रनिपेत्तै
23. पंरुति
24. करैक्कुदि
25. कल्लक्कुरिंचि
26. अरनि
27. अरक्कोनम
28. सिवगंगा

7वीं योजना

1. मदुरंतकम
2. अनडिपट्टी-जक्कम्पत्ति
3. पडुक्कोत्तै
4. अरूप्पुक्कोत्तै
5. अरंतांगी
6. रामनथपुरम
7. रमेश्वराम
8. अरियालुर
9. सत्यमंगलम
10. तुतिकोरिन
11. सालेम
12. कोडइकनाल
13. तिरूनेल्वेली
14. तिरूपत्तूर

1990-91

1. तिरूवेत्तिपुरम
2. परमक्कुदि
3. पुंजै पुलिअम्पत्ति
4. तिरूप्पत्तुर
5. रसिपुरम
6. ममल्लपुरम
7. तिंदिवनम
8. विरुद्धचलम

1991-92

1. पेरम्बलुर
2. कांचीपुरम
3. कृष्णागिरि
4. विल्लुपुरम
5. तिरूत्तनि

8वीं योजना

1. बर्गुर
2. इदप्पदि
3. तेंकसी
4. कुड्डालोर
5. भवानी
6. कुमरपलैयम
7. कुरिंचि
8. तिरूत्तंगल
9. अवनाशी
10. अधिरम्पत्तिनम
11. सुलुर
12. सत्तुवचेरि
13. उसिलम्पत्ति
14. मानमदुरै
15. कोटगिरि
16. तिरूवल्लुर
17. पोन्नैरी
18. पल्लदम
19. कंगायम

20. वीरप्पंचत्तिराम
21. कसिपलैयम
22. कुलित्तलै
23. पूविरुंथवल्लि
24. इनाम करूर
25. वंदवसि
26. तिरूचेंदुर
27. शोलिंगर
28. वनियाम्बदी
29. कुत्तनल्लुर
30. पोत्रमरवति
31. तत्त्यंगर्पेतै
32. थुरैयुर
33. चित्रमनुर
34. ओमलुर
35. नत्तरसंकोत्तै
36. मंदपम
37. देंकनिकोत
38. किरनुर
39. पल्लिपलमय
40. हरूर
41. वल्लजपेत
42. पल्लिकोंद
43. अंथियुर

9वीं योजना

1. सुरम्पत्ति
2. ओइंचतराम
3. दिंदिगल
4. देवकोट्टी
5. वेल्लौर
6. कंयकुमरि
7. किनथुकदु
8. विलथिकुलम
9. पेरवूरनि
10. चेंगम
11. पेरियकुलम
12. थंजावुर
13. राजपलायम
14. पल्लथुर
15. सिवकसि
16. उल्लंदुर्पेत
17. गुडलुर
18. थोंदि
19. आर.एस. मंगलम
20. चिन्नसलम
21. कल्लक्कदु

10वीं योजना

1. तिरूपपुर
2. ओरथनदु
3. पुदुवल्यल
4. इरोड
5. अलम्पल्यम
6. पुदुकोत्तै
7. पतुकोत्तै
8. लल्गुदि
9. अन्नुर
10. मुसिरी
11. थिरूक्कुत्तपल्लि

12. तिरूनेल्वेलि
13. जलगंदपुराम
14. कल्लिदकुरिचि
15. सिंगम्मपुनरि
16. करिअपत्ति
17. चोउर्तल्लम
18. अम्बासमुदरम
19. नागरकोइल
20. एदंगनसलै
21. विरुध नगर
22. अरंथंगि
23. थूथुकुदि
24. ओमलुर
25. कंगायम
26. चेरम्महदेवि
27. उदंगुदि
28. कृष्णागिरि
29. थिंगलनगर
30. नरनम्मल्पुराम
31. भवानी
32. अरुम्गनेरि
33. सत्नकुलम
34. कुजिथुरइ
35. मेत्तुर
36. थनिअम्बाडी
37. सिर्कलि
38. अम्बुर
39. गुदिअत्तम
40. थिरूमंगलम
41. मेलुर
42. चोलचेल
43. अर्चोत
44. नाझेरथ
45. संकरंकोवल
46. कांचीपुरम
47. कथनल्लुर
48. सतुर
49. सेंकोत्तै
50. चेंगलपट्टु
51. श्रीविल्लिपुत्तुर
52. पुलियंगुदि
53. नेल्लिकुप्पम

कुल कस्बे — 172

25. त्रिपुरा

6ठी योजना

1. उदयपुर
2. कैलसहर

7वीं योजना

1. धर्मनगर
2. अगरतला

1990-91

1. अमरपुर

1991-92

1. बेलोनिया

8वीं योजना

1. खोवाइ
2. कुमर्घत

9वीं योजना

1. सोनमुर

2. कमलपुर
3. तेलिअमुर
4. सब्रूम
5. रनिर्बजर

10वीं योजना

1. अगरतला
2. धर्मनगर
3. उदयपुर
4. कैलशहर
5. बेलोनिया

कुल कस्बे — 18

26. उत्तरांचल

6ठीं योजना

1. अलमोड़ा
2. काशीपुर

7वीं योजना

1. हलद्वानी-काठगोदाम

1990-91

1. रूड़की

8वीं योजना

1. कोटद्वार
2. हरिद्वार

9वीं योजना

1. देहरादून
2. हलद्वानी-काठगोदाम
3. पिथौरागढ़

10वीं योजना

1. कोटद्वार
2. उत्तरकाशी
3. श्रीनगर
4. जोशीमठ
5. जशपुर
6. बागेश्वर

कुल कस्बे — 15

27. उत्तर प्रदेश

6ठी योजना

1. जौनपुर
2. फतेहपुर
3. आजमगढ़
4. हाथरस
5. बांदा
6. बाराबंकी
7. रायबरेली
8. एटा
9. बलिया
10. माहोबा
11. कासगंज
12. गाजीपुर
13. सीतापुर
14. मैनपुरी
15. हरदोइ
16. बिजनौर
17. ओरइ
18. देवरिया
19. बदायूं
20. अमेठी
21. पडरौना

7वीं योजना

1. सुल्तानपुर
2. बिसवान

3. शम्सि
4. भदोही
5. मौनाथ भंजन
6. संदिल
7. पीलीभीत
8. बहराइच
9. ललितपुर
10. मिर्जापुर
11. इटावा
12. सम्भल

1990-91

1. लखीमपुर
2. सिकंदरा राव
3. कोंच
4. कैरन
5. मोदीनगर
6. जालेसर
7. औरइया
8. गोंडा

1991-92

1. मवाना
2. कोसिकलां
3. सिकंदराबाद
4. बिलासपुर
5. मैरानीपुर
6. चुनार
7. मुजफ्फरनगर

8वीं योजना

1. पिल्खुआ
2. थाना भवन
3. कंथल
4. सिर्सगंज
5. बस्ती
6. फिरोजाबाद
7. बरौत
8. रामपुर
9. बुधना
10. अकबरपुर
11. फर्रुखाबाद-फतेहगढ़
12. टांडा
13. गोल कोरकनाथ
14. खलिलाबाद
15. उन्नौल
16. मुरादनगर
17. दादरी
18. लोनी
19. मुरादाबाद
20. बिल्सी
21. मघर
22. बंसी
23. फफुंद
24. पल्लिअ कलन
25. मलीहाबाद
26. सहारनपुर
27. फैजाबाद
28. मनकपुर
29. बहलगंज
30. तुंदल
31. अयोध्या

9वीं योजना

1. कुशिनगर
2. उझनि
3. ननौत
4. नवाबगंज
5. जलालाबाद
6. कुंद
7. केमरि
8. चित्रकूट धाम
9. हरिहरपुर
10. महराजगंज
11. ककोरि
12. नियोतनि
13. हरैय
14. अमेठी (लखनऊ)
15. खतौलि
16. सरधाना
17. खेकड़ा
18. बाबरपुर-अजीतमल
19. आएइएल-धक्व
20. गोहंद
21. मिलक
22. हंदिआ
23. झिंझन
24. झांसी
25. मथुरा
26. बंसगांव
27. बनत
28. दोस्तपुर
29. निवाड़ी
30. तिलहर
31. देवबंद

10वीं योजना

1. गंगोह
2. अग्रवाल ततिरि
3. रनिपुर
4. नगराम
5. महोबाबाद
6. मौनाथ भंजन
7. कासगंज
8. गढ़मुक्तेश्वर
9. कर्नवल
10. पिल्खुआ
11. मवाना
12. सादाबाद
13. घिरोर
14. चर्थवल
15. मुगलसराय
16. मोदीनगर
17. मिर्जापुर
18. मंझनपुर
19. बलरामपुर
20. बस्ती
21. प्रतापगढ़
22. निच्लौल
23. हैदरगड़
24. बिसवान
25. अमेठी (सुल्तानपुर)

26. हरदोई
27. मेहमुदाबाद
28. झिंझक
29. सिकंदर
30. सैदपुर
31. बिथुर
32. सकित
33. अलीगढ़
34. वृंदावन
35. सिस्वबाजार
36. एरिच
37. खुर्जा
38. कक्रल
39. मेहरोनि
40. बहेरी
41. मुबारकपुर
42. सिंधी
43. घाटमपुर
44. बिहोठर
45. रसरा
46. बुधना
47. सिसोठलि
48. बेवर
49. नवाबगंज
50. शेओरजपुर
51. मुर्सन
52. अवगढ़
53. हाथरस
54. ललितपुर
55. शेओलि
56. बोकेहिर
57. रूदलि
58. बकेवर
59. पुरडिल नगर
60. भर्गैन
61. उन्नाव
62. महोन
63. लखन
64. दस्न
65. ककोद
66. अतरौली
67. भरथना
68. कुरावलि
69. रय
70. फराह
71. सिकंदरा राव
72. ओरइ
73. गंगघत
74. आजमगढ़
75. चत
76. बागपत
77. अकबरपुर (कानपुर)
78. ऐलुम
79. चौमुह
80. गोकुल
81. सिधौली
82. नंपरा
83. बहराइच (आरइवी)

84. ऊन
85. मोहन
86. शाहगंज
87. सोरोन
88. मैरानीपुर
89. कादीपुर
90. बर्वर
91. शामशाबाद
92. अग्रौध
93. आजमगढ़
94. मोहम्मदबाद
95. पैंथेपुर
96. लखीमपुर

कुल कस्बे — 206

28. पश्चिम बंगाल

6ठी योजना

1. खड़गपुर
2. मेदिनिपुर
3. बंकुरा
4. कलिम्पोंग
5. कूच बिहार
6. पुरुलिया
7. इंग्लिश बाजार
8. कृष्णा नगर
9. सुरी
10. तरकेश्वर
11. जलपाईगुड़ी
12. सिलिगुड़ी
13. दार्जिलिंग
14. बरहामपुर
15. बलुरघाट
16. बिष्नुपुर
17. बसिरहाट
18. रायगंज
19. राणाघाट
20. कातवा

7वीं योजना

1. बोलपुर
2. आरामबाग
3. कोंटाई
4. हावड़ा
5. रानीगंज
6. हल्दिया

1990–91

1. झारग्राम
2. कालना
3. जंगिपुर
4. अलीपुरद्वार
5. रघुनाथपुर

1991–92

1. घातल
2. इस्लामपुर
3. शांतीपुर
4. मुर्शिदाबाद
5. कुर्सेओंग

8वीं योजना

1. झालदा
2. मल
3. मिरिक

4. चक्दह
5. रामपुर हाट
6. डायमंड हार्बर
7. नबद्विप
8. तामलुक
9. सोनमुखि
10. मठ भंग
11. अशोकनगर कल्याणगढ़
12. ओल्ड मालदा
13. बिरनगर
14. कुल्ति
15. मेमरि
16. कलिअगंज
17. गोबर दंग
18. चंद्रकोन
19. कांदी
20. गुस्कर
21. बर्द्धमान
22. आसनसोल
23. तुफानगंज
24. गंगारामपुर
25. मेखलीगंज
26. सैथिया
27. दिनहाटा
28. बदुरिआ
29. हल्दिबाड़ी
30. धुलिअन

9वीं योजना

1. जोयनगर
2. दुब्रजपुर
3. दैहत
4. तकि
5. एग्र
6. दुर्गापुर
7. बनगांव
8. रम्जिबनपुर
9. खरर
10. खिपैं
11. तहिरपुर
12. बेल्दंग
13. जमुरिया
14. जियागंज-अजिमगंज
15. ककम्प
16. नलहाटी

10वीं योजना

1. दार्जीलिंग
2. रायगंज
3. जलपाईगुड़ी
4. बलुरघाट
5. पुरुलिया
6. कालना
7. कातवा
8. हल्दिया
9. बहरामपुर
10. सिलिगुड़ी
11. हावड़ा
12. इंग्लिश बाजार
13. तरकेश्वर
14. धुप्गुरि

15. चूचेहर
16. बसिरहाट
17. मिदनापुर
18. खड़गपुर
19. बंकुरा
20. कलिम्पोंग
21. कृष्णनगर
22. सुरी
23. बिश्नुपुर
24. राणाघाट
25. बोलपुर
26. आरामबाग
27. कोंटाई
28. रानीगंज
29. झारग्राम
30. जंगिपुर
31. अलीपुरद्वार
32. रघुनाथपुर
33. इस्लामपुर
34. घातल
35. शांतीपुर
36. मुर्शिदाबाद
37. कुर्सेओंग
38. तामलुक
39. दलखोला

कुल कस्बे — 121

29. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

6ठी योजना

1. पोर्ट ब्लेयर

कुल कस्बे — 1

30. दादरा व नगर हवेली

6ठी योजना

1. सिल्वासा

8वीं योजना

1. सिल्वासा आई

कुल कस्बे — 2

31. दमण एवं दीव

8वीं योजना

1. दीव

कुल कस्बे — 1

32. लक्षद्वीप

1990-91

1. कवरत्ति

कुल कस्बे — 1

33. पांडिचेरी

6ठीं योजना

1. कराइकल

7वीं योजना

1. माहे
2. पाण्डिचेरी

1990-91

1. यनम

1991-92

1. विल्लअनुर

8वीं योजना

1. अरिअंकुप्पम

9वीं योजना

1. ओउल्गारेत

10वीं योजना

1. पाण्डिचेरी

कुल कस्बे — 8

कुल योग — 1854

[अनुवाद]

एनबीएफसी द्वारा अनुदेशों/निदेशों की अवहेलना

3654. **श्री उदय सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश एनबीएफसी खाद्यान्नों की जमाखोरी करने के मद्देनजर धनराशि का अन्यत्र उपयोग करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों/निदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं जैसा कि दिनांक 24 फरवरी, 2007 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या और कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी, 2007 को सभी वर्गीकृत जमा राशि स्वीकार न करने वाली महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), जिनकी परिसम्पत्ति 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक है, को परिपत्र जारी किया था कि वे खाद्यान्न प्रापण के लिए बड़े उधारकर्त्ताओं के वित्तीय निवेशों की छानबीन करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन एनबीएफसी को उन खातों की त्वरित छानबीन पर विचार करने को कहा, जिन खातों में उनके बड़े निवेश है और उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जमाखोरी के लिए खाद्यान्नों के प्रापण के लिए कहीं निधियों का दुर्विनियोजन तो नहीं किया गया है? ऐसे सभी एनबीएफसी ने भारतीय रिजर्व बैंक को पुष्टि की है कि जमाखोरी के लिए खाद्यान्न के प्रापण के लिए निधियों का दुर्विनियोजन नहीं किया गया है।

आयकर और सीमा-शुल्क अधिकारियों का निजी क्षेत्र में पलायन

3655. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग और सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कई उच्च अधिकारियों ने अपनी नौकरी छोड़कर निजी क्षेत्र में नौकरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2006-2007 के दौरान अभी तक विभागवार कितने अधिकारियों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं; और

(घ) भविष्य में इन विभागों के अधिकारियों का पलायन रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अधिकारियों की संख्या, जिन्होंने वर्ष 2006 और 2007 के दौरान अपनी सेवा छोड़ दी, निम्नानुसार है:-

वर्ष/अवधि	सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी	आयकर के अधिकारी
2006	47	37
1.1.2007 से 31.3.2007	7	12
योग	54	49

(घ) कोई कार्रवाई/उपाय अपेक्षित नहीं है क्योंकि इतने बड़े विभागों से अधिकारियों का पलायन अधिक नहीं है।

रीयल एस्टेट डेवेलपर्स द्वारा भ्रामक विज्ञापन देना

3656. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रीयल एस्टेट डेवेलपर्स समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रीयल एस्टेट एजेंटों द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों के संबंध में कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) मेट्रो शहरों तथा अन्य राज्यों की राजधानियों में निर्माण कार्यकलापों का विनियमन शहरी स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकरणों आदि द्वारा किया जाता है। अत: यह मामला राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा स्थावर संपदा प्रबंध (विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक तैयार करने पर विचार किया जा रहा है जो

कि प्रारूप स्तर पर है। विधेयक प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

शिक्षा ऋण पर ब्याज दर

3657. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों और निजी बैंकों द्वारा शिक्षा ऋणों पर किस दर से ब्याज वसूला जा रहा है;

(ख) क्या बैंकों द्वारा हाल ही में ब्याज दर में वृद्धि की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार शिक्षा ऋण पर ब्याज दर कम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों पर ब्याज दरें अविनियमित कर दी गई हैं और बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से ब्याज दरें स्वयं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे अपनी आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) निधियों की लागत, लेन-देन की लागत, जोखिम कारक, मार्जिन और अन्य ऊपरी खर्चों को ध्यान में रखने के बाद निर्धारित करें। तथापि, आदर्श शिक्षा ऋण योजना, 2004 के अनुसार, बैंकों द्वारा 4 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर बीपीएलआर के अनुसार और 4 लाख रुपए से अधिक के शिक्षा ऋण पर बीपीएलआर+1 प्रतिशत ब्याज प्रभारित किया जाना है।

बीजों की जीन मैपिंग

3658. श्री एल. राजगोपाल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने नकली बीटी काटन और अन्य बीजों के बारे में बड़ी संख्या में आई शिकायतों के मद्देनजर उनकी प्रमाणिकता का पता लगाने हेतु बीजों की जीन मैपिंग की स्थापना करने और मैपिंग करने हेतु केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाजार में आनुवंशिक रूप से संसाधित नकली बीजों की जांच करने हेतु कोई निगरानी प्रकोष्ठ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) जी, नहीं। जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आंध्र प्रदेश सरकार ने नकली बीटी काटन और अन्य बीजों के बारे में बड़ी संख्या में आई शिकायतों के मद्देनजर उनकी प्रामाणिकता का पता लगाने हेतु बीजों की जीन मैपिंग की स्थापना करने और मैपिंग करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बीजों के व्यापारीकरण या व्यापारीकृत बीजों से संबंधित मुद्दा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैवप्रौद्योगिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं है। यह मुद्दा विशेष रूप से राज्य कृषि विभाग और सामान्य रूप से कृषि मंत्रालय से संबंध रखता है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भर्ती पर प्रतिबंध

3659. श्री पन्नियन रवीन्द्रन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में किसी भी वर्ग के पदों पर भर्ती पर कोई प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसे प्रतिबंध को हटाने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

त्रिचूर में एलआईसी का डिवीजनल कार्यालय खोलना

3660. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिचूर में एलआईसी का डिवीजनल कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन के लिए मारवेल माडल को लागू किया जाना

3661. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में बहते जल से विद्युत उत्पादन के लिए मारवेल माडल का उपयोग शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, लघु/मिनी हाइड्रो विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना मुख्यतया सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में हो रही है जो विद्युत का उत्पादन करने के लिए किसी भी ऐसे माडल को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, जो लागत-प्रतिस्पर्धी हो।

[हिन्दी]

स्वजलधारा योजना के अंतर्गत सरकारी सहायता में कमी

3662. श्री राकेश सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वजलधारा योजना के अंतर्गत जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आर्थिक आधार पर सरकारी सहायता की राशि में कमी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) स्वजलधारा योजना के अंतर्गत जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सरकारी सहायता की राशि को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

ब्याज पर टी डी एस

3663. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों के लिए बिना इस तथ्य के कि व्यक्ति की कुल आय कर योग्य है या नहीं, दस हजार रुपए या इससे अधिक राशि के ब्याज पर स्रोत पर कर काटना आवश्यक कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्रोत पर इस प्रकार की कटौती से वे व्यक्ति जिनकी आय कर योग्य नहीं है और वरिष्ठ नागरिक, जिनकी अन्य कोई आय नहीं है, परेशान होंगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। आयकर अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत, यदि एक वित्त वर्ष के दौरान देय ब्याज की राशि 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है, जब स्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित होती है।

(ग) और (घ) ऐसे व्यक्ति जिनकी आय कराधेय सीमा से ऊपर नहीं है एवं वरिष्ठ नागरिकों को स्रोत पर कर कटौती के लिए परेशान नहीं किया जाता है। स्रोत पर कर कटौती से छूट का दावा करने के लिए, पैंसठ वर्ष की अथवा इससे अधिक की आयु वाला व्यक्ति बैंक के समक्ष प्रपत्र सं. 15ज में घोषणा प्रस्तुत कर सकता है, यदि वित्त वर्ष के लिए उसकी आंकलित आय पर कर शून्य है। पैंसठ वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, प्रपत्र 15छ में घोषणा दायर करके स्रोत पर कर कटौती से छूट का दावा कर सकता है बशर्ते कि-

(1) वित्त वर्ष के लिए उसकी आंकलित कुल आय पर कर शून्य हो, एवं

(2) वित्त वर्ष के दौरान क्रेडिट किए गए अथवा संदत्त अथवा क्रेडिट अथवा संदत्त होने की संभावना वाले

ब्याज की कुल राशि उस गैर-कराधेय अधिकतम राशि (1,10,000 रुपए पुरुष करदाताओं के लिए एवं 1,45,000 रुपए महिला करदाताओं के लिए) से अधिक नहीं हैं।

(दोनों ही शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है)। ब्याज आय पर कोई स्रोत पर कर कटौती नहीं की जाती है।

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान हेतु समझौता

3664. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदित है कि आंध्र प्रदेश सरकार के साथ नीदरलैंड की एक कंपनी ओसिमम बायोसोल्यूशन्स ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश को देश में जैव प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता है।

(ग) और (घ) जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता दी है। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से हैदराबाद में एक जैवप्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्र की स्थापना की जा रही है। यह ऊष्मायन केंद्र जैवप्रौद्योगिकीय उद्यमियों के लिए केंद्रीभूत सुविधा प्रदान करेगा और इसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले प्रयोगशाला माड्यूल्स की भी स्थापना करेगा। एक प्री-बायोटेक प्रोसेस जेनरेटर की भी स्थापना भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद में की गई है। ऐसा समझा जाता है कि राज्य में जैवप्रौद्योगिकी उद्यमों की स्थापना की दिशा में निजी क्षेत्र द्वारा भी पहलें की जा रही हैं।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

3665. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध विशेषकर विदेशी राजनयिकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 के दौरान और आज की तारीख तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 के दौरान आज की तारीख तक दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना

3666. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार एवं स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) मंत्रालय देश में नई और अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों की संस्थापना को सुगम बनाने के लिए अपनी स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत केवल केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। चूंकि, अधिकांश संस्थापना निजी क्षेत्र में हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर राज्यवार लक्ष्य तैयार करना संपूर्णत: व्यवहार्य नहीं है। नवीन और अक्षय ऊर्जा के लिए 10,460 करोड़ रु. के 11 योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है जिसमें 14,000 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत की संस्थापना शामिल है।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों के प्रावधान जिसमें पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, रियायती शुल्क और अक्षय विद्युत की बिक्री से प्राप्त लाभों पर आय-कर से छूट शामिल है, जैसे अनेक उपायों के माध्यम से देश में

विभिन्न नई और अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों की संस्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क-दरें भी दी जा रही हैं। इनके अतिरिक्त, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस जैसे विशेष कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा प्रिंट, पोस्टल और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों पर प्रचार एवं जागरूकता का सृजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा स्कीमों/कार्यक्रमों के संवर्धन और प्रभावी समन्वयन को सुगम बनाने के लिए राज्यों में जिला स्तरीय सलाहकार समितियां गठित की गई हैं।

[अनुवाद]

संपत्तियों का अधिग्रहण

3667. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कंपनियों के स्वामियों द्वारा सार्वजनिक जमाओं का दुर्विनियोजन करके अधिग्रहीत की गई संपत्तियों का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक उपयुक्त विधान लाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) कंपनी अधिनियम, 1956 में सार्वजनिक जमाओं का दुर्विनियोजन करने वाली कंपनियों के मालिकों की संपत्तियों के अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) ऐसे मामलों में संपत्तियों के अधिग्रहण या जब्ती के लिए कोई विधान लाने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) कंपनी अधिनियम की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में वर्तमान ढांचे की पुनरीक्षा द्वारा ऐसे मामलों पर ध्यान दिए जाने का प्रस्ताव है।

शरीयत-कम्प्लाइन्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट सिस्टम

3668. श्री प्रबोध पांडा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शरीयत-कम्प्लाइन्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट सिस्मट शुरू करने के संबंध में संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सांसदों के एक कार्यदल ने प्रधानमंत्री जी को "हज प्रबंधन सुधार" पर रिपोर्ट भेजी है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मलेशिया के "तबुंग हाजी" की तरह का संगठन बनाने की सिफारिश की है, ताकि मुसलमानों को इस्लाम के तहत अनुमत उनकी बचतों का निवेश करके हज करने में सहायता दी जा सके।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक का विचार है कि यदि ऐसे संगठन की वित्तीय आस्तियां उसकी कुल आस्तियों (अमूर्त आस्तियों द्वारा समायोजित) के 50% से अधिक होंगी और वित्तीय आस्तियों से आय कुल आय के 50% से अधिक होगी तो ऐसा संगठन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होगा। यदि ऐसा मामला हो तो प्रस्ताव संगठन जमा राशि प्राप्त करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होगा और यह वित्तीय-विनियमन के तहत आएगा। रिपोर्ट में बताई गई आस्ति संरचना से पता चलेगा कि अधिकांश आस्तियां गैर-वित्तीय होंगी। यदि यह संगठन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं करता तो यह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य वित्तीय विनियमन के अध्यधीन नहीं होगा।

विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना

3669. श्री एम. अप्पादुरई:
श्री ए.वी. बेल्लारमिन:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु के तटों के साथ-साथ आई.आई.टी., मद्रास की तकनीकी सहायता से विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना के लिए धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और स्थानवार कितने संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) प्रत्येक संयंत्र की क्षमता एवं लागत कितनी है; और

(घ) इन संयंत्रों को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय ने आईआईटी, मद्रास की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु के समुद्री तटों के साथ-साथ विलवणीकरण संयंत्र लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार को कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एनआरईजीएस के अंतर्गत धनराशि जारी करने संबंधी मानदंड

3670. श्री रशीद मसूद: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत धनराशि वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर जारी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना को नए जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार कब तक कार्यान्वित किए जाने का विचार है; और

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह योजना मांग आधारित है और निधियां राज्य सरकारों द्वारा अनुमानित जरूरतों के अनुसार उपलब्ध कराई जाती हैं।

(घ) चूंकि एनआरईजीए मांग आधारित है, इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत निधियों का आबंटन नहीं किया जाता है। निर्धारित प्रक्रियाविधि के अनुसार प्रस्तावों की प्राप्ति होने के पश्चात सीधे जिलों को ही निधियां रिलीज की जाती हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान, उत्तर प्रदेश को 22 निर्धारित जिलों में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कुल 569.14 करोड़ रु. रिलीज किए गए थे।

[अनुवाद]

तस्करी गतिविधियों में वृद्धि

3671 श्री पी.एस. गढ़वी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तट पर स्वापक, जाली करेंसी और गोला व बारूद की तस्करी की गतिविधियां बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) क्या तस्करों द्वारा मोटर वैहिकल हाई सिक्योरिटी लाइसेंस प्लेट्स (एमवीएचएसआरपी) के कुछ निर्माताओं का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रवर्तन निदेशालय, मुंबई एमवीएचएसआरपी के कुछ निर्माताओं के विरुद्ध फारेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा), 1999 और मनी लान्डरिंग एक्ट, 2002 से संबंधित कुछ मामलों की जांच कर रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय तट पर मादक पदार्थों, नकली मुद्राओं और अस्त्रों तथा शस्त्रों के तस्करी के क्रियाकलाप में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि, राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा सम्पूर्ण भारत में की गई जब्तियों के आधार पर ऐसा पता चलता है कि वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 (जनवरी, 2007 तक) में मादक पदार्थों और भारतीय मुद्रा के नकली नोटों के कारोबार में बढ़ोत्तरी हुई है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के पास ऐसी कोई आसूचना नहीं है।

(ङ) से (छ) जी, हां। शिकायतों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने ऐसे कुछ व्यक्तियों के खिलाफ जांच कार्य शुरू किया है जिनके द्वारा एफ ई एम ए का उल्लंघन किए जाने की संभावना है।

बैंक की शाखाएं खोलने की अनुमति

3672. श्री के. सुब्बारायण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सरकारी/निजी क्षेत्रों की बैंक-वार संख्या कितनी है जिन्होंने एसईजेड में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति मांगी है;

(ख) इस संबंध में अनुमति देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अनुसार, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि नए स्थान पर कारोबार शुरू करने के लिए वे भारतीय बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। ऐसे प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शाखा प्राधिकरण नीति के अनुसार विचार किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत भारत में कार्य कर रहे और विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सरकारी क्षेत्र के बैंक, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक अपतटीय बैंकिंग एकक (ओबीयू) स्थापित करने के लिए पात्र हैं। उन बैंकों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनकी विदेशी शाखाएं हों और जिन्हें अपतटीय बैंकिंग एकक चलाने का अनुभव हो। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक पात्र बैंक को अनिवार्य रूप से थोक बैंकिंग परिचालनों के लिए प्रत्येक विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) हेतु केवल एक ओबीयू स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक दिए गये 14 अनुमोदनों में से बैंकों ने अभी तक विशेष आर्थिक जोनों में सात ओबीयू खोले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया और यूनियन बैंक आफ इंडिया से विशेष आर्थिक जोनों में सामान्य बैंकिंग शाखाएं (जीबीबी) स्थापित करने हेतु प्रस्ताव मिले हैं और तीन बैंकों नामत: इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर तथा कोटक महिन्द्रा बैंक से क्रमश: उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुम्बई में ओबीयू स्थापित करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

ब्यौरा विवरण में संलग्न हैं।

विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	ओबीयू की अवस्थिति	ओबीयू की संख्या
1	2	3	4
बैंकों द्वारा खोले गये ओबीयू का ब्यौरा			
1.	भारतीय स्टेट बैंक	एसईपीजैड, एसईजैड, मुंबई और कोच्चि	2
2.	बैंक आफ बड़ौदा	एसईपीजैड, एसईजैड, मुंबई	1
3.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	एसईपीजैड, एसईजैड, मुंबई	1
4.	पंजाब नैशनल बैंक	एसईपीजैड, एसईजैड, मुंबई	1
5.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	एसईपीजैड, एसईजैड, मुंबई	1
6.	केनरा बैंक	एसईजैड, नोएडा, उत्तर प्रदेश	1
		कुल	7
उन ओबीयू का ब्यौरा जो अनुमोदित हैं, परन्तु अभी बैंकों द्वारा खोले नहीं गये हैं			
1.	बैंक आफ इंडिया	एसईजैड, एसईपीजैड, मुंबई	1
2.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	एसईजैड, एसईपीजैड, मुंबई	1
3.	पंजाब नैशनल बैंक	एसईजैड, नोएडा, यू.पी.	1
4.	भारतीय स्टेट बैंक	एसईजैड, सूरत	1
5.	भारतीय स्टेट बैंक	एसईजैड, कंडला	1
6.	विजया बैंक	एसईजैड, एसईपीजैड, मुंबई	1
7.	एचडीएफसी बैंक	एसईजैड, एसईपीजैड, मुंबई	1
		कुल	7

1	2	3	4
उन ओबीयू का ब्यौरा जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों से आवेदन-पत्र मिले हैं			
1.	इलाहाबाद बैंक	एसईजैड, नोएडा, यू.पी.	1
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	एसईजैड, सीतापुर, जयपुर, राजस्थान	1
3.	कोटक महेन्द्रा बैंक	एसईजैड, एसईईपीजैड, मुम्बई	1
		कुल	3

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3673. श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और उनके प्रायोजित बैंक की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, आज की तिथि तक प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में इन बैंकों का कार्यनिष्पादन क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों की लाभ/हानि की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आरआरबी के कार्यकरण में सुधार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ प्रस्तावित है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में इन बैंकों की और शाखाएं खोलने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) इस समय 26 राज्यों में 28 बैंकों द्वारा प्रायोजित 96 आरआरबी कार्यरत हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ग	2003-04	2004-05	2005-06
जारी कुल ऋण	15579.05	21082.47	25426.97
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल)	11722.30	16568.02	20632.35
कुल ऋणों में पीएसएल का प्रतिशत	75.24%	78.58%	81.14%

(ग) 31 मार्च 2006 तक आरआरबी की लाभ/हानि स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ग	2003-04	2004-05	2005-06
आरआरबी की कुल संख्या	196	196	133*
लाभ वाले आरआरबी की संख्या	163	166	111
लाभ	952.32	902.60	807.80
हानि वाले आरआरबी की संख्या	33	30	22
हानि	183.64	154.49	190.66
निवल लाभ	768.68	748.11	617.14

*नोट: कुछ आरआरबी के समामेलन के कारण वर्ष 2005-06 में संख्या घट गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विशेष पैकेज घोषित किया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* आरआरबी के संसाधनों को बढ़ाने के जरिये उनके संसाधन आधार को बढ़ाना। प्रायोजक बैंकों को कहा गया था कि वे एक उचित ब्याज दर पर अलग से ऋण उपलब्ध कराएं।
* अंतर-आरआरबी मियादी धन/ऋण तक पहुंच जिसके जरिए आरआरबी आसानी से मियादी धन बाजारों में पहुंच रख सकते हैं।
* रेपो/संम्पार्श्विक उधार एवं ऋण देयता (सीबीएलओ) बाजारों में पहुंच जिसके जरिए आरआरबी सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन कर सकते है।
* क्रेडिट-डेबिट कार्ड जारी करना और एटीएम स्थापित करना।
* करेंसी चेस्ट खोलना
* आरआरबी को विदेशी विनिमय व्यापार से संबंधित गैर-व्यापार संबंधी चालू खाते लेन-देन की अनुमति है।
* पेंशन/सरकारी व्यवसाय-बैंक सरकारी व्यवसाय को देखने के लिए प्राधिकृत हैं और आरआरबी को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

(च) और (छ) वर्ष 2007-08 के लिए बजट घोषणा के अनुसरण में, आरआरबी को परामर्श दिया गया है कि वे व्यापक स्तर पर शाखा विस्तारण कार्यक्रम चलाएं और देश के प्रत्येक कवर न किये गए जिले में कम से कम एक शाखा खोलें।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रायोजक बैंक के नाम	आरआरबी की संख्या	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्रा बैंक	1	
		इंडियन बैंक	1	
		स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1	
		भारतीय स्टेट बैंक	1	
		सिंडिकेट बैंक	1	
				5

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक	1	
				1
3.	असम	भारतीय स्टेट बैंक	1	
		युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1	
				2
4.	बिहार	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2	
		पंजाब नैशनल बैंक	1	
		भारतीय स्टेट बैंक	1	
		यूको बैंक	1	
				5
5.	छत्तीसगढ़	देना बैंक	1	
		सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1	
		भारतीय स्टेट बैंक	1	
				3
6.	गुजरात	देना बैंक	1	
		स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1	
		बैंक आफ बड़ौदा	1	
				3
7.	हरियाणा	पंजाब नैशनल बैंक	1	
		सिंडिकेट बैंक	1	
				2
8.	हिमाचल प्रदेश	पंजाब नैशनल बैंक	1	
		भारतीय स्टेट बैंक	1	
				2
9.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू एंड कश्मीर बैंक	2	
		भारतीय स्टेट बैंक	1	
				3

1	2	3	4	5
10.	झारखंड	बैंक आफ इंडिया	1	
		भारतीय स्टेट बैंक	1	
				2
11.	कर्नाटक	केनरा बैंक	1	
		कारपोरेशन बैंक	1	
		भारतीय स्टेट बैंक	1	
		स्टेट बैंक आफ मैसूर	1	
		सिंडिकेट बैंक	1	
		विजया बैंक	1	
				6
12.	केरल	केनरा बैंक	1	
		सिंडिकेट बैंक	1	
				2
13.	मध्य प्रदेश	इलाहाबाद बैंक	1	
		बैंक आफ बड़ौदा	1	
		बैंक आफ इंडिया	1	
		सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3	
		भारतीय स्टेट बैंक	1	
		स्टेट बैंक आफ इंदौर	1	
		यूको बैंक	1	
		यूनियन बैंक आफ इंडिया	1	
				10
14.	महाराष्ट्र	बैंक आफ इंडिया	3	
		बैंक आफ महाराष्ट्र	3	
		सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1	
				7
15.	मणिपुर	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1	
				1

1	2	3	4	5
16.	मेघालय	भारतीय स्टेट बैंक	1	
				1
17.	मिजोरम	भारतीय स्टेट बैंक	1	
				1
18.	नागालैंड	भारतीय स्टेट बैंक	1	
				1
19.	उड़ीसा	आंध्रा बैंक	1	
		बैंक आफ इंडिया	1	
		इंडियन ओवरसीज बैंक	2	
		भारतीय स्टेट बैंक	1	
		यूको बैंक	1	
				6
20.	पंजाब	पंजाब नैशनल बैंक	1	
		पंजाब एंड सिंध बैंक	1	
		स्टेट बैंक आफ पटियाला	1	
				3
21.	राजस्थान	बैंक आफ बड़ौदा	1	
		बैंक आफ राजस्थान	1	
		सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1	
		पंजाब नैशनल बैंक	1	
		स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	1	
		यूको बैंक	1	
				6
22.	तमिलनाडु	इंडियन ओवरसीज बैंक	1	
		इंडियन बैंक	1	
				2
23.	त्रिपुरा	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1	
				1

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद बैंक	2	
		बैंक आफ बड़ौदा	2	
		बैंक आफ इंडिया	1	
		सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2	
		केनरा बैंक	1	
		पंजाब नैशनल बैंक	4	
		भारतीय स्टेट बैंक	1	
		सिंडिकेट बैंक	1	
		उत्तर प्रदेश स्टेट का-आपरेटिव बैंक	1	
		यूनियन बैंक आफ इंडिया	1	
				16
25.	उत्तरांचल	बैंक आफ बड़ौदा	1	
		भारतीय स्टेट बैंक	1	
				2
26.	पश्चिम बंगाल	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1	
		युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1	
		यूको बैंक	1	
				3
	आरआरबी की कुल संख्या		96	96

[अनुवाद]

नए बैंक खाते खोलना

3674. श्री के.सी. पल्लानी झामी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए बैंक खाते खोलने के लिए अब उपभोक्ताओं को अपना धर्म, वार्षिक आय आदि बताना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को परामर्श दिया है कि वे उपयुक्त प्राधिकारी को सूचित करने के प्रयोजन के लिए संदिग्ध प्रकृति के लेनदेनों की निगरानी हेतु अपने ग्राहक को जानिए तथा काले धन को वैध बनाने को रोकने संबंधी मानदंडों के संबंध में दिनांक 29.11.2004 को जारी किए गए विस्तृत मार्गनिर्देशों के अनुसार खाता खोलते समय निर्धारित मानदंडों और सुरक्षोपायों का पालन करें। उसमें निहित ग्राहक स्वीकृति नीति (सीएपी) से संबंधित मानदंडों के अनुसार, जोखिम में वर्गीकरण के आधार पर नए ग्राहक की रूपरेखा में ग्राहक की पहचान, सामाजिक/वित्तीय स्थिति, कारोबार की गतिविधि के स्वरूप, उसके ग्राहकों के कारोबार के बारे में सूचना और उनके स्थान आदि से संबंधित सूचना दी जा सकती है। बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि ग्राहक की रूपरेखा तैयार करते समय बैंकों को ग्राहकों से केवल ऐसी सूचना मांगनी चाहिए, जो जोखिम के वर्गीकरण के लिए प्रासंगिक हो और अनुचित हस्तक्षेप करने वाली न हो।

मलिन बस्तियों में रहने वाली शहरी आबादी

3675. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार अर्थव्यवस्था और बढ़ते शहरीकरण के साथ-साथ शहरी गरीबी भी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि शहरी आबादी का 23 प्रतिशत हिस्सा मलिन बस्तियों में रहता है, जहां स्वास्थ्य, शौचालय, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं नहीं या अपर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार शहरी गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, हां। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (61वां चक्र) के आंकड़े के आधार पर योजना आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1993-94 तथा 2004-05 के बीच शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार स्लमों वाले शहरों/कस्बों की कुल आबादी की तुलना में स्लम आबादी का प्रतिशत 23.1% है।

(ग) दिसंबर, 2005 में शुरू किये गये जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का लक्ष्य स्लमों में आवास तथा नागरिक सुविधाओं के प्रावधान में सुधार करना है। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) कार्यक्रम का लक्ष्य 63 मिशन शहरों में गरीबों को अवास एवं बुनियादी सुविधायें मुहैया कराना है। इसी प्रकार मिशन में शामिल नहीं किये गये शहरों में ये कार्यक्रम समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत चलाये जाते हैं।

(घ) और (ङ) शहरी गरीबी उपशमन के लिए क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों के तहत शहरी गरीबी एवं स्लम संबंधी राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र द्वारा समुदाय विकास, जेंडर विकास, गरीब की आवाज बुलंद करने इत्यादि में स्वयं सेवा समूहों, सामुदायिक संगठनों, सिविल सोसायटी समूहों आदि के क्षमता निर्माण कार्य में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाता है।

कंपनी लॉ बोर्ड में रिक्तियां

3676. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंपनी लॉ बोर्ड (सी.एल.बी.) में स्वीकृत सदस्य संख्या की तुलना में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सी.एल.बी. में रिक्तियां लम्बे समय से हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सी.एल.बी. में रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता): (क) कंपनी विधि बोर्ड में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित स्वीकृत सदस्य संख्या 9 हैं। वर्तमान में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित 4 सदस्य पदासीन हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने सीएलबी में दो और पदों को भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम

3677. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एकीकृत आवासन और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्यों की ऐसी मलिन बस्तियों में कितने मलिन बस्ती विकास कार्यकलाप शुरू किए गए;

(ग) क्या इस धनराशि के उपयोग की कोई निगरानी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इन धनराशियों का अन्य कार्यों में उपयोग करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई एच एस डी पी) के प्रारम्भ होने (3.12.2005) से लेकर अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) परियोजनाओं में स्लम विकास गतिविधियां शामिल हैं जैसे कि नए घरों का उन्नयन और निर्माण, जल आपूर्ति, सीवरेज, सफाई, ठोस कचरा प्रबन्धन, नालियां, वर्षा जल नालियां, सम्पर्क सड़कें, विद्युतीकरण, सामुदायिक हाल, पार्कों/खुले स्थानों का विकास तथा अन्य संबंधित नागरिक सुविधाओं का प्रावधान है।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य स्तरीय संचालन समितियों तथा नोडल एजेंसियों द्वारा मानीटरिंग की जाती है। आवधिक रिपोर्ट भारत सरकार को भी भेजी जाती है, भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (बीएमटीपीसी) को केन्द्रीय स्तर पर मंत्रालय में मानीटरिंग कार्य सौंपा गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

समेकित विकास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)	
		वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	83.33
2.	असम	0.00	5.09
3.	बिहार	0.00	8.96
4.	छत्तीसगढ़	0.00	31.26
5.	गुजरात	0.00	18.00
6.	हरियाणा	0.00	49.61
7.	कर्नाटक	0.00	14.93
8.	केरल	0.00	21.46
9.	मध्य प्रदेश	0.00	45.77
10.	महाराष्ट्र	0.00	55.80
11.	नागालैंड	0.00	9.63
12.	राजस्थान	0.00	39.26
13.	तमिलनाडु	0.00	43.37
14.	उत्तर प्रदेश	0.00	11.05
15.	पश्चिम बंगाल	0.00	55.08
	कुल	0.00	492.61

स्वास्थ्य क्षेत्र में एलआईसी पालिसियां

3678. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलआईसी ने निजी आपरेटरों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा एलआईसी के व्यवसाय और लाभ को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने अभी तक स्वास्थ्य बीमा कारोबार के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उसने अपने कारोबार और लाभ में वृद्धि के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:-

(1) जीवन बीमा निगम ने वर्ष 2006-07 के दौरान 2799 नये विकास अधिकारियों (डिवलपमेंट आफिसर्स) और 1,54,934 नये एजेंटों की नियुक्ति की है और वर्ष 2007-08 के दौरान 3000 से अधिक विकास अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव किया है।

(2) अपने भौगोलिक विस्तार को मजबूती प्रदान करने के लिए जीवन बीमा निगम ने चालू वर्ष में 5 नये मंडल कार्यालय तथा एक अंचल कार्यालय खोलने के लिए कदम उठाए हैं।

(3) बहु-संवितरण चैनलों का विकास, जीवन बीमा निगम के उत्पादों के संवितरण के लिए बैंकों, कारपोरेट एजेंटों, ब्रोकरों की सेवाएं लेना।

[हिन्दी]

सोने के आयात पर शुल्क

3679. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सोने और जेवरों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है;

(ख) क्या कच्चे सोने पर लगाया गया शुल्क रेडीमेड ज्वैलरी पर लगाए जाने वाले शुल्क से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) क्रमांकित सोने की छड़ों पर बुनियादी सीमा शुल्क 100 रु. प्रति 10 ग्राम है। अन्य प्रकार के सोने पर बुनियादी सीमा शुल्क 250 रु. प्रति 10 ग्राम है। सोने पर कुल सीमा शुल्क के 3% की दर से शिक्षा उपकर भी लगाया जाता है।

तैयार जेवरों पर 10% यथामूल्य की दर से बुनियादी सीमा शुल्क लगाया जाता है। इसके अलावा ब्रांड वाले जेवरों पर 2% प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (उत्पाद शुल्क की जगह) लगाया जाता है। जेवरों पर कुल सीमा शुल्क के 3% की दर से शिक्षा उपकर और 1% अतिरिक्त सीमा शुल्क भी उद्ग्रहणीय है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्थायी शेल्टरों का निर्माण

3680. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि स्थायी शेल्टरों के लिए सुपर स्ट्रक्चर अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के मैनलैंड में तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने निर्माण कंपनियों को सुपर स्ट्रक्चर की निर्धारित अवधि में आपूर्ति हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार द्वारा और क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्माण अभिकरणों के परामर्श से केलोनिवि द्वारा एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है, जिस पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

(ग) और (घ) सुपर स्ट्रक्चर कार्यों की पूर्णता समय करार के समय ही निर्धारित कर लिया गया है। इसकी उच्च स्तर पर नियमित रूप में निगरानी की जा रही है।

सरकारी भवनों में सौर प्रणाली का प्रावधान

3681. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.पी.डब्ल्यू.डी. का ध्यान ऐसी बिल्डिंग डिजाइन पर दिया जाना था, जो अधिकतम सौर ऊर्जा का प्रयोग करती है और वर्तमान प्रणाली की तुलना में प्रति वर्ग मी. में ऊर्जा खपत के आधे तक कम करती है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और दिल्ली के बाहर 19.07.2005 के बाद निर्मित सरकारी भवनों की संख्या कितनी है तथा क्या इनमें सौर प्रणाली का प्रावधान किया गया था;

(ग) क्या 19.07.2004 से पहले निर्मित सरकारी भवनों के डिजाइन में भी परिवर्तन किया गया था ताकि ऊर्जा खपत को कम करके अधिकतम सौर ऊर्जा का प्रयोग हो सके;

(घ) यदि नहीं, तो यह कार्य न करने के जिम्मेदार प्राधिकारी कौन-कौन हैं;

(ङ) क्या 19.07.2004 से पांच वर्षों के भीतर स्वच्छ जल के उपयोग से कम से कम 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए

सभी भवनों में जल संचयन, जल पुनर्चक्रण तथा जल प्रबंधन किया जाना था; और

(च) यदि हां, तो कितने सरकारी भवनों में यह प्रावधान किया जाना था तथा शेष भवनों में यह प्रावधान न करने के क्या कारण हैं और उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं। ऐसे कोई औपचारिक निवेश नहीं है। तथापि, दिन में आने वाले प्रकाश का पर्याप्त उपयोग करके, विशिष्ट जलवायु संबंधी परिस्थितियों की अधिकतम अनुकूलता के अनुसार दिन का प्रकाश अधिकतम प्राप्त करने तथा साइट की स्थिति के अनुसार ऊर्जा अवशोषण कम करने या इसके विपरीत करने के लिए अन्य उपर्युक्त उपाय तथा अभिविन्यास अपनाकर एवं इस प्रकार ऊर्जा की खपत घटाकर ऊर्जा बनाने की सौर निष्क्रिय वास्तुशिल्पीय संकल्पनाओं को आमतौर पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा डिजाइन किए गए भवनों में शामिल किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं।

(ग) पुराने भवनों की बिल्डिंग डिजाइन को बदला नहीं जा सकता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए लागू नहीं।

(ङ) और (च) वर्तमान म्यूनिसिपल उप नियमों के अनुसार दिल्ली में सभी भवनों में वर्षाजल संचयन तथा गंदे जल के पुनर्चक्रण की प्रणाली रखना अनिवार्य है। तदनुसार, दिल्ली में बनाये जा रहे सभी भवनों में ऐसे प्रावधान किये जा रहे हैं। अन्य स्थानों के लिए, जहां यह प्रणाली अनिवार्य नहीं है, साईट की स्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किये जाते हैं। किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी भवनों का निर्माण अनुमोदित एवं लागू भवन उप नियमों के अनुसार किया जाता है।

एनआरईजीएस के अंतर्गत अनियमितताएं

3682. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
डा. चिन्ता मोहन:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) को अत्यधिक भ्रष्टाचार, व्यापक अनियमितताएं, भुगतान में विलम्ब, कम कार्य दिवस तथा जागरूकता की कमी जैसी कुछ बाधाएं पेश आ रही हैं;

(ख) क्या 100 दिनों के कार्य की बजाय कई जिलों में लोगों को केवल 10-25 दिनों का काम मिला है तथा कई स्थानों पर मजदूरी के भुगतान में काफी विलम्ब हुआ था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस योजना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा अनियमितताएं रोकने तथा योजना को और पारदर्शी बनाने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एनआरईजीए एक मांग आधारित कार्यक्रम है इसलिए मुहैया कराए गए रोजगार के दिवसों की संख्या परिवार की मांग पर आधारित होगी।

(घ) और (ङ) स्वैच्छिक संगठनों को आईईसी और प्रशिक्षण क्रियाकलापों में शामिल किया जा सकता है। एनआरईजी अधिनियम, 2005 की धारा 17(2) में ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था है। मंत्रालय सामाजिक लेखा परीक्षा कार्यों की निगरानी और सत्यापन, महत्वपूर्ण आंकड़ों के स्वैच्छिक प्रदर्शन तथा बेहतर पारदर्शिता के लिए स्थानीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की स्थापना पर बल देता है।

(च) एनआरईजीए के कार्यान्वयन की निगरानी सरकार द्वारा नियमित आधार पर की जाती है। राज्य एवं जिला स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समितियां बनाई गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री और सचिव (ग्रा.वि.) द्वारा समय-समय पर आवधिक समीक्षा बैठकें की गई हैं। राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता और मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारी अधिनियम की प्रगति की देख-रेख करने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करते हैं। व्यापक प्रबंधन आसूचना प्रणाली विकसित की गई है जिसके माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यों से स्थानीय निगरानी के लिए ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन करने का

अनुरोध किया गया है। दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि कम से कम 2%, 10% और शत-प्रतिशत कार्यों की जांच क्रमशः राज्य, जिला और ब्लाक स्तर के अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए क्षमता निर्माण उपाय भी किए गए हैं। कार्यक्रम के प्रति जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए राज्य स्तरीय संचार अभियान शुरू किए गए हैं। कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए प्रिंट, श्रव्य-दृश्य मीडिया और सांस्कृतिक मंचों को उपयोग में लाया गया है। मंत्रालय न केवल वास्तविक मानदंडों का बल्कि गुणात्मक संकेतकों की भी निगरानी कर रहा है।

[हिन्दी]

स्वच्छता और पेयजल के लिए दी गई धनराशि का उपयोग

3683. **श्री काशीराम राणा:**
श्री वी.के. दुग्मर:
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि स्वच्छता सुविधाओं की कमी तथा पेयजल की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण लोग बीमार पड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा उपयोग में लाई गई;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान उक्त धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(च) सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करने के लिए केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में संपूर्ण स्वच्छता अभियान जिले को कार्यान्वयन की इकाई के रूप में मानते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय और पेयजल मुहैया कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है। तथापि, केन्द्र सरकार ग्रामीण बसावटों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

(ग) संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए गत तीन वर्षों के दौरान निधियों की रिलीज का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए आबंटित और रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार रिलीज

(सभी आंकड़े लाख में)

राज्य का नाम	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	3362.27	4300.09	9455.20	89.15
अरुणाचल प्रदेश	90.00	382.42	0.00	0.09
असम	244.95	1355.65	337.74	0.14
बिहार	120.00	6075.91	830.23	114.91
छत्तीसगढ़	1100.17	2663.38	4677.48	77.77

1	2	3	4	5
दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	124.67	0.00	0.00	0.00
गुजरात	3690.44	188.79	4976.36	265.04
हरियाणा	811.13	9.97	2334.61	46.28
हिमाचल प्रदेश	50.00	641.06	27.01	9.44
जम्मू-कश्मीर	1044.88	0.00	0.00	0.00
झारखंड	1946.71	2077.87	2747.69	30.45
कर्नाटक	461.99	5752.61	2030.88	244.22
केरल	805.53	736.90	363.18	706.76
मध्य प्रदेश	2242.97	2024.68	3895.49	148.02
महाराष्ट्र	3492.45	1494.98	8719.53	1364.67
मणिपुर	0.00	0.00	90.81	0.00
मेघालय	0.00	73.40	550.06	0.00
मिजोरम	60.00	209.33	555.54	0.14
नागालैंड	62.69	79.37	89.61	0.00
उड़ीसा	4582.48	2346.29	5801.54	74.13
पांडिचेरी	47.42	0.00	0.00	0.00
पंजाब	689.94	194.06	0.00	0.00
राजस्थान	700.86	4353.91	1148.29	45.15
सिक्किम	74.07	344.90	137.64	1.22
तमिलनाडु	2972.06	7959.22	4873.92	307.93
त्रिपुरा	368.73	361.72	0.00	2.08
उत्तर प्रदेश	3475.35	11619.82	16876.31	468.30
उत्तराखंड	503.23	97.50	157.40	3.79
पश्चिम बंगाल	1566.85	4640.37	945.99	1137.50

संपूर्ण स्वच्छता अभियान मांग प्रेरित कार्यक्रम है। राज्यों के लिए कोई आबंटित निधियां नहीं हैं।

विवरण II

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एआरडब्ल्यूएसपी (सामान्य) के अंतर्गत आबंटन और रिलीज

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
		आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	13084.00	13084.00	23947.35	22340.29	19548.00	26685.80	28178.00	4696.38
2.	बिहार	7405.00	7400.03	15324.00	15324.00	18571.00	13006.65	27937.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	2663.00	2269.80	5904.97	5020.44	6549.00	6549.00	9595.00	1599.09
4.	गोवा	121.00	0.00	221.05	182.45	253.00	127.00	331.00	0.00
5.	गुजरात	6623.00	6623.00	11186.00	11205.00	12503.00	13703.80	18144.00	3023.94
6.	हरियाणा	1974.00	1974.00	3512.00	3493.30	4546.00	4873.00	6013.00	1002.13
7.	हिमाचल प्रदेश	5427.00	5427.00	8585.00	10885.00	9663.00	15127.00	11690.00	1948.25
8.	जम्मू-कश्मीर	12502.00	12500.00	19908.00	21908.00	26163.00	23206.67	32772.00	5462.05
9.	झारखंड	2949.00	1859.83	6334.61	6171.28	7261.00	3631.00	11388.00	0.00
10.	कर्नाटक	10046.00	10045.89	17723.99	17723.99	17467.00	20800.60	24572.00	4095.39
11.	केरल	3946.00	3946.00	6170.65	6170.65	6216.00	6216.00	8293.00	1382.14
12.	मध्य प्रदेश	7745.00	7745.00	15101.00	15039.88	18797.00	19733.40	25162.00	4193.67
13.	महाराष्ट्र	15971.00	15971.00	31610.88	31610.88	36152.00	36152.00	40440.00	6739.98
14.	उड़ीसा	6934.00	6934.00	14212.40	13880.94	10332.00	9130.83	16885.00	2814.16
15.	पंजाब	2815.00	2815.00	4172.53	4134.81	4098.00	4098.00	5291.00	881.87
16.	राजस्थान	20392.00	20391.86	36020.72	35891.34	26425.00	20171.36	42102.00	7017.01
17.	तमिलनाडु	7125.00	7075.13	11875.00	11093.34	12057.00	12496.22	19090.00	3181.63
18.	उत्तरांचल	3035.00	2957.97	6559.12	6559.12	7523.00	7779.36	8930.00	1488.40
19.	उत्तर प्रदेश	12991.00	12991.00	28372.10	28372.10	27990.00	28389.40	40151.00	6691.89
20.	पश्चिम बंगाल	8527.00	8270.21	15246.90	15078.33	15806.00	17118.40	19137.00	3189.46
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.63	0.00	34.38	0.00	32.73	0.00		
22.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	0.00		
23.	दादरा व नगर हवेली	3.75	0.00	22.92	0.00	5.92	0.00	37.50	
24.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53	0.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	दिल्ली	2.81	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00	31.25	
26.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00		
27.	पांडिचेरी	2.81	0.00	17.19	0.00	38.72	0.00	31.25	
	उप जोड़ (क)	152290.00	150280.72	282067.45	282085.14	288020.00	288995.49	396201.00	59407.44
28.	अरुणाचल प्रदेश	6125.00	6125.00	9993.61	9874.54	10299.00	13663.78	11241.00	1873.54
29.	असम	10331.00	8782.62	16851.29	14800.73	17369.00	11372.37	18959.00	3159.85
30.	मणिपुर	2103.00	2103.00	3430.93	2713.67	3379.00	1689.50	3859.00	0.00
31.	मेघालय	2422.00	2422.00	3949.77	3190.10	4073.00	5104.59	4446.00	741.03
32.	मिजोरम	1737.00	1737.00	2831.58	2599.27	2920.00	4271.39	3188.00	531.30
33.	नागालैंड	1782.00	1702.00	2907.91	2641.20	2998.00	2998.00	3272.00	545.28
34.	सिक्किम	731.00	731.00	1195.53	1183.68	1229.00	1630.77	1342.00	223.71
35.	त्रिपुरा	2149.00	1558.25	3503.10	3199.86	3613.00	4577.89	3943.00	657.14
	उप जोड़ (ख)	27380.00	25160.87	44663.72	40202.95	45880.00	45308.29	50250.00	7731.85
	कुल जोड़ (क)+(ख)	179670.00	175441.59	326731.17	322288.09	333900.00	334303.78	446451.00	67139.29

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

3684. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री रनेन बर्मन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को धनराशि आबंटित करते समय क्या मानदंड अपनाए जाते हैं तथा क्या दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण विकास योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित, जारी तथा उपयोग की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी सफलता हासिल हुई तथा इनके अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित समय में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने तथा निधियों के शत-प्रतिशत उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय निधियों के आबंटन के लिए मानदंड संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए आबंटित एवं रिलीज की गई और उपयोग में लाई गई निधियों और बताई गई वास्तविक उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, संसद सदस्यों, जिला स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी वाली राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों की

निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक प्रणाली बनाई है। इसके अलावा राज्य सरकारों को पांच आयामी कार्यनीति अपनाने की भी सलाह दी गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं- (1) जागरूकता पैदा करना, (2) पारदर्शिता, (3) जनभागीदारी, (4) जवाबदेही, सामाजिक लेखा-परीक्षा और (5) सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता और निगरानी। इन तंत्रों से कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधियों का अधिकतम उपयोग करने में मदद मिलती है।

विवरण I

प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को निधियों के आबंटन के लिए मानदंड

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	आबंटन के लिए मानदंड
1.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	देश में कुल ग्रामीण गरीब की तुलना में राज्य में ग्रामीण गरीब के अनुपात के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय आबंटन और खाद्यान्न दिए जाते हैं। जिला स्तर पर, राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी और जिले में कृषि श्रमिकों की प्रति व्यक्ति उत्पादकता की तुलना में जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात के आधार पर तैयार किए गए पिछड़ापन सूचकांक के आधार पर निधियां और खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं।
2.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 1993-94 के गरीबी अनुपात के आधार पर योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए "समायोजित अंश" के आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं।
3.	इंदिरा आवास योजना	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण आवास की कमी को 75 प्रतिशत और गरीबी अनुपात को 25 प्रतिशत वेटेज देते हुए निधियां आबंटित की जाती हैं।
4.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1 रुपया प्रति लीटर वास्तविक उपकर का आबंटन अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यकता (देश की सड़कों से न जुड़ी कुल बसावटों में सड़कों से न जुड़ी बसावटों का अंश) को 75 प्रतिशत और कवरेज को 25 प्रतिशत वेटेज देने पर आधारित है।
5.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	निम्न को वेटेज — प्रतिशत (%) (क) ग्रामीण आबादी — 40 (ख) डीडीपी, डीपीएपी, एचएडीपी के अंतर्गत राज्य और ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में विशेष श्रेणी वाले पर्वतीय राज्य — 35 (ग) कवर न किए गए/आंशिक रूप से कवर किए गए गांव (2:1 के अनुपात में) — 15 (घ) गुणवत्ता प्रभावित गांव (40:40:15:5) — 10
6.	समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज परियोजना आधारित हैं।
7.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	योजना मांग प्रेरित है।

विवरण II

वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान एसजीआरवाई का कार्य-निष्पादन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05				2005-06				2006-07				2007-08	
		निधियों का केन्द्रीय आवंटन	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	राज्यों द्वारा उपयोग	सृजित श्रमदिवस	निधियों का केन्द्रीय आवंटन	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	राज्यों द्वारा उपयोग	सृजित श्रमदिवस	निधियों का केन्द्रीय आवंटन	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	राज्यों द्वारा उपयोग	सृजित श्रमदिवस	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	23487.18	24049.88	31922.74	434.02	28139.33	29453.70	37705.06	434.16	10903.95	13545.64	7823.92	43.77	3434.48	572.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	1246.98	1368.64	685.09	8.53	1524.09	1377.50	675.53	9.42	1403.65	842.20	1006.80	1.35	1196.71	
3.	असम	32368.00	32124.06	39533.75	625.80	39560.89	40916.96	46499.28	716.00	25385.99	29847.28	35710.99	179.29	14795.59	
4.	बिहार	46512.14	49196.29	63479.62	685.32	55724.88	59124.30	73195.24	618.37	21299.37	20462.40	17552.35	59.08	0.00	
5.	छत्तीसगढ़	13108.64	12931.67	17757.39	348.85	15705.88	16605.81	22893.18	256.82	4937.19	6089.13	393.63	0.07	417.64	
6.	गोवा	336.74	292.55	282.73	3.57	403.44	242.07	391.55	1.91	417.64	250.58	393.63	0.07	417.64	
7.	गुजरात	10283.30	9941.23	14956.35	264.68	12320.13	12648.76	16887.56	186.34	8741.19	10724.36	8728.45	47.55	7086.26	1181.04
8.	हरियाणा	5417.38	5567.67	6794.28	70.12	6490.41	6758.76	9531.74	70.90	6048.66	7552.28	8497.40	22.98	5416.94	902.82
9.	हिमाचल प्रदेश	2281.48	2259.63	3683.45	40.18	2733.38	2230.05	3587.90	36.48	2296.24	1948.24	2290.19	10.83	1534.07	172.61
10.	जम्मू-कश्मीर	2681.02	2715.61	4197.50	43.73	3212.07	3229.13	4570.88	42.09	2628.03	3252.59	2746.84	3.44	2034.65	244.50
11.	झारखंड	31543.52	27394.54	39485.11	303.88	37791.40	33841.77	52866.14	407.43	3338.58	4173.94	4694.11	4.14	0.00	
12.	कर्नाटक	17539.74	18290.28	26682.09	419.24	21013.87	21881.83	30855.62	395.07	16224.75	19871.61	16990.52	33.48	11927.77	1987.96
13.	केरल	7870.10	7866.56	13565.39	118.91	9428.94	9767.11	15532.67	109.46	8116.50	9618.09	9356.48	28.69	6706.98	
14.	मध्य प्रदेश	28308.64	28713.84	40023.35	581.39	33915.78	34606.57	45496.35	533.55	16854.62	20402.84	19818.67	129.59	9256.61	1398.53
15.	महाराष्ट्र	34672.18	33657.28	49000.74	674.69	41539.76	40869.63	53360.78	659.28	25703.73	31832.03	24365.18	191.61	16922.17	2820.36
16.	मणिपुर	2172.42	2123.41	2387.20	31.93	2655.18	2164.50	966.20	13.56	2403.18	2179.95	2326.82	0.00	1677.69	226.07
17.	मेघालय	2433.74	2439.01	3199.36	36.96	2974.57	2334.13	3503.10	41.74	1946.47	1753.09	1999.38	13.19	723.57	62.72
18.	मिजोरम	563.18	574.44	557.19	6.54	688.33	748.55	988.29	11.48	556.39	688.66	374.98	3.46	358.17	59.70
19.	नागालैंड	1669.40	1637.97	1433.70	36.71	2040.38	1415.70	1989.25	33.10	1752.72	1356.43	751.24	4.50	595.93	99.32
20.	उड़ीसा	26567.30	26939.86	36291.37	553.94	31829.53	33322.45	35694.05	556.02	9623.95	11931.45	10055.39	73.71	4691.19	655.68
21.	पंजाब	6025.60	5818.55	6215.06	43.29	7219.10	6412.39	6246.18	3668	6753.65	4416.73	5452.86	14.86	5239.88	172.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.	राजस्थान	13318.66	14564.97	20437.32	219.48	15956.71	17945.03	23423.21	182.54	12542.23	25360.83	16456.66	70.93	9439.21	1515.99
23.	सिक्किम	623.52	685.88	771.95	5.34	762.08	828.75	1076.58	7.60	562.78	703.59	468.87	2.30	181.88	30.31
24.	तमिलनाडु	20538.10	22470.43	30960.67	519.41	24606.12	25995.76	35587.77	472.11	18850.46	23561.42	24629.46	113.17	15960.80	2660.31
25.	त्रिपुरा	3922.76	4079.04	5891.08	108.46	4794.48	5213.91	6155.50	130.36	3820.26	4324.16	3317.17	27.38	870.73	145.12
26.	उत्तरांचल	5242.62	5361.66	8502.94	94.29	6281.04	6607.12	9358.23	102.02	4920.58	6123.38	6901.34	37.41	3757.88	468.53
27.	उत्तर प्रदेश	78495.06	79279.95	106468.40	1750.45	94042.72	98576.36	128965.23	1608.65	56504.34	68935.32	55969.47	379.36	56504.34	9189.84
28.	पश्चिम बंगाल	29524.26	26731.84	32836.27	377.56	35372.18	34453.29	37779.37	539.74	15660.57	14439.59	14248.15	69.35	1608.53	138.03
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	220.94	220.94	65.35	3.01	264.70	44.36	88.03	3.94	274.01	0.00	14.29	0.00	272.01	
30.	दादरा और नगर हवेली	145.46	87.28	0.00	0.00	174.27	0.00	0.00	0.00	180.40	0.00	0.00	0.00	180.40	
31.	दमन और दीव	70.50	0.00	0.00	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00	87.44	0.00	0.00	0.00	87.44	
32.	लक्षद्वीप	110.50	28.57	11.37	0.13	132.39	126.75	44.20	0.41	137.05	129.55	13.20	0.06	137.05	
33.	पांडिचेरी	223.94	205.09	34.06	0.13	268.30	0.00	186.24	1.23	277.74	166.64	118.60	0.22	277.74	
	कुल	449525.00	449618.62	608012.87	8330.53	539650.00	549743.00	705228.91	8218.45	291154.31	346484.00	310113.78	1606.34	184427.07	24892.34

2004-05 से 2007-08 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति

(लाख रु. में)

क्रमं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05				2005-06					2006-07					2007-08	
		निधियों का केन्द्रीय आवंटन	निधियों की केन्द्रीय वित्तीय	राज्यों द्वारा उपयोग	स्वयंसहायता-प्राप्त स्वरोजगारियों की सं.	निधियों का केन्द्रीय आवंटन	निधियों की केन्द्रीय वित्तीय	राज्यों द्वारा उपयोग	स्वयंसहायता-प्राप्त स्वरोजगारियों की सं. लक्ष्य	उपलब्धि	निधियों का केन्द्रीय आवंटन	निधियों की केन्द्रीय वित्तीय	राज्यों द्वारा उपयोग	स्वयंसहायता-प्राप्त स्वरोजगारियों की सं. लक्ष्य	उपलब्धि	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	5305.97	5305.97	6970.51	84825	5305.97	5263.37	7066.03	45602	132462	5885.70	5885.67	9010.51	57921	638843	8980.19	1496.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	276.91	278.92	242.38	1743	276.91	183.89	231.14	2380	2013	282.45	125.36	138.37	3023	835	498.44	45.88
3.	असम	7195.18	6595.62	8046.89	64814	7195.18	6601.52	8164.07	61839	55753	7339.07	7217.03	7394.67	78544	57064	12951.32	0.00
4.	बिहार	12623.79	9619.84	13442.98	128075	12623.79	11079.65	15875.41	108494	131033	13998.30	11613.93	15523.33	137805	109267	21363.17	60.79
5.	छत्तीसगढ़	2802.45	2676.11	3863.97	28842	2802.45	2633.11	3740.30	24086	28971	3109.61	3093.97	4677.29	30592	33669	4744.20	790.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.	गोवा	50.00	27.82	69.93	683	50.00	29.36	51.45	430	625	50.00	50.00	61.50	546	711	75.00	12.51
7.	गुजरात	1997.27	1946.40	2814.63	27457	1997.27	1996.08	2857.07	17165	30948	2216.70	2208.34	2859.98	21803	27382	3380.31	563.39
8.	हरियाणा	1175.03	1175.08	1595.25	14132	1175.03	1147.48	1888.51	10099	14955	1304.92	1304.92	1857.92	12827	14158	1988.70	331.44
9.	हिमाचल प्रदेश	494.85	487.42	745.26	8950	494.85	448.75	678.32	4253	8457	548.73	517.66	441.85	5402	5210	837.51	138.39
10.	जम्मू-कश्मीर	612.44	436.74	779.94	8039	612.44	419.78	703.66	5264	7185	679.13	591.21	839.67	6686	8219	1036.54	160.38
11.	झारखंड	4757.98	4180.61	5587.89	59705	4757.98	3498.87	6518.55	40892	79847	5278.02	4736.81	6037.02	51939	69077	8054.92	1342.48
12.	कर्नाटक	4006.76	3735.03	5487.70	52976	4006.76	3579.36	5590.36	34436	46924	4445.01	4185.34	5723.25	43739	46407	6781.32	1130.22
13.	केरल	1797.82	1783.56	2445.14	23306	1797.82	1797.82	2420.47	15451	22483	1995.54	1985.02	2717.76	19625	22401	3042.76	507.13
14.	मध्य प्रदेश	6007.91	5516.04	7592.17	48777	6007.91	5722.89	8600.34	51635	56456	6664.05	6566.78	9316.78	65584	59781	10167.06	1694.49
15.	महाराष्ट्र	7920.39	7409.42	10630.89	70146	7920.39	7443.34	10878.65	68071	79839	8784.83	8740.87	11420.73	86461	75786	1304.01	2234.13
16.	मणिपुर	482.36	91.05		0	482.36	116.82	111.36	4146	1964	492.01	184.35	17.50	5266	360	868.24	0.00
17.	मेघालय	540.42	190.84	241.88	7508	540.42	281.43	364.07	4645	1835	551.23	308.92	254.93	5899	1112	972.76	81.24
18.	मिजोरम	125.06	146.76	189.77	1488	125.06	123.21	200.82	1075	1557	127.56	125.14	139.56	1365	11856	225.10	37.51
19.	नागालैंड	370.70	203.94	188.77	2981	370.70	135.90	253.51	3186	3508	378.12	234.97	93.03	4047	2125	667.26	57.49
20.	उड़ीसा	6068.94	5866.19	8281.82	65712	6068.94	6065.95	8073.92	52159	63904	6729.73	6724.76	8611.11	66250	68687	10271.49	1711.93
21.	पंजाब	571.05	442.81	552.73	5246	571.05	562.17	638.82	4908	5923	635.23	633.02	1103.27	6234	10532	966.49	161.07
22.	राजस्थान	3042.47	2941.56	4051.15	35225	3042.47	2662.12	4409.83	26148	33476	3375.71	3222.55	4825.90	33212	38445	5149.28	858.21
23.	सिक्किम	138.45	179.99	222.09	1598	138.45	138.45	247.87	1190	1466	141.22	141.22	211.35	1511	1397	249.22	41.54
24.	तमिलनाडु	4691.65	4676.06	7066.73	74927	4691.65	4691.65	6759.92	40322	39708	5024.41	5204.41	7342.13	51215	53509	7940.46	1323.43
25.	त्रिपुरा	870.92	1102.28	1136.56	9301	870.92	869.92	1464.19	7485	6188	888.34	11373.7	743.83	9507	2224	1567.66	261.28
26.	उत्तर प्रदेश	18173.71	17293.83	27772.43	246824	18173.71	17018.11	26779.42	156193	261080	20152.62	19901.38	26129.76	198389	257547	30755.63	5125.96
27.	उत्तरांचल	955.10	954.59	1686.24	12493	955.10	943.75	2085.78	8209	17243	1061.01	1061.01	1399.53	10426	10564	1619.24	269.87
28.	पश्चिम बंगाल	6744.42	4608.31	7317.61	28280	6744.42	5465.50	7525.25	57965	18829	7480.75	6201.87	6746.12	73624	17304	11414.72	1902.47
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	25.00	5.09	373	25.00	6.25	7.07	161	1594	25.00	0.00	6.10	205	108	25.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	25.00	0.00	0.06	0	25.00	0.00		161	0	25.00	0.00	0.50	205	0	25.00	0.00
31.	दमन और दीव	25.00	12.50	8.28	87	25.00	0.00		161	0	25.00	12.50		205	0	25.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	25.00	0.00	1.16	6	25.00	0.00	2.15	161	15	25.00	0.00	5.07	205	42	25.00	0.00
33.	[illegible]	100.00	100.00	104.28	1409	100.00	100.00	89.22	645	875	100.00	100.00	154.19	819	1293	150.00	25.00
	कुल	100000.00	90010.29	129083.18	1115928	100000.00	91026.50	133877.53	859230	1151116	110000.00	104016.37	135804.50	1091081	1645915	170224.00	22365.63

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात् 2004-05, 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केंद्रीय आबंटन, केंद्रीय रिलीज, निधियों के उपयोग तथा निर्मित आवासों का राज्यवार विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05				2005-06				2006-07*				2007-08	
		निधियों का केन्द्रीय आबंटन	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	राज्यों द्वारा उपयोग	निर्मित आवास	निधियों का केन्द्रीय आबंटन	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	राज्यों द्वारा उपयोग	निर्मित आवास	निधियों का केन्द्रीय आबंटन	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	राज्यों द्वारा उपयोग	निर्मित आवास	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	17981.83	19190.68	24813.84	126039	24399.42	24609.65	31791.06	132521	25939.14	26089.14	33784.76	146403	36027.75	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	825.98	1106.03	950.76	4162	949.43	711.88	1189.94	5327	1018.68	1056.18	823.51	3526	1395.30	190.06
3.	असम	18584.99	22080.95	27941.87	129495	20994.23	21465.64	23682.96	104353	22525.57	22544.21	28983.75	96484	30853.66	3138.05
4.	बिहार	48846.34	91533.18	58275.18	252026	72020.72	62437.06	87769.49	331651	76565.57	77769.32	98816.76	291236	106344.49	9284.86
5.	छत्तीसगढ़	3074.96	3135.95	3982.75	20134	3773.17	4473.57	5043.71	26578	4011.28	4011.28	5334.44	20818	5571.39	687.58
6.	गोवा	116.18	90.17	164.82	428	150.28	136.95	179.54	615	159.77	135.45	196.06	1115	221.90	25.72
7.	गुजरात	5167.82	5416.01	7064.63	33654	11966.03	11959.28	15840.26	65602	12721.14	12721.15	11416.02	42178	17668.82	2552.63
8.	हरियाणा	1747.40	1785.10	2215.56	8845	1680.04	2008.33	2448.31	9743	1786.06	1762.99	2707.97	10375	2480.72	413.45
9.	हिमाचल प्रदेश	773.06	767.60	1021.72	4749	592.56	755.75	812.56	3031	629.95	629.95	695.92	1795	874.96	56.14
10.	जम्मू-कश्मीर	924.74	928.43	1404.54	7252	1840.52	2001.35	1834.88	82.31	1956.67	1885.71	1911.35	7527	2717.68	177.87
11.	झारखंड	14351.50	11960.36	16031.16	66081	6423.93	8823.24	13023.93	75403	6829.31	6054.58	8685.34	37171	9485.46	1482.55
12.	कर्नाटक	9301.41	7831.84	10360.19	50707	9400.43	9639.02	12850.18	56944	9993.64	9993.64	12140.71	49088	13880.51	1990.71
13.	केरल	5763.87	5841.32	7839.16	39831	5227.51	5169.28	7421.36	36413	5557.39	5557.40	5233.68	20295	7718.85	1073.59
14.	मध्य प्रदेश	10730.71	10594.54	13905.33	753449	14714.56	14960.66	22531.67	59420	7977.69	7996.44	10572.02	35547	11080.48	1785.37
15.	महाराष्ट्र	16503.47	15569.13	22673.85	105449	14714.56	14960.66	22531.87	94274	15643.12	16097.35	13126.22	35433	21727.25	1746.68
16.	मणिपुर	984.83	921.55	885.17	5820	824.15	876.39	1128.85	4962	884.26	662.34	0.00	0	1211.19	51.46
17.	मेघालय	1308.47	1435.65	1080.97	4665	1435.38	918.84	1561.47	6678	1540.07	750.95	524.81	1475	2109.47	70.38
18.	मिजोरम	314.12	343.68	435.76	2052	305.89	331.12	482.43	2182	328.20	294.27	261.54	1175	449.55	64.53
19.	नागालैंड	844.67	865.88	716.11	5099	949.84	928.20	1188.07	7949	1019.11	634.89	1024.78	6046	1395.90	197.53
20.	उड़ीसा	14476.04	13954.68	22620.13	89891	14149.75	15047.54	22344.43	87070	15042.66	15042.66	11408.89	42679	20893.26	3376.28
21.	पंजाब	1157.56	1039.86	880.79	4460	2077.71	1523.88	1753.49	7868	2208.83	1554.07	1314.96	4742	3067.91	301.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.	राजस्थान	4876.10	4971.71	6561.81	31070	6013.11	6494.31	8563.52	38471	6392.56	6617.51	5829.85	13738	8878.84	1479.81
23.	सिक्किम	226.45	250.51	346.08	1584	181.66	197.04	275.69	1296	194.91	194.92	326.08	1166	266.97	44.50
24.	तमिलनाडु	9030.00	9921.24	17692.31	58687	9768.97	9999.13	18109.11	66434	10385.44	10385.44	11014.72	5307	14424.69	2063.15
25.	त्रिपुरा	1910.49	2295.75	2797.54	12132	1849.42	2070.92	2808.54	11902	1984.31	3357.26	1540.69	4353	2717.96	376.86
26.	उत्तर प्रदेश	32923.88	31509.17	40536.06	199096	32348.75	35470.31	44862.77	185541	34390.12	34445.43	31916.36	120905	47765.59	5400.24
27.	उत्तरांचल	3419.68	3400.03	5579.45	26376	1621.77	1806.85	3563.92	21722	1724.11	1714.48	3221.45	17239	2394.68	399.11
28.	पश्चिम बंगाल	19407.12	19084.50	27350.19	155598	19518.40	19355.70	20728.16	99259	20750.10	20745.29	22492.42	101351	28820.51	4779.60
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	281.73	352.93	43.52	337	309.46	0.00	74.03	90	328.99	0.00	12.87	62	456.94	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	114.78	33.35	23.71	108	51.56	25.78	9.01	101	54.82	0.00	20.79	69	76.13	0.00
31.	दमन और दीव	47.51	0.00	2.09	9	23.07	0.00	0.61	6	24.52	0.00	0.28	1	34.06	0.00
32.	लक्षद्वीप	3.72	3.86	3.75	16	20.00	32.64	18.55	48	21.26	21.26	34.88	88	29.54	0.00
33.	पांडिचेरी	108.59	94.43	7.84	88	154.14	0.00	77.68	238	163.86	37.50	41.02	231	227.59	0.00
	कुल	246067.00	288310.02	326208.64	1521305	273240.00	273822.58	365409.05	1551923	290753.00	290753.06	325414.90	1119618	403270.00	43210.47

*2006-07 की प्रगति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार है। मार्च, 2007 की रिपोर्ट कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतीक्षित है।

प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना के अंतर्गत केंद्रीय आवंटन, केंद्रीय रिलीज, निधियों के उपयोग, निर्मित सड़कों की सं. का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05				2005-06				2006-07				2007-08	
		आवंटन (उपकर)	रिलीज	निधियों का उपयोग	सम्पन्न कि.मी. में	आवंटन (उपकर)	रिलीज	निधियों का उपयोग	सम्पन्न कि.मी. में	आवंटन (उपकर)	रिलीज	निधियों का उपयोग	सम्पन्न कि.मी. में	आवंटन (उपकर)	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	90.00	88.97	117.83	202.88	100.00	183.56	106.79	1404.35	100.00	155.090	239.09	2080.07	105.00	100.000
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.00		16.10	288.28	52.00	52.00	3.20	86.91	52.00	54.22	50.66	218.28	57.00	
3.	असम	75.00	164.52	113.82	183.01	176.00	136.82	255.88	477.90	176.00	291.05	406.07	1148.76	181.00	
4.	बिहार	150.00	29.58	106.90	249.47	332.00	324.29	175.94	789.41	332.00	524.48	366.96	602.20	337.00	49.43
5.	छत्तीसगढ़	87.00	164.92	278.07	914.25	330.00	230.21	442.19	2005.09	235.00	40.52	527.11	2351.74	240.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	गोवा	5.00		0.17	0.00	5.00		0.15	1.84	5.00		0.00	0.00	5.00	
7.	गुजरात	50.00		62.25	421.75	60.00	69.01	79.98	652.65	60.00	117.20	97.63	541.15	65.00	32.55
8.	हरियाणा	20.00	28.04	33.26	155.07	25.00	20.11	48.42	321.68	25.00	200.43	101.48	331.58	30.00	
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00	12.65	63.55	276.31	132.00	127.00	122.73	1361.72	82.00	139.90	159.13	1239.93	87.00	
10.	जम्मू-कश्मीर	20.00	20.00	5.78	33.67	60.00	70.35	16.95	25.25	60.00		26.04	42.42	65.00	
11.	झारखंड	110.00		95.08	932.48	195.00	135.92	64.78	519.47	170.00	56.83	43.82	251.97	175.00	
12.	कर्नाटक	95.00		42.90	473.78	105.00	140.55	57.58	802.09	105.00	45.73	94.83	223.01	110.00	4.86
13.	केरल	20.00	10.39	18.00	146.78	25.00	42.41	15.76	46.52	25.00	15.00	16.24	29.68	30.00	
14.	मध्य प्रदेश	213.00	213.00	439.51	1786.28	535.00	295.14	587.72	2961.98	435.00	825.00	879.37	3079.87	440.00	
15.	महाराष्ट्र	130.00		31.15	829.97	140.00	141.92	178.32	372.42	140.00	103.42	132.45	1417.63	145.00	100.00
16.	मणिपुर	20.00	18.00	0.00	394.77	28.00	6.33	29.21	282.58	28.00		8.54	301.2	33.00	
17.	मेघालय	35.00		10.92	53.65	40.00	7.50	11.18	75.07	40.00		14.22	27.45	45.00	
18.	मिजोरम	20.00	46.40	46.68	378.53	27.00	60.99	43.94	174.37	27.00	27.00	29.21	83.82	32.00	19.39
19.	नागालैंड	20.00	18.00	24.29	828.61	25.00	54.61	20.86	355.76	25.00		28.49	9.50	30.00	
20.	उड़ीसा	175.00	175.00	268.89	1036.31	268.00	290.29	377.36	1494.44	268.00	464.86	487.30	1796.02	273.00	
21.	पंजाब	25.00		17.02	112.92	30.00	48.90	51.60	96.86	30.00	80.63	53.44	427.16	35.00	
22.	राजस्थान	130.00	451.40	450.16	3502.00	286.00	425.14	608.27	4014.99	229.00	616.86	1087.79	5112.45	234.00	300.00
23.	सिक्किम	20.00		19.17	206.09	25.00	40.29	30.36	191.99	25.00	36.26	41.21	108.03	30.00	30.00
24.	तमिलनाडु	80.00	79.78	79.66	367.30	85.00	58.95	52.22	501.00	85.00	20.00	60.63	455.63	90.00	50.00
25.	त्रिपुरा	25.00		19.82	87.72	35.00	19.79	18.09	3.60	35.00	71.43	33.77	157.27	40.00	
26.	उत्तर प्रदेश	315.00	315.00	447.02	916.30	445.00	503.88	367.68	2452.87	370.00	100.00	658.46	2178.10	375.00	
27.	उत्तरांचल	60.00		30.16	107.67	95.00	14.29	28.55	92.61	95.00	12.79	50.82	77.89	100.00	
28.	पश्चिम बंगाल	135.00	270.00	237.51	657.92	221.00	344.28	295.95	1220.02	221.00	48.42	365.97	841.99	226.00	51.57
	कुल	2220.00	2105.65	3077.45	15543.77	3882.00	3754.53	4091.66	22785.44	3480.00	4415.12	6060.68	24863.72	3615.00	737.80

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एआरडब्ल्यूएसपी (सामान्य+डीडीपी+प्राकृतिक आपदा) के अंतर्गत आवंटन रिलीज एवं व्यय

(राशि रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05			2005-06			2006-07			2007-08	
		आवंटन	रिलीज	व्यय	आवंटन	रिलीज	व्यय	आवंटन	रिलीज	व्यय*	आवंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	13760.40	16418.4	16418.4	21032	25080.29	16036	20084.08	27221.88	24155.23	29530	4921.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	6125	6825	7645.94	9060	10674.54	10518.16	9843	13663.78	4600.36	11241	1873.54
3.	असम	10331	9565.62	8524.9	15280	14800.63	10863.4	16601	11372.37	14026.89	18959	3159.85
4.	बिहार	7405	8941.03	5929.42	15324	15324	6954.93	16557	13006.65	13400	27937	0
5.	छत्तीसगढ़	2663	2269.8	1567.2	5154	5020.44	2738.5	5839	6549	13400	27937	0
6.	गोवा	121	0	551.33	193	182.45	96.08	226	127	123.61	331	0
7.	गुजरात	6696.35	6696.78	6696.78	12339	12769.16	12650.63	13161.56	14033.08	9219.36	20589	3023.94
8.	हरियाणा	2707.00	2707	2707	3590	4193.8	2612.54	5552.63	6372.63	4738.27	9341	1556.79
9.	हिमाचल प्रदेश	5438.20	5438.2	5294.37	10605	11895	11911.3	9706.86	15620.86	5071.77	11746	1957.58
10.	जम्मू-कश्मीर	12868.60	12833.6	14067.19	20073	23671.5	18278.97	23487.79	23314.67	12108.36	32992	5462.05
11.	झारखंड	2949	2752.83	1728.84	5529	6307.28	3921.24	6474	3631	2939.18	11388	0
12.	कर्नाटक	11777.55	12677.44	11836.16	17555	21208.99	2188.05	19502.4	24336	17492.63	27851	4641.86
13.	केरल	3946.00	4401	4401	5286	6170.65	4914.7	6216	6216	5474.87	8293	1382.14
14.	मध्य प्रदेश	7745.00	7945	6677.95	15101	15039.88	15483.73	16759	19733.4	7416.57	25162	4193.67
15.	महाराष्ट्र	15971.00	15971	19175.9	27591	33235.88	32286.4	32232	36152	21197.52	40440	6739.98
16.	मणिपुर	2103.00	2103	2483.5	3110	2713.67	845.27	3379	1689.5	1033	3859	0
17.	मेघालय	2422.00	2613.87	2953.89	3583	3190.1	3243.84	3893	5104.59	2499.85	4446	741.03
18.	मिजोरम	1737.00	1810	1810	2569	2599.27	2488.87	2791	4271.39	1419.82	3188	531.2
19.	नगालैंड	1782.00	1702	1583.08	2637	2647.76	1647.05	2865	2998	1432.5	3272	2914.16
20.	उड़ीसा	6934.00	6934	5514.63	12405	13880.94	8902.56	9212	9722.58	7200.45	16885	2814.16
21.	पंजाब	2815.00	2815	2667.29	3642	4134.81	3754.91	3654	4098	2058.16	5291	881.87
22.	राजस्थान	29239.90	30439.76	23289.11	44034	49135.34	35499.63	41489.68	31466.3	38653.91	66072	10111.98
23.	सिक्किम	731.00	731	745.12	1083	1283.68	1121.56	1175	1630.77	609.5	1342	223.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	तमिलनाडु	7125.00	8494.13	7558.07	11875	12053.66	9374.62	12057	12496.22	10954	19090	3181.63
25.	त्रिपुरा	2149.00	1575.13	2069.28	3178	3199.86	3255.38	3453	4577.89	3358.9	3943	657.14
26.	उत्तर प्रदेश	12991.00	13455	12361.3	24764	28372.1	18134.01	27990	28389.4	30884	40151	6691.89
27.	उत्तरांचल	3035.00	3265.47	3961.9	5725	6559.12	5533.11	6707	8329.36	4599.48	8930	1488.4
28.	पश्चिम बंगाल	8527.00	8270.21	8555.08	13308	15078.33	14238.08	14092	17118.4	7679.61	19137	3189.46
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.63	2037	238.45	9.37	1747.51	0	32.73	0	0	0	0
30.	दादरा और नगर हवेली	3.75	0	0	6.25	0	0	5.92	0	0	37.5	0
31.	दमन और दीव	0.00			0			13.53	0	0	0	0
32.	दिल्ली	2.81			4.69			0	0	0	31.25	0
33.	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0			3.64	0	0	0	0
34.	पांडिचेरी	2.81	100	0	4.69	0	0	38.72	0	0	31.25	0
35.	चंडीगढ़							5.46				
	कुल	192110	201787.8	189013.3	315750	352170.6	278493.5	335100	353242.7	259156.7	475701	71569.95

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 20.4.2007 तक दी गई रिपोर्टों के अनुसार व्यय

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत बसावटों की कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05			2005-06				2006-07*			
		एनसी	पीसी	कुल	एनसी	पीसी	गुणवत्ता प्रभावित	कुल	एनसी	पीसी	गुणवत्ता प्रभावित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	0	4129	4129	347	2423	524	3294	1120	3385	495	5000
2.	अरुणाचल प्रदेश	92	162	254	124	201	0	325	12	77		89
3.	असम	67	4488	4555	94	2334	0	2428	71	1894		1965
4.	बिहार	10	5	15	1217	405	3	1625	4654	3699		8353
5.	छत्तीसगढ़	2678	1119	3797	5002	5316	11	10329	3276	4780		8056
6.	गोवा	3	22	25	0	1	0	1	0	1		1
7.	गुजरात	56	874	930	34	586	414	1034	41	906	482	1429
8.	हरियाणा	0	473	473	0	365	50	415	0	383	93	476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	हिमाचल प्रदेश	0	1770	1770	0	1950		1950	316	2659		2975
10.	जम्मू-कश्मीर	117	223	340	76	387	0	463	15	26		41
11.	झारखंड	578	1572	2150	663	1388	49	2100	974	583	51	1608
12.	कर्नाटक	0	6030	6030	48	2885	950	3883	0	2310	232	2542
13.	केरल	0	1083	1083	0	2123	26	2149	59	693	60	812
14.	मध्य प्रदेश	5287	5385	10672	2571	7687	132	10390	3250	5534	86	8870
15.	महाराष्ट्र	95	2150	2245	179	2500	127	2806	52	2464	45	2561
16.	मणिपुर	17	53	70	39	41	0	80	44	61		105
17.	मेघालय	211	180	391	159	286	27	472	243	241	16	500
18.	मिजोरम	12	162	174	18	86	26	130	9	33		42
19.	नगालैंड	7	39	46	25	81	19	125	11	3		14
20.	उड़ीसा	5528	0	5528	9763	1490	256	11509	4586	552	268	5406
21.	पंजाब	305	320	626	796	860	45	1701	156	476	48	680
22.	राजस्थान	674	10559	11233	647	12603	96	13346	682	6122	423	7227
23.	सिक्किम	0	120	120	0	120	0	120	0	85	0	85
24.	तमिलनाडु	3013	3507	6520	2021	5612	705	8338	204	5803	353	6360
25.	त्रिपुरा	0	247	247	0	204	0	204	56	8	151	215
26.	उत्तर प्रदेश	92	0	92	4416	9538	412	14366	2330	6966	541	9837
27.	उत्तरांचल	194	199	393	180	304	0	484	421	1059		1480
28.	पश्चिम बंगाल	2693	2906	5599	200	2100	645	2945	118	1542	5	1665
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	63		63	0	31		31
30.	दादरा और नगर हवेली	1	58	59	14	22	0	36	5	4		9
31.	दमन और दीव											
32.	दिल्ली											
33.	लक्षद्वीप	0	2	2	0	0	0	0				
34.	पांडिचेरी	0	71	71	0	71	33	104	0	31	11	42
	कुल	21731	47908	69639	28633	64032	4550	97215	22705	52411	3360	78476

एनसी: कवर न किए गए पीसी: आंशिक रूप से कवर किए गए

वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक की अवधि के दौरान आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	निधियों की रिलीज			
		2004-05	2005-06	2006-07	कुल रिलीज
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2958.32	4046.95	3563.06	10568.33
2.	बिहार	434.63	990.00	951.41	2376.04
3.	छत्तीसगढ़	1723.96	2026.44	2295.67	6046.07
4.	दिल्ली (कपार्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	24.10	0.00	24.10
6.	गुजरात	1072.40	2418.52	2713.08	6204.00
7.	हरियाणा	512.40	594.32	547.99	1654.80
8.	हिमाचल प्रदेश	1345.22	2662.514	1822.549	5830.28
9.	जम्मू-कश्मीर	422.915	1120.45	661.74	2205.11
10.	झारखंड	205.65	303.250	232.928	741.83
11.	कर्नाटक	2466.935	2495.94	3206.49	8169.36
12.	केरल	159.70	778.17	260.05	1197.91
13.	महाराष्ट्र	1660.06	2051.93	2010.38	5722.37
14.	मध्य प्रदेश	2906.39	4898.63	3111.57	10916.59
15.	उड़ीसा	1457.37	2307.44	2062.00	5826.81
16.	पंजाब	193.88	302.87	350.80	847.55
17.	राजस्थान	2121.18	2401.666	4276.320	8799.17
18.	तमिलनाडु	2470.624	2600.44	2692.45	7763.52
19.	उत्तर प्रदेश	1802.86	3222.78	4736.16	9761.80
20.	उत्तरांचल	1227.52	1688.02	1123.27	4038.81
21.	पश्चिम बंगाल	156.90	464.57	627.18	1248.66
	कुल	25299.00	37398.9948	37245.1099	99943.104
पूर्वोत्तर राज्य					
1.	अरुणाचल प्रदेश	804.050	1061.365	2583.769	4449.18
2.	असम	3202.77	3373.90	3102.23	9678.90

1	2	3	4	5	6
3.	मणिपुर	545.87	553.52	1634.93	2734.32
4.	मेघालय	194.38	804.01	1202.51	2200.91
5.	मिजोरम	974.03	1122.00	857.86	2953.88
6.	नागालैंड	1711.46	3886.19	1098.17	6695.82
7.	सिक्किम	324.27	165.55	274.95	764.77
8.	त्रिपुरा	386.63	308.48	538.08	1233.19
	कुल (पूर्वोत्तर)	8143.47	11275.0052	11292.50	30710.973
	कुल (आईडब्ल्यूडीपी)	33442.467	48674.000	48537.609	130654.077

वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान एनएफएफडब्ल्यूपी/एनआरईजीए का कार्य-निष्पादन

राज्य का नाम	एनएफएफडब्ल्यूपी								एनआरईजीए			
	2004-2005				2005-2006				2006-07		2007-08	
	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	सूचित रोजगार (लाख रु.)	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	सूचित रोजगार (लाख रु.)	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	श्रमदिवस (लाख में)	केन्द्रीय रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	12214.72	12214.72	4116.71	39.49	27199.63	30074.63	19880.75	187.07	102541.46	51253.51	678.77	1823.27
अरुणाचल प्रदेश	190.80	190.80	117.27	2.49	425.26	658.94	488.45	6.76	1450.85	221.34	4.53	0.00
असम	16645.79	16645.79	487.49	1.33	37100.61	33650.13	10519.65	195.94	26550.85	46087.85	572.92	4497.99
बिहार	26411.54	26456.54	7778.38	54.96	58812.89	52854.82	27536.63	228.91	54831.38	55765.55	370.44	4344.83
छत्तीसगढ़	10410.19	10410.19	6393.51	130.85	23181.35	23966.35	24149.14	257.42	71850.74	55240.34	691.43	5546.49
गुजरात	3994.69	3994.69	234.51	3.82	8895.33	8250.67	4617.72	77.55	7433.94	6868.27	84.57	915.45
हरियाणा	281.85	281.85	एनआर	0.00	627.62	1187.63	335.05	4.55	3589.64	2641.12	24.12	86.39
हिमाचल प्रदेश	303.91	303.91	200.58	1.72	676.75	1236.75	385.43	3.87	4667.64	2921.89	29.90	0.00
जम्मू-कश्मीर	494.26	494.26	145.97	0.00	1100.60	1685.50	794.56	0.00	4136.37	1217.01	32.30	340.33
झारखंड	22595.70	22595.70	2888.16	13.33	50315.90	53348.03	41428.14	410.87	55854.59	36959.43	465.86	7320.77
कर्नाटक	2925.38	2935.38	176.15	4.11	6514.20	7659.21	2962.28	35.35	24850.69	20504.42	222.01	2173.31
केरल	547.14	547.14	125.37	0.21	1218.36	1169.18	121.14	0.28	3739.51	1424.61	20.48	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मध्य प्रदेश	15808.32	15808.32	6787.57	114.07	35201.76	47623.10	41960.52	525.76	190944.20	157099.83	1711.77	26324.58
महाराष्ट्र	15495.26	19495.26	1982.62	0.00	3405.470	2357.82	एनआर	0.00	21815.64	17461.18	159.28	606.79
मणिपुर	399.22	399.22	206.98	5.21	889.78	1351.41	718.59	12.61	3832.89	950.00	8.26	606.79
मेघालय	543.85	543.85	150.14	1.16	1212.16	2063.95	298.57	2.51	3004.68	1605.99	19.42	147.41
मिजोरम	95.52	95.52	93.35	0.00	212.89	877.36	111.06	1.99	2443.90	1028.34	5.71	0.00
नगालैंड	455.72	455.72	276.39	0.00	1015.71	1031.28	एनआर	0.00	67.11	1327.91	11.82	333.31
उड़ीसा	22283.67	22283.67	14921.80	260.27	49621.06	50606.06	29187.63	461.63	76710.49	54032.91	799.34	3657.11
पंजाब	716.32	716.32	698.45	0.00	1595.09	1620.09	902.30	7.05	4905.75	2220.00	15.57	0.00
राजस्थान	3532.69	3532.69	2498.55	33.14	7866.58	12008.69	7370.11	78.87	76851.00	59332.73	912.79	4888.29
सिक्किम	315.73	315.73	150.00	1.20	703.70	1074.01	350.39	2.47	2331.50	249.93	2.34	0.00
तमिलनाडु	4851.58	4851.58	2652.41	28.62	10803.45	11973.45	6549.71	115.24	17329.21	12619.26	151.18	0.00
त्रिपुरा	1543.37	1543.37	544.32	15.30	3439.89	4292.92	2624.07	18.96	3234.66	4200.76	45.74	1035.22
उत्तर प्रदेश	26378.11	26378.11	1982.07	29.99	538738.53	37515.83	15085.95	182.14	57754.69	66528.28	617.64	6374.48
उत्तरांचल	1014.86	1014.86	52.46	0.50	2259.88	2160.77	981.84	16.73	4470.60	3827.53	40.60	58.75
पश्चिम बंगाल	11449.81	11449.81	1959.21	43.42	25496.32	29786.32	11221.82	209.04	38868.84	31141.79	345.79	3159.23
कुल	201900.00	201945.00	57720.42	785.19	449630.00	445085.00	241532.70	3043.57	866666.57	694728.24	80444.58	73634.00

एनआर-असूचित

एनआरईजीए एक मांग आधारित योजना है।

राजस्थान के शाही परिवारों के भवनों पर सरकार का कब्जा

3685. श्री सुव्रत बोस: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के उन शाही परिवारों का ब्यौरा क्या है जिनके दिल्ली स्थित भवनों पर केन्द्र सरकार का काब्जा है;

(ख) इनमें से जयपुर हाउस, बीकानेर हाउस, पटियाला हाउस और जोधपुर हाउस के लिए केन्द्र सरकार कितनी धनराशि अदा कर रही है; और

(ग) शेष भवनों को अदा की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) शहरी विकास मंत्रालय उन शाही परिवारों के भवनों के ब्यौरे एकत्रित नहीं करता है जिनके दिल्ली स्थित भवनों (आवासों) पर केन्द्र सरकार का कब्जा है।

(ख) जयपुर हाऊस को 3.00 करोड़ रुपए में खरीदा गया था।

बीकानेर हाऊस राजस्थान राज्य सरकार के पास है। इस हाऊस का एक छोटा हिस्सा किराये पर लिया गया है।

पटियाला हाऊस 1959 में कुल 11.67 लाख रुपये में खरीदा गया था।

जोधपुर हाऊस राजस्थान राज्य सरकार से किराये पर 1948, में लिया गया था और 01.08.1960 को इसे खाली कर दिया गया।

(ग) बाकी भवनों के संदर्भ में भवन-वार भुगतान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

भवन	भुगतान की गयी राशि
जैसलमेर हाऊस	7.34 लाख रु.
धौलपुर हाऊस	10.47 लाख रु.
कोटा हाऊस	14.07 लाख रु.
(ये भवन भारत सरकार द्वारा खरीदे गये थे)	- 18.7.1970

उदयपुर हाऊस: भारत सरकार द्वारा इसे 21.1.1952 को किराये पर लिया गया था और 28.5.1965 को दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोलना

3686. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के उन जिलों जहां पर ग्रामीण बैंकों की शाखाएं नहीं हैं में इनकी शाखाएं खोलने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसे जिले कौन-कौन से हैं जहां ऐसी शाखाएं नहीं हैं और वर्ष 2007-08 के दौरान जहां ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन बैंक शाखाओं को कब तक खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) वर्ष 2007-08 के लिए बजट घोषणा के अनुसरण में, आरआरबी को परामर्श दिया गया है कि वे व्यापक स्तर पर शाखा विस्तारण कार्यक्रम चलाएं और देश के प्रत्येक जिले, जिसको कवर नहीं किया गया है, में कम से कम एक शाखा खोलें। नाबार्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को परामर्श दिया गया है कि वे:

* राज्य के कवर न किए गए जिलों में परिचालन क्षेत्र बढ़ाने के लिए आवेदनों को प्राथमिकता देने के संबंध में आरआरबी को दिशा-निर्देश दें।
* राज्य स्तरीय समन्वय समीक्षा आदि (एसएलसीआरसी) की बैठकें तुरन्त आयोजित करें और उनमें लिए गए निर्णयों के आधार पर आरआरबी की वित्तीय स्थिति, व्यवसाय के स्तर, परिचालन में सुविधा, आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए कवर न किए गए ऐसे जिलों को आरआरबी को आबंटित करें।
* शाखा लाइसेंस के आवेदनों की प्राप्ति का अनुवीक्षण करें और शीघ्रातिशीघ्र शाखा खोलने के लिए आरबीआई की शक्ति प्राप्त समिति को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

(ग) और (घ) कवर न किए गए जिलों में से, 15 जिलों को कवर करने के लिए अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी है, जैसे कि विवरण-I में दिया गया है। इसके अलावा 16 जिलों को कवर करने के लिए प्रस्ताव विचारार्थ है जैसा कि विवरण-II में दिया गया है और उनकी अधिसूचनाएं शीघ्र जारी कर दी जाएंगी। इस संबंध में बजट घोषणा 2007-08 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2007-08 में कवर न किए गए सभी जिलों को कवर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। कवर न किए गए जिलों में कार्य क्षेत्र का विस्तार होने पर, इन जिलों में आरआरबी की शाखाएं खोली जाएंगी।

विवरण I

कवर न किए गए जिलों में से निम्नलिखित जिलों को कवर करने के लिए जारी अधिसूचनाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	
1	2	
1.	अंडमान और निकोबार	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-
3.	असम	-
4.	दादरा एवं नगर हवेली	-
5.	दमन एवं दीव	
6.	गोवा	
7.	गुजरात	
8.	हरियाणा	करनाल (1)
9.	हिमाचल प्रदेश	लाहौल एवं स्पीती, सिरमौर, किन्नूर, सोलन, शिमला (5)

1	2	
10.	जम्मू-कश्मीर	
11.	झारखंड	
12.	लक्षद्वीप	
13.	मध्य प्रदेश	बेतुल (1)
14.	महाराष्ट्र	
15.	मेघालय	
16.	नागालैंड	
17.	नई दिल्ली	
18.	पंजाब	जालंधर (1)
19.	सिक्किम	
20.	तमिलनाडु	तिरुवुन्नमलाई, कांचीपुरम, इरोड, नामक्कल, वैल्लूर, तिरुवैल्लूर, कन्याकुमारी (7)
21.	उत्तर प्रदेश	
22.	उत्तरांचल	
	कुल	15

विवरण II

कवर न किए गए 16 जिलों को कवर करने के लिए विचारार्थ प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम	
1	2	
1.	अंडमान और निकोबार	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	–
4.	दादरा एवं नगर हवेली	–
5.	दमन एवं दीव	–
6.	गोवा	–
7.	गुजरात	अहमदाबाद जिला (1)
8.	हरियाणा	
9.	हिमाचल प्रदेश	
10.	जम्मू-कश्मीर	
11.	झारखंड	
12.	लक्षद्वीप	
13.	मध्य प्रदेश	
14.	महाराष्ट्र	
15.	मेघालय	ईस्ट गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स, साउथ गारो हिल्स (3)
16.	नागालैंड	
17.	नई दिल्ली	
18.	पंजाब	लुधियाना (1)
19.	सिक्किम	
20.	तमिलनाडु	तिरूचिरापल्ली, करूर, नागापट्टनम, पैरम्बलूर, थेनी, तिरूवरूर, कोयम्बटूर, नीलगिरी, थनजावूर (9)
21.	उत्तर प्रदेश	बागपत एवं सहारनपुर (2)
22.	उत्तरांचल	
	कुल	16

[अनुवाद]

भारत को विश्व बैंक से ऋण

3687. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर विश्व बैंक का ऋण 4 बिलियन डालर तक पहुंच गया है जैसाकि दिनांक 13 फरवरी, 2007 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऋण की इस राशि पर कितने ब्याज का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक से अपना ऋण कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। वित्तीय वर्ष 2006-07 (1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक) के लिए भारत की नई परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की वचनबद्धता (आईबीआरडी ऋण और आईडीए क्रेडिट) 2.45 बिलियन अमरीकी डालर थी।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) ऋणों के लिए ब्याज का आकलन लिबोर जमा परिवर्तनीय विस्तार पर आधारित है। तथापि, चूंकि आईबीआरडी ऋणों पर 5 वर्षों की छूट अवधि होती है अत: वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान वचनबद्धताओं पर अब तक कोई ब्याज नहीं चुकाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) ऋणों के लिए कोई ब्याज देय नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एनटीपीसी की विद्युत उत्पादन क्षमता

3688. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एनटीपीसी के विद्युत स्टेशनों की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या एनटीपीसी का विचार अगले पांच वर्षों के दौरान अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी धनराशि का निवेश करने का है जैसाकि दिनांक 17 मार्च, 2007 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अगले पांच वर्षों के दौरान एनटीपीसी द्वारा अनुमानत: कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या एनटीपीसी इस प्रयोजनार्थ एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने की योजना बना रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) संयुक्त उद्यम की 1,054 मे.वा. समेत एनटीपीसी लि. की विद्यमान संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 27,404 मे.वा. है।

(ख) और (ग) एनटीपीसी लि. 11वीं योजना के दौरान क्षमता वर्धन, कोयला खनन, लिक्विफाइड नैचुरल गैस (एलएनजी) टर्मिनल, संयुक्त उद्यम(यों) तथा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण आदि में 1,60,732 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना रखती है।

(घ) एनटीपीसी लि. द्वारा 11वीं योजना (2007-2012) के दौरान अनुमानित क्षमता वृद्धि 22,600 मे.वा. है।

(ङ) और (च) दिनांक 21.9.06 को एनटीपीसी लि. ने एशियन विकास बैंक (एबीडी) के साथ 300 मिलियन यूएस डालर के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राप्त ऋण को सिपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एसटीपीपी) चरण-1 (1980 मे.वा.) सिपत एसटीपीपी चरण-2 (1000 मे.वा.) और कहलगांव एसटीपीपी चरण-2 (1500 मे.वा.) के पूंजी व्यय हेतु वित्तपोषण में उपयोग में लाया जाएगा। आज की तारीख तक एनटीपीसी ने एबीडी ऋण 300 मिलियन यूएस डालर में से 141 मिलियन यूएस डालर आहरित किए हैं और उपयोग में लाए हैं। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी लि. इसकी विभिन्न चालू (निर्माणाधीन परियोजनाओं) और नई परियोजनाओं के लिए एबीडी के साथ अन्य ऋण के टाय-अप करने की संभावना भी तलाश रही है।

संदेहास्पद लेनदेनों की जानकारी का आदान-प्रदान

3689. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार वित्तीय आसूचना एकक (एफ आई यू) को संदेहास्पद लेनदेनों की जानकारी के आदान-प्रदान पर अन्य देशों में अपने समकक्ष के साथ समझौता ज्ञापन करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार किन-किन देशों के साथ ऐसे लेनदेनों की जानकारी के आदान-प्रदान करने का है; और

(घ) देश में तथा देश से बाहर इससे कहां तक धन शोधन को रोका जा सकेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारत सरकार ने निदेशक, भारत वित्त आसूचना एकक, को धन शोधन के संदिग्ध मामलों और संबंधित अपराधों से जुड़ी सूचना के आदान-प्रदान के लिए वैयक्तिक मामलों में वित्तीय आसूचना एककों (एफ आई यू) के दूसरे पक्ष के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) प्रवेश करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया है।

(ग) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी देश की पहचान नहीं की गई है।

(घ) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से धन शोधन से संबंधित संदिग्ध वित्तीय लेन-देनों और संबंधित अपराधों से जुड़ी सूचना एकत्रित करने, विकसित करने और विश्लेषण करने के लिए सहयोग देने में सुविधा होगी।

[हिन्दी]

मूल्य वृद्धि रोकने के लिए नकदी संकट

3690. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्य वृद्धि रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजारों से पैसा वापस लेने के कारण काल मनी दर में रिकार्ड तोड़ वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पैदा की गई पैसे की कमी को कुछ अन्य स्रोतों से पूरा किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मूल्य वृद्धि रोकने के लिए सरकार द्वारा किन क्षेत्रों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) वर्ष 2006-07 के दौरान मांग मुद्रा (काल मनी) दरें कुल मिलाकर भारतीय रिजर्व बैंक की नियत रेपो/रिवर्स रेपो दरों द्वारा निर्धारित अनौपचारिक ब्याज-दर सीमा में ही बनी रहीं। तथापि, अग्रिम कर-बहिर्वाहों, साथ ही साथ केन्द्र के अधिशेष में हुई वृद्धि, जो 9 मार्च, 2007 के 36,476 करोड़ रुपये से बढ़कर 23 मार्च, 2007 को 77,006 करोड़ रुपये हो गया, आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि का प्रभाव, ऋण की सतत मांग छुट्टियों के कारण विस्तारित सप्ताहांत को देखते हुए तथा बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी के परिणामस्वरूप 16 मार्च, 2007 से नकदी में कुछ कमी होनी शुरू हुई जिससे 16-31 मार्च, 2007 के दौरान दैनिक भारित मांग दरें 9.42 प्रतिशत और 54.32 प्रतिशत के बीच रहीं। मुद्रा बाजार की उभरती स्थिति का सामना करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस अवधि में नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अर्थ-तंत्र में रोजाना औसतन 31,124 करोड़ रुपये की नकदी डाली। भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे केन्द्र के अधिशेष में कमी हो जाने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थ-तंत्र में निवल नकदी डालने में कमी आई जो 31 मार्च, 2007 के 29,185 करोड़ रुपये से गिरकर 5 अप्रैल, 2007 को 1,455 करोड़ रुपये हो गई तथा 9-15 अप्रैल, 2007 की अवधि में नकदी निवल रूप में खपाई गई। अप्रैल, 2007 के पहले पखवाड़े में मांग मुद्रा दरें भी सन्तुलित होकर 6.67 प्रतिशत के औसत पर आ गईं।

(ग) और (घ) स्थूल मुद्रा आपूर्ति (M_3) में 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार गत वर्ष की तदनुरूप तिथि को हुई 17.0 प्रतिशत की वृद्धि के अतिरिक्त 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ङ) सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार द्वारा शुरू की गई मुद्रास्फीति-रोधी नीतियों में अन्य बातों के अलावा, ये शामिल हैं: कठोर राजकोषीय विवेक, आवश्यक वस्तुओं के अबाध आयात के जरिए आपूर्ति-मांग का कारगर प्रबन्धन और खाद्यान्नों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।

कंपनियों द्वारा ऋणों का दुरूपयोग

3691. श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्रीमती करूणा शुक्ला:

क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उन कतिपय कंपनियों के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं जिन्होंने देश में भारतीय वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से लिए ऋणों का दुरूपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कपनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) आईएफसीआई ने कतिपय कंपनियों के विरुद्ध आईएफसीआई से प्राप्त किए गए ऋण का दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए कंपनी विधि बोर्ड में शिकायत की थी।

(ग) और (घ) आईएफसीआई की शिकायत पर, सीएलबी ने मैसर्स माल्विका स्टील्स लिमिटेड, मैसर्स कोशिका टेलिकाम लिमिटेड और मैसर्स उषा इंडिया लिमिटेड के कार्यों की जांच के आदेश दिए।

इसके अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ, केतन पारेख समूह की कुछ कंपनियों द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त धन राशियों के दुरुपयोग के आरोप भी सरकार की जानकारी में आए हैं और इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

केतन पारेख समूह (विवरण के अनुसार) की 16 कंपनियों सहित उपरोक्त कंपनियों के विरुद्ध गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय (एसएफआईओ) से लिए गए अधिकारियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत जांच किए जाने के आदेश दिए गए थे।

उपरोक्त सभी मामलों में, संबंधित जांच रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं तथा कंपनी अधिनियम, 1956 और भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत अभियोजनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। एसएफआईओ ने इस मामले में सक्षम न्यायालयों में शिकायतें भी दर्ज की हैं।

इसके अतिरिक्त कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जांच रिपोर्टों की प्रतियां सेबी, सीबीआई, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि को उनके संबंधित कानूनों के अंतर्गत यथोचित कार्रवाई के लिए प्रेषित की गई है।

विवरण

केतन पारेख समूह की उन 16 कंपनियों की सूची जिनकी जांच एसएफआईओ द्वारा की गई

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1.	ट्रम्फ इन्टरनेशनल फाइनेंस इंडिया लिमिटेड
2.	एनएच सिक्यूरेटिज लिमिटेड
3.	केएनपी सिक्यूरेटिज प्राइवेट लिमिटेड
4.	वीएन पारेख सिक्यूरेटिज प्राइवेट लिमिटेड
5.	पैन्थर फिनकैप एण्ड मैनेजमैंट सर्विसेज लिमिटेड
6.	पैन्थर इन्वेस्ट्रेड लिमिटेड
7.	पैन्थर इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्टस लिमिटेड
8.	साईमंगल इन्वेस्ट्रेड लिमिटेड
9.	क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड
10.	क्लासिक शेयर्स एण्ड स्टाक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड
11.	लूमिनेन्ट इन्वेस्ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
12.	गोल्डफिश कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
13.	ट्रम्फ सिक्यूरेटिज प्राइवेट लिमिटेड
14.	नक्षत्र साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
15.	चित्रकूट कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	मनमन्दिर एस्टेट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड

[अनुवाद]

छठा केन्द्रीय वेतन आयोग

3692. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने हाल ही में सरकारी विभागों में कार्य-निष्पादन संबंधित वेतन देने की व्यवहार्यता की जांच करने का कार्य भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। वेतन वृद्धि के सम्यक आधार और कर्मचारियों की उत्पादकता व कार्य-निष्पादन से उसके संबंध, यदि हों तो, को परखने और सेवाओं के प्रस्तुतीकरण और निष्पादन पर आधारित वेतन के बीच एक पारस्परिक संबंध की संभावना की जांच करने के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद को एक अध्ययन का काम सौंपा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

3693. श्री जोएल ओराम:
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** 2 मार्च, 2007 के अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 634 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन कालोनियों की सूची क्या है जिन्हें नियमित किया जाना है; और

(ग) यदि नहीं, तो अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने में विलंब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 31.3.2002 को विद्यमान अनधिकृत कालोनियों की सोसाइटियों/एसोसिएशनों से नियमितीकरण हेतु आवेदन मंगवाए थे और 1432 आवेदन प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त आवेदन आमंत्रित करने वाले बाद के एक विज्ञापन के प्रत्युत्तर में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार को 107 आवेदन प्राप्त हुए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि इन आवेदनों का विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से स्थलीय सत्यापन किया गया है।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

गैर-परंपरागत विद्युत उत्पादन में प्रगति की समीक्षा

3694. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में गैर-परंपरागत ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की आवधिक समीक्षा करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों/योजनाओं में विद्युत उत्पादन की पर्याप्त संभाव्यता होने के बावजूद इन पर बहुत कम व्यय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की मानीटरिंग आवधिक राज्य/क्षेत्रीय तथा कार्यक्रम विशिष्ट समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जा रही है और इसके साथ-साथ राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से मासिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं। इनके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार स्थल दौरे किए जाते हैं।

(ग) और (घ) जहां तक ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत कार्यक्रम का संबंध है, 10वीं योजना (2002-07) के दौरान 3075 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि 6759 मेगावाट रही है। तथापि, अधिकांशतया राज्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित आफ-ग्रिड कार्यक्रमों के मुद्दे रहे हैं जिनमें अपर्याप्त प्रतिरूप निधियन, उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किया जाना आदि शामिल हैं जिनका कुछ प्रतिकूल प्रभाव राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता की रिलीज पर पड़ा है। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में वर्णित कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अंडर फ्रीक्वेंसी राज्य

3695. श्री गणेश सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ राज्यों को अंडर फ्रीक्वेंसी राज्यों की श्रेणी में रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र के कारण सरकार को हुई हानि

3696. श्री उदय सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) बनाने में हो रहे विलम्ब के कारण 1,00,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है जैसा कि 4 अप्रैल, 2007 की 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी हिस्सेदारों के दावों को ध्यान में रखकर विलम्ब से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) बनाने में हो रहे विलम्ब के कारण नुकसान का कोई अनुमान नहीं लगाया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3697. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मंत्री समूह ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) विधि आयोग/केपीएन समिति और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) की सिफारिश पर, भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने सहित बीमा कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 पर मंत्रिमंडल टिप्पणी तैयार करके मंत्रिमंडल को भेजी गई थी, जिस पर मंत्रिमंडल ने दिनांक 21.12.2006 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया था। मंत्रिमंडल ने यह विधेयक विचारार्थ मंत्री-समूह को भेजा था, जिससे अंतिम सिफारिश अभी प्राप्त होनी है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकानों की कमी

3698. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना बनाने हेतु गठित आवास संबंधी कार्य समूह ने पाया था कि लगभग 90 प्रतिशत मकानों की कमी, कमजोर वर्गों को होती है तथा समूह ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय श्रेणी के लिए सस्ते मकानों की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया था;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा 1998-99 में शुरू किए गए दो मिलियन आवास कार्यक्रम के अंतर्गत हडको द्वारा कितने ई डब्ल्यू एस मकानों का निर्णय किया गया;

(ग) क्या हडको ने ई डब्ल्यू एस मकानों के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या हडको व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु ई डब्ल्यू एस मकानों के स्थान पर बड़े मकानों को प्राथमिकता देता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि हडको और अधिक ई डब्ल्यू एस मकानों का निर्माण करे, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07), के लिए मलिन बस्तियों पर मुख्य ध्यान के साथ शहरी आवास एवं शहरी गरीबी कार्यदल के प्रतिवेदन के अनुसार दसवीं योजना के आरम्भ में शहरी आवासों की कमी 8.89 मिलियन थी।

(ख) हडको द्वारा 1998-1999 से 2006-2007 तक सरकारी आवास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई आवास इकाइयों का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

दस-वर्षीय योजना	स्वीकृत कुल इकाईयां (शहरी) (आवास इकाइयां लाखों में)
1998-1999	5.66
1999-2000	6.29
2000-2001	7.21
2001-2002	4.03
2002-2003	4.59
2003-2004	4.27
2004-2005	2.55
2005-2006	1.85
2006-2007	0.61
कुल	36.45

(ग) और (घ) हडको ने 10वीं योजना के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय समूह के तहत कुल रिहायशी मकानों का 84-98% मंजूर करके निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

(ङ) और (च) हडको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग समूह को, अपना मकान बनाने के लिए, राशि का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम ब्याज पर उपलब्ध करा रहा है।

एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत परियोजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा

3699. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत परियोजनाओं की चार दिवसीय सामाजिक लेखापरीक्षा में मजदूरी को प्रमुख चिंता का विषय पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के उदयपुर जिले में "रोजगार एवं सूचना का अधिकार अभियान" द्वारा की गई लेखापरीक्षा में पाया गया कि किए गए कार्य का आकलन करना तथा नौकरियों की कमी परेशान करने वाले मुद्दे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) राजस्थान राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

कंपनियों को सूची से बाहर करने हेतु मानदंड

3700. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा कंपनियों की सूची से बाहर करने हेतु प्रस्तावित नए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सेबी द्वारा एक बुक बिल्डिंग पद्धति हेतु कोई वैकल्पिक तंत्र निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस विषय संबंधी दिशानिर्देशों को विनियमों में परिवर्तित करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस मुद्दे पर जनता की राय मांगी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सेबी द्वारा असूचीयन ढांचे में निम्न प्रमुख परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है:-

(1) दिशानिर्देशों को विनियमों में परिवर्तित करना,

(2) मूल्य अन्वेषण की भिन्न विधि,

(3) न्यूनतम अभिदान की अपेक्षा,

(4) विभिन्न गतिविधियों के लिए समय-सीमा, तथा

(5) रिपोर्टिंग अपेक्षाएं।

(ख) और (ग) जी, हां। जनमत के लिए सेबी की वेबसाईट पर प्रविष्ट प्रस्तावित असूचीयन विनियमों संबंधी संकल्पना दस्तावेज में बही निर्माण विधि के जरिए मूल्य अन्वेषण की तुलना में एक नियत मूल्य प्रक्रम का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित प्रक्रम के अंतर्गत, निम्न में से उच्चतर कीमत का निर्धारण किया जाएगा:-

(1) नियम कीमत जो न्यूनतम कीमत जमा 25% प्रीमियम होगी। न्यूनतम मूल्य का निर्धारण सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियमों के विनियम 20 के अनुसार किया जाएगा।

(2) किसी प्रत्यायित दरनिर्धारण अभिकरण द्वारा निर्धारित उच्च मूल्य जमा 25% का प्रीमियम।

(घ) प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 2004 ने यह व्यवस्था करने के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया कि कोई भी स्टाक एक्सचेंज नियमों में यथा निर्धारित किसी आधार पर उसके लिए कारणों को अभिलेखबद्ध करने के पश्चात प्रतिभूतियों का असूचीयन कर सकता है। इसने केन्द्र सरकार को उन आधारों, जिन पर किसी कंपनी की प्रतिभूतियों को मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज से असूचीबद्ध किया जा सकता है, का प्रावधान करने हेतु नियम बनाने की शक्ति दी। इसके अनुसरण में, असूचीयन के लिए आधारों की व्यवस्था करने हेतु प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है जबकि असूचीयन के तरीके एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों की व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत सेबी द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों में की जाएगी।

(ङ) और (च) इस मुद्दे सहित संकल्पना दस्तावेज में निहित सभी प्रस्तावों पर टिप्पणियां मांगी गई। इसकी मिश्रित अनुक्रिया प्राप्त हुई है। तथापि, निवेशकों के हित में यह आवश्यक है कि असूचीयन संबंधी नियम तथा विनियम संविधि समर्थित हों।

[अनुवाद]

ऋणों का संवितरण

3701. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमांत और मझौले किसानों को ऋण के रूप में संवितरित करने के लिए कोई धनराशि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवेदकों तथा वास्तविक लाभभोगियों की संख्या कितनी थी;

(घ) क्या सरकार ने ऋणों के संवितरण के पर्यवेक्षण के लिए किसी निगरानी समिति का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वैश्य समिति की रिपोर्ट

3702. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अभियोजन तंत्र को सुचारू बनाने हेतु वैश्य समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) न्यायालयों में मामलों की संख्या को कम करने में इससे कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) से (ग) जी, हां। सरकार को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अभियोजन तंत्र को सुचारू बनाने हेतु वैश्य समिति की रिपोर्ट दिनांक 19.10.2005 को प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत न्यायालयों में दायर किए गए मामलों की श्रेणियों की जांच की गई है तथा उनके शीघ्र निपटान के सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट की जांच की गई है तथा कानूनी उपबंधों के अनुसार संबंधित न्यायालयों में दायर किए गए मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं। आशा की जाती है कि इस अनुवर्ती कार्रवाई से विचाराधीन मामलों का शीघ्र निपटान हो सकेगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आवास ऋण

3703. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न आर्थिक समूहों को परिभाषित करने के लिए आय-सीमा का पुन: वर्गीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए वर्गीकरण से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास हेतु ऋण लेने में सहायता मिलने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूह (एल आई जी) श्रेणियों को ब्याज पर राजसहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) सरकार ने आवास एवं नगर विकास निगम लि. से ऋण प्राप्त करने के लिए विभिन्न आर्थिक समूहों के लिए आय की सीमाओं को पुन: वर्गीकृत किया है जो निम्नलिखित है:-

श्रेणी	वर्ष 2006-07 से प्रभावी नयी आय सीमा
ई डब्ल्यू एस	3300 रुपये तक
एल आई जी	3301 रुपये से 7300 रुपये
एम आई जी	7301 रुपये से 14500 रुपये
एच आई जी	14501 रुपये तथा इससे अधिक

(ग) और (घ) आय की अधिकतम सीमा के नये वर्गीकरण से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/कम आय वर्ग के लाभार्थियों को बेहतर ढंग का आवास ढूंढने में सहायता मिलेगी क्योंकि ये लाभार्थी अधिक सामर्थ्य (पुनर्वापसी क्षमता) के कारण अधिक ऋण ले सकते हैं तथा यह निर्माण सामग्री/श्रम की कीमतों में वृद्धि के समरूप होगा।

(ङ) और (च) सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/कम आय वर्ग की श्रेणी के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम बनाने की प्रक्रिया चला रही है।

[हिन्दी]

भारत के संविधान का नया संस्करण

3704. श्री रामदास आठवले: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संविधान का नया संस्करण लाने का है, जिसमें सभी संशोधन हों;

(ख) यदि हां, तो संविधान का नया संस्करण कब तक उपलब्ध हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 का पाठ संविधान में सम्मिलित किए जाने के लिए विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित संविधान का नवीनतम संस्करण 22 मार्च, 2005 से बाजार में उपलब्ध है। पूर्वोक्त संस्करणों की मुद्रित प्रतियां प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाईन, दिल्ली और इस विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन के पास विक्रय के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिश नैट पर आयात शुल्क

3705. श्री ए.बी. बेल्लारमिन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश भर में नैट यार्न निर्माता कल्याण एसोसिएशन द्वारा नायलान चिप्स पर सीमा शुल्क में कटौती करने के अनुरोध पर कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) इस वर्ष के बजट में नायलन चिप्स पर बुनियादी सीमा शुल्क 12.5% से घटाकर 10% कर दिया गया। नायलन चिप्स पर बुनियादी उत्पाद शुल्क भी 16% से घटाकर 12% कर दिया गया।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी पूंजी का आगम तथा उपयोग

3706. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कितनी विदेशी पूंजी का आगम हुआ है; और

(ख) उत्पादक प्रयोजनों और मुद्रा बाजार में इस राशि के निवेश का अनुपात क्या रहा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
2004-05	15,366
2005-06	20,214
2006-07 जनवरी, 2007 तक	23,223

(ख) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली मुद्रा बाजार तथा उत्पादक प्रयोजनों में एफडीआई अंतर्वाह की राशि के संबंध में पृथक-पृथक सूचना का सृजन नहीं करती।

वरीयता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण

3707. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास ऋणों को भी वरीयता क्षेत्र के अंतर्गत गिना जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) नीचे बताए गए अनुसार विनिर्दिष्ट सीमाओं के लिए आवास के उद्देश्य से ग्रामीण और अर्द्धशहरी, शहरी तथा महानगरीय क्षेत्रों में बैंकों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र माना जा रहा है:-

प्रत्यक्ष वित्त:

(1) अपने कर्मचारियों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को छोड़कर स्थान का ध्यान किए बिना आवास निर्माण हेतु व्यक्तियों को दिया जाने वाला 15 लाख रुपए तक का ऋण।

(2) ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में व्यक्तियों के क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए 1,00,000/- रुपए तक और शहरी तथा महानगरीय क्षेत्रों में 2,00,000/- रुपए तक का ऋण।

(3) राष्ट्रीय आवास बैंक की विशेष ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नई आवासीय इकाईयों का निर्माण शुरू करने के इच्छुक व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक और विद्यमान इकाइयों के उन्नयन और अधिक मरम्मत के लिए 50,000/- रुपए तक का दिया गया ऋण।

अप्रत्यक्ष ऋण:

(1) प्रति आवासीय इकाई 5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन आवास निर्माण या स्लम को हटाने और स्लम में रहने वालों के पुनर्वास हेतु एनएचबी द्वारा अनुमोदित किसी सरकारी एजेंसी को दी गई सहायता।

(2) 5 लाख रुपए प्रति आवासीय इकाई के ऋण संघटक की अधिकतम सीमा के अध्यधीन आवास पुनर्निर्माण या स्लम को हटाने और समय में रहने वालों के पुनर्वास के लिए पुनर्वित के उद्देश्य से एनएचबी द्वारा अनुमोदित किसी गैर-सरकारी एजेंसी को दी गई सहायता।

(3) प्रति आवास इकाई ऋण के आधार पर ध्यान दिए बिना आवास के विशेष रूप से वित्तपोषण के लिए एनएचबी/हुडको द्वारा जारी बांडों में बैंकों द्वारा दिए गए सभी निदेश।

पनधारा विकास कार्यक्रम

3708. श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सहित कतिपय राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कितने क्षेत्र/जिले कवर किए गए हैं/कवर किए जाने हैं;

(घ) क्या इन सभी क्षेत्रों/जिलों हेतु धनराशि जारी की जा चुकी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इसके अंतर्गत राजस्थान के सीकर जिले सहित चुने गए सभी स्थानों को कब तक धनराशि जारी कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग तीन दीर्घकालिक वाटरशेड विकास कार्यक्रमों, नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। जबकि डी.पी.ए.पी. तथा डी.डी.पी. को (हनुमंत राव समिति द्वारा) पहचान किए गए ब्लाकों में कार्यान्वित किया जाता है, आई.डब्ल्यू.डी.पी. को गैर-डी.पी.ए.पी. तथा गैर-डी.डी.पी. ब्लाकों में कार्यान्वित किया जाता है। डी.पी.ए.पी./डी.डी.पी. के अंतर्गत परियोजनाएं पहले से अभिज्ञात ब्लाकों में स्वीकृत की जाती हैं जबकि आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत परियोजनाएं परियोजना स्वीकृति समिति के जरिए स्वीकृत की जाती हैं। वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए नई परियोजनाएं स्वीकृत करने हेतु क्षेत्रों के संबंध में निर्णय, चल रही परियोजनाओं के अंतर्गत मांगों को पूरा करने हेतु निधियों की आवश्यकता, राज्य में बंजरभूमि के क्षेत्रफल, गरीबी संबंधी मामले, पिछड़ेपन, सूखे के प्रभाव, बंजरभूमि परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की क्षमता, आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य के कार्य-निष्पादन तथा चल रही परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने के पश्चात बजट की उपलब्धता तथा अन्य संबद्ध संघटकों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले वाटरशेड क्षेत्रों को दर्शाते हुए प्राथमिकता वाले जिलों की सूचियां राज्य सरकारों द्वारा भेजी जाती हैं। प्राथमिकता सूची में शामिल वे प्रस्ताव, जिन्हें परियोजना स्वीकृति समिति (पी.एस.सी.), जिसमें अन्यों के साथ-साथ राज्य सरकार का प्रतिनिधि भी शामिल होता है, द्वारा समुचित रूप से विचार किए जाने के पश्चात स्वीकृत नहीं किया जाता है, समाप्त हो जाते हैं। तथापि, राज्य, परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए प्रस्तावों को परियोजना स्वीकृति समिति की अगली बैठक के लिए प्राथमिकता सूची में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार आई.डब्ल्यू.डी.पी. प्रस्ताव लंबित नहीं रहते हैं। डी.पी.ए.पी./डी.डी.पी. के मामले में वाटरशेड क्षेत्रों का चयन जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा बाद में किया जाता है। परियोजना की प्रथम किस्त परियोजना स्वीकृति के साथ स्वत: ही जारी कर दी जाती है।

(ग) से (छ) गत तीन वर्षों के दौरान आई.डब्ल्यू.डी.पी./डी.पी.ए.पी. तथा डी.डी.पी. के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में शामिल किए गए क्षेत्रों/जिलों तथा डी.डी.पी. के अंतर्गत सीकर सहित तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से III में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत शामिल किये गये क्षेत्र/जिलों की सूची तथा जारी की गई निधियां

	2004-05				2005-06				2006-07			
क्र.सं.	परियोजना/जिले का नाम	परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र (है. में)	जारी की गई राशि	परियोजना/जिले का नाम	परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र (है. में)	जारी की गई राशि	परियोजना/जिले का नाम	परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र (है. में)	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश												
1	चित्तूर	1	6000	49.50	कुड्डाप्पा	4	23000	189.750	नेल्लोर	2	13000	107.250
2.	खम्माम	1	6000	49.50	पूर्वी गोदावरी	1	6000	49.500	गुंटूर	3	18000	148.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	नलगोंडा	1	6000	49.50	करीमनगर	2	12000	99.000	चित्तूर	2	12000	99.000
4.	मेदक	1	6000	49.50	खम्मम	1	5000	41.250	कुड्डाप्पा	2	12000	99.000
5.	कुड्डाप्पा	1	6000	49.50	कृष्णा	1	6000	49.500	निजामाबाद	1	6000	49.500
6.	प्रकाशम	1	6000	49.50	मेदक	3	17000	140.250	करीमनगर	2	12000	99.000
7.	रंगारेड्डी	1	6000	49.50	नलगोण्डा	1	5000	41.250	मेदक	2	12000	99.000
8.	आदिलाबाद	1	6000	49.50	नेल्लोर	3	18000	148.500	वारंगल	1	6000	49.500
9.	श्रीकाकुलम	1	6000	49.50	निजामाबाद	2	12000	99.000	खम्मम	2	12000	99.000
10.	निजामाबाद	1	6000	49.50	श्रीकाकुलम	2	12500	103.125	विजयनगरम	2	12000	99.000
11.					विजयनगरम	1	6000	49.500	पश्चिमी गोदावरी	1	6000	49.500
12.					वारंगल	2	11000	90.750				
13.					पश्चिमी गोदावरी	1	6000	49.500				
	उप योग	10	60000	495.00	उप योग	24	139500	1150.875	उप योग	20	121000	998.250
बिहार												
1.	रोहतास	1	5000	41.25	अरिया	1	5000	41.250	औरंगाबाद	1	5000	41.250
2.	कैमूर	1	5000	41.25	औरंगाबाद	2	10000	82.500	बांका	1	5000	41.250
3.	औरंगाबाद	1	5000	41.25	बांका	1	5000	41.250	बेगूसराय	1	5000	41.250
4.	अरवल	1	5000	41.25	बेगूसराय	1	5000	41.250	बक्सर	1	5000	41.250
5.	जहानाबाद	1	5000	41.25	भागलपुर	1	5000	41.250	दरभंगा	3	12000	99.00
6.	गया	1	5000	41.25	भोजपुर	1	5000	41.250	पूर्वी चम्पारण	2	10000	82.50
7.	बांका	1	5000	41.25	बक्सर	1	5000	41.250	गया	3	15000	123.750
8.	नवादा	1	5000	41.25	गया	2	10000	82.500	जमुई	1	5000	41.250
9.	मुंगेर	1	5000	41.25	गोपालगंज	1	5000	41.250	जहानाबाद	1	5000	41.250
					कैमूर	1	5000	41.250	कटिहार	1	5000	41.250
					किशनगंज	1	5000	41.250	किशनगंज	1	5000	41.250
					मुजफ्फरपुर	1	5000	41.250	लखीसराय	1	5000	41.250
					नालंदा	2	10000	82.500	मुंगेर	1	5000	41.250
					पटना	1	5000	41.250	नवादा	1	5000	41.250
					पूर्णिया	1	5000	41.250	पूर्णिया	1	5000	41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					रोहतास	2	10000	82.500	शेखपुरा	1	5000	41.250
					शेखपुरा	1	5000	41.250	पश्चिमी चम्पारण	2	10000	82.500
					सीतामढ़ी	1	5000	41.250				
	उप योग	9	45000	371.25	उप योग	22	110000	907.500	उप योग	23	112000	924.000
छत्तीसगढ़												
1.	कांकेर	1	5000	41.25	धमतरी	1	5000	41.250	बस्तर	1	5000	41.250
2.	जशपुर	1	4400	36.30	दुर्ग	4	19668	162.261	बिलासपुर	1	5000	41.250
3.	धमतरी	1	5044	41.61	जांजगीर चम्पा	3	14866	122.645	धमतरी	1	6354	52.421
4.	राजनंदगांव	1	5000	41.25	जशपुर	2	8400	69.300	दुर्ग	3	13086.8	107.966
5.	रायपुर	1	5000	41.25	कांकेर	1	5000	41.250	जांजगीर चम्पा	2	9236	76.197
6.	महासमंद	1	5000	41.25	कवर्धा	1	4799	39.592	जशपुर	1	2800	23.100
7.	कोरिया	1	4132	34.09	कोरिया	1	5000	41.250	कांकेर	1	5000	41.250
8.	बिलासपुर	1	5000	41.25	महासमंद	1	5000	41.250	कवर्धा	1	5000	41.250
9.	कवर्धा	1	5000	41.25	रायगढ़	1	4500	37.125	कोरिया	1	5000	41.250
					रायपुर	2	9792	80.784	महासमंद	3	15441	127.389
					सरगुजा	4	17550	144.788	रायगढ़	1	5049	41.654
									रायपुर	3	14840	122.430
									राजनंदगांव	1	5000	41.250
									सरगुजा	1	5269	43.469
	उप योग	9	43576	359.502	उप योग	21	99575	821.494	उप योग	21	102076	842.126
गुजरात												
1.	अहमदाबाद	2	10000	82.50	अहमदाबाद	1	5000	41.250	अहमदाबाद	2	10000	82.500
2.	मेहसाना	1	5000	41.25	बनासकांठा	1	5000	41.250	बनासकांठा	1	5000	41.250
3.	बनासकांठा	1	5000	41.25	भावनगर	1	5000	41.250	भरूच	2	10000	82.500
4.	खेड़ा	1	5000	41.25	गांधीनगर	2	10000	82.500	भावनगर	1	5000	41.250
5.	साबरकांठा	1	5000	41.25	जूनागढ़	3	15000	123.750	जूनागढ़	1	5000	41.250
6.	भरूच	1	5000	41.25	खेड़ा	1	5000	41.250	मेहसाना	1	5000	41.250
7.	पाटन	1	5000	41.25	मेहसाना	3	15000	123.750	नवसारी	1	5000	41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	भावनगर	1	5000	41.25	साबरकांठा	3	15000	123.750	पाटन	1	5000	41.250
9.					सूरत	4	20000	165.000	साबरकांठा	2	10000	82.500
10.					बड़ोदरा	1	5000	41.250	सूरत	1	5000	41.250
11.									बड़ोदरा	1	5000	41.250
12.									बलसाड	1	5000	41.250
	उप योग	9	45000	371.25	उप योग	21	105000	866.250	उप योग	16	80000	660.000
हरियाणा												
1.	रोहतक	2	8000	66.00	अम्बाला	1	5000	41.25	यमुनानगर	1	4000	33
2.	करनाल	2	7000	57.75	जींद	1	3000	24.75	जींद	1	4500	37.125
3.					कैथल	1	4000	33.00	मेवात	1	4500	37.125
4.					रोहतक	3	11000	90.75	अम्बाला	1	3500	28.875
5.					यमुनानगर	1	3000	24.75				
	उप योग	4	15000	123.75	उप योग	7	26000	214.500	उप योग	4	16500	136.125
हिमाचल प्रदेश												
1.	कन्नौर	1	8000	66.00	चम्बा	1	5000	41.25	कुल्लू	2	10083	83.18475
2.	शिमला	1	7000	57.75	हमीरपुर	1	4150	34.24	सिरमौर	2	10000	82.5
3.					कांगड़ा	12	40559	371.74	हमीरपुर	2	9500	78.375
4.					मंडी	3	16383	135.16	शिमला	2	9500	78.375
5.					शिमला	3	18000	148.50				
6.					सोलन	1	5000	41.25				
	उप योग	2	15000	123.75	उप योग	21	93592	772.134	उप योग	8	39083	322.435
झारखंड												
1.	रांची	1	5000	41.25	बोकारो	1	5000	41.25	सिंहभूम (पश्चिमी)	1	7527	62.09775
2.	गिरीडीह	1	5000	41.25	चतरा	1	5000	41.25	सरायकेला खरसांवा	1	5669.74	46.775355
3.	गुमला	1	5000	41.25	गोड्डा	1	5000	41.25	डालटेनगंज (पलामू)	1	5037	41.55525
4.	पश्चिम सिंहभूम	1	5000	41.25	हजारीबाग	1	5000	41.25	रांची	1	5000	41.25
					सिमडेगा	1	5000	41.25	सिंहभूम (पूर्वी)	1	5000	41.25
					सरायकेला खरसांवा	1	5000	41.25				
	उप योग	4	20000	165.00	उप योग	6	30000	247.500	उप योग	5	28234	232.928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जम्मू-कश्मीर												
1.	पुंछ	1	5000	41.25	अनंतनाग	4	20000	165.00	कठुआ	2	10000	82.5
2.	राजौरी	1	4000	33.00	बारामूला	2	10000	82.50	राजौरी	1	5000	41.25
3.	कुपवाड़ा	1	3000	24.75	बडगाम	2	9050	74.66	पुंछ	1	5000	41.25
4.	अनंतनाग	1	7000	57.75	डोडा	2	22461	185.30	कुपवाड़ा	2	10000	82.5
5.					जम्मू	1	5000	41.25	बारामूला	2	10000	82.5
6.					कठुआ	1	5000	41.25	बडगांव	1	5000	41.25
7.					फूलवामा	2	10000	82.50				
8.					श्रीनगर	1	5200	42.90				
9.					ऊधमपुर	1	5000	41.25				
	उप योग	4	19000	156.75	उप योग	16	91711	756.616	उप योग	9	45000	371.250
केरल												
					अलापूजा	2	4910	40.51	अलापूजा	2	9391.5	77.479875
					इडुक्की	1	5000	41.25	कोल्लम	1	7899	65.16675
					कोल्लम	2	5265	43.44	कसारगोड	2	11800	97.35
					कोट्टयम	3	20815	171.72				
					कोझीकोडे	1	2869	23.67				
					मल्लापुरम	1	5000	41.25				
					पालक्कड	1	2458	20.28				
					पथानमथिट्टा	3	7599	62.69				
					त्रिसूर	1	6430	53.05				
					तिरूवनंतपुरम	2	10000	82.50				
					त्रिसूर	1	5000	41.25				
					उप योग	18	75346	621.611	उप योग	5	29091	239.997
गोवा												
1.					उत्तरी गोवा	2	2920	24.090				
					उप योग	2	2920	24.090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कर्नाटक												
1.	रायचुर	2	10000	82.50	बेलगांव	1	5000	41.25	बेलगांव	2.00	10995	90.70875
2.	हावेरी	1	5000	41.25	बेल्लारी	2	10000	82.50	बेल्लारी	2.00	10000	82.5
3.	शिमोगा	1	5000	41.25	चामराजनगर	1	5000	41.25	बीदर	2.00	10000	82.5
4.	चामराजनगर	1	5000	41.25	दक्षिण कन्नड़	1	5000	41.25	चामराजनगर	2.00	11684	96.393
5.	देवेनगेरे	1	5000	41.25	देवेनगेरे	1	5000	41.25	दक्षिण कन्नड़	1.00	5000	41.25
6.	हसन	1	5000	41.25	गुलबर्गा	1	5000	41.25	देवेनगेरे	2.00	10020	82.665
7.	उत्तर कन्नड़	1	5000	41.25	हसन	3	15700	129.53	हसन	1.00	5603	47.04975
8.	चिकमगलूर	1	5000	41.25	हावेरी	1	5000	41.25	हावेरी	1.00	5008	41.316
9.	मैसूर	1	5000	41.25	कोडागू	1	5000	41.25	कोलार	4.00	21900	180.675
10.					कोलार	1	5000	41.25	कोप्पल	1.00	6122	50.5065
11.					मांड्या	1	5000	41.25	शिमोगा	1.00	5020	41.415
12.					मैसूर	2	10000	82.50	उडूपी	1.00	2360	19.47
13.					रायचुर	2	13050	107.66	उत्तर कन्नड़	2.00	12902	106.4415
14.					शिमोगा	1	5030	41.50				
15.					टुमकुर	1	5000	41.25				
16.					उत्तर कन्नड़	2	10000	82.50				
	उप योग	10	50000	412.50	उप योग	22	113780	938.685	उप योग	22	116714	962.891
मध्य प्रदेश												
1.	टीकमगढ़	1	5000	41.25	अनूपपुर	1	5000	41.25	अनूपपुर	1.00	5000	41.25
2.	ग्वालियर	1	5000	41.25	अशोक नगर	1	5198	42.88	बालाघाट	1.00	5982	49.3515
3.	छतरपुर	1	5000	41.25	बरहानपुर	1	5000	41.25	भिंड	1.00	7412	61.149
4.	नरसिंहपुर	1	4000	33.00	छतरपुर	1	4500	37.13	भोपाल	1.00	5000	41.25
5.	श्योपुर	1	5000	41.25	छिंदवाड़ा	1	5000	41.25	छतरपुर	1.00	5000	41.25
6.	मोरेना	1	4000	33.00	दामोह	1	5000	41.25	दामोह	1.00	5000	41.25
7.	विदिशा	1	5000	41.25	दतीया	1	5000	41.25	देवास	1.00	5825	48.05625
8.	सागर	1	4000	33.00	देवास	1	5000	41.25	ग्वालियर	1.00	5000	41.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	जबलपुर	1	5000	41.25	धार	1	5000	41.25	कटनी	1.00	5000	41.25
10.	भोपाल	1	4000	33.00	गुना	1	5000	41.25	खंडवा	1.00	5000	41.25
11.	इंदौर	1	4000	33.00	ग्वालियर	1	5000	41.25	मंदसौर	1.00	5273	43.50225
12.	भिंड	1	4000	33.00	होशंगाबाद	1	5408	44.62	मोरैना	2.00	10000	82.5
13.	बालाघाट	1	3000	24.75	जबलपुर	1	6000	49.50	नीमच	1.00	4830	39.8475
14.	सिहोर	1	3000	24.75	झाबुआ	1	4125	34.03	पन्ना	1.00	5000	41.25
15.					खंडवा	1	5000	41.25	रायसेन	1.00	6496	53.592
16.					मंदसौर	1	5000	41.25	राजगढ़	1.00	8668	71.511
17.					मोरैना	1	5000	41.25	रतलाम	1.00	5000	41.25
18.					नीमच	1	5187	42.79	सागर	1.00	5000	41.25
19.					पन्ना	1	5000	41.25	सतना	1.00	5000	41.25
20.					राजगढ़	1	4000	33.00	सिहोर	1.00	5000	41.25
21.					रतलाम	1	4742	39.12	सिवोनी	1.00	5825	48.05625
22.					सतना	1	5000	41.25	शहडोल	1.00	5000	41.25
23.					सिहोर	2	10000	82.50	टीकमगढ़	1.00	5000	41.25
24.					शाजापुर	1	5000	41.25	उज्जैन	1.00	11215	92.52375
25.					शिवपुरी	1	5000	41.25	विदिशा	1.00	10000	82.5
26.					उज्जैन	2	10900	89.93				
27.					विदिशा	1	5000	41.25				
	उप योग	14	60000	495.00	उप योग	29	145060	1196.744	उप योग	26	151526	1250.090
महाराष्ट्र												
1.	सोलापुर	1	5000	41.25	भण्डारा	1	5000	41.25	अमरावती	4.00	14423	118.98975
2.	कोल्हापुर	1	5000	41.25	चन्द्रपुर	1	5000	41.25	औरंगाबाद	1.00	5000	41.25
3.	ठाणे	1	5000	41.25	हिंगोली	1	5000	41.25	बीड	2.00	8496	70.092
4.	रायगढ़	1	5000	41.25	जलगांव	1	5000	41.25	भंडारा	4.00	19107	157.63275
5.	अहमदनगर	1	5000	41.25	जालना	2	10000	82.50	चंद्रपुर	1.00	5664	46.728
6.	गढ़चिरौली	1	5000	41.25	लातुर	1	5000	41.25	जालना	1.00	5153	42.51225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	नागपुर	1	5000	41.25	नागपुर	1	5000	41.25	कोल्हापुर	2.00	9400	77.55
8.	नान्देड़	1	5000	41.25	नान्देड़	1	5000	41.25	लातूर	1.00	5147	42.46275
9.	सतारा	1	5000	41.25	ओसमानाबाद	1	5000	41.25	नागपुर	1.00	8945	73.79625
10.	औरंगाबाद	1	5000	41.25	पुणे	1	5000	41.25	नान्देड़	1.00	6239	51.47175
11.					रत्नागिरी	1	5000	41.25	नन्दूरबाड़	1.00	5000	41.25
12.					ठाणे	1	5000	41.25	ओसमानाबाद	1.00	5165	42.61125
13.					वर्धा	1	5000	41.25	सतारा	1.00	5000	41.25
14.									सिंधुदुर्ग	3.00	15000	123.75
15.									सोलापुर	1.00	5060	41.745
16.									ठाणे	3.00	15589	128.60925
17.									वर्धा	3.00	17823	147.03975
	उप योग	10	50000	412.50	उप योग	14	70000	577.500	उप योग	31	156211	1288.741
उड़ीसा												
1.	मलकानगिरी	2	10000	82.50	अंगूल	2	10000	82.50	बरगढ़	1.00	5000	41.25
2.	रायगढ़	1	5000	41.25	कटक	1	5000	41.25	बोलांगीर	2.00	10000	82.5
3.	नवरंगपुर	2	10000	82.50	देवगढ़	1	6748	55.67	गजपति	1.00	5000	41.25
4.	खुर्दा	1	5000	41.25	धेनकनाल	4	20000	165.00	गंजम	2.00	11000	90.75
5.	गजपति	1	5000	41.25	गजपति	1	5184	42.77	कालाहांडी	1.00	5600	46.2
6.	कट्टक	1	5000	41.25	गंजम	1	5000	41.25	क्योंझर	1.00	5000	41.25
7.	झासुरगुडा	1	5000	41.25	कालपुर	1	4457	36.77	कोरपुट	2.00	10000	82.5
8.					क्योंझर	1	5000	41.25	मलकानगिरी	1.00	5000	41.25
9.					खुर्दा	1	5000	41.25	मयूरभंज	2.00	11200	92.4
10.					मयूरभंज	2	11080	91.41	नवरंगपुर	2.00	10000	82.5
11.					नयागढ़	3	15066	124.29	नयागढ़	1.00	5000	41.25
12.					रायगढ़	2	9880	81.51	रायगढ़	2.00	10400	85.8
13.					सोनेपुर	1	5000	41.25	सम्बलपुर	1.00	5000	41.25
14.					सुन्दरगढ़	1	5224	43.10	सुन्दरगढ़	2.00	10000	82.5
	उप योग	9	45000	371.25	उप योग	22	112639	929.272	उप योग	21	108200	892.650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पंजाब												
1.	अमृतसर	1	3000	24.75	फरीदकोट	1	3040	25.08	रोपड़	1.00	4245	35.02125
2.	होशियारपुर	1	6200	51.15	फिरोजपुर	1	1525	12.58				
3.	संगरूर	1	3700	30.53	गुरदासपुर	2	10000	82.50				
4.	मानसा	1	2500	20.63	होशियारपुर	1	3285	27.10				
5.					नवांशहर	2	8632	71.21				
6.					पटियाला	1	5000	41.25				
	उप योग	4	15400	127.05	उप योग	8	31482	259.725	उप योग	1	4245	35.021
राजस्थान												
1.	झालवाड़	1	5000	41.25	अजमेर	1	5850	48.26	अलवर	1.00	5000	41.25
2.	बारा	3	15000	123.75	अलवर	1	5000	41.25	बारा	2.00	8531	70.38075
3.	उदयपुर	1	5000	41.25	बारा	1	5387	44.44	भीलवाड़ा	6.00	29906	246.7245
4.	अजमेर	2	10000	82.50	भीलवाड़ा	2	10000	82.50	बूंदी	2.00	9567	78.92775
5.	करौली	1	5000	41.25	बूंदी	2	10399	85.79	चित्तौड़गढ़	4.00	19000	156.75
6.	दौसा	1	5000	41.25	चित्तौरगढ़	1	5000	41.25	दौसा	1.00	5102	42.0915
					दौसा	2	10119	83.48	धौलपुर	3.00	16050	132.4125
					धौलपुर	2	10290	84.89	जयपुर	1.00	5318	43.8735
					जयपुर	1	4991	41.18	राजसमंद	2.00	10778	88.9185
					झलावाड़	1	5000	41.25				
					कोटा	1	5000	41.25				
					राजसमंद	3	13950	115.09				
					सिरोही	1	5000	41.25				
					टोंक	2	11000	90.75				
	उप योग	9	45000	371.25	उप योग	21	106986	882.628	उप योग	22	109252	901.329
तमिलनाडु												
1.	तिरूवल्लूर	1	4938	40.74	कोयम्बटूर	3	15265	125.94	डिंडिगुल	1.00	5000	41.25
2.	कृष्णागिरी	1	5000	41.25	धर्मापुरी	2	10000	82.50	कांचीपुरम	1.00	5000	41.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	त्रिचिरापल्ली	1	5650	46.61	डिंडिगुल	2	10000	82.50	कलर	1.00	5000	41.25
4.	तिरूनेलवेली	1	4500	37.13	एरोड	3	13900	114.68	कृष्णगिरी	1.00	5500	45.375
5.	शिवगंगई	1	5000	41.25	कलर	1	5000	41.25	मदुरै	1.00	5230	43.1475
6.	थूथुकुडी	1	5000	41.25	कृष्णगिरी	1	5000	41.25	नमक्कल	1.00	5000	41.25
7.	विरूधुनगर	1	5000	41.25	मदुरै	1	5100	42.08	तिरूचिरापल्ली	1.00	5000	41.25
8.	पेरम्बलूर	1	5000	41.25	नमक्कल	2	9969	82.24	तिरूवन्नामलई	2.00	10000	82.5
9.	पुदुकोटई	1	6080	50.16	पेरम्बलूर	2	10000	82.50	विल्लुपुरम	1.00	5000	41.25
10.	कुडालोर	1	4857	40.07	पुदुकोट्टई	1	5000	41.25				
11.					रामनाथपुरम	1	5000	41.25				
12.					सलेम	2	10000	82.50				
13.					तिरूचिरापल्ली	1	5000	41.25				
14.					तिरूवलूर	2	10000	82.50				
15.					तिरूवन्नामलई	1	5000	41.25				
16.					वेल्लोर	2	10000	82.50				
	उप योग	10	51025	420.96	उप योग	27	134234	1107.431	उप योग	10	50730	418.523
उत्तर प्रदेश												
1.	शाहजहांपुर	1	5000	41.25	बदाऊं	2	10000	82.50	आगरा	1.00	5000	41.25
2.	रायबरेली	1	5000	41.25	बांदा	2	10000	82.50	इलाहाबाद	4.00	20000	165
3.	सीतापुर	1	5000	41.25	बरेली	1	5000	41.25	अम्बेडकरनगर	1.00	5000	41.25
4.	फैजाबाद	1	5000	41.25	बिजनौर	1	5000	41.25	बस्तीपुर	1.00	5000	41.25
5.	बाराबंकी	1	5000	41.25	बुलंदशहर	1	5000	41.25	बरेली	1.00	5060	41.745
6.	आगरा	1	5000	41.25	इटावा	2	10000	82.50	बिजनौर	1.00	5336	44.022
7.	कन्नौज	1	5000	41.25	हरदोई	1	5000	41.25	एटा	2.00	10108	83.391
8.	ललितपुर	1	5000	41.25	जौनपुर	1	5000	41.25	इटावा	1.00	5000	41.25
9.	इलाहाबाद	1	5000	41.25	झांसी	1	5000	41.25	फैजाबाद	1.00	5120	42.24
10.	मिर्जापुर	1	5000	41.25	कन्नौज	1	5000	41.25	फतेपुर	1.00	5000	41.25
11.	झांसी	1	5000	41.25	कानपुर नगर	1	5000	41.25	फिरोजाबाद	2.00	10000	82.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	औरैया	1	5000	41.25	लखीमपुर खीरी	1	5000	41.25	गाजीपुर	1.00	5000	41.25
13.	हमीरपुर	1	5000	41.25	ललितपुर	1	5000	41.25	गोरखपुर	2.00	10400	85.8
14.					महाराजगंज	1	5000	41.25	हमीरपुर	1.00	5241	43.23825
15.					महोबा	1	5000	41.25	हरदोई	2.00	10000	82.5
16.					मैनपुरी	1	5000	41.25	जालौन	1.00	5000	41.25
17.					मुरादाबाद	1	5000	41.25	झांसी	1.00	5000	41.25
18.					प्रतापगढ़	1	5000	41.25	कन्नौज	1.00	6000	49.5
19.					शाहजहांपुर	1	5000	41.25	खेरी	3.00	16012	132.099
20.					सीतापुर	1	5000	41.25	महोबा	1.00	5000	41.25
21.					सुल्तानपुर	1	5000	41.25	मथुरा	1.00	5000	41.25
22.					उन्नाव	1	5000	41.25	मऊ	1.00	5000	41.25
23.									मिर्जापुर	1.00	5000	41.25
24.									पीलीभीत	1.00	5000	41.25
25.									प्रतापगढ़	1.00	5000	41.25
26.									रायबरेली	1.00	5000	41.25
27.									शाहजहांपुर	1.00	5000	41.25
28.									सीतापुर	1.00	5000	41.25
29.									उन्नाव	1.00	5000	41.25
	उप योग	13	65000	536.25	उप योग	25	125000	1031.250	उप योग	38	193277	1594.535
उत्तरांचल												
1.	नैनीताल	1	5446	44.93	अलमोड़ा	1	5035	41.54	अलमोड़ा	2.00	9089	74.92425
2.	अलमोड़ा	1	5000	41.25	बागेश्वर	1	5020	41.42	चमोली	1.00	6058	49.9785
3.	चमोली	1	5243	43.25	चमोली	3	16033	132.28	हरिद्वार	2.00	10879	89.75175
4.	पौड़ी	2	13637	112.51	चम्पावत	1	5165	42.61	पौड़ी	1.00	5000	41.25
5.	टिहरी	1	5074	41.86	देहरादून	1	5012.17	41.35	पिथौरागढ़	3.00	15135	124.86375
6.					हरिद्वार	2	10686	88.16	उत्तरकाशी	1.00	5409	44.62425
7.					नैनीताल	2	11100	91.58				
8.					पौड़ी गढ़वाल	2	10311	85.07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.					पिथौरागढ़	2	10530	86.88				
10.					उधमसिंह नगर	1	5220	43.07				
11.					उत्तरकाशी	1	5099	42.07				
	उप योग	6	34400	283.80	उप योग	17	89211	736.014	उप योग	10	51569	425.453
पश्चिम बंगाल												
1.	बांकुरा	2	4600	37.95	बांकुरा	2	6640	54.78	बीरभूम	8.00	45481	375.21825
2.	बर्द्धमान	2	9220	76.07	बीरभूम	2	10800	82.50	बर्द्धमान	3.00	13231	109.15575
3.					बर्द्धमान	2	8782	72.45				
4.					पश्चिम मेदिनिपुर	5	4631	38.21				
	उप योग	4	13820	114.02	उप योग	11	30053	247.937	उप योग	11	58712	484.374
	योग	140	692221	5710.82		354	1732089	12778		303	1573420	12057
पूर्वोत्तर राज्य												
असम												
1.	बारपेटा	3	15000	123.75	बारपेटा	1	6000	49.50	बारपेटा	1.00	6000	49.5
2.	बोंगईगांव	3	15000	123.75	कछार	1	6000	49.50	बोंगईगांव	1.00	6000	49.5
3.	कछार	1	5000	41.25	धेमाजी	1	6000	49.50	डिब्रूगढ़	1.00	6300	51.975
4.	दरांग	3	15000	123.75	डिब्रूगढ़	2	12000	99.00	गोलपाड़ा	4.00	24000	198
5.	धुबरी	1	5000	41.25	गोलाघाट	1	6000	49.50	गोलाघाट	3.00	19120	157.74
6.	डिब्रूगढ़	1	5000	41.25	गोलाघाट	1	6000	49.50	जोरहाट	1.00	5500	45.375
7.	गोलाघाट	1	5000	41.25	हैलाकांडी	1	6000	49.50	कामरूप	2.00	12000	99
8.	हैलाकांडी	1	5000	41.25	जोरहाट	1	6000	49.50	कर्बी आंगलौंग	2.00	12000	99
9.	जोरहाट	1	5000	41.25	कामरूप	2	12000	99.00	करीमगंज	2.00	12000	99
10.	के. आंगलौंग	2	10000	82.50	कोकराझार	1	6000	49.50	कोकराझार	5.00	30000	247.5
11.	कामरूप	1	5000	41.25	लखीमपुर	2	12000	99.00	लखीमपुर	1.00	3000	24.75
12.	करीमगंज	2	10000	82.50	मोरीगांव	1	6000	49.50	नगांव	4.00	24000	198
13.	कोकराझार	1	5000	41.25	एन.सी. हिल्स	2	12000	99.00	नलबारी	4.00	24000	198
14.	मोरीगांव	2	10000	82.50	नगांव	2	12000	99.00	शिवसागर	5.00	30000	247.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	एन.सी. हिल्स	3	15000	123.75	नलबरी	2	12000	99.00	सोनितपुर	1.00	8000	66
16.	नागांव	1	5000	41.25	सोनितपुर	1	6000	49.50				
17.	नलवाड़ी	4	20000	165.00	तिनसुखिया	1	6000	49.50				
18.	शिवसागर	1	5000	41.25								
19.	सोनितपुर	3	15000	123.75								
	उप योग	35	175000	1443.75	उप योग	23	138000	1138.500	उप योग	37	221920	1830.840
अरुणाचल	प्रदेश											
1.	पूर्वी कामेंग	2	16000	132.00	चांगलांग	2	5000	41.25	चांगलांग	3.00	10000	82.5
2.	पूर्वी सियांग	1	6000	49.50	पूर्वी कामेंग	3	8000	66.00	दिबांग घाटी	1.00	3000	24.75
3.	कुरुंग कामे	1	8000	66.00	पूर्वी सियांग	3	8000	66.00	पूर्वी कामेंग	8.00	19000	156.75
4.	लोहित	2	14000	115.50	कुरुंग कामेंग	3	8000	66.00	पूर्वी सियांग	2.00	2500	20.625
5.	पापम्पारे	2	11000	90.75	एल./दिबांग घाटी	1	2000	16.50	खोंसा	1.00	1500	12.375
6.	ऊपरी सुबनसिरी	2	9500	78.38	लोहित	1	2000	16.50	कुरुंग कामेंग	7.00	13500	111.375
7.	पश्चिमी कामेंग	1	8000	66.00	निचली सुबनसिरी	1	2000	16.50	लोहित	3.00	12000	99
8.					पापम्पारे	2	5000	41.25	निचली दिबांग	3.00	3000	24.75
9.					तवांग	4	2000	16.50	निचली सुबनसिरी	5.00	14500	119.625
10.					तिरप	3	5000	41.25	तिरप	2.00	7000	57.75
11.					उपरी दिबांग घाटी	1	2000	16.50	ऊपरी सियांग	3.00	8000	66
12.					ऊपरी सियांग	2	4000	33.00	ऊपरी सुबनसिरी	27.00	65500	540.375
13.					ऊपरी सुबनसिरी	5	10000	82.50	पश्चिमी सुबनसिरी	5.00	10000	82.5
14.					पश्चिमी कामेंग	1	2000	16.50	पश्चिमी सियांग	9.00	21500	177.375
15.					पश्चिमी सियांग	3	5000	41.26				
	उप योग	11	72500	598.125	उप योग	35	70000	577.510	उप योग	79	191000	1575.750
मिजोरम												
1.	लौंगतलाई	1	8000	66.00	आइजवैल	3	24000	198.00	आइजवैल	1.00	8000	66
2.	सैहा	1	8000	66.00	चम्फई	2	16000	132.00	चम्फई	1.00	8000	66
3.	लंगलेई	1	8000	66.00	कोलासिब	1	8000	66.00	कोलासिब	1.00	8000	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	ममित	1	8000	66.00	लौंगसत्ताई	3	24000	198.00	लौंगसत्ताई	1.00	8000	66
5.	सेरछिप	1	8000	66.00	लंगलोई	3	24000	198.00	लंगलोई	1.00	8000	66
6.					ममित	2	16000	132.00	ममित	1.00	8000	66
7.					सैहा	2	16000	132.00	सैहा	1.00	8000	66
8.					सेरछिप	1	8000	66.00	सेरछिप	1.00	8000	66
	उप योग	5	40000	330.00	उप योग	17	136000	1122.000	उप योग	8	64000	528
मेघालय												
1.	पूर्वी गारो हिल्स	1	2000	16.50	पूर्वी गारो हिल्स	6	9000	74.25	पूर्वी गारो हिल्स	6.00	12000	99
2.	पश्चिमी गारो हिल्स	1	2000	16.50	पूर्वी खासी हिल्स	9	11500	94.88	पूर्वी खासी हिल्स	9.00	17000	140.25
3.	जैनतीया हिल्स	1	2000	16.50	जैनतीया हिल्स	5	5500	45.38	जैनतीया हिल्स	6.00	11000	90.75
4.	री-भोई	1	2000	16.50	री-भोई	4	7500	61.88	री-भोई	4.00	9000	74.25
5.	दक्षिणी गारो हिल्स	1	2000	16.50	दक्षिणी गारो हिल्स	5	5000	41.25	दक्षिणी गारो हिल्स	5.00	8000	66
6.	पश्चिमी गारो हिल्स	1	2000	16.50	पश्चिमी गारो हिल्स	9	10500	86.63	पश्चिमी गारो हिल्स	9.00	17000	1402.5
7.	पश्चिमी खासी हिल्स	1	2000	16.50	पश्चिमी खासी हिल्स	7	7500	61.88	पश्चिमी खासी हिल्स	7.00	14000	115.5
	उप योग	7	14000	115.50	उप योग	45	56500	466.135	उप योग	46	88000	726.000
मणिपुर												
1.	बिष्णुपुर	1	5000	41.25	चंदेल	1	6000	49.50	चूड़ाचंदपुर	1.00	6000	49.5
2.	चंदेल	1	6000	49.50	चूड़ाचंदपुर	1	6000	49.50	चंदेल	3.00	18000	148.5
3.	चूड़ाचंदपुर	1	6000	49.50	इम्फाल पूर्व	3	17000	140.25	तामेंगलौंग	2.00	14000	115.5
4.	इम्फाल पूर्व	1	5000	41.25	सेनापति	1	8000	66.00	इम्फाल पश्चिम	1.00	6000	49.5
5.	सेनापति	1	6000	49.50	तामेंगलौंग	1	6000	49.50	सेनापति	2.00	14000	115.5
6.	तामेंगलौंग	1	6000	49.50	उखरूल	1	6000	49.50				
7.	उखरूल	1	6000	49.50								
	उप योग	7	40000	330.00	उप योग	8	49000	404.250	उप योग	9	58000	478.500
नागालैंड												
1.	किफिरे	1	8000	66.00	किफिरे	1	8200	67.65	तेनसैंग	1.00	8000	66
2.	कोहिमा	1	8000	66.00	लौंगलैंग	1	8300	68.48	मोकोचुंग	1.00	8000	66
3.	वोखा	1	8000	66.00	मोन	1	8000	66.00	वोखा	1.00	8000	66
4.	मोकोकचुंग	1	8000	66.00	पेरेन	1	8000	66.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	तेंसैंग	1	8000	66.00	नूनोबुटो	1	8000	66.00				
	उप योग	5	40000	330.00	उप योग	5	40500	334.130	उप योग	3	24000	198.000
सिक्किम												
1.	पश्चिम सिक्किम	1	1637	13.51	पूर्वी सिक्किम	1	4075	33.62	पूर्वी सिक्किम	1.00	5600	46.2
2.	पूर्वी सिक्किम-VIII	3	14818	122.25	मनगन उत्तरी सिक्किम	1	5320	43.89	उत्तरी सिक्किम	1.00	4500	37.125
3.					पश्चिम सिक्किम	3	4947	40.81	पश्चिम सिक्किम	1.00	6000	49.5
4.									दक्षिण सिक्किम	1.00	5600	46.2
	उप योग	4	16455	135.75	उप योग	5	14342	118.320	उप योग	4	21700	179.025
त्रिपुरा												
1.	धलाई	1	2250	18.56	धलाई	2	9550	78.79	धलाई	2.00	8971	74.01075
2.	उत्तरी त्रिपुरा	2	8407	69.36	उत्तरी त्रिपुरा	1	7100	58.58	उत्तरी त्रिपुरा	2.00	12400	102.3
3.	दक्षिणी त्रिपुरा	2	9122	75.26	दक्षिणी त्रिपुरा	1	5900	48.68	दक्षिणी त्रिपुरा	1.00	3700	30.525
4.	पश्चिमी त्रिपुरा	2	7750	63.94	पश्चिमी त्रिपुरा	1	2850	23.51	पश्चिमी त्रिपुरा	1.00	2900	23.925
	उप योग	7	27529	227.11	उप योग	5	25400	209.558	उप योग	6	27971	230.761
	पूर्वोत्तर का योग	81	425484	3510.24	पूर्वोत्तर का योग	154	529742	4370.4	पूर्वोत्तर का योग	192	696591	5746.88
	कुल योग	221	1117705	9221.07	कुल योग	497	2261831	17148	कुल योग	495	2270011	17804

विवरण II

वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक की अवधि के दौरान डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों/जिलों की सूची और जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिले का नाम	2004-05			2005-06			2006-07		
		परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	केन्द्रीय भाग की जारी की गई राशि	परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	केन्द्रीय भाग की जारी की गई राशि	परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	केन्द्रीय भाग की जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश										
1.	आदिलाबाद	27	13500	91.125	29	13500	91.125	31	15500	104.625
2.	चित्तूर	16	8000	54	18	8000	54	18	9000	60.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	कुड्डापा	21	10500	70.875	28	10500	70.875	30	15000	101.25
4.	कुरनूल	39	19500	131.625	41	19500	131.625	43	21500	145.125
5.	खम्मम	8	4000	27	10	4000	27	12	6000	40.5
6.	मेढक	15	7500	50.625	45	7500	50.625	47	23500	158.625
7.	एम. नगर	48	24000	162	50	24000	162	52	26000	175.5
8.	नालगोंडा	27	13500	91.125	29	13500	91.125	31	15500	104.625
9.	प्रकाशम	42	21000	141.75	44	21000	141.75	44	22000	148.5
10.	आर. रेड्डी	28	14000	94.5	30	14000	94.5	32	16000	108
11.	*श्रीकाकुलम	16	8000	54	18	8000	54	20	1000	67.5
	योग	287	143500	968.625	342	143500	968.625	360	180000	1215
बिहार										
1.	भबुआ	15	7500	50.625	20	10000	67.5	20	10000	67.5
2.	जमुई	20	10000	67.5	25	12500	84.375	25	12500	84.375
3.	मधुबनी	4	2000	13.5	8	4000	27	8	4000	27
4.	नवादा	20	10000	67.5	23	11500	77.625	23	11500	77.625
5.	रोहतास	6	3000	20.25	8	4000	27	8	4000	27
6.	सीतामढ़ी	3	1500	10.112	6	3000	20.25	6	3000	20.25
	योग	68	34000	229.5	90	45000	303.75	90	45000	303.75
छत्तीसगढ़										
1.	*बस्तर	24	12000	81	28	14000	94.5	29	14500	97.875
2.	*दांतेवाड़ा	24	12000	81	27	13500	91.125	27	13500	91.125
3.	बिलासपुर	12	6000	40.5	15	7500	50.625	16	8000	54
4.	जांजगिरचप्पा	4	2000	13.5	5	2500	16.875	6	3000	20.25
5.	कोरबा	20	10000	67.5	22	11000	74.25	22	11000	74.25
6.	दुर्ग	8	4000	27	10	5000	33.75	11	5500	37.135
7.	राजनन्दगांव	16	8000	54	18	9000	60.75	19	9500	64.125
8.	कवारदाह	8	4000	27	10	5000	33.75	10	5000	33.75
	योग	116	58000	391.5	135	67500	455.625	140	70000	472.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गुजरात										
1.	अहमदाबाद	18	9000	60.75	21	10500	70.875	21	10500	70.875
2.	अमरेली	44	22000	148.5	49	24500	165.375	49	24500	165.375
3.	नर्मदा	16	8000	54	19	9500	64.125	20	10000	67.5
4.	भरौच	16	8000	54	19	9500	64.125	20	10000	67.5
5.	भावनगर	24	12000	81	26	13500	91.125	27	13500	91.125
6.	जूनागढ़	18	9000	60.75	22	11000	74.25	22	11000	74.25
7.	पंचमहल	40	20000	135	44	22000	148.5	44	22000	148.5
8.	पोरबंदर	6	3000	20.25	8	4000	27	8	4000	27
9.	साबरकांठा	3	1500	10.125	4	2000	13.5	4	2000	13.5
10.	दाहोद	28	14000	94.5	32	16000	108	32	16000	108
11.	ढांगं-अहवा	4	2000	13.5	5	2500	16.875	5	2500	16.875
12.	बड़ोदरा	20	10000	67.5	23	115000	77.625	24	12000	81
13.	@वलसाड़	9	4500	30.375	12	6000	40.5	13	6500	43.875
14.	@नवसारी	4	2000	13.5	5	2500	16.875	6	3000	20.25
	योग	250	125000	843.75	290	145000	978.75	295	147500	995.625
हिमाचल प्रदेश										
1.	बिलासपुर	12	6000	40.5	14	7000	47.25	14	7000	47.25
2.	सोलन	8	4000	27	10	5000	33.75	10	5000	33.75
3.	ऊना	20	10000	67.5	23	11500	77.625	23	11500	77.625
	योग	40	20000	135	47	23500	158.625	47	23500	158.625
जम्मू-कश्मीर										
1.	उधमपुर	24	12000	81	29	14500	97.875	29	14500	97.875
2.	डोडा	42	21000	141.75	48	24000	162	48	24000	162
	योग	66	33000	222.75	77	38500	259.875	77	385000	259.875
झारखंड										
1.	दुमका	20	10000	67.5	24	12000	81	10	5000	33.75
2.	*देवघर	14	7000	47.25	17	8500	57.375	17	8500	57.375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	धनबाद	16	8000	54	19	9500	64.125	8	4000	27
4.	बोकारो	4	2000	13.5	6	3000	20.25	2	1000	6.75
5.	गढ़वा	28	14000	94.5	32	16000	108	32	16000	108
6.	गोड्डा	14	7000	47.25	16	8000	54	7	3500	23.625
7.	*कोडरमा	8	4000	27	10	5000	33.75	4	2000	13.5
8.	हजारीबाग	20	10000	67.5	24	12000	81	10	5000	33.75
9.	*चतरा	8	4000	27	10	5000	33.75	4	2000	13.5
10.	*पालामऊ	22	11000	74.25	24	12000	81	24	12000	81
11.	साहेबगंज	12	6000	40.5	13	6500	43.875	6	3000	20.25
12.	पाकुर	12	6000	40.5	13	6500	43.875	6	3000	20.25
13.	लातेहार	14	7000	47.25	16	8000	54	8	4000	27
14.	जमातरा	8	4000	27	10	5000	33.75	4	2000	13.5
	योग	200	100000	675	234	117000		142	71000	479.25
कर्नाटक										
1.	बेलगांव	14	7000	47.25	17	8500	57.375	17	8500	57.375
2.	बिदर	8	4000	27	4	2000	13.5	4	2000	13.5
3.	बंगलौर	16	8000	54	16	8000	54	16	8000	54
4.	मैसूर	9	4500	30.375	10	5000	33.75	10	5000	33.75
5.	सी.आर. नगर	3	1500	10.125	4	2000	13.5	4	2000	13.5
6.	चितमंगलूर	18	9000	60.75	21	10500	70.875	21	10500	70.875
7.	देवनगेरे	3	1500	10.125	4	2000	13.5	4	2000	13.5
8.	चित्रदुर्ग	18	9000	60.75	27	13500	91.125	27	13500	91.125
9.	धारवाड़	12	6000	40.5	14	7000	47.25	14	7000	47.25
10.	गढ़ग	12	6000	40.5	14	7000	47.25	14	7000	47.25
11.	हावेरी	18	9000	60.75	21	10500	70.875	21	10500	70.875
12.	गुलबर्गा	27	13500	91.125	32	16000	108	32	16000	108
13.	हस्सन	12	6000	40.5	14	7000	47.25	14	7000	47.25
14.	कोलार	27	13500	91.125	34	17000	114.75	34	17000	114.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	टुमकुर	30	15000	101.25	33	16500	111.375	33	16500	111.375
	योग	227	113500	766.125	265	132500	894.375	265	132500	894.375
मध्य प्रदेश										
1.	*बेतुल	30	15000	138.375	33	16500	111.375	35	17500	118.125
2.	भिन्ड	3	1500	13.8375	4	2000	13.5	5	2500	16.875
3.	*छिन्दवाड़ा	24	12000	110.7	28	14000	94.5	29	14500	97.875
4.	धार	24	12000	110.7	28	14000	49.5	28	14000	94.5
5.	देवास	9	4500	41.5125	10	5000	33.75	11	5500	37.125
6.	*दमोह	9	4500	41.5125	10	5000	33.75	12	6000	40.5
7.	खांडवा	15	7500	69.1875	17	8500	57.375	18	9000	60.75
8.	*गुना	12	6000	55.35	14	7000	47.25	15	7500	50.625
9.	झाबुआ	36	18000	166.05	41	20500	138.375	42	21000	141.75
10.	जबलपुर	2	1000	9.225	3	1500	10.125	4	2000	13.5
11.	पन्ना	6	3000	27.675	7	3500	23.625	8	4000	27
12.	रीवा	12	6000	55.35	14	7000	47.25	14	7000	47.25
13.	*राजगढ़	6	3000	27.675	7	3500	23.625	8	4000	27
14.	रायसेन	6	3000	27.675	7	3500	23.625	8	4000	27
15.	रतलाम	3	1500	13.8375	4	2000	13.5	6	3000	20.25
16.	शिवपुरी	9	4500	41.5125	10	5000	33.75	11	5500	37.125
17.	शाजापुर	6	3000	27.675	7	3500	23.625	8	4000	27
18.	*सिनोई	10	5000	46.125	12	6000	40.5	13	6500	43.875
19.	शहडोल	8	4000	36.9	9	4500	30.375	10	5000	33.75
20.	उमारिया	6	3000	27.675	7	3500	23.625	8	4000	27
21.	सिद्धी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	खरगांव	15	7500	69.1875	17	8500	57.375	19	9500	64.125
23.	बदावानी	18	9000	83.025	21	10500	70.875	21	10500	70.875
	योग	269	134500	1240.7625	310	155000	1046.25	333	166500	1123.875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
महाराष्ट्र										
1.	अहमदनगर	20	10000	67.5	24	12000	81	26	13000	87.75
2.	आदिलाबाद	12	6000	40.5	14	7000	47.25	18	9000	60.75
3.	अकोला	14	7000	47.25	16	8000	54	30	15000	101.25
4.	वासीम	12	9000	40.5	14	7000	47.25	30	15000	101.25
5.	अमरावती	18	9000	60.75	21	10500	70.875	30	15000	101.25
6.	बीड	12	6000	40.5	14	7000	47.25	14	7000	47.25
7.	बुलधाना	18	9000	60.75	21	10500	70.875	30	15000	101.25
8.	चन्द्रपुर	6	3000	20.25	7	3500	23.625	9	4500	30.375
9.	धुले	6	3000	20.25	7	3500	23.625	9	4500	30.375
10.	नन्दुरबार	8	4000	27	9	4500	30.375	12	6000	40.5
11.	गड़चिरोली	7	3500	23.625	9	4500	30.375	10	5000	33.75
12.	जलगांव	14	7000	47.25	17	8500	57.375	18	9000	60.75
13.	जालना	4	2000	13.5	5	2500	16.875	6	3000	20.25
14.	लातूर	8	4000	27	10	5000	33.75	12	6000	40.5
15.	नागपुर	2	1000	6.75	3	1500	10.125	3	1500	10.125
16.	नांदेड़	8	4000	27	9	4500	30.375	9	4500	30.375
17.	नासिक	26	13000	87.75	30	15000	101.25	32	16000	108
18.	ओस्मानाबाद	7	3500	23.625	9	4500	30.375	9	4500	30.375
19.	पुणे	23	11500	77.625	27	13500	91.125	28	14000	94.5
20.	परभनी	5	2500	16.875	6	3000	20.25	6	3000	20.25
21.	हिंगोली	5	25000	16.875	7	3500	23.625	7	3500	23.625
22.	सांगली	15	7500	50.625	18	9000	60.75	20	10000	67.5
23.	सतारा	8	4000	27	9	4500	30.375	11	5500	37.125
24.	शोलापुर	21	10500	70.875	25	12500	84.375	27	13500	91.125
25.	यावतमाल	24	12000	81	29	14500	97.875	30	15000	101.25
	योग	303	151500	1022.625	360	180000	1215	436	218000	1471.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उड़ीसा										
1.	बारगढ़	12	16000	270.54	14	7000	47.25	14	7000	47.25
2.	*बोलंगीर	32	2000	721.44	36	18000	121.5	36	18000	121.5
3.	बौध	4	3000	90.18	5	2500	16.875	5	2500	16.875
4.	धेनकनाल	6	20000	135.27	7	3500	23.625	7	3500	23.625
5.	*कालाहांडी	40	10000	901.8	46	23000	155.25	47	23500	158.625
6.	*नौपाड़ा	20	12000	450.9	24	12000	81	24	12000	81
7.	फूलबनी	24	4000	541.08	28	14000	94.5	29	14500	97.875
8.	*सोनपुर	8	73000	180.36	10	5000	33.75	11	5500	37.125
	योग	146	140000	3291.57	170	85000	573.75	173	86500	583.875
राजस्थान										
1.	अजमेर	9	4500	30.375	12	6000	40.5	12	6000	40.5
2.	बंसवाड़ा	24	12000	81	31	15500	104.625	28	14000	94.5
3.	बारान	6	3000	20.25	7	3500	23.625	8	4000	27
4.	भरतपुर	3	1500	10.125	0	0	0	4	2000	13.5
5.	डुंगरपुर	15	7500	50.625	17	8500	57.375	17	8500	57.375
6.	झालावाड़	9	4500	30.375	11	5500	37.125	11	5500	37.125
7.	कोटा	6	3000	20.25	7	3500	23.625	8	4000	27
8.	एस.एम. पुर	3	1500	10.125	4	2000	13.5	5	2500	16.875
9.	करौली	3	1500	10.125	4	2000	13.5	4	2000	13.5
10.	टोंक	9	4900	30.375	11	5500	37.125	12	6000	40.5
11.	उदयपुर	9	4500	30.375	11	5500	37.125	11	5500	37.125
	योग	96	48000	324	115	57500	388.125	120	60000	405
तमिलनाडु										
1.	कोयबम्टूर	10	5000	33.75	12	6000	40.5	13	6500	43.875
2.	धर्मपुरी	12	6000	40.5	14	7000	47.25	15	7500	50.625
3.	डिन्डीगुल	6	3000	20.25	8	4000	27	10	5000	33.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	करूर	4	2000	13.5	5	2500	16.875	6	3000	20.25
5.	कृष्णागिरी	16	8000	54	18	9000	60.75	19	9500	64.125
6.	पेरमबलूर	12	6000	40.5	14	7000	47.25	15	7500	50.625
7.	पुडुकोटयै	8	4000	27	10	5000	33.75	11	5500	37.125
8.	रामनाथपुरम	14	7000	47.25	16	8000	54	17	8500	57.375
9.	सलेम	10	5000	33.75	12	6000	40.5	13	6500	43.875
10.	नामाक्कल	6	3000	20.25	7	3500	23.625	8	4000	27
11.	सिवगंगा	14	7000	47.25	17	8500	57.375	1	500	3.375
12.	थिरूवन्नामल्यै	2	1000	6.75	3	1500	10.125	4	2000	13.5
13.	थुथकुडी	16	8000	54	18	9000	60.75	1	500	3.375
14.	तिरूचिरापल्ली	2	1000	6.75	3	1500	10.125	4	2000	13.5
15.	तिरूनेलवेली	2	1000	6.75	3	1500	10.125	4	2000	13.5
16.	वेल्लोर	12	6000	40.5	14	7000	47.25	15	7500	50.625
17.	विरूदुनगर	14	7000	47.25	16	8000	54	17	8500	57.375
	योग	160	80000	540	190	95000	641.25	208	104000	702
उत्तर प्रदेश										
1.	इलाहाबाद	3	1500	10.125	4	2000	6750	5	2500	16.875
2.	बहराइच	30	15000	101.25	36	18000	60750	38	19000	128.25
3.	श्रावस्ती	12	6000	40.5	14	7000	23625	14	7000	47.25
4.	*बलरामपुर	12	6000	40.5	14	7000	23625	T26	8000	54
5.	बांदा	18	9000	60.75	21	10500	35437.5	21	10500	70.875
6.	चित्रकूट	15	7500	50.625	17	8500	28687.5	17	8500	57.375
7.	हमीरपुर	6	3000	20.25	7	3500	11812.5	8	4000	27
8.	जालोन	6	3000	20.25	7	3500	11812.5	8	4000	27
9.	झांसी	15	7500	50.625	18	9000	30375	20	10000	67.5
10.	*एल. खेड़ी	6	3000	20.25	7	3500	11812.5	7	3500	23.625
11.	*ललितपुर	4	2000	13.5	5	2500	8437.5	6	3000	20.25
12.	*महोबा	4	2000	13.5	5	2500	8437.5	6	3000	20.25
13.	मिर्जापुर	4	2000	13.5	5	2500	8437.5	5	2500	16.875
14.	*सीतापुर	9	4500	30.375	11	5500	18562.5	19	9500	64.125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	सोनभद्रा	16	8000	54	19	9500	32062.5	19	9500	64.125
	योग	160	80000	540	190	95000	320625	201	100500	678.375
पश्चिम बंगाल										
1.	बंकुरा	14	7000	47.25	15	7500	50.625	15	7500	50.625
2.	बीरभूम	4	2000	13.5	5	2500	16.875	5	2500	16.875
3.	मिदनापुर	14	7000	47.25	16	8000	54	16	8000	54
4.	पुर्लिया	40	20000	135	44	22000	148.5	44	22000	148.5
	योग	72	36000	243	80	40000	270	80	40000	270
उत्तरांचल										
1.	अल्मोड़ा	21	10500	70.875	24	12000	81	24	12000	54
2.	बागेश्वर	3	1500	10.125	4	2000	13.5	6	3000	13.5
3.	चामोली	12	6000	40.5	14	7000	47.25	17	8500	38.25
4.	पौड़ी गढ़वाल	30	15000	101.25	35	17500	118.125	37	18500	83.25
5.	पिथौरागढ़	15	7500	50.625	7	3500	23.625	10	5000	22.5
6.	चम्पावत		0	0	11	5500	37.125	5	2500	11.25
7.	टिहरी गढ़वाल	9	4500	30.375	10	5000	33.75	0	5000	22.5
	योग	90	45000	303.75	105	52500	354.375	109	54500	245.25

विवरण III

वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक की अवधि के दौरान डी.डी.पी. के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों/जिलों की सूची और जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिले का नाम	2004-05			2005-06			2006-07		
		परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	केन्द्रीय भाग की जारी की गई राशि	परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	केन्द्रीय भाग की जारी की गई राशि	परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	केन्द्रीय भाग की जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश										
1.	अनंतपुर	110	55000	371.25	134	67000	452.25	148	74000	499.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हरियाणा										
1.	भिवानी	27	13500	91.125	36	18000	121.5	36	18000	121.5
2.	हिसार	23	11500	77.625	26	13000	87.75	35	17500	118.125
3.	फतेहगढ़	14	7000	47.25	14	7000	47.25	14	7000	47.25
4.	झज्जर	12	6000	40.5	14	7000	47.25	19	9500	64.125
5.	महेन्द्रगढ़	11	5500	37.125	12	6000	40.5	17	8500	57.375
6.	रेवाड़ी	10	5000	33.75	10	5000	33.75	10	5000	33.75
7.	सिरसा	21	10500	70.875	28	14000	94.5	28	14000	94.5
	योग	118	59000	398.25	140	70000	472.5	159	79500	536.625
हिमाचल प्रदेश										
1.	लहौल-स्पीति	23	11500	77.625	27	13500	91.125	28	14000	94.5
2.	कन्नौर	15	7500	50.625	19	9500	64.125	20	10000	67.5
	योग	38	19000	128.25	46	23000	155.25	48	24000	162
गुजरात										
1.	बनासकांठा	37	18500	124.875	46	23000	155.25	53	26500	178.875
2.	कच्छ	63	31500	212.625	80	40000	270	91	45500	307.125
3.	जामनगर	51	25500	172.125	63	31500	212.625	72	36000	243
4.	पाटन*	24	12000	81	30	15000	101.25	34	17000	114.75
5.	राजकोट	68	34000	229.5	83	41500	280.125	93	46500	313.875
6.	सुरेन्द्र नगर@	55	27500	185.625	68	340000	229.50	77	385000	259.8750
	योग	298	149000	1005.75	370	185000	1248.75	420	210000	1417.5
जम्मू-कश्मीर										
1.	कारगिल	20	10000	67.5	25	12500	84.375	32	16000	108
2.	लेह	20	10000	67.5	25	12500	84.375	30	15000	101.25
	योग	40	20000	135	50	25000	168.75	62	31000	209.25
कर्नाटक										
1.	बागलकोट	38	19000	128.25	46	23000	155.25	34	17000	114.75
2.	बेल्लारी	27	13500	91.125	32	16000	108	52	26000	275.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	बीजापुर	47	23500	158.625	52	26000	175.5	36	18000	121.5
4.	दावेनगेरे	8	4000	27	10	50000	33.750	30	15000	101.250
5.	कोपल	21	10500	70.88	27	13500	91.125	58	29000	195.75
6.	रायचुर	25	12500	84.38	31	15500	104.625	10	5000	33.75
	योग	166	83000	560.25	198	99000	668.25	220	110000	742.5
राजस्थान										
1.	अजमेर	18	9000	60.75	21	10500	70.875	22	11000	74.25
2.	बाड़मेर	50	25000	168.75	66	33000	222.75	74	37000	249.75
3.	बीकानेर	38	19000	128.25	48	24000	162	53	26500	178.875
4.	चुरू	30	15000	101.25	36	18000	121.5	42	21000	141.75
5.	हनुमानगढ़	14	7000	47.25	16	8000	54	18	9000	60.75
6.	जैसलमेर	40	20000	135	7	3500	23.625	48	24000	162
7.	जालोर	30	15000	101.25	46	23000	155.25	44	22000	148.5
8.	झुनझुनु	26	13000	87.75	37	18500	124.875	42	21000	141.75
9.	जोधपुर	50	25000	168.75	34	17000	114.75	77	38500	259.875
10.	जयपुर	6	3000	20.25	68	34000	229.5	7	3500	23.625
11.	नागौर	50	25000	168.75	72	36000	243	83	41500	280.125
12.	पाली	40	20000	135	50	25000	168.75	60	30000	202.5
13.	राजसमंद	6	3000	20.25	8	4000	27	8	4000	27
14.	सिरोही	6	3000	20.25	7	3500	23.625	7	3500	23.725
15.	सीकर	33	16500	111.375	41	20500	138.375	49	24500	165.375
16.	उदयपुर	6	3000	20.26	7	3500	23.625	7	3500	23.625
	योग	443	221500	1495.125	564	282000	1903.5	641	320500	2163.38
राजस्थान—विशेष परियोजनाएं										
1.	अजमेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	बाड़मेर	50	25000	168.75	66	33000	222.75	74	37000	249.75
3.	बीकानेर	38	19000	128.25	48	24000	162	53	26500	178.875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	चुरू	30	15000	101.25	36	18000	121.5	42	21000	141.75
5.	हनुमानगढ़	–			–	0	0	0	0	0
6.	जैसलमेर	40	20000	135	46	23000	155.25	48	24000	162
7.	जालौर	30	15000	101.25	37	18500	124.875	44	22000	148.5
8.	झुनझुनु	26	13000	87.75	34	17000	114.75	42	21000	141.75
9.	जोधपुर	50	25000	168.75	68	34000	229.5	77	38500	259.875
	जयपुर		0	0	0	0	0	0	0	0
10.	नागौर	50	25000	168.75	72	36000	243	83	41500	280.125
11.	पाली	40	20000	135	50	25000	168.75	60	30000	202.5
12.	राजसमंद	–			0	0	0	0	0	0
13.	सिरोही				0	0	0	0	0	0
14.	सीकर	33	16500	111.375	41	20500	138.375	49	24500	165.375
15.	उदयपुर	–			0	0	0	0	0	0
	योग	387	193500	1306.125	498	249000	1680.75	572	286000	1930.5

डी.एम.आर.सी. परियोजना

3709. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.एम.आर.सी. को अंतर्राष्ट्रीय कंसलटेंसी परियोजनाएं मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व भर में डी.एम.आर.सी. की कंसलटेंसी सेवाओं को और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. (डीएमआरसी) ने बताया है कि उन्होंने जकार्ता में जापान के मैसर्स निप्पोन कोई तथा अमेरिका की मैसर्स मैकिन्सी एंड कंपनी के साथ मिलकर एक ठेका प्राप्त कर लिया है। संविदा पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं। डीएमआरसी को हनोई मैट्रो के लिए मुख्य परामर्शदाता नियुक्त होने के नाते विचारार्थ विषय भी प्राप्त हो गए हैं। इस मामले पर डीएमआरसी द्वारा विचार किया जाना है।

(ग) डीएमआरसी में कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक परामर्शी विंग है। परामर्शी सेवाओं के संबंध में विदेशों से प्राप्त होने वाले प्रश्नों का उत्तर डीएमआरसी द्वारा शीघ्रता से और व्यावसायिक ढंग से दिया जाता है।

सरकारी क्वार्टरों के आवंटियों को सुविधाएं

3710. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य उपभोक्ता आयोग ने सरकारी फ्लैट के आवंटी को उपभोक्ता मानते हुए कहा है कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. को उचित देखभाल के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करनी होंगी तथा इस संबंध में सी.पी.डब्ल्यू.डी. पर अर्थदंड लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आवंटियों को सेवाएं प्रदान करने में विफलता के लिए जवाबदेह तथा जिम्मेदार

सी.पी.डब्ल्यू.डी. प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विस्तारित नौकरी योजना

3711. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह विस्तारित नौकरी योजना के अंतर्गत नहीं आता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय में "विस्तारित नौकरी योजना" के नाम से कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा 7 सितम्बर, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को विभिन्न राज्यों के 200 अभिज्ञात जिलों में दिनांक 2.2.2006 को लागू किया गया तथा दिनांक 1.4.2007 से इसे 113 और जिलों में लागू किया गया है। यह अधिनियम अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में अभी लागू नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 1(3) के परंतुक के अनुसार यह अधिनियम अधिनियमित किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर संपूर्ण राज्य क्षेत्र में लागू किया जाएगा।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

3712. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री पी.के. ढुम्मर:
श्री ए.साई. प्रताप:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु क्या कदम उठाए गए थे और इसमें अब तक कितनी सफलता मिली है;

(ख) क्या दसवीं योजना अवधि में विद्युत क्षेत्र का कार्यकरण निर्धारित लक्ष्य से काफी कम था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विद्युत क्षेत्र में प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन के सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें चालू उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की निगरानी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाओं की अग्रिम योजना, वर्तमान थर्मल विद्युत स्टेशनों के संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) के सुधार हेतु "उत्कृष्टता में भागीदारी" कार्यक्रम, पुराने और गैर-प्रभावी उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जमीन विस्तार आदि शामिल हैं। ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। 10वीं योजना के दौरान देश में वास्तविक उत्पादन की तुलना में वर्षवार उत्पादन लक्ष्य नीचे दिया जाता है-

वर्ष	लक्ष्य (एम.यू.)	वास्तविक (एम.यू.)	लक्ष्य का प्रतिशत
2002-03	545.55	531.43	97.4
2003-04	572.90	558.34	97.5
2004-05	586.41	587.37	100.2
2005-06	621.50	617.50	99.4
2006-07	663.00	662.52	99.9

उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के मुख्य कारण गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए गैस की अपर्याप्त आपूर्ति, जबरन बंदी, ईंधन के अधिक मूल्य के कारण तरल ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों के मामले में कम शेड्यूलिंग, बड़े जलाशयों में जल का पर्याप्त रूप से प्रवाहित न होना, कुछ न्यूक्लीयर यूनिटों की लंबी बंदी आदि रहे हैं।

(घ) भारत सरकार ने निम्नलिखित मुख्य सुधार पहलें की हैं-

(1) टैरिफ निर्धारण स्वतंत्र विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा किया जाता है।

(2) विद्युत अधिनियम की धारा 65 में प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार राज्य आयोगों द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं की श्रेणी को कोई

सब्सिडी देने की अपेक्षा करती है तो राज्य सरकार संबंधित यूटिलिटी/लाइसेन्सी को सब्सिडी के मुआवजे के लिए अपेक्षित पूरी राशि देगी। यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा यूटिलिटियों को सब्सिडी जारी करना सुनिश्चित करता है।

(3) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत, राज्यों को तकनीकी हानियां कम करने तथा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने और राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा नकद हानियां कम करने के लिए नकद अनुदानों के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए उप पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण में निवेश हेतु सहायता प्रदान की गयी थी। इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुनर्गठित किया जा रहा है।

(4) बिजली की चोरी से निपटने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में सख्त कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

(5) उत्पादन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(6) अधिक हानियों के स्थान पर पता लगाने के लिए उर्जा लेखा एवं लेखा परीक्षा हेतु फीडरों एवं उपभोक्ताओं को आपूर्ति की मीटरिंग पर विशेष बल दिया जाता है।

(7) देश में खराब कार्यक्षमता वाले थर्मल विद्युत स्टेशनों के संयंत्र भार घटक (पीएफएफ) में सुधार के लिए उत्कृष्टता में भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम ने ओ एंड एम पद्धतियों के कारगर कार्यान्वयन द्वारा पीएलएफ और उपलब्धता के सुधार के रूप में बहुत से विद्युत स्टेशनों पर परिणाम दर्शाने शुरू कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निदेशक मण्डल

3713. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मण्डल को और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए निदेशक मण्डल में बदलाव लाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006, जो 16 अक्तूबर, 2006 से लागू हुआ था, में अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक बोर्ड के संगठन में परिवर्तन करने का प्रावधान है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

* पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या अधिकतम दो से बढ़ाकर चार करना, ताकि कार्यशील निदेशक अधिक हों, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकलापों में विस्तार किया जा सके।

* रिजर्व बैंक द्वारा नामित किए जाने वाले व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकारी होने के बजाए वाणिज्य बैंकों के विनियमन या पर्यवेक्षण में अपेक्षित अनुभव एवं विशेषज्ञता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए।

* सेबी/नाबार्ड/पीएफआई, आदि से नामिती निदेशकों को हटाना।

* मौजूदा प्रावधान के अनुसार बोर्ड में एक से छः निवेशकों के बजाए शेयरधारिता के प्रतिशत के आधार पर एक से तीन शेयरधारक निदेशकों को नामित किया जाना, ताकि स्वामित्व के प्रतिशत के आधार पर अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जा सके। परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकतम तीन चुने गये निदेशक होंगे।

* यदि रिजर्व बैंक की राय हो कि बैंकिंग नीति या जनहित में या संबंधित बैंक या उसके जमाकर्ताओं के हित में अतिरिक्त निदेशक/निदेशकों के पद पर एक या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए तो ऐसी नियुक्ति की जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन विधेयक), 2006 और भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक 2006, जिन्हें लोक सभा में पेश कर दिया गया है, के अनुसार बोर्डों के संगठन में परिवर्तन करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में इसी तरह के संशोधन शामिल किए गये हैं।

आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु वित्तीय तथा बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल

3714. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में वित्तीय तथा बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल देश में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण में किया जा रहा है जैसाकि दिनांक 26 फरवरी, 2007 को 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अब तक उनके ध्यान में ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 29 नवम्बर, 2004, 15 फरवरी, 2006 और 13 अप्रैल, 2007 के अपने परिपत्रों के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को व्यापक मार्गनिर्देश जारी किए हैं, ताकि बैंक आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए बैंकिंग माध्यमों के दुरूपयोग को रोकने में सक्षम हो सकें।

व्यापार और उद्योग में वृद्धि की तुलना में कर राजस्व में वृद्धि

3715. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में व्यापारियों और उद्योगपतियों को प्रदान किए गए वित्तीय और अन्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में आय-कर में वृद्धि देश के व्यापार और उद्योग की वृद्धि की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कारोबार से आय के संबंध में व्यापारियों और उद्योगपतियों को आयकर छूट, कटौती, बढ़ा हुआ मूल्यह्रास इत्यादि के रूप में विभिन्न कर रियायतें उपलब्ध हैं। इन रियायतों का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास औद्योगिक विकास, संरचनात्मक विकास, निर्यात संवर्धन, इत्यादि जैसे कतिपय उद्देश्यों को पूरा करने पर केन्द्रित है।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए संकलित अद्यतन आंकड़ों के अनुसार उक्त अवधि के दौरान विनिर्माणन उद्योग ने 14.6% की दर से प्रगति की है और व्यापार ने 16.3% की दर से प्रगति की है। इसके विपरीत वर्ष 2005-06 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में प्रतिशत वृद्धि 24.43% तक थी। इस संबंध में सरकार ने कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया था।

[अनुवाद]

नकद जमा अनुपात पर ब्याज

3716. **श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए नकद जमा अनुपात पर ब्याज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। चूंकि आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) शेषों पर ब्याज का भुगतान न किए जाने से बैंकों की निधियों की लागत बढ़ती है और उनकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अत: उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में पात्र सीआरआर पर ब्याज का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 में, अन्य बातों के साथ-साथ, पात्र सीआरआर शेषों (भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की उप-धारा 42(1ख) के लोप द्वारा) पर ब्याज का भुगतान के उपबंधों को हटाने का प्रावधान है और यह 1 अप्रैल, 2007 से लागू हुआ है। तदनुसार, भारतीय

रिजर्व बैंक ने 13 अप्रैल, 2007 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की थी कि 31 मई, 2007 से शुरू होने वाले पखवाड़े से सीआरआर शेषों पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

उच्च न्यायालयों की विशेष पीठें

3717. डा. एम. जगन्नाथः क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित विशेष पीठों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पीठों की स्थापना के लिए किन शहरों/कस्बों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन पीठों की स्थापना के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (घ) किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के गठन के संबंध में, संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाता है। उच्च न्यायालय की न्यायपीठों का गठन पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं किया जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ को जलपाईगुड़ी में गठित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए राज्य सरकार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समाधानप्रद रूप में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को पूरा करना होगा।

लघु जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना

3718. श्री जुएल ओराम: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ राज्यों में कुछ लघु जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां पर इन लघु जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) इन संयंत्रों से अनुमानत: कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त प्रयोजनार्थ राज्यों को कोई अनुदान दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) यह मंत्रालय संभाव्यता वाले राज्यों में लघु/मिनी हाइडल परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है, जहां वास्तविक कार्यान्वयन मुख्यतया सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

(ग) दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार 1975 मेगावाट की संचयी क्षमता की 602 लघु पनबिजली (एसएचपी) परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं और 649 मेगावाट की संचयी क्षमता की 219 एसएचपी परियोजनाएं कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं, जिनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) 11वीं योजना प्रस्ताव के अनुसार, ग्रिड-इंटरएक्टिव लघु पनबिजली परियोजनाओं को विशेष श्रेणी के राज्यों में पहले मेगावाट के लिए 1.00 करोड़ रु. और अन्य राज्यों को पहले मेगावाट के लिए 0.67 करोड़ रु. की सब्सिडी दी जाती है, तत्पश्चात् इसे घटते पैमाने पर दिया जाएगा।

विवरण

संस्थापित तथा कार्यान्वयनाधीन लघु पनबिजली परियोजनाओं (25 मेगावाट तक) की राज्यवार संख्या और संचयी क्षमता

(31.3.2007 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	संस्थापित परियोजनाएं		कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	57	178.850	11	17.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	68	45.240	56	41.82
3.	असम	3	2.110	4	15.00

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	7	50.400	9	7.60
5.	छत्तीसगढ़	5	18.050	1	1.00
6.	गोवा	1	0.050	–	–
7.	गुजरात	2	7.000	–	–
8.	हरियाणा	5	62.700	1	6.00
9.	हिमाचल प्रदेश	61	141.615	13	64.00
10.	जम्मू-कश्मीर	32	111.830	5	5.91
11.	झारखंड	6	4.050	8	34.85
12.	कर्नाटक	69	416.500	17	103.50
13.	केरल	16	98.120	5	39.55
14.	मध्य प्रदेश	9	51.160	5	39.90
15.	महाराष्ट्र	29	209.330	3	13.50
16.	मणिपुर	8	5.450	3	2.75
17.	मेघालय	3	30.710	3	1.70
18.	मिजोरम	16	17.470	3	15.50
19.	नागालैंड	9	20.670	5	12.20
20.	उड़ीसा	6	7.300	8	60.93
21.	पंजाब	29	123.900	–	–
22.	राजस्थान	10	23.850	–	–
23.	सिक्किम	14	39.110	4	13.20
24.	तमिलनाडु	14	89.700	4	13.00
25.	त्रिपुरा	3	16.010	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	9	25.100	–	–
27.	उत्तरांचल	87	75.670	35	61.25
28.	पश्चिम बंगाल	23	98.400	16	79.25
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	5.250	–	–
	जोड़	602	1975.595	219	649.91

कर्नाटक में बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण

3719. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में राष्ट्रीयकृत बैंकों को शिक्षा ऋण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से बैंकवार और वर्षवार कितने ऋण आवेदनों को मंजूर किया गया है;

(ग) आज की तिथि तक कितने आवेदन लंबित हैं; और

(घ) लंबित आवेदनों के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) कर्नाटक की राज्य स्तरीय बैंक समिति (एसएलबीसी) के संयोजक सिंडिकेट बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के 14 बैंकों द्वारा कर्नाटक राज्य में वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान शिक्षा ऋण के लिए प्राप्त एवं मंजूर किए गए आवेदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सिंडिकेट बैंक ने सूचित किया है कि 37 आवेदन अतिरिक्त/अनुपूरक सूचना के अभाव में तथा आवेदकों के उपस्थित न होने के कारण लंबित पड़े हैं।

विवरण

कर्नाटक राज्य में शिक्षा ऋण से संबंधित ब्यौरा

क्र.सं.	बैंक का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या			स्वीकृत आवेदनों की संख्या		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1.	केनरा बैंक	10889	10924	11671	10889	10924	11671
2.	कार्पोरेशन बैंक	1012	1473	उपलब्ध नहीं	1012	1473	उपलब्ध नहीं
3.	सिंडिकेट बैंक	3381	3814	4613	3324	3766	4590
4.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	486	572	723	486	572	723
5.	भारतीय स्टेट बैंक	1952	3412	3444	1943	3397	3432
6.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	4279	2006	3401	4279	2006	3401
7.	विजया बैंक	1417	2138	2012	1409	2126	2005
8.	इंडियन बैंक	176	304	475	158	272	406
9.	इंडियन ओवरसीज बैंक	133	176	150	133	176	150
10.	पंजाब नैशनल बैंक	64	117	107	64	117	105
11.	यूको बैंक	102	114	108	102	114	108
12.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	190	210	220	178	207	204
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	98	123	203	98	123	203
14.	बैंक आफ बड़ौदा	229	543	300	229	543	300
	जोड़	24408	25926	27427	24304	25816	27298

बिजली प्रशुल्क

3720. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 2006 में केन्द्र सरकार द्वारा बिजली प्रशुल्क नीति की घोषणा की गई है जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2006 से किसी भी प्रकार के प्रशुल्क निर्धारण हेतु "मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क" को अपनाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी तक कई राज्य सरकारों ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) टैरिफ नीति का आवश्यक उद्धरण नीचे दिया गया है:

"अधिनियम की धारा 61 के अनुसार टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा शर्तों के लिए उपयुक्त आयोग अन्य बातों के साथ-साथ बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों से निर्देशित होगा। 1 अप्रैल, 2006 से निर्धारित की जाने वाली किसी टैरिफ के लिए एमवाईटी अपनाए जाने के लिए अधिमानत: 5 वर्ष की नियंत्रण अवधि होनी चाहिए। आंकड़ों संबंधी अनिश्चितता व अन्य व्यावहारिक कारणों से नियामक आयोग द्वारा जरूरी माने जाने पर पारेषण व वितरण के लिए आरंभिक तौर पर तीन वर्ष की नियंत्रण अवधि भी हो सकती है। विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव वाले मामलों में उपयुक्त आयोग प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी में अनुमान प्रस्तुत कर सकता है तथा और अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त होने पर नियंत्रण अवधि नए सिरे से शुरू हो सकती है"।

(ग) और (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत टैरिफ निर्धारण उचित विद्युत विनियामक आयोग का कार्य है। अत: विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बहु-वर्षीय टैरिफ निर्धारित करना अपेक्षित है। उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने बहु-वर्षीय टैरिफ विनियम/आदेश जारी किए हैं। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने प्रारूप विनियम जारी कर दिए हैं।

पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने सूचित किया है कि इसके द्वारा जारी टैरिफ विनियमों में राज्य में यूटिलिटी द्वारा वार्षिक आवश्यकता निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी बहु-वर्षीय टैरिफ सिद्धांत मौजूद हैं। किन्तु राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन होने तक बहु-वर्षीय टैरिफ संरचना के कार्यान्वयन को स्थगित करने का फैसला किया है।

कचरा प्रबंधन हेतु शहरी सेनिटेशन विद्युत

3721. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में कचरे के प्रबंधन हेतु शहरी सेनिटेशन मिशन शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोजनार्थ राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) योजना आयोग ने देश के शहरी क्षेत्रों के ठोस कचरे के प्रबंधन तथा ड्रेनेज सुविधाओं के सुधार हेतु सेनेटरी लैण्ड फील एवं खाद्य संयंत्रों की स्थापना करने में शहरी स्थानीय निकायों की सहायता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए दसवीं योजना के दौरान "शहरी सफाई मिशन" नामक मिशन मोड राज्य क्षेत्र कार्यक्रम का प्रस्ताव किया था। इसके बाद योजना आयोग ने इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया था।

(ख) और (ग) चूंकि यह कार्यक्रम योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था इसलिए दसवीं योजना के दौरान राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

3722. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ग) 19.9.1998 को व्यापार और उद्योग संबंधी प्रधानमंत्री की परिषद् द्वारा प्रशासन और विधिक सरलीकरण पर विशेष विषय समूह की सिफारिशों के अनुसरण में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन हेतु जागरूकता अभियान

3723. श्री रामदास आठवले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर एक जागरूकता अभियान शुरू करके गरीबी और पिछड़े वर्गों के लोगों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की जीवन यापन की स्थिति को बेहतर बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) इलैक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया तथा बाह्य प्रचार के माध्यम से मंत्रालय द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा जागरूकता गतिविधियां नियमित रूप से चलाई जा रही हैं। सूचना प्रकोष्ठ के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के लिए जागरूकता गतिविधियों के लिए 18 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

प्रतिभूतियों/बांडों में विदेशी मुद्रा का निवेश

3724. श्री एम. अप्पादुरई: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अन्य देशों में प्रतिभूतियों/बांडों में कितनी विदेशी मुद्रा निवेश की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे निवेश से कितना ब्याज अर्जित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि विगत तीन वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों का बाण्डों/प्रतिभूतियों (राजकोषीय हुण्डिया सहित) में निवेश इस प्रकार है:

दिनांक	राशि अमरीकी मिलियन डालर में
30 जून, 2004	35,569
30 जून, 2005	32,512
30 जून, 2006	39,901

(ख) उक्त अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के नियोजन से भारतीय रिजर्व बैंक की आमदनी निम्नलिखित है:

समाप्त वर्ष	राशि अमरीकी मिलियन डालर में
30 जून, 2004	9,103.50
30 जून, 2005	16,979.47
30 जून, 2006	24,538.03

भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी प्रतिभूतियों पर ब्याज के आंकड़ों को अलग से प्रकाशित नहीं करता है।

[हिन्दी]

दाभोल विद्युत परियोजना

3725. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दाभोल विद्युत परियोजना में बिजली उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना से उत्पादित बिजली के संवितरण हेतु कोई करार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां, अप्रैल, 2006 में रत्नागिरी गैस एंड पावर लिमिटेड (आरजीपीपीएल) के दाभोल विद्युत परियोजना के विद्युत खंड-II (740 मे.वा.) का पुनरूज्जीवन किया गया तथा महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) को आवश्यकतानुसार नाप्था का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए अनिश्चित विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) और (ग) 19 अक्तूबर, 2006 को रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) तथा महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) ने दाभोल विद्युत परियोजना से नाप्था का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हुए अनिश्चित विद्युत की आपूर्ति के लिए करार किया है। यह करार 30 जून, 2007 तक बढ़ाया गया है जब तक संयंत्र के लिए गैस उपलब्ध होने की आशा है। दिनांक 10 अप्रैल, 2007

को आरजीपीपीएल एवं एमएसईडीसीएल ने गैस का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हुए परियोजना से निश्चित विद्युत आपूर्ति के लिए 25 वर्ष का दीर्घावधि विद्युत खरीद करार (पीपीए) भी किया है।

चन्द्रभागा नदी पर विद्युत परियोजना की स्थापना

3726. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने महाराष्ट्र की कुछ नदियों की जल विद्युत उत्पादन क्षमता का दोहन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नदियों पर विशेषकर राज्य के शोलापुर जिले में चन्द्रभागा नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु किसी स्थान को पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो इससे अनुमानत: कितनी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) एनएचपीसी ने बाव नदी पर बाव-1 (18 मे.वा.) तथा बाव-2 (20 मे.वा.) हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं (एचईपी) और काजवी नदी की सहायक नदी पर देवड़े (6 मे.वा.) एचईपी के संदर्भ में सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य आरंभ किया है।

(ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नदियों, विशेषतया राज्य के शोलापुर जनपद में चन्द्रभागा नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु किसी स्थल को पहचान नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण कोष योजना

3727. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एंक अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण कोष योजना की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उद्देश्य क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी का वित्त-पोषण और सफलातपूर्वक वाणिज्यीकरण किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि मंजूर और खर्च की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) इक्विटी, ऋण, आदि अथवा इनके उपयुक्त संयोजन से स्वदेशी या आयातित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यकीरण को सहायता देने के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 2000-01 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण निधि (नेटकाफ) का सृजन किया गया था। सहायता को इरेडा सहित वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्त-पोषण से जोड़ा जाना था। यह निधि 2.00 करोड़ रु. की प्रारंभिक राशि के साथ स्थापित की गई थी।

(ग) और (घ) चूंकि उद्योग से उपयुक्त परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वर्ष 2003-04 से इस स्कीम को बंद कर दिया गया। वर्ष 2005 में भारत में अक्षय ऊर्जा ट्रेड गाइड प्रकाशित करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत 2.70 लाख रु. की राशि व्यय की गई।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

3728. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरूआत से सरकार को शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यवार और वर्षवार कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है; और

(ग) अभी तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गई है और इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण भारत में कार्यान्वित की जा रही स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के तहत इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय धनराशि जारी की जाती है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य लघु उद्यमों की स्थापना तथा उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में शहरी गरीबों के श्रम का उपयोग कर उनके लिए मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले शहरी गरीबों को स्व-रोजगार मुहैया कराना है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत वित्त वर्ष के शुरूआत में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शहरी गरीबी के प्रभाव के अनुपात में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अंतरिम रूप से धनराशि का नियतन किया जाता है तथा तत्पश्चात पहले जारी केन्द्रीय धनराशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने तथा विगत में जारी धनराशि के समान राज्य अंश के अंशदान के आधार पर यह धनराशि किस्तों में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की जाती है। राज्य/संघ शासित प्रदेश में स्कीम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा धनराशि की उपलब्धता को भी ध्यान में रखते हुए उनके अनुरोध पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अंतरिम नियतन के अलावा अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित की जाती है। इस प्रकार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से शहरी रोजगार के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत शहरी रोजगार से संबंधित परियोजनाओं के लंबित होने का प्रश्न नहीं उठता।

एचआईवी पीड़ितों हेतु बीमा नीति

3729. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रीमियम में वृद्धि और वरिष्ठ नागरिकों की आयु में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर बीमा अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजसहायता के साथ एचआईवी पीड़ितों के लिए एक नई बीमा नीति की शुरूआत करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वाहन मालिकों को तसल्ली देने के लिए तृतीय पक्ष बीमा को भी अनुमति देने का है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि बीमा कम्पनियों द्वारा बीमा सेवाओं का डिजाईन तैयार किया जाता है और उनका विकास किया जाता है और आईआरडीए की "फाइल एंड यूज" प्रक्रिया के अधीन होते हैं। प्रीमियम संशोधनों सहित, सेवाओं में परिवर्तन के लिए बीमा अधिनियम, 1937 में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) मोटरयान अधिनियम के अनुसार, मोटर अन्य पक्ष बीमा (थर्ड पार्टी इंश्योरेंस) के बिना कोई वाहन सड़क पर नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक वाहन मालिक को मोटर दुर्घटना के कारण उत्पन्न होने वाली अन्य पक्ष देयता से अपने को बचाने के लिए यह बीमा करवाना पड़ता है।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

3730. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना योजना में गंभीर कठिनाई उत्पन्न हो रही है क्योंकि कुछ परियोजनाएं बीच में ही रुक गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय नौसेना ने कुछ राज्यों में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के स्थान पर कोई आपत्तियां उठाई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मामले को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) जी, नहीं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अंतर्गत लगभग 4000 मे.वा. प्रत्येक के कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए नौ स्थल

अभिज्ञात किए हैं। इन नौ स्थलों में से 4 पिटहेड स्थल तथा 5 शेष तटवर्ती स्थल हैं। स्थलों के नाम निम्नानुसार हैं:

(1) ससन (मध्य प्रदेश)

(2) मुंदरा (गुजरात)

(3) कृष्णपटनम (आंध्र प्रदेश)

(4) तिलैया (झारखंड)

(5) गिरये (महाराष्ट्र)

(6) ताद्री (कर्नाटक)

(7) चेय्युर (तमिलनाडु)

(8) सुंदरगढ़ जिला, उड़ीसा

(9) अकलतारा, छत्तीसगढ़

उपर्युक्त स्थलों में से पहले दो स्थानों अर्थात् ससन (मध्य प्रदेश) तथा मुंद्रा (गुजरात) के संबंध में बोली प्रक्रिया पूरी हो गई है। इनके अलावा कृष्णपटनम (आंध्र प्रदेश) और तिलैया (झारखंड) के संबंध में बोली प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। शेष पांच स्थलों के संबंध में बोली प्रक्रिया राज्य प्राधिकारियों से आवश्यक स्वीकृति पर निर्भर है। विद्युत मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक स्वीकृति देने/अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए वैकल्पिक स्थलों की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए पत्र लिखा है।

पावर फाइनैन्स कारपोरेशन (यूएमपीपी पहल के लिए नोडल एजेंसी) से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित यूएमपीपी के संबंध में भारतीय नेवी से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण

3731. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी एकड़ भूमि पर से अतिक्रमण को हटाया गया है;

(ख) डिवलपमेंट एरिया और डिवलपमेंट एरिया के बाहर दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर स्थित अनधिकृत कालोनियों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या अतिक्रमण को हटाने से पूर्व नोटिस देना आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी भूमि से अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि उसने पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 503.27 एकड़ भूमि वापस प्राप्त कर ली है।

(ख) डीडीए द्वारा यथा प्रस्तुत ऐसी अनधिकृत कालोनियां, जो (1) विकास क्षेत्र से बाहर डीडीए भूमि पर हैं, और (2) विकास क्षेत्र के भीतर हैं, के नाम क्रमश: संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) डीडीए अपनी भूमि वापस प्राप्त करने के लिए प्रत्येक माह डिमोलिशन कार्यक्रम निर्धारित करता है।

विवरण I

विकास क्षेत्र के बाहर दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत कालोनियों की सूची

क्र.सं.	अनाधिकृत कालोनी का नाम
1	2
1.	ब्लाक-17, विश्वास नगर, शहादरा, कड़कड़डूमा रोड, नई दिल्ली
2.	ब्लाक-ए, हरिजन बस्ती, गोकुलपुर पूर्व, एलओपी, दिल्ली-94
3.	अनुपम गार्डन रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, गांव सदुलाजेब, नई दिल्ली-68
4.	अरूणा आसफ अली रोड, गांव किशनगढ़
5.	अशोक नगर डी-ब्लाक, मैन वजीराबाद, दिल्ली-93
6.	बी-1 ब्लाक, संगम विहार, नई दिल्ली-62
7.	बी ब्लाक अमर कालोनी, गोकुलपुर ईस्ट, दिल्ली-94
8.	बी ब्लाक मंडावली फजलपुर, दिल्ली-92
9.	भगत सिंह मोहल्ला (दक्षिण) न्यू उसमानपुर, दिल्ली-53
10.	भजनपुरा सी ब्लाक गली नं. 1 से 5, दिल्ली-53

1	2
11.	भजनपुरा सी.ए. ब्लाक, दिल्ली-53
12.	भजनपुरा सी ब्लाक (गली नं. 1 से 5), दिल्ली-53
13.	भीकम सिंह कालोनी, ब्लाक नं. 33, विश्वास नगर शाहदरा, दिल्ली
14.	-वही-
15.	ब्लाक 28-29, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-32
16.	बुद्ध विहार हरिजन बस्ती मंडावली, दिल्ली-93
17.	सी-2 राजू पार्क, नजदीक देवली गांव, नई दिल्ली-62
18.	सी-75 दुग्गल कालोनी, देवली रोड, खानपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-62
19.	सी-ब्लाक मंडावली, फजलपुर
20.	सी ब्लाक अमर कालोनी, गोकुलपुर ईस्ट, दिल्ली-94
21.	सी ब्लाक कादरी मस्जित, शास्त्री पार्क
22.	सी-ब्लाक मंडावली, फजलपुर ऊंचपीयर, दिल्ली-92
23.	चन्द्र विहार मंडावली-फजलपुर एक्सटेंशन, दिल्ली-92
24.	छत्तरपुर इन्कलेव, महरौली, दिल्ली-68
25.	छत्तरपुर इन्कलेव, फेज-1 ब्लाक-ए, मैदान गढ़ी गांव रोड
26.	ईस्ट मंडोली एक्सटेंशन, हरिजन बस्ती डी ब्लाक, दिल्ली-93
27.	ईस्ट स्कूल ब्लाक, माडवली फजलपुर, दिल्ली-92
28.	ब्लाक-डी, हरिजन बस्ती, गोकुलपुर पूर्व, एलओपी, दिल्ली-94
29.	डी ब्लाक अशोक नगर, शहादरा, दिल्ली-93
30.	डिफेंस इन्कलेव महीपालपुर एक्सटेंशन, पार्ट-2, दिल्ली-37
31.	डिफेंस सर्विस इन्कलेव, सैनिक फार्म खानपुर, दिल्ली-62
32.	दुग्गल हाउसिंग काम्पलेक्स स्कूल रोड, खानपुर, दिल्ली-62
33.	ई व एफ ब्लाक माडल नगर (एलओपी), दिल्ली
34.	
35.	
36.	ईस्ट विनोद नगर, जी ब्लाक, दिल्ली-91
37.	ई ब्लाक ईस्ट गोकुलपुरी, हरिनगर, हरिजन बस्ती, दिल्ली-94
38.	ई ब्लाक, शशिगार्डन शाहदरा, दिल्ली-91
39.	ई एफ ब्लाक, एक्सटेंशन एरिया, शास्त्री पार्क
40.	एफ ब्लाक, खानपुर, एक्सटेंडेड आबादी, खानपुर दिल्ली-62
41.	एफ-1 संगम विहार, नई दिल्ली
42.	फ्रीमड फाईटर, एनक्लेव इग्नु रोड, नेब सराय, दिल्ली-68
43.	फ्रीडम फाईटर, एक्सटेंशन दिल्ली-68
44.	-वही-
45.	फ्रीडम फाईटर एनक्लेव, नेब सराय, दिल्ली-68
46.	-वही-
47.	-वही-
48.	फ्रीडम फाईटर विहार, नेब सराय
49.	गगन विहार एक्सटेंशन, प्रीतविहार, दिल्ली-51
50.	गणेश नगर, पांडव नगर, काम्पलेक्स, दिल्ली-92
51.	गणेश नगर-2 एक्सटेंशन, शकरपुर, दिल्ली-92
52.	गंगासहाय कालोनी, हरिजन बस्ती, मंडावली
53.	गोकुलपुर एक्सटेंशन, जियाउद्दीनपुर गांव, दिल्ली-94
54.	ग्रामसभा एक्सटेंशन, नजदीक खेरा मंदिर, दिल्ली-93
55.	हरगोविन्द इन्कलेव, राजपुर खुर्द, दिल्ली-68
56.	हरिजन बस्ती, मसूदपुर नजदीक पाकेट-बी, सेक्टर-7, 8 व 9, वसंतकुंज
57.	हरिजन बस्ती, पुरानी आबादी, पटपड़गंज, दिल्ली-91

1	2
58.	हरिजन बस्ती, स्कूल रोड, शकरपुर
59.	आई-2 ब्लाक, संगम विहार, नई दिल्ली
60.	आई-2 ब्लाक, संगम विहार, नई दिल्ली
61.	आई-ब्लाक, संगम विहार, नई दिल्ली
62.	आई-ब्लाक, संगम विहार, नई दिल्ली
63.	ईन्द्रा कालोनी, स्कूल ब्लाक, मंडावली
64.	ईन्द्रा इन्कलेव नेब सराय
65.	ईन्द्रापुरी (हरिजन बस्ती) कड़कड़डुमा, दिल्ली-92
66.	जे-1, संगम विहार, नई दिल्ली-62
67.	जे/3 (ज्ञान ज्योति बुद्धविहार) संगम विहार, नई दिल्ली-62
68.	जे-1 संगम विहार, नई दिल्ली-62
69.	जे-2, बी संगम विहार, तुगलकाबाद
70.	जे-3, संगम विहार, नई दिल्ली-62
71.	जगतपुरी एक्सटेंशन, दिल्ली-93
72.	जवाना एक्सटेंशन, बी-ब्लाक, नई दिल्ली-92
73.	जावानेर बाग, ब्लाक, ए, बी, सी, डी और ई, खानपुर, देवली रोड दिल्ली-62
74.	जे ब्लाक, ईस्ट विनोद नगर, ईस्ट विनोद नगर का हिस्सा, दिल्ली
75.	जोशी कालोनी, मंडावली फजलपुर, एक्सटेंशन, दिल्ली-92
76.	करदमपुरी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली-94
77.	कड़कड़डुमा कालोनी, नजदीक गांव कड़कड़डुमा, दिल्ली-92
78.	के. ब्लाक, संगम विहार, नजदीक बत्रा हास्पिटल, दिल्ली-62
79.	खिड़की एक्सटेंशन मालवीय नगर, नई दिल्ली-17
80.	खिड़की एक्सटेंशन कालोनी, करिअप्पा मार्ग, एम बी रोड, दिल्ली-62

1	2
81.	कृष्णपार्क एक्सटेंशन, ब्लाक-डी, देवली रोड, दिल्ली-62
82.	कृष्णा विहार, खानपुर (अलीपुर), नई दिल्ली
83.	लाडो सराय एक्सटेंशन, महौरील, नई दिल्ली-30
84.	ललीता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92
85.	स्कूल ब्लाक, शकरपुर का बचा हुआ हिस्सा, दिल्ली-92
86.	महावीर कैम्पस, राजपुर खुर्द, एक्सटेंशन, दिल्ली-68
87.	महीपालपुर, ब्लाक-ए एक्सटेंशन, नई दिल्ली
88.	मैदानगढ़ी एक्सटेंशन, मैदानगढ़ी, छत्तरपुर रोड, दिल्ली-68
89.	मंडोली एक्सटेंशन, अनजान बस्ती, दिल्ली-93
90.	मीत नगर, सी ब्लाक, दिल्ली-94
91.	मिलन गार्डन, मैन मंडावली रोड, दिल्ली-93
92.	मोहल्ला जहांपनाह, हौजरानी, मालवीय नगर, दिल्ली-17
93.	मोहन पार्क (बी ब्लाक) माडल टाउन-3, दिल्ली-09
94.	मुंशीराम कालोनी, नजदीक मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
95.	नेब सराय एक्सटेंशन, एरिया दिल्ली-68
96.	नेब सराय एक्सटेंशन, फेज-2, इग्नु रोड, नई दिल्ली
97.	नेब सराय हरिजन कालोनी, दिल्ली-68
98.	नेब सराय रोड, दिल्ली-68
99.	नेहरू इन्कलेव, पार्ट-1 एवं 2, स्कूल रोड, शकरपुर, दिल्ली-92
100.	न्यू करदमपुरी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली-94
101.	न्यू लाहौर शास्त्री नगर, गली नं. 8ए व ए29, दिल्ली
102.	न्यू संजय अमर कालोनी, विश्वास नगर, दिल्ली-32
103.	पांडव नगर और जनता गार्डन, ई ब्लाक, दिल्ली-91
104.	प्रताप नगर, एलओपी मयूर विहार, फेज-1

1	2
105.	राजपुर खुर्द एक्सटेंशन, महरौली एक्सटेंशन, दिल्ली-68
106.	राजपुर खुर्द एक्सटेंशन, कालोनी महरौली, दिल्ली-68
107.	राजपुर खुर्द एक्सटेंशन, साउथ कालोनी/राजपुर एक्सटेंशन तहसील हौजखास, दिल्ली-68
108.	राजपुर खुर्द, बी-3 मैदानगढ़ी, दिल्ली-68
109.	राजपुर विहार एक्सटेंशन, महरौली दिल्ली-68
110.	राजू पार्क, सी ब्लाक, देवली गांव, दिल्ली-62
111.	राजू पार्क, सी-1 ब्लाक, खानपुर, दिल्ली-62
112.	रानी गार्डन एक्सटेंशन, शास्त्री नगर, दिल्ली-31
113.	रानी गार्डन (अम्बेडकर पार्क), शास्त्री नगर, दिल्ली-31
114.	शकरपुर एक्सटेंशन सतबाडी, महरौली
115.	सदुलजेब एक्सटेंशन, महरौली नई दिल्ली-68
116.	सदुलजेब एक्सटेंशन, पर्यावरण काम्पलेक्स, दिल्ली-30
117.	सदुलजेब एक्सटेंशन, नजदीक एमबी रोड
118.	सदुलजेब एक्सटेंशन, नई दिल्ली-30
119.	सैनिक फार्मस, वेस्टर्न एवेन्यू, नई दिल्ली
120.	संगम विहार, जी ब्लाक, नई दिल्ली-62
121.	संगम विहार, एल ब्लाक, नई दिल्ली-62
122.	संगम विहार, ए ब्लाक, नई दिल्ली-62
123.	संगम विहार, ब्लाक एम-2, नई दिल्ली-62
124.	संगम विहार, ब्लाक डी, नई दिल्ली-62
125.	संगम विहार, ब्लाक जी-1, नई दिल्ली-62
126.	संगम विहार, ब्लाक एच, नई दिल्ली-62
127.	संगम विहार, ब्लाक जे-2 बी, नई दिल्ली-62
128.	संगम विहार, ब्लाक एल-1 ए, नई दिल्ली-62
129.	संगम विहार, ब्लाक एल-1, नई दिल्ली-62
130.	संगम विहार, ब्लाक एलआईसी, नई दिल्ली-62

1	2
131.	संजय मोहल्ला (डी ब्लाक, भजनपुरा) दिल्ली-53
132.	एस ब्लाक (एलआीपी) पांडव नगर, दिल्ली-92
133.	स्कूल ब्लाक, अंचपुर, मंडावली फाजलपुर
134.	शास्त्री पार्क एक्सटेंशन, (बुलान मस्जिद), दिल्ली-53
135.	शिव पार्क, खानपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-62
136.	श्रीराम कालोनी, राजीव नगर, दिल्ली-94
137.	सोनिया विहार, शाहदरा, दिल्ली-94
138.	साउथ गणेश नगर, ए-27/497 बी, दिल्ली-92
139.	सुभाष मोहल्ला और सुभाष विहार (गली नं. 1-10) नार्थ घोंडा
140.	सुभाष मोहल्ला, नार्थ घोंडा, दिल्ली-53
141.	टिगरी एक्सटेंशन, अम्बेडकर नगर, सेक्टर-1, नई दिल्ली-62
142.	टिगरी एक्सटेंशन, फेज-2, नई दिल्ली-62
143.	उत्तरीय स्कूल ब्लाक, मंडावली फजलपुर एक्सटेंशन, दिल्ली-92
144.	पुल प्रहलादपुर, महरौली गांव, बदरपुर रोड, दिल्ली-19
145.	सदुलजेब गांव, इग्नु रोड, सदुलजेब, दिल्ली-30
146.	विनोद नगर (नार्थ ए ब्लाक), शाहदरा, दिल्ली-92
147.	न्यू विश्वास नगर, शाहादरा, दिल्ली-32
148.	घडोली एक्सटेंशन गांव, दिल्ली-96
149.	घडोली एक्सटेंशन, बी ब्लाक, राजबीर कालोनी, दिल्ली-96
150.	खजूरी कालोनी, ई एक्सटेंशन का बचा हुआ हिस्सा, ई ब्लाक, खजूरीखास, दिल्ली-94
151.	कोटला गांव, नजदीक मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-19
152.	सदूलजेब एक्सटेंशन, नई दिल्ली-30
153.	अनुपम इन्कलेव पार्ट-2, सदुलजेब एक्सटेंशन, नई दिल्ली-30
154.	कुतुब विहार, फेज-2, नजदीक तेजपुर गांव, नई दिल्ली
155.	ढाका जोहर, डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
156.	गौतम विहार कालोनी, नरेला, दिल्ली-40

विवरण II

अनधिकृत कालोनियों की सूची (विकास क्षेत्र के अंदर)

क्र.सं.	अनधिकृत कालोनी का नाम
1	2
1.	ए ब्लाक, जैतपुरा एक्सटेंशन, दिल्ली-44
2.	ए बी ब्लाक, हरी नगर एक्सटेंशन, पार्ट-2, बदरपुर
3.	ए बी ब्लाक, हरी नगर एक्सटेंशन, पार्ट-2, बदरपुर
4.	ए ब्लाक, मीठापुर एक्सटेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली-44
5.	आली एक्सटेंशन (ब्लाक ए एवं बी) नई दिल्ली-41
6.	अब्दुल फजल एंक्लेव, पार्ट-2, शाहीन बाग
7.	अब्दुल फजल एंक्लेव, पार्ट-2, ब्लाक जे एवं एच
8.	ए ब्लाक, मीठापुर एक्सटेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली-44
9.	अब्दुल फजल एंक्लेव (मेन), ब्लाक ए, बी, सी, डी, कालिंदी कुंज रोड, ओखला, नई दिल्ली-25
10.	अब्दुल फजल एंक्लेव, ब्लाक ई से एन, चिल्ला, नई दिल्ली-25
11.	अब्दुल फजल एंक्लेव, जामिया नगर पो.आ. सरिता विहार, नई दिल्ली-25
12.	आली विहार (ब्लाक ए, बी, सी, डी, ई, एफ एवं एच)
13.	अमन विहार, किराड़ी सुलेमान नगर, दिल्ली-41
14.	अम्बेडकर कालोनी, बाकनेर एक्सटेंशन, गांव बांकनेर, नरेला, दिल्ली-40
15.	अम्बिका एंक्लेव, ककरौला, उत्तम नगर, दिल्ली-43
16.	अंकुर विहार कालोनी, होलम्बी कलां
17.	बछ राज कालोनी, मीठापुर एक्सटेंशन, दिल्ली-44
18.	बदरपुर एक्सटेंशन, ब्लाक-सी एवं डी, नई दिल्ली-44
19.	बदरपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-44
20.	बदरपुर एक्सटेंशन, पाकेट-ए एवं बी, नई दिल्ली-44
21.	बदरपुर एक्सटेंशन, दिल्ली-42
22.	बेगम पुर एक्सटेंशन, राजीव नगर, दिल्ली-41
23.	बजाज एंक्लेव, ओल्ड पालम रोड, ककरौला, नई दिल्ली
24.	बांकनेर बस्ती, भारत पाना के नजदीक, नरेला, दिल्ली-40
25.	बस्ती बांकनेर (दक्षिण) कालोनी, लामपुर रोड, नरेला, दिल्ली-40
26.	बाटला हाऊस, ओखला
27.	बेगम पुर एक्सटेंशन, बेगम विहार ब्लाक-ए, बी, सी, डी, ई, दिल्ली-41
28.	बेगम पुर एक्सटेंशन, दिल्ली-41
29.	भगत सिंह पार्क एक्सटेंशन, सिरसपुर गांव, दिल्ली-42
30.	भारत विहार, ककरौला, नई दिल्ली-43
31.	भवानी कुंज, सेक्टर-डी-2, वसंत कुंज, नई दिल्ली-70
32.	भवानी कुंज, सेक्टर-डी-2, वसंत कुंज, नई दिल्ली-70
33.	भगत सिंह पार्क, सिरसपुर, दिल्ली-42
34.	ब्लाक सी, हरीजन बस्ती, घरौली एक्सटेंशन, दिल्ली-96
35.	ब्लाक डी, मीठापुर एक्सटेंशन, पार्ट-1, बदरपुर, दिल्ली-44
36.	ब्लाक ई-1, ई-2, ई-3, मोलड़ बंद एक्सटेंशन
37.	ब्लाक ई-3, मोलड़ बंद एक्सटेंशन, बदरपुर
38.	ब्लाक डी, हरी नगर एक्सटेंशन, जैतपुर, बदरपुर, दिल्ली-44
39.	बुद्ध विहार, फेस-2, नजदीक रोहिणी सैक्टर-24, दिल्ली-41
40.	बुद्ध विहार (ताजपुर बहराई), बदरपुर, दिल्ली-44
41.	बुद्ध विहार एक्सटेंशन, दिल्ली-41
42.	बुद्ध विहार, फेस-2 एक्सटेंशन, दिल्ली-41
43.	बुद्ध विहार कालोनी, दिल्ली

1	2
44.	बुद्ध विहार एक्सटेंशन, वीर सिंह कालोनी, दिल्ली-41
45.	सी ब्लाक, हरी नगर एक्सटेंशन, पार्ट-2, बदरपुर
46.	सी ब्लाक, न्यू अशोक नगर, दिल्ली-96
47.	सी ब्लाक, न्यू अशोक नगर, दिल्ली-96
48.	चंदन पार्क नजदीक सरस पुर, नरेला, दिल्ली-42
49.	चंद्रा पार्क, ओल्ड पालम रोड, दिल्ली-43
50.	सी-2 ब्लाक, न्यू अशोक नगर, दिल्ली-96
51.	डी ब्लाक, हरी नगर कालोनी, पार्ट, बदरपुर, नई दिल्ली-44
52.	डी ब्लाक, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-92
53.	डी ब्लाक, बदरपुर एक्सटेंशन, ताजपुर रोड, नई दिल्ली-44
54.	डी ब्लाक, न्यू अशोक नगर, दिल्ली-96
55.	प्रीत विहार दमशेली पूठ कलां पुर, प्रहलादपुर, दिल्ली-42
56.	ई ब्लाक, हरी नगर, पार्ट-2, बदरपुर
57.	ई-1 ब्लाक, मोलड़ बंद एक्सटेंशन, बदरपुर
58.	एकता विहार, मीठापुर एक्सटेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली
59.	एकता विहार, (ब्लाक ए, बी, सी), जैतपुर, बदरपुर
60.	एक्सटेंशन आबादी, गांव पूठ कलां, दिल्ली
61.	एक्सटेंशन राणा पार्क कालोनी, राणा पार्क, सिरस पुर, दिल्ली-42
62.	एफ-ब्लाक, यादव नगर, दिल्ली-42
63.	जी ब्लाक, मोलड़ बंद एक्सटेंशन, बदरपुर
64.	गगन विहार, मोलड़ बंद, सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, नई दिल्ली-44
65.	गंगा विहार, किलोकरी नजदीक कालिंदी कालोनी, दिल्ली-14
66.	गढ़वाल कालोनी, महरौली
67.	गढ़वाल कालोनी, वार्ड नं. 2, महरौली, नई दिल्ली-30
68.	गौतम कालोनी एक्सटेंशन, आर्या नगर, साफियाबाद रोड, नरेला-40
69.	गौतम विहार कालोनी, नरेला, दिल्ली-40
70.	जी ब्लाक, मोहन बाबा नगर, ताजपुर एक्सटेंशन, बदरपुर
71.	गोपाल विहार कालोनी, दिल्ली-41
72.	हरी नगर एक्सटेंशन, एच-ब्लाक, जैतपुर रोड, बदरपुर
73.	हरी नगर एक्सटेंशन, एच-ब्लाक, एलओपी जैतपुर रोड, दिल्ली
74.	हरी नगर एक्सटेंशन, जैतपुर ब्लाक डी-2, बदरपुर, दिल्ली-44
75.	हरी नगर एक्सटेंशन, पार्ट-2, ब्लाक एफ, बदरपुर, नई दिल्ली-44
76.	हरी नगर एक्सटेंशन, जैतपुर रोड, बदरपुर, दिल्ली-44
77.	हरी नगर एक्सटेंशन 2, ए-ब्लाक, जैतपुर रोड, बदरपुर
78.	हरी विहार ब्लाक-ए, बी, सी, मेन नजफगढ़ रोड, ककरौला गांव, नई दिल्ली-43
79.	हरीजन बस्ती एक्सटेंशन, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली-96
80.	हरीजन बस्ती सिरसपुर, खसरा नं. 971, पो.आ. समयपुर बादली, दिल्ली-42
81.	हर्षदेव पार्क, बुद्ध बिहार, फेज-2
82.	हर्ष विहार, हरी नगर पार्ट-3, ब्लाक-ए, बी, सी, डी, बदरपुर, दिल्ली-44
83.	हजारी पार्क, होलम्बी कलां, दिल्ली-82
84.	एच ब्लाक, जाकिर नगर, ओखला, दिल्ली-25
85.	जे ब्लाक, हरी नगर एक्सटेंशन, जैतपुर रोड, बदरपुर
86.	इस्लाम कालोनी, वार्ड नं. 6, महरौली, नई दिल्ली-30
87.	जगदम्बा कालोनी, आली विहार, बदरपुर

1	2
88.	जैन कालोनी (ननेश एंक्लेव), गांव बरवाला, बवाना रोड
89.	जैतपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-44, ब्लाक ई, एफ, जी, एच
90.	जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-1, महरौली, नई दिल्ली-44
91.	जैतपुर एक्सटेंशन, ब्लाक-1, बदरपुर, नई दिल्ली
92.	जैतपुर एक्सटेंशन, ई-1 ब्लाक, बदरपुर, नई दिल्ली
93.	जैतपुर एक्सटेंशन, बी ब्लाक, बदरपुर, नई दिल्ली
94.	जैतपुर एक्सटेंशन, पार्ट-2, बदरपुर, नई दिल्ली-44
95.	जसोला गांव, दिल्ली-25
96.	जीवन पार्क, सिरसपुर, नई दिल्ली-42
97.	जोगा बाई, जाकिर नगर (ओखला), नई दिल्ली-44
98.	के ब्लाक, जैतपुर एक्सटेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली-42
99.	कैलाश विहार, पन्साली, पोस्ट प्रहलाद पुर बांगर, दिल्ली-42
100.	कल्यानी विहार, राजीव नगर एक्सटेंशन, बेगम पुर
101.	के ब्लाक, सौरभ विहार, हरी नगर, जैतपुर, बदरपुर
102.	खेड़ा खुर्द एक्सटेंशन, दिल्ली
103.	कोंडली कालोनी, न्यू अशोक नगर, दिल्ली-96
104.	कृष्णा कालोनी, प्रहलाद विहार, रोहिणी
105.	कृष्णा विहार, पूठ कलां, 398/1071, दिल्ली-41
106.	कृष्ण ब्लाक, तीर्थान्कर नगर, जैन कालोनी, करावा, दिल्ली-81
107.	कुरेनी नाई बस्ती, नरेला, दिल्ली-40
108.	लद्दाख बुद्ध विहार कालोनी
109.	लखपत कालोनी पार्ट-1, मीठापुर एक्सटेंशन, बदरपुर
110.	लखपत कालोनी पार्ट-1, मीठापुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली
111.	एम ब्लाक, हरी नगर, सौरव विहार विस्तार, नई दिल्ली-44
112.	मदनपुर खादर एक्सटेंशन, पार्ट-1, 2 एवं 3, नई दिल्ली-76
113.	मदनपुर खादर एक्सटेंशन, दिल्ली-92
114.	मयूर विहार, आई पी एक्सटेंशन, दिल्ली-92
115.	मनवीर कालोनी, अलीपुर रोड, भोरगढ़, नरेला, दिल्ली-40
116.	महबूब नगर, जाकिर नगर, नई दिल्ली-25
117.	महिपालपुर एक्सटेंशन, ब्लाक-के, नई दिल्ली-37
118.	मांगे राम पार्क एक्सटेंशन, पूठ कलां, रोहिणी, दिल्ली-41
119.	मांगे राम पार्क, पूठ कलां, सेक्टर-23, रोहिणी
120.	मांगे राम पार्क एक्सटेंशन, बुद्ध विहार, फेज-2, दिल्ली-41
121.	मान एंक्लेव, खेड़ा खुर्द, दिल्ली-82
122.	ममूर पुर, कृष्णा नगर, सिंधु बार्डर, नरेला
123.	मीठापुर कालोनी, ब्लाक बी, स्कूल रोड, बदरपुर, नई दिल्ली-44
124.	मीठापुर एक्सटेंशन-1, ब्लाक ए, बी, सी, डी
125.	मीठापुर एक्सटेंशन, ए ब्लाक, बदरपुर, नई दिल्ली-44
126.	मीठापुर एक्सटेंशन, बदरपुर, दिल्ली-44
127.	मीठापुर एक्सटेंशन, पार्ट-3, नई दिल्ली-44
128.	मोहन बाबा नगर, बदरपुर, नई दिल्ली-44
129.	मोहन बाबा नगर, ताजपुर एक्सटेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली-44
130.	मोहन बाबा नगर, ताजपुर एक्सटेंशन, एफ ब्लाक, बदरपुर, नई दिल्ली-44
131.	मोलड़ बंद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-44
132.	मोलड़ बंद एक्सटेंशन, ब्लाक ई-2, बदरपुर
133.	मोलड़ बंद एक्सटेंशन, ब्लाक-एफ, दिल्ली-44
134.	मोलड़ बंद एक्सटेंशन, ई-1 ब्लाक, बद , दिल्ली-44

1	2
135.	मोलड़ बंद एक्सटेंशन, ब्लाक ई/3, पार्ट-2, बदरपुर, दिल्ली-44
136.	मोलड़ बंद एक्सटेंशन, ब्लाक ए, बी, सी, डी (गली नं. 1-25), बदरपुर
137.	एन ब्लाक, हरी नगर एक्सटेंशन, जैतपुर, बदरपुर, नई दिल्ली-44
138.	नाई बस्ती, बांकनेर, पश्चिम
139.	नन्द विहार, ककरौला, नई दिल्ली-45
140.	नवीन विहार, बेगमपुर बरवाला रोड, दिल्ली-41
141.	एन ब्लाक (अमर मार्किट), सौरभ विहार, हरी नगर एक्सटेंशन, बदरपुर
142.	न्यू अरूणा नगर कालोनी (मजनूं का टीला), दिल्ली-54
143.	न्यू अशोक नगर, ब्लाक सी-1, दिल्ली-96
144.	न्यू अशोक नगर, ब्लाक ई एवं ई डी (डी एवं ई), नई दिल्ली-96
145.	न्यू अशोक नगर, बी ब्लाक, दिल्ली-96
146.	न्यू अशोक नगर, ब्लाक बी-1, नई दिल्ली-96
147.	-वही-
148.	न्यू अशोक नगर, ब्लाक ए, दिल्ली-96
149.	न्यू अशोक नगर, सी ब्लाक, दिल्ली-96
150.	न्यू अशोक नगर, प्रीत विहार, दिल्ली-96
151.	नूर नगर एक्सटेंशन, जामिया नगर
152.	नूर नगर एक्सटेंशन, फेज-1, जामिया नगर, नई दिल्ली-25
153.	ओखला विहार तथा एक्सटेंशन, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली
154.	ओखला विहार, जामिया नगर, नई दिल्ली-25
155.	ओम नगर, ब्लाक-ए, बी, सी, डी एवं ई, बदरपुर, नई दिल्ली-44

1	2
156.	पटेल गार्डन एक्सटेंशन, ब्लाक-सी, डी, ई, नजफगढ़ रोड, ककरौला मोड़, नई दिल्ली-59
157.	पटेल गार्डन, ककरौला मोड़, दिल्ली-59
158.	पाल कालोनी, उत्तरी रिठाला, दिल्ली-85
159.	पाल कालोनी, उत्तरी रिठाला, रोहिणी, दिल्ली-85
160.	पूठ कलां आबादी 1980, दिल्ली-41
161.	पीर बाबा बस्ती, गांव जैतपुर, बदरपुर, नई दिल्ली-44
162.	पूठ कलां एक्सटेंशन, पूठ कलां, दिल्ली-41
163.	प्रहलाद विहार, फेज-2, शाहबाद डेरी, बवाना, दिल्ली
164.	प्रहलाद विहार, गुप्ता कालोनी, बवाना
165.	प्रहलाद विहार, पप्पू कालोनी, ब्लाक ए एवं बी, बवाना
166.	प्रेम कालोनी, बवाना रोड, नरेला, दिल्ली-40
167.	प्रहलाद विहार, नजदीक सेक्टर-25, रोहिणी
168.	प्रिंस कालोनी, हरी नगर एक्सटेंशन, पार्ट-3, ब्लाक-डी, ई एवं एफ, बदरपुर, नई दिल्ली-44
169.	आर ब्लाक, सौरव विहार, हरी नगर एक्सटेंशन, पार्ट-1, बदरपुर
170.	राजीव नगर एक्सटेंशन, बेगमपुर, दिल्ली
171.	राजीव कालोनी एक्सटेंशन, प्याऊ मनियारी रोड, नरेला, दिल्ली-40
172.	राजीव नगर एक्सटेंशन, बेगमपुर, दिल्ली-41
173.	राजीव कालोनी, नरेला, दिल्ली-40
174.	राजीव नगर, बेगमपुर, फेज-2, दिल्ली-41
175.	राजीव नगर एक्सटेंशन, बेगमपुर, दिल्ली-41
176.	राजीव नगर एक्सटेंशन, धीरज विहार, गांव करावला, दिल्ली-96
177.	राजीव नगर पार्ट-3, दिल्ली-41
178.	रजनी विहार, बेगमपुर एक्सटेंशन, बरवाला रोड, दिल्ली-41

1	2
179.	राजू एन्कलेव, ओल्ड पालम रोड, ककरौला
180.	राजू एक्सटेंशन, ओल्ड पालम रोड, ककरौला, दिल्ली-43
181.	राणा पार्क, सिरसपुर, दिल्ली-42
182.	रिठाला एक्सटेंशन, गांव पो.आ. रिठाला, दिल्ली-84
183.	सत नगर, मीठापुर एक्सटेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली
184.	संजय कालोनी, नजदीक सब्जी मंडी, आर्य समाज रोड, दिल्ली-40
185.	संजय कालोनी, एस-235, साफियाबाद रोड, नरेला, दिल्ली-40
186.	सप्तऋषि गार्डन कालोनी, दिल्ली-41
187.	सपेरा बस्ती, गांव घरोली, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली-96
188.	सौरव विहार, ब्लाक-ओ, हरी नगर एक्सटेंशन-2, बदरपुर, दिल्ली-44
189.	स्वतंत्र नगर, एक्सटेंशन पश्चिमी घोण्डा रोड, नरेला, दिल्ली-40
190.	एस-ब्लाक, सौरभ विहार, हरी नगर एक्सटेंशन, जैतपुर, बदरपुर
191.	सेवा नगर, जी-ब्लाक, मोलड़ बंद एक्सटेंशन, बदरपुर
192.	शक्ति एंक्लेव, किलोकरी, नजदीक कालिंदी कालोनी, नई दिल्ली
193.	शक्ति विहार, ए-ब्लाक, बदरपुर, नई दिल्ली
194.	शिव पार्क, ककरौला, ओल्ड पालम रोड, दिल्ली
195.	शांति कुंज (मेन) माल रोड, नजदीक चर्च, वसंत कुंज, दिल्ली
196.	शांति कुंज (वसंत कुंज), दिल्ली-70
197.	शांति कुंज, सैक्टर-डी, पाकेट-3 और 4 के पीछे वसंत कुंज
198.	शिव पार्क, ककरौला, ओल्ड पालम रोड, दिल्ली
199.	शिव पुरी, मोठापुर एक्सटेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली-44

1	2
200.	शिव विहार, शाहबाद, दौलतपुर, दिल्ली-42
201.	शिव पुरी, नजदीक बादली रेलवे स्टेशन, दिल्ली-42
202.	श्याम कुंज कालोनी, टिकरी खुर्द, दिल्ली-40
203.	श्याम विहार, ककरौला, नजदीक सैक्टर-14, द्वारका, नजफगढ़, नई दिल्ली-43
204.	श्री एंक्लेव, पंसाली, रोहिणी, दिल्ली-42
205.	-वही-
206.	सैन्ट जान चर्च कालोनी, महरौली, नई दिल्ली-30
207.	सुदर्शन पार्क, बदरपुर
208.	सुखबीर नगर, गांव करावला स्थित, कुतुबगढ़ रोड, दिल्ली-81
209.	सूरज पार्क, समयपुर, नजदीक सैक्टर-18, रोहिणी
210.	सूरज पार्क कालोनी, बी-3, बादली इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-42
211.	स्वतंत्र नगर, फेज-2 (छूटा हुआ हिस्सा), नरेला
212.	ताजपुर पहाड़ी, बदरपुर, नई दिल्ली-44
213.	टीचर्स कालोनी, समयपुर गांव, दिल्ली-42
214.	तीर्थान्कर नगर, जे.एन. कालोनी, करावला, दिल्ली-81
215.	तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-19
216.	उत्सव विहार, करावला, दिल्ली-81
217.	उत्सव विहार, ब्लाक-ए-3, करावला गांव, नई दिल्ली-81
218.	वसंत कुंज एंक्लेव, हाऊसिंग वेल्फेयर सोसायटी (रजि.), नई दिल्ली-70
219.	वसंत कुंज एंक्लेव, बी-ब्लाक, मलिकापुर कोही, गांव रंगपुरी
220.	वासु विहार कालोनी, होलम्बी कलां
221.	विजय विहार, फेज-1, रिठाला के समीप
222.	विजय विहार, फेज-2, (रिठाला) रोहिणी सैक्टर-4 के समीप, दिल्ली-85

1	2
223.	विकास विहार, ककरौला के समीप, उत्तम नगर, नजफगढ़, दिल्ली-43
224.	गांव गाजीपुर, कल्याण पुरी, नई दिल्ली-95
225.	गांव घरोली एक्सटेंशन, ब्लाक-ए, हरीजन बस्ती, दिल्ली-96
226.	पश्चिमी विनोद नगर, ब्लाक-ई, दिल्ली-92
227.	जाकिर नगर, ब्लाक-एच, दिल्ली-25
228.	जाकिर नगर, ब्लाक-एच, दिल्ली-25
229.	मोलड़ बंद, न्यू एक्सटेंशन, जी-ब्लाक, बदरपुर, दिल्ली-44
230.	अम्बे गार्डन, लिबासपुर, दिल्ली-42
231.	स्वतंत्र नगर, छूटा हुआ हिस्सा, बवाना रोड, नरेला, दिल्ली

दूरसंचार क्षेत्र से सेवा कर

3732. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र सेवा कर के माध्यम से सरकार के खजाने के लिए अधिक राजस्व अर्जित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस क्षेत्र द्वारा सेवा कर के माध्यम से कितनी धनराशि अर्जित की गई है;

(घ) क्या सरकार को दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से और अधिक राहत देने की मांग प्राप्त हुई है ताकि देश को "इलेक्ट्रानिक हब" बनाया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दिए गए विभिन्न लाभों/प्रस्तावित लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004-05, 2005-06 और अप्रैल, 2006 से फरवरी, 2007 के लिए दूरसंचार संबंधित कराधेय सेवाओं से संग्रहित सेवा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) दूर संचार उद्योग ने अनुरोध किया है कि उद्योग के लिए लागू विविध करों, प्रभारों और शुल्कों को एकीकृत किया जाना चाहिए और राजस्व पर एक ही शुल्क संग्रहित किया जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग से वर्तमान शुल्क ढांचे का अध्ययन करने और सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	कराधेय सेवा का नाम	राजस्व करोड़ रुपए में (अस्थाई)		
		2004-05	2005-06	2006-07 (फरवरी, 2007 तक)
1.	टेलीफोन	3934.36	4164.27	4715.84
2.	पेजर	3.41	7.47	1.65
3.	टेलीग्राफ	97.11	69.10	61.95
4.	टेलेक्स	3.76	10.01	19.38
5	फेक्सिमाईल	1.68	3.25	3.27
6.	लीज्ड सर्किट	135.06	149.92	162.46

स्रोत: प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक

[हिन्दी]

मेगा ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

3733. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मेगा ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों तथा स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर इन संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ग) इन विद्युत संयंत्रों की कब तक शुरूआत किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित/चालू किए जाने हेतु प्रस्तावित मेगा थर्मल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे, स्थान एवं चालू किए जाने की समय सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

11वीं योजना के दौरान निर्माणाधीन/स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित मेगा ताप विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	स्कीम का नाम	क्षेत्र	राज्य	ईंधन	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	चालू होने का कार्यक्रम	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कहलगांव एसटीपीएस स्टेज 2, एनटीपीसी लि. का फेज 1 और 2	केन्द्रीय	बिहार	कोयला	1500 (3×500)	यू 5-मार्च 2007 (चालू किया जा चुका है) यू 6-2007-08 यू 7-2007-08	निर्माणाधीन परियोजना
2.	सिपत एसटीपीएस, एनटीपीसी लि. का स्टेज-1	केन्द्रीय	छत्तीसगढ़	कोयला	1980 (3×660)	यू 1-2008-09 यू 2-2008-09 यू 3-2009-10	निर्माणाधीन परियोजना
3.	सिपत एसटीपीएस, एनटीपीसी लि. का स्टेज-2	केन्द्रीय	छत्तीसगढ़	कोयला	1000 (2×500)	यू 2-2007-08	निर्माणाधीन परियोजना
4.	बाढ़ एसटीपीएस, एनटीपीसी लि. का स्टेज-1	केन्द्रीय	बिहार	कोयला	1980 (3×660)	यू 1-2008-09 यू 2-2009-10 यू 3-2010-11	निर्माणाधीन परियोजना
5.	ओपी जिंदल एसटीपीपी (रायगढ़) मै. जिंदल पावर लि. का फेज-1 और 2	निजी	छत्तीसगढ़	कोयला	1000 (2×250+ 2×250)	यू-1, 2, 3 और 4-2007-08	निर्माणाधीन परियोजना

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	डीवीसी का दुर्गापुर स्टील	केन्द्रीय	पश्चिम बंगाल	कोयला	1000	यू 1-2010-11 यू 2-2010-11	निर्माण अभी शुरू होना है।
7.	डीवीसी का कोडरमा टीपीएस	केन्द्रीय	झारखंड	कोयला	1000	यू 1-2010-11 यू 2-2010-11	निर्माण अभी शुरू होना है।
8.	मै. टोरंट पावर जेनरेशन लि. का सुगेन गैस आधारित सीसीपीपी (अखाखोल)	निजी	गुजरात	कोयला	1128	ब्लाक 1-2007-08 ब्लाक 2-2007-08 ब्लाक 3-2007-08	निर्माणाधीन परियोजना
9.	एनटीपीसी लि. का सिम्हाद्री टीपीपी	केन्द्रीय	आंध्र प्रदेश	कोयला	2×500	यू 1-2010-11 यू 2-2010-11	निर्माणाधीन परियोजना
10.	एनटीपीसी लि. का बोंगाईगांव टीपीपी	केन्द्रीय	असम	कोयला	3×250	यू 1-2010-11 यू 2-2010-11 यू 3-2011-12	निर्माण अभी शुरू होना है।
11.	ससन यूएमपीपी	निजी	मध्य प्रदेश	कोयला	(6×660)	यू 1-2011-12	टैरिफ आधारित प्रतियोगितात्मक बिडिंग के द्वारा परियोजना
12.	नागार्जुन टीपीएस मै. नागार्जुन पावर कारपोरेशन लि.	निजी	कर्नाटक	कोयला	1015	यू 1 और 2-2009-10	निर्माणाधीन परियोजना
13.	नार्थ करनपुरा एसटीपीपी एनटीपीसी	केन्द्रीय	झारखंड	कोयला	1980	यू 1-2010-11 यू 2-2011-12 यू 3-2012-13	निर्माण अभी शुरू होना है।
14.	टीएनईबी और एनटीपीसी लि. का एन्नौर टीपीएस जेवी	केन्द्रीय	तमिलनाडु	कोयला	1000	यू 1-2010-11 यू 2-2010-11	निर्माण अभी शुरू होना है।
15.	हरियाणा व दिल्ली सरकार एवं एनटीपीसी का अरावली टीपीपी (झज्जर) जेवी	केन्द्रीय	हरियाणा	कोयला	1500	यू 1-2010-11 यू 2-2010-11 यू 3-2010-11	निर्माण अभी शुरू होना है।

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	बाढ़-2 एनटीपीसी	केन्द्रीय	बिहार	कोयला	2×660	यू 1-2011-12 यू 2-2011-12	निर्माण अभी शुरू होना है।
17.	मौदा एनटीपीसी	केन्द्रीय	महाराष्ट्र	कोयला	2×500	यू 1-2011-12 यू 2-2011-12	निर्माण अभी शुरू होना है।
				कुल	24113		

एसटीपीएस: सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एसटीपीपी: सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
टीपीएस: थर्मल पावर स्टेशन
सीसीपीपी: कम्बाइंड साइकल पावर प्रोजेक्ट
यूएमपीपी: अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट
जेवी: संयुक्त उपक्रम

बैंकों में धोखाधड़ी

3734. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की कोशिश को विफल करने हेतु किए गए निवारणात्मक और निषेधात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बैंकों में धोखाधड़ी को रोकने हेतु सुदृढ़ किये गये सतर्कता ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक में धोखाधड़ी निगरानी प्रकोष्ठ और बोर्ड की विशेष समिति की उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान बैंक धोखाधड़ी के कुल कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान धोखाधड़ी में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त थी और वसूल की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक अपने पर्यवेक्षी उत्तरदायित्व के भाग के रूप में समय-समय पर बैंकों को धोखाधड़ियों के प्रयत्नों को विफल बनाने के लिए निवारक एवं प्रतिबंधक उपाय करने का परामर्श देता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों को जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार और साथ ही उनकी आंतरिक नीतियों के अनुसार, बैंकों ने धोखाधड़ियों को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपायों में समवर्ती लेखा परीक्षा की प्रणाली की शुरूआत, निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा बैंकों में आंतरिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा, 1 करोड़ रुपए और इससे अधिक की रकमों की बड़ी मूल्य वाली धोखाधड़ियों की विशिष्ट निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति का गठन, स्टाफ के उत्तरदायित्व की जांच करना और धोखाधड़ियों में अंतर्ग्रस्त स्टाफ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करना तथा आवश्यकतानुसार पुलिस/सीबीआई के पास आपराधिक मामले दायर करना शामिल है।

(ख) प्रत्येक बैंक के पास अपने कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए अपने सेवा नियम और सतर्कता तंत्र हैं और आंतरिक जांच उसके प्रावधानों के अनुसार की जाती है। बैंकों ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ियों आदि के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई करने के लिए सतर्कता संगठन स्थापित किए हैं। सतर्कता संगठनों के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं, जो सामान्यतया महाप्रबंधक स्तर के होते हैं और इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों के अधिकारियों में से की जाती है। बाहरी मुख्य सतर्कता अधिकारी की प्रणाली बहुत संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के धोखाधड़ी निगरानी कक्ष को वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से 1 लाख रुपए और इससे अधिक राशि की अंतर्ग्रस्तता वाली धोखाधड़ियों के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। धोखाधड़ी निगरानी कक्ष द्वारा इस समय निपटाये जा रहे कार्य की प्रमुख मदों में लाख रुपए और

इससे अधिक की रकमों की अंतर्ग्रस्तता वाली धोखाधड़ियों की व्यक्तिगत निगरानी, धोखाधड़ियों में अंतर्ग्रस्त उधारकर्ताओं के विरुद्ध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सतर्कता संबंधी सूचना जारी करना, बैंकों को स्टाफ के उत्तरदायित्व की जांच करने और चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध स्टाफ पक्ष की कार्रवाई पूरी करने तथा सीबीआई/पुलिस के पास शिकायतें दायर करने का परामर्श देना शामिल है। धोखाधड़ी निगरानी कक्ष बैंकों को धोखाधड़ियों की कार्य-पद्धति की सूचना देते हुए परिपत्र भी जारी करता है ताकि वे उसी प्रकार की धोखाधड़ियों से बच सकें।

1 करोड़ रुपए और इससे अधिक की रकमों की बड़ी मूल्य वाली धोखाधड़ियों की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति गठित की गई है। यह समिति 1 करोड़ रुपए और इससे अधिक की सभी धोखाधड़ियों की निगरानी और समीक्षा करती है ताकि उन प्रणालीगत कमियों, यदि कोई हो, का पता लगाया जा सके, जिनकी वजह से धोखाधड़ियां करने में आसानी होती है और इन कमियों को दूर करने के लिए उपाय करती है। यह समिति सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति, वसूली की स्थिति, स्टाफ के उत्तरदायित्व की भी निगरानी करती है और धोखाधड़ियों के विरुद्ध निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए सुसंगत समझे जाने वाले अन्य उपाय करती है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2004, 2005 और 2006 में बैंक धोखाड़ियों की कुल संख्या, उनमें अंतर्ग्रस्त राशि और वसूल की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

बैंकों के प्रकार	2004			2005			2006		
	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	वसूल की गई राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	वसूल की गई राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	वसूल की गई राशि
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2520	451.04	138.35	2658	1134.39	127.78	2568	844.73	231.81
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	3368	124.82	17.83	6169	222.23	33.50	14432	322.07	76.94
विदेशी बैंक	3501	22.71	7.01	3547	29.29	4.46	4687	34.04	13.58
कुल	9389	598.57	163.19	12374	1385.91	165.72	21687	1200.84	322.32

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में रुग्ण उद्योग

3735. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक महाराष्ट्र में कितने रुग्ण उद्योग हैं;

(ख) क्या सरकार का महाराष्ट्र में इन रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु कोई वित्तीय पैकेज और प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अभी तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आईरबीआई) की विद्यमान आंकड़ा संग्रह प्रणाली में रुग्ण उद्योगों से संबंधित महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यवार सूचना नहीं रखी जाती।

(ख) और (ग) सरकार का किसी राज्य में रुग्ण उद्योगों के लिए कोई वित्तीय पैकेज नहीं है। तथापि, छोटे एवं मझौले उद्यमों को ऋण की प्रमात्रा बढ़ाने के लिए 10 अगस्त, 2005 को घोषित किया गया एक नीतिगत पैकेज है जिसके अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरूआती अवस्था में रुग्णता का पता लगाने और संभावित रूप से अर्थक्षम पाए गए रुग्ण लघु उद्योग एककों के पुनर्वास के लिए उपचारी उपाय करने के लिए समय-समय पर बैंकों को व्यापक मार्गनिर्देश जारी किए हैं। लघु उद्योग एककों के पुनर्वास संबंधी समन्वय की समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के संयोजन में प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय अंतर-संस्थागत समिति (एसएलआईआईसी) का गठन किया गया है।

लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क

3736. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लौह अयस्क के निर्यात पर लगाए गए उच्च निर्यात शुल्क से निर्यात प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) दिनांक 1.3.2007 से सभी प्रकार के लौह अयस्क के निर्यात पर 300 रु. प्रति मिट्रिक टन की दर से शुल्क लगाया गया है। मार्च, 2007 के दौरान लौह अयस्क का निर्यात कमोबेश अनुमान के अनुसार है। तथापि, ऐसी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी कि इस शुल्क से लौह अयस्क का निर्यात प्रभावित होगा या नहीं।

(ग) सरकार द्वारा कर मुद्दों पर निर्णय राजस्व प्रभाव, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता और संबंधित उद्योग के लाभ सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद सरकार आवश्यक समझने पर उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

आवास ऋण पर ब्याज दर

3737. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री आलोक कुमार मेहता:
डा. के. धनराजू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन लोगों पर इसके प्रभाव का आकलन किया है जिन्होंने 7 प्रतिशत की दर पर ऋण लिया था और 11 प्रतिशत की दर से भुगतान कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आवास ऋण और संपत्ति के एवज में लिए गए ऋण पर ब्याज दरों को कम करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान आवास ऋण पर ब्याज दरों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने समष्टि आर्थिक एवं मौद्रिक/चलनिधि स्थितियां तथा इसके साथ-साथ ऋण वृद्धि और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर मौजूदा ऊर्ध्वमुखी दबाव को सामान्य करने की आवश्यकता के आधार पर हाल ही में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि की है और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो रेट निर्धारित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 मार्च, 2007 को सीआरआर में 50 आधार बिन्दु की वृद्धि की घोषणा की जो 14 अप्रैल, 2007 एवं 28 अप्रैल, 2007 से प्रारम्भ पखवाड़े में प्रत्येक के लिए 25 आधार बिन्दु प्रभावी होगी। मार्च, 2007 में की गई घोषणा के अनुसार अनुसूचित बैंकों को 28 अप्रैल, 2007 से प्रारम्भ पखवाड़े से 6.5% सीआरआर बनाए रखना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी, 2007 से तत्काल प्रभाव से एलएएफ के अतंर्गत निर्धारित रेपो रेट में 25 आधार बिन्दु की वृद्धि कर इसे 7.25% से 7.50% करने का निर्णय भी किया था।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक के निर्धारण के अनुसार, ब्याज के 7% से बढ़कर 11% होने से 15 वर्ष की अवधि के ऋण के लिए प्रतिमाह किश्त में 238 रुपये प्रति लाख की वृद्धि हुई है। आवास ऋण सहित बैंक ऋणों पर ब्याज दर को अविनियमित किया गया है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे आवास ऋण पर ब्याज दरें वर्तमान दर पर नियंत्रित करें बशर्ते बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो को पुन: संतुलित करने की स्थिति में हों।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्ष के दौरान आवास ऋण पर औसत ब्याज दर (अस्थायी) निम्नानुसार है:-

2004-05 %	2005-06 %	2006-07 %
7.00 से 8.75	7.25 से 9.25	7.25 से 11.50

देश में कार्यरत विदेशी बैंक

3738. **श्री के. सुब्बारायण:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितने निजी बैंक और विदेशी बैंक काम कर रहे हैं;

(ख) आज की तारीख तक प्रत्येक बैंक की बैंक-वार कुल जमाराशि और अग्रिम राशि कितनी है;

(ग) क्या निजी और विदेशी बैंक प्राथमिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार ऋण प्रदान कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) इस समय भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र के 24 बैंक और 29 विदेशी बैंक कार्यरत हैं।

(ख) दिसम्बर, 2006 के अंत की स्थिति के अनुसार गैर-सरकारी और विदेशी बैंकों की जमाराशियों और अग्रिमों का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) अलग-अलग समूहों के रूप में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों ने मार्च 2006 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र उधार के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। गैर-सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में से 18 ने 40% के समग्र लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और 1 बैंक ने कृषि के लिए निवल बैंक ऋण के 18% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 29 विदेशी बैंकों में से 25 बैंकों ने मार्च 2006 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 32% का समग्र लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग और निर्यात क्षेत्र को उधार संबंधी 10% और 12% के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले विदेशी बैंकों की संख्या क्रमश: 20 और 26 है।

विवरण

गैर-सरकारी और विदेशी बैंकों की जमाराशियां एवं अग्रिम—दिसम्बर 2006 की समाप्ति की स्थिति के अनुसार

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	कुल जमा	कुल सकल अग्रिम
1	2	3	4
1.	सेंचुरियन बैंक आफ पंजाब लि.	12531	9667
2.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	3692	2398
3.	एचडीएफसी बैंक लि.	66749	48453
4.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	187757	153915
5.	इंडसइंड बैंक लि.	15942	11346
6.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	9951	9553
7.	यूटीआई बैंक लि.	50675	31735
8.	यस बैंक लि.	5461	4800
9.	बैंक आफ राजस्थान लि.	8892	4833
10.	*भारत ओवरसीज बैंक लि.	2660	1686
11.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	4617	3036
12.	सिटी यूनियन बैंक लि.	4076	2875

1	2	3	4
13.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2816	1809
14.	फेडरल बैंक लि.	18566	14065
15.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	14380	10831
16.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.	20296	14374
17.	कर्नाटक बैंक लि.	13620	9011
18.	करूर वैश्य बैंक लि.	8957	6885
19.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	4687	3475
20.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	1904	1217
21.	नैनीताल बैंक लि.	1264	679
22.	रत्नाकर बैंक लि.	779	523
23.	एसबीआई कामर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	368	281
24.	**सांगली बैंक लि.	1290	260
25.	साऊथ इंडियन बैंक लि.	10925	7526
26.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	5276	3568
	कुल (गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक-26)	478131	358800
27.	एबीएन आमरो बैंक एनवी	18098	16896
28.	आबू धाबी कामर्शियल बैंक लि.	525	229
29.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	2762	1596
30.	एंटवर्प डायमंड बैंक एनवी	52	357
31.	अरब बंगलादेश बैंक	37	38
32.	बीएनपी परिबास	1995	2290
33.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	25	6
34.	बैंक आफ अमेरिका एनटी एंड एसए	2151	3008
35.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	337	263
36.	बैंक आफ सिलोन	83	70
37.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	2198	3177
38.	बारक्लेस बैंक पीएलसी	854	243

1	2	3	4
39.	कल्योन बैंक	311	1171
40.	चाइना ट्रस्ट कामर्शियल बैंक	72	123
41.	सिटीबैंक एनए	35251	28409
42.	ड्यूट्स बैंक (एशिया)	5820	5023
43.	डेवलपमेंट बैंक आफ सिंगापुर लि.	2264	923
44.	हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	36085	21778
45.	जेपी मोरगन चेस बैंक, नेशनल एसोसिएशन	1834	566
46.	क्रुंग थाई बैंक पीसीएल	53	9
47.	मशरेक बैंक पीएससी	44	42
48.	मिजुहो कार्पोरेट बैंक लि.	223	554
49.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	205	153
50.	शिन्हन बैंक	102	110
51.	सोसाइटी जनरल	527	346
52.	सोनाली बैंक	26	4
53.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	30414	26363
54.	स्टेट बैंक आफ मारीशस लि.	198	221
55.	दि बैंक आफ टोक्यो-मित्सुबिशी यूएफजी लि.	1177	1367
	कुल (विदेशी बैंक-29)	143723	115335

*दिनांक 2.04.07 को भारत ओवरसीज बैंक का समामेलन इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ हुआ है।

**दिनांक 19.04.07 को सांगली बैंक लि. का समामेलन आईसीआईसीआई बैंक के साथ हुआ है।

स्रोत: स्थलेतर विवरणियों (घरेलू, अलेखापरीक्षित और अनंतिम)।

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड का पुनरुद्धार

3739. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मैसर्स हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड का पुनरुद्धार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के प्रमुख कार्यक्षेत्र अर्थात निर्माण के क्षेत्र में उसकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने तथा उसके पास उपलब्ध मानवशक्ति का किफायती ढंग से उपयोग करने के लिए उसके कार्यकलापों में विविधता लाने के उद्देश्य से मेसर्स हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) के साथ दिनांक 23 मार्च, 2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

(ग) और (घ) सरकार ने सिद्धांततः एचपीएल के पुनरुद्धार का निर्णय किया है तथा समझौता ज्ञापन उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।

भारत में भ्रष्टाचार

3740. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पालीटिकल एंड इकानामिक रिस्क कंसलटेन्सी ने अपनी वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भारत को भ्रष्ट एशियाई देशों में नौवां स्थान दिया है जैसा कि दिनांक 3 मार्च, 2007 के 'मिन्ट न्यूज़पेपर' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रिपोर्ट पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार के पास इस विषय से संबंधित कोई आंकड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को कम/समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) से (च) 'मिन्ट वाल स्ट्रीट जर्नल' ने पोलिटिकल एण्ड इकानामिक रिस्क कन्सलटेन्सी लि. नामक एक अभिकरण द्वारा प्रकाशित 'करप्शन इन एशिया' शीर्षक से एक अध्ययन के निष्कर्षों के कुछ अंश 14 मार्च, 2007 को प्रकाशित एक लेख में उद्धृत किए हैं। यह रिपोर्ट आज की तारीख में इन्टरनेट पर सबके लिए उपलब्ध है। इस तरह यह रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा तैयार नहीं करवाई गई है और यह उक्त अभिकरण के विचार और राय को प्रतिबिम्बित करती है।

सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने की जरूरत के प्रति पूरी तरह जागरूक है और यह 'भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त न करने' की नीति का कारगर तरीके से अनुसरण कर रही है। भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और प्रशासनिक कार्यकरण में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इस संबंध में किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन, व्हिसल ब्लोअर प्रस्ताव, 2004 की अधिसूचना, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 का अधिनियमन, निविदा देने एवं संविदा करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में सीवीसी द्वारा विस्तृत निर्देश जारी करना, नागरिक चार्टर शुरू किया जाना, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों का सरलीकरण, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मजबूत बनाना ताकि वह भ्रष्टाचार विरोधी कार्य का निर्वाह कर सके और इस कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना।

[हिन्दी]

कर बंटवारा सूत्र में सुधार

3741. श्री काशीराम राणा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र और राज्यों के बीच के कर बंटवारा सूत्र में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तेरहवें वित्त आयोग को भी गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्षों की समाप्ति पर अथवा, इस समयावधि से पहले, जब भी वे आवश्यक समझें, वित्त आयोग का गठन करेंगे। संघ के करों की निवल आय जिसे संघ तथा राज्यों के बीच विभाजित किया जाना है, अथवा किया जा सकता है, के बंटवारे तथा ऐसी आय का राज्यों के बीच अपने-अपने भाग के आबंटन के बारे में राष्ट्रपति को संस्तुति करना आयोग का कर्त्तव्य होगा। अतः बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में केन्द्र तथा राज्यों के बीच कर बंटवारा सूत्र 2005-2010 की पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू है।

(ग) और (घ) बारहवें वित्त आयोग का गठन 1 नवंबर, 2002 को हुआ था। तदनुसार, संवैधानिक प्रावधानों तथा वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 के अनुरूप में 13वें वित्त आयोग का गठन प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

लघु बचतों से जमा धनराशि

3742. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अंतर्गत लघु बचतों से जमा होने वाली धनराशि में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्तियों और इसमें आई कमी का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान डाकघरों तथा बैंकों में लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत निवल संग्रहण वर्ष 2004-05 में 1,77,730 करोड़ रुपए, 2005-06 में 2,00,148 करोड़ रुपए और 2006-07 (अप्रैल, 2006 से फरवरी, 2007) में 1,56,756 करोड़ रुपए रहा है। निवल संग्रहण (वापसी अदायगियों को घटाकर निवल संग्रहण) वर्ष 2004-05 के दौरान 96,788 करोड़ रुपए, 2005-06 के दौरान 85,086 करोड़ रुपए और 2006-07 (अप्रैल 2006 से फरवरी, 2007) के दौरान 45,191 करोड़ रुपए रहा है। संग्रहणों में कमी का कारण अन्य बातों के साथ-साथ निवेशकों द्वारा वैकल्पिक उपायों को तरजीह देना है।

(ग) भारत सरकार द्वारा प्रशासित विभिन्न मियादी तथा ब्याज दर की लघु बचत योजनाएं इन बचत योजनाओं में निवेश करने वाले सभी लोगों को सुरक्षित तथा आकर्षक निवेश का विकल्प प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें समय-समय पर प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से तथा संगोष्ठियां और बैठकें आयोजित कर तथा इन योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियां जुटाने में लगी विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान कर लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन तथा लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न उपाय करती हैं। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत संस्थान ने एक वेबसाइट भी प्रारंभ की है ताकि लघु बचतों से संबंधित सूचना के व्यापक प्रसार के जरिए आम लोगों से पारस्परिक विचार-विमर्श करना और आन-लाइन पंजीकरण तथा निवेशकों के परिवादों का निपटान करना सुगम हो सके। वेबसाइट का पता nsiindia.gov.in है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

श्री सुशील कुमार शिंदे।

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 14 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(5)/2003-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली के अलावा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्य के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2007 जो 20 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 211(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6214/2007]

(2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6215/2007]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): मैं श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 31 दिसम्बर, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपदा निदेशालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप 5% विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत किये गये आबंटनों के वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा शहरी विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6216/2007]

(3) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत सहायक इंजीनियर (सिविल) तथा सहायक इंजीनियर (विद्युत), दिल्ली विकास प्राधिकरण, 2005 के भर्ती विनियम जो 10 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 10(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6217/2007]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6218/2007]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 2146 (अ) जो 22 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन 26 दिसम्बर, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक की अवधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी किये जाने वाले तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपये की राशि के बॉण्डों (तीन वर्षों के पश्चात् मोचनीय) को अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 28 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 301(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6219/2007]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ग) के अंतर्गत जारी आदेश, जो उक्त अधिनियम की धारा 54ढग से संबंधित हैं तथा जो दीर्घावधिक विनिर्दिष्ट परिसम्पत्ति के अंतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ प्रदान करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6220/2007]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): मैं राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 109(अ), जो 27 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 9 जनवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 9(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6221/2007]

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेम चंद गुप्ता): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत कंपनी सचिव (वृत्तिकों की जांच की प्रक्रिया तथा अन्य अवचार और आचरण संबंधी मामले) नियम, 2007, जो 28 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 111(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6222/2007]

(2) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिकों की जांच की प्रक्रिया तथा अन्य अवचार और आचरण संबंधी मामले) नियम, 2007, जो 28 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 112(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6223/2007]

(3) लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) लागत और संकर्म अकाउंटेंट (वृत्तिकों की जांच की प्रक्रिया तथा अन्य अवचार और आचरण संबंधी

मामले) नियम, 2007 जो 28 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 113(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) लागत और संकर्म अकाउंटेंट गुणवत्ता पुनरीक्षा बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006, जो 5 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 734(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6224/2007]

(4) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 227(अ), जो 22 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 17 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 709(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6225/2007]

(5) लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 224(अ) जो 22 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 27 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 734(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(दो) सा.का.नि. 226(अ) जो 22 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 17 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6226/2007]

(6) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 225(अ) जो 22 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनमें 17 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 708(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6227/2007]

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अंतर्गत 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में 50वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6228/2007]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2007 जो 12 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 193(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6229/2007]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं श्री एम.वी. राजशेखरन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दृष्टिकोण पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6230/2007]

(2) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6231/2007]

अपराह्न 12.02 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं 26 फरवरी, 2007 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् चौदहवीं लोक सभा के दसवें सत्र के पहले भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्टपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2007;

(2) विनियोग (रेल) विधेयक, 2007;

(3) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007;

(4) विनियोग विधेयक, 2007; और

(5) कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2007।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6232/2007]

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

लोक लेखा समिति

इकतालीसवां, तैंतालीसवां, चौवालीसवां और सैंतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): मैं लोक लेखा समिति (2006-2007) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) "लघु उद्योगों के लिए अभिप्रेत रियायत का बड़े विनिर्माताओं द्वारा लाभ उठाया जाना" के बारे में 41वां प्रतिवेदन।

(2) "सर्व शिक्षा अभियान" (एसएमए) के बारे में 43वां प्रतिवेदन।

(3) "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)" के बारे में लोक लेखा समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 7वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(4) "आयकर विभाग के पुनर्गठन के द्वारा कार्यकुशलता में सुधार की प्रस्थिति" के बारे में लोक लेखा समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 29वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(एक) उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) भारतीय खाद्य निगम-"भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के निर्यात के बारे में एक समीक्षा" संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन (की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन)।

(2) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2006 के प्रतिवेदन संख्या 9 (वाणिज्यिक) पर आधारित बी.एस.एन.एल. द्वारा प्रदत्त डब्ल्यूएलएल सेवाओं की कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में बीसवां प्रतिवेदन।

(दो) विवरण

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के तेल अन्वेषण-घरेलू और विदेशी परियोजनाएं विषय पर नौवें (की-गई-कार्रवाई) प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के की-गई-कार्रवाई विवरण के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): मैं "भारतीय रिजर्व बैंक-राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

जनजातियों को दी गई ऋण सुविधाएं'' विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बाईसवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03$^{3}/_{4}$ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): मैं आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोध के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

सत्ताइसवें से तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह): कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में अठाईसवां प्रतिवेदन;

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में उन्तीसवां प्रतिवेदन;

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में तीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04$^{1}/_{2}$ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

चालीसवें से छियालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में समिति के तीसवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चालीसवां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इकतालीसवां प्रतिवेदन।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बयालीसवां प्रतिवेदन।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में तैंतालीसवां प्रतिवेदन।

(5) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में चवालीसवां प्रतिवेदन।

(6) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में पैंतालीसवां प्रतिवेदन।

(7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में छियालीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 18—श्री गुरुदास कामत।

श्री गुरुदास कामत (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2006-07) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की मांगों के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(2) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की मांगों के बारे में बीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05$^{1}/_{4}$ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं:

(1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में अठारहवां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05$^{1}/_{2}$ बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2006-2007) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति का बीसवां प्रतिवेदन।

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05$^{3}/_{4}$ बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

तेईसवें से पच्चीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला और इस्पात संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का तेईसवां प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन।

(3) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ बावनवें से एक सौ चौरानवेवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 'स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग' की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति का 192वां प्रतिवेदन;

(2) 'उच्चतर शिक्षा विभाग' की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति का 193वां प्रतिवेदन; और

(3) 'महिला और बाल विकास मंत्रालय' की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति का 194वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

कंपनी कार्य मंत्रालय से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेम चंद गुप्ता):** माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73क के अनुसरण में मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति की 40वीं रिपोर्ट (14वीं लोक सभा) में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर अपना विवरण दे रहा हूं।

समिति द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट में कुल 16 सिफारिशें की गई जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई की आवश्यकता है। समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति इस विवरण के अनुलग्नक में दी गई हैं जिसे सदन के सभा पटल पर रखा गया है। मैं अनुलग्नक के सभी अंशों को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.08 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): अध्यक्ष महोदय, मैं शाम छह बजे अनुदानों की सभी मांगों को निपटाने के लिए कल, 28 अप्रैल, 2007 को बैठक करने हेतु सहमत होने पर आपका और सभा का आभारी हूं।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम वित्त विधेयक पर चर्चा करने के लिए दिनांक 30 अप्रैल, 2007 को बैठक कर रहे हैं। निस्संदेह, दिनांक 30 अप्रैल, 2007 को राज्य सभा की बैठक नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दिनांक 30 अप्रैल, 2007 को हमारी बैठक नहीं होगी। दूरदर्शन और समाचार पत्रों में आए समाचारों के कारण कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अत: हम 30 अप्रैल, 2007 को बैठक कर रहे हैं और उस दिन प्रश्न काल होगा और सभा वित्त विधेयक पर चर्चा भी करेगी। इस पर विभिन्न दलों के सभी नेताओं ने सहमति व्यक्त की है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. रतन सिंह अजनाला।

...(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, मैंने सूचना दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। यह तरीका सही नहीं है। आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते हैं। मैं आपका नाम बाद में पुकारूंगा। अब, डा. रतन सिंह अजनाला।

डा. रतन सिंह अजनाला (तरनतारन): अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का अवसर देने हेतु मैं आपका आभारी हूं। कल के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में एक समाचार था जिसका शीर्षक था 'टेररिस्ट टैग ऑन सरदार भगत सिंह एंड राजगुरु'। उड़ीसा में दसवीं कक्षा के छात्रों की सामाजिक अध्ययन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि सरदार भगत सिंह और राजगुरु आतंकवादी थे। इन्होंने देश की बहुत सेवा की है। बोर्ड द्वारा इनके बारे में ऐसा लिखना एक शर्म की बात है।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से यह सभा भी आपके साथ इस विषय में चिंतित है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आपने इस विषय को उठाया है। निसंदेह मुझे इस पुस्तक को पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया था। चूंकि आपने इस विषय को उठाया है इसलिए मेरे विचार से, सभा इसकी निंदा करेगी।

...(व्यवधान)

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6233/2007.

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, एन.सी.ई.आर.टी. किताबों में यह लिखा है, वहां से निकाल दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): उड़ीसा सरकार से कहिये कि वह ऐसी किताबों को कनफिसकेट करे *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री, कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे विवादास्पद मुद्दा मत बनाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री प्रभुनाथ सिंह।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): कांग्रेस के मुख्य सचेतक को इसका बचाव नहीं करना चाहिए। उन्हें व्यर्थ में उड़ीसा की राज्य सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस मुद्दे पर इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? आपको हर विषय पर इतना भावुक नहीं होना चाहिए। आप यहां सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं। परंतु वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि उन्हें यह समझना चाहिए कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही है। मेरी टिप्पणियां सभा के सभी वर्गों पर लागू होती हैं।

अपराह्न 12.10 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

पटना राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करते समय इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर 19.4.2007 को रेल कर्मचारियों द्वारा श्री प्रभुनाथ सिंह के परिजनों के साथ कथित दुर्व्यवहार

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं रेल में यात्रा कर रहे यात्रियों *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, मुझे आपके परिवार के सदस्यों के साथ पटना राजधानी एक्सप्रेस में रेल अधिकारियों द्वारा 19.4.2007 को कथित दुर्व्यवहार के बारे में आपके द्वारा भेजी गई शिकायत प्राप्त हुई है। मैंने इस मामले में रेल मंत्रालय से पहले ही तथ्यात्मक टिप्पणियां मांगी है और मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं इन टिप्पणियों को प्राप्त करने के बाद समुचित निर्णय लूंगा। इसलिए, आपका मामला पूरी तरह से विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम दो मिनट ब्रीफ करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि यात्रियों के विषय में तो अखबारों के माध्यम से हम बराबर सुनते रहते हैं, लेकिन 19.4.2007 को हमारी पत्नी दिल्ली से पटना राजधानी एक्सप्रैस से जा रही थीं। अध्यक्ष महोदय, हमें आपके यहां से एक दिशा-निर्देश मिला है जिसमें यह कहा गया है कि सदस्य के निवास स्थान से दिल्ली तक आने जाने के लिए प्रत्येक सत्र के दौरान एक बार तथा बजट सत्र के दौरान दो बार, लेकिन एक वर्ष में आठ बार से अनधिक यात्रा करने हेतु एक नि:शुल्क वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एक्जीक्यूटिव श्रेणी का रेल पास और यदि ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग वायुयान द्वारा किया जाता है तो विमान किराये के बराबर रकम का भुगतान संसद सदस्य प्राप्त करने का हकदार होगा। अध्यक्ष महोदय, जो आई. कार्ड हमारी पत्नी के नाम से लोक सभा सचिवालय द्वारा निर्गत किया गया है, उसमें भी इसको उद्धृत किया गया है। अध्यक्ष महोदय, 19.4.2007 को हमारी पत्नी आपके लिए हुए निर्देश के आलोक में प्रथम एसी में यात्रा कर रही थी और हमारे दो बच्चे एसी-2 में यात्रा कर रहे थे। इलाहाबाद में रात के लगभग 12.30 बजे ट्रेन को रोककर अचानक इस कूपे को खटखटाया गया और मीडिया के लोगों ने अचानक फोटो लेना शुरू कर दिया। हमारी पत्नी घबरा गई तो टीटी बच्चों को ए.सी.-2 से बुलाकर ले आए। बुलाकर लाने के बाद वहां इलाहाबाद के जो पदाधिकारी थे, उनको बच्चों ने हमारी पत्नी का आई. कार्ड दिखाया और कहा कि ये यात्रा करने के लिए आथराइज्ड हैं। उन्होंने कहा कि यह नियम बदल गया है। इसके बाद उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप इसमें कैसे आ गए। उन्होंने कहा कि हमें टीटी ने बुलाया है। टीटी को उन्होंने कहा कि आप लिखकर दीजिए कि बच्चे ए.सी. 1 में थे। टीटी ने लिखकर दिया कि हमने बच्चों को बुलाया है और बच्चे ए.सी. 2 में मौजूद थे। इसके बाद बच्चों और हमारी पत्नी को वहां जुर्माना किया गया और अपमानित किया गया। अध्यक्ष महोदय, कई बार सवाल उठते हैं तो हम विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहते हैं जिस पर आप अपनी

मजबूरी जाहिर करते हैं और कहते हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी पत्नी यात्रा कर रही थी आपके दिये हुए निर्देश के आलोक में।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैं इसकी जांच कर रहा हूं। रिपोर्ट आने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम आपकी इजाजत से यहां पर रखना चाहते हैं जो बच्चों का ए.सी.-2 का टिकट था। जब टीटी ने कहा कि हम बुलाकर लाए हैं तो टीटी को निलंबित किया गया, इसलिए कि क्यों उसने लिखकर दिया कि बच्चे ए.सी. 2 में यात्रा कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी भी मौजूद हैं। रेल मंत्री जी से हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम नहीं समझते हैं कि रेल मंत्री जी इससे प्रसन्न होंगे कि हमारी पत्नी और बच्चों को प्रताड़ित किया जाए। हम विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में जांच की आवश्यकता नहीं होती। आई. कार्ड आपका दिया हुआ है, यह जुर्माने की रसीद आपके सामने मौजूद हैं, ए.सी. 2 का टिकट आपके सामने मौजूद है। हम विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि रेल मंत्री जी मौजूद हैं और सदन को यह अवगत कराएं कि क्या इसी तरह होगा? क्योंकि आज यह घटना आपको प्रसन्न करने के लिए की गई यह समझकर कि आपसे हमारे अच्छ रिश्ते नहीं हैं या क्या कारण है कि एक कूपे की साढ़े बारह बजे रात में जांच की जाती है यदि ट्रेन के सभी कूपों की जांच की जाती तो हम समझते कि नॉर्मल जांच हो रही है, लेकिन एक कूपे की जांच करके हमारी पत्नी को अपमानित किया जा रहा है, हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तरफ आप सदन के सदस्यों को बराबर निर्देशित करते रहते हैं कि सदन की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। सदस्यों को अगर उत्पीड़ित किया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने रिपोर्ट मांगी है। आपको बता चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम आपसे स्पष्ट निवेदन करना चाहते हैं कि आप इसमें कठोर कदम उठाइए। ...*(व्यवधान)* आप इसमें अपनी शक्ति का उपयोग कीजिए। हम रेल मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर उन्हें सदन को अवगत कराना चाहिए और देश को बताना चाहिए, ताकि यह भ्रम न हो कि आप बदले की भावना से हमारे परिवार को प्रताड़ित करते हैं, यह हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। आप स्थिति को स्पष्ट कीजिए कि किस परिस्थिति में मेरे परिवार के साथ यह घटना घटी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने रिपोर्ट मांगी है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम ये सारे कागज आपकी इजाजत से सदन में रखना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप भेज दीजिए।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे बताया भी है और अखबार में भी हमने देखा है कि वहां रेलवे के अधिकारी, पदाधिकारी ने जांच की और उन्हें दस हजार रुपये का फाइन किया। हमें जानकारी मिली है, इसमें कोई बदले की भावना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि आरजेडी के एमपी श्री रघुनाथ झा जी, उनकी धर्म पत्नी, ये ही नहीं, कई हमारे एमपीज को रेल के टी.टी. और अधिकारियों ने रात के 12 बजे, शिबु सोरेन जी और उनकी पत्नी जा रही थीं, ये बातें आई थीं, इन बातों को छोड़ दीजिए। हमारे सास और ससुर जी को भी टी.टी. ने बिठा दिया था और वह सैकिंड क्लास का था। उन्होंने भी फाइन किया। प्रभुनाथ जी का यह कहना कि पोलिटिकल मतभेद की वजह से हम कुछ करवा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हमें मालूम ही नहीं था। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैंने यह नहीं कहा। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: महोदय, भ्रम नहीं रहना चाहिए, यथार्थ को जानना चाहिए। हम इसकी जांच जरूर करवा देंगे। मैंने आपसे भी आग्रह किया था कि नियम में परिवर्तन हो जाना चाहिए, सरकार उसके लिए भी पहल करेगी कि आए-दिन एमपी एवं मंत्रियों को, उत्तर प्रदेश के मंत्री जी के बारे में भी आपको याद होगा कि हमारी गाड़ी में बैठ गए थे। गाड़ी सब की है। हम इसकी जांच करा कर, दूध का दूध और पानी का पानी करा कर आपके सुपुर्द कर देंगे, आप उसे देख लीजिए। इसमें कोई दुर्भावना की मंशा किसी की नहीं है और हमें क्या पता है कि कौन एमपी साहब का परिवार कहां जा रहा है। हम किसी बैठे हुए व्यक्ति को पकड़वाते हों, यह काम हमारा नहीं है, कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं। जब हमारे सास-ससुर नहीं बचे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जांच जारी है। हम पहले ही निदेश दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, हम इसकी एक सप्ताह में इंक्वायरी करा कर आपके पास ला देंगे। अगर वह गलत होगा तो मैं उसे दंडित करूंगा। आपने पेमैंट कर दिया तो यह कोई अपराध की बात नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम विनम्रतापूर्वक आपसे कहते हैं कि लालू जी हर बात को मजाकिया लहजे से लेते हैं कि उनके सास-ससुर यात्रा कर रहे थे, उनके सास-ससुर बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें जुर्माना हुआ। हमारी पत्नी टिकट लेकर यात्रा कर रही थी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह चर्चा का विषय नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसे मजाकिया लहजे में नहीं लेना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे बोलने दीजिए। मैंने इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी है। मैंने इसे गंभीर विषय माना है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ दस हजार रुपए दे दिए। *...(व्यवधान)* अभी आप बोले कि दस हजार रुपये द दिय ता क्या हुआ। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया नहीं। यह इस तरह नहीं हो सकता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह, यह गंभीर विषय है। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैं पहले ही जांच के निर्देश दे चुका हूं। जब रिपोर्ट आएगी तो मैं इसकी जांच करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, वह तैयार नहीं है। अत:, आप दूसरे सदस्य का नाम पुकार सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप भूल गए हैं। तो आप इस दौरान तैयार रहें।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): नहीं, महोदय। मैं तैयार हूं।

धन्यवाद महोदय। मैं सरकार का ध्यान, सरकार द्वारा लिये गये कथित निर्णय, जिसके तहत सरकार जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने जा रही हैं, से उत्पन्न गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, आप जानते हैं कि जूट उद्योग हमारे पूर्वी भारत में एक प्रमुख उद्योग है और इस उद्योग से लगभग 40 लाख व्यक्ति हैं तथा लगभग दो लाख व्यक्ति जूट उद्योग में कार्यरत हैं। इस समय यह सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल उद्योग है। परंतु प्लास्टिक लॉबी के कारण जूट बैग के स्थान पर प्लास्टिक बैग लाने के लिए सरकार पर निरंतर दबाव रहता है। पूरे विश्व में, पर्यावरण अनुकूल निर्णयों को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है और इस मामले में आंदोलन जारी हैं। परन्तु, यहां, यदि सरकार इस अधिनियम को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने का निर्णय लेती है तो और इसके बाद जूट बैग के स्थान पर प्लास्टिक बैग लाती है तो यह जूट उद्योग और लाखों जूट उत्पादकों के लिए बुरा दिन होगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसा निर्णय न ले। पहले, ऐसे निर्णयों पर विचार किया गया था परंतु हमारी मांग और सरकार के हस्तक्षेप के कारण यह नहीं किया गया था। परंतु अब पुन: ऐसा समाचार है कि सरकार इस अधिनियम को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने पर विचार कर रही है। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जूट उद्योग, जूट उत्पादकों तथा जूट कामगारों के हित में और इसके पर्यावरण अनुकूल होने के कारण ऐसा निर्णय न ले।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली हाट में तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें एक अबू कासिम, पाकिस्तानी नागरिक है। लश्करे तैयबा के शफाकत और बशीर, डोडा जिले का आतंकवादी हैं। इनके पास से दो किलो आर.डी.एक्स., दो हैंड ग्रेनेड, तीन डिटोनेटर और एक टाइमर बरामद किया गया है। ये आतंकवादी पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंपों से पूरी ट्रेनिंग लेकर आए थे।

महोदय, दिल्ली पुलिस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, उसने इन सब बातों का खुलासा किया है और कहा है कि निशाने पर क्रांति की 150वीं साल गिरह का जश्न था। उन्होंने बताया है कि क्रांति की 150वीं साल गिरह के जश्न में खूनखराबा कराने के लिए विशेष आतंकवादी दस्ते तैयार किये गये। इन दस्तों में एक दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी और बंगलादेशी आतंकियों को दौराए आम और दौराए खास का प्रशिक्षण दिया गया है। इन्हें पूरा करने के लिए जम्मू-कश्मीर के आतंकवादियों को हथियारों की खेप पहुंचाने और दिल्ली में ठिकाने बनाने का जिम्मा सौंपा है। मिशन के लिए छः दस्ते बनाए गए हैं और किसी भी दस्ते को दूसरे की जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैट्रो रेल पर हमले की साजिश थी। उसे हमने नाकाम किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम जानते हैं कि हम यहां समाचार-पत्र पढ़कर नहीं सुनाते हैं। कृपया समाचार पत्र पढ़कर मत सुनाइए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं मुद्दे पर आ रहा हूं।

[हिन्दी]

दिल्ली में पिछले छः महीने में कम से कम 50 आतंकवादी गिरफ्तार किये गये हैं। इतना आर.डी.एक्स. और इतने डिटोनेटर पकड़े गए हैं, जो सारी दिल्ली को उड़ाने के लिए काफी हैं। दिल्ली ज्वालामुखी पर बैठी है, परन्तु सरकार को इस बारे में जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दे रही है। दिल्ली में स्ट्रैटेजिक पाइंट्स पर कैमरा लगाना तय हुआ था, लेकिन किसी भी ऐसे पाइंट पर कैमरा नहीं लगाया गया है। ...*(व्यवधान)*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): गुजरात में लोग मारे गये हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कल करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सिब्बल साहब कह रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में पहाड़गंज और सरोजनी नगर में 125 लोग मारे गये हैं। पुलिस ने उन्हें पकड़ा, यह बात तो ठीक है, परन्तु आतंकवादियों के प्रति इतनी नर्मी बरती जा रही है जिसके कारण आतंकवादियों का हौसला बढ़ता जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: गुजरात में फेक एनकाउंटर हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा यहां की जाएगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सिब्बल साहब, जो गुजरात की बात कह रहे हैं, आप उन्हें बताइए, मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं और आप कहेंगे कि यह भी फेक है। क्या आप इन्हें भी फेक बताएंगे? दिल्ली में पुलिस ने 12 आतंकवादियों को पकड़ा है. ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

दिल्ली में बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री सी.के. चन्द्रप्पन बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे प्रस्तुत किया है। आप जानते हो कल हम गृह मंत्रालय पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें अनुमति दी है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, हमने आपको बोलने के लिए एलाऊ किया।

[अनुवाद]

मैं उसके लिए मंजूरी नहीं दे रहा हूं। मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कल हम गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करेंगे। आप इसे कल पुन: उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय मंत्री जी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा को आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। यह सही नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं कह रहा हूं कि कल गृह मंत्रालय की मांगों पर वाद-विवाद होगा। आप कल पुन: इसे उठाना और इसका उत्तर प्राप्त करना।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, मैं आपसे सहयोग का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत सही ढंग से उठाया है।

[अनुवाद]

आप जानते हैं कि हम कल गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि इसे नोट कर लिया गया होगा। आप इसे कल उठाना।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बोला है, अब आप क्या बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं सभा का ध्यान केरल की एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तूफान और बिजली के कड़कने के साथ हुई बेमौसम वर्षा ने केरल और केरल के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों की जान ले ली हुआ। कम से कम तीन या चार जिलों में फसलें बर्बाद हो गई है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार जान-माल की हानि, फसलों की बर्बादी और मकानों की बर्बादी की जांच और आवश्यक व्यवस्था के लिए एक दल तत्काल वहां भेजे जिससे कि पुनर्वास और राहत कार्य युद्ध स्तर पर हो सके।

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): महोदय, यह रेलवे में हॉकरों की आम समस्या से संबंधित है। आप जानते हैं कि यह बहुत बड़ी समस्या है। देश के कई हिस्सों में, हॉकर रेलवे यात्रियों, विशेषकर जिन रेलगाड़ियों में रसोई यान नहीं होता है और यात्रियों को तीन से चार घंटों की यात्रा करनी पड़ती है, को सेवा प्रदान करते हैं। वे बच्चों को खाना, दूध और वृद्ध लोगों को पानी आदि

भी उपलब्ध करवाते हैं। अत: न केवल इन हॉकरों के आजीविका दृष्टिकोण से अपितु यात्रियों की सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी इनकी आवश्यकता है।

यात्रियों को प्लेटफार्म पर घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये हॉकर यात्रियों को कभी-कभी सुरक्षा भी प्रदान करते हैं क्योंकि पुलिस वालों के लिए स्टेशनों पर सभी प्लेटफार्मों पर गश्त लगाना सम्भव नहीं होता है। इसलिए, उन्हें अनुमति पत्र अथवा लाइसेंस दिये जाने का प्रश्न है और माननीय मंत्री जी भी इसके लिए तैयार थे। उन्होंने यह प्रस्ताव किया था कि पूर्व रेलवे के लिए एक पायलट परियोजना तैयार की जानी चाहिए किन्तु अब तक यह तैयार नहीं हो पाई है।

रेल अधिनियम में यह व्यवस्था है कि अनाधिकृत फेरी लगाना अथवा भीख मांगना वर्जित है। फेरी लगाने को अधिकृत तो किया जा सकता है किन्तु मुझे समझ में नहीं आता कि भीख मांगने को कैसे अधिकृत किया जा सकता है क्योंकि इस संबंध में कोई भी नीतिगत ढांचा नहीं है इसलिए इनको अधिकृत करने का प्रश्न ही नहीं है और इसलिए वे सब अनाधिकृत हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि एक समुचित नीति बनाई जानी चाहिए जिससे कि सुचारू ढंग से अधिकृत किया जा सके। इसकी अनुपस्थिति में, बहुत से लोगों, गरीब लोगों का दमन हो रहा है। दमन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसको रोकने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से और मानते हुए कि उनकी आजीविका का प्रश्न है तथा वे यात्रियों की सेवा कर रहे हैं को ध्यान में रखते हुए एक नीति बनाई जानी चाहिए ताकि इस अधिनियम को हॉकरो को अधिकृत करके, अनुमति पत्र देकर और लाइसेंस देकर सुचारू ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

इसी अनुरोध के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.सी. थामस। आप केवल एक ही मुद्दा उठा सकते हैं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय रेल मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। दक्षिण रेलवे में से जब एक नया मंडल बनाया गया तो इसके सीमांकन को लेकर बहुत होहल्ला हुआ था। जब नये मंडल का गठन हुआ तो 60 प्रतिशत मंडल, सेलम मंडल नामक नये मंडल में पड़ता था। माननीय रेल मंत्री ने, जिनसे मिले थे, हमें यह आश्वासन दिया था कि वे तमिलनाडु और केरल दोनों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करेंगे।

यद्यपि यह बैठक एक सप्ताह के भीतर होनी नियत थी फिर भी आश्वासन दिये जाने के तीन माह बीत जाने पर भी यह बैठक नहीं हो पाई है। सेलम मंडल का कार्य अभी भी चालू है और सीमांकन का कार्य-जिसे पुन: निर्धारित किया जाना था-अभी भी नहीं किया गया है। इस मंडल के प्रशासन से संबंधित कई समस्याएं हैं। वास्तव में, पालघाट मंडल जोकि दक्षिण रेलवे के सबसे पुराने मण्डलों में से एक है, को दो मंडलों में विभाजित कर दिया गया है तथा नये मंडल को मूल मंडल का 60 प्रतिशत हिस्सा मिल गया है। यह पूर्णत: अन्याय है जो कि इस मण्डल और केरल के साथ भी किया गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकतर कार्य पालघाट मंडल द्वारा किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: हमने पहले ही इस मुद्दे पर पूर्ण वाद-विवाद कर लिया है।

श्री पी.सी. थामस: इसीलिए, मैं आपके माध्यम से सभा में उपस्थित माननीय रेल मंत्री को इस मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर करने का अनुरोध करता हूं। यह बैठक कब बुलाई जायेगी उन्हें इसका आश्वासन देना चाहिए और इस मामले का समाधान कब होगा ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी यहां पहले ही उपस्थित हैं। इसलिए, मैं इस मामले पर प्रतिक्रिया देने का मंत्रीजी ने अनुरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे प्रश्न काल न बनाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: महोदय, कृपया मुझे इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको इसे उठाने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मंत्री जी यहां उपस्थित हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी भी मंत्री को बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, माननीय मंत्री जी को केरल राज्य से संबंधित इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: मैं आपसे उन्हें बाध्य करने का अनुरोध नहीं करता। केरल के सदस्य मंत्रीजी से इसके लिए अनुरोध करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यही समस्या है। आजकल पीठ को भी सुना नहीं जाता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ऐसी जल्दबाजी सही नहीं है। केरल के कई माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने श्री थामस का समर्थन किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह मामला महत्वपूर्ण है। अन्यथा, माननीय सदस्य इस मुद्दे को नहीं उठाते। मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: महोदय, माननीय मंत्री जी यहां पर हैं और वे इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए मंत्री जी से अनुरोध करते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस पर जोर मत डालिए। प्रतिक्रिया देना उनकी मर्जी है। मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

एडवोकेट सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, वे इस पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपके सुझाव के लिए धन्यवाद।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, यह अविलम्बनीय मुद्दा है *...(व्यवधान)* यह मुद्दा सम्पूर्ण केरल से संबंधित है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री राजनारायन बुधौलिया को अपना मुद्दा उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रतिक्रिया जाहिर करने का अनुरोध करते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, आपकी अपील पहले ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर ली गई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह पूरी तरह उन पर निर्भर है, मैं उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आप यह अच्छी तरह जानते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनारायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में इंटरनेशनल मेडिकल एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा एमबीबीएस की शिक्षा लेने गए हजारों छात्रों के साथ भारी धोखाधड़ी का मामला आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा। सितम्बर 2001 में एमबीबीएस छात्रों का प्रवेश भारी रकम लेकर यह कहकर दिया गया कि आपको यहीं से पूर्ण शिक्षा देकर एमबीबीएस की डिग्री दी जाएगी, जो कि मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया में रजिस्टर्ड होकर स्क्रीन टेस्ट देने हेतु मान्य होगी, लेकिन सितम्बर 2001 से वर्ष 2004 तक की शिक्षा गुंटूर में कराने के बाद, आगे की पढ़ाई हेतु छात्रों को दो वर्ष की शिक्षा के लिए तंजानिया भेज दिया गया। छात्रों ने जहां से कालेज प्रबंधन के द्वारा इंटरनेशनल मेडिकल एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश द्वारा 2004 तक जो पढ़ाई की है, वह उसका प्रमाण-पत्र छात्रों को जारी नहीं कर रहा है, जिसके कारण हजारों छात्रों का रजिस्ट्रेशन, मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, डाक्टर के रूप में नहीं कर रही है। इस वजह से सभी छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। यह भी संज्ञान में आया है कि उपरोक्त संस्थान अपने लाभ के लिए गुंटूर के इंटरनेशनल मेडिकल एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर कस्तूरी मेडिकल कालेज करा करके नये नाम से रजिस्ट्रेशन करा रही है।

महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि संपूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करा कर, दोषी कालेज प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही करके, एमबीबीएस की शिक्षा प्राप्त करने गए मेडिकल छात्रों का कालेज प्रबंधन द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करा कर, मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया को रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कराने के निर्देश दिए जाएं, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य खराब होने से बच सके। इस प्रकरण को कुछ छात्रों द्वारा हैदराबाद हाई कोर्ट में उठाये जाने पर हैदराबाद हाई कोर्ट ने छात्रों के हित में निर्णय भी दिया है, लेकिन एमसीआई सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले को उलझाना चाहती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में हजारों छात्रों को न्याय देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक राज्य के रायचुर जिले के मानवी तालुक में तीन दिन पहले संदीप नामक एक आठ वर्षीय बच्चा सूखे बोरवैल में गिर गया।

महोदय, परित्यक्त बोरवैल में बच्चों के गिरने की यह पहली घटना नहीं है जो कि पानी न होने पर खुले छोड़ दिये जाते हैं।

यह बोरवैल 40 फीट गहरा था और बचाव कार्य में 58 घंटे लगे। यद्यपि उन्होंने हत्ती स्वर्ण खदान के कामगार और मशीनरी मंगाई फिर भी वे बच्चे को नहीं बचा सके क्योंकि बच्चे को बचाने के लिए समानान्तर गड्ढा खोदते समय एक कठोर चट्टान आ गई थी। संदीप के पिता एक कुली हैं और दोनों टांगें खो चुके हैं। संदीप की मां कैंसर की रोगी है। संदीप का एक अन्य भाई है। संदीप अपने परिवार का एकमात्र चिराग था और वह लड़का लगभग 9 इंच व्यास के बोरवैल में गिर कर मर गया।

अध्यक्ष महोदय: इसमें केन्द्र सरकार को क्या करना है?

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश: क्योंकि सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण किसान बोरवैल खोदते हैं किंतु वे अज्ञानतावश विफल बोरवैल को बिना ढके छोड़ देते हैं। प्रशासन को विफल बोरवैल को बंद करने के लिए किसानों में जागरुकता पैदा करने के लिए सामने आना चाहिए। मृत्यु अवश्यंभावी है। किन्तु बच्चे की यंत्रणा देखिए। कुल नौ इंच व्यास में बिना खाने, प्रकाश और उपयुक्त हवा के अभाव में उस बच्चे की पीड़ा के बारे में सोचिए।

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरे देश को विचार करना होगा।

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश: हमें किसानों को पीड़ित किये बिना उन्हें शिक्षित करना चाहिए और हमें उनमें जागरूकता पैदा करनी चाहिए और ऐसे विफल बोरवैल को बंद करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मैं सभा का ध्यान राष्ट्रीय दैनिकों में समय-समय पर प्रकाशित कुछ समाचारों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिनमें कहा गया है कि सरकार ने बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति के संबंध कोई अध्ययन किये बिना देश में प्राकृतिक रबड़ के आयात का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। हम समझते हैं कि यह अध्ययन थाई सरकार के दबाव में लिया गया है। थाईलैंड के वाणिज्य मंत्री और हमारे वाणिज्य मंत्री के मध्य एक चर्चा हुई थी। इससे लगता है कि थाईलैंड सरकार हमें थाईलैंड से प्राकृतिक रबड़ आयात करने के लिए मजबूर कर रही है। उस मजबूरी के कारण ही सरकार ने देश में उत्पादन और मांग के संबंध में कोई अध्ययन कराए बिना ही देश में प्राकृतिक रबड़ के आयात का निर्णय लिया है। हम सरकार से देश में प्राकृतिक रबड़ का आयात न करने का आग्रह करते हैं। यदि सरकार द्वारा कोई निर्णय ले लिया गया है तो उसे रद्द किया जाए। देश में प्राकृतिक रबड़ का आयात नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री फ्रांसिस जार्ज इस मामले से संबद्ध होते हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की): महोदय, मैं एक और मामला उठाना चाहता हूं।

हाल ही में भारत सरकार ने देश में पाम ऑयल के आयात पर शुल्क में कटौती की घोषणा की। यह कटौती दस प्रतिशत की थी। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इससे नारियल की कीमतें प्रभावित होंगी। वित्त मंत्री ने इस कार्य को यह कहकर उचित ठहराया कि जहां तक खाद्य तेलों का संबंध है, उनकी मांग-आपूर्ति बेमेल है। चाहे जो भी हो, सरकार को देश में लाखों नारियल उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखना होगा और आयातित पाम ऑयल पर शुल्क में कटौती करने वाले निर्णय पर दोबारा विचार करना होगा।

मेरे सहयोगी श्री कृष्णदास ने प्राकृतिक रबड़ का मुद्दा उठाया। सरकार आसीयान राष्ट्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रही है। ऐसे लगता है कि थाईलैंड रबड़ के आयात पर जोर दे रहा है। थाईलैंड 28,33,000 टन रबड़ का उत्पादन करता है और उनकी आंतरिक खपत केवल 3,30,000 टन की है। जहां तक हमारे देश में प्राकृतिक रबड़ का संबंध है तो निश्चित तौर पर मांग आपूर्ति बेमेल नहीं है। हमारे पास 50,000 टन का अधिक स्टॉक है। अत: भारत में प्राकृतिक रबड़ के आयात की निश्चित तौर पर कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश में जहां तक नकदी फसलों का संबंध है, रबड़ एकमात्र उत्पाद है जिसे अच्छी कीमत मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय: यह पहले ही कहा जा चुका है। इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: यदि हमारे देश में थाईलैंड या अन्य किसी आसियान या सार्क राष्ट्रों से रबड़ का आयात किया जाता है, तो आयात करने या रबड़ के आयात पर शुल्क में कटौती या पाम ऑयल के आयात पर शुल्क में कटौती करने के इस निर्णय से केरल एवं अन्य दक्षिणी राज्य प्रभावित होंगे। मैं गंभीरतापूर्वक भारत सरकार से इसके बारे में दोबारा सोचने और रबड़ और नारियल उत्पादकों के हितों को संरक्षण करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री करुणाकरन, आप इससे स्वयं को संबद्ध कर सकते हैं।

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, मुझे कुछ और बात कहनी है जो कि इससे संबंधित नहीं है। भारत सरकार ने आजकल आयात

शुल्क को घटाने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर पहले ही विस्तृत चर्चा हो चुकी है। देश में किसानों की आत्महत्या का एक मुख्य कारण कीमतों में गिरावट रहा है। आयात शुल्क में कमी के परिणामस्वरूप न केवल देश के किसानों अपितु केरल के किसानों को विशेषकर कृषि क्षेत्र के साथ-साथ नकदी फसलों के क्षेत्र में मार पड़ रही है। मैं कच्चे पाम ऑयल की प्रतिशतता के बारे में बताना चाहूंगा जो कि 80 प्रतिशत थी, अब घटकर 50 प्रतिशत होने जा रही है। परिष्कृत पाम ऑयल की 90 से 60 प्रतिशत, चाय 100 से 50 प्रतिशत, कॉफी 100 से 50 प्रतिशत, काली मिर्च 70 से 50 प्रतिशत और रबड़ 25 से पांच प्रतिशत। इससे केरल के कृषि और नकदी फसल क्षेत्र वास्तव में प्रभावित होगा। अत: मैं भारत सरकार से बार-बार आयात शुल्क कम न करने का निर्णय लेने हेतु अनुरोध करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव। आप सब उन्हें देखिए और देखिए कि वह सभा में किस प्रकार पेश आते हैं। वे सूचना देते हैं, शांति से बैठते हैं। अध्यक्ष को लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते और बोलने का अवसर प्राप्त करते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जयपुर शहर में इस समय यातायात की समस्या बहुत गंभीर है। अब यह बात सत्य है कि इस सदन से यातायात की समस्या का कोई संबंध नहीं है। आज बैंक्स बड़े प्रेमपूर्वक, उदारतापूर्वक लोगों को धन दे रहे है। गाड़ी भी खड़ी रहती है कि चाभी भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में सुगम यातायात प्रथम चरण में 469 करोड़ रुपये की लागत से बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम बीआरटीएस परियोजना बनी है। जवाहर लाल नेहरू रेनूवल मिशन के तहत यह योजना बीआरटी के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी। इस योजना के तहत शहर में उच्च क्षमतायुक्त कम्प्यूटराइज्ड आधुनिक बसें राहगीरों को उनके गंतव्य तक पहुंचायेगी। इसके लिए शहर में 42 किलोमीटर लम्बा कारीडोर गवर्नमैंट होस्टल से एयरपोर्ट, अजमेर बाईपास-सीकर रोड से ट्रांसपोर्ट नगर वाया एमआई रोड, अमृतसर से अजमेर बाईपास तक निर्मित किया जायेगा। इसमें 75 जोन्स से 150 बस रूट्स निर्धारित किये गये हैं।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि यह योजना उनसे संबंधित है। राज्य सरकार ट्रैफिक को कंट्रोल करने के नाते प्रयास तो कर रही है, लेकिन मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि यह परियोजना जो जवाहर लाल नेहरू जी के नाम पर बनायी गयी है, उसको कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार भी कुछ रकम दे, तो यह योजना जल्दी सफल हो सकेगी। जयपुर में ट्रैफिक की समस्या जो गंभीर रूप धारण कर रही है, उस समस्या का भी समाधान हो सकेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और सरकार का ध्यान देश में, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में मुख्यत:केरल में एनसीईआरटी और सीबीएसई की पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

गत वर्ष भी, देश में पाठ्यपुस्तकों की कमी थी और मैंने इसे संसद में उठाया था। पिछले सप्ताह ही मुझे माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी से उत्तर प्राप्त हुआ कि सीबीएसई और एनसीईआरटी केरल में पाठ्यपुस्तकों की कमी के बारे में शिकायत से अवगत है, और वे यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आगामी वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों सहित सीबीएसई से संबद्ध किसी भी विद्यालय को इस कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किन्तु पिछले वर्ष की तुलना में स्थिति और खराब है। छठी, सातवीं और दसवीं कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन हुआ है। कक्षाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं किंतु इन कक्षाओं के लिए अभी तक पाठ्यपुस्तकें मुद्रित एवं प्रकाशित नहीं हुई है। यह बताया जाता है कि इन कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण अभी शुरू नहीं हुआ है। केरल में प्रकाशित पाठ्यपुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हैं। केरल के विद्यालयों के लिए उन्हें चेन्नई स्थित सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय से पाठ्यपुस्तकें लेनी पड़ती है। किन्तु जब विद्यालय के प्राधिकारियों ने केन्द्र से संपर्क किया, तो पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं थी। मुझे शक है कि सीबीएसई प्राधिकारियों की मिलीभगत से पाठ्यपुस्तकों की जमाखोरी हो रही है।

महोदय, मैं सरकार से माता-पिता, अध्यापकों और सीबीएसई विद्यालयों के छात्रों द्वारा उठाई गई शिकायतों पर ध्यान देने और विशेषकर केरल में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, राजस्थानी भाषा राजस्थान के लगभग 6 करोड़ निवासियों और लगभग अन्य 3 करोड़ लोग जो देश के अन्य राज्यों एवं विदेशों में रह रहे हैं, की मातृभाषा है। खेद का विषय है कि आजादी के 60 वर्षों बाद भी हम राजस्थानी लोग इस सदन में अपनी भाषा में नहीं बोल

सकते हैं। राजस्थान विधानसभा ने एक सर्वसम्मत संकल्प पारित करके इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन किया है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में बोली जाने वाली मेवाड़ी, ढुंढाणी, मारवाड़ी, मेवाती भाषा बोलने वालों को यह अधिकार मिले इसके लिए मैं सदन में प्रार्थना करता हूं। गत सत्र में सदन में इस विषय पर विधेयक लाने का आश्वासन माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने दिया था। मैं यहां बैठे हुए यूपीए के नेताओं और सदन के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी सत्र में राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल किये जाने के लिए विधेयक लाएं और उसे पारित कराकर, हमें अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दें।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): महोदय, पिछले कई सालों से देश की आयुध निर्माणियों में कर्मचारियों की भर्ती बन्द है और सेवानिवृत्ति का क्रम लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की संख्या में लगभग दस गुना वृद्धि हुई है जिसका परिणाम यह है कि वर्तमान में कुशल कर्मचारियों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत के आसपास कमी हो गयी है, जबकि इन्हीं निर्माणियों से अप्रेन्टिस किये हुए हजारों कुशल कारीगर जगह-जगह ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी निर्माणियों की सेवा करने में अपना जीवन लगाया, उनके आश्रित आज अनुकम्पा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या में हो रही कमी के कारण उतने ही समय में अधिक काम करने का मानसिक दबाव भी उन पर है। धीरे-धीरे इन सारे सुरक्षा संस्थानों का अस्तित्व समाप्त होता चला जा रहा है।

ऐसे में आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इन आयुध निर्माणियों की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता को देखते हुए, देशहित में इन्हें क्षमता के अनुसार पर्याप्त काम दिया जाए, कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाए, अप्रेन्टिस किये हुए बेरोजगारों को नौकरी पर लिया जाए और अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों को सरल करके कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान किया जाए ताकि कर्मचारियों की कमी के कारण रक्षा उत्पादन कार्य में आ रही समस्या को दूर किया जा सके और साथ ही विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के इस युग में सरकारी क्षेत्र की ये आयुध निर्माणियां रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन। केवल उन्हीं पहलुओं का उल्लेख करें जिनका संबंध केन्द्र सरकार से है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही गंभीर विषय इस सदन में उठाना चाहता हूं जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है। गुजरात प्रान्त के अहमदाबाद शहर में 26 नवंबर, 2005 को मध्य प्रदेश के रहने वाले सोहराबुद्दीन शेख को यह कहकर मार डाला गया कि वह आतंकी है और उसके संबंध लश्करे तैयबा से हैं। *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, कहा यह गया है कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की हत्या की साजिश कर रहा था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि वे उन विषयों पर बोलते हैं जो केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एक आदमी जिसका कोई आतंकी बैकग्राउण्ड नहीं है। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आतंकी बैकग्राउंड है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: क्या यह आपके कहने से हो जाएगा? गुजरात पुलिस की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वह आतंकी नहीं था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दे। उन्हें यह अधिकार है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, यह कोई अकेली घटना नहीं है, गुजरात में इस तरह की 21 घटनाएं हुई हैं। वहां के जो

डीआईजी इसके लिए जिम्मेदार है, जो तीन अधिकारी इसके लिए निलंबित किये गये हैं, उनमें से एक आदमी ने इस प्रकार के 10 से ज्यादा मर्डर किये हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे केन्द्र सरकार के अधिकारी हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट के लिए रुकिए। क्या यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): नन्दीग्राम में क्या हुआ उसके बारे में भी बताइए। नंदीग्राम में कितने लोगों को मार दिया गया, उसके बारे में भी कुछ बोलिए।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): तीन अधिकारी जेल में हैं, गुजरात के होम मिनिस्टर को भी जेल में जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मोहम्मद सलीम, कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रत्येक मुद्दे को विवादास्पद न बनाएं। वे किसी अधिकारी के संबंध में मामला उठा रहे है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, मैं केवल विनम्र निवेदन करना चाहता हूं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा जो माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा और गरिमा के प्रतिकूल हो।

अध्यक्ष महोदय, गम्भीर मामला यह है कि एक व्यक्ति जिसे आतंकी बताया गया, बाद में गुजरात पुलिस ने जांच करके कहा कि वह सख्स आतंकी नहीं था। ...*(व्यवधान)* वहां के गृह राज्य मंत्री भी इस षडयंत्र में शामिल हैं इसलिए मामला बहुत गम्भीर है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, ये लोग मुझे अपनी बात कहने से रोकना चाह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिए।

[अनुवाद]

आपका मामला कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: इस घटना की सीबीआई से जांच कराई जाए। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: इस पूरी घटना की सीबीआई से जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 1.50 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.51 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 1.50 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.55 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.55 बजे पुन: समवेत हुई।

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन* हुईं]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी।

(एक) मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादकों के लिए "पैदावार घटक" मानदंड शिथिल किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच तथा रतलाम जिलों में तथा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तथा

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

झालावाड़ आदि जिलों में जहां अफीम की काश्त बहुतायत में होती है, विगत दिनों असामयिक वर्षा होने तथा साथ ही तेज आंधी चलने के कारण अफीम की गाढ़ता में जो 55 डिग्री अपेक्षित है, उसमें स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक प्रकोप के कारण कमी आई है। जिसके बारे में सैकड़ों अफीम काश्तकारों द्वारा अफीम तोल केन्द्रों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई है। सभी अफीम उत्पादकों द्वारा अफीम उत्पादन का जो न्यूनतम मापदंड है उससे कहीं अधिक दिया गया है जो औसतन 60 से 62 किलोग्राम तक रहा है।

किन्तु उपरोक्त परिस्थितियों में अफीम काश्तकारों को आशंका है कि उनके लाइसेंसों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पूर्व में भी विगत 2 वर्षों में इसी प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई थी। वित्त मंत्रालय के नारकोटिक्स विभाग द्वारा इसमें शिथिलता भी दी गई थी।

मेरा वित्त मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस वर्ष भी उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, जैसाकि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा भी स्वीकार किया गया है तथा विभाग के अधिकारियों द्वारा स्वयं मौके पर जाकर कहीं-कहीं स्थिति का आकलन भी किया गया है, इसमें शिथिलता दिए जाने को उचित माना है, अत: अफीम काश्तकारों से ली जाने वाली अफीम की गाढ़ता में शिथिलता दिये जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें ताकि अफीम काश्तकार अप्रत्याशित हानि से बच सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी-उपस्थित नहीं।

(दो) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उन्हें राहत दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जालौन-गरौठा, उत्तर प्रदेश के तहसील उरई की ओर दिलाना चाहता हूं। तहसील उरई के ग्राम-जैसाटी खुर्द, बघौली और बम्होटी के किसान फसलें नष्ट होने के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। इन गांवों के आत्महत्या करने वाले सभी युवा किसान थे और इनकी सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। फसलें नष्ट होने पर प्रदेश सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जिसक कारण किसान निराश थे। इन किसानों के पास फसलें नष्ट होने के पश्चात् रोजीरोटी का कोई साधन नहीं था। यहां के किसानों ने फसलें नष्ट होने पर प्रदेश सरकार से सहायता मांगी थी लेकिन प्रदेश सरकार ने किसानों की मांगों की लगातार अनदेखी की है। अगर समय रहते प्रदेश सरकार कोई कदम उठाती तो किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उन्हें केन्द्र सरकार की ओर से उचित सहायता प्रदान की जाए क्योंकि इस क्षेत्र के किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं और किसान भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। इन्हें तुरंत केन्द्रीय सहायता दी जाए।

अपराह्न 2.00 बजे

(तीन) कोयले पर रायल्टी की दर निर्धारित करने के फार्मूले की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता

श्री कृष्णा मुरारी मोघे (खरगौन): सभापति महोदया, काफी लम्बे समय से कोयला रायल्टी का पुनरीक्षण एवं कोयले की रायल्टी का टनेज के स्थान पर मूल्य आधार निर्धारण केन्द्र शासन स्तर पर लम्बित है। जैसाकि आप स्वयं अवगत हैं कि वर्ष 1997 एवं वर्ष 2000 में कोयले की रॉयल्टी का पुनरीक्षण न करने से मध्य प्रदेश राज्य शासन को 618 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त नहीं हो सका, जो मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए प्राणहानि है। कोयला रॉयल्टी के इन दोनों मुद्दों पर (पुनरीक्षण और निर्धारण) विगत दो वर्षों से राज्य एवं जन प्रतिनिधियों (सांसदों) द्वारा निरन्तर अनुसार किया जा रहा है। कोयला रायल्टी के पुनरीक्षण और निर्धारण के लिए केन्द्र स्तर पर दिनांक 2.6.2005 को समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा कोयला उत्पादक राज्यों से उनके अभिमत प्राप्त किये गये। कोयला रॉयल्टी के दर का निर्धारण मूल्य आधार पर करने हेतु माननीय प्रधान मंत्री जी की आर्थिक सलाहकार समिति को तैयार करने के लिए भेजा गया। राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए भी बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। यह भी कि दिनांक 14.7.2006 को संबंधित कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट दे दी गई है। शीघ्र ही कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ इस रिपोर्ट पर बैठक आयोजित की जानी थी, जो अभी भी प्रतीक्षित है।

मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों राज्यों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अतिशीघ्र निर्णय लेने का कष्ट करें, ताकि राज्य को हो रही प्रतिवर्ष की हानि से बचाया जा सके।

(चार) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री संजय धोत्रे (अकोला): सभापति महोदया, महाराष्ट्र राज्य के कुल बिजली उत्पादन में से 45 फीसदी बिजली विदर्भ क्षेत्र से निर्मित होते हुए भी आज विदर्भ के साथ बिजली वितरण में घोर अन्याय हो रहा है। समूचा विदर्भ अंधकार में डूबा हुआ है। मुंबई-पुणे जैसे बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई नितांत जारी है, जबकि विदर्भ के नागपुर, अकोला, वर्धा, अमरावती, बुलढाणा, बाशिम और यवतमाल जिलों में भारी मात्रा में लोड शेडिंग हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों का तो बहुत बुरा हाल है, जहां 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। रोजमर्रा की इस जिंदगी में लगातार आठ घंटे की बिजली की कटौती के कारण विदर्भ के लघु और मध्यम उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। राज्य सरकार की इस नीति के खिलाफ भारी मात्रा में जन आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। ये सारी बातें शहरों की रही, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बहुत ही बुरा हाल है। वहां के किसानों को पानी, बिजली के अभाव से खड़ी फसल को बचाना मुश्किल हो रहा है। रबी की फसल 40 से 60 प्रतिशत कम हो गई है। हमारी विनती है कि इसमें केन्द्र सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे।

आज महाराष्ट्र को करीबन 14000 मेगावाट बिजली की जरूरत है।

(पांच) एयर लाईन इंडस्ट्री द्वारा नौकरी पर रखे गए नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदया, एयरलाइन उद्योग अब काफी फल फूल रहा है तथा भारत में अधिकांश हवाई अड्डे इस उद्योग से काफी अधिक लाभ कमा रहे हैं। इन सभी हवाई अड्डों पर, ग्राउंड हैंडलिंग कार्य नैमित्तिक मजदूरों द्वारा किया जाता है। उन्हें उड़ानों से कार्गो तथा सामान चढ़ाने व उतारने के लिए यात्री सहायक, सुरक्षा सहायक, कार्यालय सहायक, सहायक तथा अन्य कार्यों के लिए स्थायी प्रकृति के नैमित्तिक कर्मचारी के रूप में रखा जाता है। ये सभी कर्मचारी विस्थापित भूस्वामी या एयर इंडिया के कर्मचारी के बच्चे हैं। इनमें से अधिकांश श्रमिक गत दस से पन्द्रह वर्ष से हवाई अड्डों पर कार्य कर रहे हैं। अब तक इन श्रमिकों की सेवाएं नियमित नहीं की गई हैं। उन्हें सप्ताहांत छुट्टी, समयोपरि मजदूरी, छुट्टी लाभ, भविष्य निधि, बोनस इत्यादि का सांविधिक लाभ नहीं मिलता है। इन मामलों को प्रबंधन के समक्ष लाया गया। लेकिन प्रबंधन ने मामलों का निपटान नहीं किया। हाल में मुम्बई उच्च न्यायालय ने प्रबंधन को उनके 215 रु. प्रतिदिन के वेतन को बढ़ाकर ठेका दैनिक मजदूरी के बराबर करने को कहा। अतएव, मैं सरकार से उनकी सेवाएं नियमित करने तथा उन्हें उचित वेतन देने के लिए अनुरोध करता हूं।

(छह) रेलवे के हॉकरों और वेंडरों का समुचित पुनर्वास सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री अमिताभ नन्दी (दमदम): महोदय, मैं आपका तथा माननीय रेल मंत्री का ध्यान एक गंभीर चिंता के विषय की और आकृष्ट करना चाहूंगा जो कम से कम 50,000 विक्रेता/फेरीवालों की रोजी रोटी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तथा लगभग एक लाख परिवार कुटीर उद्योग से जुड़े हैं। अनुमान दर्शाते हैं कि सात लाख लोग से ज्यादा कलकत्ता उच्च न्यायालय के हाल के निर्णय से गंभीर रूप से तथा प्रतिकूलतः प्रभावित होंगे जो विक्रेताओं को रेलगाड़ी तथा रेलवे स्टेशन पर अपनी रोज़ी रोटी कमाने से वंचित करता है। यहां पर उल्लेख करना उचित होगा कि यह निर्णय भारतीय रेल अधिनियम के अनुसार दिया गया है।

मैं मानता हूं कि रेलवे हाकर्स यूनियन ने सीटू के नेतृत्व में फेरी वालों की समस्या से संबंधित आपसे मुलाकात की तथा समस्या के स्थायी समाधान के लिए कतिपय विकल्प सुझाए जिन पर कृपया विचार किया जाये। अन्यथा, मुझे आशंका है कि गंभीर परिणाम होंगे। अतएव, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन फेरी वालों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की जाय या पर्याप्त सुरक्षा नेट दी जाय या उचित पुनर्वास उपाय अपनाए जाएं ताकि ये लोग अपनी रोजी रोटी कमाते रहें।

सभापति महोदयः श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव-उपस्थित नहीं।

श्री वसंतराव जीवनराव मोरे-उपस्थित नहीं।

अपराह्न 2.06 बजे

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2007-08

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदयः सभा अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 81 से 83 पर चर्चा तथा मतदान लेगी।

केवल एक सदस्य, श्री सुबाष सुरेशचन्द्र देशमुख ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती

[सभापति महोदय]

प्रस्ताव हेतु नोटिस दिया है। श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख-उपस्थित नहीं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

'कि कार्य सूची के स्तंभ 2 में विज्ञान और प्रौद्यगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 81 से 83 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियों भारत की संचित निधि में से, भारत के राष्टपति को दी जाये।''

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2007-2008 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या और नाम		दिनांक 16 मार्च, 2007 को सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
1		2		3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
81	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	285,56,00,000	12,32,00,000	1427,82,00,000	61,58,00,000
82	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	316,98,00,000	2,00,000	1584,92,00,000	8,00,000
83	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	115,78,00,000	–	578,92,00,000	–

सभापति महोदय: श्री बची सिंह रावत।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा' (अल्मोड़ा): सभापति महोदया, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हम लोग चर्चा प्रारम्भ कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान और विज्ञान के संबंध में प्राचीन काल से ही हमारा देश काफी अग्रणी रहा है और विश्व पटल में उसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम ध्यान दें तो चरक, धनवंत्री, रामानुजम, आर्यभट्ट, इत्यादि ऐसे-ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत की कीर्ति को बढ़ाया और खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, गणित आदि विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया। आज जब हम उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में गुजर रहे हैं तब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसी पर हमारे भविष्य के विकास की परिकल्पना आधारित है। चाहे उद्योग का क्षेत्र हो या देश की प्रतिरक्षा का संबंध हो, इनमें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है ही, लेकिन ऊर्जा, कृषि का क्षेत्र, परिवहन, ईंधन, विनिर्माण, चिकित्सा, दवा इसके साथ-साथ पेयजल, पर्यावरण, अन्तरिक्ष विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्र हैं, जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं और आज जिसके अभाव में मनुष्य तथा समाज के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। पिछले डेढ़-दो दशक से हमारे देश की नौजवान पीढ़ी की बैसिक साइंस के प्रति अभिरुचि थोड़ी कम हुई है और उसके स्थान पर मैनेजमेंट, आई.टी. इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में रुचि बढ़ी है। इस पर समय-समय पर मंत्रालय में सरकार के द्वारा चिंता की गई और जो विभिन्न संगठन हैं, उनके द्वारा भी चिंता की गई है। इस संबंध में कुछ उपाय किये गये हैं तथा कुछ उपाय किये जाने हैं। आज इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि 11 मई और 13 मई, 1998 को विभिन्न परीक्षणों के साथ-साथ पोखरन के परीक्षण के उपरांत देश को नयी ऊर्जा प्राप्त हुई। इससे देश का मनोबल बढ़ा और वैज्ञानिकों का भी, जो

उनका एक लक्ष्य था, वह उन्हें प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि के बाद एक राष्ट्रीय संकल्प के रूप में जब हमारे देश के सामने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान यानी देश की सुरक्षा और देश की खाद्य सुरक्षा ये दो राष्ट्रीय संकल्प रखे थे। उसके साथ ही देश के सामने एक राष्ट्रीय संकल्प-''जय विज्ञान'' का श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा। हमें देश के विकास के लिए और देश के सुदृढ़ीकरण के लिए इस पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा। तब से लेकर हम तीन शब्दों में यह उद्घोष करते हुए कहते हैं-''जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान''। इसी बात का अनुसरण करते हुए 11 मई का दिन ''नेशनल टैक्नोलोजी डे'' घोषित किया गया है। तब से लगातार साईंस एंड टैक्नोलोजी मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों द्वारा इसका विधिवत आयोजन होता है। नेशनल टैक्नोलोजी अवार्ड वितरित किया जाता है और वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाता है। कालांतर में एक विचार हुआ कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे पास जो संकल्प है, और 1983 का अपना एक अभिकथन है, उसके अनुरूप आगे बढ़ते हुए 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं या उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद विशेष रूप से जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, उनका सामना करने के लिए, हमारे देश के सामने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कोई स्पष्ट नीति होनी चाहिए। इस विचार के बाद वैज्ञानिकों में गहन विचार-विमर्श हुआ जिसमें हमारे देश के करीब 5000 वैज्ञानिकों ने भागीदारी की। विभिन्न स्तर पर वार्ता और विचार करने के बाद साईंस एंड टैक्नोलोजी पालिसी अडाप्ट की गई। वर्ष 2003 की नेशनल साइंस कांग्रेस में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा यह नीति घोषित की गई है और तब से उसके अनुसरण में यह अपेक्षा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस पालिसी के अनुरूप देश के भीतर, जो उसके उद्देश्य हैं, जो नीतिगत उद्देश्य हैं, उसके लिए जो रणनीति है, उसके कार्यान्वयन की जो योजना है, हम उसके अनुरूप आगे बढ़ेंगे, जिससे देश में बैसिक साईंस को बढ़ावा मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च और टैक्नोलोजी जो दो विषय हैं, इस दिशा में आगे बढ़कर, देश की नीति के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने में योगदान मिलेगा।

सभापति महोदया, मैं इस नीति दस्तावेज के पेज 15 का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें कई कारणों से बाधायें आने की बात कही गई है या जो कमियां हैं, वैसे उनके निराकरण हेतु वैज्ञानिक विभाग भी हैं, उनकी पूरी स्वायत्तता होनी चाहिए, उन्हें नौकरशाही से मुक्ति मिलनी चाहिए। इस वैज्ञानिक विभाग में अभिकरण, अन्य संस्थाएं, विश्वविद्यालय भी आते हैं, जिनके माध्यम से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की समस्त प्रणाली को भरपूर सुदृढ़ किया जायेगा, उसे पूर्ण रूप से स्वायतत्ता दी जायेगी, उसे सब कुछ सुलभ रूप से उपलब्ध कराया जायेगा, इसे नौकरशाही के चंगुल से मुक्त किया जायेगा। मैं मानता हूं कि इस दिशा में प्रयास किये गये हैं लेकिन अभी कुछ प्रयास किये जाने बाकी हैं क्योंकि नौकरशाही का जो दखल है, वह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। वित्तीय क्षेत्र में विशेष रूप से जो स्वायतत्ता होनी चाहिए, वह नहीं है, उसे किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक उपलब्धियों में जो गति आनी चाहिए, उसमें कहीं न कहीं रोक आती है, इसलिए इस दिसा में ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इस नीति दस्तावेज के पृष्ठ 16 पर उल्लेख किया गया है कि सरकार अपने संस्थानों में, उद्योग जगत के योगदान से, 10वीं योजना के अंत तक घरेलू सकल उत्पाद का कम से कम 2 प्रतिशत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश करेगी। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदान की मांगें लेकर आये हैं जिस पर मैं बाद में बताऊंगा कि हमारी कितनी मांग थी, कितनी लेकर आये थे और वास्तव में कितना एलोकेशन हुआ है, यह देखना होगा। 10वीं योजना के अंत तक 2 प्रतिशत का हमारा कमिटमेंट था, वह दसवीं योजना 31.3.2007 को खत्म हो गयी है। इसमें पर्याप्त एलोकेशन नहीं होने से, हम दो प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो रही है। उसके प्रथम वित्तीय वर्ष के अनुदानों की मांगें लेकर मंत्रालय सामने आया है। हमें अपेक्षा थी कि इसमें धनराशि बढ़ेगी, लेकिन जब मैं आगे बताऊंगा तो उससे जाहिर होगा कि वास्तव में इस विभाग द्वारा जितनी मांग की गई थी, उतनी धनराशि उन्हें प्रदत्त नहीं की गई, बल्कि कुछ जगहों पर जो चालू कार्यक्रम हैं, उन पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

इसमें परंपरागत उद्योगों को सुदृढ़ करने के लिए भी इस नीति दस्तावेज के पृष्ठ 21 पर उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ, कहा गया है कि परंपरागत उद्योगों को सुदृढ़ करने के प्रयास किये जायेंगे, जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग से स्पर्द्धा की नई अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा। यह परंपरागत उद्योग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह अपेक्षाकृत थोड़े से प्रति व्यक्ति निवेश के साथ रोजगार देता है और इन परंपरागत उद्योगों में कम ऊर्जा निवेश की आवश्यकता होती है तथा इसके साथ यह हमारी सभ्यता की विशेष परंपराओं और संस्कृति से जुड़ा है।

कहने का आशय यह है कि जो यह परंपरागत उद्योग हैं, जो शिल्पकार और दस्तकार हैं, उनको भी इसमें विशेष प्रोत्साहन देकर, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, हम उनकी प्रौद्योगिकी को समुन्नत कर सकते हैं, उनको मजबूती प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उनके माध्यम से हमें पूंजी निवेश भी कम करना पड़ेगा और पूंजी निवेश कम करने के साथ साथ उसमें जो ऊर्जा संकट देश में है, उस

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

हिसाब से ऊर्जा की खपत भी कम होती है। इसलिए भी नीति दस्तावेज में इसका उल्लेख किया गया है।

इसमें अन्य बातों के अलावा बौद्धिक सम्पदा के संबंध में पृष्ठ 25 पर कहा गया है। बौद्धिक संपदा का विकास, प्रबंधन, जो इंटैलैक्चुअल प्रापर्टी पूरे देश में है, इसका बहुत व्यापक क्षेत्र है। उस सब पर न जाते हुए हम अपनी सरकार और देश के ज्ञान भंडार के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाएंगे और उसके अनुपूरक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करेंगे-यह लक्ष्य भी अभी अपेक्षित है। मेरा अनुरोध होगा कि इस संबंध में सघन विचार-विमर्श करते हुए तमाम वैज्ञानिक और शैक्षिक संगठनों और संस्थानों के सहयोग से और सबके विचारों को जानने के बाद, जो राष्ट्रीय नीति इस संबंध में तैयार होनी है, उसे तैयार करने के संबंध में हम तेजी से आगे बढ़े।

इसी से संबंधित मुझे एक उल्लेख करना है कि जो ट्रेडीशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी स्वास्थ्य मंत्रालय के 'आयुष' के माध्यम से शुरू किया गया था, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए है। अभी मैंने जानकारी ली है कि उसमें लगातार प्रगति हुई है और अपना जो परंपरागत ज्ञान था, हमारे आयुर्वेद के जितने सूत्र थे, उन सबका विभिन्न भाषाओं में, अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी, उसे अनूदित करने के उपरांत वैबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। देश में जो पहले घटनाएं घटित हुई थीं, हल्दी के पेटेन्ट की, बासमती के पेटेन्ट की या अन्य दवाओं के पेटेन्ट की, उन पर कुछ दूर तक अंकुश भी लगा है, लेकिन इसे और सुदृढ़ करते हुए, कितना हम बढ़ा सकते हैं, इसको देखे जाने की आवश्यकता है।

जन जागरूकता के क्षेत्र को इसमें बहुत महत्व दिया गया है और जो उद्देश्य थे इस नीति के, उसमें पहला उद्देश्य यह रखा गया था, जिसे मैं क्वोट करना चाहता हूं:

> "यह सुनिश्चित करना कि विज्ञान का संदेश भारत के प्रत्येक नागरिक-स्त्री पुरुष, युवा वृद्ध तक पहुंचे, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़े और हम एक परिगामी ज्ञान से प्रकाशित समाज के रूप में ऊपर उठ सकें तथा सभी देशवासी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में और मानव कल्याण में इनके उपयोग में सहभागी बन सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों के साथ पूरी तरह समेकित हो।"

यानी जो हमारा इतना विशाल देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या का देश है, हमारी जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, इसकी जानकारी भी उन तक पहुंचे और सोच में भी परिवर्तन हो। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बने और विज्ञान के प्रति रुचि भी हो, क्योंकि विज्ञान की उपलब्धियों के उपयोग कंप्यूमर तक ही न रहे, बल्कि उसके पूरे प्रोसेस की जानकारी भी हमारे देश के नागरिकों को हो। इसलिए इसे प्रथम उद्देश्य के रूप में लिया गया था और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जो नीतिगत दस्तावेज हैं, उसमें भी उल्लेख किया गया था। इसके लिए कई कार्यक्रम बने हैं और कई कार्यक्रम सामने प्रस्तावित हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसे और अधिक बल प्रदान करें ताकि देश के भीतर एक वातावरण बने, जिससे आने वाले समय में विज्ञान की जानकारी भी सामान्य रूप से उपलब्ध हो, अंध विश्वास से भी लोग दूर हों और इसे किसी चमत्कार के रूप में न मानें, बल्कि देश में इसका जो प्रोसेस है, उसकी जानकारी सभी को मिले।

अंत में, दो अन्य विषय हैं-एक वित्तीय उपाय के संबंध में है। वित्तीय उपाय के लिए नीति दस्तावेज के पृष्ठ 27 और 28 पर उल्लेख किया गया था, इस संबंध में भी निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं उसे उल्लेख कर रहा हूं कि एक केन्द्रित कार्यनीति और नयी पद्धति एवं साधनों की परिकल्पना के लिए अर्थशास्त्रियों, वित्तीय विशेषज्ञों, प्रबंध विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के योगदान की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए एक शीर्ष एस एंड टी सलाहकार निकाय, नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक उपयुक्त वित्तीय उपाय सुझाने के लिए एक समर्पित कार्य दल का गठन करेगी। इस टास्क फोर्स का गठन होना है और उसमें भी जो अपेक्स साइंस एंड टैक्नोलोजी एडवायजरी बोर्ड है, उसका गठन हो-इस उद्देश्य की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मंत्री जी इस दिशा में अवश्य, इस नीति के जो उद्देश्य हैं, उन्हें प्राप्त करने का कार्य करेंगे। जहां मौनिटरिंग और रिव्यू करने का तंत्र है, उसे सुदृढ़ करने की बात का इसमें उल्लेख किया गया है, उस दिशा में भी हम अवश्य आगे बढ़ेंगे।

मैं प्रमुख रूप से यह उल्लेख करना चाहता हूं कि वैज्ञानिकों और टैक्नोलोजिस्टों को इंसेटिव्स मिल गए हैं, लेकिन इसमें हम और अधिक क्या योगदान कर सकते हैं ताकि इसमें गति आ जाए। मुझे खुशी है कि डीएसटी में एक ऐसे वैज्ञानिक उसके सैक्रेट्री हैं, जिन्हें मैंने खुद देखा था। मुझे जानकारी मिली थी कि रात के 11 बजे तक वे प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। उनका नाम श्री रामास्वामी है। इसी तरीके से अन्य वैज्ञानिकों का भी अगर लेबोरेट्रीज के भीतर ओवर टाइम न मान करके, उन्हें एक इंसेटिव हो और जो रायल्टी देने की बात आ रही है कि जो टैक्नोलॉजी डेवेलप हो, उसे उद्योग अपनाएं तो उसमें भी वैज्ञानिक का हिस्सा बने, उसे सम्मान भी मिले, वह वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो, तो निश्चित रूप

से उस दिशा में अन्य जो उपाय संभव हैं कि क्या सुविधाएं हो सकती हैं और क्या इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, साइंस एंड टैक्नोलॉजी मंत्रालय का जो गोल्डन ट्रिएंगल है, मंत्री जी के पास दूसरा मंत्रालय भी है, अर्थ साइंस का जो नया विभाग बना है, उसमें आईएमडी, ओशन डैवलपमेंट और अन्य मंत्रालय भी उसके भीतर थे, लेकिन आज केवल साइंस एंड टैक्नोलॉजी के तीनों विभागों पर चर्चा चल रही है, उस दिशा में भी अनेक उपलब्धियां हुई हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री-एकेडेमिया-लेबरेटरी का गोल्डन ट्रिएंगल बना है, इसे और ज्यादा परफेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडस्ट्री का जो रोल है, चाहे वह आर एंड डी के लिए हो, जितना उसे आगे बढ़ा कर आना है, जो बड़े घराने हैं, उनकी तरफ से अपने-अपने उद्योग के भीतर अनुसंधान का कार्य हो रहा है, उसमें उनकी तरफ से सहयोग भी है, लेकिन जितना मुनाफा आज बड़े उद्योग लेकर आ रहे हैं, यदि यह नियत किया जाए कि कम से कम इतना प्रतिशत उन्हें आर एंड डी के लिए या फिर मंत्रालय के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है, तो अच्छा होगा। यदि ऐसा कोई उपाय निकले, जिससे कि उद्योग जगत की भी हिस्सेदारी साइंस और टैक्नोलॉजी क्षेत्र में हो सके, तो अच्छे परिणाम होंगे। यही मुझे उल्लेख करना था।

मैं अन्य विषयों पर आने से पहले यह कहना चाहता हूं कि जिन अनुदान की मांगों को लेकर आप आए हैं, उस संबंध में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। डीएसटी की जो डिमांड थी, वह सन् 2007-08 के लिए 2999 करोड़ थी। इसमें 2750 करोड़ रुपये प्लान का पैसा था और 249 करोड़ रुपये नॉन प्लान का था। नॉन प्लान का यथावत रखा गया है, लेकिन जो एलोकेशन हुआ है, वह 1526 करोड़ रु. प्लान का हुआ है, लेकिन इसके बावजूद विभाग संतुष्ट है क्योंकि इस चालू वित्तीय वर्ष में उसके कोई चालू कार्यक्रम इससे प्रभावित नहीं होंगे।

पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों में वह अपने कार्यक्रमों को पूरा करने में सफल होंगे, ऐसा विभाग का कहना है, लेकिन इसके बावजूद, जिस सर्क डिवीजन के अंतर्गत विशेषरूप से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने और अन्य तरीकों से जो आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वहां अच्छी प्रयोगशालाएं हों, जहां छात्र उच्चतर शिक्षा में हैं, वे अच्छा प्रयोग कर सके, उसके लिए धनराशि का एलोकेशन बढ़ाने की हमने मांग की है, वह बढ़नी चाहिए। चूंकि विभाग संतुष्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डी.एस.टी. में उतनी चिन्ता का विषय नहीं है।

डिपार्टमेंट ऑफ बायोटैक्नोलोजी में प्रोजेक्टेड डिमांड 1326 करोड़ रुपये की थी। जब वे योजना आयोग में गए, तो उन्होंने योजना आयोग के समक्ष 1326 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं और योजनाएं रखीं, लेकिन वर्ष 2007-08 के लिए उन्हें एलोकेशन मात्र 694 करोड़ रुपये की हुई। उसमें प्लान का पैसा 675 करोड़ रुपये और नॉन प्लान का पैसा 19.70 करोड़ रुपये था। उन्होंने जिस तरह अवगत कराया उसके अनुसार आर. एंड डी. के तीन सैक्टरों में बहुत ज्यादा डैफीसिट है। इसी वित्तीय वर्ष में उनकी इस क्षेत्र में 165 करोड़ रुपये की रिक्वायरमेंट है, जिसके अगेन्स्ट उन्हें 494 करोड़ रुपये मिले हैं जिनमें आर. एंड डी. में 21 करोड़ मिले हैं जबकि उन्हें और ज्यादा की आवश्यकता है, एडीशनल रिक्वायरमेंट 50 करोड़ रुपये की है। जो विभिन्न क्षेत्रों में ग्रांड चेलेंज प्रोग्राम्स हैं, उनमें 45 करोड़ रुपये का प्रावीजन है और उन्हें इतने ही रुपए की और आवश्यकता है। जो आटोनौमस इंस्टीट्यूशन्स हैं, चाहे वह इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस है या जो दूसरे औटोनौमस इंस्टीट्यूशन्स हैं, जैसे एन.सी.पी.जी.आर. वगैरह-वगैरह चल रहे हैं उनके लिए 133.20 करोड़ रुपये रखे गए हैं, लेकिन उन्हें 70 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है। अगर सपोर्ट में कमी होती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटैक्नोलोजी, जो प्राइम सैक्टर का विभाग है, उसके लिए माननीय मंत्री जी और भारत सरकार से विशेष आग्रह रहेगा कि इसे गम्भीरता से लें और मंत्रालय की जो मांग है, भले ही प्रोजैक्टेड डिमांड पूरी न भी हो, तो भी जो एडीशनल रिक्वायरमेंट है, उसे सरकार अवश्य पूरी करे ताकि उनकी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वे प्रभावित न हों।

महोदया, मैं तीन-चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरा तीसरा निवेदन इस विभाग के बारे में है कि जो सी.एस.आई.आर. का प्रोजैक्टेड धन है, वह 4581.80 करोड़ है, परन्तु उन्हें जो एलोकेशन हुई है, वह 1,902 करोड़ रुपये की हुई है। उनका कहना है कि उन्हें नॉन प्लान में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने 873 करोड़ रुपये नॉन-प्लान में प्रोजैक्ट किये थे और 832 करोड़ रुपये उन्हें एलोकेट हुए हैं। बढ़ी हुई राशि की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि पेशन्स बढ़ी हैं और फैलोशिप में अधिक वृद्धि करने की घोषणा हुई है। इसके अलावा विभिन्न वैज्ञानिकों को जो इंसेंटिव दिये जा रहे हैं, उसके कारण उन्हें यह आवश्यकता पड़ी है। उन्हें नॉन प्लान का जो पैसा है, वह चाहिए। प्लान का तो कंटीन्यू कर सकता है, क्योंकि इसके लिए तो जब ये आर.ई. में जाएंगे तब और बढ़ा लेंगे, लेकिन नॉन प्लान की दिशा में करेंट में जो उनकी आवश्यकता है, उसे देने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार इस दिशा में विशेष प्रयास करेगी, ऐसा मेरा मानना है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान एक निवेदन के रूप में आकर्षित करना चाहता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि डिपार्टैंट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलोजी के अंतर्गत सर्वे ऑफ इंडिया नाम का एक बहुत बड़ा सब-आर्डीनेट डिपार्टमेंट है, जिसका

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

पूरे भारत के मानचित्रण से सीधा-सीधा संबंध है और उसकी इस काम की जिम्मेदारी है। अभी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां श्री नैन सिंह रावत नाम के एक व्यक्ति थे, जिनका सैम्बटन टर्न एंड एवरैस्ट के साथ काफी सहयोग रहा और ल्हासा, तिब्बत, नेपाल और उत्तर भारत का सर्वे करने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। इस कारण उन्हें पंडित की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी। वैसे रावत, हमारे उत्तरांचल में क्षत्रिय होते हैं और पंडित सामान्यरूप से ब्राह्मण समुदाय के लोगों को कहा जाता है, लेकिन उनके विशेष योगदान के कारण ब्रिटिशर्स ने उन्हें पंडित की उपाधि दी, क्योंकि उन्होंने वेष बदलकर बहुत कठिनाई से उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था। उनके जीवन का उल्लेख और अन्वेषण उनकी डायरी में था, जिसके आधार पर उमा भट्ट एवं शेखर पाठक ने पं. नैन सिंह रावत के ऊपर एक पुस्तक "एशिया की पीठ पर पं. नैन सिंह रावत" नाम से प्रकाशित की थी। मुझे आशा है कि यह मंत्री जी के संज्ञान में आया होगा। इस पुस्तक का प्रकाशन 'पहाड़' संस्था, नैनीताल से हुआ है। सर्वे ऑफ इंडिया की यूनिट्स जरूर इसके प्रकाशक से कम से कम खरीद करें तो 1-1 पुस्तक भी सब के पास रह जायेगी। सर्वे आफ इंडिया का एक कमिटमेंट था, इनके निवास स्थान पर गांव में एक पुस्तकालय बनाने का, उनकी स्मृति में यह घोषित हुआ था, जब यह पूरी एनीवर्सरी द ग्रेट आर्क मनाई गई थी तो यह सार्वजनिक रूप से देहरादून में घोषित किया गया था, लेकिन उसकी अनुपालना नहीं हुई, इसलिए माननीय मंत्री जी के संज्ञान में अगर रहेगा तो जो कमिटमेंट है, ऐसे लोगों के लिए, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है तो निश्चित रूप से वह पूरा हो।

दो निवेदन अपने निर्वाचन क्षेत्र के भी माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगा। एक लोहाघाट में कृषि विज्ञान केन्द्र वहां काम करता है, यहां उत्तराखंड स्टेट का एक रूरल टैक्नलोजी पार्क स्थापित करने का विषय आया था, मुझे अवगत कराया गया कि कोई भूमि उपलब्ध नहीं हुई या कोई अन्य अड़चन है तो यह काम प्राथमिकता से होना चाहिए। इतना उल्लेख अपने व्यक्तिगत निवेदन का भी आपसे किया।

यह देखा गया है कि हर्बल के क्षेत्र में विशेष रूप से अनुसंधान की आवश्यकता है और कहा जाता है कि इसको एक प्राइम सैक्टर के रूप में हम देखें। चाइना ने इतना आगे बढ़कर 20 हजार करोड़ रुपये तक का मार्केट केवल हर्बल के क्षेत्र में लिया है तो हम अगर हर्बल का एक इंस्टीच्यूट ऑफ हर्बल साइंस बनाएं। असल में हमारे पास नहीं है, अभी भी विभिन्न मंत्रालयों में यह उलझा हुआ है और कैसे इसका हल निकाल सकते हैं, इस बारे में सोचें।

और दो विषय जो हैं, वे ग्लोबल वार्मिंग के और क्लीन वाटर यानी कि पानी के, पेयजल के हैं। इस संबंध में तो अलग से चर्चा की आवश्यकता होगी, क्योंकि आज के विषय में वह सम्भव नहीं है। हम लोगों ने बायो फ्युअल का क्षेत्र आगे बढ़ाया था। मैं सी.एस.आई.आर. को बधाई देना चाहूंगा कि एनआईओटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टैक्नोलोजी), जिसमें हम देश में ही इंडीजिनस इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में काफी आगे बढ़े हैं, विदेशों पर निर्भर नहीं हैं। यहां पर गैस हाइड्रेट्स के एक्सप्लोरेशन के लिए जो इण्डो रशियन रिसर्च सैन्टर बना है, उसके माध्यम से अच्छा कार्य हो रहा है, इसको कैसे हम और बढ़ावा दें और भविष्य की जो ईंधन की जरूरत है, अकेले इस माध्यम से 100 वर्षों तक पूरी हो सकती है, इस बात का संज्ञान पूरी भारत सरकार को लेना चाहिए और मंत्रालय को विशेष रूप से इसकी जो अनुदान की मांगें आती हैं, उन पर गंभीरता से विचार करके आगे बढ़ाना चाहिए।

मैं अपना विषय समाप्त करते हुए यह निवेदन करूंगा कि हमारा सहयोग हमेशा रचनात्मक कार्यों के लिए रहा है, आप आगे बढ़ें, हमारी ओर से उसमें सहयोग रहेगा, लेकिन एक जो चिन्ता वैज्ञानिक जगत में है, वह चाहे भले ही मंत्रालय से संबधित नहीं है, लेकिन विज्ञान से संबंधित विषय है। अब तो विज्ञान का एक मंत्रालय है। एटामिक एनर्जी के बारे में देश में चिन्ता है कि जो एटोमिक पावर की ट्रीटी हो रही है, ट्रीटी नम्बर 123, अभी 30 तारीख को फिर इसकी बैठक है। इसमें हमारी प्रभुसत्ता कायम रहनी चाहिए और जो विभिन्न कड़ी शर्तें हैं, वे शर्तें न हों, बल्कि इक्विटी के आधार पर भारत और अमेरिका का समझौता होना चाहिए और इसमें मंत्री जी सफल हों, इसमें हम सब का सहयोग रहेगा। उसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाये, यदि वह देश के हितों के प्रतिकूल हो।

मैं यही निवेदन करते हुए कि जो बजट है और जो अनुदान की मांगें हैं, इनको तो पूरा का पूरा हम लोग एप्रूव करें, लेकिन इसमें और अधिक वृद्धि की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार निश्चित रूप से ध्यान दे।

आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): सभापति जी, सबसे पहले मैं आदरणीय मंत्री जी को जरूर अपनी तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद दूंगा कि साइंस एंड टैक्नोलोजी एक ऐसा विभाग रहा है, ज्यादातर जो भी इसमें मंत्री रहे हैं, पता चलता है कि कुछ गुमसुम से काम करते रहे हैं, लेकिन जब से कपिल सिब्बल जी इसके मंत्री बने हैं, बहुत ही लायक और बहुत ही काबिल मंत्री

हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल को भी अपने छोटे से घेरे में लिया है, जिसमें ज्यादातर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मंत्रालय रहा था। वहां से निकालकर जनपटल पर वे इसको लाये हैं, इसके लिए मैं विशेष रूप से मुबारकबाद दूंगा। पहले कभी इस मंत्रालय के बारे में हम सुना नहीं करते थे, लेकिन या तो यह हो सकता है कि इनके आने के बाद सुनामी जैसी घटना हुई, जिसके कारण एक मौका मिला, लेकिन एक मौका मिला। क्योंकि हम सब लोग एक नये हिन्दुस्तान के भी जीव हैं और नया हिन्दुस्तान तकनीकी पर और प्रौद्योगिकी पर बनेगा, उसके लिए इस मंत्रिमंडल में एक विशेष आवश्यकता है।

मैंने भी देखा है और जैसा मुझसे पहले रावत जी ने भी कहा कि कई जगहों पर जो मांगे की गयी हैं, उसमें कुछ इसे दिया गया है। हम लोगों की कितनी अपील वित्त मंत्री तक जाएगी, यह देखने वाली बात है, लेकिन मैं इतना जरूर वित्त मंत्री जी से कहूंगा और जो इस मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य भी है, क्योंकि अपने तमाम कार्यों से राष्ट्र में एक साइंटिफिक टेंपर भी बनता है। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस टिप्पणी को करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं कि जितने ज्यादा लोग साइंटिफिक टेंपर के होंगे, उतने ज्यादा लोग ग्रोथ रेट को भी समझेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर की अपनी नीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी इस विभाग को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाना आवश्यक है।

एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सामने आयी है कि जो प्रौद्यगिकी या विज्ञान की नीति वर्ष 2003 में आयी थी, उसके उद्देश्यों में भी सबसे पहले उल्लेख किया गया है और इस बारे में बार-बार हमें पता चलता रहता है कि बेसिक रिसर्च या मूल शोध में एक गिरावट आयी है। गिरावट शायद संख्या में नहीं आयी होगी, शायद मूल शोध करने वाले लड़कों और लड़कियों के नंबरों में नहीं आयी होगी, लेकिन अगर उन बच्चों का प्रतिशत लिया जाए, जो स्कूलों या कालेजेज से निकल रहे हैं, तब शायद फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलोजी, जो विज्ञान के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जिस तरह की रुचि बच्चों में पहले होती थी, वैसी अब कम दिखायी दे रही है। स्कूली स्तर पर भी देखा गया है कि जहां पहले सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले बच्चे साइंस में जाया करते थे, लेकिन आज वे कामर्स में जाने लगे हैं। जो मूल शोध के बारे में मंत्री जी ने एनुअल रिपोर्ट में बताया है कि साइंस साइटेशन इंडेक्स में हिंदुस्तान का स्तर बहुत गिरा है, मेरे ख्याल से यह ऐसी चिंता का विषय है, जिसमें हर व्यक्ति को इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत की बहुत सी उपलब्धियां पिछले कई वर्षों में हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भर रही हैं। माननीय मंत्री जी, यह सीधे तौर पर आपके विभाग से संबंधित नहीं है, लेकिन यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं आर एंड डी से जरूर संबंधित है। पिछले 15-20 सालों में हमारे देश में जो आर्थिक रूप में बदलाव आए हैं, उनमें आज हमारे देश में विदेशों में बनी हुई गाड़ियां बन रही हैं, विदेश की बहुत सी मशीनें इस देश में बन रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन में संकोच रहता है और मन को बुरा लगता है कि हिंदुस्तान की बनी हुई गाड़ियां खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं माप पाती हैं। यहां के वैज्ञानिकों द्वारा हिंदुस्तान में बनायी गयी अपनी मशीनें विदेशों में कंपीट नहीं कर पाती हैं। यह इस बात का सबूत है कि जिस तरह के विकल्प और मौके हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों को विदेश में मिलते हैं, जिससे वे वहां की इंडस्ट्री और साइंस का विकास कर पाते हैं, वे मौके शायद अपने देश में उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कम से कम हम एक ऐसा विश्वविद्यालय या सेंटर अपने देश में बना सकें, चाहे उसमें पांच या दस हजार करोड़ रुपये लग जाएं, जो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टॉप क्वालिटी के रिसर्च इंस्टीच्यूट में से एक के रूप में हिंदुस्तान में स्थापित हो। इसमें न केवल हिंदुस्तान के, बल्कि दुनिया भर के चाहे जिस भी क्षेत्र को हम चुनें, उस क्षेत्र के जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी प्रौद्योगिकीविद हैं, उसे हम अपने यहां ला सकें। क्या इस चीज को हम प्लान करके आगे के लिए बजट तैयार कर सकते हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जिसके हमारे पास बहुत से विशेषज्ञ हैं, ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, लेकिन मैंने पता किया है और इधर-उधर से मालूम भी पड़ता है कि फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायो-टैक्नालाजी में जो संसाधन बाहर के विस्वविद्यालयों में लेबोरेट्री मिल जाती हैं, वह यहां नहीं मिल पाते हैं। इसी के साथ-साथ इनकी रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया था और एनुअल रिपोर्ट में भी मेंसन किया गया है, इसके साथ ही दस्तावेजों में लिखा है कि हमारे विश्वविद्यालयों में विज्ञान का स्तर, खासकर वहां की लैब्स और किताबें अपेक्षा से बहुत कम हैं। मुझे मालूम है कि यह मंत्री जी के विभाग से सीधे-सीधे संबंध नहीं रखता है, लेकिन अगर मंत्री जी, इन यूनिवर्सिटीज में उस तरह की रिसर्च नहीं होगी और साधन उपलब्ध नहीं होंगे, तो उसके बाद जो समान निकलता है, जो बाद में मंत्री जी का मंत्रिमंडल टेक-ओवर कर लेता है, अगर वहीं से हम पिछड़ जाते हैं, तो जो पूरे का पूरा ताना-बाना बुना जाएगा, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आपको कमजोर पाएगा। मैंने देखा है कि यह एक विशेष जगह है, जहां कमी पायी गयी है। जो एनुअल रिपोर्ट मैंने देखी, डिमांड और ग्रांट्स के दस्तावेज देखे, पिछले दो-चार सालों में कई ऐसी चीजें हैं, जिनके लिए विभाग को हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें इन्होंने बनाई हैं, एक विजन हेल्थ प्लान वर्ष 2007 से 2012 तक के लिए बनाया गया है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह प्रसन्नता की बात है, जिस चीज से एक्स्ट्रा म्यूरल फंडिंग सपोर्ट, जो इनके विभाग द्वारा दिया

[श्री सन्दीप दीक्षित]

जाता है, पिछले समय में इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। नैनो साइंस टेक्नालाजी इनीशिएटिव है, जिसमें आज विभाग समझता है कि उनको एक क्रिटिकल मार्क मिल गया है, जिससे नयी तकनीक पर हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं।

यंग साइंटिस्ट्स को सपोर्ट देने का कार्यक्रम अच्छे रूप से चल रहा है। देश-विदेश में आने-जाने की प्रक्रियाएं इन्होंने काफी हद तक बढ़ाई हैं। बहुत सी ऐसी चीजें इन्होने दी हैं। समाज से जुड़े हुए कार्यक्रमों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग अपने आपको सक्षम पा रहा है। मैंने इनके कुछ कार्यक्रमों में देखा, जैसे आर्सेनिक रिमूवल प्लांट के प्रयोग का काम छत्तीसगढ़ में अच्छे रूप में किया गया है। कम्युनिटी बेस्ड डीफ्लोराइजेशन का प्लांट पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास चलाया गया है। ऐसे कई छोटे-छोटे कार्यक्रम हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पायलट बेसिस पर, खासकर इस विभाग के जो कार्यक्रम होते हैं, अगर आप इनके पिछले 8-10 वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ें, लैब से लैंड वाली कहानी, जो पुरानी मुसीबत समझी जाती है, उसमें अभी भी बहुत ज्यादा गुणवत्ता नहीं देखी गई। आज हमें मंत्रिमंडल में काबिल मंत्री मिले हैं। मंत्री जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा अपनी मेहनत और व्यक्तित्व का प्रभाव डालेंगे, आपके पास बहुत काबिल अधिकारी हैं, अगर दो-चार ऐसे प्रोजैक्ट्स चल जाएं जो फील्ड पर तेज प्रभाव करने लगें, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगेगा।

आपके अंडर तीन-चार बड़े विभाग हैं-सर्वे ऑफ इंडिया, मैपिंग वाली संस्था, इंडियन मैटीरियोलॉजीकल डिपार्टमेंट, उसके साथ एक और संस्था है जो हमें शार्ट टर्म और मीडियम टर्म वातावरण या मौसम के बारे में जानकारी देती है। सर्वे ऑफ इंडिया का बड़ा गरिमामय इतिहास रहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अभी भी व्यावहारिक रूप में जब कोई साधारण व्यक्ति या शोध संस्थान, जिन्हें सर्वेयर जनरल के रिकार्ड या मैप की आवश्यकता पड़ती है, उसके समीप जाता है, तो वह संगठन उतना संवेदनशील नहीं है या उस रूप में हमें जानकारी नहीं मिलती जिस रूप में किसी भी अच्छे संस्थान की ज्यादा जानकारी मिल जाती है। सर्वे ऑफ इंडिया को इस रूप में ज्यादा सक्षम बनाएं। आज इंसान विवश होकर इंटरनेट पर चला जाता है और वहां उसे हजारों, लाखों तरीके मिल जाते हैं। वह वहां ज्यादा आसान तरीके से जानकारी ले लेता है। मैटीरियोलॉजीकल डिपार्टमेंट या मीडियम टर्म वैदर के प्रति जनमानस के मन में ऐसी भावना है कि शायद हमारा मैटीरियोलाजीकल डिपार्टमैंट उतना सक्षम नहीं है जितना होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि अगर हम मैटीरियोलॉजीकल डिपार्टमैंट या वैदर डिपार्टमैंट के बेसिस पर कोई कदम उठाएं, तो जरूरी नहीं है कि वह सीधे-सीधे उसके साथ सही कर पाए। मैं दिन-प्रतिदिन के मौसम की बात नहीं कर रहा हूं, लम्बे चरण के मौसम की बात कर रहा हूं। हमने पिछले कुछ दिनों अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ी हैं कि जिस तरह की मॉडलिंग हम अपने यहां इस्तेमाल करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और वैदर के विज्ञान में हमें जो सूचनाएं मिली हैं, उसमें वह आउटडेटेड हो गई हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने विभाग से कहें कि वह उस चीज को देखें। अपने आपमें हमेशा बदलाव लाना, अपने को डॉयनामिक संस्था रखना आज के हिन्दुस्तान की बहुत जरूरी आवश्यकता बन जाती है।

कुछ चीजें ऐसी बचती हैं, जिन्हें कहकर मैं अंत करना चाहूंगा। बची सिंह जी ने एक बात बहुत थोड़े शब्दों में कही। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए बहुत विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है। कल जब माननीय स्पीकर महोदय ने मुझे बोलने का समय दिया, तो मैं ग्लोबल वार्मिंग के विषय पर बहुत थोड़ा सा मैंशन कर पाया था। इंटर गवर्नैंटल पैनल ने जो रिपोर्ट निकाली है, वह कहीं न कहीं हम सबको डराती है। उस रिपोर्ट ने पहली बार इस बात को पुरजोर तरीके से रखा है कि मौसम बदल रहा है, दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, आ यह तथ्य है। शायद अब इस पर सवाल करना सही नहीं होगा। बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत सी ऐसी ताकतें हैं, जो शायद इस बात को न मानना चाहें या इसे कम करने के लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे, उन्हें न मानना चाहे। लेकिन आज हमारे सामने साफ रूप से यह बात आती है कि दोनों चीजें सत्य हैं और आने वाले 15-20 सालों में इसका बहुत बुरा असर पूरी मानवता पर पड़ने वाला है, अभी से पड़ने लगा है। रोज पीने के पानी की समस्या की बात हो रही है। रोज पता लग रहा है कि कहीं क्रॉप में कोई प्राब्लम है। मौसम किस तरह का बनता रहा है कि आज पुराने मापदंड धीरे-धीरे फेल होते जा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि क्या इस पर हिंदुस्तान में किसी शोध की आवश्यकता है? इसे बीच में रखकर, देश में तमाम जितनी पालिसियां और नियम बनते हैं, उनको किस रूप से, इस तथ्य को सामने रखकर, हमें आगे के 15-20 साल में आपने आपको किस तरीक से, इसके लिए तैयार करना है, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं नहीं जानता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कितने प्रभावी होंगे और बड़े विकसित देशों को अपनी चीज बदलने के लिए बाध्य कर पाएंगे, लेकिन कम से कम देश में उसे बदलने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने तीन बजट पहले एक चलन चालू किया था, जिसके तहत उन्होंने हर साल एक अच्छी संस्था को पकड़कर 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर कोई संस्था बनानी है, तो उसके लिए 100 करोड़ रुपये नगण्य है। हजार, दो हजार या चार हजार करोड़ रुपये से कम की लागत एक ऐसी संस्था को बनाने के लिए नहीं लगेगी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर सके। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम एक ऐसी संस्था देश में बनाने की आवश्यकता है। जब ऐसी कोई संस्था बनती है, तो उसके साथ उस देश में बहुत कुछ आता है। उसके साथ विज्ञान के लोग आयेंगे, साइंटिस्ट्स आयेंगे और रिसर्च का काम होगा, हिन्दुस्तान की अपनी फैक्टरीज को मदद मिलेगी, यहां के प्राइवेट सैक्टर को मदद मिलेगी और सरकार को मदद मिलेगी। वह केवल साइंस पर आधारित नहीं रहेगा, बल्कि बहुत सी व्यावहारिक चीजें भी उससे निकल कर आयेंगी।

मंत्री जी गूगल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, यह मैं जानता हूं। गूगल का एक मैपिंग साइट है लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास उतनी ही कैपेबल संस्थाएं हैं। एक प्राइवेट वेबसाइट जब इतनी ज्यादा इन्फोर्मेशन्स हमें अपने देश के बारे में दे सकती है, तो हमारे पास भी सूचनाओं और मैप की इन्फोर्मेशन का भंडार पड़ा हुआ है। क्या इसका मतलब यह है कि हम लोग कोई ऐसी चीज सामने नहीं ला सकते? ये ऐसे माध्यम हैं, जिनसे न केवल हर भारतवासी को सुविधा मिलेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दुस्तान का नाम भी आगे बढ़ेगा। मंत्री जी ने इसमें उल्लेख किया है और रिपोर्ट में भी मैंने देखा है कि चांदनी चौक में एक एक्सपैरीमैंट चल रहा है, जहां उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की बहुत सी चीजें अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल की हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होने इसे किया, लेकिन जो फायदे चांदनी चौक को आज मिल रहे हैं, और धीरे-धीरे मिलने लगेंगे खासकर दिल्ली नगर-निगम के साथ मिलकर वे जो प्लानिंग आज और आने वाले समय के लिए करने जा रहे हैं, उसे व्यापक स्तर पर एक-डेढ़ साल में दिल्ली ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के हर शहर में लाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से हिन्दुस्तान का हर शहर बिल्कुल अनप्लांड प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, पिछले एक साल में दिल्ली में हमने जो मुसीबतें देखीं, चाहे वह कोर्ट की कार्यवाही हो या किसी और की कार्यवाही हो, अगर हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी की इसमें मदद ली होती, तो वे न होतीं। अगर अपने विभागों को मुस्तैद करने के लिए सूचना का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो और शहरों में भी यही मुसीबत आयेगी। मंत्री जी ने पहले भी उल्लेख किया है और बाहर प्रैस मीडिया में भी इस बात को बताया है कि आज उनके पास ऐसे टूल्स हैं, जिसमें से कई चीजों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे शहर ज्यादा नियोजित तरीके से प्रगति कर सकें, आगे बढ़ सकें।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा और मंत्री जी ने कुछ जगहों पर यह बात कही थी। कुछ जगहों पर टीवी और रेडियो में हिन्दुस्तान के बहुत अच्छे साइंटिस्टों पर कार्यक्रम बनाये गये। मंत्री जी जानते होंगे कि जिस तरीके से हम टीवी और रेडियो पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम देखते हैं, चाहे साइंस पर देखें या वहां के साइंटिस्टों पर देखें, हिन्दुस्तान भाषाओं में, हमारे परिप्रेक्ष्य में, हमारे संदर्भ में बने हुए ऐसे कार्यक्रम नहीं देखने को मिलते। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपने विभाग द्वारा, क्योंकि इस चीज में व्यावसायिक फायदा नहीं है, इसलिए हम अपेक्षा तो नहीं कर सकते कि कोई प्राइवेट चैनल इस बात को निकालेगा, लेकिन साइंटिफिक टैम्पर बढ़ाने के लिए हमारे अपने देश की जो हजारों लाखों उपलब्धियां साइंस की फील्ड में है, उनका उल्लेख करने के लिए, जनमानस में उन धारणाओं को जो गलत धारणाएं हैं या कुछ सुपरस्टीशंस को कम करने के लिए, कहां-कहां किस तरीके के एक्सपैरीमेंट्स और एक्सपीरियेंसेस हो रहे हैं, उनको दिखाने की जरूरत है। इससे बच्चों में साइंस के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसे एक मनोरंजक तरीके से, आकर्षक तरीके से अगर हम लोग तरह-तरह की सीडी बनाकर उनको प्राइवेट और दूरदर्शन के चैनलों द्वारा प्रसारित कर सकें, तो बेसिक रिसर्च की जो दिक्कतें आज सामने आ रही हैं, जो साइंटिक टैम्पल बनाने की हम बात कर रहे हैं, बच्चों में साइंस के प्रति रुचि लाने की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत से कार्य धीरे-धीरे बढ़ते जायेंगे। आज टीवी ऐसा महत्वपूर्ण और पावरफुल माध्यम बन गया है कि उसके द्वारा अगर हम कोई चीज प्रसारित करते हैं, तो एकदम एक डिब्बे से लाखों घरों में चली जाती है और बच्चों के मानस में ऐसी जाकर घर करती है, जो शायद ही कोई और चीज घर कर पाती हो।

माननीय सदस्य बची सिंह जी ने पहले ही हमारे ट्रैडीशनल सिस्टम के डाकूमैंटेशन की बात की थी। अभी भी मुझे लगता है कि जो चीजें अभी हमारे पास हैं, हमारी पारम्परिक बहुत सी दवाइयां हैं, जो तौर-तरीके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो केवल संस्कृति और संस्कारों से जुड़ी हुई हैं। मैं उनकी बात कह रहा हूं जो दवाइयों के बारे में हैं। इरीगेशन के बारे में बहुत से सिस्टम हैं, लैण्ड मैनेजमेंट के बहुत से तरीके हैं, किस तरीके से पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहिए इसके बहुत से तरीके हैं, जंगल संरक्षण के हजारों तरीके हैं, ऐसे तमाम तरीके हैं जिनको अच्छी तरह से डाक्युमेंट करने और व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे काम कई अलग-अलग विभागों को दिये

[श्री सन्दीप दीक्षित]

गये हैं, लेकिन इन विभागों का कई बार उनके बारे में इन चीजों के विपरीत वेस्टेड इंट्रेस्ट होता है, जैसे हमारा स्वास्थ्य विभाग ट्रेडिशनल दवाओं के संरक्षण और उनको संजोने का काम कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में ज्यादातर एमबीबीएस और एमडी डाक्टर्स होते हैं जिनके मन में इन तौर-तरीकों के बारे में थोड़ी सी हीन भावना होती है। हमारी बहुत सी ऐसी पारम्परिक चीजें हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो केवल सुपरस्टिशन हैं, ऐसी चीजें चाहे आयुर्वेद से संबंधित हों, चाहे नेचुरोपैथी से संबंधित हैं, उनका संरक्षण करने की आवश्यकता है। हमारे आदिवासी अंचलों में तो हजारों लाखों ऐसे तरीके हैं जो बहुत लम्बे समय से चले आ रहे हैं, जिनका प्रभाव पड़ता है, चाहे टांग टूट जाए, चाहे छोटी-मोटी चोट लग जाए, चाहे सिरदर्द हो जाए या स्किन से संबंधित कोई बीमारी हो, उनसे उनका संबंध रहता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा विभाग है जो एक साइंटिफिक तरीके से, एक साइंटिफिक व्यु प्वाइंट से, किसी भी चीज को सोच-समझकर, उसकी उपयोगिता को देखते हुए डाक्युमेंट कर सकता है। अलग-अलग विभागों में कहीं न कहीं वेस्टेड इंट्रेस्ट इसके बीच में आएंगे। अगर माननीय मंत्री जी इन चीजों को संजोकर अपने विभाग में ला सकें तो ज्यादा बेहतर होगा।

सभापति महोदया, मैं इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

माननीय मंत्री जी आपके पिछले तीन साल में जो कार्य कर रहे हैं, वे सभी को प्रेरणा देते हैं। आप एक ऐसे विभाग में आए जिसे शायद राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, लेकिन आपने अपने कार्यों और काबिलियत से इस विभाग को उल्लेखनीय बनाया, जनपटल पर रखा और इस विभाग के कार्यों को हम सभी के सामने लाए। मैं इसके लिए सभी की ओर से आपको मुबारकबाद देता हूं। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आप चांदनी चौक में जो परियोजना चला रहे हैं, उसे केवल दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ाएं। इसी अपेक्षा के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): सभापति महोदया, मुझे इस चर्चा में भाग लेने, जो काफी महत्वपूर्ण विषय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर है, के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सामान्यत: अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। इसमें शक नहीं है कि मंत्रालय गत दो वर्षों से, माननीय मंत्री की पहल के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तथा ध्यान बढ़ रहा है।

लगातार योजना अवधियों में, यदि हम देखें, तो विशेष रूप से सातवीं योजना से बजट आवंटन बढ़ रहा है। ग्यारहवीं योजना दस्तावेज को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मुझे आशा है कि यह एक समान परंपरा बनी रहेगी तथा उसी प्रकार वृद्धि बनी रहेगी।

अपराह्न 2.53 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का आवंटन इस बार बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार बढ़ोत्तरी 17 प्रतिशत है जबकि पिछले बजट में 28 प्रतिशत था। मेरी समझ में इसे देखा जाना चाहिए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व सबको पता है। हमें चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इतिहास में, भारतीय सभ्यता तथा भारतीय विज्ञान साथ-साथ बढ़े। इतिहास में, आर्यभट्ट, चरक तथा सुश्रुत हुए जो भारत के गौरव थे। वर्तमान में भी, हमारे पास वैज्ञानिकों, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित लोगों की एक बड़ी संख्या है। हम अमेरिका के कुल वैज्ञानिक तथा तकनीकी विशेषज्ञों का 30 प्रतिशत अंश है। हम विश्व के वैज्ञानिक प्रकाशनों का 'गुड इम्पेक फैक्टर' के साथ 6% योगदान करते हैं तथा यह बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में प्रकाशनों में चीन का योगदान रहा है तथा चीन का प्रकाशन का 'इम्पेक्ट फैक्टर' हम से तेजी से बढ़ रहा है।

हमारे देश का इतिहास और परम्परा काफी अच्छी रही है। इस समय भी हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा भविष्य भी काफी अच्छा होगा क्योंकि अब सारा संसार अग्रणी विज्ञान में नई खोजों और योगदान के लिए या तो भारत अथवा चीन की ओर देख रहा है। प्रश्न यह है कि क्या हम उस दिशा में जाने के लिए तैयार है। यही मुख्य बात है। सरकार की जिंदगी 5 साल की होती है किंतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान की जिंदगी 5 साल तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव आगामी 25, 30 या 40 वर्षों तक बना रहता है। इस दृष्टिकोण से, क्या हम अपने को तैयार कर रहे हैं?

अब हम डीबीटी, सीएसआईआर और डीएसटी द्वारा प्रस्तावित प्रक्षेपित बजट को देखते हैं। यह 9,000 करोड़ रुपये था जबकि आबंटन लगभग 4,400 करोड़ रुपये है जोकि 50 प्रतिशत से भी कम है। अत: इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि प्रमुख क्षेत्रों जिनके बारे में संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव किया जा रहा था, उसमें काफी राशि पर समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय अथवा योजना आयोग अथवा और जो कोई भी हो, इस पर सहमत नहीं थे। ऐसा इस कारण से है कि हम अभी भी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जीडीपी का केवल 0.8 प्रतिशत खर्च करते हैं जबकि विकसित देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जीडीपी का 2-3 प्रतिशत या इससे भी अधिक हिस्सा खर्च कर रहे हैं। हमारे मामले में भी, प्रस्ताव में लगभग दो या तीन प्रतिशत राशि खर्च होनी थी। प्रधान मंत्री ने भी यही बात कही थी किंतु उसे व्यवहार में नहीं लाया जा सका। इसलिए, मेरा यह सुझाव है कि वित्त मंत्रालय को सरकारी खर्च, जिसे बढ़ाए जाने की जरूरत है, के अलावा प्रोत्साहन या कुछ अन्य चीज इस प्रकार देने का प्रबंध करने की योजना बनानी चाहिए कि निजी क्षेत्र भी अपने अनुसंधान और विकास कार्यों में अधिक रुचि लें।

यह चर्चा भी हुई थी कि दसवीं योजना में भी यह प्रस्ताव किया गया था कि हमारे अनुसंधान और विकास कार्यों के प्रयोजनार्थ धनराशि को अग्रेषित करने के लिए निजी उद्योगों पर कुछ उपकर लगाया जाए। संभवतया इस पर विचार नहीं किया जा सका। इसलिए, मेरा मंत्रालय से यह अनुरोध है कि वह इस मामले पर गौर करे क्योंकि ग्यारहवीं योजना अभी बनाई जा रही है और हमें जल्दी से इसे अंतिम रूप देना है। यदि हम वास्तव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहते हैं, जैसाकि किये जाने की जरूरत है, तो हमें इसके लिए अलग से योजना बनानी चाहिए।

मंत्रालय को और अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। कोई नई खोज वित्त मंत्रालय अथवा योजना आयोग के भरोसे नहीं हो सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है और न ही छोटे कामों के लिये यह आशा की जा सकती है। आपको श्रेष्ठ योग्यता वाले वैज्ञानिकों की सेवाएं लेनी होगी, उनका पता लगाना होगा और उन्हें विदेशों से वापस लाना होगा। न तो हमारी प्रणाली और न ही वित्त मंत्रालय के नौकरशाह इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आपको काफी स्वायत्तता और स्वतंत्रता देनी होगी और उसके बाद इसमें किसी प्रकार की नेटवर्किंग और अनुसंधान तथा विकास संबंधी लेखापरीक्षा प्रणाली जोड़नी होगी। संभवतया हमारे यहां इसका अभाव है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है इसके बजाय मेरा यह प्रस्ताव है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न मंत्रालयों के अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के साथ तालमेल करने हेतु एक नोडल मंत्रालय के रूप में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। विभिन्न मंत्रालय के अपने-अपने अनुसंधान और विकास कार्य है। उनका समुचित समन्वय और नेटवर्किंग नहीं की जा रही है।

दसवीं योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग बनाए जाने का प्रस्ताव था। मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि वे अविलम्ब आयोग की स्थापना करें। आईसीएमआर, आईसीएआर, डीआरडीओ जैसे अन्य सभी संगठनों के कार्यकलापों और नई खोजों को एक केन्द्रीय संस्थान के रूप में आयोग के माध्यम से नेटवर्क पर दिखाया जाए।

तीन चार मुद्दे ऐसे हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। पहला मुद्दा हमारे समाज के विकास से संबंधित है। यह मात्र सिद्धांत की बात नहीं है अपितु यह समाज के विकास और हमारे दैनिक प्रयोग के कार्यों की बात है। इस संबंध में, 5-7 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर एक मिशन के रूप में विचार किया जाना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

शायद, हम भारत में संचारी रोग आदि के साथ इन मुद्दों पर अभी भी पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाले खाद्यान्न के लिए कृषि प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने की बहुत जरूरत है। हमारे देश में वास्तव में इसकी बहुत ही जरूरत है। एक बार, पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी भी इसी दिशा में आगे बढ़े थे किंतु उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। पोषण विज्ञान और भेषज विज्ञान अनुसंधान दोनों का लक्ष्य इस देश के लोगों के भीतर स्व-प्रतिरक्षण का विकास करना है।

इसी प्रकार, विशिष्ट कम लागत वाली लक्ष्योन्मुखी चिकित्सा नैदान तकनीक को विकसित करने का मुद्दा है। मेरा यह मानना है कि इसे किसी प्रकार की प्राथमिकता दी जाए। पर्यावरण की तुलना में सतत विकास, जो काफी महत्वपूर्ण है, के लिए विशेष योजना बनाई जाए। सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता और हर्बल अनुसंधान हेतु प्रबंध भी किये जाने चाहिए। हमारी परम्परागत शक्ति को विश्वभर में माना गया है किंतु हम जापान, कनाडा, जर्मनी या अमरीका की तरह उस पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्पष्टतया भारत की मुख्य शक्ति उसकी परम्परागत ज्ञान, हमारी जैव विविधता है जिसकी संसार के किसी देश से तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए, हमें अल्पकाल में प्राप्त किये जाने योग्य लक्ष्यों के लिए उन शक्तियों को ध्यान में रखकर योजनाओं का प्रस्ताव करना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ मिशन की तरह के कार्यक्रम होने चाहिए।

विज्ञान को केवल दैनिक उपयोग के मुद्दे तक सीमित नहीं किया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ बड़े अनुसंधान पर बल दिया जाना चाहिए। इसमें विकल्प के तौर पर अग्रिम विज्ञान है। सरकार द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ मिशन की तरह के कार्यक्रमों पर काम शुरू किया जा रहा है। पर्यावरण को साफ रखने का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। हम इसके लिए कुछ संस्थानों का प्रस्ताव करेंगे। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं अपितु मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। किसी ऐसे देश में, जहां काफी जैव विविधता है, इसे अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है? क्या हम उस लक्ष्य के लिए योजना बना रहे हैं?

[डा. सुबान चक्रबर्ती]

फ्यूल सैल अनुसंधान और सोलर सैल अनुसंधान भविष्य अर्थात् 10 या 20 वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के मुद्दे होंगे। ऐसा ही मुद्दा नेनोटेक्नोलॉजी है। मेरा यह मानना है कि इस शताब्दी का उत्तरार्द्ध नेनोटेक्नोलॉजी का होगा।

जहां तक स्टेम सैल और बोर्ड ब्लड अनुसंधान के मुद्दे का संबंध है, हमने इस पर काफी पहले काम शुरू कर दिया था किंतु अमरीका और चीन जैसे देशों ने हमसे ज्यादा प्रगति कर ली है। हम अभी तक संबंधित कार्यों को विकसित नहीं कर पाए हैं। मानसून डायनामिक्स अथवा जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे भी है। मेरा यह मानना है कि ऐसे अन्य मुख्य मुद्दों को भी अनुसंधान और विकास के हमारे अग्रणी क्षेत्रों में ज्यादा महत्व दिया जा सकता है। इसलिए, हमें इस दिशा में अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

जनशक्ति सृजन का भी मुद्दा है। इस समस्या के बारे में अपने भाषण के दौरान श्री संदीप दीक्षित ने भी बताया था कि विज्ञान में छात्रों की रुचि चाहे वह प्रौद्योगिकी में हो अथवा बुनियादी विज्ञान शिक्षा अथवा बुनियादी विज्ञान अनुसंधान दोनों में खत्म हो रही है। स्पष्टतया इस प्रकार का अनुसंधान एक अंतर-अनुशासनिक प्रकार का होना चाहिए। शायद, कुछ पुराने संस्थानों को बुनियादी विज्ञान अनुसंधान करने के लिए बदला जा सकता है अथवा हम सरल रूपांतर (ट्रांसनेशनल) अनुसंधान हेतु कुछ नए संस्थान विकसित कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि सरकार भी ऐसे संस्थानों का प्रस्ताव करेगी। इन दिनों नालेज इकोनामी का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है।

एक समय था जब भूमि अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रही थी। इसके बाद उसे पूंजी ने नियंत्रित किया और अब ऐसा समय आएगा जब ज्ञान अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा। हम किस प्रकार ज्ञान संस्थानों को अधिकतम स्तर तक विकसित कर सकते हैं और देश के चारों क्षेत्रों में इसे वितरित कर पाएंगे ताकि इसका अधिकेन्द्रीयकरण न हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है कि गत 20 वर्षों के लिए यह अधिकेन्द्रीयकृत हो रही है। यह कोई सही बात नहीं है। हमारे देश में 1 मिलियन आबादी में से केवल लगभग 159 व्यक्ति, अनुसंधान और विकास के काम में लगे हुए हैं जबकि विकसित देशों में 2500 से 3000 व्यक्ति इस काम में लगे हुए हैं। इसलिए, हमें सबसे संभव तरीके से यह करने के तरीके खोजने होंगे। मेरा यह सुझाव है कि विज्ञान और अनुसंधान को इस तरीके से समेकित किया जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी, अग्रणी विज्ञान, बुनियादी विज्ञान और नए संस्थान बनाने के मुद्दों का तदनुसार समाधान हो सके। इसलिए, मेरा यह अनुरोध है कि वैज्ञानिकों के बारे में विचार मंथन होना चाहिए। भारत के पास अभी भी श्रेष्ठ वैज्ञानिक है। उनके बीच आपस में चर्चा होनी चाहिए। यह केवल एक पंचवर्षीय योजना का ही प्रश्न नहीं है। यह उन 20-30 वर्षीय योजना का प्रश्न है जिसके एक भाग के रूप में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक बजट का प्रस्ताव किया जा सकता है।

अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान की लोकप्रियता के बारे में है। आजादी के दिनों से ही प्रधानमंत्रियों और सरकारों ने हर बार कई मुद्दों पर ध्यान दिया जिन्हें मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। उदाहरण के लिए पर्यावरण संबंधी हमारी चिंता को ही लें। वास्तव में हम इसके प्रति अधिक चिंतित नहीं है। उदाहरण के लिए तार्किकता के विकास और वैज्ञानिक सोच के बारे में हमारी चिंता को ही ले। इन शब्दों से हम सभी परिचित है किंतु क्या इनका उचित प्रकार से विकास हुआ है? इसके लिए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के प्रश्न को ही लें।

विज्ञान की लोकप्रियता के लिए रेल विज्ञान जैसे कुछ कार्यक्रम हैं। किंतु क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम इस प्रयोजनार्थ स्कूलों में ईको-क्लब का चयन करें। स्कूलों में हजारों ऐसे क्लब हैं जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर काम कर सकते हैं। चूंकि स्कूलों में पहले से ही ढांचा विद्यमान है, हमें यह देखना है कि स्कूल के ईको-क्लबों को किस प्रकार हमारी वैज्ञानिक, सोच, वैज्ञानिक ज्ञान, वैज्ञानिक मूल्यों आदि को प्रचार प्रसार केन्द्र के रूप में कार्यशील बनाया जाए। मुझे विश्वास है कि ईको-क्लब का प्रयोग हमारी भावी पीढ़ियों के लिए किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, हम रेल विज्ञान का आयोजन कर रहे हैं किंतु इससे बेहतर उपाय देश के विभिन्न जिलों और उप मंडलों में विज्ञान मेलों का आयोजन करना होगा। ऐसा करने में ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा बल्कि इससे ऐसा माहौल बनेगा जिसमें सभी संबंधित विभागों और स्थानीय संसाधनों, स्कूली छात्रों अध्यापकों को शामिल किया जा सकता है और ऐसे कार्यकलाप किये जा सकते हैं जो हमें वास्तव में वैज्ञानिक खोज विकसित करने के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं।

यह मेरा अंतिम सुझाव है और पहले ही इसका प्रस्ताव किया जा चुका है। देश में काफी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान चल रहा है। काफी अनुसंधानकर्त्ता लोगों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। किंतु कोई भी कतिपय मूल जानकारी के बारे में नहीं जानता है। कोई यह नहीं जानता है कि अलॉय वीरा किस प्रकार प्रभावी रूप से काम कर रहा है और किस प्रकार उसे भविष्य का जिनसिंग समझा जा रहा है? उस जानकारी को किस प्रकार फैलाया जा सकता है? उदाहरण के लिए हल्दी को लीजिए। निस्संदेह यह काफी अच्छी और प्रभावी है।

हमारे कृषि उत्पादन की अपेक्षाकृत नई तकनीकों और विभिन्न जैविक लाभों को प्रचारित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से, यह ज्ञान जो हमारे अनुसंधान संस्थानों अथवा खेतों में अर्जित किया जा रहा है लोगों के बीच बांटा जाना चाहिए।

मैं विशिष्ट रूप से अनुरोध करता हूं कि हमें वैज्ञानिक प्रकृति को बढ़ावा देने हेतु एक अलग टी.वी. चैनल विकसित करना चाहिए। मेरी समझ से यह सही समय है जब वैज्ञानिक सूचना, ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और विभिन्न संगठनों द्वारा किये जा रहे प्रभावी कार्यों के प्रचार हेतु देश में एक समर्पित टी.वी. चैनल हो जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, एक विशिष्ट वैज्ञानिक टेलीविजन चैनल शुरू किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो कम से कम लोक सभा और राज्य सभा चैनलों का उपयोग लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करने के लिए किया जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, मैं इस सीट से बोलने की इजाजत चाहता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, मैं आज इस बजट सत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बजट के पूरे समर्थन के साथ यह कहना चाहूंगा कि देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास है, वह पिछले कुछ वर्षों में तेज हुआ है। लेकिन जो लम्बे समय से विभाग शिथिल पड़ा है, जिसके 1971 में एग्जिस्टेन्स में आने के बाद, बहुत कच्छप गति से उसे गति मिली, वह बहुत धीमी गति से चला, आज उसमें बहुत एक्सिलरेशन की जरूरत है, उसे और तेज किये जाने की आवश्यकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर बहुत सारे रिसर्च आर्गेनाइजेशंस और रिसर्च इंस्टिट्यूट्स हैं। इसके तहत भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आदि कार्य कर रहे हैं। मैं कृषि अनुसंधान परिषद कार्य कर रही है, लेकिन जो उसके रिसर्च आउटपुट्स हैं, वे पूरी तरह से विकेन्द्रीकृत नहीं हो पाते हैं और जो उनके लेटेस्ट रिसर्च आउटपुट्स हैं, जिनकी वॉयबिलिटी आज खेती में पूरी नहीं हो पा रही है, उन्हें छोटे और आम किसानों तक पहुंचाने में जो लम्बा समय और लम्बी दूरी रह जाती है, उसे कम करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो आपने रिसर्च की है, उसके हार्मफुल इफैक्ट्स क्या हैं-इन बातों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। मान लीजिए कि कृषि उत्पाद के रूप में, कृषि को बढ़ावा देने के लिए हमने किसी कैमिकल और पैस्टिसाइड की रिसर्च की, लेकिन जो उसके आफ्टर इफैक्ट्स हैं, जो किसानों के या कृषि के भविष्य से जुड़ी हुई बातें हैं, जो हमारे किसानों के मित्र कीट हैं, उनका इनसैक्टिसाइड्स से नाश हो गया। आने वाले समय में, जो हमारा ईको-सिस्टम है, वह उससे इम्बैलेन्स हो गया, या फिर जो उसके चेन इफैक्ट्स हैं, जो उसके श्रृंखलाबद्ध कुप्रभाव हैं, उन्हें कम करने या खत्म करने की दिशा में भी रिसर्च करने की आवश्यकता है।

महोदय, भारत एक ऐसा देश है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंधविध्वंसात्मक विकास की होड़ में शामिल नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने वाला भारत आज निर्माणात्मक विकास के लिए कृतसंकल्पित है, जिसमें मानवता, सद्भावना और पर्यावरण को ध्यान में रखकर निर्माणात्मक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाएं बनाई जानी चाहिए। दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी दृष्टि में रखकर उसे आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इसमें पर्यावरण और अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों के ऑप्टिमम एक्सप्लॉयटेशन की ओर हमारा ध्यान अवश्य होना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ और लोगों द्वारा उसके इस्तेमाल के साथ-साथ देश और दुनिया के पर्यावरण पर इसका बहुत कुप्रभाव पड़ा है। ऐसा इस कारण हुआ कि हमने एक विजन के साथ रिसर्च को ओरियन्ट नहीं किया। हमारे जो आउटपुट्स हैं, उनका इस्तेमाल तो हम करना चाहते हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल के बाद उनके व्यापक प्रभाव और कुप्रभाव की समीक्षा नहीं की गई और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया गया। आज बहुत सारी गैसें हैं, जिनका इस्तेमाल फ्रिज और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज में हो रहा है। पूरी दुनिया के स्तर पर इसके लिए कानून बनाये गये और किस वर्ष तक इनका इस्तेमाल करना है और किस वर्ष तक नहीं करना है, यह भी निश्चित किया गया। समय से पहले ओजोन लेयर में छिद्र होने लगे, उसकी मोटाई घटने लगी और विभिन्न तरह के कुप्रभाव मानवता और धरती के पर्यावरण पर पड़ने लगे। जब एक रिसर्च आउटपुट आती है तो उसके साथ-साथ उसमें चेन रिसर्च का भी प्रावधान होना चाहिए। इसलिए समय से पहले फीड बैक किया जाना चाहिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति आज पैदा हुई है, मैं नहीं कहता कि सिर्फ भारत की ही विकसित तकनीकी के इस्तेमाल से हुई है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत पूरी दुनिया

[श्री आलोक कुमार मेहता]

में ऐसे मूल्यों का नेतृत्व करता रहा है। इसलिए भारत की पहली जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे क्षेत्र में अपने उन मूल्यों को सामने रखकर ही हमारी जो रिसर्च प्रौद्योगिकी है, उसके इस्तेमाल और आगे उसके रिसर्च की योजना बनायी जानी चाहिए। जो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, सच कहें तो उसका एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसका ऑप्टिमम नहीं, मिनिमम भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसका महज कुछ प्रतिशत ही इस्तेमाल आज सिर्फ कुछ जगहों पर हो रहा है और वह भी पूरी दुनिया के स्तर पर, रिसर्च स्तर पर हो रहा है। रिसर्च स्तर पर यह अभी इस तरह से अटका पड़ा है कि कोई भी प्रोजेक्ट अपना सम्पूर्ण रूप नहीं ले पा रहा है, आम लोगों में पोपुलर नहीं हो पा रहा है कि कैसे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सोलर एनर्जी से लेकर विंड एनर्जी तक की पोटेंसी को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग हो या पर्यावरण से संबंधित दूसरी चुनौतियां हों, इन तमाम चुनौतियों का समाधान ऐसे ही इस्तेमाल और रिसर्च में छिपा हुआ है। इसलिए जिन बिन्दुओं पर जोर दिया जाना चाहिए, उनमें से एक यह भी है जो हमें नेचर की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है। यानी जो रिसर्च है, वह हमारे नेचर को कुप्रभावित न कर सके, इस बात की तरफ भी रिसर्च में ध्यान देने की आवश्यकता है।

कृषि अनुसंधान के बाद जो देशी टैक्नॉलोजी है, हम धड़ल्ले से तकनीकी इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम मानते हैं, हम धड़ल्ले से तकनीकी इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का अभाव नहीं है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि तकनीकी इम्पोर्ट के लिए इतनी छूट होनी चाहिए। हमारे देश में जब वैसी तकनीकी उपलब्ध हो तो उसके विकास को प्रमोट किया जाए, यह हमारे देश के लिए बेहतर प्रयास हो सकता है। इसलिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए और एलोकेशन की आवश्यकता है।

सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हमारा देश पूरी दुनिया में नाम कर रहा है और पूरी दुनिया में जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या फिर दूसरे देशों की सरकारें हैं, उनमें भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक और इंजीनियर काम कर रहे हैं। इस देश में मनीऑर्डर इकोनामी का भी कंट्रीब्यूशन धीरे-धीरे उनके माध्यम से हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी दूसरे देशों में जाकर जो लोग बहुत बड़े कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं, उनको इस देश में स्थान मिलना चाहिए तथा सरकार को उस दिशा में विशेष प्रयास करने चाहिए।

हमारे यहां सॉफ्टवेयर टैक्नॉलोजी पार्क बने। मैं संख्या गिन रहा था। पूरे देश में लगभग 46 पार्क 21 राज्यों में बने हैं। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन 21 राज्यों में बिहार जैसा राज्य शामिल नहीं है, जहां के लगभग दस प्रतिशत सॉफ्टवेयर साइंटिस्टस पूरे देश में और दुनिया में फैले हुए हैं। इसके साथ ही, यह भी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सॉफ्टवेयर टैक्नालोजी पार्क बनाने की इस देश में जो शुरुआत हुई, उसमें यह 24वां वर्ष है, यदि सरकार की ओर से कहा जाता है कि वहां पर साफ्टवेयर डैवलपमेंट इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं कहूंगा कि शुरु में बैंगलौर में, भुवेश्वर में, या ऐसी अन्य जगहों पर जब ये पार्क बनाये गये थे, तो उस समय भी दो-चार एन्टरप्रेनुअर्स ने एप्रोच किया था और उन्हें डिस्काउंट रेट पर वहां जगह दी गई थी। उनको बसने में दस वर्ष लगे। इसलिए जब चिकिन-ऐग रिलेशन वाली बात आती है कि पहले टैक्नॉलोजी पार्क बनेगा कि पहले इंडस्ट्री आएगी, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में सॉफ्टवेयर टैक्नालोजी पार्क निश्चित रूप से स्थापित करवाएं ताकि वहां की जो पोटेंसी है, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर फिल्में उपलब्ध है और वहां बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें वहां जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए वे लोग पलायन कर जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस बजट में साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क की सूची को शामिल करने का प्रयास करें।

सभापति जी, आज देश के 12 राज्यों में साइंस एंड टैक्नोलोजी उद्यमता पार्क बने हुए हैं, लेकिन बिहार राज्य में कोई नहीं है। मैं यहां केवल बिहार की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं ऐसे वैज्ञानिकों को जानता हूं जो देश के अन्य राज्यों में काम करते हैं। देश के 16 राज्यों में टैक्नोलोजी बिजनैस इन्नोवेंटर्स स्थापित किये गये हैं, जिनमें बिहार शामिल नहीं है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे तीनों प्रकार के पार्कों की स्थापना बिहार में होनी चाहिए।

सभापति जी, मेरा संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर है, जहां आई.टी.आई. संस्थान की स्थापना चिरप्रतीक्षित है। साइंस एंड टैक्नोलोजी के क्षेत्र में वहां बहुत काम किया जा सकता है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाये। वहां साईंस एंड टैक्नोलोजी विभाग से संबंधित-आई.टी.आई. से लेकर या जो दूसरे एसोसिएटेड संस्थान हैं, उनकी स्थापना की जाये।

सभापति जी, हमने अपने संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर में साईंस क्लब की स्थापना वहां के विद्यालय में की है, जिसके रिजल्ट देखे जा रहे हैं। इससे वहां के छात्रों में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ने लगी है और वे छोटे छोटे मॉडल्स पर रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग साइंस

एग्जीबीशन की परम्परा वहां शुरू कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इसके पहले भी विद्यालयों में एन.सी.सी. को बढ़ावा दिया गया था, जिससे बहुत प्रगति हुई थी। इसलिए हर उच्च विद्यालय में साईंस क्लब की स्थापना होनी चाहिए। सरकार के पास किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना भी है। इसलिए साईंस क्लब की स्थापना विद्यालयों में की जाये ताकि जो किशोर बच्चे हैं, जिनमें इन्नोवेशन कैपेसिटी है, उन्हें शुरू से ग्रूम करने और आगे बढ़ने का मौका मिले ताकि आने वाले दिनों में वैज्ञानिक के रूप में विकसित करने में उन्हें सपोर्ट मिल सके। इसके साथ ही सरकार भी आश्वस्त हो सकेगी कि वहां वैज्ञानिक तैयार हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां यदि प्रोत्साहन दिया जाये तो वे लोग अपना कैरियर चुन सकते हैं। आज तो पैकेज का युग है और मांग भी चल रही है लेकिन शुरु में उन लोगों में रिसर्च एंड डैवलेपमेंट के क्षेत्र में आने के प्रति हिचकिचाहट हो सकती है। यदि उन बच्चों में इंटरैस्ट डेवलप कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में उसका लाभ हम लोगों को मिल सकेगा।

सभापति जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मैंने जिन बिन्दुओं की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाया है, उन्हें इस बजट में शामिल करने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदय, हम वर्ष 2007-08 हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका संबंध सिर्फ विज्ञान और प्रौद्यगिकी मंत्रालय से न होकर भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों से भी है। इसलिए, यह हमें विज्ञान के कुछ पहलुओं और विभिन्न मंत्रालयों में इसके कार्यकरण पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकीय उन्नति का दोहन आप विकसित देशों में आर्थिक विकास का मुख्य स्रोत है। नई प्रौद्योगिकियों का वैश्विक बाजार हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में देशों के तुलनात्मक फायदों हेतु दूरगामी महत्व है। जारी विज्ञान और प्रौद्योगिकीय पुनरुत्थान को चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है और इसके लिए, हमें उभरते विश्व बाजार में समुचित व्यवस्थित रणनीति की आवश्यकता है। इस संबंध में, हमें सरकार और मंत्रालय से यह जानना चाहिए कि उनकी वास्तविक उपलब्धि क्या है।

आज विज्ञान ने प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह ग्रामीण हो अथवा शहरी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित किया है। परन्तु सरकार अथवा मंत्रालय वस्तुत: जो कर रहे हैं वह काफी उत्साहजनक नहीं है। वैज्ञानिकों का यह मिशन होना चाहिए कि वे आविष्कार करें तथा उनसे प्राप्त प्रौद्योगिकियों तथा उत्पादों का प्रयोग करोड़ों लोगों का जीवन सुधारने में करें। परन्तु हमारे देश में आज विज्ञान की वास्तविक स्थिति क्या है? भारत में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी काफी दयनीय स्थिति में है। यह मेरा अपना विचार नहीं है। इस स्थिति का उल्लेख कोई और नहीं बल्कि स्वयं मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने माननीय प्रधान मंत्री से किया है। माननीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, प्रो. सी.एन. राव ने उनको संबोधित अपने एक अभूतपूर्व पत्र में कहा है कि भारत में विज्ञान एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है और इसका भविष्य नौकरशाही के चंगुल में फंस गया है। जब तक 'इस प्रणाली में मूलभूत अवसरंचनात्मक परिवर्तन' नहीं लाया जाता तब तक भारत की स्थिति में सकारात्मक सुधार नहीं होगा। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से उत्तर चाहूंगा। यह बात किसी और द्वारा नहीं बल्कि माननीय प्रधान मंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा कही गयी है। वर्तमान में, हमारे देश में विज्ञान की यही स्थिति है। इस सरकार के दौरान विज्ञान का भविष्य क्या है?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान और अनुसंधान से जुड़े अन्य मंत्रालयों में कोई अवसंरचनात्मक बदलाव लाने के बारे में विचार कर रही है। उनकी भावी योजना क्या है? इस दिशा में वस्तुत: क्या करने की उनकी कल्पना है। वर्ष 2001 और 2005 के बीच सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय व्यय 0.78 प्रतिशत और 0.82 प्रतिशत के बीच रहा है जो एक प्रतिशत से भी कम है। अन्य देशों में राष्ट्रीय व्यय भारत से अधिक है। उदाहरणार्थ, अनुसंधान और विकास कार्य पर स्वीडन अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4.2 प्रतिशत; जापान 3.11 प्रतिशत; अमरीका 2.67 प्रतिशत, डेनमार्क 2.51 प्रतिशत तथा दक्षिण कोरिया 2.91 प्रतिशत खर्च करता है। इस प्रकार हम अपने सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को एक प्रतिशत से भी कम खर्च करते हैं। परन्तु अच्छी खबर यह है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 94वें सत्र में माननीय प्रधानमंत्री ने बुनियादी विज्ञान और अनुसंधान के अध्ययन के निवेश पर बल देने का आह्वान किया है और प्रस्ताव किया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वार्षिक व्यय बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत कर दिया जाए। इस प्रकार, उन्होंने देश को अगले पांच वर्षों में इसके ऊपर सकल घरेलू उत्पाद का करीब 2 प्रतिशत खर्च करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह प्रस्ताव जनवरी, 2007 में किया। अब बजट आ गया है और हम अप्रैल के अंत में इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह वर्ष 2007-08 में बजट में

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

परिलक्षित होता है। परन्तु सम्माननीय राष्ट्रपति जी की बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठानों द्वारा निधियों का कम उपयोग किये जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया है।

जिस दिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत खर्च करने का आश्वासन व वचन दिया, ठीक उसके दूसरे दिन माननीय राष्ट्रपति ने कहा था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु आवंटित धनराशि का कम उपयोग हुआ है। उन्होंने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि वर्ष 2005-06 के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित निधियों के 20 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इसका अभिप्राय है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा विज्ञान से जुड़े अन्य मंत्रालयों ने सकल घरेलू उत्पाद के मात्र 0.25 प्रतिशत हिस्से का उपयोग किया है। उपयोग की गयी 0.25 प्रतिशत धनराशि के समक्ष दो प्रतिशत की प्रस्तावित यह धनराशि कहां ठहरती है। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु सकल घरेलू उत्पाद का यहां तक कि 0.25 प्रतिशत खर्च करने की स्थिति में नहीं है तथा हम सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत खर्च करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। धनराशि का कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान से संबंधित अन्य मंत्रालय उस धनराशि को व्यय क्यों नहीं कर पाये जो संसद ने उन्हें उपलब्ध कराई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा विज्ञान से संबंधित अन्य मंत्रालयों की यही स्थिति है।

महोदय, कतिपय अधिकारियों ने हमें बताया है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान शिक्षा पर एक लाख करोड़ रुपये का व्यय किये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में इस धनराशि में से कितनी धनराशि व्यय करने की सोच रहा है? यदि विभाग विज्ञान शिक्षा पर एक लाख रुपये खर्च करने के बारे में सचमुच गम्भीर है तो उन्होंने योजना के प्रथम वर्ष में कुछ धनराशि अवश्य खर्च करनी चाहिए। उनका अनुमान क्या है? वे प्रथम वर्ष में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। बुनियादी विज्ञान अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत श्री एम.एम. शर्मा के अधीन गठित कार्यबल ने इस तथ्य पर चिन्ता व्यक्त की है कि विश्वविद्यालयों में विज्ञान संकाय में लम्बे समय से शिक्षकों के पद खाली हैं। जब विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पद खाली पड़े हैं तो हम अनुसंधान और विज्ञान के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। यद्यपि यह विषय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ा है, मैं इस पहलू का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इसका संबंध विज्ञान और प्रौद्योगकी विभाग से है। कुल मिलाकर, यह सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है।

महोदय, यह विभाग जैव प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए उत्तरदायी है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा इस प्रौद्योगिकी में सतत खाद्य उत्पादन, पोषाहार सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण सुरक्षा क्षेत्र में विपुल संभावनाएं हैं। किंतु आज कृषि उत्पादन के संबंध में क्या स्थिति है। भारतीय कृषि गम्भीर संकट में है। तीन दशकों के बाद आज भारत, जो अनाज के मामले में आत्मनिर्भर देश हो गया था, खाद्यान्नों का आयातक बन गया है। एक समय हम खाद्यान्नों का निर्यात कर रहे थे, आज स्थिति ऐसी बन गयी है कि हम खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए, हमें जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े वैज्ञानिकों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। उन्हें खाद्यान्नों की कमी की इस स्थिति से निपटने हेतु द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान करना चाहिए। यही वजह है कि मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर आकर्षित कर रहा हूं कि कृषि क्षेत्र में इस प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम तरीके से किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है तथा किस प्रकार से कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

महोदय, हम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन पर भारी धनराशि खर्च कर रहे हैं। मुझे पता है कि यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला मामला है, किन्तु फिर भी मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। सरकार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन पर 5,000 करोड़ रुपये से 6,000 करोड़ रुपये व्यय कर रही है किन्तु इस संगठन की दशा क्या है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की दयनीय दशा यह है कि 58 वर्षों के हमारे प्रयासों के बावजूद रक्षा प्रौद्योगिकी और औद्योगिक आधार की स्थिति ऐसी है कि देश में आयुधों और उपकरणों का विकास नहीं हो रहा है तथा रक्षा उपकरणों के आयात के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। हम विश्व में रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातक हैं। इस वर्ष हमने इस पर कई करोड़ रुपये खर्च किये है परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला है। हम अन्य देशों से यहां तक कि राइफल और हथियारों की खरीद कर रहे हैं। इस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में आत्मावलोकन की आवश्यकता है। हमें अपने वैज्ञानिकों को श्रेय देना चाहिए। ऐसा करने का उचित कारण है और मैं उन्हें दोषी भी नहीं ठहराना चाहता। परन्तु कुल मिलाकर इसका क्या परिणाम निकला? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक लेखापरीक्षा होनी चाहिए। इसकी बहुत आवश्यकता है। ऐसा करने का समय आ गया है क्योंकि देश द्वारा इस पर समय और धन खर्च किये जाने के बावजूद पिछले 58 वर्षों में कोई परिणाम नहीं निकला है। हमारा देश यह सब बर्दाश्त नहीं कर

सकता। वैज्ञानिक लेखापरीक्षा अवश्य होनी चाहिए। रक्षा के नाम पर, हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं तथा अंतत: अंत में कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जब हम विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं तब सरकार को इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा।

दूसरा पहलू पेटेण्ट कानून है। हम कह रहे हैं कि हम वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, परन्तु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है वैज्ञानिक पेटेण्ट पंजीकरण के लिए चक्कर काटते रहते हैं। कोई पंजीकरण कार्यालय नहीं है। यह वाणिज्य मंत्रालय का हिस्सा है तथा कोई भी व्यक्ति पेटेण्ट पंजीकरण हेतु ध्यान नहीं दे रहा है। अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों को हम किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकते हैं? अन्य देशों में, पेटेण्ट के पंजीकरण हेतु प्रोत्साहन दिये जाते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिक नौकरशाही द्वारा पैदा की जा रही अड़चनों के कारण इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं और फिर भी उन्हें पेटेंटों के पंजीकरण के लिए कार्यक्षेत्र नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। पर्याप्त पंजीकरण कार्यालय होने चाहिए तथा इन पंजीकरण कार्यालयों में, अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक होने चाहिए ताकि उनका आसानी से पंजीकरण हो सके। जहां तक अनुसंधान एवं विकास का संबंध है वैज्ञानिकों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

उदारीकरण के बाद, यह कहा गया था कि देश में नई आर्थिक नीति का अनुमोदन हुआ है अब हम विज्ञान के विकास पर अधिकतम धनराशि खर्च कर सकते हैं। अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में हम कितना खर्च कर रहे हैं। आपको खुशी होती है यदि हमारे उद्योग अन्य देशों से औद्योगिक एवं अन्य वस्तुएं खरीदते हैं तथा हमें इस बात पर भी खुशी होती है कि दुनिया में अमीर देशों में हम आठवें स्थान पर हैं। आज का समाचार है कि डालर के सन्दर्भ में हम विश्व में आठवें स्थान पर हैं। हमें इस बात की खुशी है। लेकिन हम अनुसंधान एवं विकास पर कितना खर्च कर रहे हैं? सरकारी एवं गैर सरकारी, दोनों क्षेत्र इस पर खर्च नहीं करते हैं। अब समय आ गया है, जबकि हम इस संबंध में कानून बनाएं ताकि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कुछ खर्च अवश्य हो क्योंकि वे देश के समस्त प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तथा इनसे वे लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए हमें एक कानून बनाना चाहिए ताकि वे अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कुछ धनराशि अवश्य ही खर्च करें। सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

इस सभा ने शिक्षा उपकर लगाने की स्वीकृति दे दी है तथा हम शिक्षा उपकर प्रभारित कर रहे हैं तथा इससे प्राप्त धनराशि 7000 करोड़ रुपये से 8000 करोड़ रुपये होती है। राजग के शासनकाल में यह धनराशि 5000 करोड़ रुपये हुआ करती थी। क्योंकि वैज्ञानिक विकास उपकर लगाया जाए। सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए। सभा इसे स्वीकृति देगी तथा हम इसका समर्थन करेंगे। यदि सरकार के पास धन नहीं है तो वह विज्ञान के विकास संबंधी उपकर लगाए। उद्योग जगत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उपकर के रूप में कतिपय धनराशि देनी चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ताकि हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत खर्च कर सकें।

एक और चिन्तनीय बात प्रतिभा पलायन से संबंधित है। हम प्रतिभा पलायन के बारे में चर्चा करने के लिए स्वतंत्र है, महोदय, हम पहले भी प्रतिभा पलायन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमारा गरीब देश प्रौद्योगिकी में युवाओं की शिक्षा पर लाखों रुपये खर्च करता है पर वे शिक्षा पाने के बाद अन्य देशों में चले जाते हैं।

वक्त आ गया है कि जब हम इस पर प्रतिबंध लगाएं। पूरे देश में, खासकर उड़ीसा में चिकित्सकों की बेहद कमी है। शिक्षा प्राप्ति के बाद ये चिकित्सक विदेश जाकर अन्य देशों की सेवा करते हैं। अभियंता भी देश से बाहर जा रहे हैं तथा वे अन्य देशों की सेवा करते हैं। हमें इस सब पर रोक लगानी होगी। इन्हें इन पर खर्च की गई धनराशि वापस करनी चाहिए। उनकी शिक्षा पर गरीब करदाताओं कर के रूप में वास्तव की गई धनराशि खर्च की है। बिना अपने देश की सेवा किये इन्हें अन्य देशों में नहीं जाना चाहिए। वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, अभियंताओं और अन्य बेहतर प्रतिभावान व्यावसायिकों के लिए हम बेहतर वेतन उपलब्ध कराएं। अन्य देशों में बेहतर वेतन एवं अन्य सुविधाएं उन्हें आकर्षित करते हैं। इसलिए सरकार को इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए। उनके प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए हमें उनके वेतन एवं अन्य सुविधाएं और आकर्षित बनानी चाहिए ताकि वे विदेश नहीं जाएं। मेरा यही अनुरोध है।

जहां तक मेरे राज्य उड़ीसा का प्रश्न है तो वहां विज्ञान की शिक्षा की स्थिति चिन्ताजनक है। राजग सरकार ने उड़ीसा के लिए एक राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान को मंजूरी दी थी, परन्तु संप्रग सरकार के आने के बाद इस संस्थान को राजनैतिक कारणों से किसी अन्य राज्य में स्थानान्तरित कर दिया गया। आप जानते हैं कि उड़ीसा बहुत ही पिछड़ा राज्य है। बिहार एवं उड़ीसा जैसे राज्य देश में पिछड़े राज्य हैं। राजग सरकार ने एक राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की स्वीकृति दी थी लेकिन इस संप्रग सरकार ने इसे किसी दूसरे राज्य को दे दिया। इस सभा में तथा सभा के बाहर लम्बे आन्दोलन के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि उड़ीसा को परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान दिया जाएगा। छह महीने बीत जाने के बाद भी

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

कुछ नहीं हुआ है। इस पर कैबिनेट का भी निर्णय नहीं हुआ है। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस संस्थान को खोलेगी या नहीं। क्या सरकार विज्ञान की शिक्षा के विकास के बारे में वास्तव में गंभीर है? प्रधानमंत्री ने उड़ीसा राज्य को एक विज्ञान संस्थान देने का जो आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ? वास्तविक स्थिति क्या है?

कुछ माह पूर्व यह भी निर्णय लिया गया था कि उड़ीसा में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोला जाएगा। राज्य मंत्री ने कहा था कि भुवनेश्वर, उड़ीसा में एक आईआईटी खोला जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए तीन सौ एकड़ भूमि का आवंटन भी किया गया था। लेकिन इस सरकार ने अचानक इस आईआईटी को दूसरे राज्य में ले जाने का निर्णय लिया, परिणामस्वरूप उड़ीसा इस संस्थान से वंचित हो रहा है। क्या उड़ीसा के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। क्या केन्द्र सरकार को राजनीतिक पक्षपात एवं संकीर्णता का व्यवहार करना चाहिए। जिससे राज्य विज्ञान शिक्षा में पिछड़ रहा है? क्या उड़ीसा इस देश का हिस्सा नहीं है? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। वे उड़ीसा राज्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हमारा क्या दोष है? पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एक संस्थान को स्वीकृति दी गई थी लेकिन इस सरकार ने इस संस्थान को देश के किसी अन्य भाग में स्थानान्तरित कर दिया है। आप उन्हें एक और संस्थान दे दीजिए। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मंत्री महोदय कृपया इस बात पर गौर करें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें भुवनेश्वर में विज्ञान और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के बारे में जो आश्वासन दिया था, उसकी क्या स्थिति है? मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में जानना चाहता हूं।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): सभापति महोदय, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं चर्चा के लिए इस विषय का चयन करने के लिए अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करता हूं। मैं समझता हूं कि लम्बे समय बाद इस विषय को चर्चा के लिए चुना गया है।

मैं व्यापक तौर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। इसका समर्थन करते हुए मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं तथा मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे उन पर ध्यान दें। हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्रांति के युग में हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। जहां तक विज्ञान का संबंध है यह एक कभी खत्म न होने वाली एक असीम एवं अद्वितीय मानवीय गतिविधि है।

अपराह्न 3.45 बजे

[श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन हुए*]

आजादी के बाद से पिछले कई वर्षों के दौरान हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमें इस बात पर गर्व है। हमारे पास सुदृढ़ नेटवर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों का नेटवर्क, प्रशिक्षित जनशक्ति एवं नया ज्ञान खोजने का आधार है। हमें इस बात पर गर्व है।

अब, हम पूरे विश्व में वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की बातें कर रहे हैं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इस स्थिति के आधार पर कार्य कर रहा है। अत: इस स्थिति को समझते हुए हमारा फोकस क्या होगा? इसी मुख्य विषय पर चर्चा की जानी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में फोकस अनुप्रयोगोन्मुखी अनुसंधान और विकास कार्यों को सुदृढ़ बनाने पर होना चाहिए। मैं प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यों की बात नहीं करूंगा लेकिन विशेषरूप से मैं प्रौद्योगिकी सृजन के लिए अनुप्रयोगोन्मुखी अनुसंधान एवं विकास कार्यों, विशेषकर विज्ञान को कैरियर के रूप में अपनाने वाले प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने पर बल देना चाहता हूं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कई महान हस्तियां इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुकी हैं कि आजकल प्रतिभावान छात्र विज्ञान की पढ़ाई में नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमारा मुख्य फोकस प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन देने पर होना चाहिए।

महोदय, पूर्वानुमान लगाने के बारे में हमें अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं भारतीय मौसम विज्ञान सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं। यह विभाग कृषक समुदाय के लिए किसी काम का नहीं रहा है। कई बार इससे असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। इस मामले पर माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में इस सभा में कई बार चर्चा की जा चुकी है। वे इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हमारा फोकस पूर्वानुमान लगाने संबंधी अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने, प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम एवं उनका प्रभाव कम करने, सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय गतिविधियों सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का समेकन एवं विकास करने, जीवनस्तर में सुधार एवं रोजगार का सृजन, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय सुरक्षा पर होना चाहिए।

महोदय, यह विभाग पहले नहीं था। जहां तक मेरी जानकारी है, इसका गठन 1971 में किया गया। उन्होंने कुछ उद्देश्य निर्धारित किये थे। यह वांछित है कि मुख्य जोर स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और साथ ही अन्यत्र उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकी में विकास पर होना

चाहिए। देश की आवश्यकता को पूरा करने तथा देश के समृद्ध पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करने के लिए अभिनव प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। मैं इस बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा कि हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम ज्यादा ध्यान उन प्रौद्योगिकियों पर दें जो मानव कल्याणोन्मुखी हों, मानवजाति तथा समाज के विकास से जुड़ी हुई प्रौद्योगिकी हो। अत: यह मानव कल्याणोन्मुखी होना चाहिए। ये कौन-कौन सी हैं? ये प्रयास स्वास्थ्य सेवाओं, जनसंख्या प्रबंधन, सुनामी, भूकंप, भूमंडलीय तापन तथा बाढ़ एवं सूखा जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में लागत प्रभावी समाधान के रूप में अपनाए जा सकते हैं।

भूमि संरक्षण, जल एवं ऊर्जा प्रबंधन को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। हमें विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास पर गर्व है। सूचना प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्र में भारत को तुलनात्मक रूप से आगे रखने में विशेष ध्यान कृषि, कृषि आधारित उद्योगों, ऊर्जा, परिवहन, संचार, आवास आदि जैसी बुनियादी संरचनाओं पर दिया जाना चाहिए।

महोदय, मुझे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वर्ष 2007-08 के लिए परिणामी बजट देखकर बहुत निराशा हुई। जहां तक उद्देश्य का संबंध है, तो यह राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों और अन्य तंत्रों के माध्यम से बुनियादी विकास के लिए राज्य, जिला और ग्रामीण स्तर पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के रूप में पहले से ही मौजूद है। अंतिम बात कमजोर तबकों, महिलाओं और समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए विज्ञान का उपयोग करना है। यह सभी बातें सही हैं लेकिन तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। मुझे नहीं मालूम कि इन उद्देश्यों को दिमाग में रखकर अभी तक क्या किया गया है।

आजकल जोर-शोर से इस बात का प्रचार किया जाता है कि प्रौद्योगिकी गांवों की ओर जा रही है। आखिर यह कैसे होता है। इसका क्या तंत्र है? आखिर सरकार इस संबंध में कौन सा कार्यक्रम बना रही है? इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। समाज के गरीब, खेतीहर और कमजोर तबकों के लिए प्रौद्योगिकी अत्यंत आवश्यक है। यदि आप कहते हैं कि प्रौद्योगिकी गांवों की ओर जा रही है तो इसका क्या तंत्र है और यह गांवों में कैसे पहुंच रही है? इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने बिल्कुल सच कहा है कि अगर सरकार के पास पैसे की कमी है तो वह कारपोरेट क्षेत्र पर उपकर लगाए। वे भारी मनाफा कमाते हैं। आप उन पर उपकर क्यों नहीं लगा रहे हैं? आपने जिस प्रकार की प्रतिबद्धता थी मैं उसे देख सकता हूं। पहली प्रतिबद्धता विश्व बाजार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अनुसंधान और विकास में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना है। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन कृषि के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। आप अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने जा रहे हैं। क्यों? क्या आप विश्व बाजार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन कृषि की क्या स्थिति है? जहां तक उत्पादकता, उपज और प्रौद्योगिकी का संबंध है 'आर्थिक सर्वेक्षण' में उल्लेख किया गया है कि हम दस बड़े औद्योगिक देशों की तुलना में सबसे पीछे हैं। हमारे देश में किसानों की संख्या सबसे अधिक है। कृषि देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यदि प्रौद्योगिकी कृषि पर विचार नहीं करती, यदि किसानों के लाभ के लिए अनुसंधान का कार्य नहीं किया जाता, तो ये किसलिए है? इसलिए जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि इन पहलुओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

मैं इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता। मोटे तौर पर मैं मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं इनका समर्थन करते हुए ये सभी बातें उठा रहा हूं कि आप इन पर विचार करें। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे। मैं जनता के बीच विज्ञान, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों को लोकप्रिय बनाने हेतु इनके प्रचार के विचार का समर्थन करता हूं। सरकार को देश के विभिन्न हिस्सों में विज्ञान मेलों का आयोजन करना चाहिए। पूर्व में, देश के प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाता था। इसी प्रकार, देश के प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी विज्ञान मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए।

हमने प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना पर विचार किया है, किन्तु मेरा मानना है कि प्रत्येक प्रखंड में एक कृषि विज्ञान केन्द्र होना चाहिए। हमारे देश के अधिकतर कृषि विज्ञान केन्द्रों की हालत बहुत ही दयनीय है क्योंकि इन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। इसलिए, यदि हम देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि विज्ञान केन्द्रों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें और अधिक धनराशि आवंटित करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे नहीं मालूम आज हम कितने वर्षों के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदान

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं और इसी प्रक्रिया में हम सभी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने का अवसर मिला है।

आज हम सभी ने इस समाचार को बड़े गर्व से पढ़ा है कि भारत एक खरब रुपये मूल्य (ट्रिलियन) की अर्थव्यवस्था है। एक ट्रिलियन तक पहुंचना उतना ही कठिन है जितना की एक मिलियन अथवा एक बिलयन तक पहुंचना है। शायद मैं आशा करता हूं कि हम जल्दी ही और अधिक ट्रिलियन तक पहुंच जायेंगे। लेकिन इसके लिए हमें भविष्य के लिए निवेश करना होगा और आज की स्थिति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ऐसा निवेश करना होगा।

महोदय, अमरीका की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम एक ट्रिलियन तक पहुंच पाए हैं लेकिन अमरीका पहले ही 13 ट्रिलियन तक या 14 ट्रिलियन के नजदीक पहुंच गया है। लेकिन अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारी धनराशि का निवेश करता है और इसलिए वे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सबसे ज्यादा नोबल पुरस्कार विजेता व्यक्ति पैदा करता है। अमरीका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसलिए, आज यदि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश करने का सही निर्णय ले लें, तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम आगामी कुछ वर्षों में पहले पायदान पर पहुंच जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि गोल्डमैन सैकब्लिक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूं तो जमीनी स्थिति बहुत चिंताजनक है।

हमारे देश में पीएचडी उपाधिधारक व्यक्तियों की संख्या अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। उदाहरणार्थ चीन में प्रतिवर्ष 7000 पीएचडी उपाधिधारक तैयार होते हैं जबकि 10 वर्ष पहले तक वे इसका केवल 5 प्रतिशत से भी कम पीएचडी धारक तैयार करते थे। अब चीन ने अनुसंधान और विकास में भारी विनेश करके इसमें तेजी से वृद्धि की है। लेकिन आप अनुसंधान और विकास में तब तक कोई निवेश नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास जनशक्ति, वास्तविक अवसंरचना और वैज्ञानिक सोच नहीं होगी। इसलिए अनुसंधान और विकास से संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को तैयार करना चाहिए जैसाकि चीन कर रहा है और इसलिए यदि चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

अपराह्न 4.00 बजे

इसलिए, जमीनी हालात बहुत चिंताजनक है। हमारे यहां ज्यादा पीएचडी धारक पैदा नहीं हो रहे हैं। यद्यपि, हमारे देश का राष्ट्रपति एक वैज्ञानिक है लेकिन फिर भी हमारे देश के लोगों के मन में वैज्ञानिक बनने की इच्छा नहीं है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि एक ओर तो हमारे राष्ट्रपति एक वैज्ञानिक हैं वहीं दूसरी ओर हमारे लोगों के मन में वैज्ञानिक बनने की चाह नहीं है।

यदि आप एक ऐसा देश बनना चाहते हैं जिसकी विश्व में अलग पहचान हो तो आपको इस दौड़ में बने रहने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश करना होगा क्योंकि यह एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है चाहे वह डीआरडीओ हो, जैसाकि मेरे मित्र ने कहा है कि या फिर कृषि अनुसंधान हो। जैसाकि अभी श्री पाण्डा ने उद्धृत किया है। ऐसा तभी हो सकता है जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दें।

हमें वास्तव में पैन इंडिया प्राथमिकता युक्त छवि बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास आगामी एक दशक अथवा दो दशकों के दौरान वास्तव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। तब शायद, इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस स्थिति को वास्तविकता में बदलने के लिए कौन-कौन सी विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं की आवश्यकता है।

महोदय, यदि आप इस स्थिति पर गौर करें जैसाकि मैं जमीनी हकीकत के बारे में बता रहा था तब हमने अंतरराष्ट्रीय पेटेन्टों की तरह के कितने पेटेन्ट लिये हैं। मैं जानता हूं कि वे कुछ नए अणुओं को विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी कुछ दवा कंपनियां हैं जो ऐसा कर रही हैं। जब हम मूल अनुसंधान के बारे में बात करते हैं तो हमें वास्तव में देखना चाहिए कि हमने कितने नए पेटेन्ट प्राप्त किये हैं।

हमें इस सच से चिंतित होना चाहिए कि जिन अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं ने देश के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन किया था आज उनकी हालत दयनीय है। उदाहरण के लिए आप बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को ले सकते हैं। मैं इसके लिए माननीय मंत्री को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं जिन्होंने वैज्ञानिक न होते हुए भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को चलाने की कला सीख ली है। इसलिए जो कुछ हो रहा है मैं उन सभी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। लेकिन एक देश के रूप में हमें इस सच से चिंतित अवश्य होना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थाओं की हालत दयनीय है।

आप बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जाइए, आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जाइए और आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में जाइए आपको जमीनी हकीकत का पता चल जाएगा। भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान जो देश के प्रमुख संस्थान हैं, यदि आप इनके छात्रावासों में जाएंगे तो आपको वहां पर पानी रिसते हुए दिखेगा है और वहां बैड तथा अन्य आवश्यक चीजों की भी कमी है। ये बहुत ही गंभीर मामले हैं। इसलिए संस्थानों का सृजन और इनका पुनरुद्धार किया जाना चाहिए।

इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि एक ओर भारत अंतरिक्ष में अपना रॉकेट भेजने का प्रयास कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर देश में भारी संख्या में गरीब लोग हैं। अत:, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समक्ष चुनौती इस बात की है कि नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ-साथ हम अपनी मूलभूत समस्याओं पर भी विचार करें। यही वास्तविक चुनौती है। ऐसा करने के लिए हमें वास्तव में मूलभूत विज्ञान, मौलिक विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। उद्योग द्वारा अनुप्रयुक्त विज्ञान से संबंधित निवेश किया जाना चाहिए जबकि मूलभूत विज्ञान के क्षेत्र में निवेश सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए।

महोदय, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका सामना हम कर रहे हैं। यहां पर कई मुद्दे हैं उदाहरण के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की स्वतंत्रता भी एक मुद्दा है। देश में ऐसे कई वैज्ञानिक संस्थान है जिनकी स्थिति सिर्फ इसलिए दयनीय है क्योंकि उनके वैज्ञानिक ही उन्हें बल प्रदान नहीं करते या फिर इन संस्थानों को चलाने में नौकरशाह बहुत अधिक हस्तक्षेप करते हैं। यह एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। हमें अपने वैज्ञानिकों को जो करना चाहते हैं उन्हें उसकी स्वतंत्रता देनी चाहिए और इस प्रक्रिया में कुछ ऐसा बनाया जाए जो वे चाहते हैं।

महोदय, भारत में आर एंड डी में हम, ज्यादातर "डी" अर्थात् विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हैं तथा "आर" पर यानि कि अनुसंस्थान पर कम ध्यान देते हैं, हम "टी' अर्थात् प्रौद्योगिकी ज्यादा विकसित करते हैं और 'एस' अर्थात् विज्ञान के विकास पर कम ध्यान देते हैं। इसलिए, आप वास्तव में वह चीज कैसे करते हैं, यही कुछ मायने में दिलचस्प है। सी.एस.आई.आर. अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की वार्षिक रिपोर्ट में बहुत ही दिलचस्प आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। भारत में 230 केन्द्र हैं, जिनमें 65,000 लोग कार्यरत हैं, जिनमें से मात्र 3,500 पी.एच.डी. उपाधिधारक हैं और 21,000 लोगों में स्नातकोत्तर और अन्य स्टाफ शामिल हैं। इसलिए, मैं समझता हूं कि इन कुछेक मुद्दों पर व्यापक रूप से पुन: ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, इस सरकार द्वारा शुरू किये गये कुछेक कार्यक्रमों पर नजर डालें, उदाहरण के तौर पर ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम। लगभग 250 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, इसलिए हमने एक रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम 100 दिन के गारंटीकृत रोजगार और वे किस प्रकार का रोजगार करते हैं, इसकी पेशकश करता है। देश के अनेक जिलों में, श्रमिक पत्थर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक प्रकार की सजा है, जो कि किसी को कारागर में डाले जाने के पश्चात् कठोर कारावास के रूप में आम तौर पर दी जाती है। वे लोग यही करते रहते हैं। यह एक चुनौती है। क्या हम स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके और स्थानीय रूप से मौजूद विज्ञान और प्रौद्यगिकी का उपयोग करके लोगों को ग्रामीण रोजगार नहीं दे सकते और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार की पेशकश नहीं कर सकते। वे ऐसा रोजगार क्यों करते रहें, जो कि सही मायने में किसी भी रूप में उत्पादनकारी रोजगार नहीं है? इसलिए, यह ऐसा कुछ है जो कि छोटे मोटे कार्यों की तुलना में ज्ञानोन्मुख रोजगार से संबंधित है।

दूसरी बात, जिसके बारे में मेरे अनेक मित्रों ने बार-बार चर्चा की है और जिसके बारे में मैं भी चिंतित हूं, वह जलवायु में परिवर्तन से जुड़ा मुद्दा है। जलवायु में परिवर्तन वैश्विक स्तर पर बदलाव का ही एक हिस्सा है। हमेशा ही कुछ न कुछ बदलाव होता रहा है। लेकिन जलवायु में परिवर्तन संबंधी अन्त: सरकारी पैनल की चौथी रिपोर्ट, जिसे पेरिस में प्रस्तुत किया गया था और जिसके बारे में मेरे प्रतिष्ठित मित्र और मेरे सभा में आने वाले श्री राजा भी जानते हैं, मैं अब जलवायु में परिवर्तन की बात कही जा रही है। जो कि मानव के कार्यकलापों से प्रभावित हुआ है। यदि हम कल को उत्सर्जन रोक भी दें जो कि असंभव है, लेकिन हम सैद्धांतिक रूप से मान लेते हैं तब भी सौ वर्षों तक तापमान गर्म रहने वाला है और हम उससे बुरी तरह से प्रभावित होते रहेंगे। इसलिए मैं, अपने मित्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय से यह पता लगाने का आग्रह करता हूं कि जलवायु में परिवर्तन का भारत पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा और यह किस प्रकार जल, कृषि, लोक स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों जैसे प्रत्येक उप क्षेत्र को प्रभावित करेगा। यदि हमारे पास इस प्रकार की रिपोर्ट मौजूद हो, तो यह वास्तव में सहायक सिद्ध होगा किंतु मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि एक विज्ञान वैश्विक परिवर्तन केन्द्र है, जिसका कि भारत भी एक सदस्य है। मैं समझता हूं कि आपकी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में भी यही करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जलवायु में परिवर्तन के प्रभाव और इसके विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिए एक केन्द्रित और समर्पित केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता है। इस संबंध में, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियां विकसित की जाएं क्योंकि पूरा

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

विश्व—जब हम जलवायु में परिवर्तन की चर्चा करें—केवल घातक प्रभावों को कम करने पर ध्यान दे रहा है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश पर्यावरणानुकूलता के बारे में चिंतित हैं। यह इसलिए है क्योंकि जलवायु में परिवर्तन एक वास्तविकता है। हम केवल इसके अनुकूल स्वयं को ढालकर इसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए, हमें इस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने आपको इसके अनुकूल ढाल पाएं। मैं आग्रह करता हूं कि यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि विकासशील देशों के अग्रणी के रूप में भी है कि हमें पूरे विकासशील देशों के लिए पर्यावरणानुकूलता के संबंध में कुछ अनुसंधान करने का प्रयास करना चाहिए।

मेरा अगला अनुरोध यह है कि सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। हम प्रतिदिन भारी मात्रा में अपशिष्ट निकाल रहे हैं। उद्योग अपशिष्ट का उत्सर्जन कर रहे हैं। मानवीय जीवन शैली अपशिष्ट पैदा कर रही है। हम किस प्रकार एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था दे सकते हैं, जिसमें जिस चीज का भी उत्पादन किया जाए, उसका सर्कुलर रूप में उपयोग हो सके ताकि कुछ भी उपयोग के दायरे से बाहर न हो। हम सभी लूपों को वास्तव में किस प्रकार इकट्ठा कर सकते हैं। यह हमारे लिए एक चुनौती है। यह एक ऐसी चुनौती है। जो वास्तव में एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कर सकती है। एक दिलचस्प पुस्तक है, जिसका शीर्षक है क्रैडल टू क्रैडाल' न कि 'क्रेडल टू ग्रेव''। जो कुछ भी सृजित किया जाता है, जो कुछ भी पैदा होता है, उसे पुनः सृजित किया जा सकता है और वास्तव में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। प्रत्येक चीज का सृजन और फिर पुनः सृजन होता रहता है। इसलिए, मैं समझता हूं कि हमें वास्तव में इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या इस प्रकार का कुछ किया जा सकता है।

मेरी अगली चिंता का विषय जल है। मैं अनुदानों की मांगों पर नजर डाल रहा था। मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के दृष्टिकोण को देखते हुए, संभवतः बड़ी दिलेरी के साथ 5 करोड़ रु. की मांग की है। मैं सोचता हूं कि जल एक प्राथमिकता है, जिसमें हमें वास्तव में भारी निवेश करने की आवश्यकता है। अलवणीकरण, के लिए निवेश किया जाना चाहिए, जिसमें ऊर्जा का प्रयोग किया हो, जो कि जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा न होकर नवीकरणीय ऊर्जा हो। ऐसा ही कुछ हम कहना चाहते हैं और जिसमें जल की गुणवत्ता में सुधार किया जाना भी शामिल है। जल की गुणवत्ता ही वास्तव में हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। उपलब्धता भी एक चुनौती है, लेकिन गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती है। यह इसलिए है क्योंकि पूर्व जल संसाधन मंत्री के रूप में आप जानते ही हैं कि भारत में दो तिहाई बीमारियों का कटाव सीधे तौर पर जल की गुणवत्ता से जुड़ा है। इसलिए, हमें जल के संबंध में सही मायने में कुछ करने की आवश्यकता है।

मेरी एक अन्य महत्वपूर्ण चिंता ऊर्जा के संबंध में है। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ही कुछ है, जो कि अब देश की अत्यधिक आवश्यकता है। हम 80 पतिशत से ज्यादा की अपनी ऊर्जा आवश्यकता को आयात के माध्यम से पूरा करने जा रहे हैं और वह भी जीवाश्म ईंधन के माध्यम से। हमारे यहां 300 दिन सूर्य का प्रकाश मिलता है। इसका अर्थ यह है कि सौर ऊर्जा संभव है। महोदय, 1.1 बिलियन लोगों का मतलब है कि प्रत्येक दिन बड़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट निकलता है; जिसको पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। हमारे पास पवन और अन्य ऊर्जाओं सहित अन्य संभावनाएं हैं, जिन्हें उपयोग में लाया जा रहा है। लेकिन हमें वास्तव में लागत में कटौती करने की आवश्यकता है। इसलिए, नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ही कुछ है, जिसकी वास्तव में आवश्यकता है। मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वह एक समर्पित मिशन मोड तैयार करें।

मैं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट देख रहा था। मुझे याद है कि जब मैं विद्युत मंत्री था, तो मैंने विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए एक समूह का गठन किया था जो कि पहली बार केवल विद्युत में अनुसंधान और विकास के लिए किया गया था। महोदय, इसलिए मैं मंत्री महोदय की चिंता से भली-भांति परिचित हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमें इसके संबंध में कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।

एक अन्य मुद्दा मौसम पूर्वानुमान का है। संभवतः, जब मौसम पूर्वानुमान किया जाता है, तो यदि मौसम साफ होने का पूर्वानुमान हो तो लोग छतरी लेकर निकलने का प्रयास करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि बारिश होने वाली है और दूसरी ओर ठीक इसके विपरीत स्थिति होती है। मैं समझता हूं कि हमारे यहां वास्तव में एक अति विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लागू किये जाने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें इस पर सही मायने में काम करने की आवश्यकता है।

महोदय, बांस मिशन आपकी संकल्पनाओं में से एक है। पुनः, पूर्व पर्यावरण मंत्री के रूप में मुझे याद आता है कि मैंने इस मुद्दे को मंत्रिमंडल में उठाया था और मैं बीजिंग स्थित एक संस्था, आई.एन.बी.ए.आर. का सदस्य बन गया। भारत में बांस की अपार क्षमता है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इतनी मात्रा में बांस का उत्पादन किया जाता है अथवा बांस की इतने क्षेत्र में खेती की जाती है जितनी कि चीन में है। लेकिन हम उसके उत्पादों में कोई मूल्यवर्धन नहीं करते। यदि हम ऐसा कर सकें तो इससे वन की

कटाई को बचाया जा सकता है, इससे बड़ी मात्रा में रोजगार सृजित किया जा सकता है और इससे देश के उस भाग के जीडीपी में बढ़ोत्तरी हो सकती है जैसेकि पूर्वोत्तर क्षेत्र। इसलिए, हमें वास्तव में इस पर कार्य करने की आवश्यकता है।

मुझे ज्ञात है कि "नेशनल इनोवेशन फंड" नामक एक दिलचस्प निधि मौजूद है। भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के प्रो. अनिल गुप्ता ने वास्तव में इस विचार को साकार किया था। हमें इसके लिए मंत्रालय से भारी सहायता की आवश्यकता है क्योंकि इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पनप रहे नए विचारों को बढ़ावा देने के साथ-साथ उसका वाणिज्यीकरण करने का प्रयास भी करना है। इसलिए, यह ऐसा कुछ है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं और मैं श्री कपिल सिब्बल से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में उल्लेखनीय रूप से अधिक काम किया जाए।

मुझे नहीं पता कि क्या कार्रवाई नियमों में बदलाव का यह अर्थ है कि महासागर अब मंत्रालय का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन वे हैं। विश्व में ज्यादातर जीवन महासागरों की वजह से पाया जाता है। चूंकि महासागर मौजूद हैं, इसलिए धरती पर जीवन कायम है। लेकिन धरती पर हम अब जो कुछ कर रहे हैं महासागर उसका अतिरिक्त भार नहीं उठा सकता। इसलिए, हमें महासागर में व्यापक रूप से अनुसंधान करने की आवश्यकता है। सही मायने में कहा जाए तो हम अंतरिक्ष में जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम महासागर की गहराई में उतरने का उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमने वास्तव में महासागर का उतना अन्वेषण नहीं किया है, जितना किया जाना चाहिए। गोवा स्थित राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान द्वारा कुछ अनुसंधान किया जा रहा है, लेकिन हमें उस पर और काम करने की आवश्यकता है।

मैं एक नई पहल, इंस्टीट्यूट फार ट्रांसनेशनल रिसर्च का स्वागत करता हूं, जोकि व्यक्तिगत आधार पर दवाइयों के ऊपर ध्यान देगा। यह एक बहुत बढ़िया संकल्पना है। मैं समझता हूं कि जीनामिक्स ऐसा कुछ है, जिसे हमें वास्तव में बढ़ावा देने की आवश्यकता है क्योंकि जीनामिक्स का अर्थ होगा कि हम पूर्वानुमान आधारित दवाइयों पर कार्य कर सकेंगे। आज हम निवारक दवाइयां देते हैं। हम उपचारात्मक दवाइयां देते हैं। लेकिन जीनामिक्स का अर्थ होगा कि हम पूर्वानुमान आधारित दवाइयां दे सकेंगे। यह ऐसा कुछ है, जो मैं सोचता हूं कि काफी उपयोगी है और इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूं।

महोदय, मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

हमें एक त्रिकोण स्तर के अनुसंधान की सही मायने में आवश्यकता है। जिसमें उद्योग, शैक्षिक संस्थान और सरकार मिलजुलकर काम कर सकें। ऐसे अनेक लोग हैं, जो उद्योग के पर्याप्त तौर पर कार्य न करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यह एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी सहमत होंगे। उद्योग को भविष्य के लिए अपने निचले स्तर को बढ़ावा देने के लिए अपनी कंपनियों के शीर्ष स्तर की अधिकाधिक धनराशि का अनुसंधान और विकास में निवेश करना चाहिए। यदि वे आज पर्याप्त रूप से निवेश नहीं करते, तो कल उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश, उद्योग में विद्वतापूर्ण नेतृत्व का अभाव है। इसके लिए, सरकार को अपने हाथ में नेतृत्व लेना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस त्रिकोण स्तरीय अनुसंधान प्रणाली को विकसित करें।

शैक्षिक संस्था विशुद्ध रूप से प्रारंभिक मौलिक अनुसंधान कर सकती है। जबकि उद्योग उस सिरे से आगे बढ़ते हुए अनुप्रयुक्त अनुसंधान कर सकता है, जो कि एक अच्छा मेल होगा। उद्योग की ओर से शैक्षिक संस्थाओं को संसाधन मिल सकते हैं और सरकार वास्तव में इसे साकार कर सकती है। मैं मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि वे देश के भिन्न-भिन्न भागों में कम से कम ऐसे विभिन्न त्रिकोणस्तरीय अनुसंधान चलाए जैसा कि हम उत्तरी कैरोलिना में देखते हैं। हमें भारत में इस प्रकार का कुछ बहुत ही उल्लेखनीय तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सरकार को उद्योग से अपने वित्तीय दस्तावेज में उसी प्रकार से इस संबंध में खुलासा करने के लिए कहना चाहिए जैसाकि वे भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत करते हैं कि उन्होंने मौलिक अनुसंधान और विकास पर कितनी धनराशि का निवेश किया है। मैं समझता हूं कि हमें ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए और उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे यहां सी.एस.आर. अर्थात कार्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी के लिए प्रतिस्पर्धा है। उद्योगों के बीच अनुसंधान और विकास में निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है जो हमें वास्तव में करने का प्रयास करना चाहिए।

महोदय, अब मैं अपने अंतिम मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं सही में इससे अपनी बात समाप्त करूंगा। जब सरकार निवेश करती है, तो वह उसे कैसे वसूल कर सकती है? मैं हाल ही में जर्मनी गया था और वहां मैं बहुत ही दिलचस्प संकल्पनाओं से दो-चार हुआ। जर्मनी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और संभवत: उनका विज्ञान और प्रौद्योगिकी जापान और अमरीका से तुलना योग्य है। वे आम जनता से जुड़े हुए कुछ ऐसे मदों में निवेश करते हैं जिनमें तत्काल कोई लाभ नहीं मिलता।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि वहां कोई लाभ नहीं होगा, तो वहां उद्योग नहीं लगेगा। परन्तु उनके पास एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत वहां निजी कंपनियां स्थापित होती हैं आगे बढ़ती हैं और सरकार द्वारा किये गये निवेश को उभारने का प्रयास करती है। मेरे विचार से हमें ऐसे ही माडल विकसित करने चाहिए जिनके द्वारा उद्योग इससे भी अधिक करने में सक्षम हो सकें तथा सरकार भी अपनी पूंजी को वसूल कर सके क्योंकि सरकार इसमें सार्वजनिक निधि लगा रही है।

मंत्री महोदय श्री कपिल सिब्बल जी जिस प्रकार आप इस प्रक्रिया को ले रहे हैं और इस पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आपके प्रयासों से ऐसा सम्भव हो जाएगा। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। परन्तु मुझे आशा है, यह समग्र रूप से पूरे देश के लिए होगा हम केवल एक मंत्रालय के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ही नहीं लेंगे। सामान्यत: हम इसे प्राथमिकता नहीं देते। शीर्षस्थ चार मंत्रालय नामत: गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय ही हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इस प्रकार हम अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे पर्यावरण और वन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भूल जाते हैं। आप एक दूसरे के पीछे ही बैठे हैं। मैं आशा करता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री को पर्यावरण और वन मंत्री से पीछे बैठना होगा और उन्हें हमेशा आपका अनुसरण नहीं करना पड़ेगा।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): सभापति महोदय, मुझे इस स्थान से बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री खारबेल स्वाईं: धन्यवाद।

महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। विज्ञान सामाजिक परिवर्तन का आधार है। विज्ञान संस्कृति का एक अभिन्न भाग है।

यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति का उदाहरण लें। औद्योगिक क्रांति के बाद पूरे विश्व में यूरोपीय साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ।

यदि भारत वर्ष 2020 तक सुपर पावर बनना चाहता है जैसाकि माननीय राष्ट्रपति जी की आकांक्षा है, तो भारतीयों को वैज्ञानिक अभिनवता, शिक्षा और इसका लक्ष्यार्थ के वातावरण से अभिभूत होना होगा। यह सच है कि भारतीय कंपनियां विश्व अधिग्रहण के पथ पर अग्रसर हैं। परन्तु वे अनुसंधान और विकास पर कितना खर्च करते हैं? कितने भारतीय पेटेन्ट धारक हैं? यह ठीक है कि भारत अनुसंधान और विकास का केन्द्र बनने जा रहा है परन्तु इसे यह केन्द्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाया जा रहा है। पेटेन्टों के मालिक अधिकतम विदेशी हैं। भेषज व्यवसाय में रिवर्स इंजीनियरिंग प्रक्रिया की तरह भारत केवल बाह्य अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यह पहले किये जाने वाले मूल अनुसंधान का प्रतिरूपण मात्र है।

महोदय, भारत में कितने लोग विज्ञान की आधारभूत शिक्षा लेते हैं? परन्तु भारत के लगभग 20 करोड़ लोगों की जीवन-यापन की स्थिति में सुधार लाने के लिए विज्ञान की आवश्यकता है।

महोदय, मेरे पूर्ववर्ती वक्ता श्री बृज किशोर त्रिपाठी ने पहले ही इस बात का उल्लेख कर दिया है कि वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में आवंटित धनराशि का 20 प्रतिशत खर्च नहीं किया गया था। उनका उपयोग नहीं किया गया। मैं इसके लिए किसी सरकार अथवा किसी मंत्री को दोषी नहीं ठहरा रहा है। यह वर्षों से परंपरा रही है कि जब भी कोई सरकार आती है काफी समय आवंटित धनराशि का व्यय नहीं हो पाता। परन्तु इससे कैसे निपटा जाए? हम यह सुनिश्चित कैसे करें कि पैसा निर्धारित समय में खर्च हो सके?

अनुसंधान और विकास का उदाहरण लेते हैं। अनुसंधान और विकास पर ध्यान केन्द्रित करना और इसके लाभ खेतों तक, फैक्ट्रियों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। परन्तु भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान का स्तर गिर गया है। मेरे कई पूर्ववर्तियों ने भी इस तथ्य को बताया है। अनुसंधान और अध्यापन के बीच संपर्क टूट गया है। अधिकांश समय आप देखेंगे कि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापक अथवा प्रोफेसर यह सोचते हैं कि उनका काम केवल क्लास लेना ही है।

ऐसे विश्वविद्यालय अथवा अध्यापक बहुत कम हैं जो अपना अधिकांश समय अनुसंधान कार्य पर व्यतीत करते हैं। विशेषीकृत संस्थानों में जिस तरीके का अनुसंधान आज किया जा रहा है उसका समाज से कुछ लेना-देना नहीं है। विश्वविद्यालयों को भी अनुसंधान और विकास के लिए संसाधन जुटाने में कठिनाइयां हो रही हैं। इससे बौद्धिक संसाधन को मदद नहीं मिली है तथा इससे अनुसंधान पर भी रोक लगी है।

चीन का उदाहरण लें। चीन ने गत दो दशकों के दौरान अपने वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या में 104 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की है जबकि भारतीय प्रकाशनों में केवल 3.4 प्रतशत की बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय अनुसंधान-पत्रों में 10,000 से

19,000 की वृद्धि हुई है। चीन में इसी अवधि के दौरान में यह संख्या 10,000 से बढ़कर 55,000 हो गई है। 1970 के दशक में साइंस साइटेशन इन्डेक्स में भारत को अमरीका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जापान तथा कनाडा के बाद आठवें स्थान पर रखा गया। परन्तु वर्ष 2000 तक भारत खिसक कर 15वें स्थान पर आ गया।

महोदय, विज्ञान शिक्षा का उदाहरण लें। आज भारत में विशुद्ध विज्ञान में स्नातक करने वाले छात्रों की संख्या, जो 1950 के 32 प्रतिशत थी वर्ष 2000 में घटकर 15 प्रतिशत रह गई। रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान और इस प्रकार के अन्य विषयों की पढ़ाई अब अधिक छात्र नहीं करते। आप यह देखेंगे कि इन कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्र इन कक्षाओं में नहीं मिलते। वे कहां गए? उड़ीसा जैसा राज्यों में आप देखेंगे कि कालेज के बाहर कोचिंग सेन्टर होंगे और वे वहां आपको कम्प्यूटर, जैव प्रौद्योगिकी तथा इनके जैसे अन्य विषय पढ़ते मिल जाएंगे। अत: कुछ ऐसे ही विषय हैं जो केवल विशुद्ध विज्ञान न होकर, केवल प्रौद्योगिकी हैं। आज इनकी आवश्यकता है क्योंकि प्रौद्योगिकी उन्हें नौकरी दिलाएगी। वे सोचते हैं कि विशुद्ध विज्ञान से उन्हें नौकरी नहीं मिलने वाली।

मैंने डा. सैम पित्रोडा, जो कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं, से एक सवाल पूछा। उन्होंने मुझे यह बताया कि यहां तक कि अमरीका में भी अध्यापकों की कमी है। उन्होंने कहा कि वहां बड़ी कक्षाओं के छात्र छोटी कक्षाओं के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अब ऐसे अध्यापक कैसे बनाये जांएं जो प्रौद्योगिकी पढ़ाए, जो और प्रौद्योगिकीविद् और वैज्ञानिक बनाए? अत: समस्या यह है। मैं माननीय मंत्री जी से इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा कि अध्यापन विशेष रूप से विज्ञान में अध्यापन के लिए अधिक लोग आगे क्यों नहीं आ रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह यह सोचते हैं कि यदि वह किसी औद्योगिक कंपनियों में जाएंगे तो कई गुना ज्यादा कमाएंगे, इसलिए वे अपना समय आईआईटी तथा अन्य तकनीकी संस्थानों में क्यों लगाएं। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करें।

महोदय, हम जानते हैं कि हमने कई बहुत अच्छे वैज्ञानिक पैदा किये हैं तथा हमारे पास कुछ बहुत अच्छी प्रयोगशालाएं हैं, परन्तु वे सामान्यता के अथाह महासागर में उत्कृष्टता के काल्पनिक द्वीपों की तरह हैं। कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, उत्कृष्ट संस्थान तथा उत्कृष्ट वैज्ञानिक हैं परन्तु जब पूरे देश में देखें तो आपको पूरे देश में साधारण दर्जे के लोग ही मिलेंगे। भारतीय वैज्ञानिकों का उदाहरण लें। वे अपने आपको विज्ञान के वैश्विक उद्यम का हिस्सा समझते हैं और विदेश में इस हद तक मान्यता चाहते हैं जिससे वे स्थानीय वैज्ञानिक समुदाय से पूरी तरह अलग हो जाते हैं।

भारतीय उद्योग अनुसंधान कार्यों में निवेश करने से हिचकते हैं। भारतीय लोग विज्ञान में विश्वास करने से अक्सर हिचकते हैं। अधिकांश समय भारतीय यह सोचते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अच्छी शिक्षा बाहर ही उपलब्ध है न कि भारत में। इस विचारधारा को कैसे बदला जाए?

चीन का उदाहरण लें। चीन अपने ऐसे देशवासियों का सम्मान करता है जो चीन वापस आकर इसकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। परन्तु भारत उन्हें सम्मान देता है जो देश से पलायन करके बाहर बस जाते हैं। इसी प्रवृत्ति से स्थिति भिन्न हो जाती है। चीन में उन लोगों को मान्यता दी जाती है जो बाहर से अपने देश आते हैं। परन्तु यहां उनको मान्यता दी जाती है जो बाहर जाते हैं।

भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान के विकासकर्ता के रूप में उभर रहा है। परन्तु इस प्रौद्योगिकी पर उसका मालिकाना हक नहीं है। आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा के जमाने में भूमि, मजदूरी तथा पूंजी की तरह बौद्धिक सम्पदा का स्वामित्व होना एक प्रतिस्पर्धात्मक फायदे की बात है। जिसके पास बौद्धिक सम्पदा अधिकार होते हैं वह अन्यों से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ तथा फायदे में रहता है। इस देश में आईआईटीज को अनुसंधान एवं विकास का खजाना कभी नहीं माना गया। उनका उद्देश्य तो उदीयमान भारत के लिए प्रौद्योगिकीविद् पैदा करना है। निश्चित रूप से 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में इनकी खपत क्षमता नहीं थी। परन्तु चूंकि अब यहां अधिक से अधिक वैज्ञानिकों की खपत हो सकती है, इसे सही दिशा में भी देखा जाना चाहिए।

आप अमरीका या विश्व में कहीं भी जाएं। वहां की दुकानों में आपको चीन में निर्मित उत्पाद मिल जाएंगे। भारत में निर्मित उत्पाद विश्वभर में अधिक नहीं मिल पाएंगे। आपको सभी जगह में चीजें नहीं मिलती। भारत के ये संस्थान विज्ञान विषयों के डिग्री धारक निकाल रहे हैं, वे सृजनात्मकता का माहौल सृजित नहीं कर रहे। हमारी यही समस्या है।

मैं यहां केवल कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं। अनुसंधान तथा विकास हेतु आवंटन को आगामी पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत से बढ़ा कर दो प्रतिशत किया जाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु धन के आवंटन में वृद्धि एक समयबद्ध कार्य योजना के तहत की जानी चाहिए ताकि सरकार के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। सरकार के सभी वैज्ञानिक विभागों तथा अन्य विभागों और सम्बद्ध एजेंसियों के

[श्री खारबेल स्वाईं]

सदस्यों को मिलाकर एक संयुक्त दल का गठन किया जाना चाहिए ताकि इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। टीम को अगले पांच वर्षों के भीतर एक समेकित तरीके से विकास योजना, अनुसंधान और विज्ञान तथा शैक्षिक कार्यक्रमों, प्रयोगशाला स्थापना कार्यक्रमों आदि के लिए कार्य करना चाहिए।

बुनियादी अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सहित समेकित राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम को दर्शाने वाला दस्तावेज बनाया जाना चाहिए। भारतीय वैज्ञानिकों को इस ऊर्जा सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। हम भारत में बिजली उत्पादन को 1,30,000 मेगावाट प्रतिवर्ष से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 4,00,000 मेगावाट कैसे कर पाएंगे? वैज्ञानिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भागीदारी में फ्यूचर जेन परियोजना को शीघ्र पूरा करने से जीवाश्म ईंधन प्रौद्योगिकी के शून्य उत्सर्जन के अनुप्रयोग में सहायता मिलेगी।

महोदय, मुझसे पहले बोलने वाले अधिकतर सदस्यों ने पर्यावरण समस्या के बारे में बात की है। इससे कैसे निपटा जाएगा? महोदय, आप जानते हैं कि हमारे राज्य उड़ीसा में अनेक ताप आधारित विद्युत परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। यह बिल्कुल सही है। परंतु आपने भी देखा है कि तलचर में क्या हुआ है। अब गर्मी के मौसम में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। इसका कारण सिर्फ यह है कि वहां पर ताप विद्युत संयंत्र है। फिर हमारे राज्य में क्या होने जा रहा है? यदि इतने ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किये जाते हैं और ऊष्मा उत्सर्जन पर कोई नियंत्रण नहीं है तो क्या होगा? हमारे राज्य का क्या होगा? इस देश और विश्व का क्या होगा? कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र होने की स्थिति में सरकार को शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करना चाहिए। अन्यथा, सरकार को इसको स्थापित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि सीएनटी-कार्बन नैनो ट्यूब नामक प्रौद्योगिकी को लाया जा सके और उसे पांच वर्षों के भीतर उन्नत किया जाए तो यह उत्सर्जन स्तर और ऊष्मा तरंग स्तर को घटा सकती है। भारत को इस संबंध में इसी प्रकार कार्य करना चाहिए। भारत के प्रथम उन्नत भारी जल गिरावट का यथाशीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए। अकादमिक विश्वविद्यालयों और अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं का एकीकरण भी किया जाना चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा यह है कि विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा के मौजूदा आउटपुट को वर्ष 2015 तक 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत, वर्ष 2020 तक 30 प्रतिशत और वर्ष 2040 तक 50 प्रतिशत करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। भारत में कार्मिकों के दो संवर्गों का सृजन किया जाना चाहिए—सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों जैसे विशिष्ट कौशल का ज्ञान प्राप्त कुशल युवाओं का वैश्विक संवर्ग और पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कुशल युवाओं का वैश्विक संवर्ग जो विश्वविद्यालयों के अंदर कार्य करेंगे। हमें यथाशीघ्र इन दोनों प्रकार के कुशल कार्मिकों को तैयार करने के प्रयास करने चाहिए।

तत्पश्चात, विज्ञान कृषि अनुसंधान के बारे में क्या करने जा रहा है? क्या हम कृषि विश्वविद्यालयों को परामर्शदाताओं के रूप में विकसित कर सकते हैं? हम कहते हैं कि फसल परिवर्तन होना चाहिए परंतु किसानों को यह सलाह कौन देगा कि कहां पर कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए? हम इन कृषि विश्वविद्यालयों को परामर्शदाता बनने और किसानों को सलाह देने के लिए क्यों नहीं कहते हैं? विज्ञान की सहायता से भूजल पुनर्भरण के बारे में क्या किया जाएगा। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

हमें विषैले रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किये बिना फसल की पैदावार में वृद्धि करनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हम चाहते हैं कि फसल की पैदावार बढ़नी चाहिए परंतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

श्री त्रिपाठी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की असफलता के बारे में पहले ही बोल चुके हैं। इसकी वर्ष 2005 तक 70 प्रतिशत हथियार अपने ही देश में बनाने की महत्वाकांक्षी योजना थी परंतु यह पूर्णत: विफल रही है। मुझे नहीं लगता कि यह वर्ष 2010 तक सफलता प्राप्त कर पाएगा?

निसंदेह इसरो अपने कार्यों में काफी सफल रहा है। मैं सिर्फ कुछ दिनों पूर्व इसरो द्वारा पीएसएलवी राकेट लांचर का प्रयोग करके इटालियन उपग्रह को कक्ष में स्थापित करने पर मंत्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि यह भारत के लिए गर्व का विषय है। मैं इस कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि चीन पहले ही 24 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित कर चुका है। वह दो व्यक्तियों वाले मिशन को पहले ही अंतरिक्ष में भेज चुका है और वह वर्ष 2007 में मंगल ग्रह पर मानव मिशन की योजना बना रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह मानव को 2008 तक चंद्रमा पर भेजने के चन्द्र मिशन की अपनी पूर्व योजना के लक्ष्य को कब तक हासिल कर पाएंगे। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

जहां तक फार्मास्युटिकल के मुद्दे का संबंध है तो मैं जानता हूं कि हम अधिकांशत: अणु की खोज पर भी खर्चा नहीं करते क्योंकि इसके लिए विशुद्ध अनुसंधान की आवश्यकता है। हम केवल "रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसैस" अपनाते थे। माननीय मंत्री जी

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि फार्मास्युटिकल कंपनियां अपनी कुल आय का कम से कम 2 प्रतिशत हिस्सा अनुसंधान और विकास पर खर्च करें।

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के संबंध में सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए और परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम आधारित रिएक्टरों का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। जैव-ईंधन के उपयोग में भी वृद्धि होनी चाहिए। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) को भी उद्योगों के साथ सहयोग करना चाहिए और सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से कुशल श्रमशक्ति में वृद्धि करने की अपील करता हूं। उन्हें पूरे देश में और अधिक आईआईटी खोलनी चाहिए। देश में केवल सात क्यों हैं? भारत में केवल सात आईआईटी नहीं बल्कि इस देश की विशालता को देखते हुए यहां 1500 आईआईटी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा जैसे राज्य को एक आईआईटी के लिए इधर से उधर जाने की क्या आवश्यकता है? हमने सरकार से अपील की है कि भुवनेश्वर में कम से कम खडगपुर की शाखा खोली जाए परंतु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। आईआईटी केवल भुवनेश्वर में नहीं खोला जाना चाहिए बल्कि देश में प्रत्येक स्थान पर खोला जाना चाहिए। देश में और आईआईटी होने चाहिए और अनुसंधान और विकास के लिए निधि के आवंटन में भी वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है।

कुछ दिनों पूर्व इसरो के अध्यक्ष और भारतीय परमाणु आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री से मिलने गए और कहा "आप हमें 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त क्यों कर रहे हैं?" मैं भी यह प्रश्न पूछ रहा हूं। हम उन्हें उस समय सेवानिवृत्त कर रहे हैं जिस समय वे शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं और अनुभव तथा ज्ञान के क्षेत्र में शीर्ष पर होते हैं और हम उनसे जाकर घर पर बैठने के लिए कह रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने की अपील करूंगा कि यदि जापान में वैज्ञानिक 75 वर्ष की आयु में तथा अन्य देशों में 70 वर्ष से अधिक की आयु में सेवानिवृत्त हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं? आप बिना कुछ किये उनसे जाकर घर बैठने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए, आपको मेरी इस अपील पर विचार करना चाहिए।

किये जाने वाले व्यय की गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए। मैंने लगभग $1^1/_2$ वर्ष पूर्व माननीय प्रधान मंत्री से अपील की थी कि भवन निर्माण के समय स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि वे भूकंप के कारण

भवन से ढह रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नगर आयोजना में हमेशा एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर रहे जो साइट प्लान और कंस्ट्रक्शन प्लान को अनुमोदित करेगा। क्या सरकार यह क़ार्य करेगी? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे $1^1/_2$ वर्ष पूर्व इसके बारे में एक आश्वासन दिया था। मुझे आशा है कि वह इसे भी सुनिश्चित करेंगे।

श्री के.एस. राव (एलुरू): महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। आज, भाजपा के खारबेल स्वाईं जैसे व्यक्ति ने भी बजट के बारे में कोई भी आलोचना नहीं की और उन्होंने बजट का समर्थन किया। श्री बची सिंह रावत भी अपने भाषण में स्वाभाविक रहे ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: वास्तव में, मैं सभा में इस विषय को चर्चा हेतु लाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय से लड़ा था। मैं इसके लिए पिछले एक वर्ष से लड़ रहा था ...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव: मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता है। कांग्रेस के मेरे पिछले लोक सभा अध्यक्षों ने पहले ही हमारे माननीय मंत्री जी की प्रशंसा की है और श्री स्वाईं और अन्य मित्रों ने भी माननीय मंत्रीजी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यनिष्पादन की प्रसंशा की है। हम सब जानते हैं कि माननीय मंत्री जी प्रगतिशील और ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्हें अपरंपरागत विषयों की बहुत अच्छी समझ है। वह निश्चित रूप से इस मंत्रालय के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। वे अपने आपको नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुरूप ढाल सकते हैं। वे सदैव अद्यतन अनुसंधान से जुड़े रहते हैं। यदि वे इसे मन से करते हैं और अपने कार्य को करना जारी रखते हैं जैसा कि वे पिछले दो वर्षों में करते रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि हम एक दशक की अवधि में अनुसंधान और विकास के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका की बराबरी पर आ सकते हैं।

मैं सुनामी, तूफान तथा देश में लाखों-करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाली आपदाओं, जैसाकि आपने कुछ महीनों पूर्व देखा, का पूर्वानुमान करने हेतु समग्र पृथ्वी विज्ञान संस्थान और अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। पहले देश में ऐसे उपकरण नहीं थे और यह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि अंटार्टिक और आर्कटिक की हाल की उनकी यात्रा के दौरान इस संबंध में हमारे देश द्वारा की जा रही प्रगति से पूरा विश्व प्रभावित है। एकमात्र बात यह है कि हमारे मंत्री जी आपके भारत के लिए नहीं है संभव है कि कल के भारत के लिए यह संभव हो। यदि अब भारत को उसकी हजारों वर्ष पहले वाली उत्कृष्टता वापस दिला दें तो अनेक पीढ़ियां

[श्री के.एस. राव]

उनके कार्य की प्रशंसा करती रहेगी। आज विश्व में जो अनुसंधान किया जा रहा है—चाहे वह अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, जर्मनी हो—वह हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश में हो रहा था किंतु दुर्भाग्यवश, विगत कुछ वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास को दिये जाने वाले महत्व और प्राथमिकताओं में कमी आई है। यही कारण है कि हम पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि अमेरिका जैसे देश यह दावा करते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं।

आज हम भूमण्डलीकरण को स्वीकार करते हैं। जब तक हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्तर वैश्विक प्रौद्योगिकी के समकक्ष नहीं होगा तब तक हम इतने बड़े संसार में अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकते हैं। हमारी स्थिति और बिगड़ जायेगी और यह अन्तर बहुत अधिक बढ़ जायेगा जब तक हम इसे महसूस नहीं करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के स्तर पर हमें बेहतर बनना होगा। इसके लिए अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता है। न केवल धनराशि, जैसा कि स्वाईं जी कह रहे थे, इसके लिए व्यवस्था में पूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। मैंने अपने बचपन के दिनों से देखा है कि किसी विषय को दिल से समझना मानदण्ड होता है। इसका यह अर्थ हुआ कि हम चीजों को याद करने में अपना दिमाग लगा रहे हैं, अध्यायों को पढ़ने और उन्हें जैसे के तैसे याद करके अपनी याददाश्त बैठा रहे हैं और फिर भूल जाते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि हम अपने मस्तिष्क का उपयोग सोचने और सृजन के लिए नहीं कर रहे हैं।

आज इस सृजनात्मकता को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इसे बाल विहार (किंडर गार्टन) के स्तर से ही जागृत करना होगा। छात्रों के दिमाग में उसी आयु से विचारों को जागृत करना होगा। उन्हें नई चीजों के सृजन में आनन्द की अनुभूति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। चाहे वे अनुसंधान के बारे में समझ पाएं अथवा नहीं, उन्हें न केवल पढ़कर अपितु खोज करके ज्ञान की तलाश के लिए तैयार करना होगा। शिक्षण को छात्रों के सामने अध्याय का केवल पाठन करके और कक्षा से बाहर आकर खुश और संतुष्ट महसूस नहीं करना चाहिए। शिक्षक और छात्रों के बीच आपसी बातचीत के सत्र होने चाहिए। छात्रों को उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने में समर्थ होना चाहिए। केवल तभी हम छात्रों के दिमाग में कुछ सृजनात्मक सोच के विकास की आशा कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि जब वे वयस्क होंगे तो उनकी यह सृजनात्मक सोच भी जारी रहेगी और वे अनुसंधान, अन्वेषक सोच, सृजनात्मक विचार के क्षेत्र में जा सकेंगे। तभी, हमारा देश स्वाभाविक रूप से विश्व में सबसे ऊंचा होगा।

माननीय मंत्री जी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से तत्काल बातचीत करनी चाहिए और देश में प्रचलित शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना चाहिए। चाहे वे अब विद्यमान वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के साथ जितने भी प्रयास कर लें, ज्यादा कुछ परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सकते।

जैसाकि उन्होंने उल्लेख किया, उनमें से कई मध्यम स्तर के होते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि इस देश में कुशल लोग नहीं है। इस देश के बहुत से कुशल लोग विदेश जा रहे हैं। ये वे लोग हैं जो इस देश से बाहर हो रहे अनुसंधानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कोई जो अमेरिका में रह रहा हो उसे नोबेल पुरस्कार मिल सकता है किन्तु वास्तविक प्रयास अनिवासी भारतीयों को ही करना होगा। वे क्यों बाहर जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अवसर नहीं मिल रहे हैं; क्योंकि उन्हें मान्यता नहीं मिल रही है; क्योंकि उन्हें पुरस्कार नहीं मिलते, इसलिए वे विदेश जाते हैं। यदि यही चीजें यहां उपलब्ध हों तो वे विदेश नहीं जायेंगे। फिर भी, मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिभा पलायन का प्रवाह उल्टा हो गया है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यह उनके लिए उन सभी लोगों की सेवा प्राप्त करने का वक्त है जो देश छोड़कर चले गये थे और अब वे बड़े स्तर पर वापस आने के लिए तैयार हैं।

कई लोगों में यह जोश, देशभक्ति और अपनेपन की भावना है कि उन्हें वापस आना है और अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करनी है, कुछ नया करना है और ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन ला सकें। उन्हें इस बात का गर्व नहीं है कि उन्होंने पहले ही बहुत धन अर्जित कर लिया है अब, वे वापस आने की भावना पर गर्व करना चाहते हैं और यहां अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता वाले संस्थानों की स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए मैं नहीं कहता कि स्थानीय लोगों को ही आगे लाना चाहिए अपितु इसके साथ-साथ ही उन लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए जो देश छोड़कर विदेश चले गए हैं ताकि वे प्रौद्योगिकी, नवोन्मेषी सोच की आदत को यहां लाएं जिसे वृद्ध और मध्यम आयु वर्ग के वैज्ञानिक भी उपयोग कर सके। मूलतः हमारे पास सभी प्रकार की बुद्धिमत्ता और क्षमता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

इसको सच्चे अर्थों में हमने रामायण और महाभारत में पढ़ा है। उनमें क्या नहीं था? आज की सारी प्रौद्योगिकी खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, अन्तरिक्ष अनुसंधान, वायुयान का निर्माण, दूरबीन, टेलिस्कोप, चिकित्सा आदि उन दिनों में भी विद्यमान थी। उस समय सब कुछ मौजूद था। चाहे नामकरण में बदलाव हो गया हो; शायद हम पिछड़ गये हों। मैं माननीय मंत्रीजी से चाहता हूं कि वे सभी कुशल लोगों को प्रोत्साहित करें।

आज, दुर्भाग्यवश अनुसंधान और विकास के संस्थानों में मध्यम स्तरीय और असक्षम लोगों, जिन्हें विषयों की वास्तविक जानकारी

नहीं है का ही वर्चस्व है। स्वाभाविक ही है कि इससे हम उन लोगों की सृजनात्मकता को मार रहे हैं जिन्होंने कुछ पा लिया है। वह सोचता है कि यह स्थान उसके लिए अनुकूल नहीं है। अधिकतर अनुसंधान प्रयोगशालाओं में यही हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों को संरक्षण, पुरस्कार और मान्यता दे। यदि ऐसा हो जाता है, केवल तभी वैज्ञानिक इस नाम और पुरस्कार को पाने के लिए दिन-रात परिश्रम करेंगे। किन्तु जब उसे यह पता चलता है कि उसके अनुसंधान एवं परिणाम को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और इससे वह बहुत अधिक ऊंचाइयों को नहीं छू सकता तो वह काम नहीं करता।

जैसाकि मुझसे पहले कुछ साथियों ने कहा, मेरी भी यही राय है कि हमें कार्पोरेट और उद्योग क्षेत्र के लिए अपने सभी औद्योगिक संगठनों में अनुसंधान करवाना अनिवार्य कर देना चाहिए। रिलायंस अथवा अन्य कोई उद्योग यह नहीं कह सकता कि उनके शेयर की कीमत 100 गुना अथवा 1000 गुना है तो वे धन कमाकर ही खुश हैं। देश को कैसे लाभ होगा? इसका एक अंश अनुसंधान और विकास के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, वे जिम्मेवारी से मुक्त रहेंगे।

महोदय, ऐसा लगता है कि आप मुझे देख रहे हैं। मेरे पास कितना समय है?

सभापति महोदय: बहुत से वक्ता अभी भी हैं।

श्री के.एस. राव: आप जो भी समय देंगे, मैं उतने में ही अपना भाषण सीमित कर दूंगा।

वास्तव में, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी पहले ही सरकारी निजी क्षेत्र की भागीदारी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं एनआरआई को प्रोत्साहन देने के साथ सहयोग करने के बारे में सोच रहे हैं। यह अच्छी भावना है किन्तु इसे बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए। मैं इसे माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। एक साल पहले उन्होंने वादा किया था कि हैदराबाद में एक पशु अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जायेगा। यह मौलिक अनुसंधान पक्षों को पूरा करेगा जिसकी सब जगह अपेक्षा है। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, यद्यपि मंत्री जी इसके लिए सक्षम हैं, शायद इसलिए कि इस निर्णय को लेने में कई मंत्री सम्मिलित हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे इसे किसी मंत्रालय को सौंपने पर विचार करें जिससे कि जल्द ही कोई निर्णय लिया जा सके। यह भी एक प्रमुख कारण है क्योंकि इस देश में निर्णय लेने में कमी का अभाव है। इसे शीघ्र किये जाने की जरूरत है।

मेरे अन्य मित्रों ने ये आंकड़े दिये हैं कि अनुसंधान और विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। मंत्रालय विशेष के संदर्भ में इस सभा में न कि जो हम यहां से बाहर जो भी वादे करते हैं हम उन्हें पूरा नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि आगामी पांच वर्षों में, वे इस मंत्रालय का आवंटन एक प्रतिशत से दो प्रतिशत कर देंगे। यदि हम उनके शब्दों पर भरोसा करके चलें तो निश्चय ही हम कुछ कार्यक्रम बना सकते हैं किन्तु माननीय वित्त मंत्री जी को बीच में नहीं आना चाहिए। हम इस देश में अनुसंधान की महत्ता को महसूस नहीं करते हैं। हम सैंकड़ों गुना सुधार कर सकते हैं यदि हम अनुसंधान को बढ़ावा दें।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं वैज्ञानिकों द्वारा औषधि और भेषज क्षेत्र में प्राप्त की गई कुछ गौरवशाली उपलब्धियों को प्रस्तुत करना चाहूंगा।

सभापति महोदय: आप कितना समय लेंगे?

श्री के.एस. राव: अधिकतम केवल पांच मिनट।

सभापति महोदय: कृपया तीन मिनट में भाषण पूरा कीजिए।

श्री के.एस. राव: भेषज उद्योग में किया जा रहा अनुसंधान अभूतपूर्व है। हमें बहुत गर्व है कि आईजीआईबी, डाबर रिसर्च फाउंडेशन आदि जैसे कुछ संस्थान कैंसररोधी औषधियों के नैदानिक परीक्षणों के चरण-2 में पहुंच गए हैं जहां विकसित देश भी नहीं पहुंच सके हैं। इसी प्रकार, इंडीजिनस फार्मास्यूटिकल्स, हैदराबाद ने एलर्जी, श्वसन संबंधी रोगों और मुधमेह के लिए भी दो पत्तियों की पहचान की है। आधी जनसंख्या मधुमेह से पीड़ित है। हैदराबाद के बायोलॉजिकल-ई द्वारा डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर का टीका विकसित किया गया है। यह दर्शाता है कि इस देश में हमारे पास बहुत से योग्य व्यक्ति और संस्थान हैं और यदि अवसर और अभिप्रेरणा मिले तो वे अधिकांश पश्चिमी विश्व की तुलना में बेहतर कार्य कर सकते हैं।

अन्य उद्योगों के मामले में भी यही स्थिति है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रेरणा और मान्यता दिये जाने की आवश्यकता है। मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

अब, मैं गांवों की ओर आता हूं। हम देश में धान बड़ी मात्रा में उगाते हैं। जब बाढ़ आती है तो धान दस दिन से भी अधिक गहरे पानी में रहता है और फसल बर्बाद हो जाती है। यदि हमारे वैज्ञानिक यह अनुसंधान करें कि इन्हें कैसे बचाया जाए जो चाहे धान 15 दिनों से ज्यादा भी जलमग्न रहे तो काम पूरा हो जाता

[श्री के.एस. राव]

है। खजूर का पेड़ महीनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। किन्तु बिना पानी के धान की खेती नहीं हो सकती। यहां अनुसंधान की आवश्यकता है। यदि इस प्रकार का अनुसंधान किया जाए तो हम विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

आज देश में कृषि उत्पादों की प्रति एकड़ पैदावार अन्य देशों से बहुत कम है। चीन ने प्रति एकड़ पैदावार को लगभग दुगुना कर लिया है; यह वो देश है जो 10-15 वर्ष पहले हमसे बहुत पीछे था किन्तु अनुसंधान के बलबूते पर उन्होंने यह सब किया है। इसको भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

पेयजल के मामले में, कल तक भी, हम शुद्ध पानी या पेयजल की आपूर्ति करने में असमर्थ थे। परन्तु मुझे आज यह कहते हुए खुशी हो रही है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में, हम उपलब्ध पानी को परिष्कृत करके अथवा मिनरल वाटर को लोगों को प्रौद्योगिकी की वजह से 12 रु. प्रति लीटर के बजाय 70 पैसे प्रति लीटर पर उपलब्ध करवा रहे हैं। यदि इसी चीज को सम्पूर्ण देश में लागू किया जाये तो हमें स्वच्छता, रोग आदि पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।

मेरे साथियों ने पहले ही अधिकतर बिन्दुओं को समेट लिया है और मैं उन्हें पुन: दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिकों के वेतमानों को बढ़ाया जाना चाहिए। हम न्यायपालिका के लोगों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। जब तक वे सांस लेते हैं तब तक उनके ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि उन्हें प्रयोगशालाओं में तैनात किया जाता है तो किया जाए परन्तु उसी स्थान पर नहीं, अपितु उन्हें सलाहकार के रूप में रखा जाए अथवा संविदात्मक समझौते आदि जैसी किसी प्रक्रिया के माध्यम से उनकी सेवाएं ली जाएं। उन्हें यूं नहीं छोड़ देना चाहिए और उनके ज्ञान का उपयोग किया जाए।

अन्त में, मैं केवल यही कहूंगा कि माननीय मंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए और प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को पर्याप्त धनराशि प्रदान करने में उन्हें समर्थन देना चाहिए। उन्हें यह नहीं देखना चाहिए इसका तत्काल उपयोग किया जायेगा या नहीं अथवा मंत्रालय को आवंटित 100 करोड़ की राशि कल कितना परिणाम देगी। उन्हें दीर्घावधि परिणामों की ओर देखना चाहिए। अमरीका में ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से खरबों डालर निवेश किया गया है किन्तु वे दशकों से एक भी अनुमोदित मद प्राप्त नहीं कर सकी। उसे यहां सरकार के समर्थन की आवश्यकता है। यह कारपोरेट सेक्टर नहीं भी हो सकता है। इस पृष्ठभूमि में मैं आशा करता हूं कि वे कुछ एनआरआई, एमएनसी और कॉरपोरेट सेक्टर को अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तुरंत प्रोत्साहित करेंगे या सभी के लिए ये सभी कार्य करना आवश्यक बनाने के लिए एक विधान लाएंगे। इसी के साथ मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं और मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हेतु अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास पर करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं किन्तु कई कारणों से इसके लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अनुसंधान और विकास को जीवनोन्मुख होना चाहिए। इसे आम आदमी की समस्याओं को दूर करने वाला होना चाहिए। आजकल अनुसंधान की खोजें लक्षित व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही हैं। यह स्वीकार्यता की कमी या पहुंच की कमी के कारण अथवा आम आदमी के वहन कर पाने की कमी के कारण हो सकता है। यह अनुसंधान और विकास में होने वाले समय अंतराल के कारण भी हो सकता है कि परिणाम आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमें प्रयोगशाला से बाहर कार्यक्षेत्र तक पहुंचना चाहिए।

महोदय, 1960 में अकाल के पश्चात हरित क्रांति के समय के दौरान हरित क्रांति की सफलता यह थी कि हम गरीब किसानों की वहन योग्य लागत पर अपनी पर्यावरणीय स्थितियों के अनुरूप अनाज पैदा कर सकते थे। किंतु आजकल करोड़ों रुपये व्यय करके अनुसंधान और विकास का उत्पाद विकसित किया जाता है अत: वह आम आदमी की पहुंच से बाहर और अवहनीय बन जाता है। परिणामस्वरूप आर एंड डी से गरीब लाभान्वित नहीं होता और केवल घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के धनवान और बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही अनुसंधान और विकास के उत्पाद को वहन कर सकती है।

यद्यपि, निजी उद्यमी अनुसंधान और विकास पर धन व्यय कर रहे हैं किन्तु वे केवल लाभ के उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं। इन निजी उद्यमियों के कुछ सामाजिक दायित्व होने चाहिए। हम यह कर सकते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के बदले में सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए कुछ राशि इस क्षेत्र में प्रवर्तित कर दी जाए। अन्यथा केवल लाभ वाले क्षेत्रों में ही अनुसंधान और विकास होगा।

मेरे राज्य केरल में, केरल कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक चावल अनुसंधान संस्थान हैं। यह संस्थान कुट्टानाड में स्थित है

जिसे केरल का चावल का कटोरा कहा जाता है। किंतु प्रत्येक वर्ष कुट्टानाड के किसान या तो खारे पानी के आ जाने या सूखे के कारण फसल खराब होने का सामना कर रहे हैं। केरल के विशेषकर कुट्टानाड के किसानों की लंबे समय से एक मांग लंबित है कि धान की ऐसी किस्म विकसित की जाए जो कि खारे पानी या सूखे से अप्रभावित हो। आपको यह जानकर खुशी होगी कि रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि हमारे वैज्ञानिकों ने चावल क्रोमोसोम संख्या-11 की जीनोम सूचना को सफलतापूर्वक डीकोड कर लिया है जिससे खारापनरोधी अनाज विकसित किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में हम अनाज की ऐसी किस्म विकसित और प्रचलित करने में समर्थ होंगे जोकि खारेपन और सूखे से अप्रभावित होगी।

अपराह्न 5.00 बजे

मेरे क्षेत्र में केन्द्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान नामक एक अन्य अनुसंधान संस्थान है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां नारियल वृक्षारोपण होता है। आजकल नारियल के पुराने पौधे 'रूट विल्ट' नामक विषाणु रोग से प्रभावित हैं। किंतु इस रोग का अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है यद्यपि कई अनुसंधान गतिविधियां चल रही हैं। इसी कारण से मैंने उल्लेख किया है कि अनुसंधान और विकास को आवश्यकता आधारित और जीवनोन्मुखी होना चाहिए।

भारत एक ऐसा देश है जो पारम्परिक ज्ञान में समृद्ध है किन्तु हम उस पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। हमारे पास कृषि, स्वास्थ्य और यहां तक कि वास्तुशास्त्र में पारम्परिक ज्ञान है। वास्तु प्रौद्योगिकी का वैज्ञानिक आधार है। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का एकीकरण किया जाना चाहिए ताकि हमें इस पारंपरिक ज्ञान के लिए कुछ वैज्ञानिक आधार मिल सके। अत: पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कई जनजातियों के पास कृषि में पारंपरिक ज्ञान है। कतिपय औषधीय पौधे और यहां तक कि खाद्यान्न भी केवल इन्हीं क्षेत्रों में पाये जाते हैं। ये कुछ गैर-मान्यता प्राप्त पद्धतियों का पालन कर रहे हैं। यदि हम इस पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करने के लिए कुछ आवश्यक प्रयास नहीं करेंगे तो यह विलुप्त हो जाएगा।

हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत मानचित्रण करना चाहिए। हमें इन संसाधनों के इष्टतम दोहन के लिए तकनीक विकसित करनी चाहिए। हमारे पास मूल्यवर्धन तकनीकें होनी चाहिए। केरल में, हमारे पास खजिन विज्ञान का पर्याप्त भंडार है। परन्तु इसके मूल्यवर्धन और उपयोग में कोई प्रगति नहीं हुई है।

एक अन्य क्षेत्र जोकि समस्या का सामना कर रहा है, वह है- भवन एवं निर्माण उद्योग। यह हमारे देश का विकासशील उद्योग है। निर्माण संबंधी सभी क्रियाकलापों के लिए रेत की आवश्यकता होती है। किन्तु नदी समुद्र तट आदि से रेत के खनन से पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। चूंकि यह तेजी से बढ़ता उद्योग है, अत: मंत्री जी को वहन योग्य लागत वाले रेत के किसी प्रतिस्थापक पदार्थ के विकास के लिए कुछ शुरुआत करनी चाहिए।

हमें उपग्रह मानचित्रण प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रचार करना चाहिए। हाल ही में, हमारे माननीय राज्य सभा सदस्य डा. कस्तूरीरंगन ने जल संरक्षण के लिए उपग्रह इमेजिंग के प्रयोग पर संसद सदस्यों के लिए एक भाषण दिया। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग मौसम पूर्वानुमान और समुद्री मत्स्यन संसाधनों के मानचित्रण के लिए किया जा सकता है। इसका प्रचार किया जाना चाहिए और पारंपरिक मछुआरों को सूचना प्रदान करने के लिए स्थलीय केन्द्रों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। मेरे राज्य में, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में कई क्षेत्र हैं जो लैंडस्केप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और तड़ित आपदा प्रवण क्षेत्र है। मैं माननीय मंत्री से, जैसा भूकंप के मामले में हमने किया, वैसा ही मानचित्रण करने का कुछ प्रयास करने का अनुरोध करता हूं। हमें इन संवेदनशील क्षेत्रों के मानचित्रण और भू-स्खलन और तड़ित आपदाओं के खतरे का अनुमान लगाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए।

सूनामी के पश्चात्, पारंपरिक मछुआरों का यह मत है कि मत्स्यन पारिस्थितिकी में कुछ पारिस्थितिकीय परिवर्तन हुआ है और मत्स्य संसाधन प्रभावित हुआ है। किन्तु मुझे हैरानी होगी यदि इस देश में किसी वैज्ञानिक निकाय द्वारा कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया हो। सूनामी के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कुछ वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि कतिपय क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछ वक्ताओं ने उल्लेख किया है कि नैनो-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्टेम जैव-इंजीनियरिंग के कुछ परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं।

अत: स्टेम सैल और जैव इंजीनियरिंग संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही, कतिपय क्षेत्रों विशेषकर बधिरपन और अंधापन में संयुक्त प्रतिस्थापन कृत्रिम अंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि में, जैसाकि मैंने पहले ही उल्लेख किया है। कतिपय फसलों का विकास किया जाना चाहिए।

जल की कमी एक अन्य क्षेत्र है। देश में जल की कमी की चुनौती से निबटने के लिए जल संरक्षण किया जाना चाहिए। कतिपय क्षेत्र हैं जहां विलवणीकरण और रिवर्स ओस्मोसिस तकनीकों

[डा. के.एस. मनोज]

का इस्तेमाल किया गया है। हमें कोई तरीका खोजना है ताकि इन प्रौद्योगिकियों का वहन योग्य स्तर पर स्थानीय निकायों द्वारा उपयोग किया जा सके।

भारत सरकार के विभिन्न विभाग अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में लगे हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप बहुत सा दोहराव और धन का अपव्यय हो रहा है। भारत सरकार के ये विभाग अलग-अलग काम कर रहे हैं और विभिन्न विभागों के मध्य अनुसंधान और विकास के परिणाम को आपस में नहीं बांटा जाता। अत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को इन्हें एक साथ कार्य कराने के लिए पहल करनी होगी और सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य अनुसंधान एवं विकास के परिणामों के आदान-प्रदान के लिए मार्ग बनाना होगा। अनुसंधानकर्त्ताओं, संबंधित उद्योगों और प्रयोक्ताओं के मध्य सहजीवन होना चाहिए। जैसाकि श्री के.एस. राव वे उल्लेख किया है, विद्यालयों और महाविद्यालयों, यहां तक कि पीएचडी छात्रों के शोधग्रंथों में भी अनुसंधानोन्मुख कार्य दिये जाने चाहिए।

महोदय, समय की कमी के कारण इन शब्दों के साथ मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग हेतु अनुदान की मांगों का समर्थन करना चाहता हूं। विभाग के बजट में कुछ कटौतियां प्रस्तावित हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत अनुसंधान तथा विकास के लिए यथेष्ट धनराशि प्रदान की जानी चाहिए।

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** (शिवकाशी): मैं वर्ष 2007-08 के लिए हमारे नेता वाइको द्वारा स्थापित मारुमालारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम की तरफ से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर इस चर्चा में भाग ले रहा हूं। किसी जनसंख्या की सभ्यता में वृद्धि मातृभाषा में शिक्षा के संवर्धन तथा विज्ञान का प्रचार तथा देश में वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा जानी जाती है।

हम भारत में इस पर गर्व करते हैं कि 'शून्य' का उपयोग हमारे प्राचीन विद्वानों द्वारा पता लगाया गया था। प्राचीन काल के आर्यभट्ट तथा आधुनिक काल के रामानुजम ने भारत में गणित के क्षेत्र में योगदान दिया है। आयुर्वेद तथा सिद्ध चिकित्सा प्रणाली हमारी प्राचीन शिक्षा समाज का अंग है।

इस परिप्रेक्ष्य में हम अपने राष्ट्र, युवा राष्ट्र की तरफ देखें। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत उम्र 24 वर्ष है। जापान का 48 तथा चीन का 30 है। भारत के पास युवाओं की काफी ज्यादा संख्या है तथा हम अब युवा शक्ति हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम विज्ञान तथा वैज्ञानिक सोच को इस पीढ़ी तक पहुंचाएं। हमारे पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसे समझा तथा अनुसंधान संगठन स्थापित किये। हमें यह स्वीकार करना होगा कि इन वर्षों में हम पीछे छूटते रहे हैं।

हम अपने उद्योगों में निवेश तथा आगम कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अल्प क्षमादान मिला तथा इनकी कुछ हद तक अनदेखी हुई। हम अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.8% आवंटन कर रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति यह भी कह रहे हैं कि इसे अगले 5 वर्षों में बढ़ाकर कम से कम 2% किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान विभाग को योजना के लिए 3978 करोड़ रु. की आवश्यकता थी लेकिन उसे इस वर्ष के बजट के आवंटन से 1070 करोड़ रु. ही मिले। इससे ज्यादा विभाग के दुखद परिचालन की स्थिति यह रही कि विभाग ने गत वर्ष 200 करोड़ रु. खर्च नहीं किए।

हम अपने देश के तीस करोड़ गरीब लोगों की स्थिति में सुधार कर, एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वृद्धि की कमी हमारे सपनों को सच करने में आड़े आ सकती है। विश्व हमारी तरफ देख रहा है तथा आगामी 5 से 10 वर्षों में वह हमें देखेगा जब हम एक आर्थिक शक्ति बनेंगे। दूसरे देशों से प्राप्त होने वाली प्रौद्योगिकी उस चरण में हमारे पास नहीं आ सकती है। यह एक चुनौती हो सकती है। अतएव विशुद्ध विज्ञान जैसे भौतिकी तथा रसायन शास्त्र तथा गणित को महत्व दिया जाना चाहिए।

जब हम विशुद्ध विज्ञान पर छात्रों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं तो केवल छात्रवृत्ति देना ही पर्याप्त नहीं होता है। हमें प्रति वर्ष कम से कम 4000 वैज्ञानिकों के लिए रोजगार सृजन करके प्रोत्साहन देना होगा। आकर्षक वेतन पैकेज तथा मुक्त कार्य वातावरण भी हमारे वैज्ञानिक समुदाय को उपलब्ध कराना होगा। पैसों की खोज में हमारे युवक आईटी क्षेत्र में बाहर जाते हैं तथा हमें विशुद्ध ज्ञान का अध्ययन आकर्षक बनाना होगा।

अपराह्न 5.09 बजे

[श्रीमती कृष्णा तीरथ पीठासीन हुईं]

प्रतिभा पलायन को रोकने की आवश्यकता है। इस रुझान को बदलने के लिए हमें और ज्यादा नौकरियां, अनुसंधान सुविधाओं के लिए बेहतर अवसंरचना, आकर्षक प्रोत्साहन तथा अनुकूल वातावरण बनाना होगा। हमारे वैज्ञानिकों को वापस देश में बुलाने के लिए यह आवश्यक है। अफसरशाही का हस्तक्षेप की समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जाने हैं। उन्हें विशिष्ट वेतनमान ढांचे के

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

साथ मुक्त वातावरण मिलना चाहिए। हमारा भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ देश को आगे ले जाएंगे। यही काफी नहीं है कि हमारा देश जो 108 करोड़ लोगों का है वह एक आर्थिक सुपर पावर बने। हमारा देश अन्य राष्ट्रों के बीच इस प्रकार दिखाई देना चाहिए जैसाकि जर्मनी तथा अमेरिका, जो कि वैज्ञानिक उपलब्धियों में नए कदम उठा रहे हैं। वैज्ञानिक खोज तथा उपलब्धियां और ज्यादा होनी चाहिए। यह एकजुट प्रयास की मांग करता है। हमें इसे राष्ट्रीय मिशन बनाना होगा। तभी हमारे विकास को विश्व के राष्ट्रों में पहचान प्राप्त होगी। इन शब्दों के साथ मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): महोदया, आज अनुदानों की मांगों पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वह काफी महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय पर ध्यान दे रही है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्राचीन भारतीय हस्तलिपियों का हमेशा से अंग रहा है तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु में चिदम्बरम में सरकारी आवंटन में एक प्रतिशत से दो प्रतिशत वृद्धि करने का उल्लेख किया था। हम इससे खुश हैं। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश का भी उल्लेख किया। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि देश में प्रतिभा पलायन को देखने की आवश्यकता है। प्रतिभा पलायन क्यों हो रहा है। हम मानव संसाधन विकास तथा नए अवसर को देखने के लिए नई पद्धतियों को नहीं तैयार कर रहे हैं? हमारे राष्ट्रपति जो एक प्रख्यात वैज्ञानिक हैं वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर हमारे सकल घरेलू उत्पाद पर व्यय में वृद्धि से काफी खुश हैं। जब वे 2005-06 हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बजट आवंटन तथा व्यय देखने लगे तो उन्होंने पाया कि केवल 0.25 प्रतिशत मंत्रालय में व्यय हुआ। हम भारत को गौरवशाली बनाना चाहते हैं तथा हम नई तथा विकासशील देश हैं। हम भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। हम सभा में सामूहिक होना चाहते हैं तथा एक साथ काम करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जब माप विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो आप टीआईएफएसी, टैक्नोलॉजी इन्फोर्मेशन फारकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल जो 1998 में स्थापित किया गया था की अवश्य बात करें। कृपया मुझे डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की पुस्तक से उद्धृत करने दें। उन्होंने कहा: "प्रौद्योगिकी राष्ट्र की राजनीति, आर्थिक तथा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करती है।"

हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग ग्रामीण भारत, जो मूल रूप से कृषि पर निर्भर है, से आता है। मेरा राज्य मूल रूप से कृषि पर निर्भर है। जैसाकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन हमेशा कहता है कि यह आम आदमी के लिए कार्य करता है, हम राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन में राष्ट्र के कृषक के कल्याण के लिए कार्य करते हैं।

मैं यहां अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा कि राजस्थान, जहां से मैं निर्वाचित हुआ हूं, वहां ग्वार गम की काफी खेती होती है। भारत का सत्तर प्रतिशत ग्वार गम का उत्पादन राजस्थान से, मूल रूप से अलवर, झुंझनू तथा बाड़मेर क्षेत्र से आता है। इस ग्वार गम का पहले उत्पादन होता है, पाउडर बनाया जाता है, निर्यात किया जाता है तथा पुन: आयात किया जाता है। मैं सरकार से राजस्थान में गुआर गम के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र बनाने की मांग करता हूं। यह देश के आम आदमी को लाभ पहुंचा सकता है। ग्वार गम का उपयोग तेल खनन, वस्त्र, कागज तथा पेंट में होता है।

जब हम डिजिटल मैपिंग की बात करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने नए कदम बढ़ाए हैं। हमें गांवों हेतु डाटा बेस पर भी अवश्य देखें जो किसानों को जलवायु के हिसाब से फसल उगाने में मदद करेगा। चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, हमें आगे देखना होगा कि जलवायु के हिसाब से हमारे लिये कौन सी फसल उचित होगी ...*(व्यवधान)*

हमें प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आपदा होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक विभीषिका को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करेगा। हमें विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करनी होगी जो बीमारियों में कमी लाने तथा इसे दूर करने तथा बेहतर फसल लगाने में सहायक होगा। मैं राजस्थान से आता हूं जहां राज्य के तीन प्रमुख, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय अध्यक्ष महिलाएं हैं। आप महिलाओं पर केन्द्रित हैं। आप इस शीर्ष पर केवल 30 करोड़ का आवंटन करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हम महिलाओं की सहायता कर सकते हैं तथा देश की महिलाओं की स्थिति में सुधार कर सकते हैं।

मैं आपसे मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महिला प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध करता हूं जो स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करेगा। मैं झालावाड़ से चुना जाता हूं जहां उचित जलवायु तथा उर्वरक भूमि है। यहां चिकित्सीय पौधों को उपजाने के लिए अनुकूल मौसम तथा जलवायु है। जब आप चिकित्सीय पौधों तथा हर्बल औषधियों पर केन्द्रित कर रहे हैं तो झालावाड़ जिले में एक हर्बल मेडिसीन केन्द्र स्थापित किया जा सकता है।

[श्री दुष्यंत सिंह]

मंत्रालय ने स्वयंसेवी संगठनों, जो माइक्रो पनधारा विकास, जैव उर्वरक, ग्रामीण आवास, इत्यादि पर आधारित है, के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कार्य किया है। मैं आपसे क्षेत्र तथा राष्ट्र के आम आदमी के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क के विषय में सोचने के लिए अनुरोध करता हूं। हमें लोगों को सहायता तथा रोजगार देने की आवश्यकता है। इन प्रौद्योगिकी पार्क के माध्यम से, हम उन्हें काफी कार्य दे सकते हैं। राजस्थान में बहुत ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है। अतएव, आपकी आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत, हम एलोवेटा, रतनजोत, आंवला तथा बागवानी जैसे फसल उपजाकर उन्हें उपज बढ़ाने का विकल्प दे सकते हैं। बागबानी तथा जैव उत्पाद को मिलाकर आदिवासी अच्छी फसल उपजा सकते हैं तथा हमने बरान जिले में ऐसा किया जहां हमें योजना आयोग द्वारा पूरा श्रेय मिला। योजना आयोग के सदस्य बरान आए तथा उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण उत्पाद है।

सं.प्र.ग. सरकार ने बांस उत्पादन पर चर्चा की तथा इस पर विशेष ध्यान दिया। बाँस से एक सह-उत्पाद अगरबत्ती निकलती है जो प्रत्येक भारतीय परिवार में दैनिक उपयोग की जाती है। यह एक नए बाजार के रूप में विकसित हो सकती है।

महोदय, बिजनौर में आपने गन्ना विकास पर ध्यान केन्द्रित किया। यह काफी अच्छा है तथा हमें चीनी उद्योग भी लगाना चाहिए। हमें भारतीयों की जीवन प्रत्याशा बढ़ाने पर भी केन्द्रित करना होगा। यह भेषज अनुसंधान तथा अनुसंधान राशि के माध्यम से किया जा सकता है लेकिन धनराशि बढ़ाई जानी चाहिए। आपको अपने माननीय सहकर्मी, भारत के वित्त मंत्री को और ज्यादा पैसे देने के लिए कहना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री दुष्यंत सिंह: महोदया, मैं दो मिनट के अन्दर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि हम भारतीय उत्पाद को वैश्विक बना रहे हैं तथा खाद्य उत्पादों का दोहन करके हम विश्व बाजार के लिए भारतीय खाद्य पदार्थ बना रहे हैं। आपने आईआईटी के पायलट परियोजना को देखा होगा जहां खाद्य उत्पादों पर लेप लगाकर इनकी भण्डारण अवधि बनाई गई है। हमारी जनसंख्या के बड़े भाग को स्वच्छ जल प्राप्त नहीं हैं। लोगों के पास पेयजल नहीं है। इसलिए जो सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सत्ता में आती है उसके लिए पानी को साफ करना जरूरी है और यह उसका कर्त्तव्य भी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक राज्य और क्षेत्र में ऐसे जल शुद्धिकरण पर संयंत्र लगाए जिससे सारी अशुद्धता दूर हो जाए।

हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हम जैव-ईंधन की ओर आस लगाए हैं। भविष्य के लिए जैव ईंधन पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है क्योंकि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है और धीरे-धीरे हमें ईंधन की वैकल्पिक पद्धति की जरूरत होगी। जैव ईंधन के लिए साफ वनस्पति तेल का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। यह हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में सहायता करेगा। हम जीवाश्म ईंधन पर ज्यादा निर्भर नहीं रहेंगे। हम अनुसंधान और विकास के लिए टेक्सास उपकरणों के माध्यम से ज्यादा निवेश करने जा रहे हैं। हमें अनुसंधान और विकास के लिए ज्यादा धन देने के लिए भारतीय कंपनियों की जरूरत है। हमें आईपीआर, पेटेंट अधिकार, आदि के बारे में सोचने की जरूरत है।

हम आतंकवादी गतिविधियों संबंधी एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। यह काफी गंभीर मुद्दा है। चूंकि यह एक गंभीर समस्या है, हमें फिंगर प्रिंटिंग और डीएनए विधि पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि कोई आतंकवादी गतिविधियों के कारण अपनी जान गंवा देता है तो हम यह साफ नहीं कर पाते हैं कि वह व्यक्ति कौन है। हमें इस संबंध में तुरन्त कदम उठाने की जरूरत है।

हमारे वैज्ञानिकों के बारे में सोचने के लिए मैं माननीय मंत्री जी, श्री कपिल सिब्बल की सराहना करता हूं। विज्ञान के वाणिज्यिक उपयोग में वृद्धि होने पर हमारे वैज्ञानिकों को 30 प्रतिशत रायल्टी दी जाएगी। यह काफी अच्छी बात है। किंतु यह कैसे होगा? ऐसा केवल मानव संसाधन विकास में ज्यादा निवेश करके हो सकता है ...*(व्यवधान)*

हमारे माननीय प्रधानमंत्री असम से चुनकर आए हैं। आप असम को पहला विज्ञान ग्राम दे रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भारत के प्रत्येक राज्य और हमारे राज्य राजस्थान को भी एक विज्ञान ग्राम दें।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि प्रौद्योगिकी एक आवश्यक तत्व है। हमें इस पर काम करने की जरूरत है। हमें और अधिक प्रौद्योगिकीय कारोबार इंक्यूबेटर चाहिए। हमें सरकारी निजी भागीदारी पर काम करने की जरूरत है। प्रौद्योगिकी में कृषि उद्योग, निर्माण उद्योग, शिल्प और छोटे उद्यमी तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल है। हमें ज्ञान आयोग के लिए काम करने की जरूरत है। प्रौद्योगिकी में कृषि उद्योग, निर्माण उद्योग, शिल्प और छोटे उद्यमी तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल है। हमें ज्ञान आयोग के लिए काम करने की जरूरत है जिसे बनाया गया है और जिसने हमारे वैज्ञानिकों को आगे ले जाने में हमारी सहायता की है। आइए हम सब भारत को गौरवान्वित करने और अपने को एक नए स्तर पर ले जाने हेतु एक सांझा मंच पर आएं।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): महोदया, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सर्वप्रथम, मैं इस मंत्रालय को पिछले एक-डेढ़ साल से अच्छी तरह चलाने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह इसलिए क्योंकि संभवतया उन्होंने एक ऐसी वैज्ञानिक सोच विकसित की है जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री सहित सभी वैज्ञानिकों की सोच से काफी मेल खाती है।

हम ज्यादातर समकालीन विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा सुनते हैं। मैं इस सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस देश में विज्ञान की एक परम्परा और इतिहास रहा है। यह वह धरती है जहां शून्य का आविष्कार हुआ। आप जानते हैं कि शून्य वह संख्या है जिसके बिना कोई संख्या प्रणाली-द्विसंख्यीय प्रणाली जिसके शून्य और एक संख्यांक हैं अथवा दशमलव प्रणाली जिसमें एक से लेकर नौ तक संख्या होती है या कोई अन्य प्रणाली नहीं होती।

हमारे विज्ञान का इतिहास काफी रोचक है। यह देश वर्षों से जिस विज्ञान का प्रयोग कर रहा है वह प्राचीनतम विज्ञान है जिसे हम संभवतया भूल गए हैं वह है—खगोल विज्ञान। आप जानते हैं कि यह वह विज्ञान है जिसका तब से प्रयोग हो रहा है जब मानव के पास सूरज और चंद्रमा की रोशनी के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। चांदविहीन रात्रि में क्या होता है? आमतौर पर एक आदमी या औरत रोशनी के लिए आसमान की ओर देखते हैं। यहीं से वही विज्ञान शुरू होता है जो रोचक है।

अब, मैं इस समय में हमारी स्थिति के विज्ञान को सुस्पष्ट करूंगा। अब हम सब भारतीय संसद में हैं। इस समय भारत कहां है? भारत एक छोटे ग्रह, पृथ्वी का एक भाग है। यह पृथ्वी क्या है? पृथ्वी, सौरमंडल के नौ ग्रहों में से एक ग्रह है। सूर्य जो मध्य का तारा है, के इर्द-गिर्द नौ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य जैसे असंख्य तारे हैं जो आकाश गंगा में घूम रहे हैं। आकाशगंगा जैसे मिलियन तारामंडल हैं जो ब्रह्मांड में तेजी से घूम रहे हैं। सारे तारामंडल हमसे दूर घूम रहे हैं। वास्तव में, ग्रह इतनी छोटी सत्ता हैं जिसमें हमारा कोई पता नहीं है। इस ब्रह्मांड में किसी का भी कोई पता नहीं है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किंतु इस देश में, संसार में, अमीर-गरीब के बीच में एक अंतर है। हम लोगों को जीने के लिए पर्याप्त पेयजल, बिजली और पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। हम इस समय एचआईवी/एड्स जैसी घातक बीमारियों से भी लड़ नहीं पा रहे हैं। विज्ञान के विकास के साथ इन सभी चीजों का सामना करना होगा। इसलिए हम सदैव इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे विज्ञान अधिकतर मूल विज्ञान के क्षेत्र में जिसमें इस देश ने बड़े-बड़े वैज्ञानिक पैदा किये हैं, अनुसंधान और विकास में पर्याप्त निवेश होना चाहिए। अपनी क्षमता के बावजूद हम अभी तक उसका दोहन नहीं कर पाए हैं।

इस संदर्भ में आप सबको याद दिलाने के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सारा विश्व हमारी ओर देख रहा है। हमारे पास जनशक्ति और इतने सारे वैज्ञानिकों को पैदा करने की क्षमता है। कई वैज्ञानिक विश्वभर में काम कर रहे हैं। मैं नई प्रौद्योगिकी अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य प्रौद्योगिकियों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक बनना चाहता है। किंतु मूल वैज्ञानिक बनने के लिए उन्हें एक निश्चित मात्रा में समर्पण, गंभीरता, ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ काम करना होगा। उन्हें इन पहलुओं पर अपने आपको प्रतिबद्ध करना होगा। देश में कई संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों में इसका अभाव है। हम एक भौतिकवादी संसार में जा रहे हैं जहां पर हमें पैसा कमाना है। एक सूचना प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से दस गुना ज्यादा कमाता है। इसलिए, कोई भी मूल विज्ञान के लिए काम नहीं करता है। हमें इस पहलू को देखना होगा। मैं समझता हूं कि इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू मूल विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सुरक्षा की भावना विकसित करना है।

इसके बिना, हम समग्र रूप से विज्ञान का विकास नहीं कर सकते हैं। इन थोड़े शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं तथा भविष्य में उनके सफल होने की कामना करता हूं।

श्री अबु अयीश मंडल (कटवा): सभापति महोदया, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। माननीय सदस्यों ने हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में काफी कुछ कहा है।

मैं दो महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना की ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के दौरान इसके बारे में विकास और प्रगति के बारे में हमें जानकारी देंगे।

"विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं में संकाय में नए नियुक्त होने वालों के लिए अनुसंधान सहायता" नामक शीर्षक की एक नई योजना उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुरू करने

[श्री अबु अयीश मंडल]

का एक प्रस्ताव है। इसके बाद, मैं यह अनुरोध करूंगा कि वर्तमान सुविधाओं को उन्नत करने के लिए कदम उठाए जाएं ताकि शोधकर्त्ताओं को अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने हेतु अपेक्षित आधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरणों की प्राप्ति हो सके।

मेरी दूसरी बात यह है कि नेशनल सेंटर फार मीडियम रेंज व्हेदर फॉरकास्टिंग को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से उसकी परिकलन और अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उन्नत बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की जनसंख्या न केवल ज्यादा है अपितु वहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार वाले प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार है। इसलिए यदि हम चाहें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अपना उत्तर देते समय वे मेरे द्वारा उठाई गई बातों का उत्तर दें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): सभापति महोदया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस अति महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांगों पर आज चर्चा की जा रही है। मैं इस मुद्दे को एक व्यापक नजरिये से देखता हूं। एक ओर, हमारे सामने एक शानदार तस्वीर है क्योंकि भारत में विश्व के सर्वाधिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र हैं, हमारे पास विश्व में तीसरी सर्वाधिक वैज्ञानिक जनशक्ति है, और 162 विश्वविद्यालय 4,000 डॉक्टरेट और 35,000 कला निष्णात उपाधियां प्रदान कर रहे हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद 40 अनुसंधान प्रयोगशालाएं चला रहा है और भारत विश्व के पांच अग्रणी देशों में से एक है। लेकिन दूसरी ओर, हमारे देश के लगभग 40 प्रतिशत लोगों के पास इस उल्लेखनीय कार्य से उद्भूत लाभ प्राप्त करने की सुविधा नहीं है।

महोदया, मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता हूं जहां पर 90 प्रतिशत लोग ग्रामीण हैं। जब तक विज्ञान की पहुंच समाज के आम आदमी तक नहीं होगी तब तक यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। मुझे खुशी है कि अब इस मंत्रालय की बागडोर एक सर्वाधिक सक्षम व्यक्ति के हाथों में है। पिछली बार जब मैं बोला था, तो माननीय मंत्री जी ने मुझे बधाई दी थी और मैंने उनसे अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने का अनुरोध किया था। उन्होंने वास्तव में हमारे राज्य का दौरा किया और उन्होंने वहां काफी घोषणाएं की थी। मैं माननीय मंत्री जी के उदार दृष्टिकोण से काफी उत्साहित हूं।

महोदया, आज की स्थिति में, मैं देख रहा हूं कि हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र ने काफी बड़ी छलांग लगाई है। आज, विज्ञान और प्रौद्यगिकी अर्थव्यवस्था की जान है और इससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता है।

[हिन्दी]

यहां पर मेरे साथियों ने भाषण दिये हैं, काफी साइंटिफिक भाषण दिये हैं। मैं कुछ कामन बातों को सदन के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो सिस्टम है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को कैसे लाया जाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ हमारे सिस्टम में आना चाहिए। यह हमें दिखाई नहीं देता है। अभी हाल ही में हमारे कुछ फ्रैन्ड्स के ग्रुप अमेरिका से आये थे। उन्होंने एक रिमार्क दिया कि हम अमरीका में बहुत सुनते हैं कि इंडिया इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी में इतना आगे बढ़ रहा है। लेकिन छोटे-छोटे आइडैन्टिटी कार्ड्स और पासपोर्ट्स बनाने का सारा काम अभी भी मैनुअली होता है, यहां डवलपमैन्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सचमुच में हम जो ऊपर देख रहे हैं, वह आम जनता के जीवन में किसी भी तरह से रिफ्लैक्ट नहीं हो रहा है। कारपोरेट सैक्टर में यह जरूर हो रहा होगा। लेकिन वे कितने लोगों को कवर करते हैं, हमारी जनसंख्या का कितना परसैन्ट उसके तहत आता है, वह हम सभी जानते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो साइंस के बिना विकास का कोई अर्थ ही नहीं है।

सभापति महोदया, मैं अपने यहां की रिसोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी सारी रिसोर्सेज ऐसे ही जमीन पर पड़ी हुई हैं। हमारी नदी भी बे ऑफ बंगाल में सदियों से बहती जा रही है, उससे हमने आज तक 0.5 परसैन्ट भी पावर जनरेशन नहीं की। हमारे जंगलों का रिसोर्सेज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश रिसोर्सेज के मामले में हिन्दुस्तान के सबसे अमीर प्रदेशों में से एक है। लेकिन वहां की जनता सबसे गरीब लोगों में आती है। साइंस और टैक्नोलोजी के माध्यम से ही हम इस स्थिति से उभर सकते हैं। वहां अनेकों तरह की पत्तियां हैं, हर्बल मैडिसंस तथा और बहुत सी चीजें हैं और हमारे ग्रंथों में भी हिमालयन रीजन की रिचनैस के बारे में भी लिखा है। मैंने पिछले सत्र में एक बार यह भी पूछा था कि हिमालयन रीजन को साइंस एंड टैक्नोलोजी के माध्यम से किस तरह से बचाना है और हिमालयन रीजन में जो रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल देश की भलाई के लिए किस तरह से करना है?

हम कभी-कभी एनवॉयरनमैन्ट प्रोटैक्शन की बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पर भी काफी डिबेट होती है। कोई साइंटिस्ट कह

देता है कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं होता, यह लोकल क्लाइमेटिक चेंज है। लेकिन सचमुच में आज हिमालयन रीजन सूख रहा है। हम नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम नदियों में किस चीज को जोड़ेंगे। मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि आप नये सिरे से एक पालिसी बनाइये, ताकि साइंस एंड टैक्नोलोजी देश की मुख्य धारा से बिल्कुल भी अलग न हो सके। मैं हिमालय रीजन की बात कर रहा हूं। वहां बहुत अधिक हर्बल मैडिसंस हैं। हमारे अरुणाचल प्रदेश में दिल्ली के लोग आये और हैलिकाप्टर से यात्रा की। उन्होंने वहां देख कर कहा कि एम.पी. साहब, आपके प्रदेश में इतने बनानाज हैं, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बनानाज यहीं होते होंगे। मैंने कहा कि ये वाइल्ड बनानाज हैं, ये जंगल के बनानाज हैं, घर के नहीं हैं। लेकिन फिलीपींस और चाइना में वाइल्ड बनानाज से टैक्नोलोजी के माध्यम से फाइबर बनाया जाता है। लेकिन हमारे इतने बड़े प्रदेश के बनानाज बेकार पड़े हुए हैं। मैं खादी ग्रामोद्योग आयोग में सदस्य था। वहां भी मैंने कहा था कि इतने बननाज पड़े हुए हैं, लेकिन उनके प्रोपर इस्तेमाल के लिए हम अभी तक कुछ नहीं कर सके हैं। मैं मंत्री से दर्खास्त करना चाहूंगा कि आप वहां एक इंस्टीट्यूट खोल दीजिए, एक नये सिरे से वहां एफर्ट्स कीजिए, इससे देश का बहुत भला हो सकता है।

दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आर्किड एरिया है। हम फ्लोरीकल्चर की बात करते हैं। हमारे यहां एक जगह टिप्पी भालुकपोंग है। यदि आप वहां जायेंगे तो पायेंगे कि वहां वैराइटीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन कमर्शियल बेसिस पर वहां कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमैन्ट से बहुत कहा है, लेकिन वहां कुछ हो नहीं रहा है। वैराइटीज के मामले में यह दुनिया का सबसे बड़ा आर्किड एरिया माना जाता है, लेकिन वहां प्रोडक्शन निल है।

सभापति महोदया: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री कीरेन रिजीजू: मैडम, जब आप चेयर पर बैठती हैं तो हम सोचते हैं कि आप हमें एक्सट्रा दो मिनट जरूर देंगी, क्योंकि आप और हम सब एक ही वर्ग से आते हैं। मैं अपने आपको अपने प्रदेश तक ही सीमित रखूंगा, चूंकि समय कम है, इसलिए मैं हिमालय की बात ही करना चाहूंगा। सरकार ने पिछली बार तवांग-ईटानगर पास की घोषणा की है, मेरा निवेदन है कि उसके इम्पलीमैन्टेशन को आप फास्ट कीजिए। बाकी जगहों के बारे में और माननीय सदस्यों ने बोला है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन हमारे प्रदेश और पूरे नॉर्थ-ईस्ट हिमालयन रीजन में जो रिसोर्सेज हैं, वहां के लिए आप आफिसर्स की एक कमेटी बनाइये और हमें भी उस टीन में शामिल कीजिए। कमेटी बनाकर आप एक टाइम फ्रेम दीजिए और पोटेंशियल रिसोर्सेज को आइडेन्टिफाई करते हुए आप इसे किस तरह से रिजल्ट-ओरियंटेड प्रोग्राम में लागू करेंगे, मैं समझता हूं कि इस चर्चा के बाद माननीय मंत्री जी आप इस बारे में जरूर कदम उठायेंगे।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पूर्वोत्तर में भुखमरी यानी एक अजीब सी बैम्बू फ्लॉवरिंग करके समस्या आती है जिसमें एक तरह से पूरे पूर्वोत्तर में फैमिन आ जाता है। लाखों की संख्या में जंगल से चूहे निकलकर आ जाते हैं और सारी फसल खा जाते हैं। इस बैम्बू फ्लॉवरिंग को सुधारने के लिए या इस पर कंट्रोल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से सरकार को एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक साइंटिफिक ग्रुप बनाना चाहिए। अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बाद में लिखित में देना चाहूंगा। आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली** (राजामुन्दरी): महोदया, मैं तेलुगु में बोलूंगा। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं। हमारे देश की प्रगति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली प्रगति पर निर्भर है तथा हम सभी को इस सच्चाई का पता है। 2010 और 2015 के बीच अमरीका, चीन और भारत महाशक्ति के रूप में उभरेंगे तथा विश्व पर वर्चस्व स्थापित करने की स्थिति में होंगे। इस समय, यदि हम इस बात पर गौर करें कि क्या हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पर्याप्त महत्व दे रहे हैं तो मुझे यह कहते दुख हो रहा है कि हम इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस क्षेत्र हेतु अपर्याप्त निधियां आवंटित करके हम प्रतिभा पलायन का शिकार हो रहे हैं। जब हमारे वैज्ञानिक अन्य देशों को प्रौद्योगिकी विकास में सहायता पहुंचा रहे हैं तो हम इनका कोई लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं। अगर हमारे पास अनुसंधान हेतु धनराशि की कमी है तो हमें एक विधान लाना चाहिए ताकि उद्योगपति, जो करोड़ों का लाभ कमाते हैं, लाभ का कुछ प्रतिशत अनुसंधान कार्य में लगाएं। यदि हम अभी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम बेहतर प्रौद्योगिकी वाले विश्वस्तरीय वैज्ञानिकों के होते हुए भी, जो कि अन्य देशों की प्रगति के साथ कदम मिलाकर चलने में सक्षम है, इस देश के निर्धतनम लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ नहीं पहुंच पाएंगे। यदि हम अभी ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में पश्चाताप करना होगा। वर्तमान में, हमारे देश में 40 करोड़ लोगों को मूल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अगर विज्ञान का समुचित लाभ उठाया गया होता तो इन 40 करोड़ लोगों का जीवन

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री अरुण कुमार चुन्डावत्सी]

बेहतर होता। यद्यपि, हमारे देश में सौर ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रों में असीम संभावनाएं हैं परन्तु फिर भी अनुसंधान के अभाव में हमारा देश पिछड़ रहा है। पिछली बार, जब मैंने इसी विषय पर बोला था, तब मैंने दो मुद्दे उठाये थे। एक मुद्दा फ्लोरोसिस बीमारी के प्रभाव के बारे में था। मैंने इस विषय पर संबंधित वेबसाइट देखी थी तथा संबंधित वैज्ञानिकों से चर्चा की थी।

उन्होंने बताया था कि फ्लोरोसिस के मामले में हल्दी उपयोगी है और इससे इस रोग को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। यद्यपि यह सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध थी, फ्लुओराइड प्रभावित क्षेत्रों में हल्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये। दो वर्ष पहले, मैंने जोर देकर कहा था कि फ्लुओराइड प्रभावित क्षेत्रों में हल्दी की आपूर्ति या तो राजसहायता प्राप्त मूल्य पर अथवा नि:शुल्क की जाए। इससे यह बीमारी कम खर्च पर पूरी तरह समाप्त हो गयी होती। परन्तु इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किये गये। ठीक इसी प्रकार, हम सड़कों के किनारे 'कालाबंधा' नामक झाड़ी पाते हैं जिसे पूरे विश्व में 'एलो वेरा' के नाम से भी जाना जाता है, यह अनेक रोगों के लिए रामबाण है। इस ऐलो वेरा को पूरे विश्व में अनेक रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। परन्तु हम लोग इस पौधे की गुणवत्ता का दोहन नहीं कर सके हैं और हम इसे खरपतवार के रूप में लेते हैं। जब हमारा 'ऐलो वेरा, ब्राजील और मैक्सिको में पैदा होने वाले ऐलोवेरा' के समकक्ष है तो हम इसके प्रयोग का व्यावसायीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री श्री कपिल सिब्बल जैसे प्रतिष्ठित वकील हैं तो हम उनसे इस क्षेत्र में किसी भी कानूनी बाधा अथवा खामियों को दूर करने की उम्मीद रखते हैं। अन्य देश उन पौधों पर पेटेण्ट अधिकार हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे देशी पौधे हैं। मेरा विश्वास है कि श्री कपिल सिब्बल के सक्षम दिशानिर्देश में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देशों में होंगे। मेरा विचार है कि इस क्षेत्र में देश का विकास हो और हमारा देश नम्बर एक बने, इसलिए अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए तथा इसे और अधिक महत्व देना चाहिए। मैं इस आशा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे देश की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने योग्य बनेगा।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदया, धन्यवाद।

काफी समय बाद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर इस सभा में चर्चा हो रही है। यह स्वागतयोग्य उपाय है। जैसाकि मैं देखता हूं, इसमें कुछ भी विरोध करने योग्य नहीं है क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का काम है अनुसंधान करना और उन प्रौद्योगिकी को सम्बद्ध विभागों को भेजना। इसलिए, दिन के अंत में, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक उत्तर जानना चाहूंगा कि संबद्ध विभागों को कितनी प्रौद्योगिकियां भेजी गई हैं तथा उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए।

महोदया, मैं एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक साधारण किसान हूं। मैं मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर निर्भर करता हूं और तब मैं अपनी जमीन पर जाकर बीज बोता हूं एवं अगली बारिश का इंतजार करता हूं ताकि मैं और अधिक उत्पादन कर सकूं। पिछले दो या तीन वर्षों का मेरा अनुभव काफी बेकार रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणियां काफी गलत होती हैं। नया मोड्यूल और स्वदेश निर्मित सुपर कम्प्यूटर प्राप्त करने के बावजूद भी मौसम विभाग जो भविष्यवाणी करता है, वह बहुत गलत होती है। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि मौसम विभाग सही भविष्यवाणी करे ताकि किसान को सही फसल प्राप्त हो सके।

इसके अलावा, हम अपने बचपन में, इतिहास, सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान की किताबों में एक प्रसिद्ध वाक्य पढ़ा करते थे कि प्रौद्योगिकी का प्रयोगशाला से खेतों तक स्थानांतरण होना चाहिए। संसद सदस्य के रूप में हम अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जाते रहे हैं और हमारा अनुभव यह रहा है कि खेतों में किसी भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं हो रहा है। कृषक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं और इससे वे खुश नजर आ रहे हैं परन्तु उन्हें पता नहीं है कि उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से उनकी भूमि की उर्वर शक्ति का क्षय हो रहा है और उत्पादकता कम हो रही है। पंजाब का उदाहरण लीजिए। पंजाब देश की हरित क्रांति का अग्रदूत था। आज पंजाब में गेहूं का उत्पादन घटा है क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हुआ है।

[हिन्दी]

जितना ठंडा होना चाहिए था, उतना ठंडा नहीं था। इसलिए गेहूं का उत्पादन कम हो गया और सरकार को विदेशों से गेहूं मंगाना पड़ा। लोग अब धान की खेती करने लगे हैं।

महोदया, करीब एक महीना पहले, मैंने एक समाचार-पत्र में पढ़ा था कि अफ्रीका में एक विशेष वायरस आया हुआ है और यदि यह अरब सागर को पार कर लेता है तो इससे हमारी गेहूं की फसल पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा। अत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को इस पर समुचित ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, पुणे स्थित मौसम विभाग को मजबूत बनाया जाना चाहिए। हिमाचल में हिमनदों के पिघलने की प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए ताकि एक दिन पवित्र गंगा कहीं सूख न जाए। हम लेख पढ़ते रहे हैं कि गंगा सूखने जा रही है क्योंकि हिमनद प्रतिवर्ष

एक मीटर पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जारी है। इसलिए, इसे रोका जाना चाहिए।

महोदया, अब मैं अपने राज्य उड़ीसा के संबंध में कुछ बातें करना चाहता हूं। उड़ीसा राज्य की भूमि प्राकृतिक आपदाओं, भयंकर समुद्री चक्रवातों और सूनामी को झेलती है। मैं इस मंत्रालय और भारत सरकार से बार-बार कहता आ रहा हूं यहां तक राजग सरकार के दौरान भी मैंने कहा था कि वहां कोई चेतावनी प्रणाली मौजूद नहीं है। आपने विशाखापत्तनम में एक चेतावनी प्रणाली स्थापित की है, परन्तु इससे हमारा प्रयोजन पूर्णत: पूरा नहीं होता। यदि भयंकर समुद्री चक्रवातों को रोकने हेतु उड़ीसा तट पर पारादीप में किसी स्थान पर चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाये तो हमारा कार्य बन जाये। वस्तुत:, उड़ीसा में एक वर्ष बीच करके चक्रवात आता रहता है और इसलिए यह आवश्यक है कि चक्रवात चेतावनी प्रणाली शीघ्र स्थापित की जाए।

सभापति महोदया: अब कृपया अपनी बात समाप्त करें। सायं 6.00 बजने वाले हैं।

श्री विक्रम केशरी देव: महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

प्रत्येक व्यक्ति ने नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बोला है और प्रत्येक ने कहा है कि इसका संवर्धन किया जाना चाहिए।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) और अन्य संगठनों द्वारा विकसित की गयी फसलों की बेहतर नई किस्में किसानों तक नहीं पहुंची हैं। आप धान की विशेष किस्म को लीजिए जिसका उत्पादन मैं अपनी भूमि पर करता हूं मुझे इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जाना पड़ा वहां से इसे लेकर इसका उपयोग करना पड़ा। यह किस्म काफी अच्छी है। परन्तु अब सीआरआरआई को राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर इन विशेष धान की किस्मों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का बजट अत्यल्प है। इसे कम से कम दो या तीन प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान में, आपने विश्व व्यापार संगठन के लिए खाद्यान्न संबंधी दरवाजे खोल दिये हैं। करगिल, बिच्चल और हालीबर्टन जैसी कम्पनियां देश में आएगी। क्या आप उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आप उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। खाद्यान्न व्यापार के लिए दरवाजे खोल दिये गये हैं। कानकुन सम्मेलन वस्तुत: विफल हो चुका है। कृषि के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ है।

इसलिए, इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए मैं यह समझता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को बड़ी भूमिका निभानी है। हमें अपनी एक अरब जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करनी है जिसमें से, योजना आयोग के आकलन के अनुसार, 22 प्रतिशत लोग पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। परन्तु वस्तुत: यह आंकड़ा इससे काफी अधिक है। आंकड़े सही नहीं हैं। इसलिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को फसल उपज और जैविक कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आज, समाचार-पत्रों में यह खबर छपी है कि अमरीका में लोग आर्गेनिक खाद्यान्न का उपयोग कर रहे हैं। वहां औद्योगिक खाद्यान्न की मांग है। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना है कि देश में आर्गेनिक कृषि को कैसे सुधारा व बढ़ाया जाए ताकि हम अपनी जनसंख्या और विश्व समुदाय के लिए उत्तम, स्वच्छ और ताजी सब्जियां प्राप्त कर सके।

महोदया, अंतत: मैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसकी निगरानी कर रहा है। वे अभी तक अर्जुन टैंक विकसित करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं तथा हम काफी पहले से, बल्कि तबसे जब मैं संसद में नहीं था, अर्जुन टैंक के बारे में सुन रहे हैं। वर्ष 1985 से, जब मैं विधान सभा में था, मैं अर्जुन टैंक के बारे में सुनता आ रहा हूं किन्तु अभी तक अर्जुन टैंक तैयार नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और आज, एक अरब लोगों के लिए भोजन जुटाने की आवश्यकता है, एच.आई.वी. के रोकथाम की आवश्यकता है, पेयजल की समस्या हल करने की आवश्यकता है, संचार की आवश्यकता है और संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम विकास लक्ष्य हासिल करने की आवश्यकता है तथा साथ ही साथ आपके द्वारा किया जाने वाला विकास सतत होना चाहिए जो कि देश में ऐसा नहीं हो रहा है।

उदाहरण के लिए इंडाल, जोकि एक एल्युमिनियम कंपनी है, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 54,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। वे एक बाक्साइट खान से संबंधित कार्य करेंगे। लेकिन एल्युमिनियम शोधनशाला के बाद जो ब्लिचिंग वॉटर, लाल मिट्टी आएगी उससे मेरा बांध, अपर इंद्रावती परियोजना प्रदूषित होगी। इसके अतिरिक्त इससे अल्जाइमर रोग भी उत्पन्न होगा। फसल की उपज में भी गिरावट होगी। भारत के के.बी.के. जिलों में चार लाख एकड़ कृषि भूमि का सृजन किया गया है। केबीके जिले अपनी निर्धनता के लिए प्रसिद्ध हैं। सरकार द्वारा इन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से खनन क्रियाकलापों के पश्चात उत्पन्न होने वाले ठोस कचरा सामग्री के उपचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने का अनुरोध

[श्री विक्रम केशरी देव]

करता हूं। इसका उपचार किया जाना चाहिए। लेकिन इसी समय वेदान्त नामक एक और एल्युमिनियम उद्योग आ रहा है। इससे मेरे क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन ईंडाल उद्योग कालाहांडी में मेरी सिंचाई परियोजनाओं को प्रभावित करेगा। यह मुद्दा अब भी मानव अधिकार आयोग के पास लम्बित है।

आखिर में, मुझे पता है कि हमारे पास एक बहुत सक्षम अधिवक्ता और एक सक्षम मंत्री है। हम इनका पूरा सम्मान करते हैं। मैं समझता हूं कि यह परिणाम देंगे।

सभापति महोदया: कोई धन्यवाद नहीं करें। श्री विक्रम केशरी देव, धन्यवाद।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): सभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं आपको वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदान की मांगों संबंधी चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद देता हूं।

इस विषय पर चर्चा करते हुए हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू और हमारे प्रिय नेता स्व. श्री राजीव गांधी को नहीं भूल सकते। उन्होंने देश में वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए अनेक विश्वस्तरीय विज्ञान संस्थानों की स्थापना की थी।

स्वतंत्रता के बाद से भारी निवेश के साथ स्थापित की गई अनेक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से वैज्ञानिक क्रियाकलापों में भारी इजाफा हुआ है। पिछले कई वर्षों में वैज्ञानिक क्रियाकलापों पर होने वाले व्यय में वृद्धि हुई है। वर्ष 2006-07 के वार्षिक बजट में यह धनराशि बढ़कर 17,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

हमारे माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल एक प्रसिद्ध अधिवक्ता होने के साथ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के एक सक्रिय मंत्री भी हैं और इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मैं मंत्रालय द्वारा उठाये गये कदमों पर आता हूं। ओवरसाइट समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रतिवर्ष 10,000 प्रतिभाशाली छात्रों को विश्वविद्यालय-पूर्व बी.एस.सी. और एम.एस.सी. के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए एक नई छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है। वास्तव में यह योजना बहुत सफल योजना सिद्ध होगी। भारत एक वैश्विक कार्पोरेट अनुसंधान केन्द्र बन जाएगा।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी सरकार द्वारा "अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान विषयों में अन्वेषण" (इन्नोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इन्सपायर्ड रिसर्च) नाम की एक नई योजना शुरू किये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: (1) विद्यालयों में अन्वेषण हेतु वित्तपोषण, (2) विज्ञान की प्रसिद्ध हस्तियों के साथ ग्रीष्म कैंप; (3) सुस्थापित प्रतिभाओं के लिए सुनिश्चित अवसर योजना, (4) सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान में प्रतिभा को बनाए रखना।

हमारे माननीय मंत्री ने बार-बार अन्वेषण के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन, घरेलू उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने और वैज्ञानिकों के हितों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत में विज्ञान शिक्षा में सुधार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु कृतिक बल की स्थापना के अतिरिक्त कोलकाता और पुणे में दो भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की है।

देश के आर्थिक रूपांतरण के लिए वैज्ञानिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है। देश में उत्कृष्टता उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन देकर युवा प्रतिभा को आगे बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है इससे समाज का भला होगा और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके अतिरिक्त मैं अपने वैज्ञानिकों के प्रतिभा पलायन का भी उल्लेख करना चाहता हूं। राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली ने बताया है कि मोलीक्यूलर बायोफिजिक्स यूनिट और भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर की ठोसावस्था और संरचनागत रसायन इकाई के अनेक पी.एच.डी. उपाधिधारक विदेश जा चुके हैं। टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेन्टल रिसर्च-मुम्बई, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान-कोलकाता और इंडियन एसोसिएशन फार कल्टिवेशन ऑफ साइंस-कोलकाता का भी यही हाल है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अनेक प्रसिद्ध चिकित्सक निजी क्षेत्र के अस्पतालों में जा चुके हैं। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अध्ययनरत 52 प्रतिशत चिकित्सक विदेश जा चुके हैं। मैं माननीय मंत्री से इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कारवाई करने का अनुरोध करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि विज्ञान के लिए आवंटित धनराशि अपर्याप्त है।

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदया: जरा रुकिए। माननीय सदस्यों 6.00 बज चुके हैं। यदि सभा की स्वीकृति हो तो सभा के समय को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदान की मांगों के पारित होने तक बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

सभापति महोदया: धन्यवाद। श्री खारवेनथन आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री एस.के. खारवेनथन: वर्ष 2007-08 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने दो कृषि विश्वविद्यालयों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की थी। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में उल्लेख न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्ष 2005-06 के लिए आवंटित किये जाने वाले 200 करोड़ रुपये को संशोधित बजट में रद्द कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए 180 करोड़ रुपये की धनराशि देने की घोषणा की गई थी लेकिन इस धनराशि को अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। सरकार को वैज्ञानिक अनुसंधान क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करने के लिए आगे आना चाहिए।

वर्ष 2001 और 2004 के बीच सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में अनुसंधान और विकास पर 0.78 प्रतिशत और 0.82 प्रतिशत के बीच राष्ट्रीय व्यय किया गया है। उदाहरण के लिए स्वीडन द्वारा अनुसंधान और विकास पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4.27 प्रतिशत खर्च किया जाता है, जापान द्वारा 3.11 प्रतिशत खर्च किया जाता है, अमेरिका द्वारा 2.67 प्रतिशत खर्च किया जाता है, डेनमार्क द्वारा 2.51 प्रतिशत खर्च किया जाता है, कनाडा द्वारा दो प्रतिशत खर्च किया जाता है, इस्राइल द्वारा 5.11 प्रतिशत खर्च किया जाता है और दक्षिण कोरिया द्वारा अनुसंधान और विकास पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.91 प्रतिशत खर्च किया जाता है।

अनेक निजी कंपनियों ने अनुसंधान और विकास की महत्ता को महसूस करते हुए इस पर भारी धनराशि खर्च की है। उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स ने वर्ष 2000-2001 के 92 करोड़ रुपये की तुलना में 476 करोड़ रुपये खर्च किये हैं तथा रैनबैक्सी द्वारा वर्ष 2006 में 480 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। हमें अच्छी अवसंरचना, प्रशिक्षित जनशक्ति और प्रयोगशालाओं के लिए और अधिक आवंटन करने की आवश्यकता है।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण कारक का भी उल्लेख करना चाहता हूं जोकि मंत्रालय के विषयों में से एक विषय है और यह राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के बारे में है। इस विभाग ने जनता को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए चेन्नई में कार्य करना शुरू किया था। माननीय मंत्री ने हाल ही चेन्नई के निकट मनाली में इस प्रस्तावित परियोजना का निरीक्षण करने के लिए यहां की यात्रा की थी। यह एक ऐसी योजना है जिसमें विद्युत का उपयोग किये बिना पेयजल प्रदान किया जाएगा। इसमें प्रति किलोलीटर पानी की लागत मात्र 66 पैसे होगी। यह एक अच्छी योजना है। यदि समुद्र तटों पर विशेष मिशन शुरू किया जाएगा तो इससे पेयजल की समस्या हल हो सकती है।

उदाहरण के लिए तमिलनाडु में रामनाड, कन्याकुमारी, तिरूचेन्दूर, रामेश्वरम, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कुडलूर और नागापट्टीनम में योजना क्रियान्वित की जा सकती है। तमिलनाडु का अधिकतम समुद्र तटीय क्षेत्र 297 किलोमीटर लंबा है जो एशिया में सबसे बड़ा समुद्र तटीय क्षेत्र है इसलिए यहां पर प्रस्तावित अलवणीकरण संयंत्र बड़ा होना चाहिए न कि छोटा। यह तभी व्यावहारिक और लाभप्रद होगा। हमें लागत के कारक के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि हम एक नई स्व-समर्थित प्रौद्योगिकी और तकनीकी रूप से सक्षम जनशक्ति का अन्वेषण कर लेते हैं तो वास्तव में हम खर्चों को कम कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमें जनता के बीच अलवणीकृत जल के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलानी होगी क्योंकि लोग इस पानी का उपयोग करने से डरते हैं।

मैं माननीय मंत्री से अपने मंत्रालय के अधिकारियों को एक छोटी चिप जिसमें व्यक्ति का फोटो, नाम, पता, निवास स्थान इत्यादि का वर्णन हो, का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रानिक पासपोर्ट, ई-पासपोर्ट प्रणाली के बारे में सोचने का अनुदेश देने का अनुरोध करता हूं। यदि इस देश में इलेक्ट्रानिक पासपोर्ट प्रणाली आ जाती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को विमानपत्तनों से गिरफ्तार होने से बचा सकते हैं। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): सभापति महोदया, वर्ष 2007-08 के अनुदानों की मांगों पर इस वाद-विवाद में भाग लेते हुए मैं आज अपने आपको आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं इस बात को बहुत महत्व देता हूं कि इस देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व पर इस सभा में लगभग सर्वसम्मति है और इस बात पर भी सर्वसम्मति है कि इस मंत्रालय की प्रासंगिकता, इस मंत्रालय की बढ़ती प्रासंगिकता, एक प्रकार से भारत को 21वीं शताब्दी में एक आधुनिक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाने वाली राह से जुड़ी हुई है।

लेकिन ऐसा कहते हुए, इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों की बहुमूल्य टिप्पणियों पर बोलने से पहले, मैं कुछ बातों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

[श्री कपिल सिब्बल]

पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि वह इस बारे में है कि विज्ञान क्या है। अंततोगत्वा विज्ञान का अर्थ प्रकृति के बारे में हमारी समझ प्रकृति के चार तत्वों आक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बनडाईआक्साइड के बारे में हमारी समझ है। यदि हम इन चार तत्वों के सभी गुणों को समझते हैं, तो हमने विज्ञान को समझ लिया है। प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी इन प्रक्रियाओं को मानव के प्रयासों से मानवहित में समझने का प्रयास है। सूचना और प्रौद्योगिकी क्या है? यह प्रकृति को मानवहित के लिए समझने का नाम है। यदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी समय के साथ नहीं चल पाते तब इसका अर्थ यह होगा कि हमने उनका उचित रूप से इस्तेमाल नहीं किया और हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं जिस उद्देश्य अर्थात मानवहित में विज्ञान के उपयोग हेतु हम विज्ञान को समझते हैं इसलिए मैं समझता हूं कि सभी कार्यक्रम—श्री बची सिंह रावत ने नीतियों के बारे में कहा है—और नीतियों को अंतत: इस पर केन्द्रित करना चाहिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानवहित के लिए कितनी प्रासंगिक है। मेरी पहली बात यह है।

मेरी दूसरी बात यह है कि इस वाद-विवाद के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि अधिकतर सदस्यों ने उन विभिन्न मंत्रालयों के बारे में कहा है, जिनका विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कृषि के बारे में कहा है। उन्होंने रक्षा के संबंध में कहा है, उन्होंने इस्पात और खान के बारे में कहा है, उन्होंने भेषज उद्योग के बारे में कहा है, जो रसायन मंत्रालय का हिस्सा है. उन्होंने स्वास्थ्य के संबंध में कहा है, और उन्होंने मुझसे उन मुद्दों के बारे में उत्तर मांगा है जो अन्य मंत्रालयों से संबंधित हैं, जिनका समाधान और मंत्रालय के माध्यम से किया जाना चाहिए। अत: मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस देश में प्रचार और प्रसार होना है तो इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक नोडल मंत्रालय के रूप में पहचाना जाए, जो अन्य सभी मंत्रालयों, अन्य सभी राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर भारत के आम नागरिक के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करें। मैं माननीय सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि किसी राज्य सरकार ने सहायता के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ कितनी बार संपर्क किया है? पिछले तीन वर्षों में, मुश्किल से ही किसी राज्य सरकार ने कभी भी ऐसा किया है। राज्य सरकारों के अंतर्गत कितनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदें कार्यरत हैं। जब तक कि हम मिलजुलकर काम नहीं करते और सभी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों का गठन नहीं करते, जो कि इस देश के लोगों के लिए समन्वय और समाधान के उद्देश्यों हेतु हमारे साथ विचार-विमर्श करें, हम परिणाम दे पाने की स्थिति में नहीं होंगे। यही मेरी दूसरी बात है।

अब मैं तीसरी बात पर आता हूं। यदि आप विश्व समुदाय की ओर देखें और सभ्यताओं पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि अत्यंत विकसित देश वे देश हैं जहां अनुसंधान और विकास, विकास का केन्द्र बिन्दु है। इससे मेरा क्या अभिप्राय है? यदि आप विकसित विश्व में अनुसंधान और विकास में लगे हुए लोगों की संख्या को प्रति मिलियन आधार पर देखें तो आप पाएंगे कि यह दर स्वीडन में सर्वाधिक है, जहां विकास अपने उच्चतम स्तर पर है, यहां यह संख्या 6000 प्रति मिलियन व्यक्ति है। यदि आप संयुक्त राज्य अमरीका की ओर देखें तो वहां यह दर 4,700 प्रति मिलियन व्यक्ति है। यदि आप चीन की ओर देखें तो यह दर 1500 प्रति मिलियन व्यक्ति है। अगर भारत की ओर देखें तो आप पाएंगे कि यह दर 156 प्रति मिलियन वयिक्त है। इसलिए हम अपने वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक बिरादरी को दोष न दे। आप चाहते हैं कि वह परिणाम दें। हमारे वैज्ञानिक इस मुश्किल स्थिति में प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं तब आप उनके लिए चार हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं और साथ उनसे यह अपेक्षा कर रहे हैं कि वह पश्चिमी जगत जैसी कार्यकुशलता दिखाएं। मैं देश के वैज्ञानिक समुदाय के सदस्यों को सलाम करता हूं जिन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी देश की प्रगति के लिए काम किया और सकारात्मक परिणाम दिये हैं। यही मेरी तीसरी बात है।

चौथा, यदि आप किसी भी विकसित देश को देखें तो कुल मिलाकर आप पाएंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत के आस-पास है और कुछ मामलों में तो यह जीडीपी के 3 प्रतिशत से भी ज्यादा है। चीन में यह जीडीपी का 1.23 प्रतिशत है। जबकि भारत में वह जीडीपी का 0.8 प्रतिशत है। हमें यहां यह भी याद रखना होगा कि इस 0.8 प्रतिशत में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी 0.6 प्रतिशत है और निजी क्षेत्र का योगदान मात्र 0.2 प्रतिशत है। दूसरी ओर यदि आप विश्व में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान देखें तो आप पाएंगे कि जहां निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत है वहां सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान कभी भी 0.6 प्रतिशत से 0.8 प्रतिशत के ऊपर नहीं गया। शेष सारा योगदान निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इसलिए, अब हम पश्चिमी विश्व में, जी.डी.पी. के 3 प्रतिशत का उल्लेख करते हैं, तो सार्वजनिक वित्तपोषण मात्र 0.6 से 0.8 प्रतिशत होता है। जहां तक हमारा संबंध है, भारत ने लोक वित्त के स्तर पर काफी अच्छा काम किया है लेकिन निजी स्तर पर हमारा योगदान खराब रहा है। यही मेरी चौथी बात है, जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास उपेक्षा से नहीं हो सकता है। जहां कहीं भी आर्थिक अवसर मौजूद हों। आपको वैज्ञानिक

कार्मिक और मानव संसाधन मिल जाएगा। इस वाद-विवाद के दौरान सदस्यों ने प्रतिभा पलायन की बात कही है। हां, वाकई में बड़ी संख्या में प्रतिभा पलायन हुआ है और इसका कारण यह है कि जब भारत में लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वे रोजगार पाने कहीं और जाएंगे ही। हम उन्हें नहीं रोक सकते, हमें उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए अथवा हम उन्हें काम नहीं दे सकते हैं।

हाल ही में मैं रूस गया था और मुझे एक स्थल पर ले जाया गया। मैंने, अपने साथ चल रहे गाइड से पूछा, "आप क्या कर रहे हैं?" उसने कहा कि, "इस वक्त मैं गाइड हूं लेकिन वैसे मैं एक डॉक्टर हूं।' मैंने कहा, "आप डॉक्टर के रूप में कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं?" उसने कहा, "मुझे रोजगार नहीं मिला है। मैं एम.बी.बी.एस. की तुलना में गाइड के रूप में ज्यादा पैसा कमा रहा हूं।" यदि आप लोगों को रोजगार नहीं देते और यदि आप उन्हें मांग के हिसाब से कार्य नहीं दे पाते तो उनसे क्या कहने की अपेक्षा करते हैं। आप जितनी मर्जी चाहे आपूर्ति कर सकते हैं लेकिन यदि आप उन्हें मांग के हिसाब से कार्य नहीं देंगे, तो आप उन्हें दोष नहीं दे सकते हैं। वे देश से बाहर ही जाएंगे।

भारत में हुई सॉफ्टवेयर क्रांति के दौरान यह सब हुआ। वर्ष 2001 और 2004 के बीच प्रतिभा पलायन की बात उठी थी। लेकिन लगभग 25 से 30 हजार साफ्टवेयर इंजीनियरों ने सिलिकॉन वैली छोड़ दी और भारत वापस आ गए हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि मांग स्तर पर इस उद्योग में उनको कार्य देने की क्षमता थी। इसलिए आपको आपूर्ति स्तर पर बल देना चाहिए और आपको मांग स्तर पर बल देना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं जब तक कि आपूर्ति के बराबर मांग न हो और मांग के बराबर आपूर्ति न हो तब तक ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जहां पर प्रतिभा पलायन न हो।

राष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या करना चाहिए? इक्कीसवीं सदी के लिए हमारा दृष्टिकोण क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भारत कहां जाने वाला है? इस संदर्भ में हमें भारत में क्या देखने को मिलेगा। जहां 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं? हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अधिकतर गरीब लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ मिल सके ताकि उनका जीवन बेहतर बन सके। यह केवल तभी हो सकता है, जब कृषि क्षेत्र को नवीकरण का केन्द्र बनाया जाए।

अब मैं एक अन्य विषय पर बोलूंगा। लोगों ने देश में मूल्य वृद्धि के बारे में कहा। संभवत:, अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि यदि आप इस देश में वर्ष 1990 के मध्य से वर्ष 2007 तक कृषि में हुई 10-वर्षीय वृद्धि पर नजर डालें, तो आप पाएंगे कि इस देश में खाद्यान्नों का औसत उत्पादन 210 मिलियन टन रहा है। यह मात्रा कुछ मिलियन टन आगे पीछे हो सकती है, और जनसंख्या में उसी रफ्तार से वृद्धि हुई है, जैसीकि पहले हो रही थी। इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या में वृद्धि जारी है जबकि कृषि उत्पादन स्थिर है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके पास विशुद्ध रूप से एक आर्थिक स्थिति है, जहां आपूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा है और जब मांग आपूर्ति की तुलना में अधिक होगी, तो मुद्रास्फीति होगी। कोई भी इसका दोष इस सरकार या किसी और सरकार पर मढ़ सकता है, लेकिन तब तक मुद्रास्फीति बढ़ती रहेगी, जब तक कि आपूर्ति स्तर पर कुछ किया नहीं जाता। आपूर्ति का अर्थ है कृषि में निवेश, प्रौद्योगिकी में निवेश, किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराना, किसान को ऐसा बीज उपलब्ध कराना, जो सूखा रोधी और कीट रोधी हो, जो जैविक और अजैविक दोनों दबावों के प्रतिरोधी हो। आपको किसान को एक आपूर्ति श्रृंखला देने की आवश्यकता है। आपको किसानों को एक आधुनिक मौसम विभाग देना होगा जो उन्हें यह बता सके कि कौन से जिले में कब वर्षा होने वाली है।

मौसम विभाग की आलोचना करना और यह कहना ठीक है कि हमारे अधिकांश पूर्वानुमान ठीक नहीं होते। परन्तु मौसम विज्ञान के पास क्या है और कौन सी सरकारों ने पहले इसके बारे में कुछ किया है। प्रधानमंत्री जी तथा श्रीमती गांधी के नेतृत्व में केवल संप्रग सरकार ने ही इस देश के मौसम विज्ञान विभाग को आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा। हमने मौसम विभाग के लिये क्या किया है? हमें देश में 42 डाप्लर राडारों की आवश्यकता है। क्या आपको पता है हमारे पास कितने हैं? हमारे पास चार हैं। क्या किसी ने पहले ये प्रश्न पूछे हैं? हमें पिछली दो ग्रीष्म ऋतुओं में मुम्बई में जैसे तूफान आए थे, उनका पूर्वानुमान लगाने के लिए विण्ड प्रोफाइलर्स की आवश्यकता है। हमें स्वचालित वर्षा मापने के यंत्र चाहिए। हमें स्वचालित मौसम केन्द्र चाहिए। हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास हैं वे बहुत कम हैं और डिजिटल नहीं है। साथ ही हमें सुपर कम्प्यूटर का प्रयोग करना है।

किसी ने उल्लेख किया था कि सुपर कम्प्यूटर से हम पूर्वानुमान नहीं कर पाएंगे। सुपर कम्प्यूटर केवल संगणना ही करेगा। परन्तु हम संगणना तभी कर सकते हैं जब हमारे पास आंकड़े होंगे और आंकड़े हम तभी जुटा पाएंगे जब हमारे पास इसके लिए उपकरण होंगे। इस प्रकार यदि आपके पास उपकरण नहीं हैं तो सुपर कम्प्यूटर का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए हमने इस देश में एक आधुनिकीकरण योजना प्रारम्भ की है जिसके अंतर्गत देश में मौसम विभाग के आधुनिकीकरण की योजना के लिए हम 900 करोड़ से 1000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं ताकि हम सुपर कम्प्यूटर

[श्री कपिल सिब्बल]

का प्रयोग कर सकें और अपने किसानों को कृषि संबंधी परामर्श दे सकें कि वर्षा कब होने वाली है। हमारी सरकार में यह होने वाला है।

किसी ने बीजों के बारे में उल्लेख किया था। हमने बीजों की अनेक किस्में विकसित की हैं उदाहरण के लिए धान जो खारेपन का प्रतिरोधी है। हमने इसका पहले ही विकास कर लिया है और यह बाजार में उपलब्ध है। समस्या यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय केवल प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा सकता है परन्तु इसके आगे भी बहुत कुछ किया जाता है। उद्योग जगत को आगे आना चाहिए। साथ ही एक विपणन कार्यनीति होनी चाहिए। फिर तैयार उत्पाद सस्ता और पहुंच के अंदर होना चाहिए। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का काम नहीं है। इसीलिए हमें सरकारी निजी भागीदारी की आवश्यकता है।

मैं आपको बताता हूं कि हम क्या कर रहे हैं। किसी ने पेयजल की समस्या के बारे में चर्चा की थी। देश में चार सौ मिलियन लोग समुद्र के किनारे रहते हैं। चार सौ मिलियन लोग जो कि शायद यूरोप की पूरी जनसंख्या से थोड़े कम हैं। इस देश में तट के समीप रहते हैं। जब मैं कावारत्ती में गया तो मुझ पता चला कि कावारत्ती में 11000 लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं है। उनके पास नौकाओं में पानी भेजा जाता था। हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनको पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। हमने वहां एक संयंत्र स्थापित किया जो इस समय एक हजार लीटर पानी उपलब्ध करा रहा है, जिसका अर्थ यह है कि कावारत्ती के लोगों को 11 लीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता हो रहा है। हमने ऐसा स्वदेशी प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया।

मैं आपको यह बताता हूं कि पिछले सप्ताह ही हमने उसका प्रदर्शन किया है और हमने अब इसकी क्षमता को बढ़ाकर एक मिलियन लीटर कर दिया है। पिछले सप्ताह हमने चैन्नई के बाहर एक मिलियन लीटर पानी वाले एक संयंत्र का प्रदर्शन किया जिसमें टोटल डिपोजिट ऑफ सोलिड (टीडीएस) लगभग पांच प्रति मिलियन है। विकसित विश्व में सामान्य स्तर 5000 प्रति मिलियन का है। हम देश में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के माध्यम से समुद्री पानी को विभिन्न तापमानों के जरिए स्वच्छ जल में परिवर्तित कर रहे हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि हम महासागर में 200 मीटर नीचे से पानी लेते हैं जो 11 सेंटीग्रेड का होता है और उसे ऊपर लाया जाता है। सतह पर पानी का तापमान 24 से 26 सेंटीग्रेड होता है। हम इसे निर्वात स्थिति में उबाल देते हैं। अन्य शब्दों में पानी का क्वथनांक निर्यात स्थिति में कम हो जाता है। हम उसे उबालते हैं और शीत जल से इसे सघन कर देते हैं। नमक बच जाता है और हमें स्वच्छ पेयजल मिलता है। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र है।

अब हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से किसी कंपनी द्वारा एक पैटर्न बनाया है। इस मशीन की लागत 10,000 रुपये है जो नल के पानी को पेयजल में परिवर्तित करती है। मैं आपको यह बता सकता हूं कि मैं खुद घर में इसका प्रयोग करता हूं। अब यह मशीन बिक रही है। हमने संयुक्त राज्य अमरीका से इसका पेटेंट ले लिया है, इसके लिए धन सीएसआईआर द्वारा उपलब्ध कराया गया था और इसे सरकारी निजी भागीदारी से विकसित किया गया है।

हम कई बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम 4,000 करोड़ रुपये के कुल बजट से इनका विस्तार नहीं कर सकते। आप यह जानते हैं कि अमरीका अनुसंधान और विकास पर 224 बिलियन डालर खर्च करता है। आप यह जानते हैं कि हम इस पर 4 बिलियन डालर खर्च करते हैं। फिर भी हम भारत की तुलना अमरीका से करते हैं। आप हमें पैसा और श्रमशक्ति नहीं देते। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश अनिवार्य है और श्री राजीव गांधी जी के अलावा इस बात को किसी ने नहीं समझा। इसीलिए आज इस देश में कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आई है।

मैं आपको एक और बात बताता हूं जो हम कर रहे हैं और यह हमारे सोचने और काम करने के ढंग को बदलने वाला है। किसी ने मैपिंग के बारे में बात की है। उदाहरण के लिए मैंने चांदनी चौक में एक परियोजना चलाई। मैं जानता हूं कि हमने चांदनी चौक के हर मकान की मैपिंग किया और उसे एक नम्बर दिया। एक विशेष प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमने अंतरिक्ष से फोटोग्राफ लिये, साथ ही हमने हवाई प्रौद्योगिकी और हवाई जहाज के माध्यम से भी फोटोग्राफ लिये। फिर हमने सभी गलियों की विडियोग्राफ बनाया और फिर हमने साफ्टवेयर की सहायता से इन सब को एक कम्प्यूटर प्रोग्राम में डाला। यदि मैं चांदनी चौक के किसी घर को देखना चाहूं तो मुझे उसके मॉडल नम्बर पर क्लिक करने की आवश्यकता है, जो नम्बर हमने दिया है और ऐसा करते ही उस घर की तस्वीर मेरे सामने होगी।

सभापति महोदया: हमें यह हर निर्वाचन क्षेत्र में करना चाहिए। यह काफी अच्छा है।

श्री कपिल सिब्बल: शहरी विकास मंत्रालय ने इस प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु अपनी सहमति दी है। इसके अंतर्गत 14 से 16 महीने में समूची दिल्ली को शामिल कर लिया जाएगा। हम अगले

पांच वर्षों में देश के 400 शहरों की मैपिंग करने जा रहे हैं। हम इस देश के कार्य करने और सोचने के ढंग को बदलने वाले हैं। परन्तु हमें संसद में इस प्रकार के सृजनात्मक वाद-विवादों की आवश्यकता है और हर समय कार्यवाही रोकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि हम अपना काम करते हैं तो हम इस देश के लोगों को आगे ले जा सकेंगे।

सभापति महोदया: यह अच्छी बात है।

श्री कपिल सिब्बल: हमें इसी की आवश्यकता है। आप वाद-विवाद कर सकते हैं जो कि जानकारी भरा हो। कार्यवाही न रोकें। हमें काम करने दें और आपको यह बताने दें कि हम काम कर रहे हैं ताकि इस देश के लोगों को यह पता चल सके कि संप्रग सरकार अपनी वचनबद्धता पूरी करने के लिए इस देश के आम लोगों के लिए कुछ कर रही है।

अब हम मैपिंग से क्या हासिल करेंगे? यदि चांदनी चौक में कहीं आग लगती है तो पता चल जाएगा कि वहां कैसे पहुंचना है क्योंकि यह सब स्क्रीन पर होगा। यह पता होगा कि कौन सी गली में जाना है, कौन सा अस्पताल पास है, उसे कहां ले जाना है। यदि ट्रैफिक जाम हो तो यह पता होगा कि क्या करना है। हम सभी भूमिगत पाइपों की मैपिंग करने जा रहे हैं और साथ ही उनमें सेंसर लगा रहे हैं जिससे कि जब भी कहीं रिसाव होगा तो हमें पता चल जाएगा। हम सभी बिजली आपूर्ति लाइनों की मैपिंग करने जा रहे हैं जिससे हमें पता चल सकेगा कि बिजली की चोरी कहां हो रही है। मैं देश के सभी खेतों की मैपिंग करने जा रहा हूं। इसमें पांच से 10 वर्ष लग जाएंगे परन्तु हम भारत के सभी खेतों की मैपिंग करेंगे जहां गेहूं उगाई जाती है और चावल उगाया जाता है या बागवानी होती है। इन सभी की मैपिंग की जाएगी। तब हमें वर्ष के आरम्भ में ही पता चल जाएगा कि इस वर्ष उत्पादन कम होगा या ज्यादा। पौधों की कैलोरिफिक वैल्यू के माध्यम से हम वास्तविक उत्पादन की जानकारी पा सकेंगे। अत: वर्ष के अंत से काफी पहले हमें पता चल जाएगा कि हमें गेहूं का आयात करना होगा या निर्यात। यह सब संभव है। हम देश के सभी शहरों जैसे मुम्बई, कोलकाता तथा अन्य शहरों की एक से 1000 दे. पैमाने पर मैपिंग करने वाले हैं। यह सब किया जाना है।

अत: यह जो क्रांति है वह सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति से भी बड़ी है। समस्या यह है कि जब इसे लोगों को उपलब्ध कराने की बात आती है तो यह केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा सकता। हमें इसमें उद्योग जगत के लोगों का भी सहयोग चाहिए। जब हम उद्योग जगत के आने की बात करते हैं तो विपक्ष शोर मचाता है कि उद्योग को आने की अनुमति क्यों दी जाए, यह लाभ के लिए है। वे यह नहीं समझते कि अंतत: इसका लाभ देश के आम आदमी को मिलता है। जब एक जिलाधीश को प्रौद्योगिकी के माध्यम से यह पता होगा कि उसके जिले में क्या हो रहा है तो वह समस्याओं का जल्दी निराकरण कर पाएगा। साथ ही हम इसका प्रयोग सुरक्षा हेतु भी कर सकते हैं।

अत: यह जो क्रांति है वह सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति से भी बड़ी है। समस्या यह है कि जब इसे लोगों को उपलब्ध कराने की बात आती है तो यह केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा सकता। हमें इसमें उद्योग जगत के लोगों का भी सहयोग चाहिए। जब हम उद्योग जगत के आने की बात करते हैं तो विपक्ष शोर मचाता है कि उद्योग को आने की अनुमति क्यों दी जाए; यह लाभ के लिए है। वे यह नहीं समझते कि अंतत: इसका लाभ देश के आम आदमी को मिलता है। जब एक जिलाधीश को प्रौद्योगिकी के माध्यम से यह पता होगा कि उसके जिले में क्या हो रहा है तो वह समस्याओं का जल्दी निराकरण कर पाएगा। साथ ही हम इसका प्रयोग सुरक्षा हेतु भी कर सकते हैं।

वास्तव में, इस दिल्ली में बस टर्मिनलों तथा रेलवे स्टेशनों के लिए भी एक परियोजना आरम्भ करने वाले हैं। इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि कौन प्रवेश कर रहा है और बिना हाथ लगाए यह पता करने का प्रयास करेंगे कि वह क्या ला रहा है। अत: इसका सुरक्षा संबंधी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है और इसका अन्य प्रयोजन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। हमें जिस चीज की आवश्यकता है, वह है जनशक्ति। हमारे मंत्रालय में आज समस्या यह है कि हमारे मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों की तरह समझा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे मंत्रालय हैं जहां प्रशासनिक कारणों से भर्ती की अनुमति नहीं है। यही नियम हम पर भी लागू होता है। परंतु हम ज्ञान के सृजक हैं। यदि हम ज्ञान के सृजक हैं तो आखिरकार हम धन के भी सृजक हैं। जो प्रशासनिक नियम अन्य मंत्रालयों पर लागू होता है उन्हें हम पर लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जब तक हम 20 से 30 वर्ष की आयु के युवा वैज्ञानिकों की भर्ती नहीं करेंगे तब तक हम अनुसंधान नहीं कर पाएंगे। हमें एक मिलियन के लिए 156 के समीकरण को बदलकर एक मिलियन के लिए 200-500-1000 करने की आवश्यकता है। इससे हम अधिक से अधिक ज्ञान का सृजन करेंगे। परंतु जब हमें एक मिलियन के लिए 1000 की आवश्यकता है तो हमें और नौकरियों की आवश्यकता होती है। जब हम और नौकरियों की बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि जब तक कोई सेवानिवृत्त

[श्री कपिल सिब्बल]

नहीं होता है तब तक हम कोई भर्ती नहीं कर सकते। अत: इस देश में वैज्ञानिकों की औसत आयु लगभग 50 वर्ष है। जबकि हमें विज्ञान के क्षेत्र हेतु 30 वर्ष के वैज्ञानिकों की आवश्यकता है। अत: हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम सबको इसके लिए एकजुट होना होगा क्योंकि भारत को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जाना आवश्यक है। हम अपने कार्य करने के तरीके में यही परिवर्तन करने जा रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों का जिक्र करूंगा। उनके द्वारा उठाये गये अधिकांश मुद्दे मेरे मंत्रालय से नहीं बल्कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित हैं। वे यह जानना चाहते थे कि क्या शैक्षिक क्षेत्र आदि में विशेष संस्थान स्थापित किया जाएगा या नहीं। उसकी स्थापना मैं नहीं करता हूं। मैं अपने मंत्रालय में कतिपय परियोजनाओं का वित्तपोषण करता हूं, विश्वविद्यालय व्यवस्था में ज्ञान केन्द्रों का सृजन करता हूं और इन्हें उत्कृष्ट केन्द्र बनाने के लिए वित्तपोषण करता हूं। हम कुछ अन्य परियोजनाओं का भी वित्तपोषण करते हैं, हम उद्योग के साथ सरकारी-निजी भागीदारी भी करते हैं। हम जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े काम कर रहे हैं, उदाहरणार्थ कोशिका जैव प्रौद्योगिकी, जीनोमिकी अनुसंधान, जियो इनफोर्मेटिक्स, बायो-इनफोर्मेटिक्स में हम बड़ी परियोजनाओं का विकास कर रहे हैं।

मैं आपको एक सरल उदाहरण दूंगा कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। किसी ने हमसे पूछा कि हम युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रहे हैं। 2007-12 की ग्यारहवीं योजना में हमने सुझाव दिया है कि एक लाख बच्चों जिनकी आयु 10 से 17 वर्ष के बीच है के लिए विज्ञान खोज छात्रवृत्ति प्रारम्भ की जाए। इस छात्रवृत्ति की अनुमानित लागत 5000 रुपये प्रति बालक होगी और इसकी कुल लागत 500 करोड़ रुपये होगी। हमने ग्यारहवीं योजना में यह प्रस्ताव किया है। हम विश्व हस्तियों के साथ ग्रीष्मकालीन कैंप चलाएंगे जिसमें दसवीं कक्षा और उससे ऊपर के 45 से 50 हजार बच्चे भाग लेंगे। इसके लिए सभी स्कूल बोर्डों के ऊपर के एक प्रतिशत बच्चे चुने जाएंगे और हम इन सबको विश्व हस्तियों के साथ बातचीत में शामिल करेंगे। जिससे उनमें विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो। यह ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य का हिस्सा है। हम सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराएंगे और साथ ही हम ऐसी योजनाएं चलाएंगे जिससे अनुसंधान को लोग अपने कैरियर के तौर पर चुन सकें।

उदाहरण के लिए, हम 17 से 20 वर्ष के युवाओं को लगभग 2000 छात्रवृत्तियां देंगे। यह छात्रवृत्ति तीन वर्षों के लिए 500 प्रति माह होगी। इसकी लागत 72 करोड़ रु. होगी। एमएससी के एक हजार छात्रों को इसी प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाएगी। पीएचडी स्तर के पांच सौ छात्रों को चार वर्षों के लिए 8000-12000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। पांच सौ युवाओं को राष्ट्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

हमारे पास युवाओं के लिए बड़ी योजनाएं हैं। हमें आगे बढ़कर इस देश की जनता को संचार संबंधी कार्यनीति के बारे में बताने की आवश्यकता है। हम संचार संबंधी कार्यनीति बनाने जा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप बाद में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विक्रम केशरी देव: यह क्लैरीफिकेशन नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि आपने स्कॉलरशिप देने के बारे में कहा है, लेकिन इसके लिए बजटरी प्राविजन्स केवल दस लाख रुपए है।

श्री कपिल सिब्बल: यह 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, अभी तक एलेवेंथ प्लान पूरा नहीं हुआ है। आप कह रहे थे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। जो सोच पहले पांच-दस सालों में नहीं हुई थी, वह सोच आपके सामने रख रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

लोग भारत की तुलना चीन के साथ करते हैं। मैं आपको कुछ तुलनात्मक बातें बताना चाहूंगा।

उदाहरण के लिए हमने गत दस वर्षों के दौरान में 2.11 लाख पेपर प्रकाशित किये हैं। अत: भारतीय वैज्ञानिकों के लिए औसत साइटेशन प्रति पेपर 4.07 है। इसका अर्थ है यदि कोई पेपर लिखता है और इन पेपरों में से एक पर उद्धरण करता है, तो औसतन चार ऐसे पेपर को उद्धरित किया जाता है। यदि आप चीन से तुलना करें तो हम 2.11 लाख अनुसंधान-पत्र प्रस्तुत करते हैं और चीन 4.2 लाख अनुसंधान-पत्र प्रस्तुत करता है परंतु उनकी साइटेशन दर 3.89 है जोकि कम से कम है। उनके यहां 10 लाख व्यक्ति वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे व्यक्ति केवल 1.5 लाख हैं परन्तु भारत में 1.5 लाख व्यक्ति चीन के 10 लाख व्यक्तियों से कहीं अधिक परिणामोन्मुखी हैं। हमारे संसाधन चीन से बहुत कम हैं इसीलिए चीन हमसे आगे निकल रहा है। यदि आप संसाधनों को दोगुणा, तिगुणा अथवा पांच या दस गुणा कर दें तो हम चीन के मुकाबले तिगुणा अनुसंधान कर पाएंगे। हमारे सामने बाधा है। हमें अपने निवेश में वृद्धि करनी

होगी और इसीलिए प्रधानमंत्री ने विज्ञान सम्मेलन में कहा कि हमें इसे उस योजना के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत करना होगा और मुझे यकीन है कि हम योजना के अंत तक इतनी धनराशि प्राप्त कर पाएंगे।

मैं इसे और भी देर तक जारी रख सकता हूं परंतु सच्चाई यह है कि बहुत कुछ किया जा चुका है और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। यह कार्य सहमति से और रचनात्मक दृष्टिकोण से किये जाने की आवश्यकता है जिसमें सारे मंत्रालय भाग लें। इस देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मेरे मंत्रालय ने सारे मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए हाथ मिलाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ठोस अनुसंधान और अनेक अन्य कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। इसी प्रकार पर्यावरण मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और कृषि मंत्रालय को सहभागी बनाया गया है। हमने आईसीएआर के अनेक कार्मिकों को अपने बोर्डों में नामित किया है क्योंकि हम जैव-प्रौद्योगिकी में भी उनकी सेवाएं चाहते हैं। परन्तु ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि हम सभी मंत्रालयों को अनुसंधान और विकास में उनके लिए उनकी धनराशि का निश्चित प्रतिशत देना चाहते हैं ताकि हम वास्तव में उनके लिए यह कार्य कर सकें। ऐसा केवल सहमतिपूर्ण दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है। हम किसी भी मंत्रालय के साथ कार्य कर सकते हैं। हम इसी प्रकार का सहयोग चाहते हैं।

हम विपक्ष से भी सहयोग चाहते हैं। इसी प्रकार, जिन राज्यों में विपक्ष सत्ता में है उनसे सहयोग की आवश्यकता है। वे आकर हमें बताएं कि उन्हें कहां सहायता की जरूरत है और वे पाएंगे कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं क्योंकि आखिरकार हमारा दिल कार्य करने के लिए है। उत्तर प्रदेश में बुनकरों का उदाहरण लीजिए। हमें सेरी-बायोटेक्नोलोजी में बहुत निवेश करने की आवश्यकता है ताकि हम चीन जैसे बेहतर गुणवत्ता वाले रेशम का उत्पादन करें। यहां पर चीन के रेशम जैसे उत्पादन आने के कारण हमारे गरीब बुनकर मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अत: इसका समाधान अंतत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में है।

बहुत से लोगों ने वैश्विक परिवर्तन की बात की है। मैं आपको तीन या चार तथ्य दूंगा। मैं पहले ही तीस मिनट ले चुका हूं। विश्व समुदाय के रूप में हम 160 बिलियन टन पानी की खपत करते हैं, ये वार्षिक रूप से उपलब्ध जल से कहीं ज्यादा है। यदि आप 160 बिलियन टन पानी के आंकड़ों को वास्तविक आंकड़ों में तब्दील कर दें तो इसका अर्थ 3,00,000 मील की दूरी तक ट्रकों का काफिला है जो कि पृथ्वी के व्यास का 17 गुणा है। वार्षिक आधार पर हम उपलब्ध पानी से अधिक पानी की खपत करते हैं यह बहुत ही गंभीर मामला है। यह सिर्फ भारत से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। यह वैश्विक मामला है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा।

उदाहरण के लिए चावल की खेती के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। एक टन चावल के उत्पादन के लिए एक हजार टन जल की आवश्यकता होती है। क्या हम एक टन चावल के उत्पादन के लिए एक हजार टन जल का उपयोग कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। अत:, हमें ऐसे बीजों को विकसित करना होगा जो 100 टन जल की खपत कर एक टन चावल का उत्पादन कर सके। इसका उत्तर जल संरक्षण में नहीं बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश में है। हमें इसी प्रकार से विचार करना होगा।

भवन निर्माण सामग्री का उदाहरण लीजिए। खपत के पहलू से देखें तो वैश्विक गर्मी की मूलभूत समस्या में से एक यह है कि यदि हम 9 प्रतिशत की दर से विकास करते हैं तो हमें कंकरीट व इस्पात के भवनों का निर्माण करना होगा। यह सभी सामग्री ताप को खपाती है और उसे परावर्तित नहीं करती है। जब यह गर्मी को समाहित करती है तो वह गर्मी को समाहित करने वाला स्थायी ढांचा बन जाती है। हमें ऐसी सामग्री विकसित करने के बारे में सोचना होगा जो तापमान को अपने में समाहित न करे बल्कि जो ताप को परावर्तित करे। इसका उत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, नई सामग्री और नए ढांचों में है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास इसके लिए कितनी धनराशि है? लगभग न के बराबर। इसका उत्तर नैनो-विज्ञान में है। नैनो-विज्ञान भविष्य के लिए उत्तर है। हमने नैनो-विज्ञान संबंधी मिशन चलाया है और मुझे यकीन है कि हम सफल होंगे। मेरे एक सचिव ने मुझे बताया है कि हमारे कुछ नैनो वैज्ञानिक और केन्द्र विश्व स्तरीय हैं। समस्या यह है कि हमारे पास वैसे संसाधन नहीं हैं जिनकी हम अपेक्षा करते हैं।

उदाहरण के लिए, बांस मिशन अत्यधिक सफल मिशन है। हम बांस से कोयला, बांस से राख और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब हम हिमालय के सबसे ठंडे क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए सियाचिन में, बांस का उपयोग ऐसे ढांचों का निर्माण कर रहे हैं जिन पर ठण्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बहुत मजबूत होता है। बांस की तनन क्षमता इस्पात की तनन क्षमता के लगभग बराबर होती है। यही चीज है जो हम कर रहे हैं। हमें सामग्री को बदलने की जरूरत है और पूर्वोत्तर के लिए हमें एक बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता है। श्री रिजीजू सही कह रहे हैं। पूर्वोत्तर के साथ समस्या यह है कि आप वहां प्रौद्योगिकी तो ले जा सकते हैं परन्तु आपको इसका विपणन करने की जरूरत है और आप इसे सरकारी-निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ ही कर सकते हैं। अब

[श्री कपिल सिब्बल]

आवश्यकता इस बात की है कि यह भागीदारी पूर्वोत्तर के निवासियों के साथ की जानी चाहिए क्योंकि जब तक उन्हें फायदा नहीं होगा तब तक वे प्रौद्योगिकी में रुचि नहीं लेंगे। इसलिए हमें उसी तरह का उत्साह उत्पन्न करने के लिए वहां उस तरह का तंत्र स्थापित करना होगा। यदि मुझे बोलने का अवसर मिलता है, घण्टों बोल सकता हूं।

मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेते हुए वास्तव में खुशी महसूस हो रही है। आप मेरी ओर से यह मान सकते हैं कि इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए आप मुझे जो भी अवसर देंगे मैं उसका लाभ उठाऊंगा। मेरी ओर से भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि विज्ञान किसी भी देश विशेष के लिए ही नहीं है। ज्ञान की तरह ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भी कोई सीमा नहीं है। आपने कहा है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। इसी प्रकार, विज्ञान की भी कोई सीमा नहीं होती है। मंत्रालय की कोई सीमा नहीं है। जहां तक प्रौद्योगिकी और विकास का संबंध में कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए, हमें प्रौद्योगिकी को देश के आम आदमी के हित में उपयोग करना चाहिए। केवल तभी भारत एक महान शक्ति बन सकता है।

श्री के.एस. राव: हम इससे सहमत हैं और मंत्री जी भी इससे सहमत होंगे कि यह जैव-प्रौद्योगिकी का दशक है। सूचना प्रौद्योगिकी के बाद जैव-प्रौद्योगिकी ही इस देश में बड़े परिवर्तन लायेगी। पिछले वर्ष मंत्रालय ने हैदराबाद में एक केन्द्र की घोषणा की थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्षों पहले 112 एकड़ भूमि दी थी। उन्होंने इसके लिए करोड़ों रुपयों की व्यवस्था की थी। यह बैंकों में जमा है। मैंने सुना है कि क्योंकि यह निर्णय दो मंत्रालयों—एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय है-द्वारा लिया जाना है इसलिए इसे लिया नहीं जा सका है। एक एनआरआई समर्थित किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी स्वयं अपने निवेश द्वारा सरकार के साथ सरकारी-निजी के लिए तैयार है। पिछले एक साल से यह निवेश के लिए तैयार है। किन्तु कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं किस वजह से निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री कपिल सिब्बल: यह एक परियोजना है जैसाकि मेरे मित्र श्री राव जानते हैं, हमने इसे समर्थन दिया है। अब यह मामला मेरे मंत्रालय के पास नहीं है। यह अन्य किसी मंत्रालय के पास है। इसलिए, मैं उन्हें सुझाव देता हूं कि वे इससे संबंधित उचित मंत्री जी को सम्बोधित करें। अपनी ओर से मैं यह कह सकता हूं कि यह जैव प्रौद्योगिकी का हृदय है। जब तक हमारे पास बड़े पशु परीक्षण केन्द्र नहीं होंगे तब तक हम नये मॉलीक्यूल विकसित नहीं कर सकते हैं और हम इनका परीक्षण नहीं कर पायेंगे।

श्री के.एस. राव: किसी निवेश की आवश्यकता नहीं है। वे सब कुछ करने के लिए तैयार हैं।

श्री कपिल सिब्बल: इसे नोट कर लिया गया है और मुझे विश्वास है कि हम इसे अग्रेषित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा': महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो विषय रखा है, उसका सभी लोगों ने पहले भी समर्थन किया था, लेकिन वित्तीय क्षेत्र में आवंटन कम है, यही हमारी भी चिंता का विषय है। इस क्षेत्र में आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए था। 165 करोड़ रुपये डिपार्टमेंट आफ बायो-टेक्नोलोजी में आनगोइंग प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि नए प्रोग्राम्स के लिए नहीं, बल्कि जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने चिंता व्यक्त की है और वित्त मंत्री जी से सदन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि वे इसकी व्यवस्था करें।

मैं दो और विषयों की जानकारी चाहता हूं।

सभापति महोदया: आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा': हम यह स्पष्टीकरण चाहते हैं जैसाकि तय हुआ था कि सामाजिक आर्थिक मंत्रालय, जो सोशियल और इकोनोमिक सेक्टर के हैं, उनके कुल आवंटन में से कुछ प्रतिशत राशि को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुसंगत कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के लिए प्रदान करना होगा, अदर मिनिस्ट्रीज से साइंस और टेक्नोलॉजी को कुछ धनराशि दी जाए, यह निर्णय हुआ था लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है।

एक टास्क फोर्स वित्तीय उपाय के लिए गठित होनी थी। साइंस और टेक्नोलॉजी में एपेक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बॉडी बनाकर नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक वित्तीय उपाय सुझाने के लिए टास्क फोर्स का गठन होगा। ये दो विषय थे जिनके निर्णय लिये गये थे, इनका पालन हो पाया या नहीं? माननीय मंत्री जी इसके बारे में जानकारी देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: वास्तव में, मैं उन्हें बता सकता हूं कि जहां तक वित्तीय उपायों का संबंध है, हमने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो भी मांग करता है उसे वे वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएं। उद्योग को जब भी और जैसे भी वित्तीय प्रोत्साहन की जरूरत होगी, वे वित्त मंत्रीजी से कहेंगे और मुझे विश्वास है उन्हें यह उपलब्ध कराया जायेगा। हम किसी उद्योग विशेष की जमीनी सच्चाई को जाने बिना वित्तीय

प्रोत्साहनों की ओर नहीं देख सकते। जब भी और जैसे भी यह होता है, इसको अंजाम दिया जायेगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आपने बताया टास्क फोर्स है।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: टास्क फोर्स का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री किरेन रिजीजू: महोदया, मैंने स्पेसिफिक बात जानने के लिए निवेदन किया था कि हिमालयन रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न काफी डेलीकेट रीजन हैं। एक प्रपोजल भी हिमालयन आथोरिटी के लिए था। वन मंत्री जी यहां बैठे हैं लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वन मंत्री राजा साहब से बात करें कि हिमालयन रीजन को सेव करने के लिए हिमालयन डेवलपमेंट आथोरिटी का निर्माण कैसे किया जाए। नार्थ ईस्टर्न रीजन के जो रिसोर्सिस टैप नहीं हो रहे हैं, उसके लिए मैंने कमेटी के गठन का अनुरोध किया था, उसके बारे में कुछ कहेंगे तो अच्छा होगा।

श्री कपिल सिब्बल: हम राजा जी से बात करेंगे और उनका जो भी निर्णय होगा आपको बता देंगे।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव: महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के दौरान एक नोडल मंत्रालय का उल्लेख किया था। यदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को नोडल मंत्रालय का दर्जा दिया जाता है तो यह अच्छी तरह से कार्य करेगा क्योंकि यह देश निकट भविष्य में जिन चुनौतियों का सामना करेगा वे बहुत व्यापक हैं। हमें विकसित देशों के साथ स्पर्धा करनी होगी। इसलिए, मैं सोचता हूं कि यह अनिवार्य होगा कि इस मंत्रालय, मेरे दृष्टिकोण से और जैसाकि माननीय मंत्री जी ने अपनी राय व्यक्त की है, को नोडल मंत्रालय का दर्जा दे दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदया: आप सुझाव दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री विक्रम केशरी देव: यूपीए की अध्यक्षा और सदन के माननीय नेता यहां उपस्थित हैं। इसे नोडल मंत्रालय बनाने के लिए उन्हें निर्णय लेना चाहिए जिससे कि माननीय मंत्री जी अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर ढंग से कार्य कर सकें।

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई विज्ञान सलाहकार परिषद की बैठक में यह भी एक सुझाव दिया गया कि एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना की जाए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना होने पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी निर्णय अन्य मंत्रालयों से ले लिये जायेंगे और इस आयोग को सौंप दिये जायेंगे जिससे कि इस मंत्रालय का कार्यकरण अत्यधिक सुचारू हो जायेगा। हम ऐसे ही कई मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं।

सभापति महोदया: अब मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ-2 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 81 से 83 के सामने दिखाने गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ-4 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.43½ बजे

कार्यमंत्रणा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदया, मैं कार्यमंत्रणा समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदया: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.44 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 28 अप्रैल, 2007/8 वैशाख, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री मनोरंजन भक्त	361
2.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री रवि प्रकाश वर्मा	362
3.	श्री काशीराम राणा श्री गिरिधारी यादव	363
4.	डा. सत्यनारायण जटिया श्री अनंत कुमार हेगड़े	364
5.	श्री रायापति सांबसिवा राव श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	365
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	366
7.	श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख	367
8.	श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	368
9.	श्री रघुवीर सिंह कौशल श्री पी.एस. गढ़वी	369
10.	श्री अनिल बसु	370
11.	श्री निखिल कुमार श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	371
12.	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव श्री देविदास पिंगले	372
13.	श्री मित्रसेन यादव	374
14.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री धर्मेन्द्र प्रधान	375
15.	श्री वी.के. थुम्मर डा. धीरेन्द्र अग्रवाल	376
16.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	377
17.	श्री ताराचंद साहू श्री बापू हरी चौरे	378
18.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' डा. चिंता मोहन	379
19.	श्री सुव्रत बोस	380

अतारांकित प्रश्न की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	3606
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3570 3632, 3682, 3712
3.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	3579, 3624
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3615, 3713, 3725
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	3551, 3669, 3706, 3724
6.	आठवले, श्री रामदास	3602, 3665, 3704, 3723
7.	बैठा, श्री कैलाश	3531
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3648
9.	बर्मन, श्री हितेन	3540
10.	बर्मन, श्री रनेन	3684
11.	बर्क, डा. सफीकुर्रहमान	3562
12.	बसु, श्री अनिल	3636
13.	बखला, श्री जोवाकिम	3526, 3617
14.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	3543, 3667, 3669, 3705
15.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3544
16.	भक्त, श्री मनोरंजन	3625, 3680, 3711
17.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3607, 3673
18.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3584, 3632, 3684
19.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3538, 3619, 3676
20.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	3565, 3629
21.	बोस, श्री सुव्रत	3685
22.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	3635

1	2	3
23.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3599, 3661, 3701
24.	चन्द्र कुमार, प्रो.	3593
25.	चंद्रप्पन, श्री सी.के.	3594, 3598, 3660
26.	चौरे, श्री बापू हरी	3643
27.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3527, 3579, 3715
28.	चिन्ता मोहन, डा.	3575, 3682
29.	चौधरी, श्री पंकज	3560
30.	चौधरी, श्री अधीर	3583, 3590, 3637, 3654, 3687
31.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	3594
32.	देवरा, श्री मिलिन्द	3548, 3725
33.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3634, 3686, 3714, 3726
34.	धनराजू, डा. के.	3610, 3737
35.	धोत्रे, श्री संजय	3643
36.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3573, 3671
37.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	3638, 3682, 3740, 3742
38.	गांधी, श्रीमती मेनका	3561
39.	गंगवार, श्री संतोष	3576
40.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	3643
41.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	3574, 3642
42.	हसन, चौधरी मुनव्वर	3559
43.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	3633, 3641
44.	जगन्नाथ, डा. एम.	3577, 3646, 3692, 3717, 3727
45.	झा, श्री रघुनाथ	3553, 3627, 3681, 3710, 3731
46.	जिन्दल, श्री नवीन	3532, 3614
47.	कलमाडी, श्री सुरेश	3736
48.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3556, 3666, 3708, 3725, 3737
49.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	3552, 3603
50.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3525, 3613, 3678, 3709, 3732
51.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3593, 3621, 3623, 3633
52.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3582, 3652
53.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	3592, 3657, 3682
54.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3682
55.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3633
56.	महरिया, श्री सुभाष	3580
57.	महतो, श्री नरहरि	3537, 3618
58.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3607, 3608, 3673
59.	महताब, श्री भर्तृहरि	3580, 3600, 3684, 3733
60.	महतो, श्री टेक लाल	3566
61.	माझी, श्री परसुराम	3549, 3580
62.	मंडल, श्री सनत कुमार	3568
63.	माने, श्रीमती निवेदिता	3638, 3682, 3688, 3742
64.	मनोज, डा. के.एस.	3542
65.	मसूद, श्री रशीद	3555, 3573, 3670
66.	मेघवाल, श्री कैलाश	3563, 3666, 3708, 3725, 3737
67.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3610, 3737
68.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3572, 3573, 3624, 3650
69.	मिश्रा, डा. राजेश	3545

1	2	3
70.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	3552
71.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	3679
72.	मोहन, श्री पी.	3597
73.	मंडल, श्री अबु अयीश	3571, 3645
74.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3573, 3640, 3690
75.	मुर्मू, श्री रूपचंद	3557, 3631
76.	निखिल कुमार, श्री	3637, 3687
77.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3582, 3652
78.	नायक, श्री अनंत	3581, 3651
79.	ओराम, श्री जुएल	3580, 3647, 3693, 3718
80.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3589, 3656, 3698, 3721, 3729
81.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3547, 3553, 3674, 3707
82.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3668
83.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3734
84.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3620, 3624, 3679, 3715
85.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3639, 3689, 3716
86.	पाटील, श्री डी.बी.	3558
87.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3536, 3737
88.	पिंगले, श्री देविदास	3616
89.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3550, 3573, 3611, 3648, 3737
90.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	3621, 3691
91.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3533, 3741
92.	राजगोपाल, श्री एल.	3539, 3658, 3700
93.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3601, 3664, 3703
94.	राणा, श्री काशीराम	3628, 3683, 3741
95.	राव, श्री के.एस.	3578, 3610
96.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3633, 3684
97.	राठौड़, हरिभाऊ	3735
98.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	3595, 3659
99.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	3528, 3534, 3643, 3649, 3694
100.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3628, 3715
101.	साईं प्रताप, श्री ए.	3712
102.	सज्जन कुमार, श्री	3564
103.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3524, 3612, 3699
104.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3586, 3730
105.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3570
106.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3597
107.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	3611, 3689, 3737
108.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3690
109.	शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	3683
110.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3570, 3591, 3530, 3632, 3638
111.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	3621, 3691
112.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3528, 3622, 3677, 3719, 3728
113.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3579, 3715
114.	सिंह, श्री दुष्यंत	3605, 3666
115.	सिंह, श्री गणेश	3569, 3653, 3695
116.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3638, 3682, 3688
117.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	3530
118.	सिंह, श्री राकेश	3567, 3662

1	2	3
119.	सिंह, श्री रेवती रमन	3587, 3688, 3693
120.	सिंह, श्री सुग्रीव	3639, 3655, 3689, 3739
121.	सिंह, श्री सूरज	3573
122.	सिंह, श्री उदय	3583, 3636, 3654, 3696
123.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	3596
124.	सुब्बारायण, श्री के.	3588, 3632, 3672, 3738
125.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3546, 3608
126.	सुमन, श्री रामजी लाल	3575
127.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3535
128.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3541
129.	थामस, श्री पी.सी.	3604
130.	दुम्मर, श्री वी.के.	3527, 3620, 3683, 3712
131.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3734
132.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3554, 3575, 3663, 3702, 3722
133.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3609, 3675, 3697
134.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	3644
135.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3570, 3630, 3697, 3720
136.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	3579, 3585
137.	यादव, श्री गिरिधारी	3585
138.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3529, 3626

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	
वित्त	:	365, 369, 371, 372, 375, 376, 380
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	362, 366
विधि और न्याय	:	373
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	
विद्युत	:	361, 363, 364, 377, 379
ग्रामीण विकास	:	367, 370, 378
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
शहरी विकास	:	368, 374

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	3538, 3619, 3676, 3691, 3702
पृथ्वी विज्ञान	:	3536, 3604
वित्त	:	3535, 3539, 3540, 3542, 3543, 3544, 3547, 3548, 3555, 3558, 3562, 3563, 3566, 3567, 3569, 3570, 3576, 3579, 3582, 3583, 3585, 3586, 3587, 3588, 3591, 3592, 3593, 3595, 3596, 3598, 3599, 3600, 3601, 3607, 3608, 3612, 3615, 3622, 3623, 3632, 3634, 3636, 3637, 3638, 3639, 3641, 3646, 3647, 3648, 3649, 3654, 3655, 3657, 3659, 3660, 3663, 3665, 3667, 3668, 3671, 3672, 3673, 3674, 3678, 3679, 3686, 3687, 3689, 3690, 3692, 3696, 3697, 3700, 3701, 3705, 3706, 3707, 3713, 3714, 3715, 3716, 3719, 3724, 3729, 3732, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3740, 3741, 3742
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	3527, 3531, 3572, 3603, 3609, 3610, 3617, 3620, 3628, 3650, 3675, 3677, 3698, 3703, 3728, 3739
विधि और न्याय	:	3541, 3560, 3584, 3602, 3605, 3611, 3616, 3704, 3717, 3722
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	3633, 3652, 3661, 3666, 3694, 3718, 3727
विद्युत	:	3530, 3546, 3549, 3561, 3575, 3580, 3581, 3594, 3606, 3688, 3695, 3712, 3720, 3725, 3726, 3730, 3733
ग्रामीण विकास	:	3524, 3532, 3534, 3537, 3557, 3565, 3568, 3571, 3597, 3614, 3618, 3621, 3629, 3643, 3644, 3645, 3662, 3670, 3682, 3683, 3684, 3699, 3708, 3711, 3723
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	3533, 3574, 3577, 3578, 3635, 3642, 3658, 3664
शहरी विकास	:	3525, 3526, 3528, 3529, 3545, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3556, 3559, 3564, 3573, 3589, 3590, 3613, 3624, 3625, 3626, 3627, 3630, 3631, 3640, 3651, 3653, 3656, 3669, 3680, 3681, 3685, 3693, 3709, 3710, 3721, 3731

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. धनराज एसोसिएट्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।